निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

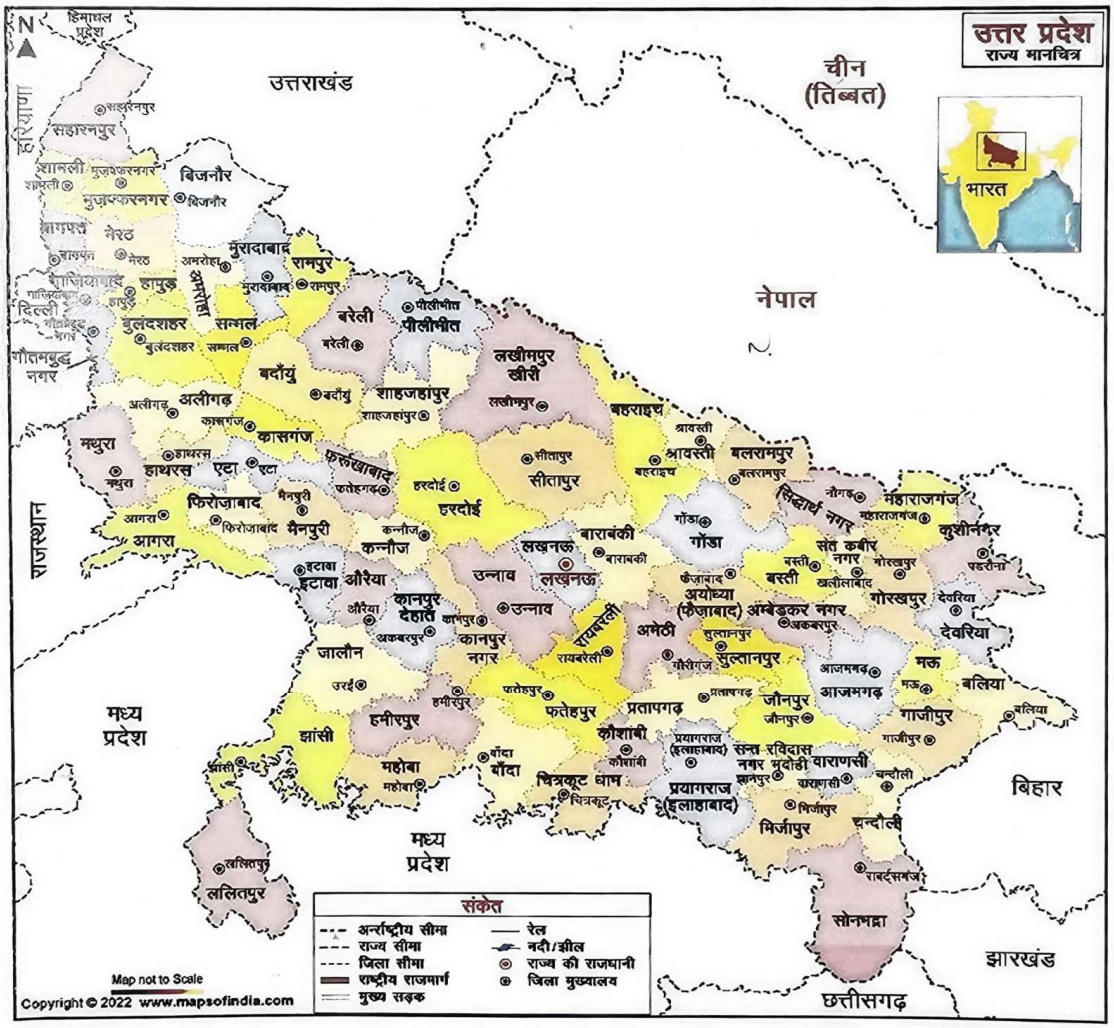

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-12

<u>अध्याय-4</u>

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठसंख्या(भाग)
1	मुरादाबाद मण्डल		**4903-5374(11)** **5375-5487(12)**
2	प्रयागराज मण्डल		**5487-5676(12)**
3	सहारनपुर मण्डल		**5677-5744(12)**
4	वाराणसी मण्डल		**5744-5837(12)** **5838-5993(13)**

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

01-ग्राम पंचायत- खमरिया लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-1 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रिय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन सागर के द्वारा 01.04.2021 से 31.03.2022 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 2325175.20 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड मिलक में खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) को पत्रों के द्वारा (दिनांक 18.04.22, 11.05.22, 13.06.22, 01.07.22, 07.09.22, 13.12.22, 15.02.22) को सूचित किया गया, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा क्या कार्यवाही की गयी लेखा परीक्षक को ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 2325175.20) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश बाबू एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

02-ग्राम पंचायत- कमोरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-2 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री बादाम सिंह के द्वारा दिनांक 17.08.2021 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 232223.00 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने एवं पत्राचार (18.04.22, 11.05.22) के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव श्री बादाम सिहं के द्वारा वर्तमान सचिव श्री गौरव मौर्य (19.08.2021 से वर्तमान तक) को अभिलेख हस्तान्तरित नहीं किये गये। मुख्य सचिव के साशनादेश सं0-06/2017/2325(1)33-1-2017-1988/17 दिनांक 04 दिसम्बर 2017 के अनुसार ग्राम पंचायत के सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण करा दिया जाये। हस्तानानतरण न करने वाले ग्राम पंचायत के सचिव के विर्दध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही कराते हुए शासन को अवगत कराने का

कष्ट करें। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही क्या कार्यवाही हुई लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 232223.00) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिलकिश एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

03-ग्राम पंचायत- ज्योहरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-3 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन सागर के द्वारा 01.04.2021 से 31.03.2022 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 1453323.95 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड मिलक में खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) को पत्रों के द्वारा (दिनांक 18.04.22, 11.05.22, 13.06.22, 01.07.22, 07.09.22, 13.12.22, 15.02.22) को सूचित किया गया, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा क्या कार्यवाही की गयी लेखा परीक्षक को ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 1453323.95) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता शर्मा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन सागर से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

04-ग्राम पंचायत- जिवाईकदीम लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री बादाम सिंह के द्वारा दिनांक 17.08.2021 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 987187.00 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति,

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार (18.04.22, 11.05.22) के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव श्री बादाम सिहं के द्वारा वर्तमान सचिव श्री गौरव मौर्य (19.08.2021 से वर्तमान तक) को अभिलेख हस्तान्तरित नहीं किये गये। मुख्य सचिव के साशनादेश सं0-06/2017/2325(1)33-1-2017-1988/17 दिनांक 04 दिसम्बर 2017 के अनुसार ग्राम पंचायत के सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण करा दिया जाये। हस्तानानतरण न करने वाले ग्राम पंचायत के सचिव के विर्दध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही क्या कार्यवाही हुई लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 987187.00) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बादाम सिंह से वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

05-ग्राम पंचायत- ऐचोरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-5 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री बादाम सिंह के द्वारा दिनांक 17.08.2021 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 545435.00 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार (18.04.22, 11.05.22) के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव श्री बादाम सिहं के द्वारा वर्तमान सचिव श्री गौरव मौर्य (19.08.2021 से वर्तमान तक) को अभिलेख हस्तान्तरित नहीं किये गये। मुख्य सचिव के साशनादेश सं0-06/2017/2325(1)33-1-2017-1988/17 दिनांक 04 दिसम्बर 2017 के अनुसार ग्राम पंचायत के सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण करा दिया जाये। हस्तानानतरण न करने वाले ग्राम पंचायत के सचिव के विर्दध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही क्या कार्यवाही हुई लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 545435.00) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बादाम सिंह से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

06-ग्राम पंचायत- अकौन्दा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-6 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन सागर के द्वारा 01.04.2021 से 31.03.2022 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 1815071.23 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड मिलक में खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) को पत्रों के द्वारा (दिनांक 18.04.22, 11.05.22, 13.06.22, 01.07.22, 07.09.22, 13.12.22, 15.02.22) को सूचित किया गया, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा क्या कार्यवाही की गयी लेखा परीक्षक को ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 1815071.23) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती खुर्शीद बेगम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन सागर से वसूल की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

07-ग्राम पंचायत- अताईनगर लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-7 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री बादाम सिंह के द्वारा दिनांक 17.08.2021 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 692224.00 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार (18.04.22, 11.05.22) के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव श्री बादाम सिहं के द्वारा वर्तमान सचिव श्री गौरव मौर्य (19.08.2021 से वर्तमान तक) को अभिलेख हस्तान्तरित नहीं किये गये। मुख्य सचिव के साशनादेश सं0-06/2017/2325(1)33-1-2017-1988/17 दिनांक 04 दिसम्बर 2017 के अनुसार ग्राम पंचायत के सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण करा दिया जाये। हस्तानानतरण न करने वाले ग्राम पंचायत के सचिव के विर्दध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही कराते हुए शासन को अवगत कराने का

कष्ट करें। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही क्या कार्यवाही हुई लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 692224.00) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सीता राम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बादाम सिहं से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

08-ग्राम पंचायत- तिराह लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-8 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन सागर के द्वारा 01.04.2021 से 31.03.2022 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 1542910.13 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड मिलक में खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) को पत्रों के द्वारा (दिनांक 18.04.22, 11.05.22, 13.06.22, 01.07.22, 07.09.22, 13.12.22, 15.02.22) को सूचित किया गया, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा क्या कार्यवाही की गयी लेखा परीक्षक को ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 1542910.13) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम किशोर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन सागर से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

09-ग्राम पंचायत- जालिफनगला लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-9 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से पूर्व ग्राम पंचायत सचिव श्री कमल सिंह के धनराशि रू0 1065856.00 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित वर्क फाईल, वाउचर, एम0 बी0 बुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकि स्वीकृति,

प्रशानिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार (18.04.22, 11.05.22) के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव श्री कमल सिहं के द्वारा वर्तमान सचिव श्री मो0 तबरेज (वर्तमान तक) को अभिलेख हस्तान्तरित नहीं किये गये। मुख्य सचिव के साशनादेश सं0-06/2017/2325(1)33-1-2017-1988/17 दिनांक 04 दिसम्बर 2017 के अनुसार ग्राम पंचायत के सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण करा दिया जाये। हस्तानानतरण न करने वाले ग्राम पंचायत के सचिव के विर्दध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही क्या कार्यवाही हुई लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 1065856.00) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शाहीन बी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री कमल सिंह से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

10-ग्राम पंचायत- सिहारी लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-10 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन सागर के द्वारा 01.04.2021 से 31.03.2022 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 2773640.89 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड मिलक में खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) को पत्रों के द्वारा (दिनांक 18.04.22, 11.05.22, 13.06.22, 01.07.22, 07.09.22, 13.12.22, 15.02.22) को सूचित किया गया, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा क्या कार्यवाही की गयी लेखा परीक्षक को ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 2773640.89) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती भूप देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन सागर से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

11-ग्राम पंचायत- रठौन्डा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-11 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन सागर के द्वारा 01.04.2021 से 31.03.2022 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 3687593.00 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड मिलक में खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) को पत्रों के द्वारा (दिनांक 18.04.22, 11.05.22, 13.06.22, 01.07.22, 07.09.22, 13.12.22, 15.02.22) को सूचित किया गया, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा क्या कार्यवाही की गयी लेखा परीक्षक को ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 3687593.00) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरवेश कुमारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन सागर से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

12-ग्राम पंचायत- रजपुरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-12 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन सागर के द्वारा 01.04.2021 से 31.03.2022 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 780909.60 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड मिलक में खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) को पत्रों के द्वारा (दिनांक 18.04.22, 11.05.22, 13.06.22, 01.07.22, 07.09.22, 13.12.22, 15.02.22) को सूचित किया गया, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा क्या कार्यवाही की गयी लेखा परीक्षक को ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और

अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 780909.60) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रवि शंकर एवं ग्राम विकास अधिकारी पवन सागर से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

13-ग्राम पंचायत- पीपलसाना लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-13 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन सागर के द्वारा 01.04.2021 से 31.03.2022 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 708326.00 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड मिलक में खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) को पत्रों के द्वारा (दिनांक 18.04.22, 11.05.22, 13.06.22, 01.07.22, 07.09.22, 13.12.22, 15.02.22) को सूचित किया गया, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा क्या कार्यवाही की गयी लेखा परीक्षक को ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 708326.00) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन सागर से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

14-ग्राम पंचायत- नबदिया लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-14 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से पूर्व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रवेश वर्मा के धनराशि रू0 438101.00 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित वर्क फाईल, वाउचर, एम0 बी0 बुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकि स्वीकृति, प्रशानिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार (18.04.22, 11.05.22) के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव श्री प्रवेश वर्मा के द्वारा वर्तमान सचिव श्री मो0 तबरेज (वर्तमान तक) को अभिलेख हस्तान्तरित नहीं किये गये। मुख्य सचिव के साशनादेश सं0-06/2017/2325(1)33-1-2017-1988/17 दिनांक 04 दिसम्बर 2017 के अनुसार ग्राम पंचायत के सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख

एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण करा दिया जाये। हस्तानानतरण न करने वाले ग्राम पंचायत के सचिव के विर्दध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही क्या कार्यवाही हुई लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 438101.00) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामवतीएवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

15-ग्राम पंचायत- क्रमचा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-15 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त/ग्राम निधि-1 के खाते एवं केन्द्रीय वित्त के खाते से ग्राम पंचायत सचिव श्री बादाम सिंह के द्वारा दिनांक 17.08.2021 तक आनलाइन फीडिंग ई-ग्राम स्वराज के अनुसार धनराशि रू0 1822336.00 विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कैशबुक, वर्क फाईल, एम0बी0 बुक, स्टीमेट, वाउचर, तकनीकि स्वकृति, प्रशासनिक स्वकीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार (18.04.22, 11.05.22) के उपरांत प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव श्री बादाम सिहं के द्वारा वर्तमान सचिव श्री गौरव मौर्य (19.08.2021 से वर्तमान तक) को अभिलेख हस्तान्तरित नहीं किये गये। मुख्य सचिव के साशनादेश सं0-06/2017/2325(1)33-1-2017-1988/17 दिनांक 04 दिसम्बर 2017 के अनुसार ग्राम पंचायत के सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण करा दिया जाये। हस्तानानतरण न करने वाले ग्राम पंचायत के सचिव के विर्दध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही क्या कार्यवाही हुई लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त धनराशि के व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 1822336.00) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बादाम सिंह से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

16-ग्राम पंचायत- अगलगा लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-16 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1921603.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	11.11.2021	37162.00	भारत ट्रेडर्स
02	11.11.2021	37162.00	भारत ट्रेडर्स
03	11.11.2021	37162.00	भारत ट्रेडर्स
04	11.11.2021	37162.00	भारत ट्रेडर्स
05	11.11.2021	37162.00	भारत ट्रेडर्स
06	11.11.2021	37162.00	भारत ट्रेडर्स
07	11.11.2021	100000.00	भारत ट्रेडर्स
08	20.12.2021	100000.00	भारत ट्रेडर्स
09	05.01.2022	74700.00	भारत ट्रेडर्स
10	17.01.2022	65000.00	भारत ट्रेडर्स
11	01.02.2022	34950.00	भारत ट्रेडर्स
12	01.02.2022	98000.00	भारत ट्रेडर्स
13	02.02.2022	8700.00	भारत ट्रेडर्स
14	02.02.2022	8700.00	भारत ट्रेडर्स
15	22.03.2022	2001.00	भारत ट्रेडर्स
16	11.08.2021	100333.00	गहलोत ट्रेडर्स
17	11.08.2021	97534.00	गहलोत ट्रेडर्स
18	13.08.2021	79088.00	गहलोत ट्रेडर्स
19	13.08.2021	76315.00	गहलोत ट्रेडर्स
20	11.10.2021	116500.00	गहलोत ट्रेडर्स
21	14.10.2021	100000.00	गहलोत ट्रेडर्स
22	23.10.2021	185950.00	गहलोत ट्रेडर्स
23	23.10.2021	182600.00	गहलोत ट्रेडर्स
24	19.11.2021	64664.00	गहलोत ट्रेडर्स
25	19.11.2021	36538.00	गहलोत ट्रेडर्स
26	09.03.2022	90000.00	शिव ट्रेडर्स
27	12.07.2021	27000.00	रिया महिला समूह
28	19.11.2021	18000.00	रिया महिला समूह
29	23.03.2022	12000.00	रिया महिला समूह
30	26.11.2021	10000.00	ए0आर0 इण्टरप्राईजेज
31	16.12.2021	4885.00	हिन्दुस्तान मीडिया

32	29.01.2022	5173.00	सी0एफ0सी0यू0पी0टे0एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव

योग- **1921603.00**

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 740431.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	22.10.2021	20100.00	श्री प्रमोद कुमार
02	23.10.2021	17688.00	श्री प्रमोद कुमार
03	23.10.2021	17688.00	श्री प्रमोद कुमार
04	31.10.2021	50000.00	श्री प्रमोद कुमार
05	19.11.2021	10050.00	श्री प्रमोद कुमार
06	19.11.2021	21306.00	श्री प्रमोद कुमार
07	19.11.2021	45000.00	श्री प्रमोद कुमार
08	19.11.2021	48942.00	श्री प्रमोद कुमार
09	11.12.2021	15000.00	श्री प्रमोद कुमार
10	05.01.2022	10000.00	श्री प्रमोद कुमार
11	05.01.2022	12060.00	श्री प्रमोद कुमार
12	17.01.2022	60000.00	श्री प्रमोद कुमार
13	01.02.2022	13266.00	श्री प्रमोद कुमार
14	17.02.2022	17688.00	श्री प्रमोद कुमार
15	13.03.2022	30000.00	श्री प्रमोद कुमार
16	23.03.2022	60000.00	श्री प्रमोद कुमार
17	22.10.2021	8040.00	श्री कुलदीप
18	23.10.2021	6824.00	श्री कुलदीप
19	23.10.2021	6030.00	श्री कुलदीप
20	19.11.2021	4824.00	श्री कुलदीप
21	19.11.2021	10854.00	श्री कुलदीप
22	05.01.2022	4020.00	श्री कुलदीप
23	17.01.2022	18492.00	श्री कुलदीप
24	31.10.2021	10000.00	श्री दिनेश
25	31.10.2021	10000.00	श्री दिनेश
26	24.11.2021	2000.00	श्री दिनेश
27	08.03.2022	2000.00	श्री दिनेश
28	11.03.2022	10000.00	श्री दिनेश
29	13.03.2022	30000.00	श्री दिनेश
30	11.11.2021	10000.00	श्री दिनेश चन्द्र
31	08.03.2022	5000.00	श्री दिनेश चन्द्र
32	12.01.2022	6000.00	श्री बिन्दु
33	23.10.2021	7236.00	श्री गौरव कुमार
34	23.10.2021	5628.00	श्री गौरव कुमार

35	19.11.2021	5226.00	श्री गौरव कुमार
36	19.11.2021	10854.00	श्री गौरव कुमार
37	25.01.2022	2500.00	श्री लियाकत अली
38	15.08.2021	12600.00	श्री गफ्फार
39	15.08.2021	10350.00	श्री गफ्फार
40	15.08.2021	6300.00	श्री मुकम्मिल
41	15.08.2021	5173.00	श्री इसरार
42	15.08.2021	6525.00	श्री इसरार
43	15.08.2021	5173.00	श्री मुकम्मिल
44	15.08.2021	6525.00	श्री राहत अली
45	15.08.2021	5173.00	श्री राहत अली
46	22.10.2021	8442.00	श्री अरुण
47	23.10.2021	6824.00	श्री अरुण
48	23.10.2021	6030.00	श्री अरुण
49	19.11.2021	37000.00	श्री अरुण
	योग	**740431.00**	

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 57000.00 ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र व सचिव श्री जगरूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	13.10.2021	21000.00	श्री रामचन्द्र
02	22.10.2021	36000.00	श्री रामचन्द्र
	योग-	**57000.00**	

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	13.10.2021	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
	योग-	**2000.00**	

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-20 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1249962.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम मौर्य एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	14.07.2021	10625.00	इकोमेंट रेसायक्लिंग
02	29.04.2021	75379.00	प्रधान ट्रेडर्स
03	29.04.2021	74621.00	प्रधान ट्रेडर्स
04	22.12.2021	25000.00	प्रधान ट्रेडर्स
05	02.12.2021	100000.00	प्रधान ट्रेडर्स
06	11.12.2021	150000.00	प्रधान ट्रेडर्स
07	27.12.2021	142881.00	प्रधान ट्रेडर्स
08	27.12.2021	20236.00	प्रधान ट्रेडर्स
09	01.02.2022	125225.00	प्रधान ट्रेडर्स
10	01.02.2022	102396.00	प्रधान ट्रेडर्स
11	24.09.2021	150000.00	श्री बाला जी टाइल्स एण्ड सेनेटरी स्टोर
12	03.07.2021	27000.00	गीता दिव्यांग स्वयं सहायता समूह
13	06.08.2021	45423.00	सैनी पाइप स्टोर
14	11.12.2021	22200.00	सैनी पाइप स्टोर
15	22.12.2021	11500.00	सैनी पाइप स्टोर
16	22.12.2021	100000.00	प्रधान बिल्डिंग मटेरियल
17	23.01.2022	840.00	रामपुर कृसक एफ0पी0सी0लि0
18	30.01.2022	60000.00	बेबसिटि एजेन्सी
19	29.01.2022	6636.00	सी0एफ0सी0यू0पी0 टेक्निकल एण्ड एड0
	योग-	**1249962.00**	

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 769500.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम मौर्य एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	22.12.2021	9648.00	श्री भगवानदास
02	27.12.2021	6432.00	श्री भगवानदास

03	01.02.2022	10653.00	श्री भगवानदास
04	13.07.2021	65400.00	श्री राजा राम
05	24.09.2021	25000.00	श्री राजा राम
06	02.12.2021	10000.00	श्री राजा राम
07	22.12.2021	9648.00	श्री राजा राम
08	27.12.2021	6432.00	श्री राजा राम
09	27.12.2021	1608.00	श्री राजा राम
10	01.02.2022	10653.00	श्री राजा राम
11	09.07.2021	5000.00	श्री गिरीश कुमार
12	09.07.2021	40000.00	श्री गिरीश कुमार
13	28.07.2021	5000.00	श्री गिरीश कुमार
14	13.07.2021	67500.00	श्री ओम प्रकाश
15	25.09.2021	20000.00	श्री ओम प्रकाश
16	21.11.2021	30000.00	श्री ओम प्रकाश
17	02.12.2021	10000.00	श्री ओम प्रकाश
18	22.12.2021	9648.00	श्री ओम प्रकाश
19	13.07.2021	50800.00	श्री अतर सिंह
20	28.07.2021	9450.00	श्री अतर सिंह
21	24.09.2021	35000.00	श्री अतर सिंह
22	19.11.2021	15000.00	श्री अतर सिंह
23	21.11.2021	30000.00	श्री अतर सिंह
24	02.11.2021	20000.00	श्री अतर सिंह
25	13.07.2021	66000.00	श्री जगदीश
26	24.09.2021	20000.00	श्री जगदीश
27	22.12.2021	9648.00	श्री जगदीश
28	27.12.2021	6432.00	श्री जगदीश
29	14.07.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
30	28.07.2021	1000.00	श्री दिनेश कुमार
31	24.11.2021	2000.00	श्री दिनेश कुमार
32	22.01.2022	3000.00	श्री लियाकत अली
33	23.01.2022	6000.00	श्री कुमारी ज्योति
34	20.02.2022	6000.00	श्री कुमारी ज्योति
35	27.12.2021	25000.00	श्री विक्रम सिंह
36	06.08.2021	44440.00	श्री सूरज
37	02.12.2021	10000.00	श्री सूरज
38	22.12.2021	9648.00	श्री सूरज
39	06.08.2021	22220.00	श्री रूप किशोर
40	11.12.2021	22200.00	श्री रूप किशोर
41	27.12.2021	6432.00	श्री खन्न सिंह
42	27.12.2021	1608.00	श्री खन्न सिंह
	योग	**769500.00**	

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 21000.00 ग्राम प्रधान श्रीमति पूनम मौर्या द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व

पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती पूवम मौर्य व सचिव श्री जगरूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	13.07.2021	7000.00	श्रीमति पूनम मौर्या
02	21.11.2021	14000.00	श्रीमति पूनम मौर्या
	योग-	**21000-00**	

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	28.07.2021	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
	योग-	**2000.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

18-ग्राम पंचायत- असालतपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-24 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 865739.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कादिर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	14.07.2021	10620.00	इकोमेंट रेसायक्लिंग
02	08.09.2021	100000.00	भारत ट्रेडर्स
03	27.09.2021	90000.00	भारत ट्रेडर्स
04	27.09.2021	90000.00	भारत ट्रेडर्स
05	11.10.2021	100000.00	भारत ट्रेडर्स
06	05.02.2022	8700.00	भारत ट्रेडर्स
07	19.03.2022	1095.00	भारत ट्रेडर्स
08	23.03.2022	1002.00	भारत ट्रेडर्स
09	24.08.2021	246000.00	जरा इण्टरप्राईजेज
10	17.01.2022	95000.00	जरा इण्टरप्राईजेज

11	14.07.2021	54496.00	सलीम प्रधान एण्ड संस
12	08.03.2022	50000.00	शिव ट्रेडर्स
13	08.03.2022	17000.00	शिव ट्रेडर्स
14	29.01.2022	1826.00	सी0एफ0सी0यू0पी0 टेक्निकल एण्ड एड0

योग- **865739.00**

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 104200.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कादिर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	12.01.2022	6000.00	श्री राशिद
02	20.02.2022	6000.00	श्री राशिद
03	25.07.2021	5000.00	श्री दिनेश
04	28.07.2021	5000.00	श्री दिनेश
05	01.11.2021	5000.00	श्री दिनेश
06	10.01.2022	2500.00	श्री दिनेश
07	08.03.2022	3000.00	श्री दिनेश
08	11.03.2022	10000.00	श्री दिनेश
09	24.03.2022	20000.00	श्री दिनेश
10	24.03.2022	10000.00	श्री दिनेश
11	14.07.2021	20000.00	श्री रूप किशोर
12	17.08.2021	5200.00	श्री नितिन
13	25.01.2022	2500.00	श्री लियाकत अली
14	11.03.2022	4000.00	श्री रजत सैनी

योग **104200.00**

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 193500.00 ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कदीर द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	14.07.2021	7000.00	श्री अब्दुल कदीर
02	14.07.2021	48000.00	श्री अब्दुल कदीर
03	03.08.2021	50000.00	श्री अब्दुल कदीर
04	27.01.2022	24500.00	श्री अब्दुल कदीर
05	24.03.2022	14000.00	श्री अब्दुल कदीर

06	24.03.2022	40000.00	श्री अब्दुल कदीर
07	24.03.2022	10000.00	श्री अब्दुल कदीर
	योग-	**193500.00**	

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	27.09.2021	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
	योग-	**2000.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

19-ग्राम पंचायत- लाड़पुर नि0 बथुआखेड़ा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-28 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 994469.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इकरा खान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	14.04.2021	10620.00	इकोमेंट रेसायक्लिंग
02	30.09.2021	100000.00	भारत ट्रेडर्स
03	05.02.2022	17400.00	भारत ट्रेडर्स
04	19.03.2022	2610.00	भारत ट्रेडर्स
05	23.01.2022	840.00	रामपुर कृषक एफ.पी.सी.लि0
06	01.08.2021	200000.00	स्टार ट्रेडर्स
07	01.08.2021	150000.00	स्टार ट्रेडर्स
08	06.08.2021	96273.00	स्टार ट्रेडर्स
09	06.08.2021	108806.00	स्टार ट्रेडर्स
10	06.08.2021	47753.00	स्टार ट्रेडर्स
11	30.09.2021	90000.00	स्टार ट्रेडर्स
12	08.10.2021	100000.00	स्टार ट्रेडर्स
13	08.03.2022	19000.00	स्टार ट्रेडर्स
14	08.03.2022	48000.00	स्टार ट्रेडर्स

15	29.01.2022	3167.00	सी0एफ0सी0यू0पी0 टेक्निकल एण्ड एड0

योग- **994469.00**

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 553332.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इकरा खान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	25.07.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
02	28.07.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
03	15.08.2021	10000.00	श्री दिनेश कुमार
04	01.11.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
05	24.11.2021	2000.00	श्री दिनेश कुमार
06	10.01.2022	2500.00	श्री दिनेश कुमार
07	08.03.2022	2500.00	श्री दिनेश कुमार
08	11.03.2022	10000.00	श्री दिनेश कुमार
09	11.03.2022	4000.00	श्री रजत सैनी
10	13.07.2021	45460.00	श्री ताज मौ0 खां
11	13.07.2021	42300.00	श्री ताज मौ0 खां
12	13.07.2021	10000.00	श्री ताज मौ0 खां
13	06.08.2021	6732.00	श्री ताज मौ0 खां
14	06.08.2021	17340.00	श्री ताज मौ0 खां
15	19.08.2021	42500.00	श्री ताज मौ0 खां
16	30.09.2021	50000.00	श्री ताज मौ0 खां
17	11.10.2021	25000.00	श्री ताज मौ0 खां
18	11.10.2021	25000.00	श्री श्री ताज मौ0 खां
19	24.11.2021	48000.00	श्री ताज मौ0 खां
20	30.01.2022	40000.00	श्री ताज मौ0 खां
21	13.03.2022	70000.00	श्री ताज मौ0 खां
22	23.03.2022	40000.00	श्री ताज मौ0 खां
23	14.01.2022	6000.00	श्रीमती सजिया
24	20.02.2022	6000.00	श्रीमती सजिया
25	13.03.2022	6000.00	श्रीमती सजिया
26	03.07.2021	27000.00	श्री ताज स्वयं सहायता समूह

योग **553332.00**

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 59228.00 ग्राम प्रधान श्रीमती इकरा खान द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना

में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	14.07.2021	7000.00	श्रीमती इकरा खान
02	06.08.2021	16728.00	श्रीमती इकरा खान
03	05.10.2021	25000.00	श्रीमती इकरा खान
04	13.03.2022	10500.00	श्रीमती इकरा खान
	योग-	**59228.00**	

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	22.01.2022	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
	योग-	**2000.00**	

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-32 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 730946.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हुमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	14.07.2021	10620.00	इकोमेंट रेसायक्लिंग
02	21.03.2022	2000.00	भारत ट्रेडर्स
03	23.01.2022	1680.00	रामपुर कृषक एफ.पी.सी.लि0
04	25.07.2021	81500.00	स्टार ट्रेडर्स
05	26.07.2021	54400.00	स्टार ट्रेडर्स
06	27.07.2021	89800.00	स्टार ट्रेडर्स
07	27.07.2021	50000.00	स्टार ट्रेडर्स
08	28.07.2021	170000.00	स्टार ट्रेडर्स
09	24.08.2021	76000.00	स्टार ट्रेडर्स
10	30.09.2021	60000.00	स्टार ट्रेडर्स
11	30.09.2021	50000.00	स्टार ट्रेडर्स
12	03.10.2021	25000.00	स्टार ट्रेडर्स
13	06.10.2021	40000.00	स्टार ट्रेडर्स
14	16.02.2022	17400.00	भारर ट्रेडर्स
15	29.01.2022	2546.00	सी0एफ0सी0यू0पी0 टेक्निकल एण्ड एड0
	योग-	**730946.00**	

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 282318.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हुमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	25.07.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
02	26.07.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
03	01.11.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
04	24.11.2021	15000.00	श्री दिनेश कुमार
05	24.11.2021	2000.00	श्री दिनेश कुमार
06	08.01.2022	3000.00	श्री दिनेश कुमार

07	25.07.2021	11118.00	श्री इरफान अली
08	24.08.2021	25000.00	श्री इरफान अली
09	03.09.2021	20000.00	श्री इरफान अली
10	30.09.2021	25000.00	श्री इरफान अली
11	06.10.2021	10000.00	श्री इरफान अली
12	24.11.2021	40000.00	श्री इरफान अली
13	06.10.2021	10000.00	श्री इमरान अली
14	14.01.2022	6000.00	श्री मौ0 सुलेमान
15	20.02.2022	6000.00	श्री मौ0 सुलेमान
16	24.03.2022	6000.00	श्री मौ0 सुलेमान
17	14.07.2021	5000.00	श्री अरविन्द
18	14.07.2021	38000.00	श्री अरविन्द
19	14.07.2021	35000.00	श्री अरविन्द
20	04.10.2021	5200.00	श्री नितिन
21	24.11.2021	5000.00	श्री नितिन
	योग	**282318.00**	

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 84546.00 ग्राम प्रधान श्रीमती हुमा द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती हुमा व सचिव श्री जगरूप सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	14.07.2021	7000.00	श्रीमती हुमा
02	25.07.2021	11118.00	श्रीमती हुमा
03	26.07.2021	15504.00	श्रीमती हुमा
04	27.07.2021	24480.00	श्रीमती हुमा
05	27.07.2021	12444.00	श्रीमती हुमा
06	06.10.2021	14000.00	श्रीमती हुमा
	योग-	**84546.00**	

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	14.07.2021	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
	योग-	**2000.00**	

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

21-ग्राम पंचायत- देवीपुरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-36 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1047697.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हसीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री आकिल हुसैन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	06.07.2021	27000.00	रिज़वी एस0एच0जी0
02	21.10.2021	56450.00	भारत ट्रेडर्स
03	25.10.2021	92881.00	भारत ट्रेडर्स
04	17.11.2021	122850.00	भारत ट्रेडर्स
05	20.11.2021	37727.00	भारत ट्रेडर्स
06	04.01.2022	46600.00	भारत ट्रेडर्स
07	10.12.2021	51350.00	भारत ट्रेडर्स
08	31.01.2022	113000.00	भारत ट्रेडर्स
09	03.02.2022	2274.00	भारत ट्रेडर्स
10	07.03.2022	10500.00	भारत ट्रेडर्स
11	12.03.2022	10750.00	भारत ट्रेडर्स
12	14.03.2022	10150.00	भारत ट्रेडर्स
13	11.08.2021	10300.00	हाजी बहाब पाइप स्टोर
14	18.11.2021	11997.00	हाजी बहाब पाइप स्टोर
15	18.11.2021	2800.00	हाजी बहाब पाइप स्टोर
16	18.11.2021	2800.00	हाजी बहाब पाइप स्टोर
17	18.11.2021	10650.00	हाजी बहाब पाइप स्टोर
18	20.11.2021	13332.00	हाजी बहाब पाइप स्टोर
19	21.07.2021	2556.00	प्रधान ट्रेडर्स
20	21.07.2021	76502.00	प्रधान ट्रेडर्स
21	21.07.2021	46057.00	प्रधान ट्रेडर्स
22	21.10.2021	134850.00	प्रधान ट्रेडर्स
23	21.10.2021	146530.00	प्रधान ट्रेडर्स
24	11.08.2021	6111.00	अमर उजाला लि0
25	15.01.2022	1680.00	रामपुर कृषक लि0
	योग-	**1047697.00**	

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 43200.00 ग्राम प्रधान श्रीमती हसीना द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते

मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती हसीना व सचिव श्री आकिल हुसैन से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	25.07.2021	15200.00	श्रीमती हसीना
02	31.01.2022	17500.00	श्रीमती हसीना
03	07.03.2022	10500.00	श्रीमती हसीना
	योग-	**43200.00**	

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 298464.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हसीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री आकिल हुसैन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	11.08.2021	8200.00	श्री तसवीर
02	18.11.2021	11749.00	श्री तसवीर
03	24.07.2021	1224.00	श्री मतलूब हुसैन
04	24.07.2021	2040.00	श्री मतलूब हुसैन
05	21.10.2021	6324.00	श्री मतलूब हुसैन
06	18.11.2021	13209.00	श्री मतलूब हुसैन
07	20.11.2021	24958.00	श्री मतलूब हुसैन
08	25.10.2021	4080.00	श्री हसन अली
09	18.11.2021	24958.00	श्री हसन अली
10	21.07.2021	1027.00	श्री मुस्तफ
11	21.07.2021	11520.00	श्री अहसान अली
12	25.10.2021	8640.00	श्री अहसान अली
13	21.07.2021	11520.00	श्री लियाकत
14	21.07.2021	11520.00	श्री खुर्शीद
15	21.07.2021	11520.00	श्री अब्दुल वाहिद
16	21.07.2021	4020.00	श्री अब्दुल रहमान
17	21.07.2021	8160.00	श्री मकसूद
18	21.07.2021	8160.00	श्री अहमद सलाम
19	21.07.2021	6720.00	श्री अहमद सलाम
20	21.07.2021	6936.00	श्री मौ0 मारूफ
21	20.11.2021	2448.00	श्री मौ0 मारूफ
22	31.01.2022	2448.00	श्री मौ0 मारूफ
23	21.10.2021	6528.00	श्री मो0 सफी
24	31.01.2022	2448.00	श्री मो0 सफी
25	21.10.2021	6936.00	श्री रफी

26	24.07.2021	1224.00	श्री मो0 अहमद
27	24.07.2021	1224.00	श्री मो0 अहमद
28	21.10.2021	16320.00	श्री मो0 अहमद
29	24.07.2021	1224.00	श्री कलुआ
30	24.07.2021	2040.00	श्री कलुआ
31	25.10.2021	4080.00	श्री कलुआ
32	31.01.2022	5760.00	श्री कलुआ
33	11.08.2021	1458.00	श्री अय्यूब
34	11.08.2021	1649.00	श्री अय्यूब
35	11.08.2021	5000.00	श्री आविद हुसैन
36	24.07.2021	1224.00	श्री मासूक
37	24.07.2021	2040.00	श्री मासूक
38	24.07.2021	2880.00	श्री इंतजार
39	24.07.2021	4800.00	श्री इंतजार
40	21.10.2021	14880.00	श्री इंतजार
41	20.11.2021	4800.00	श्री इंतजार
42	28.01.2022	6000.00	श्रीमती रोशन जहां
43	07.03.2022	6000.00	श्रीमती रोशन जहां
44	21.10.2021	6120.00	श्री जफर अली
45	20.11.2021	2448.00	श्री जफर अली
	योग	**298464.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

22-ग्राम पंचायत- छितरिया जागीर लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-39 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 4785646.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुखलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री आकिल हुसैन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	20.10.2021	39850.00	भारत ट्रेडर्स
02	22.11.2021	48755.00	भारत ट्रेडर्स
03	22.11.2021	38795.00	भारत ट्रेडर्स
04	02.12.2021	54590.00	भारत ट्रेडर्स
05	13.01.2021	61500.00	भारत ट्रेडर्स

06	01.02.2022	8840.00	भारत ट्रेडर्स
07	01.02.2022	37131.00	भारत ट्रेडर्स
08	01.02.2022	91735.00	भारत ट्रेडर्स
09	01.02.2022	50000.00	भारत ट्रेडर्स
10	02.02.2022	17400.00	भारत ट्रेडर्स
11	19.02.2022	12260.00	भारत ट्रेडर्स
12	19.02.2022	30856.00	भारत ट्रेडर्स
13	14.03.2022	15560.00	भारत ट्रेडर्स
14	23.03.2022	10200.00	भारत ट्रेडर्स
15	11.02.2022	115000.00	प्रधान ट्रेडर्स
16	11.11.2021	141935.00	टी0सी0सी0 ग्रीन इण्डिया
17	13.11.2021	38000.00	टी0सी0सी0 ग्रीन इण्डिया
18	16.11.2021	40000.00	टी0सी0सी0 ग्रीन इण्डिया
19	26.12.2021	11000.00	टी0सी0सी0 ग्रीन इण्डिया
20	11.10.2021	135440.00	शाहिद अजाज सीमेंट स्टोर
21	20.10.2021	119075.00	शाहिद अजाज सीमेंट स्टोर
22	20.10.2021	119075.00	शाहिद अजाज सीमेंट स्टोर
23	13.01.2022	99890.00	शाहिद अजाज सीमेंट स्टोर
24	19.02.2022	68574.00	शाहिद अजाज सीमेंट स्टोर
25	23.03.2022	99800.00	शाहिद अजाज सीमेंट स्टोर
26	01.02.2022	175000.00	न्यू शोकिया ट्रेडर्स
27	30.04.2021	71650.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
28	08.07.2021	39760.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
29	08.07.2021	39764.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
30	08.07.2021	39614.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
31	08.07.2021	39764.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
32	08.07.2021	39534.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
33	08.07.2021	39664.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
34	14.07.2021	49500.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
35	14.07.2021	30000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
36	14.07.2021	99500.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
37	20.07.2021	65000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
38	24.07.2021	39800.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
39	24.07.2021	39700.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
40	24.07.2021	39800.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
41	25.07.2021	60000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
42	25.07.2021	39700.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
43	26.08.2021	53980.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
44	07.09.2021	25000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
45	07.09.2021	36000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
46	07.09.2021	18000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
47	13.09.2021	19030.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
48	14.09.2021	20000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
49	14.09.2021	30000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
50	11.10.2021	19500.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज

51	14.01.2022	840.00	रामपुर कृषक एफ0पी0सी0 लि0
52	14.07.2021	144500.00	जावेद ट्रेडर्स
53	14.07.2021	100000.00	जावेद ट्रेडर्स
54	14.07.2021	131000.00	जावेद ट्रेडर्स
55	25.07.2021	89800.00	जावेद ट्रेडर्स
56	25.07.2021	140000.00	जावेद ट्रेडर्स
57	26.08.2021	204000.00	जावेद ट्रेडर्स
58	27.08.2021	75097.00	जावेद ट्रेडर्स
59	07.09.2021	101500.00	जावेद ट्रेडर्स
60	30.10.2021	116500.00	जावेद ट्रेडर्स
61	16.07.2021	6720.00	शाह टाइम्स इण्टरप्राईजेज
62	01.05.2021	126112.00	जो0एस0 ट्रेडर्स
63	23.05.2021	170000.00	जो0एस0 ट्रेडर्स
64	23.05.2021	98560.00	जो0एस0 ट्रेडर्स
65	04.05.2021	108000.00	राम सीमेन्ट स्टोर
66	04.05.2021	126200.00	राम सीमेन्ट स्टोर
67	06.05.2021	114290.00	राम सीमेन्ट स्टोर
68	06.05.2021	134610.00	राम सीमेन्ट स्टोर
69	13.09.2021	118511.00	आयशा टेंडर
70	21.09.2021	4885.00	हिन्दुस्तान मीडिया लि0
	योग-	**4785646.00**	

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 734572.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुखलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री आकिल हुसैन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	19.07.2021	10000.00	श्री इमरान हुसैन
02	20.07.2021	25500.00	श्री इमरान हुसैन
03	20.07.2021	24000.00	श्री इमरान हुसैन
04	04.01.2022	8500.00	श्री इमरान हुसैन
05	04.02.2022	18000.00	श्रीमती जयावती केयर टेकर
06	11.102021	4900.00	श्री परवेश खां
07	20.10.2021	21600.00	श्री परवेश खां
08	09.09.2021	6300.00	श्री परवेश खां
09	16.09.2021	4550.00	श्री परवेश खां
10	01.02.2022	8568.00	श्री परवेश खां
11	11.02.2022	4284.00	श्री परवेश खां
12	19.02.2022	5304.00	श्री परवेश खां
13	09.09.2021	25200.00	श्री शाहिद अजाज
14	09.09.2021	9900.00	श्री शाहिद अजाज
15	16.09.2022	7150.00	श्री शाहिद अजाज

16	20.10.2021	21600.00	श्री शाहिद अजाज
17	01.02.2022	19200.00	श्री शाहिद अजाज
18	11.02.2022	9600.00	श्री शाहिद अजाज
19	19.02.2022	12480.00	श्री शाहिद अजाज
20	12.10.2021	4550.00	श्री राजवीर सिंह
21	20.10.2021	9180.00	श्री राजवीर सिंह
22	23.10.2021	9180.00	श्री राजवीर सिंह
23	01.02.2022	19200.00	श्री राजवीर सिंह
24	11.02.2022	4284.00	श्री राजवीर सिंह
25	13.01.2022	6000.00	श्री राहुल पंचायत सहायक
26	19.02.2022	6000.00	श्री राहुल पंचायत सहायक
27	20.10.2021	9180.00	श्री विजय कुमार
28	23.10.2021	1836.00	श्री विजय कुमार
29	01.02.2022	8568.00	श्री विजय कुमार
30	19.02.2022	5304.00	श्री विजय कुमार
31	09.09.2021	6300.00	श्री सतेन्द्र
32	21.09.2021	4550.00	श्री सतेन्द्र
33	11.10.2021	4900.00	श्री सतेन्द्र
34	20.10.2021	9180.00	श्री सतेन्द्र
35	23.10.2021	9180.00	श्री सतेन्द्र
36	01.02.2022	8568.00	श्री सतेन्द्र
37	19.02.2022	5304.00	श्री सतेन्द्र
38	11.10.2021	7700.00	श्री गुड्डू शुक्ला
39	20.10.2021	21600.00	श्री गुड्डू शुक्ला
40	01.02.2022	8772.00	श्री गुड्डू शुक्ला
41	19.02.2022	3060.00	श्री गुड्डू शुक्ला
42	03.07.2021	27000.00	श्री रानी लक्ष्मावाई प्रेणा एसएचजी
43	14.07.2021	4020.00	श्री सुरेश
44	14.07.2021	4623.00	श्री सुरेश
45	14.07.2021	4623.00	श्री सुरेश
46	14.07.2021	565628.00	श्री सुरेश
47	25.07.2021	12600.00	श्री सुरेश
48	27.08.2021	20350.00	श्री सुरेश
49	30.10.2021	3264.00	श्री सुरेश
50	14.07.2021	8800.00	श्री गुलजार खां
51	14.07.2021	7600.00	श्री गुलजार खां
52	14.07.2021	10400.00	श्री गुलजार खां
53	25.07.2021	3850.00	श्री गुलजार खां
54	25.07.2021	18700.00	श्री गुलजार खां
55	27.08.2021	19800.00	श्री गुलजार खां
56	30.10.2021	9600.00	श्री गुलजार खां
57	14.07.2021	4623.00	श्री कादर खां
58	14.07.2021	4020.00	श्री कादर खां
59	14.07.2021	5427.00	श्री कादर खां
60	14.07.2021	4623.00	श्री कादर खां
61	25.07.2021	5950.00	श्री कादर खां

62	25.07.2021	12250.00	श्री कादर खां
63	27.08.2021	25200.00	श्री कादर खां
64	31.08.2021	5950.00	श्री कादर खां
65	31.08.2021	12250.00	श्री कादर खां
66	31.08.2021	5427.00	श्री कादर खां
67	31.08.2021	4623.00	श्री कादर खां
68	31.08.2021	4623.00	श्री कादर खां
69	31.08.2021	4020.00	श्री कादर खां
70	14.07.2021	4824.00	श्री नईम खां
71	14.07.2021	4221.00	श्री नईम खां
72	14.07.2021	5427.00	श्री नईम खां
73	14.07.2021	4824.00	श्री नईम खां
74	27.08.2021	23550.00	श्री नईम खां
75	09.09.2021	6300.00	श्री प्रेम सिंह
76	16.09.2021	4550.00	श्री प्रेम सिंह
	योग-	**734572.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

23-ग्राम पंचायत- रसूलपुर फरीदपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-41 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 2888283.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान मौ0 आकिल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	13.01.2022	75000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
02	17.01.2022	82500.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
03	03.02.2022	85000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
04	03.02.2022	58406.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
05	03.02.2022	121196.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
06	03.02.2022	85000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
07	09.03.2022	75000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
08	14.03.2022	75000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
09	14.03.2022	25000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
10	30.11.2021	38550.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स

11	30.11.2021	39200.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
12	30.11.2021	39750.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
13	17.12.2021	38000.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
14	17.12.2021	38500.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
15	03.02.2022	21500.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
16	11.11.2022	24000.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
17	24.03.2022	25000.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
18	04.05.2021	90000.00	प्रधान ट्रेडर्स
19	04.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
20	07.05.2021	37200.00	प्रधान ट्रेडर्स
21	07.05.2021	36950.00	प्रधान ट्रेडर्स
22	07.05.2021	36850.00	प्रधान ट्रेडर्स
23	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
24	24.05.2021	90000.00	प्रधान ट्रेडर्स
25	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
26	24.05.2021	20000.00	प्रधान ट्रेडर्स
27	24.05.2021	20000.00	प्रधान ट्रेडर्स
28	24.05.2021	81200.00	प्रधान ट्रेडर्स
29	19.07.2021	48000.00	प्रधान ट्रेडर्स
30	07.07.2021	91650.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
31	07.07.2021	57850.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
32	19.07.2021	150000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
33	19.07.2021	150000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
34	15.09.2021	50000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
35	15.09.2021	50000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
36	16.10.2021	122033.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
37	16.10.2021	3612.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
38	26.10.2021	40180.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
39	26.10.2021	84266.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
40	26.10.2021	3234.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
41	26.10.2021	101121.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
42	26.10.2021	33016.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
43	21.11.2021	79565.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
44	30.11.2021	84784.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
45	30.11.2021	17050.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
46	18.07.2021	1750.00	सारथी डी0एस0सी0
47	19.07.2021	38100.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
48	19.07.2021	38050.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
49	19.07.2021	37960.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
50	19.07.2021	38060.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
51	19.07.2021	37960.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
लि0			
52	19.07.2021	38160.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
53	19.07.2021	38040.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
54	19.07.2021	38140.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
55	21.01.2022	1680.00	रामपुर कृषक एफ0सी0सी0 ली0

56	22.11.2021	6720.00	शाह टाइम्स इ0
57	26.10.2021	3500.00	साई एडवरटाईजिंग एजेन्सी
	योग-	**2888283.00**	

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 327375.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान मौ0 आकिल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	18.07.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
02	22.10.2021	40000.00	श्री मुमतियाज
03	20.10.2021	14025.00	श्री मो दानिश
04	26.10.2021	14300.00	श्री मो दानिश
05	21.11.2021	19250.00	श्री मो दानिश
06	03.02.2022	19600.00	श्री मो दानिश
07	22.10.2021	48000.00	श्री अहमद नवी
08	11.01.2022	6000.00	श्री इराम
09	14.03.2022	6000.00	श्री इराम
10	24.03.2022	6000.00	श्री इराम
11	26.08.2021	3000.00	श्री लियाकत अली
12	14.03.2022	3000.00	श्री लियाकत अली
13	20.10.2021	14300.00	श्री मो0 इसरार
14	26.10.2021	14575.00	श्री मो0 इसरार
15	16.11.2021	40000.00	श्री मो0 इसरार
16	18.12.2021	26125.00	श्री मो0 इसरार
17	03.02.2022	19600.00	श्री मो0 इसरार
18	20.10.2021	14300.00	श्री आसिम
19	26.10.2021	14300.00	श्री आसिम
	योग	**327375.00**	

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 14000.00 ग्राम प्रधान श्री आकिल अहमद द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान मौ0 आकिलव सचिव श्री बादाम सिहं से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	15.10.2021	14000.00	श्री आकिल अहमद

योग- 14000.00

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	16.10.2021	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
	योग-	**2000.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

24-ग्राम पंचायत- समोदिया लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-45 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 2568547.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान रघुनाथ मौर्य एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.05.2021	45000.00	प्रधान बिल्डिंग मटेरियल
02	01.05.2021	28000.00	प्रधान बिल्डिंग मटेरियल
03	01.05.2021	173000.00	प्रधान बिल्डिंग मटेरियल
04	01.05.2021	48000.00	प्रधान बिल्डिंग मटेरियल
05	01.05.2021	90000.00	प्रधान बिल्डिंग मटेरियल
06	03.05.2021	71850.00	प्रधान बिल्डिंग मटेरियल
07	03.05.2021	168150.00	प्रधान बिल्डिंग मटेरियल
08	20.05.2021	203918.00	प्रधान बिल्डिंग मटेरियल
09	24.05.2021	15000.00	प्रधान बिल्डिंग मटेरियल
10	04.02.2022	50000.00	शहद अजाज सीमेन्ट स्टोर
11	20.07.2021	200000.00	टी0जे0 इण्टरप्राजेज
12	26.08.2021	70000.00	टी0जे0 इण्टरप्राजेज
13	23.11.2021	112198.00	टी0जे0 इण्टरप्राजेज
14	10.01.2022	70000.00	टी0जे0 इण्टरप्राजेज
15	06.02.2022	95000.00	टी0जे0 इण्टरप्राजेज
16	25.02.2022	50000.00	टी0जे0 इण्टरप्राजेज

17	25.02.2022	12500.00	टी0जे0 इण्टरप्राजेज
18	14.03.2022	8000.00	टी0जे0 इण्टरप्राजेज
19	24.03.2022	36000.00	टी0जे0 इण्टरप्राजेज
20	24.03.2022	20000.00	टी0जे0 इण्टरप्राजेज
21	09.12.2021	3500.00	सांई एडवर्टाइजिंग एजेन्सी
22	23.11.2021	6720.00	शाह टाइम्स इण्टरप्राईजेज
23	10.01.2022	6350.00	डाइरेक्टर पंचायती राज
24	15.09.2021	27000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
25	15.09.2021	30000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
26	01.05.2021	70800.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
27	28.08.2021	25500.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
28	14.10.2021	37500.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
29	18.10.2021	68927.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
30	19.10.2021	37500.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
31	31.10.2021	174368.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
32	03.02.2022	95000.00	एस0एस0 इण्टरप्राईजेज
33	23.10.2021	82798.00	जावेद ट्रेडर्स
34	23.10.2021	89518.00	जावेद ट्रेडर्स
35	23.03.2022	21000.00	जावेद ट्रेडर्स
36	18.07.2021	1750.00	सारथी डी0एस0सी0
37	26.07.2021	38200.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
38	26.07.2021	38600.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
39	26.07.2021	38400.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
40	27.08.2021	35500.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
41	28.08.2021	35500.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
42	14.10.2021	37500.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
	योग-	**2568547.00**	

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 544574.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान रघुनाथ मौर्य एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.02.2022	50000.00	श्री आशीश शंकर
02	02.02.2022	18000.00	सखी स्वयं सहायता समूह
03	06.07.2021	27000.00	सखी स्वयं सहायता समूह
04	25.10.2021	7350.00	श्री जय सिंह
05	31.10.2021	15950.00	श्री जय सिंह
06	31.10.2021	10150.00	श्री विपिन
07	31.10.2021	10500.00	श्री विपिन
08	19.10.2021	5025.00	श्री वृजनन्दन
09	19.10.2021	5226.00	श्री वृजनन्दन

10	25.10.2021	7350.00	श्री वृजनन्दन
11	31.10.2021	15950.00	श्री वृजनन्दन
12	19.10.2021	10000.00	श्री विनोद कुमार
13	25.10.2021	7350.00	श्री विनोद कुमार
14	31.10.2021	10500.00	श्री विनोद कुमार
15	31.10.2021	10150.00	श्री विनोद कुमार
16	20.05.2021	16800.00	श्री मो0 सरीक
17	24.05.2021	20100.00	श्री मो0 सरीक
18	24.05.2021	15000.00	श्री मो0 सरीक
19	20.05.2021	9648.00	श्री मो0 सरताज
20	24.05.2021	19899.00	श्री मो0 सरताज
21	20.05.2021	9648.00	श्री मौ0 इस्लाम
22	24.05.2021	20100.00	श्री मौ0 इस्लाम
23	24.05.2021	12000.00	श्री मौ0 इस्लाम
24	20.05.2021	9849.00	श्री ऊदल सिंह
25	24.05.2021	19899.00	श्री ऊदल सिंह
26	24.05.2021	20000.00	श्री ऊदल सिंह
27	10.01.2022	6000.00	श्रीमती लफरा बी
28	25.02.2022	6000.00	श्रीमती लफरा बी
29	24.03.2022	6000.00	श्रीमती लफरा बी
30	25.08.2021	30000.00	श्री लियाकत अली
31	25.02.2022	3000.00	श्री लियाकत अली
32	25.10.2021	20530.00	श्री नईम खां
33	25.10.2021	13300.00	श्री नईम खां
34	25.10.2021	13300.00	श्री सुरेश
35	18.07.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
36	14.07.2021	21000.00	श्री रघुनन्नदन
37	25.07.2021	30000.00	श्री रघुनन्नदन
38	08.8.2021	20000.00	श्री रघुनन्नदन
39	14.03.2022	14000.00	श्री रघुनन्नदन
	योग	**544574.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

25-ग्राम पंचायत- मिलक काजी लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-47 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 732138.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रसीदा बी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	22.11.2021	6720.00	शाह टाइम्स इंटरप्राईजेज
02	10.01.2021	2220.00	डायरेक्टर पंचायती राज
03	25.07.2021	118000.00	टी0जे0 इंटरप्राईजेज
04	26.07.2021	45000.00	टी0जे0 इंटरप्राईजेज
05	26.07.2021	76983.00	टी0जे0 इंटरप्राईजेज
06	11.11.2021	64400.00	टी0जे0 इंटरप्राईजेज
07	24.03.2022	10000.00	टी0जे0 इंटरप्राईजेज
08	18.07.2021	1750.00	सारथी डी0एस0सी0
09	01.05.2021	9000.00	प्रधान ट्रेडर्स
10	01.05.2021	9000.00	प्रधान ट्रेडर्स
11	24.05.2021	4000.00	प्रधान ट्रेडर्स
12	24.05.2021	12000.00	प्रधान ट्रेडर्स
13	24.05.2022	20000.00	प्रधान ट्रेडर्स
14	24.05.2022	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
15	24.05.2022	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
16	15.11.2021	15925.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
17	21.11.2021	15980.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
18	21.11.2021	15980.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स 19
	03.02.2021	36000.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
20	14.03.2021	36000.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
21	16.12.2021	3500.00	सांई एडवर्टाईजमेंन्ट
22	21.01.2022	1680.00	रामपुर कृषक एफ0सी0बी0
	योग-	**732138.00**	

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 159725.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रसीदा बी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	15.11.2021	22750.00	श्री सुभान अली

02	21.11.2021	23100.00	श्री सुभान अली
03	21.11.2021	23375.00	श्री सुभान अली
04	16.12.2021	10500.00	श्री सुभान अली
05	05.07.2021	27000.00	श्री पाशा समूह
06	09.12.2021	18000.00	श्री पाशा समूह
07	03.02.2022	12000.00	श्री पाशा समूह
08	10.01.2022	6000.00	श्री हसीन जहां
09	14.03.2022	6000.00	श्री हसीन जहां
10	24.03.2022	6000.00	श्री हसीन जहां
11	18.07.2021	5000.00	श्री दिनेश
	योग	**159725.00**	

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 17500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रसीदा बी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रसीदा व सचिव बादाम सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	31.12.2021	17500.00	श्रीमती रसीदा बी
	योग-	**17500.00**	

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

रामपुर

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

26-ग्राम पंचायत- धनपुर शाहदरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-50 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 670678.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तसलीम जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.08.2021	79460.00	टी0जे0इंटरप्राईजेज
02	04.08.2021	70540.00	टी0जे0इंटरप्राईजेज

03	11.11.2021	79650.00	टी0जे0इंटरप्राईजेज
04	11.11.2021	25498.00	टी0जे0इंटरप्राईजेज
05	04.02.2022	41500.00	टी0जे0इंटरप्राईजेज
06	04.02.2022	35000.00	टी0जे0इंटरप्राईजेज
07	15.03.2022	10000.00	टी0जे0इंटरप्राईजेज
08	24.03.2022	10000.00	टी0जे0इंटरप्राईजेज
09	18.07.2021	1750.00	सारथी डी0एस0सी0 एजेन्सी
10	08.05.2021	90000.00	प्रधान ट्रेडर्स
11	08.05.2021	43400.00	प्रधान ट्रेडर्स
12	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
13	24.05.2021	12000.00	प्रधान ट्रेडर्स
14	24.05.2021	40000.00	प्रधान ट्रेडर्स
15	24.05.2021	20000.00	प्रधान ट्रेडर्स
16	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
17	21.01.2022	1680.00	रामपुर कृषक एफ0सी0बी0
18	15.08.2021	41000.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
19	26.08.2021	39200.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
	योग-	**670678.00**	

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 28000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती तसलीम जहां द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती तसलीम जहां व सचिव श्री बादाम सिहं से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	24.07.2021	7000.00	श्रीमती तसलीम जहां
02	29.10.2021	10500.00	श्रीमती तसलीम जहां
03	15.03.2022	10500.00	श्रीमती तसलीम जहां
	योग-	**28000.00**	

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 32000.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तसलीम जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	18.07.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
02	21.01.2022	6000.00	श्री नाजिम अली
03	15.03.2022	6000.00	श्री नाजिम अली

04	24.03.2022	6000.00	श्री नाजिम अली
05	25.08.2021	6000.00	श्री लियाकत अली
06	15.03.2022	3000.00	श्री लियाकत अली
	योग-	**32000.00**	

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	29.10.2021	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
	योग-	**2000.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

27-ग्राम पंचायत- रुस्तम नगर नि0 छपर्रा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-54 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 874348.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अर्जुन सिहं एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	17.12.2021	56250.00	गायात्री कंस्ट्रक्शन
02	13.01.2022	65000.00	गायात्री कंस्ट्रक्शन
03	13.01.2022	52500.00	गायात्री कंस्ट्रक्शन
04	13.01.2022	50000.00	गायात्री कंस्ट्रक्शन
05	04.02.2022	85000.00	गायात्री कंस्ट्रक्शन
06	15.03.2022	65000.00	गायात्री कंस्ट्रक्शन
07	21.11.2021	56268.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर
08	04.02.2022	19500.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर
09	11.05.2021	36200.00	प्रधान ट्रेडर्स
10	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
11	24.05.2021	20000.00	प्रधान ट्रेडर्स
12	24.05.2021	40000.00	प्रधान ट्रेडर्स
13	24.05.2021	12000.00	प्रधान ट्रेडर्स
14	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
15	18.07.2021	1750.00	सारथी डी0एस0सी0 एजेन्सी

16	24.07.2021	38387.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
17	24.07.2021	38337.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
18	24.07.2021	38236.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
19	02.05.2021	70000.00	आर0ए0 इंटरप्राईजेज
20	02.05.2021	30000.00	आर0ए0 इंटरप्राईजेज
21	02.05.2021	43200.00	आर0ए0 इंटरप्राईजेज
22	02.05.2021	20000.00	आर0ए0 इंटरप्राईजेज
23	22.11.2021	6720.00	शाह टाइम्स इंटरप्राईजेज
	योग-	**874348.00**	

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 11000.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अर्जुन सिहं एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	18.07.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
02	15.03.2022	3000.00	श्री लियाकत अली न्यूज
03	26.08.2021	3000.00	श्री लियाकत अली न्यूज

योग- 11000.00

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 16775.00 ग्राम प्रधान श्री अर्जुन सिंह द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री अर्जुन सिंह व सचिव श्री बादाम सिहं से वसूल किया जाना अपेक्षित है। वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

क्रम सं0	दिनांक		धनराशि	विवरण
01	21.11.2021		16775.00	श्री अर्जुन सिंह
		योग-	16775.00	

प्रस्तर-57 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 2374863.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रेमपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	11.07.2021	38500.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
02	11.07.2021	39200.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
03	11.07.2021	37800.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
04	11.07.2021	38500.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
05	11.07.2021	38500.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
06	19.10.2021	39013.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
07	19.10.2021	38337.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
08	19.10.2021	38563.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
09	19.10.2021	38713.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
10	19.10.2021	38567.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
11	21.10.2021	37890.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
12	15.09.2021	93200.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
13	15.10.2021	63000.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
14	23.10.2021	44440.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
15	12.01.2022	95364.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
16	28.01.2021	12000.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
17	01.02.2022	45446.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
18	01.02.2022	137588.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
19	22.03.2022	73617.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
20	02.05.2021	240000.00	प्रधान ट्रेडर्स
21	02.05.2021	60000.00	प्रधान ट्रेडर्स
22	02.05.2021	190000.00	प्रधान ट्रेडर्स
23	02.05.2021	72000.00	प्रधान ट्रेडर्स
24	02.05.2021	20000.00	प्रधान ट्रेडर्स
25	02.05.2021	10000.00	प्रधान ट्रेडर्स
26	02.05.2021	50000.00	प्रधान ट्रेडर्स
27	11.05.2021	20000.00	प्रधान ट्रेडर्स
28	24.05.2021	110000.00	प्रधान ट्रेडर्स
29	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
30	16.08.2021	62000.00	प्रधान ट्रेडर्स
31	13.09.2021	28000.00	प्रधान ट्रेडर्स
32	27.08.2021	21490.00	बाला जी ट्रेडर्स
33	27.08.2021	17900.00	बाला जी ट्रेडर्स
34	27.08.2021	33915.00	बाला जी ट्रेडर्स
35	15.09.2021	10600.00	बाला जी ट्रेडर्स
36	15.09.2021	69400.00	बाला जी ट्रेडर्स
37	17.08.2021	1750.00	सारथी डी0एस0सी0

38	21.03.2022	60000.00	आ0टी0 सोलूशन
39	21.03.2022	58000.00	आ0टी0 सोलूशन
40	24.03.2022	4500.00	सी0एस0 ट्रेडिंग कमपनी
41	25.11.2021	6720.00	शाह टाइम्स इण्टरप्राईजेज
42	31.08.2021	2000.00	शाह टाइम्स इण्टरप्राईजेज
43	31.08.2021	2000.00	लक्से दा टारगेट न्यूज
44	08.09.2021	3500.00	साईं ऐटवरटाईजमेंट
45	09.02.2022	18000.00	अंचल स्वयं सहायता समूह
46	11.07.2021	99980.00	आर0ए0 इण्टरप्राईजेज
47	11.07.2021	99870.00	आर0ए0 इण्टरप्राईजेज
	योग-	**2374863.00**	

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 455200.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रेमपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	18.07.2021	5000.00	श्री दिनेश पेंटर
02	03.02.2022	5000.00	श्री दिनेश पेंटर
03	27.08.2021	3300.00	श्री बालकिशन
04	27.08.2021	1650.00	श्री बालकिशन
05	27.08.2021	1650.00	श्री बालकिशन
06	15.10.2021	14400.00	श्री बालकिशन
07	12.01.2022	12960.00	श्री बालकिशन
08	01.02.2022	5250.00	श्री बालकिशन
09	03.02.2022	5250.00	श्री बालकिशन
10	27.08.2021	2100.00	श्री मोर सिंह
11	27.08.2021	1050.00	श्री मोर सिंह
12	15.10.2021	7236.00	श्री मोर सिंह
13	12.01.2021	7965.00	श्री मोर सिंह
14	02.02.2022	5250.00	श्री मोर सिंह
15	03.02.2022	5250.00	श्री मोर सिंह
16	22.03.2022	9900.00	श्री मोर सिंह
17	27.08.2021	1050.00	श्री रविपाल
18	27.08.2021	1050.00	श्री रविपाल
19	01.02.2022	5600.00	श्री रविपाल
20	03.02.2022	5250.00	श्री रविपाल
21	23.03.2022	6300.00	श्री रविपाल
22	27.08.2021	2450.00	श्री रामप्रसाद
23	27.08.2021	1050.00	श्री रामप्रसाद
24	15.10.2021	7236.00	श्री रामप्रसाद
25	12.01.2022	7965.00	श्री रामप्रसाद
26	01.02.2022	5600.00	श्री रामप्रसाद

27	22.03.2022	6300.00	श्री रामप्रसाद
28	25.08.2021	3000.00	श्री लियाकत अली
29	27.08.2021	1050.00	श्री रामबहादुर
30	02.05.2021	29000.00	श्री मो0 शानू
31	23.10.2021	6800.00	श्री मो0 शानू
32	23.10.2021	9600.00	श्री मो0 शानू
33	01.02.2022	8800.00	श्री मो0 शानू
34	23.10.2021	5400.00	श्री आकिल अहमद
35	23.10.2021	4050.00	श्री आकिल अहमद
36	01.02.2022	8250.00	श्री आकिल अहमद
37	01.09.2021	6000.00	श्रीमती संतोष
38	15.10.2021	6000.00	श्रीमती संतोष
39	15.10.2021	3000.00	श्रीमती संतोष
40	08.09.2021	3500.00	श्री क्राइम खबर
41	11.05.2021	8850.00	श्री ऊदल सिंह
42	22.05.2021	10000.00	श्री ऊदल सिंह
43	24.05.2021	15000.00	श्री ऊदल सिंह
44	24.05.2021	6633.00	श्री ऊदल सिंह
45	24.05.2021	19899.00	श्री ऊदल सिंह
46	11.05.2021	13920.00	श्री इरफान
47	22.05.2021	6000.00	श्री इरफान
48	24.05.2021	10850.00	श्री इरफान
49	24.05.2021	20100.00	श्री इरफान
50	24.05.2021	20000.00	श्री इरफान
51	11.05.2021	8555.00	श्री इमरान अली
52	22.05.2021	10000.00	श्री इमरान अली
53	24.05.2021	12000.00	श्री इमरान अली
54	24.05.2021	6432.00	श्री इमरान अली
55	24.05.2021	20100.00	श्री इमरान अली
56	23.10.2021	4050.00	श्री शरीफ अहमद
57	23.10.2021	5400.00	श्री शरीफ अहमद
58	24.05.2021	19899.00	श्री ओमकार
	योग	**455200.00**	

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 31500.00 ग्राम प्रधान श्री प्रेमपाल द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री प्रेमपाल व सचिव श्री दिनेश गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	15.10.2021	14000.00	श्री प्रेमपाल
02	23.03.2022	17500.00	श्री प्रेमपाल

योग- 31500.00

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	15.10.2021	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
	योग-	**2000.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

29-ग्राम पंचायत- मुकर्रमपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-61 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1130737.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शाहनवाज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.02.2022	8985.00	अब्दुल्लाह ट्रेडर्स
02	04.02.2022	25583.00	अब्दुल्लाह ट्रेडर्स
03	24.02.2022	148675.00	अब्दुल्लाह ट्रेडर्स
04	06.07.2021	27000.00	जियानूर सहग
05	15.01.2022	18000.00	जियानूर सहग
06	18.07.2021	24500.00	मौ0 आसिफ गोवत कान्ट्रेक्टर
07	18.07.2021	13400.00	मौ0 आसिफ गोवत कान्ट्रेक्टर
08	18.07.2021	24000.00	मौ0 आसिफ गोवत कान्ट्रेक्टर
09	18.07.2021	14500.00	मौ0 आसिफ गोवत कान्ट्रेक्टर
10	18.07.2021	37800.00	मौ0 आसिफ गोवत कान्ट्रेक्टर
11	18.07.2021	37750.00	मौ0 आसिफ गोवत कान्ट्रेक्टर
12	18.07.2021	37850.00	मौ0 आसिफ गोवत कान्ट्रेक्टर

13	18.07.2021	37850.00	मौ0	आसिफ	गोवत
कान्ट्रेक्टर					
14	19.07.2021	37850.00	मौ0	आसिफ	गोवत
कान्ट्रेक्टर					
15	27.07.2021	38700.00	मौ0	आसिफ	गोवत
कान्ट्रेक्टर					
16	27.07.2021	38700.00	मौ0	आसिफ	गोवत
कान्ट्रेक्टर					
17	27.07.2021	35400.00	मौ0	आसिफ	गोवत
कान्ट्रेक्टर					
18	18.08.2021	37800.00	मौ0	आसिफ	गोवत
कान्ट्रेक्टर					
19	18.08.2021	37800.00	मौ0	आसिफ	गोवत
कान्ट्रेक्टर					
20	18.10.2021	38334.00	मौ0	आसिफ	गोवत
कान्ट्रेक्टर					
21	21.08.2021	37750.00	मौ0	आसिफ	गोवत
कान्ट्रेक्टर					
22	02.05.2021	55000.00	प्रधान ट्रेडर्स		
23	02.05.2021	191000.00	प्रधान ट्रेडर्स		
24	02.05.2021	29000.00	आर0ए0 इंटरप्राईजेज		
25	11.11.2021	12700.00	साई ऐडवरटाईजमेन्ट		
26	30.07.2021	16700.00	साई ऐडवरटाईजमेन्ट		
27	17.12.2021	56280.00	जरा इंटरप्राईजेज		
28	18.07.2021	1750.00	सारथी डी0एस0सी0		
29	26.01.2022	3360.00	रामपुर		कृषक
एफ0पी0सी0लि0					
30	29.10.2021	6620.00	शाह टाइम्स इंटरप्राईजेज		
	योग-	**1130737.00**			

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 196949.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शाहनवाज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	30.08.2021	27200.00	श्री मो0 इरफान
02	25.10.2021	26000.00	श्री मो0 इरफान
03	03.02.2022	5250.00	श्री मो0 इरफान
04	04.02.2022	2800.00	श्री मो0 इरफान
05	17.12.2021	5760.00	श्री तौफीक
06	03.02.2022	5250.00	श्री तौफीक
07	04.02.2022	3850.00	श्री तौफीक
08	24.02.2022	11832.00	श्री तौफीक
09	17.12.2021	6785.00	श्री रियासत अली
10	03.02.2022	5250.00	श्री रियासत अली
11	04.02.2022	2800.00	श्री रियासत अली
12	24.02.2021	11832.00	श्री रियासत अली

13	05.02.2022	5000.00	श्री रामस्वरूप पेंटर
14	05.02.2022	5250.00	श्री मशकूर
15	05.02.2022	5250.00	श्री अहमद अली
16	24.02.2022	15840.00	श्री अहमद अली
17	10.01.2022	6000.00	श्रीमती नगमा
18	24.02.2022	6000.00	श्रीमती नगमा
19	24.03.2022	6000.00	श्रीमती नगमा
20	25.08.2021	3000.00	श्री लियाकत अली
21	30.08.2021	30000.00	श्री मौ0 आसफ
	योग	**196949.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

30-ग्राम पंचायत- धनौरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-63 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1043729.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.05.2021	170450.00	प्रधान ट्रेडर्स
02	01.05.2021	9615.00	प्रधान ट्रेडर्स
03	01.05.2021	90000.00	प्रधान ट्रेडर्स
04	01.05.2021	55000.00	प्रधान ट्रेडर्स
05	06.05.2021	25500.00	प्रधान ट्रेडर्स
06	24.05.2021	20000.00	प्रधान ट्रेडर्स
07	24.05.2021	12000.00	प्रधान ट्रेडर्स
08	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
09	24.05.2021	40000.00	प्रधान ट्रेडर्स
10	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
11	05.08.2021	98410.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
12	15.09.2021	56182.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
13	23.10.2021	80000.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
14	11.02.2022	20000.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
15	11.02.2022	80000.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
16	13.03.2022	4400.00	टी0जे0 इंटप्राईजेज
17	08.02.2022	98000.00	अब्दुल्लाह ट्रेडर्स

18	18.07.2021	1750.00	सारथी	डी0एस0सी0
ऐजन्सी				
19	08.11.2021	16372.00	बाला जी ट्रेडर्स	
20	15.03.2022	11000.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज	
21	13.06.2022	10930.00	सैनी पाइप स्टोर	
22	16.03.2022	8700.00	भारत ट्रेडर्स	
23	26.07.2021	38700.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर	
24	29.10.2021	6720.00	शाह टाइम्स इंटरप्राईजेज	
	योग-	**1043729.00**		

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 24500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानवती द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानवती व सचिव श्री दिनेश गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.02.2022	24500.00	श्रीमती ज्ञानवती
	योग-	24500.00	

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 127200.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	18.07.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
02	03.02.2022	5000.00	श्री दिनेश कुमार
03	03.02.2022	5250.00	श्री चरन सिंह
04	21.02.2022	11000.00	श्री चरन सिंह
05	03.02.2022	5250.00	श्री छत्रपाल
06	21.02.2022	7000.00	श्री छत्रपाल
07	21.02.2022	7000.00	श्री झाझन सिंह
08	03.02.2022	5250.00	श्री आनंद
09	05.08.2021	20000.00	श्री मदन सिंह
10	10.01.2022	6000.00	श्रीमती उपासना
11	11.02.2022	6000.00	श्रीमती उपासना
12	24.03.2022	6000.00	श्रीमती उपासना
13	15.09.2021	4550.00	श्री जलीस अहमाद
14	15.09.2021	4550.00	श्री आकिल अहमद

15	15.09.2021	7150.00	श्री मौ0 शानू
16	29.08.2021	30000.00	श्री लियाकत अली
17	29.10.2021	19200.00	श्री रमेश सिंह
	योग	**127200.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

31-ग्राम पंचायत- छपर्रा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-66 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1382699.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामकीर्ति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.05.2021	161400.00	प्रधान ट्रेडर्स
02	04.05.2021	78600.00	प्रधान ट्रेडर्स
03	04.05.2021	35600.00	प्रधान ट्रेडर्स
04	04.05.2021	35400.00	प्रधान ट्रेडर्स
05	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
06	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
07	24.05.2021	20000.00	प्रधान ट्रेडर्स
08	24.05.2021	12000.00	प्रधान ट्रेडर्स
09	24.05.2021	40000.00	प्रधान ट्रेडर्स
10	02.05.2021	170000.00	प्रधान ट्रेडर्स
11	02.05.2021	50000.00	प्रधान ट्रेडर्स
12	07.12.2021	97665.00	बाला जी ट्रेडर्स
13	25.11.2021	37623.00	बाला जी ट्रेडर्स
14	22.12.2021	70500.00	बाला जी ट्रेडर्स
15	24.12.2022	80500.00	बाला जी ट्रेडर्स
16	19.03.2022	44000.00	बाला जी ट्रेडर्स
17	24.02.2022	19800.00	बाला जी ट्रेडर्स
18	15.09.2021	32000.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
19	19.10.2021	38487.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
20	15.09.2021	30000.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
21	15.09.2021	24000.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
22	19.10.2021	38120.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज

23	14.03.2022	16200.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
24	19.03.2022	11800.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
25	18.07.2021	1750.00	सारथी डी0एस0सी0
26	24.07.2021	38237.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
27	24.07.2021	38387.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
28	24.07.2021	38571.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
29	24.07.2021	35538.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
30	24.07.2021	38521.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
31	24.02.2022	10000.00	टी0जे0 इंटरप्राईजेज
32	13.03.2022	8000.00	टी0जे0 इंटरप्राईजेज
योग	**1382699.00**		

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 182570.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामकीर्ति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	06.02.2022	7350.00	श्री दीपचन्द
02	06.02.2022	5250.00	श्री दीपचन्द
03	19.03.2022	3500.00	श्री दीपचन्द
04	06.02.2022	7350.00	श्री मोहन लाल
05	06.02.2022	5250.00	श्री मोहन लाल
06	06.02.2022	11550.00	श्री भूप सिंह
07	06.02.2022	5250.00	श्री भूप सिंह
08	19.03.2022	3500.00	श्री भूप सिंह
09	19.07.2021	5000.00	श्री दिनेश पेंटर
10	06.02.2022	5000.00	श्री दिनेश पेंटर
11	10.01.2022	6000.00	श्री निशा पाल
12	21.02.2022	6000.00	श्री निशा पाल
13	24.03.2022	6000.00	श्री निशा पाल
14	22.05.2021	9000.00	श्री अंकित पाल
15	22.05.2021	6000.00	श्री अमित
16	22.05.2021	9000.00	श्री बंटी
17	02.05.2021	56000.00	श्री मौ0 शानू
18	06.02.2022	5250.00	श्री आनंद कुमार
19	24.02.2022	5600.00	श्री आनंद कुमार
20	25.08.2021	3000.00	श्री लियाकत अली न्यूज
21	28.10.2021	6720.00	श्री मौ0 आसिफ अली
22	19.03.2022	5000.00	श्री शेर सिंह
	योग	**182570.00**	

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 28000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रामकीर्ति द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रामकीर्ति व सचिव श्री दिनेश गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	09.02.2022	28000.00	श्रीमती रामकीर्ति
	योग-	28000.00	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

32-ग्राम पंचायत- लखीमपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-69 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1540369.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमरलता पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	06.02.2022	100000.00	टी0सी0सी0 ग्रीम इंडिया
02	11.05.2021	36500.00	बाला जी ट्रेडर्स
03	11.08.2021	40000.00	बाला जी ट्रेडर्स
04	27.08.2021	36000.00	बाला जी ट्रेडर्स
05	27.08.2021	70000.00	बाला जी ट्रेडर्स
06	15.09.2021	5250.00	बाला जी ट्रेडर्स
07	19.10.2021	104250.00	बाला जी ट्रेडर्स
08	29.11.2021	39000.00	बाला जी ट्रेडर्स
09	19.11.2021	20000.00	बाला जी ट्रेडर्स
10	13.01.2022	26510.00	बाला जी ट्रेडर्स
11	06.02.2022	35000.00	बाला जी ट्रेडर्स
12	01.05.2021	80000.00	प्रधान ट्रेडर्स
13	01.05.2021	95000.00	प्रधान ट्रेडर्स
14	01.05.2021	10000.00	प्रधान ट्रेडर्स
15	04.05.2021	76000.00	प्रधान ट्रेडर्स

16	11.05.2021	19000.00	प्रधान ट्रेडर्स
17	24.05.2021	36100.00	प्रधान ट्रेडर्स
18	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
19	24.05.2021	40000.00	प्रधान ट्रेडर्स
20	24.05.2021	15000.00	प्रधान ट्रेडर्स
21	24.05.2021	20000.00	प्रधान ट्रेडर्स
22	24.05.2021	12000.00	प्रधान ट्रेडर्स
23	15.07.2021	89385.00	आर0ए0 इंटरप्राईजेज
24	15.07.2021	110615.00	आर0ए0 इंटरप्राईजेज
25	21.07.2021	126000.00	आर0ए0 इंटरप्राईजेज
26	24.10.2021	86130.00	टी0जे0 इंटरप्राईजेज
27	30.07.2021	37800.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
28	30.07.2021	37800.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
29	31.07.2021	38400.00	जाहिद अली कान्ट्रेक्टर
30	19.11.2021	38109.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर
31	21.02.2022	38800.00	सुभान ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर
32	30.10.2021	6720.00	शाह टाइम्स इंटरप्राईजेज
योग	**1540369.00**		

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 95550.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमरलता पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	24.10.2021	6400.00	श्री मौ0 शानू
02	24.10.2021	6400.00	श्री अकील अहमद
03	06.02.2022	5250.00	श्री तालेवर
04	06.02.2022	5000.00	श्री महीपाल
05	06.02.2022	5250.00	श्री रामवीर
06	25.02.2022	5000.00	श्री रामवीर
07	06.02.2022	5250.00	श्री हुकम सिंह
08	10.01.2022	6000.00	श्रीमती नीतू रानी
09	15.03.2022	6000.00	श्रीमती नीतू रानी
10	06.07.2021	27000.00	दिवाकर एस0एच0जी
11	29.01.2022	18000.00	दिवाकर एस0एच0जी
	योग	**95550.00**	

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 58000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती अमरलता पाल द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना

में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अमरलता पाल व सचिव श्री दिनेश गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	25.07.2021	30000.00	श्रीमती अमरलता पाल
02	13.01.2022	24500.00	श्रीमती अमरलता पाल
03	06.02.2022	3500.00	श्रीमती अमरलता पाल
		योग- 58000.00	

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

32-ग्राम पंचायत- माटखेड़ा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-72 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1831594.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मलकीत सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री सतीश कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	16.07.2021	162033.00	जरा इंटरप्राईजेज
02	16.07.2021	166239.00	जरा इंटरप्राईजेज
03	03.08.2021	97726.00	जरा इंटरप्राईजेज
04	03.08.2021	100014.00	जरा इंटरप्राईजेज
05	11.08.2021	150580.00	जरा इंटरप्राईजेज
06	11.08.2021	26889.00	जरा इंटरप्राईजेज
07	11.08.2021	26889.00	जरा इंटरप्राईजेज
08	09.09.2021	23950.00	जरा इंटरप्राईजेज
09	23.10.2021	159350.00	जरा इंटरप्राईजेज
10	23.10.2021	110522.00	जरा इंटरप्राईजेज
11	23.10.2021	194106.00	जरा इंटरप्राईजेज
12	05.01.2022	4158.00	सी0एफ0सी यू0पी0 टेक्नीकल एण्ड एडी0
13	06.07.2021	27000.00	शांति महिला एस0एस0जी0
14	15.09.2021	39656.00	आहिल सेनेटरी स्टोर
15	30.09.2021	39656.00	आहिल सेनेटरी स्टोर

16	01.11.2021	4200.00	आहिल सेनेटरी स्टोर
17	06.07.2021	34125.00	जे0एस0ट्रेडर्स
18	06.07.2021	40125.00	जे0एस0ट्रेडर्स
19	23.10.2021	15416.00	जे0एस0ट्रेडर्स
20	23.10.2021	24240.00	जे0एस0ट्रेडर्स
21	08.02.2022	65502.00	जे0एस0ट्रेडर्स
22	06.07.2021	39110.00	अफीफा सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
23	06.07.2021	21102.00	अफीफा सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
24	19.01.2022	185100.00	अफीफा सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
25	11.03.2022	4051.00	अफीफा सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
26	18.01.2022	43500.00	एसीयन ट्रेडिंग कम्पनी
27	18.01.2022	16500.00	एसीयन ट्रेडिंग कम्पनी
28	26.12.2021	4815.00	हिन्दुस्तान मीडिया वि0
29	18.01.2022	2520.00	रामपुर कृषक एफ0पीसी0 लि0
30	11.03.2022	2520.00	रामपुर कृषक एफ0पीसी0 लि0
योग	**1831594.00**		

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 398761.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मलकीत सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री सतीश कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	05.01.2022	6000.00	श्री जगजीत सिहं
02	08.02.2022	6000.00	श्री जगजीत सिहं
03	03.08.2021	12000.00	श्री नफीस इकबाल
04	03.08.2021	22000.00	श्री नफीस इकबाल
05	03.08.2021	13200.00	श्री नफीस इकबाल
06	11.08.2021	19600.00	श्री नफीस इकबाल
07	11.08.2021	12499.00	श्री नफीस इकबाल
08	11.08.2021	12549.00	श्री नफीस इकबाल
09	23.10.2021	25440.00	श्री नफीस इकबाल
10	23.10.2021	16800.00	श्री नफीस इकबाल
11	23.10.2021	20640.00	श्री नफीस इकबाल
12	03.08.2021	6155.00	श्री आबिद
13	03.08.2021	11340.00	श्री आबिद
14	03.08.2021	7116.00	श्री आबिद
15	11.08.2021	10093.00	श्री आबिद
16	23.10.2021	11008.00	श्री आबिद
17	23.10.2021	9118.00	श्री आबिद

18	23.10.2021	7250.00	श्री आबिद
19	03.08.2021	6155.00	श्री इरशाद
20	03.08.2021	11340.00	श्री इरशाद
21	03.08.2021	7115.00	श्री इरशाद
22	11.08.2021	10093.00	श्री इरशाद
23	23.10.2021	9120.00	श्री इरशाद
24	23.10.2021	11008.00	श्री इरशाद
25	23.10.2021	7250.00	श्री इरशाद
26	12.01.2022	9120.00	श्री इरशाद
27	23.10.2021	9118.00	श्री रिजवान अली
28	23.10.2021	7250.00	श्री रिजवान अली
29	23.10.2021	11008.00	श्री रिजवान अली
30	12.01.2022	9120.00	श्री रिजवान अली
31	08.02.2022	31000.00	श्री रिजवान अली
32	12.01.2022	9120.00	श्री पलविन्द्र सिहं
33	12.01.2022	20636.00	श्री राजपाल
34	11.03.2022	1500.00	श्री रामस्वरूप
योग	**398761.00**		

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अत : समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री सतीश कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	16.03.2022	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
	योग-	**2000.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

34-ग्राम पंचायत- हरनगला लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-75 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1168565.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण

01	20.07.2021	87388.00	भारत ट्रेडर्स
02	20.07.2021	98516.00	भारत ट्रेडर्स
03	21.07.2021	108456.00	भारत ट्रेडर्स
04	18.08.2021	95795.00	भारत ट्रेडर्स
05	18.08.2021	57148.00	भारत ट्रेडर्स
06	18.08.2021	77773.00	भारत ट्रेडर्स
07	18.08.2021	30283.00	भारत ट्रेडर्स
08	15.09.2021	67347.00	भारत ट्रेडर्स
09	18.01.2022	23000.00	भारत ट्रेडर्स
10	18.01.2022	39057.00	भारत ट्रेडर्स
11	20.01.2022	126000.00	भारत ट्रेडर्स
12	29.01.2022	91635.00	भारत ट्रेडर्स
13	29.01.2022	100000.00	भारत ट्रेडर्स
14	02.02.2022	39057.00	भारत ट्रेडर्स
15	30.10.2021	31860.00	रायल ट्रेडर्स
16	02.02.2022	50300.00	रायल ट्रेडर्स
17	20.08.2021	3000.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
18	20.08.2021	12291.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
19	20.08.2021	12094.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
20	20.08.2021	3000.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
21	20.08.2021	14565.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
योग	**1168565.00**		

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 729400.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	18.08.2021	2880.00	श्री जफीर अहमद
02	18.08.2021	17280.00	श्री जफीर अहमद
03	15.09.2021	2652.00	श्री जफीर अहमद
04	15.09.2021	23460.00	श्री जफीर अहमद
05	18.08.2021	7344.00	श्री ओमकार
06	15.09.2021	2652.00	श्री ओमकार
07	15.09.2021	23460.00	श्री ओमकार
08	23.07.2021	1428.00	श्री फकीर चन्द्र
09	23.07.2021	7344.00	श्री फकीर चन्द्र
10	18.08.2021	1020.00	श्री फकीर चन्द्र
11	18.08.2021	7344.00	श्री श्री फकीर चन्द्र
12	18.08.2021	9850.00	श्री फकीर चन्द्र
13	15.09.2021	5760.00	श्री फकीर चन्द्र
14	15.09.2021	27360.00	श्री फकीर चन्द्र

15	18.08.2021	4080.00	श्री जमालुद्दीन
16	15.09.2021	23460.00	श्री जमालुद्दीन
17	17.02.2022	4080.00	श्री जमालुद्दीन
18	23.07.2021	4080.00	श्री वीरपाल
19	23.07.2021	3264.00	श्री वीरपाल
20	18.08.2021	7344.00	श्री वीरपाल
21	18.08.2021	9850.00	श्री वीरपाल
22	17.02.2022	8160.00	श्री वीरपाल
23	18.08.2021	9600.00	श्री जब्बार
24	15.09.2021	23460.00	श्री जब्बार
25	17.02.2022	8160.00	श्री जब्बार
26	23.07.2021	3264.00	श्री बब्लू
27	23.07.2021	7344.00	श्री बब्लू
28	17.02.2022	8160.00	श्री बब्लू
29	23.07.2021	7344.00	श्री अजय कुमार
30	23.07.2021	3264.00	श्री अजय कुमार
31	18.08.2021	1224.00	श्री अजय कुमार
32	18.08.2021	7344.00	श्री अजय कुमार
33	18.08.2021	9850.00	श्री अजय कुमार
34	20.01.2022	23460.00	श्री अजय कुमार
35	17.02.2022	19200.00	श्री अजय कुमार
36	20.08.2021	22943.00	श्री अनिश
37	20.08.2021	22943.00	श्री अनिश
38	15.09.2021	55200.00	श्री अनिश
39	18.01.2022	9792.00	श्री अनिश
40	21.09.2021	19380.00	श्री आनंद
41	18.01.2022	9792.00	श्री आनंद
42	19.07.2021	14000.00	श्री दिनेश कुमार
43	22.11.2021	5500.00	श्री दिनेश कुमार
44	23.07.2021	7680.00	श्री मो0 शमी
45	23.07.2021	17200.00	श्री मो0 शमी
46	29..01.2022	6000.00	श्रीमती रिंपी
47	15.09.2021	23460.00	श्री कादिर
48	20.08.2021	22220.00	श्री शाहबेज
49	15.09.2021	55200.00	श्री शाहबेज
50	21.09.2021	23460.00	श्री प्रेमपाल सिंह
51	21.09.2021	23460.00	श्री फुर्सत अली
52	02.02.2022	21000.00	श्रीमती विमलेश
53	02.02.2022	27000.00	श्री सूरज स्वयं सहायता समूह
54	18.08.2021	7344.00	श्री महावीर
योग	**729400.00**		

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

35-ग्राम पंचायत- शादीनगर नि0 भोट लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-77 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1352700.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा रानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	11.06.2021	94012.00	भारत ट्रेडर्स
02	11.06.2021	98950.00	भारत ट्रेडर्स
03	11.06.2021	93061.00	भारत ट्रेडर्स
04	11.06.2021	95915.00	भारत ट्रेडर्स
05	11.06.2021	93062.00	भारत ट्रेडर्स
06	29.06.2021	91084.00	भारत ट्रेडर्स
07	29.06.2021	90880.00	भारत ट्रेडर्स
08	20.07.2021	66956.00	भारत ट्रेडर्स
09	20.07.2021	98629.00	भारत ट्रेडर्स
10	09.08.2021	46585.00	भारत ट्रेडर्स
11	09.08.2021	19699.00	भारत ट्रेडर्स
12	09.08.2021	69904.00	भारत ट्रेडर्स
13	20.08.2021	15631.00	भारत ट्रेडर्स
14	23.08.2021	15572.00	भारत ट्रेडर्स
15	16.09.2021	60167.00	भारत ट्रेडर्स
16	28.09.2021	15572.00	भारत ट्रेडर्स
17	02.11.2021	23690.00	भारत ट्रेडर्स
18	15.02.2022	126207.00	भारत ट्रेडर्स
19	15.02.2022	104195.00	भारत ट्रेडर्स
20	17.02.2022	4249.00	भारत ट्रेडर्स र्स
21	05.07.2021	27000.00	उम्मेद स्वयं सहायता समूह
22	18.02.2022	1680.00	रामपुरकृषकएफ0पीसी0लि0 स्टोर
योग	**1352700.00**		

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 498802.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि

की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा रानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	29.06.2021	12180.00	श्री कादिर
02	16.07.2021	11040.00	श्री कादिर
03	12.06.2021	44640.00	श्री कादिर
04	17.06.2021	44640.00	श्री कादिर
05	21.07.2021	4000.00	श्री दिनेश कुमार
06	17.09.2021	3060.00	श्री आनंद
07	02.11.2021	5400.00	श्री आनंद
08	17.09.2021	4692.00	श्री शहवेज
09	02.11.2021	10800.00	श्री शहवेज
10	17.02.2022	23040.00	श्री शहवेज
11	17.02.2022	23040.00	श्री शहवेज
12	17.09.2021	4692.00	श्री फुर्सत अली
13	02.11.2021	5400.00	श्री फुर्सत अली
14	12.06.2021	44640.00	श्री अनिश
15	17.06.2021	21340.00	श्री अनिश
16	29.06.2021	5829.00	श्री अनिश
17	20.07.2021	7560.00	श्री अनिश
18	20.07.2021	4300.00	श्री अनिश
19	20.08.2021	23521.00	श्री अनिश
20	16.09.2021	11040.00	श्री अनिश
21	17.02.2022	22080.00	श्री अनिश
22	12.06.2021	22000.00	श्री अबरार
23	29.06.2021	5829.00	श्री अबरार
24	20.07.2021	2613.00	श्री अबरार
25	20.07.2021	4221.00	श्री अबरार
26	20.08.2021	23521.00	श्री अबरार
27	17.09.2021	4692.00	श्री अबरार
28	17.02.2022	20160.00	श्री अबरार
29	29.06.2021	5628.00	श्री शान
30	20.07.2021	2412.00	श्री शान
31	20.07.2021	4020.00	श्री शान
32	17.09.2021	4692.00	श्री शान
33	17.02.2022	22080.00	श्री शान
34	18.02.2022	12000.00	कु0 गौसिया
35	20.02.2022	28000.00	श्रीमती सीमा रानी
योग	**498802.00**		

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	28.09.2021	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
	योग-	**2000.00**	

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

36-ग्राम पंचायत-भोट बक्काल लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-80 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 4512075.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अलका एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	08.05.2021	14994.00	भारत ट्रेडर्स
02	08.05.2021	36153.00	भारत ट्रेडर्स
03	13.06.2021	67246.00	भारत ट्रेडर्स
04	13.06.2021	109293.00	भारत ट्रेडर्स
05	13.06.2021	95218.00	भारत ट्रेडर्स
06	13.06.2021	86562.00	भारत ट्रेडर्स
07	10.07.2021	37131.00	भारत ट्रेडर्स
08	11.07.2021	70295.00	भारत ट्रेडर्स
09	11.07.2021	110106.00	भारत ट्रेडर्स
10	25.07.2021	40834.00	भारत ट्रेडर्स
11	25.07.2021	36995.00	भारत ट्रेडर्स
12	25.07.2021	57251.00	भारत ट्रेडर्स
13	25.07.2021	57058.00	भारत ट्रेडर्स
14	26.07.2021	29372.00	भारत ट्रेडर्स
15	06.08.2021	33169.00	प्रधान ट्रेडर्स
16	06.08.2021	6509.00	भारत ट्रेडर्स
17	06.08.2021	43024.00	भारत ट्रेडर्स
18	06.08.2021	43135.00	भारत ट्रेडर्स
19	06.08.2021	32121.00	भारत ट्रेडर्स
20	07.08.2021	29370.00	भारत ट्रेडर्स
21	07.08.2021	35251.00	भारत ट्रेडर्स
22	07.08.2021	44236.00	भारत ट्रेडर्स
23	09.08.2021	31478.00	भारत ट्रेडर्स

24	09.08.2021	35429.00	भारत ट्रेडर्स
25	09.08.2021	24745.00	भारत ट्रेडर्स
26	11.08.2021	13780.00	भारत ट्रेडर्स
27	11.08.2021	69465.00	भारत ट्रेडर्स
28	12.08.2021	110593.00	भारत ट्रेडर्स
29	25.08.2021	37099.00	भारत ट्रेडर्स
30	25.08.2021	37875.00	भारत ट्रेडर्स
31	28.08.2021	5416.00	भारत ट्रेडर्स
32	28.08.2021	76688.00	भारत ट्रेडर्स
33	28.08.2021	39398.00	भारत ट्रेडर्स
34	28.08.2021	56803.00	भारत ट्रेडर्स
35	28.08.2021	29376.00	भारत ट्रेडर्स
36	28.08.2021	5416.00	भारत ट्रेडर्स
37	05.09.2021	87399.00	भारत ट्रेडर्स
38	20.09.2021	30018.00	भारत ट्रेडर्स
39	20.09.2021	15552.00	भारत ट्रेडर्स
40	16.09.2021	33601.00	भारत ट्रेडर्स
41	28.09.2021	89700.00	भारत ट्रेडर्स
42	28.09.2021	100014.00	भारत ट्रेडर्स
43	10.10.2021	39771.00	भारत ट्रेडर्स
44	10.10.2021	38242.00	भारत ट्रेडर्स
45	18.10.2021	97999.00	भारत ट्रेडर्स
46	18.10.2021	23846.00	भारत ट्रेडर्स
47	18.10.2021	87052.00	भारत ट्रेडर्स
48	26.10.2021	66385.00	भारत ट्रेडर्स
49	05.11.2021	38290.00	भारत ट्रेडर्स
50	05.11.2021	39329.00	भारत ट्रेडर्स
51	05.11.2021	38231.00	भारत ट्रेडर्स
52	03.12.2021	109091.00	भारत ट्रेडर्स
53	20.01.2022	23690.00	भारत ट्रेडर्स
54	27.01.2022	35000.00	भारत ट्रेडर्स
55	04.02.2022	17400.00	भारत ट्रेडर्स
56	11.02.2022	74096.00	भारत ट्रेडर्स
57	11.02.2022	110695.00	भारत ट्रेडर्स
58	11.02.2022	81216.00	भारत ट्रेडर्स
59	11.02.2022	141467.00	भारत ट्रेडर्स
60	01.02.2022	68676.00	सी0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी
61	26.11.2021	42000.00	राजधानी इंटरप्राईजेज
62	25.01.2022	24750.00	राजधानी इंटरप्राईजेज
63	25.01.2022	26000.00	राजधानी इंटरप्राईजेज
64	02.02.2022	116100.00	राजधानी इंटरप्राईजेज
65	02.07.2021	38970.00	के0एस0 इलैक्ट्रीशियन
66	12.07.2021	73388.00	शाहबेज ट्रेडर्स
67	25.07.2021	46801.00	शाहबेज ट्रेडर्स
68	09.08.2021	18316.00	शाहबेज ट्रेडर्स
69	23.05.2021	29992.00	यूनीवर्सल एग्रो प्रोजेक्ट्स

70	24.11.2021	70042.00	यूनीवर्सल इंटरप्राईजेज
71	25.02.2022	108732.00	यूनीवर्सल इंटरप्राईजेज
72	25.02.2022	71268.00	यूनीवर्सल इंटरप्राईजेज
73	25.02.2022	65000.00	यूनीवर्सल इंटरप्राईजेज
74	05.07.2021	27000.00	वी0सी0जी महिला एजेन्सी
75	26.10.2021	27000.00	वी0सी0जी महिला एजेन्सी
76	26.11.2021	22592.00	जैन फीलिंग स्टेशन
77	05.10.2021	69513.00	सकलैनी ट्रेडर्स
78	05.11.2021	14721.00	सकलैनी ट्रेडर्स
79	15.11.2021	39176.00	सकलैनी ट्रेडर्स
80	28.01.2022	16258.00	सकलैनी ट्रेडर्स
81	28.01.2022	15672.00	सकलैनी ट्रेडर्स
82	28.01.2022	16185.00	सकलैनी ट्रेडर्स
83	15.07.2021	44264.00	दिलशाद ट्रेडर्स
84	15.07.2021	44168.00	दिलशाद ट्रेडर्स
85	28.08.2021	60500.00	दिलशाद ट्रेडर्स
86	03.12.2021	20000.00	इमदाद ब्रिक वर्क्स
87	27.01.2022	25000.00	इमदाद ब्रिक वर्क्स
88	11.02.2022	20000.00	इमदाद ब्रिक वर्क्स
89	18.07.2021	57737.00	सिद्दीकी सीमेन्ट स्टोर
90	18.07.2021	55171.00	सिद्दीकी सीमेन्ट स्टोर
	योग-	**451207500**	

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 1505201.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अलका एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिहं से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	28.08.2021	28400.00	श्री परवीन कुमार
02	05.10.2021	5500.00	श्री दिनेश कुमार
03	15.02.2022	23000.00	श्री दिनेश कुमार
04	11.06.2021	25600.00	श्री रिजवान
05	11.06.2021	22800.00	श्री रिजवान
06	11.06.2021	19200.00	श्री रिजवान
07	11.06.2021	26400.00	श्री रिजवान
08	17.06.2021	23200.00	श्री रिजवान
09	15.07.2021	30000.00	श्री रिजवान
10	20.01.2022	26400.00	श्री रिजवान
11	15.02.2022	23800.00	श्री रिजवान
12	13.06.2021	17200.00	श्री राहुल कुमार
13	12.07.2021	6030.00	श्री राहुल कुमार
14	12.07.2021	9849.00	श्री राहुल कुमार

15	12.07.2021	7437.00	श्री राहुल कुमार
16	15.07.2021	5427.00	श्री राहुल कुमार
17	06.08.2021	2856.00	श्री राहुल कुमार
18	06.08.2021	4080.00	श्री राहुल कुमार
19	09.08.2021	2448.00	श्री राहुल कुमार
20	09.08.2021	816.00	श्री राहुल कुमार
21	11.08.2021	4080.00	श्री राहुल कुमार
22	09.08.2021	1428.00	श्री राहुल कुमार
23	25.08.2021	4692.00	श्री राहुल कुमार
24	25.08.2021	4692.00	श्री राहुल कुमार
25	28.08.2021	4488.00	श्री राहुल कुमार
26	28.08.2021	4488.00	श्री राहुल कुमार
27	05.09.2021	3672.00	श्री राहुल कुमार
28	20.09.2021	3060.00	श्री राहुल कुमार
29	28.09.2021	6120.00	श्री राहुल कुमार
30	18.10.2021	3672.00	श्री राहुल कुमार
31	18.10.2021	7164.00	श्री राहुल कुमार
32	29.10.2021	12000.00	श्री राहुल कुमार
33	03.12.2021	12000.00	श्री राहुल कुमार
34	27.01.2022	6120.00	श्री राहुल कुमार
35	11.02.2022	14076.00	श्री राहुल कुमार
36	06.08.2021	3264.00	श्री लविश कुमार
37	06.08.2021	4080.00	श्री लविश कुमार
38	28.08.2021	4488.00	श्री लविश कुमार
39	28.08.2021	4488.00	श्री लविश कुमार
40	05.09.2021	3468.00	श्री लविश कुमार
41	20.09.2021	2856.00	श्री लविश कुमार
42	28.09.2021	5916.00	श्री लविश कुमार
43	18.10.2021	4692.00	श्री लविश कुमार
44	27.01.2022	6120.00	श्री लविश कुमार
45	11.02.2022	24076.00	श्री लविश कुमार
46	06.08.2021	6720.00	श्री आलम
47	06.08.2021	9600.00	श्री आलम
48	06.08.2021	6240.00	श्री आलम
49	06.08.2021	9600.00	श्री आलम
50	06.08.2021	7200.00	श्री आलम
51	09.08.2021	3360.00	श्री आलम
52	09.08.2021	5760.00	श्री आलम
53	11.08.2021	9600.00	श्री आलम
54	25.08.2021	11040.00	श्री आलम
55	25.08.2021	10560.00	श्री आलम
56	28.08.2021	10560.00	श्री आलम
57	28.08.2021	10560.00	श्री आलम
58	05.09.2021	8640.00	श्री आलम
59	20.09.2021	6720.00	श्री आलम
60	28.09.2021	13920.00	श्री आलम

61	18.10.2021	11040.00	श्री आलम
62	18.10.2021	9552.00	श्री आलम
63	26.10.2021	11590.00	श्री आलम
64	03.12.2021	14400.00	श्री आलम
65	27.01.2022	14400.00	श्री आलम
66	11.02.2022	27360.00	श्री आलम
67	13.06.2021	17200.00	श्री गजेन्द्र
68	12.07.2021	6030.00	श्री गजेन्द्र
69	12.07.2021	9849.00	श्री गजेन्द्र
70	12.07.2021	7437.00	श्री गजेन्द्र
71	12.07.2021	5427.00	श्री गजेन्द्र
72	06.08.2021	6720.00	श्री गजेन्द्र
73	06.08.2021	9120.00	श्री गजेन्द्र
74	06.08.2021	8640.00	श्री गजेन्द्र
75	09.08.2021	1920.00	श्री गजेन्द्र
76	11.08.2021	9600.00	श्री गजेन्द्र
77	25.08.2021	4692.00	श्री गजेन्द्र
78	25.08.2021	4488.00	श्री गजेन्द्र
79	28.08.2021	5280.00	श्री गजेन्द्र
80	28.08.2021	10560.00	श्री गजेन्द्र
81	28.09.2021	5916.00	श्री गजेन्द्र
82	18.10.2021	4692.00	श्री गजेन्द्र
83	13.06.2021	34400.00	श्री सूरज
84	15.06.2021	22000.00	श्री सूरज
85	17.06.2021	15200.00	श्री सूरज
86	12.07.2021	6030.00	श्री सूरज
87	12.07.2021	7437.00	श्री सूरज
88	12.07.2021	9849.00	श्री सूरज
89	12.07.2021	5427.00	श्री सूरज
90	06.08.2021	3060.00	श्री सूरज
91	06.08.2021	4080.00	श्री सूरज
92	06.08.2021	2856.00	श्री सूरज
93	06.08.2021	4080.00	श्री सूरज
94	09.08.2021	1428.00	श्री सूरज
95	09.08.2021	2448.00	श्री सूरज
96	09.08.2021	1020.00	श्री सूरज
97	11.08.2021	4080.00	श्री सूरज
98	25.08.2021	4692.00	श्री सूरज
99	25.08.2021	4692.00	श्री सूरज
100	28.08.2021	4488.00	श्री सूरज
101	28.08.2021	4488.00	श्री सूरज
102	05.09.2021	3672.00	श्री सूरज
103	28.09.2021	6120.00	श्री सूरज
104	20.09.2021	2856.00	श्री सूरज
105	18.10.2021	4692.00	श्री सूरज
106	29.10.2021	12000.00	श्री सूरज

107	03.12.2021	6120.00	श्री सूरज
108	06.08.2021	3264.00	श्री जुनैद
109	06.08.2021	3876.00	श्री जुनैद
110	11.08.2021	1632.00	श्री जुनैद
111	06.08.2021	2856.00	श्री जुनैद
112	09.08.2021	1428.00	श्री जुनैद
113	16.09.2021	3672.00	श्री जुनैद
114	29.10.2021	10500.00	श्री जुनैद
115	03.12.2021	10500.00	श्री जुनैद
116	11.02.2022	14076.00	श्री जुनैद
117	25.02.2022	34500.00	श्री जुनैद
118	06.08.2021	2856.00	श्री बब्लू
119	06.08.2021	4080.00	श्री बब्लू
120	06.08.2021	2856.00	श्री बब्लू
121	09.08.2021	2448.00	श्री बब्लू
122	11.08.2021	4080.00	श्री बब्लू
123	25.08.2021	10000.00	श्री बब्लू
124	28.08.2021	4488.00	श्री बब्लू
125	05.09.2021	3672.00	श्री बब्लू
126	18.10.2021	4692.00	श्री बब्लू
127	06.08.2021	4080.00	श्री विनोद
128	09.08.2021	2448.00	श्री विनोद
129	11.08.2021	4080.00	श्री विनोद
130	25.08.2021	10000.00	श्री विनोद
131	16.09.2021	1020.00	श्री विनोद
132	12.07.2021	9849.00	श्री धर्म सिहं
133	12.07.2021	5628.00	श्री धर्म सिहं
134	12.07.2021	7437.00	श्री धर्म सिहं
135	06.08.2021	2856.00	श्री धर्म सिहं
136	11.08.2021	4080.00	श्री धर्म सिहं
137	25.08.2021	10000.00	श्री धर्म सिहं
138	16.09.2021	3672.00	श्री धर्म सिहं
139	18.10.2021	11040.00	श्री धर्म सिहं
140	05.10.2021	7650.00	श्री जुल्फेकार
141	05.11.2021	23521.00	श्री जुल्फेकार
142	28.01.2022	22084.00	श्री जुल्फेकार
143	28.01.2022	21366.00	श्री जुल्फेकार
144	28.01.2022	22803.00	श्री जुल्फेकार
145	03.12.2021	12000.00	श्री घनश्याम
146	06.08.2021	3060.00	श्री लाखन
147	06.08.2021	3264.00	श्री अशोक
148	06.08.2021	4080.00	श्री अशोक
149	13.06.2021	17200.00	श्री बनवारी
150	12.07.2021	15840.00	श्री बनवारी
151	12.07.2021	16800.00	श्री बनवारी
152	12.07.2021	11890.00	श्री बनवारी

153	12.07.2021	10660.00	श्री बनवारी
154	06.08.2021	7200.00	श्री बनवारी
155	28.09.2021	13920.00	श्री बनवारी
156	11.02.2022	27360.00	श्री बनवारी
157	13.06.2021	17200.00	श्री बालकिशन
158	12.07.2021	15840.00	श्री बालकिशन
159	15.07.2021	10250.00	श्री बालकिशन
160	27.01.2022	6120.00	श्री बालकिशन
161	11.02.2022	14076.00	श्री बालकिशन
162	29.01.2022	6000.00	श्रीमती मनीषा यादव
163	29.10.2021	14000.00	श्रीमती अलका
164	29.01.2022	10500.00	श्रीमती अलका
	योग-	**1505201.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

37-ग्राम पंचायत- डिलारी लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-82 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 922957.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुरविन्द्र कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मोहसिन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	21.12.2021	99980.00	भारत ट्रेडर्स
02	21.12.2021	99985.00	भारत ट्रेडर्स
03	08.03.2022	20000.00	भारत ट्रेडर्स
04	31.01.2022	5000.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
05	28.02.2022	10000.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
06	08.03.2022	39262.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
07	08.03.2022	39250.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
08	08.03.2022	8000.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
09	08.03.2022	5000.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
10	10.01.2022	59900.00	टालेंट कम्प्यूटर्स
11	08.03.2022	8700.00	कष्णा इंटरप्राईजेज
12	08.03.2022	6000.00	खंडेलवाल इंडस्ट्रीज
13	06.08.2021	121060.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज

14	06.08.2021	206520.00	एस0एस इंटरप्राईजेज
15	13.07.2021	98496.00	भारत सीमेन्ट स्टोर
16	13.07.2021	91584.00	भारत सीमेन्ट स्टोर
17	31.01.2022	2520.00	रामपुर कृषक एफ0पी0सी0लि0
18	18.07.2021	1700.00	तुलसी साईवर पाइन्ट
योग	**922957.00**		

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 24500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती गुरविन्दर कौर द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती गुरविन्द्र कौर व सचिव श्री मोहसिन से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	06.08.2021	10500.00	श्रीमती गुरविन्दर कौर
02	08.03.2022	14000.00	श्रीमती गुरविन्दर कौर
	योग-	**24500.00**	

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 335487.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुरविन्द्र कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मोहसिन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	23.12.2021	4000.00	श्री असरफ खां
02	31.01.2022	2000.00	श्री असरफ खां
03	08.03.2022	7000.00	श्री असरफ खां
04	10.01.2022	6000.00	श्रीमती संदीप कौर
05	19.02.2022	6000.00	श्रीमती संदीप कौर
06	23.03.2022	6000.00	श्रीमती संदीप कौर
07	12.01.2022	4000.00	श्रीमती रामा देवी
08	22.10.2021	37005.00	श्री गुरवचन राम
09	17.01.2022	45000.00	श्री गुरवचन राम
10	14.10.2021	23498.00	श्री गुरमीत सिंह
11	25.10.2021	45005.00	श्री गुरमीत सिंह
12	14.10.2021	45500.00	श्री मुरारीलाल

13	14.10.2021	41002.00	श्री अलाउद्दीन
14	31.01.2022	2227.00	सी0एफ0सी टेक्नीकल
15	04.11.2021	10000.00	श्री फरमान
16	06.08.2021	5500.00	श्री राम सिंह
17	06.08.2021	3850.00	श्री राम सिंह
18	06.08.2021	6050.00	श्री शाहनावाज खां
19	06.08.2021	33000.00	श्री शाहनावाज खां
20	06.08.2021	3850.00	श्री मौ0 शफी
21	06.08.2021	7000.00	श्री मौ0 शफी
22	06.08.2021	3850.00	श्री मौ0 दानिश
23	06.08.2021	7000.00	श्री मौ0 दानिश
24	06.08.2021	7000.00	श्री रिसालत खां
25	06.08.2021	3850.00	श्री रिसालत खां
योग	**335487.00**		

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

38-ग्राम पंचायत- मिलक खानम लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-85 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 752700.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महमूद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मोहसिन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	12.07.2021	38255.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
02	11.10.2021	8000.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
03	28.02.2022	10000.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
04	21.03.2022	2500.00	सुभान ट्रेडर्स एंड सप्लायर
05	08.10.2021	51250.00	भारत ट्रेडर्स
06	12.11.2021	56500.00	भारत ट्रेडर्स
07	08.01.2022	25500.00	भारत ट्रेडर्स
08	19.02.2022	63000.00	भारत ट्रेडर्स
09	12.11.2021	28025.00	हाजी जलील अहमद ब्रिक इं0

10	14.01.2022	1680.00	रामपुर कृषक एफ0पी0सी0लि0
11	14.10.2021	25000.00	सिद्दीकी सीमेन्ट स्टोर
12	16.11.2021	52400.00	सिद्दीकी सीमेन्ट स्टोर
13	19.02.2022	15100.00	सिद्दीकी सीमेन्ट स्टोर
14	06.07.2021	27000.00	एकता एस0एच0जी
15	12.01.2022	6000.00	एकता एस0एच0जी
16	08.03.2022	6000.00	खंडेलवाल इंड0
17	12.01.2022	30500.00	शारदा इंटरप्राईजेज
18	12.07.2021	91584.00	जे0एस0 ट्रेडर्स
19	12.07.2021	98496.00	जे0एस0 ट्रेडर्स
20	14.10.2021	15906.00	सकलैनी ट्रेडर्स
21	18.07.2021	1700.00	तुलसी साईवर पाइंट्स
22	21.03.2022	38404.00	सिहं बैट्री इन्वेटर
23	08.01.2022	59900.00	टालेंट कम्प्यूटर्स

योग- 752700.00

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 29500 ग्राम प्रधान श्री महमूद द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री महमूद व सचिव मोहसिन से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	19.08.2021	10500.00	श्री महमूद
02	21.03.2022	14000.00	श्री महमूद
03	21.03.2022	5000.00	श्री महमूद
	योग-	**29500.00**	

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 194269.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुरविन्द्र कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मोहसिन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	14.10.2021	7000.00	श्री फरमान
02	04.11.2021	10000.00	श्री फरमान
03	09.12.2021	9000.00	श्री फरमान
04	28.02.2022	9384.00	श्री फरमान
05	08.01.2022	6000.00	श्री मलकीत सिंह
06	13.02.2022	6000.00	श्री मलकीत सिंह
07	21.03.2022	6000.00	श्री मलकीत सिंह

08	16.11.2021		35400.00	श्री ताहिर
09	09.12.2021		34500.00	श्री ताहिर
10	17.12.2021		10000.00	श्री अशरफ खां
11	08.01.2022		8000.00	श्री अशरफ खां
12	22.11.2021		20005.00	श्री दानिश अली
13	03.12.2021		27700.00	श्री दानिश अली
14	28.02.2022		5280.00	श्री दानिश अली
		योग	**194269.00**	

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 1811.00 ग्राम प्रधान /ग्राम सचिव द्वारा निम्न दिनांक में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री महमूद व सचिव श्री मोहसिन से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक		धनराशि	विवरण
01	08.01.2022		1811.00	सी0एफ0सी0यू0पी0 टेक्नीकल एंड एड0
		योग-	**1811.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

39-ग्राम पंचायत- खरदिया लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-89 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 876579.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री निजामुद्दीन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण	
01	13.01.2022	1680.00	रामपुर	कृषक एफ0पी0सी0लि0

02	16.03.2022	60000.00	आशीश शंकर एजेन्सी
03	31.01.2022	40000.00	आहिल सेनेटरी स्टोर
04	05.07.2021	72400.00	बाला जी ट्रेडर्स
05	15.07.2021	60000.00	बाला जी ट्रेडर्स
06	31.07.2021	89656.00	बाला जी ट्रेडर्स
07	31.07.2022	51086.00	बाला जी ट्रेडर्स
08	16.08.2021	40000.00	बाला जी ट्रेडर्स
09	16.08.2021	3500.00	बाला जी ट्रेडर्स
10	15.09.2021	11600.00	बाला जी ट्रेडर्स
11	15.09.2021	11600.00	बाला जी ट्रेडर्स
12	20.09.2021	3000.00	बाला जी ट्रेडर्स
13	20.09.2021	3000.00	बाला जी ट्रेडर्स
14	28.10.2021	61100.00	बाला जी ट्रेडर्स
15	13.02.2022	10000.00	बाला जी ट्रेडर्स
16	18.12.2021	6000.00	पायल एस0एच0जी0
17	20.09.2021	6720.00	शाह टाइमस् इंटरप्राईजेज
18	20.09.2021	6190.00	अमर भारती ऐजेन्सी
19	21.04.2021	63250.00	भारत ट्रेडर्स
20	21.04.2021	61750.00	भारत ट्रेडर्स
21	23.05.2021	30000.00	भारत ट्रेडर्स
22	24.07.2021	91432.00	भारत ट्रेडर्स
23	24.07.2021	33868.00	भारत ट्रेडर्स
24	13.02.2022	57000.00	के0जी0एन0 टाइल्स एंड सेनेटरी स्टोर
25	22.02.2022	1747.00	सी0एफ0सी0यू0पी0 टेक्नीकल एंड एड0

योग- <u>876579.00</u>

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 663550.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री निजामुद्दीन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	28.04.2021	60000.00	श्री संजय
02	15.07.2022	10000.00	श्री संजय
03	24.07.2021	3500.00	श्री संजय
04	28.04.2021	60000.00	श्री अनीश
05	12.01.2022	6000.00	श्रीमती नेहा
06	22.02.2022	6000.00	श्रीमती नेहा
07	12.03.2022	6000.00	श्रीमती नेहा
08	15.07.2021	10000.00	श्री डालचन्द
09	24.07.2021	5500.00	श्री डालचन्द
10	29.07.2021	9900.00	श्री डालचन्द

11	16.08.2021	5500.00	श्री डालचन्द
12	20.09.2021	12100.00	श्री डालचन्द
13	28.10.2021	3500.00	श्री डालचन्द
14	16.11.2021	8750.00	श्री डालचन्द
15	20.02.2022	5600.00	श्री डालचन्द
16	28.04.2021	43780.00	श्री उमेश सरन
17	28.04.2021	60000.00	श्री राजीव
18	15.07.2021	10000.00	श्री राजीव
19	24.07.2021	3500.00	श्री राजीव
20	29.07.2021	6300.00	श्री राजीव
21	16.08.2021	1050.00	श्री राजीव
22	20.09.2021	12100.00	श्री राजीव
23	28.10.2021	5500.00	श्री राजीव
24	16.11.2021	8750.00	श्री राजीव
25	20.02.2022	5600.00	श्री राजीव
26	15.07.2021	12100.00	श्री गजराम
27	24.07.2021	5500.00	श्री गजराम
28	29.07.2021	9900.00	श्री गजराम
29	20.09.2021	10000.00	श्री गजराम
30	28.10.2021	3150.00	श्री गजराम
31	16.11.2021	8750.00	श्री गजराम
32	20.02.2022	8800.00	श्री गजराम
33	15.07.2021	10000.00	श्री राकेश
34	24.07.2021	2800.00	श्री राकेश
35	29.07.2021	1750.00	श्री राकेश
36	16.08.2021	3500.00	श्री राकेश
37	28.10.2021	3500.00	श्री राकेश
38	16.11.2021	8750.00	श्री राकेश
39	15.07.2021	10000.00	श्री राजेश
40	24.07.2021	3500.00	श्री राजेश
41	29.07.2021	6300.00	श्री राजेश
42	20.09.2021	11200.00	श्री इमरान हुसैन
43	28.04.2021	43780.00	श्रीमती मंजू
44	28.04.2021	43780.00	श्री वाजिद
45	28.04.2021	43780.00	श्रमती मंगिया
46	28.04.2021	43780.00	श्री हरपाल

योग- <u>663550.00</u>

प्रस्तर-91 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अत: समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री निजामुद्दीन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	20.09.2021	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी

योग- 2000.00

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद

40 ग्राम पंचायत- अजीमनगर लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-92 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1097295.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिहं एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री निजामुद्दीन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.08.2021	57870.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
02	04.08.2021	155300.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
03	04.08.2021	92890.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
04	16.08.2021	74070.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
05	15.09.2021	3500.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
06	07.12.2021	41600.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
07	07.12.2021	41700.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
08	09.12.2021	105000.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
09	09.03.2022	27000.00	एस0एस0 इंटरप्राईजेज
10	16.03.2022	60000.00	टालेंट कम्प्यूटर्स
11	06.07.2021	27000.00	दिवाकर एस0एच0जी
12	18.12.2021	12000.00	दिवाकर एस0एच0जी
13	26.02.2022	12000.00	दिवाकर एस0एच0जी
14	30.09.2021	65300.00	आहिल सेनेटरी स्टोर
15	30.09.2021	28200.00	आहिल सेनेटरी स्टोर
16	15.02.2022	110000.00	आहिल सेनेटरी स्टोर
17	15.02.2022	95000.00	आहिल सेनेटरी स्टोर
18	22.02.2022	2199.00	सी0एफ0सी0यू0पी0टेक्नी0एंड
एड0			
19	01.05.2021	28756.00	भारत ट्रेडर्स
20	06.07.2021	45000.00	भारत ट्रेडर्स
21	20.09.2021	6720.00	शाह टाइम्स इंटरप्राईजेज
22	20.09.2021	6190.00	अमर भारती एजेन्सी

योग- 1097295.00

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 175900.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा

प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिहं एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री निजामुद्दीन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.08.2021	8250.00	श्री नक्शे अली
02	04.08.2021	3300.00	श्री नक्शे अली
03	04.08.2021	5500.00	श्री नक्शे अली
04	04.08.2021	8250.00	श्री आले हसन
05	04.08.2021	3300.00	श्री आले हसन
06	04.08.2021	5500.00	श्री आले हसन
07	16.08.2021	6600.00	श्री आले हसन
08	15.09.2021	13200.00	श्री आले हसन
09	06.08.2021	5000.00	श्री कृपाल सिंह
10	06.08.2021	2500.00	श्री कृपाल सिंह
11	06.08.2021	2500.00	श्री कृपाल सिंह
12	06.08.2021	5250.00	श्री सतीश कुमार
13	06.08.2021	3500.00	श्री सतीश कुमार
14	06.08.2021	2100.00	श्री सतीश कुमार
15	15.09.2021	9100.00	श्री सतीश कुमार
16	06.08.2021	5250.00	श्री सतेन्द्र कुमार
17	06.08.2021	2100.00	श्री सतेन्द्र कुमार
18	06.08.2021	3500.00	श्री सतेन्द्र कुमार
19	06.08.2021	5250.00	श्री जोगेन्द्र सिंह
20	06.08.2021	2100.00	श्री सतेन्द्र कुमार
21	06.08.2021	3500.00	श्री सतेन्द्र कुमार
22	06.08.2021	5250.00	श्री अशोक कुमार
23	06.08.2021	1750.00	श्री अशोक कुमार
24	06.08.2021	1050.00	श्री अशोक कुमार
25	12.01.2022	6000.00	कु0 आकांशा
26	22.02.2022	6000.00	कु0 आकांशा
27	11.03.2022	60000.00	कु0 आकांशा
28	16.08.2021	5250.00	श्री अतर सिंह
29	16.08.2021	3500.00	श्री अतर सिंह
30	16.08.2021	2100.00	श्री अतर सिंह
31	16.08.2021	4200.00	श्री राहत जान
32	15.09.2021	8400.00	श्री राहत जान
33	16.08.2021	4550.00	श्री विजय पाल
34	20.09.2021	16300.00	श्री इमरान हुसैन
योग-	**175900.00**		

प्रस्तर-94 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम

204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री निजामुद्दीन से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	20.09.2021	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
	योग-	**2000.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- शाहबाद मण्डल का नाम- मुरादाबाद

41-ग्राम पंचायत- सराय महेश लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत सराय महेश वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि निधि-1 खाता सं0 08610100009389 एवं 15 वित्त आयोग खाता सं0 086101000016185 और साथ में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान खाता सं0 08610100016439 के अनुसार रू0 595711.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं जिस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपयोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल म0बी0 बुकए कैश बुक, तकनीकि स्वीकृति, प्रसाशनिक स्वकृति आदि अभिलेखों के ग्राम प्रदान एं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 595711.00) को सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव औतार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित भटनागर से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- शाहबाद मण्डल का नाम- मुरादाबाद

42-ग्राम पंचायत- छितौनी लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-96 ग्राम पंचायत सराय महेश वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि निधि-1 खाता सं0 08610100009432 एवं 15 वित्त आयोग खाता सं0 086101000016263 के अनुसार रू0 425057.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं जिस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपयोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल म0बी0 बुकए कैश बुक, तकनीकि स्वीकृति, प्रसाशनिक स्वकृति आदि अभिलेखों के ग्राम प्रदान एं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतःसमस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 425057.00) को

सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज चौधरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित भटनागर से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रारूप-4</u>

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद

43-ग्राम पंचायत- दलकी लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-97 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 690503.90) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजवीर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	05.07.2021	27000.00	कल्याणी एस0एच0जी0
02	24.04.2021	11500.00	भारत ट्रेडर्स
03	24.04.2021	23325.00	भारत ट्रेडर्स
04	24.04.2021	4060.00	भारत ट्रेडर्स
05	24.04.2021	14700.00	भारत ट्रेडर्स
06	24.04.2021	25900.00	भारत ट्रेडर्स
07	18.07.2021	19280.00	भारत ट्रेडर्स
08	18.07.2021	20180.00	भारत ट्रेडर्स
09	07.08.2021	65628.00	भारत ट्रेडर्स
10	07.08.2021	16654.00	भारत ट्रेडर्स
11	07.08.2021	98665.00	भारत ट्रेडर्स
12	04.09.2021	35772.00	भारत ट्रेडर्स
13	26.09.2021	85500.00	भारत ट्रेडर्स
14	07.05.2021	105000.00	भारत ट्रेडर्स
15	08.01.2022	92750.00	रायल इंटरप्राईजेज
16	08.01.2022	30850.00	रायल इंटरप्राईजेज
17	10.01.2022	2703.90	नोडल
18	18.07.2021	8536.00	बाला जी ट्रेडर्स
19	27.09.2021	2500.00	गुप्ता इंटरप्राईजेज
	योग-	**<u>690503.90</u>**	

प्रस्तर-98 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 21000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक

(बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश व सचिव श्री राजवीर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	08.01.2022	21000.00	श्रीमती कमलेश
योग-	21000.00		

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 374496.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजवीर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	14.01.2022	13200.00	श्री देवी दास
02	14.01.2022	6000.00	श्री शीतल
03	18.07.2021	3240.00	श्री मो0 अली
04	18.01.2022	48000.00	श्री मो0 अली
05	25.06.2021	45600.00	श्री जगदीश कुमार
06	18.07.2021	24480.00	श्री जगदीश कुमार
07	18.07.2021	16320.00	श्री निज़ाम
08	18.07.2021	24000.00	श्री निज़ाम
09	04.09.2021	41280.00	श्री निज़ाम
10	07.08.2021	22560.00	श्री दुर्वेश
11	07.08.2021	7752.00	श्री दुर्वेश
12	07.08.2021	22080.00	श्री पवन कुमार
13	07.08.2021	22560.00	श्री रामेश्वर दयाल
14	07.08.2021	14880.00	श्री रामेश्वर दयाल
15	07.08.2021	22560.00	श्री मोहन स्वरूप
16	07.08.2021	7344.00	श्री मोहन स्वरूप
17	07.08.2021	23040.90	श्री राजीव कुमार
18	16.01.2022	9600.00	श्री परम कीर्ति
	योग-	**374496.00**	

प्रस्तर-100 ग्राम पंचायत के बैंक खाते से भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजवीर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	25.04.2021	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी

02	27.09.2021	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
	योग-	**4000.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद

44-ग्राम पंचायत- दिबदिबा लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-101 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 4469092.85) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रनधीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री त्रिवेन्द्र मोहन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	28.04.2021	99000.00	भारत ट्रेडर्स
02	28.04.2021	99000.00	भारत ट्रेडर्स
03	28.04.2021	51000.00	भारत ट्रेडर्स
04	28.04.2021	29000.00	भारत ट्रेडर्स
05	28.04.2021	98000.00	भारत ट्रेडर्स
06	28.04.2021	79000.00	भारत ट्रेडर्स
07	06.07.2021	80502.00	भारत ट्रेडर्स
08	06.07.2021	98280.00	भारत ट्रेडर्स
09	06.07.2021	67649.00	भारत ट्रेडर्स
10	06.07.2021	95153.00	भारत ट्रेडर्स
11	16.07.2021	220320.00	भारत ट्रेडर्स
12	16.07.2021	295932.00	भारत ट्रेडर्स
13	16.07.2021	12075.00	भारत ट्रेडर्स
14	25.07.2021	4592.00	भारत ट्रेडर्स
15	25.07.2021	98950.00	भारत ट्रेडर्स
16	25.07.2021	88700.00	भारत ट्रेडर्स
17	25.07.2021	95600.00	भारत ट्रेडर्स
18	25.07.2021	77719.00	भारत ट्रेडर्स
19	25.07.2021	81716.00	भारत ट्रेडर्स
20	25.07.2021	87111.00	भारत ट्रेडर्स
21	25.07.2021	92390.00	भारत ट्रेडर्स
22	25.07.2021	98740.00	भारत ट्रेडर्स
23	11.5.08.2021	89898.00	भारत ट्रेडर्स
24	11.5.08.2021	98500.00	भारत ट्रेडर्स

25	11.5.08.2021	97602.00	भारत ट्रेडर्स
26	11.5.08.2021	100000.00	भारत ट्रेडर्स
27	14.08.2021	39690.00	भारत ट्रेडर्स
28	04.09.2021	96590.00	भारत ट्रेडर्स
29	04.09.2021	98733.00	भारत ट्रेडर्स
30	04.09.2021	93486.00	भारत ट्रेडर्स
31	04.09.2021	98280.00	भारत ट्रेडर्स
32	27.09.2021	28996.00	भारत ट्रेडर्स
33	27.09.2021	29607.00	भारत ट्रेडर्स
34	12.11.2021	153861.00	भारत ट्रेडर्स
35	12.11.2021	157559.00	भारत ट्रेडर्स
36	12.11.2021	165561.00	भारत ट्रेडर्स
37	18.12.2021	114080.00	भारत ट्रेडर्स
38	18.12.2021	63867.00	भारत ट्रेडर्स
39	19.12.2021	39801.00	भारत ट्रेडर्स
40	14.01.2022	27426.00	भारत ट्रेडर्स
41	18.01.2022	27500.00	भारत ट्रेडर्स
42	03.02.2022	116797.00	भारत ट्रेडर्स
43	05.02.2022	184814.00	भारत ट्रेडर्स
44	09.03.2022	17010.00	भारत ट्रेडर्स
45	13.03.2022	199750.00	भारत ट्रेडर्स
46	13.03.2022	39380.00	भारत ट्रेडर्स
47	07.07.2021	27000.00	जय माता महिला एस0एच0जी
48	12.01.2022	12692.85	नोडल
49	25.01.2022	16779.00	अनूप ट्रेडर्स
50	16.03.2022	43450.00	अनूप ट्रेडर्स
51	04.09.2021	2500.00	गुप्ता इंटरप्राईजेज
52	16.07.2021	20454.00	बाला जी ट्रेडर्स
53	20.03.2022	75000.00	बिर्क एंड चीमा हार्डवेयर एं सेनेटी स्टोर
54	29.04.2021	42000.00	भारत ट्रेडर्स

योग- 4469092.85

प्रस्तर-102 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 24500.00 ग्राम प्रधान श्री रनधीर सिहं द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री रनधीर सिंह व सचिव श्री त्रिवेन्द्र मोहन सागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	14.01.2022	24500.00	श्री रनधीर सिहं

योग- 24500.00

प्रस्तर-103 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 1299692.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रनधीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री त्रिवेन्द्र मोहन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	06.07.2021	10080.00	श्री मुदस्सिर अली
02	16.07.2021	9588.00	श्री मुदस्सिर अली
03	16.07.2021	9600.00	श्री मुदस्सिर अली
04	25.07.2021	17136.00	श्री मुदस्सिर अली
05	11.08.2021	16116.00	श्री मुदस्सिर अली
06	14.08.2021	2400.00	श्री मुदस्सिर अली
07	04.09.2021	21600.00	श्री मुदस्सिर अली
08	12.11.2021	20301.00	श्री मुदस्सिर अली
09	18.12.2021	12060.00	श्री मुदस्सिर अली
10	12.01.2022	2814.00	श्री मुदस्सिर अली
11	03.02.2022	7437.00	श्री मुदस्सिर अली
12	05.02.2022	11658.00	श्री मुदस्सिर अली
13	06.07.2021	19200.00	श्री मुर्तजा अली
14	16.07.2021	13920.00	श्री मुर्तजा अली
15	16.07.2021	9588.00	श्री मुर्तजा अली
16	25.07.2021	18720.00	श्री मुर्तजा अली
17	25.07.2021	18720.00	श्री मुर्तजा अली
18	11.08.2021	21120.00	श्री मुर्तजा अली
19	14.08.2021	10000.00	श्री मुर्तजा अली
20	04.09.2021	21600.00	श्री मुर्तजा अली
21	27.09.2021	17136.00	श्री मुर्तजा अली
22	12.11.2021	20000.00	श्री मुर्तजा अली
23	18.12.2021	12250.00	श्री मुर्तजा अली
24	12.01.2022	2800.00	श्री मुर्तजा अली
25	18.01.2022	3200.00	श्री मुर्तजा अली
26	03.02.2022	7600.00	श्री मुर्तजा अली
27	05.02.2022	11600.00	श्री मुर्तजा अली
28	06.07.2021	14892.00	श्री इंकार
29	16.07.2021	9588.00	श्री इंकार
30	25.07.2021	18240.00	श्री इंकार
31	11.08.2021	16116.00	श्री इंकार
32	27.09.2021	17340.00	श्री इंकार
33	12.11.2021	19200.00	श्री इंकार
34	18.12.2022	6400.00	श्री इंकार
35	18.01.2022	3618.00	श्री इंकार
36	03.02.2022	7600.00	श्री इंकार

37	05.02.2022	11600.00	श्री इंकार
38	06.07.2021	14892.00	श्री फैजान
39	16.07.2021	13056.00	श्री फैजान
40	16.07.2021	9588.00	श्री फैजान
41	25.07.2021	17544.00	श्री फैजान
42	11.08.2021	15912.00	श्री फैजान
43	12.11.2021	19200.00	श्री फैजान
44	19.12.2021	4800.00	श्री फैजान
45	03.02.2022	7437.00	श्री फैजान
46	05.02.2022	11457.00	श्री फैजान
47	16.07.2021	13056.00	श्री वाजिद
48	25.07.2021	17340.00	श्री वाजिद
49	12.11.2021	18894.00	श्री वाजिद
50	18.12.2021	6432.00	श्री वाजिद
51	03.02.2022	7437.00	श्री वाजिद
52	05.02.2022	11658.00	श्री वाजिद
53	06.07.2021	14892.00	श्री दानिश
54	16.07.2021	10560.00	श्री दानिश
55	25.07.2021	17340.00	श्री दानिश
56	11.08.2021	15912.00	श्री दानिश
57	12.11.2021	19296.00	श्री दानिश
58	19.12.2021	5025.00	श्री दानिश
59	05.02.2022	11457.00	श्री दानिश
60	06.07.2021	14892.00	श्री मौ0 तालिस
61	16.07.2021	13920.00	श्री मौ0 तालिस
62	16.07.2021	10080.00	श्री मौ0 तालिस
63	16.07.2021	7140.00	श्री मौ0 तालिस
64	25.07.2021	18720.00	श्री मौ0 तालिस
65	25.07.2021	17340.00	श्री मौ0 तालिस
66	11.08.2021	21120.00	श्री मौ0 तालिस
67	14.08.2021	11424.00	श्री मौ0 तालिस
68	12.11.2021	19095.00	श्री मौ0 तालिस
69	19.12.2021	5025.00	श्री मौ0 तालिस
70	05.02.2022	7878.00	श्री मौ0 तालिस
71	12.01.2022	6000.00	श्री सौरव चौहान
72	09.03.2022	6000.00	श्री सौरव चौहान
73	09.03.2022	6000.00	श्री सौरव चौहान
74	12.11.2021	19095.00	श्री खुर्शीद
75	18.12.2021	6231.00	श्री खुर्शीद
76	16.07.2021	13056.00	श्री अरबाज खां
77	25.07.2021	17340.00	श्री अरबाज खां
78	12.11.2021	20100.00	श्री अरबाज खां
79	18.12.2021	12060.00	श्री अरबाज खां
80	12.01.2022	2613.00	श्री अरबाज खां
81	03.02.2022	7236.00	श्री अरबाज खां
82	21.01.2022	22778.00	श्री नासिर

83	16.03.2022	16200.00	श्री नासिर
84	28.04.2021	14400.00	श्री इरफान
85	28.04.2021	10500.00	श्री इरफान
86	29.04.2021	20500.00	श्री इरफान
87	17.06.2021	29500.00	श्री इरफान
88	17.06.2021	29700.00	श्री इंतजार अली
89	25.07.2021	13056.00	श्री इंतजार अली
90	26.03.2022	35000.00	श्री दलजीत सिंह
91	28.04.2021	14400.00	श्री मौ0 फैजान
92	28.04.2021	11100.00	श्री मौ0 फैजान
93	09.03.2022	15500.00	श्री परम कीर्ति
94	17.06.2021	29500.00	श्री नावेद
95	25.07.2021	19170.00	श्री नावेद
	योग-	**1299692.00**	

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद

45-ग्राम पंचायत- धुरियाई लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-104 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 898917.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जसपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री त्रिवेन्द्र मोहन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.01.2022	27000.00	खुशबू वूमेन एस0एच0जी
02	05.07.2021	7155.00	बाला जी ट्रेडर्स
03	06.09.2021	13800.00	चीमा इलेक्ट्रीकल्स एंड पेंट स्टोर
04	23.05.2021	30985.00	न्यू ए0के0 ट्रेडर्स
05	06.09.2021	36000.00	न्यू ए0के0 ट्रेडर्स
06	12.03.2022	16539.00	जीत ट्रेडर्स
07	12.03.2022	17102.00	जीत ट्रेडर्स
08	12.03.2022	16859.00	जीत ट्रेडर्स
09	22.12.2021	98000.00	शिव शक्ति इंटरप्राईजेज
10	22.12.2021	77000.00	शिव शक्ति इंटरप्राईजेज
11	22.12.2021	62326.00	श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन

12	22.12.2021	68163.00	श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन
13	22.12.2021	32811.00	श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन
14	22.12.2021	66816.00	श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन
15	23.05.2021	84407.00	सुभी हार्डवेयर एंड सेनेट्री स्टोर
16	25.12.2021	28403.00	भारत ट्रेडर्स
17	25.12.2021	84318.00	भारत ट्रेडर्स
18	09.03.2022	8505.00	भारत ट्रेडर्स
19	13.07.2021	35240.00	पाशा ट्रेडर्स
20	12.03.2022	7090.00	पाशा ट्रेडर्स
21	13.07.2021	80398.00	धावनी ब्रिक उद्योग

योग- 898917.00

प्रस्तर-105 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकाशतः भुगतानित रू0 63500 ग्राम प्रधान श्री जसपाल सिंह स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दैरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथ्वा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री जसपाल सिंह व सचिव श्री त्रिवोन्द्र मोहन सागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	31.07.2021	7000.00	श्री जसपाल सिंह
02	06.09.2021	24000.00	श्री जसपाल सिंह
03	27.12.2021	17500.00	श्री जसपाल सिंह
04	13.03.2022	15000.00	श्री जसपाल सि
	योग-	**63500.00**	

प्रस्तर-106 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 462565.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमाबली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जसपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री त्रिवेन्द्र मोहन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	06.09.2021	9300.00	श्री जयदेव सिकदार
02	22.12.2021	3200.00	श्री जयदेव सिकदार
03	22.12.2021	8400.00	श्री जयदेव सिकदार
04	31.07.2021	12000.00	श्री संदीप सिंह
05	06.09.2021	4700.00	श्री संदीप सिंह
06	06.09.2021	4600.00	श्री संदीप सिंह
07	22.12.2021	16683.00	श्री संदीप सिंह
08	22.12.2021	6030.00	श्री संदीप सिंह

09	15.03.2022		71130.00	श्री संदीप सिंह
10	06.09.2021		12000.00	श्री नीरज व्यापारी
11	04.01.2022		6000.00	श्री तरन्नुम
12	09.03.2022		6000.00	श्री तरन्नुम
13	09.03.2022		6000.00	श्री तरन्नुम
14	12.03.2022		23150.00	श्री फरमूद
15	12.03.2022		21834.00	श्री फरमूद
16	12.03.2022		22778.00	श्री फरमूद
17	12.03.2022		25145.00	श्री फरमूद
18	15.03.2022		30000.00	श्री दलीप कुमार सिकदार
19	15.03.2022		24020.00	श्री दलीप कुमार सिकदार
20	23.05.2021		10000.00	श्री तौफीक
21	16.03.2022		55000.00	श्री अविजोत सिंह
22	21.01.2022		8150.00	श्री नारायण मंडल
23	21.01.2022		15700.00	श्री दिनेश कुमार
24	13.03.2021		18675.00	श्री दिनेश कुमार
25	09.03.2022		12500.00	श्री परम कीर्ति
26	14.03.2022		23270.00	श्री मौ0 जफर
27	23.05.2021		6300.00	श्री सुखवेन्द्र
		योग	**462565.00**	

प्रस्तर-107 दिनांक 23.05.2021 को ग्राम पंचायत से रू0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के ब्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री त्रिवेन्द्र मोहन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- सम्भल

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ का विवरणः-

प्रस्तर-01

ग्राम पंचायत- साकीन शोभपुर मुन्जवता वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1991796.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1991796.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1991796.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति नरेश देवी, प्रशासक से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुग्रीव कुमार व राजीव कुमार से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1991796.00

प्रस्तर-02

ग्राम पंचायत- विचपुरी वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1471495.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1471495.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1471495.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री रतनेश यादव, प्रशासक से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुग्रीव कुमार व राजीव कुमार से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1471495.00

प्रस्तर- 03

ग्राम पंचायत- मोलनपुर डॉडा वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1174115.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1174115.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1174115.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री प्रेमपाल, प्रशासक से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति मीना कुमारी से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1174115.00

प्रस्तर-04

ग्राम पंचायत- हरदासपुर वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 535920.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 532920.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 532920.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री कुलदीप सिंह, प्रशासक से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरी सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 532920.00

प्रस्तर-05

ग्राम पंचायत- कहरौला गर्वी वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 846533.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 846533.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 846533.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री हरमुखी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 846533.00

प्रस्तर-06

ग्राम पंचायत- चाउपुर डॉडा वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1338621.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के

सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1338621.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1338621.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री कुलदीप सिंह से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजवीर सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1338621.00

प्रस्तर-07

ग्राम पंचायत- दुप्टा खुर्द वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 816881.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 816881.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 816881.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री विशन सिंह से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 816881.00

प्रस्तर-08

ग्राम पंचायत- करकौरा वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1025262.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। उत्तर प्रदेश

पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1025262.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1025262.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री रवि कुमार से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति मीना कुमारी से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1025262.00

प्रस्तर-09

ग्राम पंचायत- डुप्टा कलां वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2070686.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 2070686.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2070686.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति शकुन्तला व प्रशासक श्री कुलदीप सिंह से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति मीना कुमारी से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 2070686.00

प्रस्तर-10

ग्राम पंचायत- चिरौली भगवन्तपुर वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2731771.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 2731771.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2731771.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति निर्मला देवी, प्रशासक से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुग्रीव कुमार व श्री राजीव कुमार से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 2731771.00

प्रस्तर- 11

ग्राम पंचायत- खेड़ाखास वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत खेड़ाखास में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम, पन्द्रहवॉ वित्त, कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2106716.80 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शायी गई व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 2106716.80 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2106716.80 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति खेमवती से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 2106716.80

प्रस्तर- 12

ग्राम पंचायत- मानकपुर नरौली वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मानकपुर नरौली में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम, पन्द्रहवॉ वित्त, कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1908651.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय

फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शायी गई व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1908651.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1908651.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति मिथलेश से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1908651.00

प्रस्तर- 13

ग्राम पंचायत- अलावलपुर वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत अलावलपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम, पन्द्रहवॉ वित्त, कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1658781.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शायी गई व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1658781.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1658781.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति मंगलवती से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1658781.00

प्रस्तर- 14

ग्राम पंचायत- मो0 पुरकाशी वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मो0 पुरकाशी में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम, पन्द्रहवॉ वित्त, कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1704026.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शायी गई व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1704026.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1704026.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति कहकशा से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1704026.00

प्रस्तर- 15

ग्राम पंचायत- पचाक वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत पचाक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम, पन्द्रहवॉ वित्त, कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2532294.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शायी गई व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 2532294.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2532294.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति मुन्नी देवी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 2532294.00

प्रस्तर- 16

ग्राम पंचायत- फरीदपुर खास वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत फरीदपुर खास में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम, पन्द्रहवॉ वित्त, कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2426455.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शायी गई व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 2426455.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2426455.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगदीश से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 2426455.00

प्रस्तर- 17

ग्राम पंचायत- सराय सिकन्दर वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत सराय सिकन्दर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम, पन्द्रहवॉ वित्त, कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1808142.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शायी गई व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1808142.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1808142.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आमेप्रकाश से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से

आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1808142.00

प्रस्तर- 18

ग्राम पंचायत- राजपुर वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत वर्ष 2021-22 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 3006293.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति राखी/प्रशासक श्री राजेश चौधरी व ग्राम पंचायत सचिव श्री विमल कुमार से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 3006293.00

प्रस्तर- 19

ग्राम पंचायत- नगलिया भूड़ वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत नगलिया भूड़ वर्ष 2021-22 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 569041.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति कुसुम देवी/प्रशासक श्री राजेश चौधरी व ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश कुमार से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 569041.00

प्रस्तर- 20

ग्राम पंचायत- मैथरा आलपुर वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मैथरा आलपुर वर्ष 2021-22 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 1359801.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री कुसुम पाल/प्रशासक श्री राजेश चौधरी व ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश कुमार से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1359801.00

प्रस्तर- 21

ग्राम पंचायत- रामगढ़ वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत रामगढ़ वर्ष 2021-22 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 1633573.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं

की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री लब कुमार/प्रशासक श्री राजेश चौधरी व ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश कुमार से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1633573.00

प्रस्तर- 22

ग्राम पंचायत- भरतरा वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत भरतरा वर्ष 2021-22 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 1067600.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री प्रभा/प्रशासक श्री राजेश चौधरी व ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरव कुमार/रामबाबू से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1067600.00

प्रस्तर- 23

ग्राम पंचायत- मुल्हैटा वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मुल्हैटा वर्ष 2021-22 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 1421116.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति सोमवती/प्रशासक श्री राजेश चौधरी व ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरव कुमार/रामबाबू/प्रेमपाल से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1421116.00

प्रस्तर- 24

ग्राम पंचायत- लहरावन वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत लहरावन वर्ष 2021-22 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 2373296.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री अजीतपाल/प्रशासक श्री राजेश चौधरी व ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरव कुमार/रामबाबू/सतेन्द्र से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2373296.00

प्रस्तर- 25

ग्राम पंचायत- सादातबाड़ी वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत सादातबाड़ी वर्ष 2021-22 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 3116819.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री लाखन सिंह/प्रशासक श्री राजेश चौधरी व ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश कुमार/सतेन्द्र यादव से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 3116819.00

प्रस्तर- 26

ग्राम पंचायत- लोधी सराय वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत लाधी सराय वर्ष 2021-22 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 991317.00 दिनाँक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री चेतनस्वरूप/ए0डी0ओ0 श्री अमित यादव (प्रशासक) व ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवसकल यादव से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 991317.00

प्रस्तर- 27

ग्राम पंचायत- मोहम्मदपुर टण्डा वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर टण्डा वर्ष 2021-22 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 717077.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति रामवती/श्री अमित यादव (प्रशासक) व ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश कुमार से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 717077.00

प्रस्तर- 28

ग्राम पंचायत- नरौदा वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत नरौदा वर्ष 2021-22 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 809924.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री ऋषिपाल/ श्री राजेश चौधरी (प्रशासक)

व ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश कुमार से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 809924.00

प्रस्तर-29

ग्राम पंचायत- साकीन शोभापुर खालसा वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1798118.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1798118.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1798118.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति प्रेमवती, प्रशासक से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुग्रीव कुमार व राजीव कुमार से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1798118.00

प्रस्तर-30

ग्राम पंचायत- अख्त्यारपुर चौवे वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1349517.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1349517.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1349517.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति सुमन देवी, प्रशासक से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुग्रीव कुमार व राजीव कुमार से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1349517.00

प्रस्तर-31

ग्राम पंचायत- लहरा नंगला श्याम वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- जुनावई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत लहरा नंगला श्याम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2684593.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 2684593.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2684593.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री अशोक उर्फ वीरपाल से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कोणाल सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 2684593.00

प्रस्तर-32

ग्राम पंचायत- मैढोली वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- जुनावई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मैढोली में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1633621.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1633621.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1633621.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति विरमा देवी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कोणाल सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1633621.00

प्रस्तर-33

ग्राम पंचायत- हैदराबाद वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- जुनावई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत हैदराबाद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2524103.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 2524103.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2524103.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति कल्लों से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कोणाल सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 2524103.00

प्रस्तर-34

ग्राम पंचायत- मानकपुर वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मानकपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 3322253.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 3322253.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 3322253.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री गुड्डू से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 3322253.00

प्रस्तर-35

ग्राम पंचायत- भागनगर उर्फ मनहर नंगला वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत भागनगर उर्फ मनहर नंगला में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1735814.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1735814.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1735814.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति अनोखी देवी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुखवीर पाल से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1735814.00

प्रस्तर-36

ग्राम पंचायत- भकरोली वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत भकरोली में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2466503.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक

निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 2466503.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2466503.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति गायत्री से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरी सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 2466503.00

प्रस्तर-37

ग्राम पंचायत- किशनपुर श्यामपुर वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत किशनपुर श्यामपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1332837.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1332837.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1332837.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नवनीत यादव से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1332837.00

प्रस्तर-38

ग्राम पंचायत- रामनगर उर्फ कन्हुआ नंगला वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत रामनगर उर्फ कन्हुआ नंगला में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 765895.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 765895.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 765895.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति सोमवती से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 765895.00

प्रस्तर-39

ग्राम पंचायत- मझोला फतेहपुर वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मझोला फतेहपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1745548.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1745548.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1745548.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति मधुबाला से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरी सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1745548.00

प्रस्तर-40

ग्राम पंचायत- धनारीपट्टी लाल सिंह वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत धनारीपट्टी लाल सिंह में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2360467.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 2360467.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2360467.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री नीरज से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 2360467.00

प्रस्तर-41

ग्राम पंचायत- धनारीपट्टी बालू शंकर वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत धनारीपट्टी बालू शंकर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 3202108.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 3202108.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 3202108.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति शिव देवी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 3202108.00

प्रस्तर-42

ग्राम पंचायत- सैजना मुस्लिम वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत सैजना मुस्लिम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2516071.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 2516071.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2516071.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति कमलेश कुमारी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरी सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 2516071.00

प्रस्तर-43

ग्राम पंचायत- उधरनपुर अजमतनगर वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत उधरनपुर अजमतनगर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2131434.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 2131434.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2131434.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति विमला से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 2131434.00

प्रस्तर-44

ग्राम पंचायत- गोठना वर्ष 2021-22 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत गोठना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1897907.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि दर्शायी गयी व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में धनराशि रूपया- 1897907.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1897907.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री रोहताश से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरी सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1897907.00

प्रस्तर- 45

ग्राम पंचायत- भवानीपुर वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत भवानीपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में कैश बुक में दिनाँक 15.06.17 रू0 177600.00 (चे.सं.-411656) व रू0 177600 (चे.सं.-411657) एवं दिनाँक 19.06.17 रूपया 177600.00 (चे.सं.-411659) से कुल धनराशि रू0- 532800.00 सोलर लाइट लगवाने हेतु आहरण किया गया है। परन्तु

ग्राम पंचायत द्वारा क्रय नियमों का पालन नहीं गया है। जिसमें कार्य योजना, स्टीमेट, एम0बी0 वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं तकनीकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गयी है।

अतः रू0 532800.00 की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री ब्रजपाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग द्वारा निर्गत पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 532800.00

प्रस्तर- 46

ग्राम पंचायत- साकिन शोभापुर खालसा वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत साकिन शोभापुर खालसा में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में धनराशि आहरण किया गया है परन्तु उससे सम्बन्धित कोई व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय नियमों से सम्बन्धित कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा क्रय नियमों का भी पालन नहीं किया गया है जिसमें सामान क्रय हेतु कोटेशन एवं टेण्डर लिये जाते हैं। केवल धनराशि आहरण कर लिया गया है तथा इनको कैशबुक के व्यय पक्ष में नहीं दिखाया गया है। विवरणः-

क्र0स0	दिनाँक	धनराशि
1	03-04-17	25230
2	05-04–17	25958
3	06-04-17	28000
4	27-06-17	34020
5	29-06-17	67410
6	15-07-17	35357
7	15-07-17	34976
8	15-07-17	37372
9	17-10-17	34485
10	28-12-17	50000
	योग-	372808

अतः रू0 372808.00 की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति कश्मीरी देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चौधरी से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग द्वारा निर्गत पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 372808.00

प्रस्तर- 47

ग्राम पंचायत- दतावली वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत दतावली में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में धनराशि आहरण किया गया है परन्तु उससे सम्बन्धित कोई व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय नियमों से सम्बन्धित कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा क्रय नियमों का भी पालन नहीं किया गया है जिसमें सामान क्रय हेतु कोटेशन एवं टेण्डर लिये जाते हैं। केवल धनराशि आहरण कर लिया गया है तथा इनको कैशबुक के व्यय पक्ष में नहीं दिखाया गया है। विवरणः-

क्र0स0	दिनाँक	धनराशि
1	04-04-17	20000
2	12-04–17	20000
3	24-05-17	30000
4	15-06-17	89200
5	15-06-17	89200
6	16-06-17	89200
7	16-06-17	89200
8	17-06-17	92210
9	20-06-17	89200
10	20-06-17	178400
11	20-06-17	178400
12	10-10-17	20000
13	24-10-17	14000
14	25-10-17	45000
	योग-	1044010

अतः रू0 1044010.00 की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री ऋषिपाल व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग द्वारा निर्गत पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 1044010.00

प्रस्तर- 48

ग्राम पंचायत- बाहपुर पट्टी वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत बाहपुर पट्टी में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में धनराशि आहरण किया गया है परन्तु उससे सम्बन्धित कोई व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय नियमों से सम्बन्धित कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा क्रय नियमों का भी पालन नहीं किया गया है जिसमें सामान क्रय हेतु कोटेशन एवं टेण्डर लिये जाते हैं। केवल धनराशि आहरण कर लिया गया है तथा इनको कैशबुक के व्यय पक्ष में नहीं दिखाया गया है। विवरणः-

क्र0स0	दिनाँक	धनराशि	मद
1	25-07-17	84600	आंगनबाड़ी केन्द्रों की रखरखाव

2	25-07-17	119720	तदैव
	योग-	204320	

अतः रू0 204320.00 की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री वसीम से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग द्वारा निर्गत पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 204320.00

प्रस्तर- 49

ग्राम पंचायत- ऐंजरा वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत ऐंजरा द्वारा वर्ष 2017-18 में कैश बुक में दिनाँक 17.10.17 रू0 489280.00 सोलर लाइट लगवाने हेतु आहरण किया गया है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय नियमों का पालन नहीं गया है। जिसमें कार्य योजना, स्टीमेट, एम0बी0 वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं तकनीकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं लिया गया है।

अतः रू0 489280.00 की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति कान्ती व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग द्वारा निर्गत पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 489280.00

प्रस्तर- 50

ग्राम पंचायत- अडौला माफी वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत अडौला माफी में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में धनराशि आहरण किया गया है परन्तु उससे सम्बन्धित कोई व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय नियमों से सम्बन्धित कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा क्रय नियमों का भी पालन नहीं किया गया है जिसमें सामान क्रय हेतु कोटेशन एवं टेण्डर लिये जाते हैं। केवल धनराशि आहरण कर लिया गया है तथा इनको कैशबुक के व्यय पक्ष में नहीं दिखाया गया है। विवरणः-

क्र0स0	दिनाँक	धनराशि	मद
1	17-04-17	1300	हैण्ड पम्प मरम्मत
2	17-04-17	10000	तदैव
3	19-05-17	4100	तदैव
4	24-05-17	7750	तदैव
5	13-06-17	9200	तदैव
6	14-06-17	2000	तदैव
7	30-06-17	7700	तदैव
8	20-07-17	3300	तदैव

9	27-07-17	5000	तदैव
10	11-08-17	7700	ठिलीया मरम्मत
11	04-08-17	166400	सोलर लाईट
12	11-08-17	27300	राजमिस्त्री तथा मजदूरी
13	14-09-17	15000	नाली सफाई
	योग-	266750	

अतः रू0 266750.00 की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति आशा देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग द्वारा निर्गत पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 266750.00

प्रस्तर- 51

ग्राम पंचायत- बिछौली वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत बिछौली में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में धनराशि आहरण किया गया है परन्तु उससे सम्बन्धित कोई व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय नियमों से सम्बन्धित कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा क्रय नियमों का भी पालन नहीं किया गया है जिसमें सामान क्रय हेतु कोटेशन एवं टेण्डर लिये जाते हैं। केवल धनराशि आहरण कर लिया गया है तथा इनको कैशबुक के व्यय पक्ष में नहीं दिखाया गया है। विवरणः-

क्र0स0	दिनाँक	धनराशि	मद
1	07-04-2017	36000	सी0सी0 टाईल्स
2	24-04-2017	100800	तदैव
3	03-05-2017	126540	तदैव
4	17-06-2017	10000	प्रधान मानदेय
5	01-07-2017	95400	सी0सी0 टाईल्स
6	14-09-2017	36100	टैक्टर मिट्टी व मजदूरी
7	16-10-2017	56000	ईट क्रय
8	16-10-2017	40400	सीमेण्ट, बजटफुट
9	17-10-2017	20000	मजदूरी भुगतान
10	18-10-2017	29400	निरीक्षण हेतु टेन्ट आदि।
	योग-	550640	

अतः रू0 550640.00 की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति हासमी व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज

विभाग द्वारा निर्गत पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 550640.00

प्रस्तर- 52

ग्राम पंचायत- नूरियो सराय वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत नूरियो सराय में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में धनराशि आहरण किया गया है परन्तु उससे सम्बन्धित कोई व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय नियमों से सम्बन्धित कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा क्रय नियमों का भी पालन नहीं किया गया है जिसमें सामान क्रय हेतु कोटेशन एवं टेण्डर लिये जाते हैं। केवल धनराशि आहरण कर लिया गया है तथा इनको कैशबुक के व्यय पक्ष में नहीं दिखाया गया है। विवरणः-

क्र0स0	दिनाँक	धनराशि	मद
1	24-04-17	129476	श्री साई एण्टरप्राइजेज, सीमेण्ट, रेता, बजरी, बजरफुट
2	24-04-17	110103	तदैव
3	24-04-17	122218	तदैव
4	12-06-17	40000	तदैव
5	12-06-17	30000	तदैव
6	18-07-17	142827	लाठर एवं सन्स को सी0सी0 टाईल्स
7	20-07-17	114992	तदैव
8	20-07-17	114992	तदैव
9	18-10-17	192500	प्रकाश इलैक्ट्रिक वर्क्स
	योग-	997108	

अतः रू0 997108.00 की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति नसीमा बेगम व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग द्वारा निर्गत पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 997108.00

प्रस्तर- 53

ग्राम पंचायत- मैथरा आलपुर वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मैथरा आलपुर में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में धनराशि आहरण किया गया है परन्तु उससे सम्बन्धित कोई व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय नियमों से सम्बन्धित कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा क्रय नियमों का भी पालन नहीं किया गया है जिसमें सामान क्रय हेतु कोटेशन एवं टेण्डर लिये जाते हैं। केवल धनराशि आहरण कर लिया गया है तथा इनको कैशबुक के व्यय पक्ष में नहीं दिखाया गया है। विवरणः-

क्र0स0	दिनाँक	धनराशि
1	18-04-17	92160

2	18-04-17	37980
3	18-04-17	99000
4	18-04-17	99000
	योग-	328140

अतः रू0 328140.00 की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री राजवीर व ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश कुमार से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग द्वारा निर्गत पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 328140.00

प्रस्तर- 54

ग्राम पंचायत- साकिन शोभापुर मूंजवत वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत साकिन शोभापुर मूंजवत में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में धनराशि आहरण किया गया है परन्तु उससे सम्बन्धित कोई व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय नियमों से सम्बन्धित कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा क्रय नियमों का भी पालन नहीं किया गया है जिसमें सामान क्रय हेतु कोटेशन एवं टेण्डर लिये जाते हैं। केवल धनराशि आहरण कर लिया गया है तथा इनको कैशबुक के व्यय पक्ष में नहीं दिखाया गया है। विवरणः-

क्र0स0	दिनाँक	धनराशि
1	23-06-17	46620
2	23-06-17	39024
3	23-06-17	15840
4	05-08-17	221900
5	09-08-17	98010
6	05-03-18	99255
7	28-03-18	75869
	योग-	596488

अतः रू0 596488.00 की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति रजनी व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चौधरी से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग द्वारा निर्गत पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 596488.00

प्रस्तर- 55

ग्राम पंचायत- अकबरपुर वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में कैश बुक में दिनाँक 18.04.17 को चेक संख्या-165980 द्वारा रू0 574800.00 सोलर लाइट लगवाने हेतु आहरण किया गया है। परन्तु ग्राम पंचायत

द्वारा क्रय नियमों का पालन नहीं गया है। जिसमें कार्य योजना, स्टीमेट, एम0बी0 वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं तकनीकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं लिया गया है।

अतः रू0 574800.00 की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति गुलशाना व ग्राम विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग द्वारा निर्गत पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 574800.00

प्रस्तर- 56

ग्राम पंचायत- करेली वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- पवॉसा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत करेली में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में धनराशि आहरण किया गया है परन्तु उससे सम्बन्धित कोई व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय नियमों से सम्बन्धित कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा क्रय नियमों का भी पालन नहीं किया गया है जिसमें सामान क्रय हेतु कोटेशन एवं टेण्डर लिये जाते हैं। केवल धनराशि आहरण कर लिया गया है तथा इनको कैशबुक के व्यय पक्ष में नहीं दिखाया गया है। विवरणः-

क्र0स0	दिनाँक	धनराशि
1	06-07-17	108360
2	31-08-17	12800
3	14-09-17	15000
4	20-09-17	110998
5	20-09-17	23100
6	28-09-17	149400
7	28-09-17	144576
8	03-10-17	16200
9	03-10-17	37450
10	03-10-17	28855
11	09-10-17	35700
12	09-10-17	42000
13	17-10-17	10000
14	24-10-17	15000
	योग-	749439

अतः रू0 749439.00 की धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री मित्रपाल व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग द्वारा निर्गत पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जाये।

कुल धनराशि- 749439.00

प्रस्तर- 57

ग्राम पंचायत- बनियाखेड़ा वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत बनियाखेड़ा में वर्ष 2017-18 में कैशबुक में माह अप्रैल 2017 दिनाँक 12 अप्रैल 2017 से 26.04.2017 तक कुल धनराशि रू0 540299.00 खाता सं0- 630002010000553 यू0बी0आई0 शाखा चन्दौसी से आहरित किया गया है। जो कैशबुक में आय पक्ष में दर्ज है, किन्तु कैशबुक के व्यय पक्ष में विवरण दर्ज नहीं किया गया है। उक्त आहरण के सापेक्ष व्यय से संबंधित वाउचर भी उपलब्ध नहीं कराए गये। अतः उक्त धनराशि रू0 540299.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र राम व श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमति कमलेश से की जानी अपेक्षित है।

दिनाँक	धनराशि	चेक संख्या
12-04-2017	50011	2001747
12-04-2017	97020	2001744
12-04-2017	87840	2001748
12-04-2017	41562	2001742
12-04-2017	10500	2001753
12-04-2017	46594	2001746
13-04-2017	34542	2001742
21-04-2017	16160	2001750
21-04-2017	60330	2001749
21-04-2017	51490	2001745
21-04-2017	4250	2001751
26-04-2017	40000	2001754
योग-	540299	

प्रस्तर- 58

ग्राम पंचायत बनियाखेड़ा में वर्ष 2017-18 में निम्न तिथियों में कैशबुक में सोलर लाइट पर व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष टेण्डर/कोटेशन एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। धनराशि रू0 685000.00 को मनमाने ढंग से खर्च कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र राम व श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमति कमलेश से की जानी अपेक्षित है।

दिनाँक	धनराशि	मद
01-06-2017	247500	सोलर लाइट
01-06-2017	247500	सोलर लाइट
05-08-2017	190000	सोलर लाइट
योग-	685000	

कुल धनराशि- 1225299.00

प्रस्तर- 59

ग्राम पंचायत- मिलक सिरसी वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मिलक सिरसी वर्ष 2017-18 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि प्रथम खाते से निकाली गयी धनराशि कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा निर्माण आदि कार्यो पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री आलेहसन तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश चन्द्रा से की जानी अपेक्षित है-

दिनाँक	धनराशि
23.05.2017	50000.00
23.05.2017	50000.00
23.05.2017	50000.00
योग-	**150000.00**

प्रस्तर- 60

ग्राम पंचायत मिलक सिरसी वर्ष 2017-18 कैशबुक में विभिन्न मदों में रू0 1341477.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर नहीं पाये गये। जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री आले हसन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश चन्द्रा से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1491477.00

प्रस्तर- 61

ग्राम पंचायत- रहटौल वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत रहटौल वर्ष 2017-18 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि प्रथम खाते से निकाली गयी धनराशि कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा निर्माण आदि कार्यो पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति कैलाशों तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है-

दिनाँक	धनराशि
15.12.2017	25000.00
19.12.2017	28000.00
02.01.2018	50000.00
योग-	**78000.00**

प्रस्तर- 62

ग्राम पंचायत रहटौल वर्ष 2017-18 दिनाँक 10.04.2017 से दिनाँक 02.01.2018 तक कैशबुक में विभिन्न मदों में रू0 1348276.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर नहीं पाये गये। जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति कैलाशों एवं ग्राम पंचायत सचिव

श्री नरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1426276.00

प्रस्तर- 63

ग्राम पंचायत- शहजादी सराय वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत शहजादी सराय वर्ष 2017-18 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि प्रथम खाते से निकाली गयी धनराशि कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा निर्माण आदि कार्यो पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति लता देवी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है-

दिनाँक	धनराशि
28.09.2017	25000.00
01.02.2018	20000.00
07.02.2018	80000.00
योग-	**125000.00**

प्रस्तर- 64

ग्राम पंचायत शहजादी सराय वर्ष 2017-18 कैशबुक में विभिन्न मदों में रू0 1330637.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर नहीं पाये गये। जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति लता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1455637.00

प्रस्तर- 65

ग्राम पंचायत- मिठौली वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मिठौली वर्ष 2017-18 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि प्रथम खाते से निकाली गयी धनराशि कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा निर्माण आदि कार्यो पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम किशोर शर्मा तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है-

दिनाँक	धनराशि
01.06.2017	30000.00
01.06.2017	128350.00
03.06.2017	20000.00
योग-	**178350.00**

प्रस्तर- 66

ग्राम पंचायत मिठौली वर्ष 2017-18 दिनाँक 09.05.2017 से दिनाँक 01.07.2017 तक कैशबुक में विभिन्न मदों में रू0 757833.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर नहीं पाये गये। जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क)

के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम किशोर शर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 936183.00

प्रस्तर- 67

ग्राम पंचायत- बारीपुर भमरौआ वर्ष 2017-18 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत बारीपुर भमरौआ वर्ष 2017-18 निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि प्रथम खाते से निकाली गयी धनराशि कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा निर्माण आदि कार्यो पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भूरा तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है-

दिनाँक	धनराशि
07.04.2017	40000.00
07.04.2017	40000.00
योग-	**80000.00**

प्रस्तर- 68

ग्राम पंचायत बारीपुर भमरौआ वर्ष 2017-18 दिनाँक 07.04.2017 से दिनाँक 17.04.2017 तक कैशबुक में विभिन्न मदों में रू0 642000.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर नहीं पाये गये। जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भूरा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 722000.00

जनपद- फतेहपुर मण्डल -प्रयागराज

प्रारूप-04

<u>प्रस्तर-01</u>

ग्राम पंचायत- मथैयापुर विकास खण्ड- भिटौरा वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 18-10-2021 को बिल नम्बर 111 द्वारा एम०एफ० इण्टरप्राइजेज को राकेश यादव के घर से नाला पुलिया तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु इंटरलाकिंग ईंट हेतु 7685.00 X 30.9/ ईंट की दर से रूपया 237466.50 का भुगतान दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के द्वारा मूल व्यय प्रमाणक व टेंडर /कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके लिए प्रधान अवधेष कुमार व ग्राम विकास अधिकारी प्रवीन कुमार उत्तरदायी है। ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 8(क) में दी गई व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए समान रूप से रूपया 237466.50 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-02

ग्राम पंचायत -नरौली बुजुर्ग विकास खण्ड- भिटौरा वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

आलोच्य वर्ष में कोषवही ग्रामनिधि- प्रथम के अनुसार राज्य वित्त एवं 15 वां वित्त आयोग मद में प्रारम्भिक अवशेष 601114.00 वर्ष में प्राप्त कुल धनराशि 971302.00 वर्ष में कुल उपभोग/ व्यय धनराशि 0.00 के उपरान्त वर्षान्त दिनांक 31-03-2022 को अन्तिम अवशेष धनराशि 1572416.25 दर्शित रही, जिसके सम्बन्ध में जांच में पाया गया कि वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत को राज्यवित्त एवं 15 वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि कुल 1572416.25 के सापेक्ष कोई उपभोग नहीं किया गया है। शेष धनराशि कुल 1572416.25 जिसका न तो उपभोग ही किया गया है और न ही धनराशि शासन /राज्य फण्ड में वापस की गयी तथा इकाई द्वारा कार्य योजनाओं को समय से क्रियान्वयन नहीं किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम संख्या 212(5) के अनुसार अनुदान किस्त के अवमुक्त होने के पूर्व स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, जो कि नहीं किया गया। इस प्रकार इकाई स्तर पर कार्य योजनाओं का समय से क्रियान्वयन न करके तथा शासकीय अनुदान धनराशि उपभोग न करके अथवा शासन/ राज्य फण्ड में वापस न करके वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेश वर्मा व प्रधान श्री बुद्धू उत्तरदायी है, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं |

प्रस्तर-03

ग्राम पंचायत -कंसाही विकास खण्ड- देवमई वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में कोषवही ग्रामनिधि- प्रथम के अनुसार राज्य वित्त एवं 15 वां वित्त आयोग मद में प्रारम्भिक अवशेष कुल रूपया 1024272.61, वर्ष में प्राप्त अनुदान धनराशि कुल रूपया 723113.00, इस प्रकार कुल प्राप्त अनुदान धनराशि रूपया 1747385.61 के सापेक्ष, समीक्ष्य वर्ष में कुल उपभोग/ व्यय की गयी धनराशि मात्र रूपया 36250.00 के उपरान्त वर्षान्त में दिनांक 31-03-2022 को अन्तिम अवशेष धनराशि कुल रूपया 1711135.61 अवशेष दर्शित रही। जिसका योजना/ मदवार विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	योजना/ मद का नाम	प्रारम्भिक अवशेष धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति: प्राप्त ब्याज की धनराशि घटाने के उपरांत आपत्ति में सन्निहित धनराशि
01	राज्य वित्त आयोग	581643.61	342141.00	27250.00	896534.61	896534.61 - 18918.00 = 877616.61

02	15 वां वित्त आयोग	442629.00	380972.00	9000.00	814601.00	814601.00 - 10833.00 = 803718.00
	कुल योग	1024272.61	723113.00	36250.00	1711135.61	1711135.61 - 29801 = 1681334.61

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत को राज्य वित्त एवं 15 वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि कुल रूपया 1717584.61 (1747385.61 प्राप्त व्याज रूपया 29801.00) के सापेक्ष, कुल रूपया 36250.00 का ही उपभोग किया गया है। इस प्रकार वर्षान्त में दिनांक 31-03-2022 को अवशेष अनुदान धनराशि कुल रूपया 1681334.61 (1711135.61- 29801.00) बैंक खाते में अवशेष रही। जिसका उपभोग ग्राम पंचायत द्वारा विकास सम्बंधी विभिन्न कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन में नहीं किया गया, और न ही यह अनुदान-धनराशि नियमानुसार शासन/ राज्य फण्ड में वापस की गयी। इस प्रकार इकाई स्तर पर शासकीय अनुदान धनराशि का उपभोग कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन में न करके, अथवा शासन / राज्य फण्ड में वापस न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जबकि उक्त के परिप्रेक्ष्य में सामान्य वित्तीय नियम-2005 के नियम सं0 212(5) के अनुसार अनुदान किस्त के अवमुक्त होने के पूर्व स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जो कि नहीं किया गया। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री लक्ष्मी कान्त व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री अशोक गौतम एवं संदीप कुमार आदि संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतएव इस प्रति प्रशासनिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही अपेक्षित हैं |

<u>प्रस्तर-04</u>

ग्राम पंचायत- गोपालपुर विकास खण्ड- धाता वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

वर्ष 21-22 में मनरेगा में दिनांक 21-12-21 को नहर पटरी से भानु प्रताप सिंह बाग तक मिट्टी पुराई कार्य में रूपया 47940.00 का व्यय दर्शित है। किंतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में वाउचर न उपलब्ध कराये जाने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से किये जाने के नियम का उल्लेख है। अतः रूपया 47940.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मिसरील व श्री राम बाबू मौर्य ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किये जाने लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-05</u>

ग्राम पंचायत- बेलवा विकास खण्ड- धाता वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

वर्ष 21-22 में मनरेगा में दिनांक 24-07-21 को जूनियर हाई स्कूल काली तालाब में वृक्षारोपण कार्य में रूपया 25908.00 का व्यय दर्शित है। किंतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में वाउचर न उपलब्ध कराये जाने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से किये जाने के नियम का उल्लेख है। अतः रूपया 25908.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री भद्रसेन व श्री राम बाबू मौर्य ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किये जाने लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-06

ग्राम पंचायत- हरियापुर विकास खण्ड- बहुआ वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में कोषवही ग्रामनिधि- प्रथम के अनुसार राज्य वित्त एवं 15 वां वित्त आयोग मद में प्रारम्भिक अवशेष कुल रूपया 738447.00, वर्ष में प्राप्त अनुदान धनराशि कुल रूपया 2062573.00 के सापेक्ष वर्ष में कुल उपभोग/ व्यय की गयी धनराशि कुल रूपया 617824.00 के उपरान्त वर्षान्त में दिनांक 31-03-2022 को अन्तिम अवशेष धनराशि कुल रूपया 1444749.00 खाते में अवशेष दर्शित रही। जिसका न तो उपभोग किया गया और न ही यह अनुदान-धनराशि नियमानुसार शासन /राज्य फण्ड में वापस की गयी तथा इकाई द्वारा कार्ययोजनाओं का समय से क्रियान्वयन नही किया गया है। जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य वित्तीय नियम-2005 नियम सं.212(5) के अनुसार अनुदान किस्त के अवमुक्त होने के पूर्व स्थानीय निकाय के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जो कि नही किया गया। इस प्रकार इकाई स्तर पर कार्ययोजनाओं का समय से क्रियान्वयन न करके तथा शासकीय अनुदान धनराशि का उपभोग न करके, अथवा शासन /राज्य फण्ड में वापस न करके, इकाई स्तर पर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री राजेश कुमार व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री नीरज सिंह उत्तरदायी है। अतएव प्रकरण उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-07

ग्राम पंचायत- ओझी खरगसेनपुर मयभदवा विकास खण्ड- तेलियानी वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

ग्राम पंचायत ओझी खरग सेनपुर मयभदवा में वर्ष 2021-22 की 15 वें वित्त आयोग की लेखा परीक्षा के दौरान दिनांक 30-10-21 को क्रमशः रूपया 6100.00, रूपया 6450.00 एवं रूपया 3150.00 हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान श्री सुरेश मिस्त्री पुत्र श्री राम लाल को दर्शाया गया है। इसी प्रकार दिनांक 30-10-21 को हैण्ड पम्प सामग्री पर भुगतान रूपया 13120.00 दिनांक 01-11-21 को हैण्ड पम्प सामग्री पर भुगतान रूपया 5852.50 एवं रूपया 13598.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में उक्त तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर रूपया 15700.00 एवं सामग्री पर कुल रूपया 32570.00 सम्पूर्ण व्यय रूपया 48270.00 दर्शित है। कैश बुक में वाउचरों की संख्या का उल्लेख नहीं है केवल दिनांक कर व्यय खारिज किया गया है। लेखा परीक्षा में व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख तथा वाउचर, बिल /कैश मेमो उपलब्ध नहीं पाये गये। जिनके अभावों में शेष बही में उक्त मद में दर्शित भुगतान की धनराशि कुल रूपया 48270.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 8 (क) में दी गई व्यवस्था के अनुसार कुल धनराशि का रूपया 48270.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती दुर्गावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश पटेल से समान रूप 50-50 प्रतिशत वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-08

ग्राम पंचायत- नरौली खुर्द विकास खण्ड- हथगाम वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

कार्यालय ज्ञाप संख्या.4892/33-1-222/99-टी0सी0-III दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में ''विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के न उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम,1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।'' ''आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।''

आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत नरौलीखुर्द के ग्राम निधि प्रथम/ और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई- ग्राम स्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग (एस0एफ0सी0)/ वित्त आयोग (एफ0एफ0सी0) मद में उपभोग/ व्यय रूपया 2341130.00 दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर/ अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि में ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध /व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई। परंतु सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक-कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम०बी०, बिल /बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टैंडर कोटेशन पत्रावली, मानदेय रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, कोष बही आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। आगे इस बिन्दु के अनुसार ''यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री बुध्धू तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी **श्री सुरेश वर्मा** से संयुक्त रूप से की जाएगी''।

नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि 2341130.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री बुध्धू और सचिव **श्री सुरेश वर्मा** से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-09</u>

ग्राम पंचायत -बरूहा विकास खण्ड -अशोथर वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

क्र0 स0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
01	इंटर लाकिंग मुन्ना के बाड़ा से सी.सी. रोड तक आर्यन इन्टरप्राइजेज	01-05-21	370680.00

	आर्यन इन्टरप्राइजेज	07-05-21	61200.00
	योग		431880.00

उपरोक्तानुसार कराए कार्यों एवं दर्शित व्यय भुगतान कुल रूपया 431880.00 कि पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियों व्यय प्रमाण, कैश मेमो /बिल बाउचर्स व मस्टर रोल तथा कार्य योजना अनुमानित व्यय प्रक्कलन, सक्षम अधिकारी से वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेसन /टेंडर, माप पुस्तिका, फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा से जांच /समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि केवल निर्माण सामग्री क्रय /भुगतान होना कोषबही में दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में मजदूरी भुगतान समीक्ष वर्ष मे नहीं हुआ है। बिना मजदूरी के कोई भी निर्माण कार्य होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में क्रय सामग्री पर दर्शित व्यय भुगतान कि धनराशि कुल रुपया संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होता है। अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, पंचायत राज नियम 152 से 156 तक कि कार्यवाही कि पुष्टि अभिलेखों से कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ''लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा-8(क)'' में दी गयी व्यवस्था में सम्पूर्ण धनराशि रुपया 431880.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवीन्द्र नाथ कुशवाहा व ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सचिन कुमार सिंह समान रूप से कि जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-10</u> ग्राम पंचायत -बरूहा विकास खण्ड -अशोथर जनपद- फतेहपुर

क्र0 स0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
02	विद्यालय हेतु कुर्सी मेज- संजय मशीनरी स्टोर संजय मशीनरी स्टोर	10-05-21 14-10-21	78000.00 111300.00
	योग		189300.00

आलोच्य वर्ष 2021-22 में कोषवही ग्राम निधि-प्रथम के अनुसार राज्य वित /15 वॉ वित्त आयोग मद से विद्यालय हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 189300.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त कि पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख व्यय प्रमाणक कैश मेमो /बिल बाउचर, विद्यालय दवारा मांग पत्र, टैंडर /कोटेशन, स्टॉक रजिस्टर (विद्यालय द्वारा प्रमाणित स्टॉक रजिस्टर), सक्षम अधिकारी द्वारा क्रय आदेश (शासनदेश) कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा जांच /समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय भुगतान कि राशि कि पुष्टि नहीं कि जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ''लेखा मैनुअल पृष्ट संख्या 36 के पैरा-8(क)'' में दी गयी व्यवस्था में सम्पूर्ण धनराशि रुपया 189300.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवीन्द्र नाथ कुशवाहा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णावती व ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सचिन कुमार सिंह समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-11</u> ग्राम पंचायत -बरूहा विकास खण्ड -अशोथर जनपद- फतेहपुर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में कोषबही ग्राम निधि-प्रथम के अनुसार राज्य वित्त /15 वॉ वित्त आयोग मद से दिनांक 07-05-2021 हैन्ड पम्प मरम्मत रुपया 39580.00 तथा दिनांक 25-05-2021 हैन्ड पम्प रिबोर रुपया 48978.00 इस प्रकार कुल रुपया 88558.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त कि पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक, कैश मेमो /बिल बाउचर, खराब हैन्ड पंपों कि स्थलवार सूची अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी. फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा संबंधी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान कि धनराशि के औचित्य कि पुष्टि नहीं कि जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ''लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा-8(क)'' में दी गयी व्यवस्था में सम्पूर्ण धनराशि रुपया 88558.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवीन्द्र नाथ कुशवाहा व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सचिन कुमार सिंह समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-12</u> ग्राम पंचायत -बरूहा विकास खण्ड -अशोथर जनपद- फतेहपुर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में कोषबही ग्राम निधि-प्रथम के अनुसार राज्य वित्त /15 वॉ वित्त आयोग मद से दिनांक 07-05-2021 को रुपया 21340.00 कोविड रोकथाम हेतु किट व दिनांक 06-07-2021 को रुपया 27000.00 सामुदायिक शौचालय रख रखाव तथा दिनांक 13-10-2021 की रुपया 6000.00 इस प्रकार कुल रुपया 54340.00 भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। उक्त कि पुष्टि में कैशमेमो /बिल बाउचर व मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा जांच /समीक्षा प्रस्तुत नहीं किये गए। सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ''लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा-8(क)'' में दी गयी व्यवस्था में सम्पूर्ण धनराशि रुपया 54340.00 की गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवीन्द्र नाथ कुशवाहा व ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सचिन कुमार सिंह समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-13</u>

ग्राम पंचायत -गोहरार विकास खण्ड -अमौली वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।'' ग्राम पंचायत गोहरारी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नाकित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक /पुष्टि प्रमाणक तथा अन्य पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

क्र0 स0	वा.सं./दिनांक	कार्य विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म /मिस्त्री	व्यय धनराशि
01	13/25-05-2025	ह्युम पाइप क्रय	हिन्दुस्तान आर.सी.सी.	75347.00
			योग	75347.00

वर्ष 2021-22 दिनांक 25-05-2021 को हिन्दुस्तान आर.सी.सी. से रुपया 75347.00 ह्युम पाइप खरीद पर व्यय किये गए है लेकिन इस ह्युम पाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य रुपया /कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने के संदिग्ध होने कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में ह्युम पाइप का उपयोग हुआ है अस्पष्ट रहा। दुसरे शब्दों में कार्य के स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध नहीं कराये गए है।

ह्युम पाइप खरीद के सापेक्ष क्रय के बिल बाउचर तथा पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपया 75347.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256(2) के उपनियम-1(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु'' लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क), पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार वसूली योग्य है जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि ''यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी'' के अंतर्गत प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द व प्रधान श्रीमती तारावतीसे बराबर- बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-14</u>-

ग्राम पंचायत -नसेनिया विकास खण्ड -अमौली वर्ष-2021-22 जनपद-फतेहपुर

आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार केन्द्रीय वित्त /15वाँ वित्त आयोग मद से निम्न विवरणानुसार रुपया 107845.00 व्यय-भुगतान दर्शित है-

क्र 0स 0	वा.सं./दिनांक	कार्य विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म /मिस्त्री	व्यय धनराशि
01	32/10-01-2022	ब्रहमदत्त के घर से कोटेदार के घर तक आर.सी.सी. हेतु सामग्री क्रय	में.डी.सी.ट्रेडर्स	107845.00
			योग	107845.00

आलोच्य वर्ष में कैशबुक /बैंक अकाउंट के अनुसार केन्द्रीय वित्त /15 वां वित्त आयोग मद से ब्रह्मदत्त के घर से कोटेदार के घर तक आर.सी.सी. हेतु सामग्री क्रय हेतु रुपया 107845.00 का व्यय दर्शित है परन्तु उक्त निर्माण कार्य के लिए कैशबुक में कोई मजदूरी भुगतान दर्ज नहीं है। जिसके बिना निर्माण कार्य संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना मजदूरी भुगतान के कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित नि. कार्य व व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रुपया 107845.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। उक्त कार्य के सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख यथा: व्यय प्रमाणक- कैशमेमो /बिल-वाउचर्स, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम0बी0, कोटेशन /टेंडर फोटोग्राफ व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा स्टॉक लेखा आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच समीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जबकि पं0 राज नियम-152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु उक्त अभिलेख आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में ''लेखा मैनुअल पृष्ठ सं0- 36 के पैरा-8 (क)'' में दी गयी व्यवस्थानुसार धनराशि को गबन मानते हुए जाचोपरांत इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीरा देवी व सचिव श्री अतुल कुमार से सामान रूप से की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-15</u>

ग्राम पंचायत -पनेरू विकास खण्ड -अमौली वर्ष-2021-22 जनपद-फतेहपुर

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।'' ग्राम पंचायत पनेरुआ की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय (हैण्ड पम्प मरम्मत /रिबोर) के सापेक्ष व्यय प्रमाणक /पुष्टि प्रमाणक तथा अन्य पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

क्र0 स0	दिनांक	कार्य विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म /मिस्त्री	व्यय धनराशि
1	27-07-2021	हैंडपंप मरम्मत मजदूरी	प्रदीप कुमार	20250.00
2	27-07-2021	हैंडपंप मरम्मत सामग्री	वर्मा मशीनरी स्टोर	39850.00
3	30-09-2021	हैंडपंप रिबोर मजदूरी, अरुण तिवारी के दरवाजे	प्रदीप कुमार	5900.00
4	30-09-2021	हैंडपंप रिबोर सामग्री, अरुण तिवारी के दरवाजे	वर्मा मशीनरी स्टोर	22750.00
5	30-09-2021	हैंडपंप रिबोर मजदूरी, अरुण तिवारी के दरवाजे	प्रदीप कुमार	18893.00
6	30-09-2021	हैंडपंप रिबोर मजदूरी, गंगाराम पाल के दरवाजे	प्रदीप कुमार	5900.00

7	30-09-2021	हैंडपंप रिबोर मजदूरी, गंगाराम पाल के दरवाजे	प्रदीप कुमार	19690.00
8	30-09-2021	हैंडपंप रिबोर सामग्री, गंगाराम पाल के दरवाजे	वर्मा मशीनरी स्टोर	23950.00
9	13-01-2022	हैंडपंप रिबोर मजदूरी, चंद्रपाल के दरवाजे	प्रदीप कुमार	19617.00
10	13-01-2022	हैंडपंप रिबोर सामग्री, चंद्रपाल के दरवाजे	वर्मा मशीनरी स्टोर	23045.00
11	13-01-2022	हैंडपंप रिबोर मजदूरी, चंद्रपाल के दरवाजे	प्रदीप कुमार	5400.00
12	13-01-2022	हैंडपंप मरम्मत मजदूरी	प्रदीप कुमार	10000.00
13	13-01-2022	हैंडपंप मरम्मत सामग्री	वर्मा मशीनरी स्टोर	40160.00
14	13-01-2022	हैंडपंप मरम्मत मजदूरी	प्रदीप कुमार	14000.00
			योग	269405.00

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 269405.00 का व्यय प्रमाणक सम्बंधित अभिलेख तथा सम्बंधित कार्य पत्रावलियां-खराब हैण्ड पम्पो की स्थलवार सूची व प्रार्थना पत्र, जल प्रबंध समिति की स्वीकृति अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, एम.बी.तीनों स्तर के फोटो ग्राफ्स व कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा रजिस्टर /डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए।

स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प कार्य मरम्मत को बिना प्राक्कलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र व अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है तथा नियम-157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी /विशेषज्ञ द्वारा कार्य कि नाप जोख /माप किया जाना आवश्यक है तथा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर /व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अरविन्द पटेल से की जायेगी।''

इस प्रकार स्पष्ट है की नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त धनराशि रुपया 269405.00 का ग्रामनिधि प्रथम से भुगतान /अपहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया

269405.00 की उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अरविन्द पटेल से नियमानुसार वसूली /नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>प्रस्तर-16</u>

ग्रामपंचायत -हसनपुर देवरी विकासखण् अमौली वर्ष-2021-22जनपद- फतेहपुर

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- ''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।'' ग्राम पंचायत हसनपुर देवरी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय (हैंडपंप रिबोर) के सापेक्ष व्यय प्रमाणक /पुष्टि प्रमाणक तथा अन्य पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

क्र0 स0	दिनांक	कार्य विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म /मिस्त्री	व्यय धनराशि
1	24-01-2022	हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय अरविन्द द्विवेदी के घर के पास	यादव ट्रेडर्स एंड सप्लायर	30144.00
2	09-02-2022	हैंडपंप रिबोर मजदूरी अरविन्द द्विवेदी के घर के पास	वर्मा मशीनरी स्टोर	16200.00
		योग		46344.00

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 46344.00 का व्यय प्रमाणक सम्बंधित अभिलेख तथा सम्बंधित कार्य पत्रावलियां खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची व प्रार्थना पत्र, जल प्रबंध समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., तीनों स्तर के फोटोग्राफ्स व कार्यपूर्ती प्रमाण-पत्र तथा खराब व क्रय सामग्री के लेखा रजिस्टर /डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए।

स्पष्ट है कि हैंडपंप कार्य मरम्मत को बिना प्राकलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र व अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है तथा नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/ विशेषज्ञ द्वारा कार्य कि नाप जोख /माप किया जाना आवश्यक है तथा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर /व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए

इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमतीगीता तथा श्री ललित कुमार सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।''

इस प्रकार स्पष्ट है की नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त धनराशि रुपया 46344.00 का ग्राम निधि-प्रथम से भुगतान /अपहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 46344.00 की उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमतीगीता तथा श्री ललित कुमार सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से नियमानुसार वसूली / नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>प्रस्तर-17</u>

ग्राम पंचायत -चकभुनगापुर विकास खण्ड -हथगाम वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में ''विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम-1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।'' आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए''।

आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत चकभुनगापुर के ग्राम निधि प्रथम / और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई- ग्राम स्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) /वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) मद में उपभोग/ व्यय रुपया 1812825.00 दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर /अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि में ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध /व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई। परंतु सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम०बी०, बिल /बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, मानदेय रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, कोष बही आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। आगे इस बिन्दु के अनुसार ''यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली श्री अर्जुन प्रधान ग्राम पंचायत तथा श्री अश्विन कुमार सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी''।

नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्री अर्जुन ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव श्री अश्विन कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली श्री अर्जुन ग्राम प्रधान और श्री अश्विन कुमार सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

ग्राम पंचायत -दंदवा विकास खण्ड -हथगाम वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- ''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।'' ग्राम पंचायत दंदवा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय (हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर) के सापेक्ष व्यय प्रमाणक /पुष्टि प्रमाणक तथा अन्य पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

क्र0 स0	वा.सं./दिनांक	कार्य विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म /मिस्त्री	व्यय धनराशि
1	4/ 23-07-2021	हैंडपंप मरम्मत मजदूरी	सत्यम	10600.00
2	5/ 28-07-2021	हैंडपंप मरम्मत सामग्री	फौजी हार्ड वेयर स्टोर	18500.00
		योग		29100.00

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 29100.00 का व्यय प्रमाणक सम्बंधित अभिलेख तथा सम्बंधित कार्य पत्रावलियां खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची व प्रार्थना पत्र, जल प्रबंध समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., तीनों स्तर के फोटोग्राफ्स व कार्यपूर्ती प्रमाण-पत्र तथा खराब व क्रय सामग्री के लेखा रजिस्टर /डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए।

स्पष्ट है कि हैंडपंप कार्य मरम्मत को बिना प्राकलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र व अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है तथा नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/ विशेषज्ञ द्वारा कार्य कि नाप जोख /माप किया जाना आवश्यक है तथा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर /व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए

इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमतीबासदेयी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री हीरालाल से की जायेगी।"

इस प्रकार स्पष्ट है की नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त धनराशि रुपया 29100.00 का ग्राम निधि-प्रथम से भुगतान /अपहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 29100.00 की उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमतीबासदेयी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री हीरालाल से नियमानुसार वसूली / नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है|

प्रस्तर-19

ग्राम पंचायत -लोधौरा विकास खण्ड -विजयीपुर वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" ग्राम पंचायत लोधौरा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय (हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर) के सापेक्ष व्यय प्रमाणक /पुष्टि प्रमाणक तथा अन्य पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

क्र0 स0	वा.सं./दिनांक	कार्य विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म /मिस्त्री	व्यय धनराशि
1	6/ 16-08-2021	हैंडपंप रिबोर मजदूरी ओम प्रकाश के दरवाजे	प्रदीप कुमार मौर्या	17947.00
2	2/ 16-08-2021	हैंडपंप रिबोर सामग्री, ओम प्रकाश के दरवाजे	मौर्या हार्डवेयर एंड मशीनरी स्टोर	31100.00
3	3/ 16-08-2021	हैंडपंप रिबोर मजदूरी, जितेन्द्र के घर के पास	सुरेश चन्द्र	18569.00
4	4/ 16-08-2021	हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय, जितेन्द्र के घर के पास	मौर्या हार्डवेयर एंड मशीनरी स्टोर	30836.00
5	5/ 16-08-2021	हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय, प्रा.वि.में	मौर्या हार्डवेयर एंड मशीनरी स्टोर	29047.00
6	7/ 16-08-2021	हैंडपंप रिबोर मजदूरी प्रा.वि.में	सुरेश चंद्र	17947.00
7	8/ 09-09-2021	हैंडपंप मरम्मत कार्य सामग्री	मौर्या हार्डवेयर एंड मशीनरी स्टोर	47600.00
8	9/ 09-09-2021	हैंडपंप मरम्मत कार्य मजदूरी	रमेश चंद्र	11500.00
9	10/ 27-09-2021	हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय किशोर पाल के दरवाजे	मौर्या हार्डवेयर एंड मशीनरी स्टोर	30153.00
10	11/ 27-09-2021	हैंडपंप रिबोर मजदूरी किशोर पाल के दरवाजे	सुरेश चंद्र	18569.00
11	2/ 29-09-2021	हैण्डपंप रिबोर सामग्री क्रय सुनील शुक्ल के दरवाजे	मौर्या हार्डवेयर एंड मशीनरी स्टोर	29460.00

12	3/ 29-09-2021	हैण्डपंप रिबोर मजदूरी सुनील शुक्ल के दरवाजे	रमेश चन्द्र	18258.00
		योग		300986.00

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 300986.00 का व्यय प्रमाणक सम्बंधित अभिलेख तथा सम्बंधित कार्य पत्रावलियां खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची व प्रार्थना पत्र, जल प्रबंध समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., तीनों स्तर के फोटोग्राफ्स व कार्यपूर्ती प्रमाण-पत्र तथा खराब व क्रय सामग्री के लेखा रजिस्टर /डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए।

स्पष्ट है कि हैंडपंप कार्य मरम्मत को बिना प्राकलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र व अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है तथा नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/ विशेषज्ञ द्वारा कार्य कि नाप जोख /माप किया जाना आवश्यक है तथा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर /व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीतू देवी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री ब्रिजेन्द्र सिंह से की जायेगी।"

इस प्रकार स्पष्ट है की नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त धनराशि रुपया 300986.00 का ग्राम निधि-प्रथम से भुगतान /अपहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 300986.00 की उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमती रीतू देवी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री ब्रिजेन्द्र सिंह से नियमानुसार वसूली / नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है|

<u>प्रस्तर-20</u>

ग्राम पंचायत -दरियामऊ विकास खण्ड -विजयीपुर वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के न उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम-1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के

अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए''।

आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत दरियामऊ के ग्राम निधि प्रथम / और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई- ग्राम स्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग(एस.एफ.सी.) /वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) मद में उपभोग/ व्यय रुपया 2662441.00 दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर /अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि में ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध /व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई। परंतु सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम०बी०, बिल /बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, मानदेय रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, कोष बही आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। आगे इस बिन्दु के अनुसार ''यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी''।

नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राधादेवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलीप कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है|

<u>प्रस्तर-21</u>

ग्राम पंचायत -भोगलपुर विकासखण्ड -विजयीपुर वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- ''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।'' ग्राम पंचायत भोगलपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय (हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर) के सापेक्ष व्यय प्रमाणक /पुष्टि प्रमाणक तथा अन्य पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

क्र0 स0	वा.सं./दिनांक	कार्य विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म /मिस्त्री	व्यय धनराशि
1	2/ 22-10-2021	हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय	जनता सेल्स एण्ड सर्विस	39900.00
2	3/ 22-10-2021	हैंडपंप मरम्मत मजदूरी	जीतू पाल	10000.00
3	5/ 18-01-2022	हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय	जनता सेल्स एण्ड सर्विस	48400.00
4	6/ 18-01-2022	हैंडपंप मरम्मत मजदूरी	जीतू पाल	10665.00
5	3/ 12-10-2021	हैंडपंप रिबोर सामग्री + मजदूरी चिप्पन बाबा के दरवाजे	जनता सेल्स एण्ड सर्विस	49900.00
6	4/ 12-10-2021	हैंडपंप रिबोर सामग्री + मजदूरी धनराज के दरवाजे	जनता सेल्स एण्ड सर्विस	49900.00
7	5/ 18-10-2021	हैंडपंप रिबोर सामग्री + मजदूरी सुल्तान के दरवाजे	जनता सेल्स एण्ड सर्विस	49900.00
8	6/ 22-10-2021	हैंडपंप रिबोर मजदूरी राम दुलारे के घर के पास	जीतू पाल	18672.00
9	7/ 22-10-2021	हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय राम दुलारे के घर के पास	जनता सेल्स एण्ड सर्विस	31827.00
		योग		309164.00

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 309164.00 का व्यय प्रमाणक सम्बंधित अभिलेख तथा सम्बंधित कार्य पत्रावलियां खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची व प्रार्थना पत्र, जल प्रबंध समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., तीनों स्तर के फोटोग्राफ्स व कार्यपूर्ती प्रमाण-पत्र तथा खराब व क्रय सामग्री के लेखा रजिस्टर /डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए।

स्पष्ट है कि हैंडपंप कार्य मरम्मत को बिना प्राक्कलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र व अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है तथा नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/ विशेषज्ञ द्वारा कार्य कि नाप जोख /माप किया जाना आवश्यक है तथा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर /व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री घनश्याम पाल तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती आकांक्षा मिश्रा से की जायेगी।''

इस प्रकार स्पष्ट है की नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त धनराशि रुपया 309164.00 का ग्राम निधि-प्रथम से भुगतान /अपहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 309164.00 की उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री घनश्याम पाल तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती आकांक्षा मिश्रा से नियमानुसार वसूली / नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है|

प्रस्तर-22

ग्राम पंचायत -बडागॉव विकास खण्ड -बहुआ वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में कोषबही ग्राम निधि-प्रथम के अनुसार- राज्य वित्त एवं 15 वॉ वित्त आयोग मद में प्रारम्भिक अवशेष कुल रूपया 1885554.95 वर्ष में प्राप्त वर्ष में प्राप्त अनुदान धनराशि कुल रूपया 4265051.00,इस प्रकार कुल प्राप्त धनराशि रूपया 6150605.95 के सापेक्ष वर्ष में कुल उपभोग/व्यय की धनराशि कुल रूपया 4998867.00 के उपरान् वर्षान्त में दिनांक 31.03.2022 को अन्तिम अवशेष धनराशि कुल रूपया 1151738.95 खाते में अवशेष दर्शित रही। जिसका न तो उपभोग किया गया और न ही यह अनुदान धनराशि नियमानुसार शासन/ राज्य फण्ड में वापस की गई। तथा ईकाई द्वारा कार्य योजनाओं का समय से क्रियान्वयन नहीं किया गया है। जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य वित्तीय नियम-2005 के नियम संख्या 212(5) के अनुसार अनुदान किस्त के अवमुक्त होने के पूर्व स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जो कि नहीं किया गया। इस प्रकार इकाई स्तर पर कार्ययोजनाओं का समय से क्रियान्वयन न करके तथा शासकीय अनुदान धनराशि का उपभोग न करके अथवा शासन/ राज्य फण्ड में वापस न करके इकाई स्तर पर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री राम बहादुर व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। अतएव प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है|

जनपद- कौशाम्बी

01- ग्राम पंचायत शानानीबी विकास खंड - चायल की वर्ष 2021-22

प्रस्तर-1- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में निम्नविवरणानुसार हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री पर व्यय रूपया 46667-00 एवं रूपया 46667-00 कैशबुक में दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

(1) दिनांक- 01.07.2021 को हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री पर भुगतान (फर्म का नाम नहीं अंकित है) रू.- 46667-00 एवं रूपया 46667-00 (कुल रुपया 93334-00) दर्शाया है

उपरोक्त उपभोग की पुष्टि में वित्तीय प्रशासानिक और तकनीकी स्वीकृति का पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा एवं हैण्डपम्प रिबोर कराये गये स्थल की सूची, लाभार्थी ग्रामवासियों का आवदेन पत्र, मरम्मत सामग्री का स्टॉक रजिस्टर, निस्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक विवरण रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गई है, जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी कुशवाहा व ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द पाण्डेय समान रूप से उत्तरदायी है।

अतः उपरोक्त के विरूध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

02- ग्राम पंचायत - तियरा जमालपुर विकास खंड मंझनपुर की वर्ष 2021-22

प्रस्तर-2- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में निम्नविवरणानुसार पंचायत भवन हेतु कुर्सी, दरी आदि क्रय पर व्यय रूपया 43250-00 कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

(1) दिनांक- 03.09.2021 को रु. 43250-00 से भुगतान ग्राम पंचायत में कुर्सी, दरी इत्यादि हेतु मे. जे.पी. इन्टरप्राइजेज को किया गया है।

(2) दिनांक- 03.09.2021 को रु. 55200-00 मे. कुशवाहा ट्रेडर्स को हैण्डपम्प सामग्री का भुगतान ।

(3) दिनांक- 03.09.2021 को रू. 15520-00 विजय बहादुर पुत्र शिवबरन को हैण्ड पम्प कार्य में मजदूरी का भुगतान।

योग- 113700-00

उपरोक्त क्रय की गई सामग्रियों के सापेक्ष बिल/बाउचर/पुष्ट प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान अनुपलब्ध रहा एवं स्टेश्नरी स्टाक रजिस्टर में क्रय की गई उपरोक्त सामग्रियों की आमद नहीं पकड़ी गई है।

उपरोक्त उपभोग की पुष्टि में वितीय प्रशासानिक और तकनीकी स्वीकृति का पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा एवं हैण्डपम्प रिबोर कराये गये स्थल की सूची, लाभार्थी ग्रामवासियों का आवदेन पत्र, मरम्मत सामग्री का स्टॉक रजिस्टर, निस्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक विवरण रजिस्टर, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र एवं व्यय प्रमाणक बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अस्तु स्पष्ट है कि उपरोक्त व्ययित धनराशि रू. 113700-00 को काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है।

अतः ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने पर ग्रामपंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। अतः रु. 113700-00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय चौधरी एवं ग्राम प्रधान श्री पप्पू पासी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

03- ग्राम पंचायत शाहपुर टिकरी विकास खंड -मंझनपुर की वर्ष 2021-22

प्रस्तर-3- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में ग्राम पंचायत में रिक्शा ट्राली/ हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान रूपया 69018-00 कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

(1) दिनांक- 22.12.2021 को रु. 21600-00 से भुगतान ग्राम पंचायत में रिक्शा ट्राली हेतु किया गया है।

(2) दिनांक- 14.02.2022 को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान रु. 4048-00

(3) दिनांक- 14.02.2022 को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान रु. 6000-00

(4) दिनांक- 14.02.2022 को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान रु. 17806-00

(5) दिनांक- 14.02.2022 को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान रु. 19564-00

योग- 69018-00

उपरोक्त क्रय की गई सामग्रियों के सापेक्ष बिल/बाउचर/पुष्ट प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान अनुपलब्ध रहा एवं स्टेश्नरी स्टाक रजिस्टर में क्रय की गई उपरोक्त सामग्रियों की आमद नहीं पकड़ी गई है।

उपरोक्त उपभोग की पुष्टि में वितीय प्रशासानिक और तकनीकी स्वीकृति का पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा एवं हैण्डपम्प रिबोर कराये गये स्थल की सूची, लाभार्थी ग्रामवासियों का आवदेन पत्र, मरम्मत सामग्री का स्टॉक रजिस्टर, निस्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक विवरण रजिस्टर, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र एवं व्यय प्रमाणक बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अस्तु स्पष्ट है कि उपरोक्त व्ययित धनराशि रू. 69018-00 को काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है।

अतः ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने पर ग्रामपंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। अतः रु. 69018-00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

04 ग्राम पंचायत बरौलहा विकास खंड - मंझनपुर की वर्ष 2021-22

प्रस्तर-4- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान रूपया 47860-00 कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

(1) दिनांक- 16.12.2021 को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री मे.कमल मशीनरी स्टोर को भुगतान रु. 47860-00

उपरोक्त उपभोग की पुष्टि में वित्तीय प्रशासानिक और तकनीकी स्वीकृति का पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा एवं हैण्डपम्प रिबोर कराये गये स्थल की सूची, लाभार्थी ग्रामवासियों का आवदेन पत्र, मरम्मत सामग्री का स्टॉक रजिस्टर, निस्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक विवरण रजिस्टर, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र एवं व्यय प्रमाणक बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अस्तु स्पष्ट है कि उपरोक्त व्ययित धनराशि रू. 47860-00 को काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है।

अतः ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने पर ग्रामपंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। अतः रु. 47860-00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आदित्य सिंह एवं ग्राम प्रधान मो. इजरायल शाह से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

05- ग्राम पंचायत सेंवथा विकास खंड - नेवादा की वर्ष 2021-22

प्रस्तर-5- आलोच्य वर्ष 2021.2022 में निम्नविवरणानुसार हैण्डपम्प रिबोर/मजदूरी पर व्यय रूपया 92852-00 कैशबुक में दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

(1) दिनांक- 30.09.2021 को प्रीतम सिंह एण्ड कम्पनी को हैण्ड रिबोर सामग्री/मजदूरी का भुगतान रू.- 46668-00

(2) दिनांक- 30.09.2021 को प्रीतम सिंह एण्ड कम्पनी को हैण्ड रिबोर सामग्री/मजदूरी का भुगतान रू.- 46184-00

योग- 92852-00

उपरोक्त उपभोग की पुष्टि में वित्तीय प्रशासानिक और तकनीकी स्वीकृति का पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा एवं हैण्डपम्प रिबोर कराये गये स्थल की सूची, लाभार्थी ग्रामवासियों का आवदेन पत्र, मरम्मत सामग्री का स्टॉक रजिस्टर, निस्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक विवरण रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गई है, जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुराग सिंह समान रूप से उत्तरदायी है।

अतः उपरोक्त के विरूध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

06- ग्राम पंचायत जरैनी विकास खंड - -नेवादा की वर्ष 2021-22

प्रस्तर-6- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में निम्नविवरणानुसार हैण्डपम्प रिबोर/मजदूरी पर व्यय रूपया 46012-00 कैशबुक में दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

(1) दिनांक- 30.09.2021 को संजय कृषि यंत्र स्टोर को हैण्ड रिबोर सामग्री/मजदूरी का भुगतान रू.- 46012-00

योग- 46012-00

उपरोक्त उपभोग की पुष्टि में वित्तीय प्रशासानिक और तकनीकी स्वीकृति का पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा एवं हैण्डपम्प रिबोर कराये गये स्थल की सूची, लाभार्थी ग्रामवासियों का आवदेन पत्र, मरम्मत सामग्री का स्टॉक रजिस्टर, निस्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक विवरण रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गई है, जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती बृजकली देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीलू कैथवास समान रूप से उत्तरदायी है।

अतः उपरोक्त के विरूध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

07 - ग्राम पंचायत जलालपुर भर्ती विकास खंड --नेवादा की वर्ष 2021-22

प्रस्तर-7- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में निम्नविवरणानुसार पंचायत भवन हेतु कुर्सी, मेज, अलमारी आदि क्रय पर व्यय रूपया 51,000-00 कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

(1) दिनांक- 03.02.2022 को विश्वकर्मा फर्नीचर उद्योग को कुर्सी, मेज, आलमारी आदि सामग्री का भुगतान रू.- 51,000-00

उपरोक्त क्रय की गई सामग्रियों के सापेक्ष बिल/बाउचर/पुष्ट प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान अनुपलब्ध रहा एवं स्टेशनरी स्टाक रजिस्टर में क्रय की गई उपरोक्त सामग्रियों की आमद नहीं पकड़ी गई है।

स्पष्ट है कि भुगतान की गई धनराशि काल्पनिक दर्शा कर रू. 51000-00 का अपहरण कर लिया गया है।

अतः ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने पर ग्रामपंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

अतः रु. . 51000-00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री बिटान से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

08- ग्राम पंचायत डहिया विकास खंड - नेवादा की वर्ष 2021-22

प्रस्तर-8- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में निम्नविवरणानुसार हैण्डपम्प रिबोर/मजदूरी पर व्यय रूपया 139071-00 कैशबुक में दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

(1) दिनांक- 14.10.2021 को दहाड़ी सिंह मशीनरी स्टोर को हैण्ड रिबोर सामग्री/मजदूरी का भुगतान रू.- 46667-00
(2) दिनांक- 14.10.2021 को दहाड़ी सिंह मशीनरी स्टोर को हैण्ड रिबोर सामग्री/मजदूरी का भुगतान रू.- 46020-00
(3) दिनांक- 14.10.2021 को दहाड़ी सिंह मशीनरी स्टोर को हैण्ड रिबोर सामग्री/मजदूरी का भुगतान रू.- 46384-00
योग- 139071-00

उपरोक्त उपभोग की पुष्टि में वित्तीय प्रशासानिक और तकनीकी स्वीकृति का पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा एवं हैण्डपम्प रिबोर कराये गये स्थल की सूची, लाभार्थी ग्रामवासियों का आवदेन पत्र, मरम्मत सामग्री का स्टॉक रजिस्टर, निस्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक विवरण रजिस्टर, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र एवं व्यय प्रमाणक बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अस्तु स्पष्ट है कि उपरोक्त व्ययित धनराशि रू. 139071-00 को काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है।

अतः ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने पर ग्रामपंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

अतः रु. 139071-00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमापति यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सोनकली से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

09- ग्राम पंचायत पदुमनाथपुर सुरसेनी विकास खंड --नेवादा की वर्ष 2021-22

प्रस्तर-9- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में निम्नविवरणानुसार हैण्डपम्प रिबोर/मजदूरी पर व्यय रूपया 92303-00 कैशबुक में दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

(1)दिनांक- 27.09.2021 को (फर्म का नाम नहीं अंकित है) हैण्ड रिबोर सामग्री/मजदूरी का भुगतान कैशबुक के अनुसार रू.- 47043-00
(2) दिनांक- 27.09.2021 को (फर्म का नाम नहीं अंकित है) हैण्ड रिबोर सामग्री/मजदूरी का भुगतान कैशबुक के अनुसार रू.- 45260-00
योग- 92303-00

उपरोक्त उपभोग की पुष्टि में वित्तीय प्रशासानिक और तकनीकी स्वीकृति का पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा एवं हैण्डपम्प रिबोर कराये गये स्थल की सूची, लाभार्थी ग्रामवासियों का आवदेन पत्र, मरम्मत सामग्री का स्टॉक रजिस्टर, निस्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक विवरण रजिस्टर, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र एवं व्यय प्रमाणक बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अस्तु स्पष्ट है कि उपरोक्त व्ययित धनराशि रू. 92303-00 को काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है।

अतः ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने पर ग्रामपंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

अतः रु. 92303-00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी मुकेश कुमार गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती स्वाती शुक्ला से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

10- ग्राम पंचायत सिंहपुर विकास खंड -- चायल की वर्ष 2021-22

प्रस्तर-10- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में निम्नविवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु सामग्री पर व्यय रूपया 19950-00 व रु. 19970-00 का भुगतान कैशबुक में दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

(1) दिनांक- 30.01.2022 को हैण्डपम्प मरम्मत कार्य का भुगतान मे. कृष्णा इंटरप्राइजेज रू.-19950-00
(2) दिनांक- 30.01.2022 को हैण्डपम्प मरम्मत कार्य का भुगतान मे. कृष्णा इंटरप्राइजेज रू.-19970-00
योग- 39920-00

उपरोक्त उपभोग की पुष्टि में वित्तीय प्रशासानिक और तकनीकी स्वीकृति का पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा एवं हैण्डपम्प रिबोर कराये गये स्थल की सूची, लाभार्थी ग्रामवासियों का आवदेन पत्र, मरम्मत सामग्री का स्टॉक रजिस्टर, निस्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक विवरण रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गई है, जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय समान रूप से उत्तरदायी है।

अतः उपरोक्त के विरूध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

11- नाम ग्राम पंचायत --- चक कोरियों पूरे फैज विकास खंड ---कड़ा जनपद---कौशाम्बी ,वर्ष 22-2021–

प्रस्तर -11-ग्राम पंचायत चक कोरियों पूरे फैज में वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग, से प्राप्त अनुदान में से कुल रूपया 484457-00 का व्यय भुगतान ऑफलाईन कोषवही के अनुसार दर्शित है। लेखा परीक्षा में ऑफलाईन कोषवही एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त शेष अन्य सभी अभिलेख यथा इस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेण्डर, कोटेशन आदि प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे कार्यों एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रधान एवं सचिव से की जाएगी ।

अत:धनराशि रूपया 484457-00 की वसूली बराबर – बराबर प्रधान श्री रणजीत सिंह से रुपया 242228.50एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजमणि भारतीया से रुपया 242228.50 तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0 रेट + 2 प्रतिशत) सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 12-ग्राम पंचायत चक कोरियों पूरे फैज में वर्ष 2021-22 में 14 वॉ /15 वॉ वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) से प्राप्त अनुदान में से कुल रूपया 358803-00 का व्यय भुगतान ऑफलाईन कोषवही के अनुसार दर्शित है। लेखा परीक्षा में ऑफलाईन कोषवही एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त शेष अन्य सभी अभिलेख यथा इस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेण्डर, कोटेशन आदि प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे कार्यों एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रधान एवं सचिव से की जाएगी ।

अत:14 वॉ /15 वॉ वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) के अंतर्गत व्यय धनराशि रूपया 358803-00 की वसूली बराबर – बराबर प्रधान श्री रणजीत सिंह से रुपया 179401.50एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजमणि भारतीया से रुपया 179401.50तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0 रेट + 2 प्रतिशत) सहित की जानी अपेक्षित है।

12- नाम ग्राम पंचायत --- ताजमल्लाहन विकास खंड ---कड़ा जनपद---कौशाम्बी ,वर्ष 2021-22

प्रस्तर 13- ग्राम पंचायत ताजमल्लाहन में वर्ष 2021-22 में 15 वॉ वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग), से निम्न विवरणानुसार ग्राम सभा में कूड़ादान अधिष्ठापनपर व्यय दर्शाया गया है। ,

क्र०	तिथि	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	26-10-21	170000-00	जे० पी० इन्टरप्राइजेज
2	30-10-21	170900-00	जे० पी० इन्टरप्राइजेज
3	28-12-21	170900-00	जे० पी० इन्टरप्राइजेज
	योग	511800-00	

उक्त कूड़ादान अधिष्ठापनपर व्यय कुल रुपया 511800-00 के व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका,वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेण्डर/ कोटेशन आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे कूड़ादान की संख्या अज्ञात रही , कार्यों एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रधान एवं सचिव से की जाएगी ।

अत:धनराशि रूपया 511800-00 की वसूली बराबर –बराबर प्रधान श्रीमती अनीता देवी से रुपया 255900-00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सरोज से रुपया 255900-00 तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0 रेट + 2 प्रतिशत) सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर14- ग्राम पंचायत ताजमल्लाहन में वर्ष 2021-22 में 5 वॉ वित्त आयोग (राज्य वित्त आयोग), से निम्न विवरणानुसार स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय दर्शाया गया है। ,

क्र०	तिथि	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	26-10-21	196500-00	जे० पी० इन्टरप्राइजेज
2	30-10-21	196500-00	जे० पी० इन्टरप्राइजेज
3	15-11-21	196500-00	जे० पी० इन्टरप्राइजेज
	योग	589500-00	

उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय कुल रुपया 589500-00 के व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेण्डर/ कोटेशन एवं विद्धुत विभाग से विद्धुत संयोजन सम्बन्धित पत्रावली आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे क्रय स्ट्रीट लाइट की संख्या व स्थान भी ज्ञात नहीं हो सका एवं व्ययों की भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि वर्ष दौरान कोष पंजिका में विद्धुत बिल भुगतान संबंधित कोई व्यय भी दर्शित नहीं है ।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रधान एवं सचिव से की जाएगी ।

अत: बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई धनराशि रूपया 589500-00 की वसूली बराबर –बराबर प्रधान श्रीमती अनीता देवी से रुपया 294750-00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सरोज से रुपया 294750-00 तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0 रेट + 2 प्रतिशत) सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर15 -ग्राम पंचायत ताजमल्लाहन की कोष पंजिका वर्ष 2021-22 के अनुसार दिनाँक 08-12-21 को 15वॉ वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) से रुपया 15620-00 मात्र प्रशासनिक कार्य पर व्यय दर्शित है । किन्तु प्रशासनिक मद के अंतर्गत क्या क्रय रहा अज्ञात रहा । प्रशासनिक मद पर व्यय रुपया15620-00 मात्र का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने से क्रय सामग्री का नाम व मात्रा अज्ञात रही । रुपया 15620-00 मात्र का भुगतान पी एफ एम एस के माध्यम से श्री राजेश कुमार के बैंक खाते में स्थानांतरित रहा जबकि प्रशासनिक व्यय की धनराशि का भुगतान फर्म के खाते में किया जाना चाहिए न कि व्यक्ति विशेष के खाते में ।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रधान एवं सचिव से की जाएगी ।

अत:बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई धनराशि रूपया 15620-00 की वसूली बराबर –बराबर प्रधान श्रीमती अनीता देवी से रुपया 7810-00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सरोज से रुपया 7810-00 तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0 रेट + 2 प्रतिशत) सहित की जानी अपेक्षित है।

13- नाम ग्राम पंचायत --- निजाममई विकास खंड ---कड़ा जनपद---कौशाम्बी ,वर्ष 22-2021–

प्रस्तर -16-सामग्री का अनुपात पी० डब्लू० डी० नार्म (33 :67) के अनुसार नहीं रखा गया है स्पष्ट है कि सामग्री में व्यय कि गई धनराशि को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया गया है,साथ ही इस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल ,एम0बी0, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेण्डर / कोटेशन आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे कार्यों एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०	तिथि	व्यय विवरण	श्रम	सामग्री	योग	श्रम:सामग्री
अ	**पूर्वमा०वि० निजाममई का सौंदरीकरण मरम्मत कार्य**					
1	02-9-21	श्रमिकों को भुगतान	**17024-00**	**-**	**17024-00**	

2	02-9-21	**श्री कृष्णा ईट उद्योग को भुगतान**	**-**	**20944-00**	**20944-00**	
3	02-9-21	**न्यूभारत ईट उद्योग को भुगतान**	**-**	**34195-00**	**34195-00**	
4	02-9-21	**शिवाजी ट्रेडर्स को भुगतान**	**-**	**29553-00**	**29553-00**	
		योग	**17024-00**	**84692-00**	**101716-00**	**17:83**
ब	**करमअली के घर से राजू के घर तक इंटरलाकीग निर्माण कार्य**					
1	26-3-22	जौहर इन्टरप्राइजेज को भुगतान	**-**	**98478-00**	**98478-00**	
2	26-3-22	श्रमिकों को भुगतान	**17024-00**	**-**	**17024-00**	
		योग	**17024-00**	**98478-00**	**115502-00**	**15 :85**
		महायोग			**217218-00**	

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रधान एवं सचिव से की जाएगी ।

अतः पी 0डब्लू 0डी 0नार्म के अनुसार श्रम एवं सामग्री पर व्यय न करके मनमाने ढंग सेअधिक बढ़ा चढ़ा कर व्यय कि गई धनराशि की वसूली एवं तत् - क्रम मे बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय दर्शित कि गई सम्पूर्ण धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

अत:धनराशि रूपया 217218-00 की वसूली बराबर - बराबर प्रधान श्रीमती रुबीना बेगम से रुपया 108609-00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वसीम अहमद से रुपया 108609-00 तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0 रेट + 2 प्रतिशत) सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 17-ग्राम पंचायत निजाममई में वर्ष 2021-22 में 15 वॉ वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) , से निम्न कार्यों में व्यय पर श्रम व सामग्री का अनुपात पी० डब्लू० डी० नार्म (33 :67) के अनुसार नहीं रखा गया है स्पष्ट है कि सामग्री में व्यय कि गई धनराशि को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया गया है,साथ ही इस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल ,एम0बी0, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेण्डर, कोटेशन आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे कार्यों एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०	तिथि	व्यय विवरण	श्रम	सामग्री	योग	श्रम:सामग्री
अ	**प्रकाश के घर से विश्वनाथ के घर तक इंटरलाकीग निर्माण कार्य**					
1	30-8-21	**जय मॉ वैष्णो ट्रेडर्स को भुगतान**	**-**	**48303-00**	**48303-00**	
2	30-8-21	**जय मॉ वैष्णो ट्रेडर्स को भुगतान**	**-**	**56672-00**	**56672-00**	
3	30-8-21	श्रमिकों को भुगतान	**18216-00**	**-**	**18216-00**	
		योग	**18216-00**	**104975-00**	**123191-00**	**15:85**
ब	**मस्जिद से समीम के घर तक इंटरलाकीग नाली निर्माण कार्य**					
1	10-9-21	श्रमिकों को भुगतान	**21276-00**	**-**	**21276-00**	
2	10-9-21	**श्री कृष्णा ईटउ द्योग को भुगतान**	**-**	**78848-00**	**78848-00**	
3	10-9-21	**न्यूभारत ईट उद्योग को भुगतान**	**-**	**30857-00**	**30857-00**	
4	10-9-21	**शिवाजी ट्रेडर्स को भुगतान**	**-**	**24904-00**	**24904-00**	
		योग	**21276-00**	**134609-00**	**155885-00**	
		महायोग			**279076-00**	

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रधान एवं सचिव से की जाएगी ।

अतः पी 0डब्लू 0डी 0नार्म के अनुसारश्रम एवं सामग्री पर व्यय न करके मनमाने ढंग सेअधिक बढ़ा चढ़ा कर व्यय कि गई धनराशि की वसूली एवं तत् - क्रम मे बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय दर्शित कि गई सम्पूर्ण धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

अत:धनराशि रूपया 279076-00 की वसूली बराबर - बराबर प्रधान श्रीमती रुबीना बेगम से रुपया 139538-00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वसीम अहमद से रुपया 139538-00 तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0 रेट से वसूल किया जाना अपेक्षित है |

14- नाम ग्राम पंचायत --- लोंहदा विकास खंड ---कड़ा जनपद---कौशाम्बी ,वर्ष22-2021–

प्रस्तर18- ग्राम पंचायत लोंहदा में वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग, से व्यय "पुराइन के घर से विजय के घर तक इंटरलाकीग कार्य" पर श्रम व सामग्री का अनुपात पी० डब्लू० डी० नार्म (33 :67) के अनुसार नहीं रखा गया है ,साथ ही इस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल ,एम0बी0, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेण्डर / कोटेशन आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे कार्यों एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०	तिथि	व्यय विवरण	श्रम	सामग्री	योग	श्रम: सामग्री
1	**31-7-21**	शक्ति ब्रिकफील्ड को भुगतान	_	**7913-00**	**7913-00**	
2	**31-7-21**	ओम इन्टरप्राइजेज को भुगतान	_	**34839-00**	**34839-00**	
3	**31-7-21**	श्रमिकों को भुगतान	**6872-00**	_	**6872-00**	
		योग	**6872-00**	**42752-00**	**49624-00**	**14:86**

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रधान एवं सचिव से की जाएगी ।

अत:धनराशि रूपया 49624-00 की वसूली बराबर - बराबर प्रधान श्री भोपनारायन पाल से रुपया 24812-00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रामगोविन्द से रुपया 24812-00 तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0 रेट + 2 प्रतिशत) सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर19- -ग्राम पंचायत लोंहदा में वर्ष 2021-22 में 15 वॉ वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) , से निम्न कार्यों में व्यय पर श्रम व सामग्री का अनुपात पी० डब्लू० डी० नार्म (33 :67) के अनुसार नहीं रखा गया है ,साथ ही इस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल ,एम0बी0, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेण्डर, कोटेशन आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे कार्यों एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०	तिथि	व्ययविवरण	श्रम	सामग्री	योग	श्रम:सामग्री
अ	**रामसुमेर के घ रसे हीरा के घर तक इंटरलाकीग निर्माण कार्य**					
1	**31-7-21**	ओम इन्टरप्राइजेज को भुगतान	_	**107632-00**	**107632-00**	
2	**31-7-21**	शक्ति ब्रिकफील्ड को भुगतान	_	**21286-00**	**21286-00**	
3	**13-8-21**	श्रमिकों को भुगतान	**20624-00**	_	**20624-00**	
		योग	**20624-00**	**128918-00**	**149542-00**	**14:86**
ब	**प्र०वि०लोहदा परिसर मे इंटरलाकीग निर्माण कार्य**					
	4-8-21	ओम इन्टरप्राइजेज को भुगतान	_	**141029-00**	**141029-00**	
	4-8-21	शक्ति ब्रिकफील्ड को भुगतान	_	**16099-00**	**16099-00**	
	4-8-21	मानसी मौर्य टाइल्स को भुगतान	_	**3457-00**	**3457-00**	
	4-8-21	श्रमिकों को भुगतान	**25872-00**	_	**25872-00**	

		योग	**25872-00**	**160585-00**	**186457-00**	**14:86**
		महायोग			335999-00	

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रधान एवं सचिव से की जाएगी ।

अत:धनराशि रूपया 335999-00 की वसूली बराबर - बराबर प्रधान श्री भोपनारायन पाल से रुपया 167999.50 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रामगोविन्द से रुपया 167999.50 तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0 रेट + 2 प्रतिशत) सहित की जानी अपेक्षित है।

15 - ..नाम ग्राम पंचायत --- अलीपुर जीता विकास खंड ---कड़ा जनपद---कौशाम्बी ,वर्ष 22-2021 -

प्रस्तर-20 -ग्राम पंचायत अलीपुर जीता में वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से निम्न कार्यों में व्यय पर श्रम व सामग्री का अनुपात पी० डब्लू० डी० नार्म (33 :67) के अनुसार नहीं रखा गया है स्पष्ट है कि सामग्री में व्यय कि गई धनराशि को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया गया है ,साथ ही इस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल ,एम0बी0, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेण्डर / कोटेशन आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे कार्यों एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०	तिथि	कोषबही के अनुसार व्यय विवरण	श्रम	सामग्री	योग	श्रम:सामग्री
अ	**गयाप्रसाद के घर से मनोज पांडे के घर तक नाली निर्माण कार्य**					
1	**17-8-21**	अनस इन्टरप्राइजेज को भुगतान	**-**	**14119-00**	**14119-00**	
2	**17-8-21**	**न्यूभारत ईट उद्योग को भुगतान**	**-**	**23448-00**	**23448-00**	
3	**30-8-21**	श्रमिकों को भुगतान	**8828-00**	**-**	**8828-00**	
		योग	**8828-00**	**37567-00**	**46395-00**	**19:81**
ब	**संतलाल के घर से पप्पूसिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य**					
1	**17-8-21**	अनस इन्टरप्राइजेज को भुगतान	**-**	**19088-00**	**19088-00**	
2	**17-8-21**	**न्यूभारत ईट उद्योग को भुगतान**	**-**	**40156-00**	**40156-00**	
3	**30-8-21**	श्रमिकों को भुगतान	**15440-00**	**-**	**15440-00**	
		योग	**15440-00**	**59244-00**	**74684-00**	**21:80**
स	**प्रा०वि०अलीपुरजीता में शौचालय निर्माण कार्य**					
1	**18-1-22**	अनस इन्टरप्राइजेज को भुगतान	**-**	**11747-00**	**11747-00**	
2	**14-3-22**	श्रमिकों को भुगतान	**43776-00**	**-**	**43776-00**	
3	**14-3-22**	**न्यूभारत ईट उद्योग को भुगतान**	**-**	**42555-00**	**42555-00**	
4	**14-3-22**	**कौशल ट्रेडर्स को भुगतान**	**-**	**15945-00**	**15945-00**	
5	**14-3-22**	अनस इन्टरप्राइजेज को भुगतान	**-**	**59451-00**	**59451-00**	
		योग	**43776-00**	**129698-00**	**173474-00**	**25:75**
		महायोग			**294553-00**	

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रधान एवं सचिव से की जाएगी ।

अतः पी0 डब्लू0 डी0 नार्म के अनुसार श्रम एवं सामग्री पर व्यय न करके मनमाने ढंग से अधिक बढ़ा चढ़ा कर व्यय कि गई धनराशि की वसूली एवं तत् - क्रम मे बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय दर्शित कि गई सम्पूर्ण धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

अत:धनराशि रूपया 294553-00 की वसूली बराबर - बराबर प्रधान श्री रहबर से रुपया 147276.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वसीम अहमद से रुपया 147276.50 तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0 रेट + 2 प्रतिशत) सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -21- ग्राम पंचायत अलीपुर जीता में वर्ष 2021-22 में 15 वॉ वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) , से निम्न कार्यों में व्यय पर श्रम व सामग्री का अनुपात पी० डब्लू० डी० नार्म (33 :67) के अनुसार नहीं रखा गया है स्पष्ट है कि सामग्री में व्यय कि गई धनराशि को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया गया है ,साथ ही इस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल ,एम0बी0, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेण्डर, कोटेशन आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे कार्यों एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०	तिथि	कोषबही के अनुसार व्यय विवरण	श्रम	सामग्री	योग	श्रम:सामग्री
अ	**मतई के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य**					
1	**30-8-21**	श्रमिकों को भुगतान	**4816-00**	**-**	**4816-00**	
2	**30-8-21**	**न्यूभारत ईट उद्योग को भुगतान**	**-**	**8870-00**	**8870-00**	
3	**30-8-21**	अनस इन्टरप्राइजेज को भुगतान	**-**	**14431-00**	**14431-00**	
		योग	**4816-00**	**23301-00**	**28117-00**	**17:83**
ब	**राजेश के घर से मनोज के घर तक इंटरलाकीग निर्माण कार्य**					
1	**17-8-21**	**एम०एच०ट्रेडर्स को भुगतान**	**-**	**73180-00**	**73180-00**	
2	**17-8-21**	**न्यूभारत ईट उद्योग को भुगतान**	**-**	**29133-00**	**29133-00**	
3	**17-8-21**	अनस इन्टरप्राइजेज को भुगतान	**-**	**18000-00**	**18000-00**	
4	**30-8-21**	श्रमिकों को भुगतान	**21270-00**	**-**	**21270-00**	
		योग	**21270-00**	**120313-00**	**141583-00**	**15:85**
		महायोग			**169700-00**	

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रधान एवं सचिव से की जाएगी ।

अतः पी0 डब्लू0 डी0 नार्म के अनुसार श्रम एवं सामग्री पर व्यय न करके मनमाने ढंग से अधिक बढ़ा चढ़ा कर व्यय कि गई धनराशि की वसूली एवं तत् - क्रम मे बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय दर्शित कि गई सम्पूर्ण धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

अत:धनराशि रूपया 169700-00 की वसूली बराबर - बराबर प्रधान श्री रहबर से रुपया 84850-00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वसीम अहमद से रुपया 84850-00 तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0 रेट + 2 प्रतिशत) सहित की जानी अपेक्षित है।

16- नाम ग्राम पंचायत .....काजू..... विकास खंड .....मूरत गंज.....जनपद -कौशांबी

प्रस्तर-22 –ग्राम पंचायत काजू द्वारा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अनुदान की दिनांक 01-04-21 से 31-03-22 तक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रूपया 28,49,916-00 का आहरण कर व्यय किया गया है, किन्तु ऑफ लाईन कोषवही केवल जनवरी 22, फरवरी 22 एवं मार्च 22 की प्रस्तुत की गई एवं इससे सम्बन्धित समस्त अन्य अभिलेख प्रस्तुत किए गए। शेष अप्रैल 21 से दिसम्बर 21 तक के अभिलेख यथा कोषवही, व्यय प्रमाणक, इस्टीमेट, एम0बी0 आदि कोई भी अभिलेख, बैंक स्टेटमेंट को छोडकर प्रस्तुत नहीं किए गए। कारण पूछने पर वर्तमान सचिव श्री मैकू लाल द्वारा बताया गया कि इस ग्राम

पंचायत में वह जनवरी 22 से चार्ज में आए है तब से उन्होंने अपने कार्यकाल के अभिलेख बनाए है और प्रस्तुत कर रहे हैं। अप्रैल 21 से दिसम्बर 21 तक ग्राम पंचायत काजू में ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेश गुप्ता कार्यरत थे और उनके द्वारा कोई अभिलेख चार्ज में नहीं दिए गए।

अतः अप्रैल 21 से दिसम्बर 21 तक व्यय की गई धनराशि रूपया 11,66,845-00 के कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं हुए। इस प्रकार रूपया 11,66,845-00 के व्यय एवं कार्यो की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

रूपया 11,66,845-00 का व्यय श्री मुकेश कुमार गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती रागिनी सिंह प्रधान द्वारा किया गया, जिसके कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।

अतः बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई धनराशि रूपया 11,66,845-00 की वसूली वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पर्ण धनराशि को गबन मानते हुएप्रधान श्रीमती रागिनी सिंह एवं सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से संयुक्त रूप बराबर-बराबर तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0रेट+2 प्रतिशत) सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-23—ग्राम पंचायत काजू का 2021-22 का 15 वे वित्तआयोग के अनुदान का बैंक स्टेटमेंट दिनांक 26-08-21 से 31-03-22 तक का प्रस्तुत रहा जबकि दिनांक 01-04-21 से 31-03-22 तक का प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो कि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त नहीं प्रस्तुत रहा। 15 वे वित्त आयोग की ऑफलाईन कोषवही मात्र जनवरी 22, फरवरी 22 एवं मार्च 22 की प्रस्तुत रही। अप्रैल 21 तक की कोषवही तत्समय के सचिव श्री मुकेश गुप्ता द्वारा वर्तमान सचिव को चार्ज में नहीं दी गयी। दिनांक 26-08-21 से 12-10-21 तक का 15 वें वित्त आयोग का अनुदान रूपया 14,48,316-00 का व्यय सचिव श्री मुकेश गुप्ता एवं प्रधान श्रीमती रागिनी सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से व्यय किया गया है जिसके कोई अभिलेख यथा कोषवही, व्यय प्रमाणक, इस्टीमेट, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। अतः ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पर्ण धनराशि को गबन मानते हुए सम्पर्ण धनराशि रुपया 14,48,316-00 जोडा दिनांक 01-04-21 से 25-08-21 तक की धनराशि की वसूली तातारीख ब्याजसहित (पी0एल0आर0रेट+2 प्रतिशत) संयुक्त रूप से बराबर-बराबर प्रधान श्रीमती रागिनी सिंह एवं सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता सेकी जानी अपेक्षित है।

17 - नाम ग्राम पंचायत .....हुसेनमई..... विकास खंड .....मूरतगंज.....जनपद.....कौशांबी.....

प्रस्तर-24—ग्रामपंचायत हुसैन मई में वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग, 14 वॉ /15 वॉ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में से कुल रूपया 5,66,238-00 का व्यय भुगतान ऑफलाईन कोषवही से दर्शित है। लेखा परीक्षा में ऑफलाईन कोषवही एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। शेष अन्य सभी अभिलेख यथा इस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेण्डर, कोटेशन आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे कार्यों एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पर्ण धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि रूपया 5,66,238-00 की वसूली तातारीख ब्याज (पी0एल0आर0 रेट + 2 प्रतिशत) सहित प्रधान श्रीमती आरती देवी एवं सचिव श्री श्रवण कुमार मिश्र से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

18- नाम ग्राम पंचायत .....शाखा बरिपुर.....विकास खंड ..मूरतगंज..... जनपद.....कौशांबी.....

प्रस्तर-25-ग्रामपंचायत शाखा बरीपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में राज्यवित्तआयोग, 14 वॉ /15 वॉ वित्तआयोग से प्राप्त अनुदान द्वारा कोषवही के अनुसार रूपया 28,22,052-00 का व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित निम्न अभिलेख बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त उपलब्ध नहीं कराये गयें जिससे कराये गाये कार्यो एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अनुपलब्ध अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार से रहा-

1- ग्राम सभा की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव की कार्य पंजिका।
2- इस्टीमेट।

3- व्यय प्रमाण (सामग्री खरीद)।
4- मस्टर रोल (मजदूरी भुगतान)।
5- एम0बी0।
6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र।
7- परिसम्पत्ति रजिस्टर।
8- निर्माण रजिस्टर।
9- स्टाक रजिस्टर।
10- टेण्डर/कोटेशन।
11- मानदेय रजिस्टर।

उक्त अभिलेख प्रस्तुत करने का दायित्व , लेखा मैनुअल के पृष्ठ 36 पैरा 7 के अनुसार प्रधान एवं सचिव का संयुक्त दायित्व था किन्तु दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों एवं मस्टर रोलों के व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि रूपया 28,22,052-00 की वसूली बराबर-बराबर प्रधान श्रीमती अलफिया बानों एवं सचिव श्री नितिन कुमार सिंह से तातारीख ब्याज(पी0एल0आर0 रेट + 2 प्रतिशत) सहित की जानी अपेक्षित है।

उक्त व्यय विवरण, कोषवही में दर्शित के अनुसार में निम्न तकनीकी आपत्तियॉ भी प्रकाश में आई-

1- दिनांक रहित 4/2021 में रूपया 13500-00 का भुगतान प्रशासनिक मद पद व्यय कोषवही से खारिज है, किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा, जिससे इस बात का संज्ञान नहीं हो सका कि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत क्या क्रय रहा? क्रय सामग्री का नाम और मात्रा अज्ञात रही। पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि रूपया 13500-00 किसी ''विकास'' नाम के व्यक्ति को भुगतान रही। जबकि क्रय सामग्री का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था न कि व्यक्ति विशेष के खाते में। धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित की जानी चाहिए।

2- दिनांक 23-08-2021 को विद्यालय शाखा बरीपुर में रनिंगवाटर सप्लाई का भुगतान रूपया 21232-00 फर्म को न कर किसी ''गुलाब सिंह'' नाम के व्यक्ति के बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 से किया गया है। उक्त प्रोजेक्ट में पुनः दिनांक 10-11-2021 को रूपया 5600-00 '' गंगाराम'' को मजदूरी एवं रूपया 70625-00 सामग्री हेतु ''भारत मशीनरी'' स्टोर को भुगतान किया गया है।

3- दिनांक 01-11-2021 को केन्द्रिय वित्त आयोग की धनराशि रूपया 22550-00 का भुगतान डी0सी0 के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर कार्य पर ''भारत मशीनरी स्टोर'' को एवं रूपया 18250-00 के घर के पास ''हैण्ड पम्प रिबोर मजदूरी'' का भुगतान ''गंगाराम'' को किया गया है। स्पष्ट है कि फजी भुगतान दर्शाकर धनराशि रूपया 22550+18250=40800-00 का अपहरण किया गया है।

19- नाम ग्राम पंचायत-शमसाबाद, वि०ख० सिराथू, जनपद - कौशाम्बी

प्रस्तर-26 -ग्राम पंचायत शमसाबाद में वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गई, लेखा परीक्षा के दौरान कोषवही की जाँच पाया गया कि उक्त तिथियों में कोषवही में विवरण अंकित नहीं है और व्ययति धनराशि के सापेक्ष मजदूरी भुगतान पर कोई व्यय खारिज नहीं है।

सामग्री खरीद के व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे सामग्री का नाम, दर एवं मात्रा अज्ञात रही।

विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	दिनांक	कोष पंजिका में अंकित विवरण	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता (पी.एम.एफ.एस. द्वारा)
1.	04-02-2022	विवरण अंकित नहीं।	1,12,627-00	आंकड़े उपलब्ध नहीं।
2.	04-02-2022	विवरण अंकित नहीं।	1,67,945-00	आंकड़े उपलब्ध नहीं।
3.	04-02-2022	विवरण अंकित नहीं।	10,400-00	आंकड़े उपलब्ध नहीं।
4.	04-02-2022	विवरण अंकित नहीं।	28,940-00	आंकड़े उपलब्ध नहीं।

5.	09-02-2022	पंचायत भवन में व शौचालय में विद्युत वायरिंग सामग्री	1,32,940-00	चंदेल ब्रदर्स सोलर सिस्टम
6.	09-02-2022	विवरण अंकित नहीं।	51,000-00	आँकड़े उपलब्ध नहीं
7.	09-02-2022	विवरण अंकित नहीं।	1,32,990-00	चंदेल ब्रदर्स सोलर सिस्टम
8.	09-02-2022	विवरण अंकित नहीं।	1,24,000-00	आँकड़े उपलब्ध, नहीं
		योग	**7,60,842-00**	

उक्त परियोजनाओं से सम्बंधित कोषवही में केवल सामग्री क्रय पर व्यय दर्शाया गया है जिसके व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने से कराये गये कार्य एवं व्यय की पुष्टि नहीं होती है और मजदूरी पर कोषवही में कोई भुगतान खारिज न होने से स्वयं में स्पष्ट है कि सामग्री खरीद फर्जी दर्शायी गयी है।

अतः राजकीय अनुदान रु. 7,60,842-00 का अपहरण किया गया है।

"उ०प्र० पंचायतीराज अधिनियम - 1947 की धारा 25(2) के (क) से (ङ) तक को व्यवस्थानुसार एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु, 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।"

अतः अपहरित धनराशि रू. 7,60,842-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी एवं सचिव श्री मनोज कुमार से संयुक्त रूप से दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-27-ग्राम पंचायत शमसाबाद में वर्ष 2021-22 में कोषवही के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट की सामग्री के नाम कोषवर्ष में धनराशि रू. 1,92,500-00 का फर्जी भुगतान खारिज किया गया है।

उक्त खरीद के व्यय प्रमाणक, प्रस्ताव, इस्टीमेट कोटेशन/टेण्डर, स्टॉक रजि०, डेड स्टॉक रजि०, सूचना माँग पत्र एवं लाभार्थियों व चिन्हित स्थानों की सूची आदि अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण व्यय एवं कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अर्थात् राजकीय अनुदान रु. 1,92,500-00 का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धनराशि रु. 1,92,500-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी एवं सचिव श्री मनोज कुमार से संयुक्त रूप से दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

20- नाम ग्राम पंचायत-रामपुर धमावाँ, वि०ख० सिराथू, जनपद - कौशाम्बी वर्ष 2021-22

प्रस्तर-28 -ग्राम पंचायत रामपुर धमावाँ में राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग की मद से वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत की कोष पंजिका में निम्नविवरणनुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र.सं.	दिनांक	कोष पंजिका में अंकित विवरण	धनराशि	ई-ग्राम स्वराज के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता (पी एफ एम एस के द्वारा)
1.	10-01-2022	प्रशासनिक व्यय	2000-00	श्री संतोष कुमार
2.	16-03-2022	प्रशासनिक व्यय	15,000-00	श्री संतोष कुमार
		योग	**17,000-00**	

उपरोक्त भुगतान के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, प्रशासनिक मद से क्या-क्या क्रय किया गया अज्ञात रहा, जिससे कार्य एवं व्यय पुष्टि नहीं हो सकी। भुगतान फर्म को न कर किसी अपने चहेते श्री सन्तोष कुमार के खाते में धनराशि पी.एफ.एम.एस. द्वारा स्थानान्तरित की गई।

अतः स्पष्ट है कि राजकीय अनुदान रु. 17,000-00 का अपहरण किया गया है।

"उ०प्र० पंचायतीराज अधिनियम - 1947 की धारा 25(2) के (क) से (ङ) तक को व्यवस्थानुसार एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु, 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।"

अतः अपहरित धनराशि रु. 17000-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं सचिव श्री मनोज कुमार से संयुक्त रूप से दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 29- मूल आपत्ति संख्या - 02, ग्राम पंचायत रामपुर धमावाँ में वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार दिनांक 21-01-2022 को ग्राम पंचायत में 'अलाव' हेतु लकड़ी का भुगतान मु. 29,960-00 का कोषवही में किसी श्री अनिल कुमार के नाम खारिज है। किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्ताव, इस्टीमेट, स्टॉक रजि०, चयनित स्थानों की सूची एवं व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण व्यय एवं कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

स्पष्ट है कि धनराशि मु० 29,960-00 का अपहरण प्रधान एवं सचिव की मिली भगत से किया गया है।

अतः अपहरित धनराशि रु. 29,960-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं सचिव श्री मनोज कुमार से संयुक्त रूप से दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 30 -ग्राम पंचायत रामपुर धमावाँ वर्ष 2021-22 की कोष पंजिका की जाँच में प्रकाश में आया कि दिनांक 21-02-2022 को 'चंदेल ब्रदर्स सोलर सिस्टम' से चुनाव हेतु 'कैमरे' के क्रय हेतु व्यय धनराशि 11,350-00 कोषवही से उक्त फर्म के नाम खारिज किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्ताव, स्टॉक रजि० एवं व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख प्रस्तुत न करने के क्रय की पुष्टि नहीं होती है, स्पष्ट है कि धनराशि मु. 11,350-00 का अपहरण फर्म, प्रधान एवं सचिव की मिलीभगत से किया गया है।

अतः अपहरित धनराशि रु. 11,350-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं सचिव श्री मनोज कुमार से संयुक्त रूप से दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 31- -ग्राम पंचायत रामपुर धमावाँ में वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार केवल टाइल्स निर्माण सामग्री, इण्टर लॉकिंग सामग्री एवं बाउंड्रीवॉल सामग्री अलग-अलग नाम से एवं अलग-अलग तिथियों में बिना मजदूरी भुगतान के केवल सामग्री क्रय कर उक्त धनराशि को कोषवही में खारिज किया गया है। अर्थात् मजदूरी पर अतिथि कोई व्यय कोषवही में खारिज नहीं है, स्पष्ट है कि बिना मजदूरी भुगतान के कार्य किस प्रकार पूर्ण रहा? समस्त व्यय की गई धनराशि सामग्री क्रय फर्मों को पी.एम.एफ.एस. द्वारा भुगतान हुआ है।

विवरण निम्न प्रकार है। (केवल सामग्री पर व्यय)

क्र.सं.	दिनांक	कोष पंजिका में अंकित विवरण	धनराशि	फर्म जिसे भुगतान रहा (पी.एम.एफ.एस. के द्वारा)
1.	15-09-2021	पंचायत भवन में टाइल्स निर्माण सामग्री	1,01,828-00	केशरवानी पेंट हाउस
2.	15-09-2021	पंचायत भवन में टाइल्स निर्माण सामग्री	38,683-00	माँ शीतला हार्डवेयर
3.	15-09-2021	पंचायत भवन में टाइल्स निर्माण सामग्री	11,571-00	माँ शीतला ब्रिकफील्ड
4.	11-10-2021	प्रा०वि० भैंसहापर में बाउंड्रीवॉल निर्माण सामग्री	30,513-00	माँ शीतला हार्डवेयर
5.	11-10-2021	प्रा०वि० भैंसहापर में बाउंड्रीवॉल निर्माण सामग्री	49,532-00	माँ शीतला बिक्र फील्ड
6.	11-10-2021	मुन्नू लाल के घर से केश लाल के घर तक इ०लॉ० निर्माण सामग्री	27,096-00	अस्मिता ट्रेडर्स
7.	11-10-2021	मुन्नू लाल के घर से केश लाल के घर तक इ०लॉ० निर्माण सामग्री	35,676-00	माँ शीतला ब्रिक फील्ड
8.	11-10-2021	मुन्नू लाल के घर से केश लाल के घर तक इ०लॉ० निर्माण सामग्री	60,176-00	सिंह इण्टरप्राइजेज
9.	16-10-2021	मुन्नू लाल के घर से केश लाल के घर तक इ०लॉ० निर्माण सामग्री	27,288-00	अस्मिता ट्रेडर्स
10.	16-10-2021	पंचायत भवन व शौचालय निर्माण में वायरिंग सामग्री	68,883-00	अस्मिता ट्रेडर्स

11.	16-10-2021	प्रा०नि० भैंसहापर में बाउन्ड्रीवाल निर्माण सामग्री	36,242-00	माँ शीतला ब्रिक फील्ड
12.	16-10-2021	प्रा०नि० भैंसहापर में बाउन्ड्रीवाल निर्माण सामग्री	61,766-00	माँ शीतला हार्डवेयर
13.	16-10-2021	प्रा०नि० भैंसहापर में बाउन्ड्रीवाल निर्माण सामग्री	1,11,249-00	सिंह इण्टरप्राइजेज
14.	16-10-2021	प्रा०नि० भैंसहापर में बाउन्ड्रीवाल निर्माण सामग्री	29,815-00	माँ वैष्णों ईंट उद्योग
15.	16-10-2021	पंचायत भवन व शौचालय निर्माण में वायरिंग सामग्री	60,208-00	माँ शीतला हार्डवेयर
		योग	**7,50,526-00**	

लेखा परीक्षा में प्रस्ताव, इस्टामेट, टेण्डर/कोटेशन, स्टॉक रजि०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मस्टर रोल एवं सामग्री खरीद के व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। जिससे सामग्री का नाम, दर एवं मात्रा अज्ञात रहे। अर्थात कराये गये कार्य एवं व्यय पुष्टि नहीं हो सकी। अतः स्पष्ट है कि राजकीय अनुदान रु. 7,50,526-00 का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धनराशि रु. 7,50,526-00 की वसूली प्रधान श्रीमती लीलावती एवं सचिव श्री मनोज कुमार से संयुक्त रूप से दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

21- नाम ग्राम पंचायत- रूपनारायनपुर गोरियो, वि०ख० सिराथू, जनपद - कौशाम्बी आपत्तियाँ वर्ष 2021-22

प्रस्तर- 32- ग्राम पंचायत रूपनारायनपुर गोरियो में वर्ष 2021-22 राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि से बिना मजदूरी भुगतान किये केवल हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री पर रू. 40,097-00 कोषवही में खारिज किया गया है। जिससे स्वयं में स्पष्ट है कि बिना मजदूरी के हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है? बिना मजदूरी के कार्य कराए जाने का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	दिनांक	कोष पंजिका में अंकित विवरण	धनराशि	ई-ग्राम स्वराज के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता (पी.एम.एफ.एस. के द्वारा)
1.	25-08-2021	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री	40,097-00	आर.के. इण्टरप्राइजेज
		योग	**40,097-00**	

सामग्री खरीद का व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा, जिससे सामग्री का नाम, दर एवं मात्रा अज्ञात रही।

उक्त प्रोजेक्ट से सम्बन्धित, प्रस्ताव, इस्टीमेट, लाभार्थियों व चयनित स्थानों की सूची एवं व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे कराये गये कार्य एवं व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः स्पष्ट है कि राजकीय अनुदान रू. 40,097-00 का अपहरण किया गया है।

"उ०प्र० पंचायतीराज अधिनियम - 1947 की धारा 25(2) के (क) से (ङ) तक को व्यवस्थानुसार एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु, 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।"

अतः अपहरित धनराशि रूपये 40,097-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पायल एवं सचिव श्रीमती अर्चना सरोज से संयुक्त रूप से दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

22- नाम ग्राम पंचायत- जमालमऊ, वि०ख० सिराथू,जनपद - कौशाम्बी आपत्तियाँ वर्ष 2021-22

प्रस्तर-33 - ग्राम पंचायत जमालमऊ में वर्ष 2021-22 राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि से बिना मजदूरी भुगतान किये केवल हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री पर रू. 40,790-00 कोषवही में खारिज किया गया है। जिससे स्वयं में स्पष्ट है कि बिना मजदूरी के हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है? बिना मजदूरी के कार्य कराए जाने का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	दिनांक	कोष पंजिका में अंकित विवरण	धनराशि	ई-ग्राम स्वराज के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता (पी.एम.एफ.एस. के द्वारा)
2.	06-08-2021	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री	40,790-00	लखन लाल एण्ड ब्रदर्स
		योग	**40,790-00**	

सामग्री खरीद का व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा, जिससे सामग्री का नाम, दर एवं मात्रा अज्ञात रही।

उक्त प्रोजेक्ट से सम्बन्धित, प्रस्ताव, इस्टीमेट, लाभार्थियों व चयनित स्थानों की सूची एवं व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे कराये गये कार्य एवं व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः स्पष्ट है कि राजकीय अनुदान रू. 40,790-00 का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धनराशि रूपये 40,790-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं सचिव श्रीमती अर्चना सरोज से संयुक्त रूप से दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

23- नाम ग्राम पंचायत- उलाचूपुर, वि०ख० सिराथू,जनपद - कौशाम्बी आपत्तियाँ वर्ष 2021-22

प्रस्तर- 34 - ग्राम पंचायत 'उलाचूपुर' में वर्ष 2021-22 में राज्यवित्त, चौदहवें वित् एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि रूपया 80,097-00 का व्यय भुगतान कोषवही से खारिज है। लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि उक्त परियोजना में प्रयुक्त सामग्री व मजदूरी का भुगतान फर्म को ही कर दिया गया जो आपत्तिजनक है। क्योंकि मजूदरी का भुगतान पी.एफ.एम.एफ. द्वारा मजदूरों के खातों में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया । अर्थात कोषवही में फर्जी भुगतान दर्शाया गया है।

विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	दिनांक	कोष पंजिका में अंकित विवरण	धनराशि	ई-ग्राम स्वराज के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता (पी.एम.एफ.एस. के द्वारा)
1.	10-09-2021	पंचायत भवन में सामग्री व मजदूरी हेतु	80,097	आदित्य इण्टर प्राइजेज
		योग	**80,097**	

सामग्री खरीद का व्यय प्रमाणक/मजदूरी का मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे मस्टर रोल एवं सामग्री का नाम दर, एवं मात्रा अज्ञात रही।

उक्त प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्ताव, इस्टीमेट, टेण्डर/कोटेशन मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे कार्य एवं व्यय की पुष्टि नहीं सकी । अतः स्पष्ट है कि राजकीय अनुदान रु. 80,097-00 का अपहरण किया गया है।

"उ०प्र० पंचायतीराज अधिनियम - 1947 की धारा 25(2) के (क) से (ङ) तक को व्यवस्थानुसार एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु, 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।"

अतः अपहरित धनराशि रु. 80,097-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सोनेलाल सचिव श्रीमती अर्चना सरोज से संयुक्त रूप से दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

24- ग्राम पंचायत -बैरमपुर वर्ष 2021-22 विकास खंड -सरसवा जनपद-कौशांबी

प्रस्तर-35 - उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युवल के अध्याय ८ केपैरा ८ क में स्पस्ट उलेख्य है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गए व्यय केसम्बंद में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दरसाई गयी व्यय कीधनराशि को गबन (अपहरण) मानतेहुए इस धनराशि की वसूली प्रधान एवंग्राम विकाशअधिकारी से की जायगी वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वाराभारतीय दंड संहिता की धरा ४०९ के अंर्तगत गबन का मुकदमा पंजीकृत कर सक्षमन्यायालय में चलाया जाएगा /

जब की ग्राम पंचायत बैरमपुर की ग्राम निधि प्रथम के खाता संख्या 136901000017548 से निम्न विवरण के अनुसार कुल धनराशि रु० 302214-00 काआलोच्य वर्ष में अपहरण किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरानकिसी प्रकार का व्यय प्रमाणक/ पुस्टि प्रमाणक ग्राम विकास अधिकारी केद्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया /

अतः पुस्टि प्रमाणक के अभाव में व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुएधनराशि का १/२ भाग र० 151107-00 प्रधान अखिलेश यादव से एवं १/२ भाग र० 151107-00 ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह 2 से दण्डात्मक व्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है /

विवरण:

दिनांक	धनराशि	सामग्री का नाम	फार्म का नाम
28.04.2021	37200-00	हैंडपंप रिबोर	आर्या कंस्ट्रक्शन
28.04.2021	38900-00	हैंडपंप रिबोर	आर्या कंस्ट्रक्शन
11.05.2021	38900-00	हैंडपंप रिबोर	आर्या कंस्ट्रक्शन
15.05.2021	40000-00	हैंडपंप रिबोर	आर्या कंस्ट्रक्शन
09.07.2021	39330-00	हैंडपंप रिबोर	-
20.07.2021	30000-00	हैंडपंप मरम्मत	राहुल इंटरप्राइजेज
5.08.2021	38190-00	हैंडपंप रिबोर	राहुल इंटरप्राइजेज
26.08.2021	32467-00	हैंडपंप रिबोर	आर्या कंस्ट्रक्शन
12.03.2022	7227-00	हैंडपंप रिबोर	-

योग: 302214-00

25- ग्राम पंचायत-बनिखास विकास खंड - सरसावा जनपद - कौशांबी वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-36- उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युवल के अध्याय ८ केपैरा ८ क में स्पस्ट उलेख्य है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गए व्यय केसम्बंद में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दरसाई गयी व्यय कीधनराशि को गबन (अपहरण) मानतेहुए इस धनराशि की वसूली प्रधान एवंग्राम विकाशअधिकारी से की जायगी वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वाराभारतीय दंड संहिता की धरा ४०९ के अंर्तगत गबन का मुकदमा पंजीकृत कर सक्षमन्यायालय में चलाया जाएगा /

जब की ग्राम निधि प्रथम के खाता संख्या 13690100009828 से निम्न विवरणके अनुसार कुल धनराशि रु० 300385-00 का आलोच्य वर्ष में अपहरण किया गया हैजिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का व्यय प्रमाणक/ पुस्टिप्रमाणक ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया /

अतः पुस्टि प्रमाणक के अभाव में व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुएधनराशि का १/२ भाग र० 150192.50 प्रधान गोमती देवी से एवं १/२ भाग र० 150192.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री रवि सिंह से दण्डात्मक व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है /

विवरण:

दिनांक	धनराशि	सामग्री का नाम	फार्म का नाम
02.08.2021	148059-00	टाइल्स का भुगतान	आर्या कंस्ट्रक्शन
02.09.2021	65163-00	टाइल्स का भुगतान	आर्या कंस्ट्रक्शन

27.12.2021	44883-00	हैंडपंप रिबोर	राम नारायण एंड ब्रदर्स

योग: 300385-00

26- गाम पंचायत - म्योहरिया 2021-22 विकास खंड -कौशांबी

प्रस्तर- 37- उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 41 एवं नियामावली के नियम संख्या 219 में ग्राम पंचायतों को बजट तैयार करने एवं पारित करने कि प्रक्रिया निर्धारित है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 32 के अनुसार ग्राम पंचायत को पारित बजट में से निर्धारित सीमा तक ग्राम निधि से धनराशि उपभोग करने की अनुमति प्रदान करता है। किन्तु आलोच वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत द्वारा बजट तैयार कर उसे पारित नही कराया गया है। इस प्रकार बिना बजटीय प्रधिकार के एवं बिना वित्तीय सीमा को संज्ञान में लिये आलोच वर्ष में रू 59015-00 ग्राम निधि खाता से आहरित कर अनिवार्य प्रक्रिया का उलघंन करके वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री बाल चन्द्र ग्राम प्रधान एवं सुनील कुमार ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे अतएव उक्त दोनो के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	**आहरित धनराशि**	**फर्म का नाम**
22-11-21	24958-00	अम्बिका टाइल्स
22-11-21	34057-00	स्नेह हार्डवेयर

योग **59015-00**

जनपद- प्रतागढ़ **मण्डल- प्रयागराज**

प्रारूप-4

ग्राम पंचायत-2021-22

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत- बेवली वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-सांगीपुर

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत-**बेवली** विकास खण्ड –**सांगीपुर** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज की साइट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय निम्न है –

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 1334014.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से बार-बार अभिलेख की मांग की गई। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 1334014.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान- **श्रीमती संगीता सिंह** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव – **श्रीमती अंकिता वर्मा** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत- उछापुर **वर्ष-2021-22** **विकास खण्ड-सांगीपुर**

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत-**उछापुर** विकास खण्ड –**सांगीपुर** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज की साइट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 1812231.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से बार-बार अभिलेख की मांग की गई। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 1812231.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान- **श्री बृज पाल** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव – **श्री राकेश मिश्रा** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत- ओरीपुर नौगीर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-सांगीपुर

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत-**ओरीपुर नौगीर** विकास खण्ड –**सांगीपुर** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज की साइट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय निम्न है –

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 1969666.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से बार-बार अभिलेख की मांग की गई। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 1969666.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान- **श्री रवीन्द्र** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव – **श्री विक्रम सिंह** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत- लाखीपुर कपसा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-आसपुर देवसरा

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1281253.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संदीप कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत- लाखीपुर कपसा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-आसपुर देवसरा

मनरेगा योजनान्तर्गत किये गए कार्यों मे व्यय रु0 1305000.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक एवं संबंधित अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, जॉब कार्ड धारकों की सूची, रोजगार की मांग करने वाले परिवारों/व्यक्तियों की सूची, मस्टर रोल, बैंक पासबुक, बिल/बाउचर, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार बार लिखित व मौखिक मांगोपरांत भी लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयीं । यह उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है । पत्रांक, 1001/मु0प्रा0पं0/ एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 21, सितंबर 2008 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रकाश में आयी शासकीय क्षति की वसूली तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 - 33.33 (समभाग) प्रतिशत अनुपात में की जाएगी ।

अतः मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय धनराशि रुपये 1305000.00 नियमानुसर गबन है, जिसकी वसूली तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी श्री संदीप कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी, एवं तत्कालीन कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक श्री ओ०पी० यादव में से प्रत्येक से 33.33 - 33.33 के अनुपात में की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत- रत्तीपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-आसपुर देवसरा

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी

कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" । साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग और केन्द्रीय वित्त आयोग मद से कुल व्यय ₹ 569900.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण/मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रिंकी सिंह और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार समान रूप से बराबर बराबर 50-50 प्रतिशत उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत- रत्तीपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-आसपुर देवसरा

मनरेगा योजनान्तर्गत किये गए कार्यों मे व्यय रु0 1844000.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक एवं संबंधित अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, जॉब कार्ड धारकों की सूची, रोजगार की मांग करने वाले परिवारों/व्यक्तियों की सूची, मस्टर रोल, बैंक पासबुक, बिल/बाउचर, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार बार लिखित व मौखिक मांगोपरांत भी लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयीं । यह उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है । पत्रांक, 1001/मु0प्रा0पं0/ एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 21, सितंबर 2008 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रकाश में आयी शासकीय क्षति की वसूली तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 - 33.33 (समभाग) प्रतिशत अनुपात में की जाएगी ।

अतः मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय धनराशि रुपये 1844000.00 नियमानुसर गबन है, जिसकी वसूली तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी श्री कमलेश कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती रिंकी सिंह, एवं तत्कालीन कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक श्री ओ०पी० यादव में से प्रत्येक से 33.33 - 33.33 के अनुपात में की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत- उमरडीहा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-आसपुर देवसरा

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी

कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की कुल व्यय धनराशि ₹ 1430611.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी और सचिव श्री राम अनुग्रह लाल से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत- उमरडीहा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-आसपुर देवसरा

मनरेगा योजनान्तर्गत किये गए कार्यों मे व्यय रु0 936000.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक एवं संबंधित अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, जॉब कार्ड धारकों की सूची, रोजगार की मांग करने वाले परिवारों/व्यक्तियों की सूची, मस्टर रोल, बैंक पासबुक, बिल/बाउचर, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार बार लिखित व मौखिक मांगोपरांत भी लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयीं । यह उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8(क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है । पत्रांक, 1001/मु0प्रा0पं0/ एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 21, सितंबर 2008 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रकाश में आयी शासकीय क्षति की वसूली तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 - 33.33 (समभाग) प्रतिशत अनुपात में की जाएगी ।

अतः मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय धनराशि रुपये 936000.00 नियमानुसर गबन है, जिसकी वसूली तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी श्री राम अनुग्रह लाल, ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी, एवं तत्कालीन कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक श्री ओ०पी० यादव में से प्रत्येक से 33.33 - 33.33 के अनुपात में की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत- महडौरा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-आसपुर देवसरा

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर -1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी

कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग और केन्द्रीय वित्त आयोग से कुल व्यय ₹ 1075500.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद - 8(क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत- महडौरा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-आसपुर देवसरा

मनरेगा योजनान्तर्गत किये गए कार्यों मे व्यय रु0 1394000.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक एवं संबंधित अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, जॉब कार्ड धारकों की सूची, रोजगार की मांग करने वाले परिवारों/व्यक्तियों की सूची, मस्टर रोल, बैंक पासबुक, बिल/बाउचर, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार बार लिखित व मौखिक मांगोपरांत भी लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयीं । यह उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है । पत्रांक, 1001/मु0प्रा0पं0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 21, सितंबर 2008 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रकाश में आयी शासकीय क्षति की वसूली तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 - 33.33 (समभाग) प्रतिशत अनुपात में की जाएगी ।
अतः मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय धनराशि रुपये 1394000.00 नियमानुसर गबन है, जिसकी वसूली तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी श्री कमलेश कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी, एवं तत्कालीन कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक श्री ओ०पी० यादव में से प्रत्येक से 33.33 - 33.33 के अनुपात में की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत- फतूहाबाद वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-बाबागंज

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत- **फतूहाबाद** विकास खण्ड – **बाबागंज** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज की साइट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 2212015.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के

सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से बार-बार अभिलेख की मांग की गई। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 2212015.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान- **श्री विष्णु देव** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव – **श्री काशीनाथ वर्मा** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत- अर्जुनपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-संडवा चन्द्रिका

आलोच्य वर्ष 2021-22 में अर्जुनपुर की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त और मनरेगा की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज / नरेगा की साइट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय निम्न है –

क्रम	मद	व्यय की गई धनराशि
1	राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग-	712877.00
2	मनरेगा	860000.00
	योग	1572877.00

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय रू 1572877.00 दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध / व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई। व्यक्तिगत मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया (विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से और जिला पंचायत राज अधिकारी से पत्राचार किया गया । इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत

से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय रू 1572877.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान - श्रीमती नीलम और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव- श्रीमती सीमा यादव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत- उमरी वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-संडवा चन्द्रिका

आलोच्य वर्ष 2021-22 में उमरी की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त और मनरेगा की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज / नरेगा की साइट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय निम्न है –

क्रम	मद	व्यय की गई धनराशि
1	राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग-	2278552.00
2	मनरेगा -	4537000.00
	योग -	6815552.00

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय रू 6815552.00 दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध / व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई। व्यक्तिगत मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया (विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से और जिला पंचायत राज अधिकारी से पत्राचार किया गया । इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय रू 6815552.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रामअवध

सरोज /सुश्री नेहा शर्मा उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत- राजापुर रैनिया वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-संडवा चन्द्रिका

ग्राम पंचायत राजापुर रैनिया के ग्राम निधि खाता प्रथम से वित्त वर्ष 2021-22 में प्रशासनिक मद पर व्यय एवं कूड़ादान पर व्यय धनराशि रू 100924.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/बाउचर व डेड स्टॉक रजिस्टर तथा कार्य पत्रावलियां अनुपलब्ध रही,पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (एवं उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणकप्रस्तुत नहीं रहे।इस प्रकार उक्त पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।'' अत: अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टिकराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रू 100924.00 की नियमानुसार वसूली सम्बंधित सचिव- श्री शोभनाथ सरोज एवं ग्राम प्रधान- श्री अमरेज सिंह से किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आई पी सी की धारा 409 के तहत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत- पूरबगाँव वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-संडवा चन्द्रिका

वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत पूरबगाँव के ग्राम निधि खाता-प्रथम खाता संख्या-13130100009928 से दिनांक 05-01-2022 से दिनांक 18-03-2022 तक के भुगतान की कुल धनराशि रू 284555.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/बाउचर व डेड स्टॉक रजिस्टर तथा कार्य पत्रावलियां अनुपलब्ध रही,पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।'' अत: अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टिकराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रू 284555.00 को गबन मानते हुए इसकी नियमानुसार वसूली सम्बंधित सचिव-शोभनाथ सरोज एवं ग्राम प्रधान-श्रीमती ममता सिंह से की जानी अपेक्षित है।साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आई पी सी की धारा 409 के तहत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत- डंगरी वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-संडवा चन्द्रिका

ग्राम पंचायत डंगरी के राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त से विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर रू 81550.00 ,हैंडपंप रिबोर पर रू 180200.00 एवं कूड़ादान क्रय पर व्यय धनराशि रु 66600.00 अतः कुल व्यय धनराशि रू 328350.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/बाउचर व डेड स्टॉक रजिस्टर तथा कार्य पत्रावलियां अनुपलब्ध रही,पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/ व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलियां/ व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के

अनुच्छेद-8(क) के अनुसार''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।'' अत: अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/ व्यय प्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टिकराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुतकर न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रू 328350.00 को गबन मानते हुए इसकी नियमानुसार वसूली सम्बंधित सचिव- श्रीमती संगीता पाल एवं ग्राम प्रधान – श्री राजाराम से किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आई पी सी की धारा 409 के तहत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत- धनवासा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- बिहार

क्र .स .	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता	दिनांक	धनराशि
1	हैंडपंप रिबोर एवं मजदूरी 3 नग /मेसर्स पूनम इन्टरप्राईजेज	01/9/21	67580.00
2	हैंडपंप रिबोर एवं मजदूरी 3 नग /मेसर्स पूनम इन्टरप्राईजेज	09/3/22	75210.00
3	हैंडपंप रिबोर एवं मजदूरी 2 नग /मेसर्स मिश्रा इन्टरप्राईजेज	16/4/21	44980.00
4	हैंडपंप रिबोर एवं मजदूरी 4 नग /मेसर्स मिश्रा इन्टरप्राईजेज	16/4/21	12380.00
		कुल धनराशि	**200150.00**

क्र .स .	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता	दिनांक	धनराशि
1	रामकेश के घर के पक्की सड़क तक एवं ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थलों पर मिटटी खडंजा निर्माण कार्य का भुगतान / मेसर्स मिश्रा इन्टरप्राईजेज	16/4/21	149625.00
		कुल धनराशि	**149625.00**

क्र .स .	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता	दिनांक	धनराशि
1	प्राथमिक विद्यालय धनवासा कम्पाउंड में सीसी कार्य का भुगतान / मेसर्स पूनम इन्टरप्राईजेज	04/10/21	132815.00
2	प्राथमिक विद्यालय धनवासा कम्पाउंड में सीसी कार्य का भुगतान / मेसर्स पूनम इन्टरप्राईजेज	04/10/21	163616.00
3	प्राथमिक विद्यालय धनवासा कम्पाउंड में सीसी कार्य का मजदूरी का भुगतान / मेसर्स पूनम इन्टरप्राईजेज	06/10/21	23698.00
4	प्राथमिक विद्यालय धनवासा कम्पाउंड में सीसी कार्य का मजदूरी का भुगतान / मेसर्स पूनम इन्टरप्राईजेज	06/10/21	18758.00
		कुल धनराशि	**338887.00**

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत- **धनवासा** के राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त से विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत ,नाली निर्माण , सीसी कार्य एवं मजदूरी पर व्यय धनराशि **रु 688662.00** के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बाउचर व डेड स्टॉक रजिस्टर तथा पत्रावलियां अनुपलब्ध रही,पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0) मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलिया व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।'' अतः अभिलेख, कार्य

पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक बाउचर प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक बाउचर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि **रु 688662.00** की नियमानुसार वसूली सम्बंधित **सचिव- श्री सुनील सरोज** एवं **प्रधान- श्रीमती मंजू देवी** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाए और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत- देवासा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- बिहार

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत-**देवासा** विकास खण्ड –**शिवगढ़** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज की साइट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय निम्न है –

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 1424625.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से बार-बार अभिलेख की मांग की गई। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 1424625.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान- **श्री सुभाष** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव – **श्री विकास तिवारी** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत- उगईपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- शिवगढ़

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत-उगई पुर विकास खण्ड –शिवगढ़ के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज की साइट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय निम्न है –

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 1426400.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से बार-बार अभिलेख की मांग की गई। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 1426400.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान- **श्री शिव बहादुर** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव –**श्री शमशुल हुदा** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत- तिवारीपुर महमदपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- बिहार

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत-**तिवारी महमदपुर** विकास खण्ड –**बिहार** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय निम्न है –

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 4015176.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से बार-बार अभिलेख की मांग की गई। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 4015176.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान-**श्रीमती पूनम सिंह** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव –**श्री सुनील सरोज** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत- शकरदहा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- बिहार

ग्राम पंचायत – शकरदहा विकास खण्ड – बिहार जनपद – प्रतापगढ़

क्र .स .	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता	दिनांक	धनराशि
1	हैंडपंप मरम्मत एवं मजदूरी 15 नग /फौजी ट्रेडर्स	29/6/21	59960.00
2	हैंडपंप मरम्मत एवं मजदूरी 3 नग /फौजी ट्रेडर्स	29/6/21	76230.00
3	हैंडपंप मरम्मत एवं मजदूरी 3 नग /फौजी ट्रेडर्स	29/6/21	74890.00
4	हैंडपंप मरम्मत एवं मजदूरी 18 नग /फौजी ट्रेडर्स	29/6/21	70265.00
5	हैंडपंप मरम्मत एवं मजदूरी 15 नग /फौजी ट्रेडर्स	19/8/21	48857.00
6	हैंडपंप मरम्मत एवं मजदूरी 06 नग /फौजी ट्रेडर्स	17/11/21	25830.00
		कुल धनराशि	**356032.00**

क्र .स .	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता	दिनांक	धनराशि
1	बजरंज जनता विद्यालय कक्ष सख्या 8 के कक्ष संख्या 6 तक इन्टरलकिंग सामग्री का भुगतान /फौजी ट्रेडर्स	08/7/21	194510.00
2	बजरंज जनता विद्यालय कक्ष सख्या 8 के कक्ष संख्या 6 तक इन्टरलकिंग सामग्री का भुगतान /फौजी ट्रेडर्स	09/7/21	194523.00
3	बजरंज जनता विद्यालय कक्ष सख्या 8 के कक्ष संख्या 6 तक इन्टरलकिंग सामग्री का भुगतान /फौजी ट्रेडर्स	09/7/21	194360.00

4	बजरंज जनता विद्यालय कक्ष सख्या 8 के कक्ष संख्या 6 तक इन्टरलर्किंग सामग्री का भुगतान /फौजी ट्रेडर्स	22/7/21	194490.00
5	राजकुमार के चक से झल्लर के चक तक मिटटी खडंजा निर्माण कार्य का भुगतान /फौजी ट्रेडर्स	06/10/21	143640.00
		कुल धनराशि	**921523.00**

क्र .स .	**कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता**	**दिनांक**	**धनराशि**
1	दुबेपुर लालबहादुर के घर से लच्छन पासी के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य का भुगतान /फौजी ट्रेडर्स	22/7/21	158640.00
2	सूर्यभान पटेल के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण कार्य का भुगतान /फौजी ट्रेडर्स	04/2/22	50780.00
3	सूर्यभान पटेल के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण कार्य का भुगतान /फौजी ट्रेडर्स	04/2/22	59250.00
4	दीनानाथ के चक से सूबे लाल के चक तक पक्की नाली निर्माण कार्य का भुगतान /फौजी ट्रेडर्स	06/10/21	102150.00
		कुल धनराशि	**370820.00**

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत- **शकरदहा** के राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त से विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत ,नाली निर्माण , खडंजा/इन्टरलर्किंग निर्माण पर व्यय धनराशि **रु 1648375.00** के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बाउचर व डेड स्टॉक रजिस्टर तथा पत्रावलियां अनुपलब्ध रही,पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0) मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलिया व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।'' अतः अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक बाउचर प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक बाउचर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि **रु 1648375.00** की नियमानुसार वसूली सम्बंधित **सचिव- श्री संतोष पाण्डेय** एवं **प्रधान- श्रीमती मंजू देवी** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाए और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत- पुरे मुस्तफा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- प्रतापगढ़ सदर

ग्राम पंचायत- पुरे मुस्तफा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गबन/अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से वसूली की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि से ₹ 1507865.00 व्यय किया गया।

व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाए गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ग्राम प्रधान - श्रीमती कंचन पाल एवं पंचायत सचिव- श्री राशिद अहमद से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत- प्रतापगढ़ ग्रामीण वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- प्रतापगढ़ सदर

ग्राम पंचायत- प्रतापगढ़ ग्रामीण की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गबन/अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से वसूली की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि से ₹ 1009931.00 व्यय किया गया।

व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाए गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ग्राम प्रधान - श्रीमती रेखा कुमारी सरोज एवं पंचायत सचिव- श्री राशिद अहमद से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत- ढिंगौसी वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- रामपुर संग्रामगढ़

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत- **ढिंगौसी** विकास खण्ड –**रामपुर संग्रामगढ़** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के लेखा परीक्षा पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी। निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 5,43,619.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 5,43,619.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान-**श्रीमती प्रेमलता** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **–श्री राजीव सरोज** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की मय ब्याज साहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत- रामपुर बावली वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- रामपुर संग्रामगढ़

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत- **रामपुर बावली** विकास खण्ड –**रामपुर संग्रामगढ़** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के लेखा परीक्षा पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी। निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 5,35,827.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस,

यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 5,35,827.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान-**श्रीमती सविता** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **–श्री पुष्पेन्द्र शुक्ला** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की मय ब्याज साहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत- अनेहरा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- रामपुर संग्रामगढ़

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत- अनहेरा विकास खण्ड –रामपुर संग्रामगढ़ के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के लेखा परीक्षा पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी। निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय ₹ 1,23,898.00 दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1,23,898.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री दिवाकर और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव –श्री पुष्पेन्द्र शुक्ला/व्यास मौर्य उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की मय ब्याज साहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत- रामपुर गडौली वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- कालाकांकर

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम **पंचायत-रामपुर गडौली विकास खण्ड –कालाकांकर** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त की कैशबुक में उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त की आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 1825770.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से बार-बार अभिलेख की मांग की गई। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 1825770.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन **ग्राम प्रधान-दिलीप कुमार** और तत्कालीन **ग्राम पंचायत सचिव –श्री अविनाश सिंह** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत- कोराली वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- कालाकांकर

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम **पंचायत-कोरली विकास खण्ड –कालाकांकर** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के कैशबुक में उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 2386520.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से बार-बार अभिलेख की मांग की गई। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के

सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 2386520.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन **ग्राम प्रधान-प्रदीप कुमार** और तत्कालीन **ग्राम पंचायत सचिव –श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत- साल्हीपुर कंजास वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- मंगरौरा

ग्राम पंचायत- साल्हीपुर कंजास की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गबन/अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से वसूली की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि से **₹ 2004900.00** व्यय किया गया।

व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाए गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ग्राम प्रधान - श्रीमती सरोज देवी एवं पंचायत सचिव- श्री इंद्र बहादुर सिंह से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत- गंगहेटी वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- मंगरौरा

ग्राम पंचायत- गंगेहटी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गबन/अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से वसूली की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि से ₹ 778251.00 व्यय किया गया।

व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाए गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ग्राम प्रधान - श्री दिलीप कुमार एवं पंचायत सचिव- श्री गोविन्द सिंह से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत- नरहरपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- मंगरौरा

ग्राम पंचायत- नरहरपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गबन/अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से वसूली की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि से ₹ 2066724.00 व्यय किया गया।

व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाए गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ग्राम प्रधान - श्री शीतला प्रसाद एवं पंचायत सचिव- श्री संजय कुमार यादव से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत- सांढ वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- गौरा

ग्राम पंचायत- सांढ की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गबन/अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से वसूली की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि से ₹ 1371190.00 व्यय किया गया।

व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाए गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ग्राम प्रधान - श्रीमती मदीना बानो एवं पंचायत सचिव- श्री अजय कुमार/ अरुण आदित्य से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत- रामनगर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- मानधाता

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विकास खंड मानधाता की ग्राम पंचायत रामनगर की लेखा परीक्षा के दौरान बैंक स्टेटमेंट एवं कोषबही को मिलाने पर -

दिनांक 20/07/2021 को इंडिया मार्क हैंडपंप मरम्मत का भुगतान आदित्य कन्स्ट्रक्शन को रुपये 81500.00 दर्शाया गया है । जबकि इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी बॉउचर / अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

दिनांक 26/07/2021 को इंडिया मार्क हैंडपंप रिबोर 03 अदद का भुगतान आदित्य कन्स्ट्रक्शन को रुपये 81510.00 दर्शाया गया है । जबकि इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी बॉउचर / अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

दिनांक 28/07/2021 को इंडिया मार्क हैंडपंप रिबोर 03 अदद का भुगतान आदित्य कन्स्ट्रक्शन को रुपये 81510.00 दर्शाया गया है । जबकि इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी बॉउचर / अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है । अतः ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद एजाज एवं सचिव श्री चंद्र प्रताप पटेल से तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत- सराय सुजान वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- मानधाता

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विकास खंड मानधाता की ग्राम पंचायत सराय सुजान के ग्राम निधि प्रथम, और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/पासबुक पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट/पासबुक पर दर्शित धनराशि के अनुसार आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग/व्यय रुपये 733640.00 दर्शित रहा । इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी बॉउचर / अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके लिए कई बार पत्राचार एवं मौखिक रूप से मांग की गयी । इसके बाद भी सचिव के द्वारा कोई भी अभिलेख यथा मूल व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी अनुमति। एम0 बी0, बिल/बाउचर, मस्टर रोल, मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण पत्र, मांग व वसूली पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेंडर/कोटेशन पत्रवाली आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय / उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 733640.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शांति प्रकाश शर्मा उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत- मधुपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- मानधाता

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विकास खंड मानधाता की ग्राम पंचायत मधुपुर के ग्राम निधि प्रथम, और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/पासबुक पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट / पासबुक पर दर्शित धनराशि के अनुसार आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग/व्यय रुपये 472238.00 दर्शित रहा । इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी बॉउचर / अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके लिए कई

बार पत्राचार एवं मौखिक रूप से मांग की गयी । इसके बाद भी सचिव के द्वारा कोई भी अभिलेख यथा मूल व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी अनुमति। एम0 बी0, बिल/बाउचर, मस्टर रोल, मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण पत्र, मांग व वसूली पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेंडर/कोटेशन पत्रवाली आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय / उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 472238.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान मो0 इमामउद्दीन और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिकेश बहादुर सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत- सराय राजा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- मानधाता

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विकास खंड मानधाता की ग्राम पंचायत सराय राजा के ग्राम निधि प्रथम, और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/पासबुक पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट/पासबुक पर दर्शित धनराशि के अनुसार आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग/व्यय रुपये 1392612.00 दर्शित रहा । इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी बॉउचर / अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके लिए कई बार पत्राचार एवं मौखिक रूप से मांग की गयी । इसके बाद भी सचिव के द्वारा कोई भी अभिलेख यथा मूल व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी अनुमति। एम0 बी0, बिल/बाउचर, मस्टर रोल, मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण पत्र, मांग व वसूली पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण

पत्र, टेंडर/कोटेशन पत्रवाली आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय / उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1392612.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छोटकी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अविनाश यादव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत- चाँदपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- मानधाता

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विकास खंड मानधाता की ग्राम पंचायत चाँदपुर के ग्राम निधि प्रथम, और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/पासबुक पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट / पासबुक पर दर्शित धनराशि के अनुसार आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग/व्यय रुपये 1773407.00 दर्शित रहा । इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी बॉउचर / अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके लिए कई बार पत्राचार एवं मौखिक रूप से मांग की गयी । इसके बाद भी सचिव के द्वारा कोई भी अभिलेख यथा मूल व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी अनुमति। एम0 बी0, बिल/बाउचर, मस्टर रोल, मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण पत्र, मांग व वसूली पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेंडर/कोटेशन पत्रवाली आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय / उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त

पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1773407.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सैफ़ून और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अविनाश यादव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत- छतौना वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- मानधाता

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विकास खंड मानधाता की ग्राम पंचायत छतौना के ग्राम निधि प्रथम, और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/पासबुक पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट / पासबुक पर दर्शित धनराशि के अनुसार आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग/व्यय रुपये 1197102.00 दर्शित रहा । इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी बॉउचर / अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके लिए कई बार पत्राचार एवं मौखिक रूप से मांग की गयी । इसके बाद भी सचिव के द्वारा कोई भी अभिलेख यथा मूल व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी अनुमति। एम0 बी0, बिल/बाउचर, मस्टर रोल, मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण पत्र, मांग व वसूली पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेंडर/कोटेशन पत्रवाली आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय / उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के

सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1197102.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अविनाश यादव / प्रवीन कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत- रायपुर कला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-मानधाता

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विकास खंड मानधाता की ग्राम पंचायत रायपुर कला के ग्राम निधि प्रथम, और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/पासबुक पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट / पासबुक पर दर्शित धनराशि के अनुसार आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग/व्यय रुपये 1459834.00 दर्शित रहा । इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी बॉउचर / अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके लिए कई बार पत्राचार एवं मौखिक रूप से मांग की गयी । इसके बाद भी सचिव के द्वारा कोई भी अभिलेख यथा मूल व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी अनुमति। एम0 बी0, बिल/बाउचर, मस्टर रोल, मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण पत्र, मांग व वसूली पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेंडर/कोटेशन पत्रवाली आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय / उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1459834.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश बहादुर सिंह और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रवीण कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत- पुरे तोरई वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- मानधाता

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विकास खंड मानधाता की ग्राम पंचायत पूरे तोराई के ग्राम निधि प्रथम, और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/पासबुक पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट / पासबुक पर दर्शित धनराशि के अनुसार आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग/व्यय रुपये 1632260.00 दर्शित रहा । इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी बॉउचर / अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके लिए कई बार पत्राचार एवं मौखिक रूप से मांग की गयी । इसके बाद भी सचिव के द्वारा कोई भी अभिलेख यथा मूल व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी अनुमति। एम0 बी0, बिल/बाउचर, मस्टर रोल, मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण पत्र, मांग व वसूली पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेंडर/कोटेशन पत्रवाली आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय / उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1632260.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान

श्रीमती सुनीता और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अविनाश यादव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत- लाखापुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- मानधाता

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विकास खंड मानधाता की ग्राम पंचायत लाखापुर के ग्राम निधि प्रथम, और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/पासबुक पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट/पासबुक पर दर्शित धनराशि के अनुसार आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग/व्यय रुपये 1374225.00 दर्शित रहा । इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी बॉउचर / अभिलेख /मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके लिए कई बार पत्राचार एवं मौखिक रूप से मांग की गयी । इसके बाद भी सचिव के द्वारा कोई भी अभिलेख यथा मूल व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी अनुमति। एम0 बी0, बिल/बाउचर, मस्टर रोल, मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण पत्र, मांग व वसूली पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेंडर/कोटेशन पत्रवाली आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय / उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1374225.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम अजोर और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार पटेल उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर -43 ग्राम पंचायत- बीरमपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- मानधाता

ग्राम पंचायत बीरमपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान बैंक स्टेटमेंट और कोषबही से मिलने पर दिनांक 22/11/2021 को रुपये 219281.00 की धनराशि आहरित की गई यह धनराशि किस मद में व्यय किया गया कोई उल्लेख नहीं किया गया । न ही इसके संबंध में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक / बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से 50-50 प्रतिशत वसूल की जाएगी ।

वित्तीय नियमों मे निहित प्रावधानों के अनुसार आहृत धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है । अतः ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं सचिव श्री संजय यादव से बराबर - बराबर तातारीख ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर -44 ग्राम पंचायत- डोमीपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- लक्ष्मणपुर

ग्राम पंचायत- डोमीपुर के राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त से विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत ,हैंडपंप रिबोर पर व्यय धनराशि **रु 161240.00** के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बाउचर व डेड स्टॉक रजिस्टर तथा पत्रावलियां अनुपलब्ध रही,पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0) मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलिया व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।'' अतः अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक बाउचर प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक बाउचर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि **रु 161240.00** की नियमानुसार वसूली सम्बंधित **सचिव- श्री अनुराग यादव** एवं **प्रधान- श्रीमती अमरावती** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाए और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर -45 ग्राम पंचायत- गड़ईचकदेइया वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- सदर

ग्राम पंचायत- गड़ईचक देइया की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गबन/अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से वसूली की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि से ₹ 367854.00 व्यय किया गया।

व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाए गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ग्राम प्रधान - श्री अमित कुमार एवं पंचायत सचिव- श्रीमती संगीता सरोज से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -46 ग्राम पंचायत- उडैयाढीह वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- बाबाबेलखरनाथ धाम

ग्राम पंचायत- उडैया डीह की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गबन/अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से वसूली की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि से ₹ 2013396.00 व्यय किया गया।

व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाए गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ग्राम प्रधान - श्री अरुण कुमार सोनी एवं पंचायत सचिव- श्री प्रदुम्य कुमार से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -47 ग्राम पंचायत- अमरहा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- बाबाबेलखरनाथ धाम

ग्राम पंचायत- अमहरा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गबन/अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से वसूली की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि से ₹ 1096011.00 व्यय किया गया।

व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाए गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ग्राम प्रधान - श्रीमती मनीषा एवं पंचायत सचिव- श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -48 ग्राम पंचायत- गजरिया वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- बाबाबेलखरनाथ धाम

ग्राम पंचायत- गजरिया की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गबन/अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से वसूली की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि से ₹ 848821.00 व्यय किया गया।

व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाए गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्राशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ग्राम प्रधान - श्री शिवेंद्र बहादुर सिंह एवं पंचायत सचिव- श्री दुर्गेश यादव से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -49 ग्राम पंचायत- अमिलहा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- कुंडा

ग्राम पंचायत अमिलहा के राज्य वित्त खाता नं0 0716010041421 बैंक ऑफ बडौदा से निम्न विवरणसार आहरित किया गया है।

दिनांक	विवरण	सन्निहित धनराशि
25.01.2022-	प्राइमरी स्कूल के पास इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान मे0 श्रेया इण्टरप्राइजेस।	30788.00
25.01.2022-	शिव प्रसाद के घर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान मे0 श्रेया इण्टरप्राइजेस।	30756.00

25.01.2022- वासुदेव के घर के पास इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान मे0 श्रेया इण्टरप्राइजेस।	30857.00
16.03.2022- ग्राम पंचायत में 2 नग इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री एवं भुगतान	19700.00
16.03.2022- बलराम के घर के पास इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर	30956.00
21.03.2022- 8 नग इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री मजदूरी	39225.00
योग-	182282.00

उक्त विवरण ग्राम पंचायत अमिलहा के वर्ष 2021.22 में हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत के लिए आहरित रूपया 182282.00 (एक लाख बयासी हजार दो सौ बयासी) के सापेक्ष मागोपरान्त कोई भी व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और अन्ततः यह कहा गया कि रिबोर की फाइल मैने पंचायत सहायक श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी को दिया था उन्ही से कही मिस हो गयी है। मिल नही रही है। और अन्त तक बाउचर से सम्बन्धी अभिलेख अप्राप्त रहा ।

अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक न उपलब्ध कराये जाने पर आहरित धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

उक्त मैनुअल के आधार पर श्रीमती रेनू ग्राम प्रधान एवं नरेश यादव ग्राम विकास अधिकरी से रूपया 182282.00 (एक लाख बयासी हजार दो सौ बयासी) की वसूली मय ब्याज सहित पूरी रकम की आधी-आधी जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -50 ग्राम पंचायत- अमिलहा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- कुंडा

ग्राम पंचायत अमिलहा के क्रेन्दीय वित्त खाता नं0 07160100043326 आहरित निम्नवत है।

दिनांक	विवरण	सन्निहित धनराशि
11.01.2022	ग्राम पंचायत में रखी गयी आर०सी०सी० बेन्च का भुगतान में शिवम कान्सट्रक्सन	142500.00
13.01.2022	ग्राम सचिवालय में फर्नीचर का भुगतान में बाम्बे फर्नीचर	57000.00
13.01.2022	ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर प्रिन्टर आदि का भुगतान	60000.00
	योग-	259500.00

माह जनवरी 2022 में कुल आहरित धनराशि 259500.00 (दो लाख उन्सठ हजार पाच सौ मात्र) के सापेक्ष मागोपरान्त कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार रूपया 259500.00 को व्यय प्रमाणक बिहीन होने के कारण अपहरण की श्रेणी में आती है।

अतः ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेश यादव से कुल रूपया 259500.00 पर मय ब्याज सहित ब्याज का आकलन करके सम्पूर्ण रकम की आधी-आधी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान ग्राम विकास से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -51 ग्राम पंचायत- मुबारकपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- कुंडा

ग्राम पंचायत मुबारकपुर के वर्ष 2021-22 की कैशबुक के माह जुलाई 2021 में 17.07.2021 को खाता प्रथम/20530100003690 से रू 54943.00 आहरित किया गया किन्तु कैशबुक के आय एवं व्यय पक्ष में उक्त धनराशि शासन से प्राप्त 54943.00 दर्शित कर दिया गया है। इस प्रकार आहरित धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में किसी कार्य हेतु व्यय दर्शित नहीं किया गया। इससे उक्त आहरित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न रहने पर सबंधित धनराशि को गबन माना जाए। अतः उक्त धनराशि को प्रधान श्री राजेन्द्र यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेश यादव से रू 54943.00 से मय ब्याज सहित संयुक्त जिम्मेदारी से बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -52 ग्राम पंचायत- मुबारकपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- कुंडा

ग्राम पंचायत मुबारकपुर के राज्य वित्त खाता सं0 20530100003690 से आहरित धनराशि 916656-00 की प्रविष्टी कैशबुक में की गयी। किन्तु उक्त धनराशि के व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक के मांगे जाने पर अभिलेख आवास में रखे है कह कर टाल दिया गया और अन्ततः मांगोपरान्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त धनराशि 916656-00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न रहने पर सबंधित धनराशि को गबन माना जाए। अतः उक्त धनराशि को प्रधान श्री राजेन्द्र यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेश यादव से रू 916656-00 से मय ब्याज सहित संयुक्त जिम्मेदारी से बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -53 ग्राम पंचायत- मुबारकपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- कुंडा

ग्राम पंचायत मुबारक के वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त खाता नं0 205301000011498 से दिनांक 31-07-2021 रू 215223-00 आहरित किया गया । किन्तु गुमराह करने की नियत से कैशबुक के आय -व्यय पक्ष में उक्त धनराशि को शासन से प्राप्त 215223.00 दर्शित किया गया है । इस प्रकार आहरित धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में किसी कार्य हेतु व्यय दर्शित नहीं किया गया। इससे उक्त आहरित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न रहने पर सबंधित धनराशि को गबन माना जाए। अतः उक्त धनराशि को प्रधान श्री राजेन्द्र यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेश यादव से रू 215223.00 से मय ब्याज सहित संयुक्त जिम्मेदारी से बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -54 ग्राम पंचायत- मुबारकपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- कुंडा

ग्राम पंचायत मुबारक के वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त के खाता संख्या 2053010001498 से दिनांक 01-01-2022 को रू0 31000.00 आहरित किया गया पुनः इसी तिथि को 01-01-2022 को इतनी ही धनराशि 31000.00 आहरित किया गया परन्तु कैशबुक में दो आहरण के सापेक्ष एक बार ही 31000.00 व्यय की प्रविष्टि कर कार्य विवरण अंकित किया गया है। दिनांक 01.01.2022 को आहरित 31000.00 इस व्यय की पुष्ठि नही की जा सकी।

अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया जाता है तो संबंधित धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेश यादव से रू0 31000.00 की वसूली त तारीख मय ब्याज सहित सयुक्त जिम्मेदारी के साथ बराबर-बराबर धनराशि वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर -55 ग्राम पंचायत- भेभौरा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- लालगंज

ग्राम पंचायत भेभौरा विकास खण्ड-लालगंज के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 26-07-2021 को ग्राम पंचायत भेभौरा के खाता प्रथम से खाता सं0 33680100004132 से रू 42784.00 आहरित कर कैश बुक में खाता 01/4132 से हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय दर्शित किया गया किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष मांगोपरान्त कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खाता प्रथम /4132 से आहरित धनराशि 42784.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के आहरित की गयी धनराशि का अपहरण किया गया। अतः ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला एवं ग्राम पंचायत श्रीमती नीलम से विभागीय नियमानुसार उक्त धनराशि की बराबर-बराबर संयुक्त जिम्मेदारी से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर -56 ग्राम पंचायत- रोहाड़ा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- लालगंज

ग्राम पंचायत रोहाड़ा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 24-01-2022 को खाता प्रथम खाता सं0 31555737305 से रू0 37500.00 से आहरित कर कैशबुक में ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु बैट्री सोलर पैनल इनर्वटर क्रय हेतु व्यय दर्शित किया गया है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष मांगोपरान्त कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे खाता प्रथम /7305 से आहरित धनराशि 37500.00 की पुष्टि नहीं हो सकी।

प्रस्तर -57 ग्राम पंचायत- रोहाड़ा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- लालगंज

ग्राम पंचायत रोहड़ा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 06-01-2022 को खाता प्रथम खाता सं0 31555737305 से 16350.00 आहरित कर कैश बुक में ग्राम पंचायत की सफाई हेतु सफाई किट क्रय हेतु व्यय दर्शित किया गया। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष मांगोपरान्त कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे खाता प्रथम /737305 से आहरित धनराशि रू 16350.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के आहरित की गयी धनराशि का अपहरण किया गया। अतः उक्त धनराशि 37500.00 एवं 16350.00 कुल धनराशि 53850.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जगन्नाथ यादव एवं प्रधान श्रीमती अमरावती से विभागीय नियमानुसार बराबर-बराबर संयुक्त जिम्मेदारी से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर -58 ग्राम पंचायत- कल्हवारी वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- लालगंज

ग्राम पंचायत- रामपुर कल्हवारी के राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त से विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत ,हैंडपंप रिबोर पर व्यय धनराशि **रु 234516.00** के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बाउचर व डेड स्टॉक रजिस्टर तथा पत्रावलियां अनुपलब्ध रही,पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-

''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0) मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलिया व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।'' अतः अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक बाउचर प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक बाउचर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि **रु 234516.00** की नियमानुसार वसूली सम्बंधित **सचिव- श्रीमती आशापाल** एवं **प्रधान-श्रीमती उर्मिला देवी** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाय, और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर -59 ग्राम पंचायत- पुरे गजई वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- रामपुर संग्रामगढ़

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत- **पुरे गजई** विकास खण्ड –**रामपुर संग्रामगढ़** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के लेखा परीक्षा पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी। निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 7,30,505.20** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 7,30,505.20** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान-**श्रीमती लक्ष्मी** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव –**श्री राजीव सरोज** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की ब्याज साहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर -60 ग्राम पंचायत- पुरेफत्तेसिंह वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- रामपुर संग्रामगढ़

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत- **पुरे फत्ते सिंह** विकास खण्ड –**रामपुर संग्रामगढ़** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के लेखा परीक्षा पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी। निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 7,42,195.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय **₹ 7,42,195.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान-**श्री कमलेश कुमार** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव – **श्री प्रमान्शु पाण्डेय** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की ब्याज साहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर -61 ग्राम पंचायत- कन्हैया दुल्लापुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- रामपुर संग्रामगढ़

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत- **कन्हैया दुल्लापुर** विकास खण्ड –**रामपुर संग्रामगढ़** के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के लेखा परीक्षा पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी।निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त के कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय **₹ 8,34,010.40** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 8,34,010.40 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान-**श्री राकेश कुमार** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव – **श्री प्रमान्शु पाण्डेय** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की ब्याज साहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर -62 ग्राम पंचायत- सराय मघई वर्ष-2021-22 विकास खण्ड- रामपुर संग्रामगढ़

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत- सराय मधई विकास खण्ड –पट्टी की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा बैंक पासबुक / स्टेटमेंट पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक पासबुक / स्टेटमेंट पर दर्शित धनराशि के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय ₹ 10,92,084.00 दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि

के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 10,92,084.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री परसुराम ओझा और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव – श्री सुनील कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की ब्याज साहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

जनपद - प्रयागराज मण्डल - प्रयागराज

प्रारूप - 4

ग्राम पंचायत

1- ग्राम पंचायत - समलीपुर विकास खंड - मेजा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 1- आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत समलीपुर की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्यवित्त एंव केन्द्रीय वित्त में व्यय धनराशि ₹1318782.00 अंकित रहा जिसमे रीकैंसिलेशन/रिजेक्टिड धनराशि रु.161362.00 भी सम्मलित है| अत:कुल व्यय धनराशि रु.1157420.00 रहा जिसके सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर मूल व्यय / अभिलेख /प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग (पाचवॉ एस एफ सी)और केन्द्रीय वित्त आयोग मद से निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है-

क्र0	दिनांक	वाउचर नंबर	धनराशि	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता

01	11.08.2021	एफएफसी/2021-22/पी /01	88852.00	प्रा.वि.समलीपुर मे किचेनटाइल्स	अवध इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन
02	21.10.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी /2	22131.00	हैण्डपम्प मरम्मत	जयहनुमान इंटरप्राइजेज
03	26.10.2021	चौथा एस एफ सी /2021-22/पी /3	28553.00	हैण्डपम्प मरम्मत	जयहनुमान इंटरप्राइजेज
04	21.10.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी /01	143360.00	ह्यूमपाइप	जयहनुमान इंटरप्राइजेज
05	17.11.2021	XV एफ सी /2021-22/पी /05	143360.00	ह्यूमपाइप	जयहनुमान इंटरप्राइजेज
06	11.08.2021	एफएफसी /2021-22/पी/02	78776.00	प्रा.वि.भभौर में किचेन टाइल्स	अवध इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन
07	11.08.2021	एफएफसी /2021-22/पी/03	76801.00	जूनि.वि. समलीपुर किचेननिर्माण	अवध इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन
08	11.08.2021	एफएफसी /2021-22/पी /04	86512.00	जूनि.वि. भभौर किचेननिर्माण	अवध इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन
09	17.11.2021	XVएफसी/2021-22/पी /06	89764.00	प्रा.वि. समलीपुर में टाइल्स	जयहनुमान इंटरप्राइजेज
10	17.11.2021	XVएफसी/2021-22/पी /07	119465.00	जूनि.वि. समलीपुर में टाइल्स	जयहनुमान इंटरप्राइजेज
11	11.08.2021	XVएफसी/2021-22/पी /01	142000.00	पंचा. भवन मरम्मत सामग्री	अवध इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन
12	28.10.2021	XVएफसी/2021-22/पी /02	54428 .00	पंचा. भवन मरम्मत सामग्री	एल पी एस ट्रेडर्स
13	28.10.2021	XVएफसी/2021-22/पी /03	44623.00	पंचा. भवन मरम्मत सामग्री	. एल पी एस ट्रेडर्स
14	09.02.2022	XVएफसी/2021-22/पी /01	174650.00	पंचा. भवन इक्वीपमेंट	अवध इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन
15	11.12.2021	XVएफसी/2021-22/पी /08	18000.00	एस एच जी	संग्रह प्रेरणामहिला संघ

16	08.11.2021	XVएफसी/2021-22/पी /04	2538.00	पेपर वर्क टेण्डर	शर्मा इकम्यूनिकेशन.
17	18.02.2022	पांचवां एस एफ सी /2021-22/पी /04	2500 .00	पेपर वर्क टेण्डर	सूरत
18	28.10.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी /04	2467.00	पेपर वर्क टेण्डर	जनमोर्चा पेपर
19	21.10.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी /1	01.00	पी आर आई	जयहनुमान इंटरप्राइजेज
20	21.10.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी /2	01.00	पी आर आई	जयहनुमान इंटरप्राइजेज
		कुल योग	1318782.00		

कुल धनराशि शब्दों में- रु. तेरह लाख, अठारह हजार, सात सौ, वयासी

व्यय धनराशि- 1318782.00

रीकैंसिलेशन/रिजेक्टिड धनराशि- 161362.00

कुल व्यय धनराशि- रु.1157420.00

उपरोक्त उपभोग/व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई। व्यक्तिगत मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। तदोपरांत पत्राचार के माध्यम से भीअभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वितीय और तकनीकी अनुमति, एम०बी०, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1157420.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली, लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति निशा देवी (रु578710.00) और सचिव श्री संजय शुक्ला (रु578710.00) से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है, और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(पैरा-11)

2- ग्राम पंचायत - मदरहा विकास खंड - मेजा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 2- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के आधार पर की गयी जिसमे पाया गया कि दिनांक 7-09-2021 से दिनांक 24-03-2022 तक कुल रु 566513.00 का व्यय किया गया है। व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेटेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलबाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256 (1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए धनराशि रु. 566513.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सुषमा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रविकान्त शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है।

क्र.सं.	कार्य विवरण	दिनांक/बाउचरसं.	व्यय धनराशि रु.
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	7/9/2021/एस एफ सी /2021-22/पी/2 24/3/2022/एस एफ सी /2021-22/पी /5	48562.00 60760.00
2-	प्रा.वि.एंव जूनि.वि. मदरहा में टाइल्स कार्य	15/2/2022/पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी /9	80803.00
	प्रा.वि.एंव जूनि.वि. मदरहा में टाइल्स कार्य	24/3/2022/एस एफ सी /2021-22/पी /6	66585.00
	.वि.एंव जूनि.वि. मदरहा में किचनशेड	24/12/2021/एस एफ सी /2021-22/पी /3	25277.00
	जूनि.वि. मदरहा मे शौचालय	9/2/2022/पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी /6	31869.00
	प्रा.वि.निधि का पूरा मे शौचालय	9/2/2022/पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी /8	62140.00
	प्रा.वि.मदरहा मे दिव्यांग शौचालय	24/12/2021/एस एफ सी /2021-22/पी /4	74692.00
	प्रा.वि.मदरहा मे दिव्यांग शौचालय	24/12/2021/एस एफ सी /2021-22/पी /5	62296.00
3-	पंचायत भवन सामग्री	7/9/2021/एस एफ सी /2021-22/पी /1	53529.00
			566513.00

3- ग्राम पंचायत - पथरा विकास खंड - मेजा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 3- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट और स्टेटमेंट के आधार पर की गयी जिसमें पाया गया कि दिनांक 26-07-2021 से दिनांक 13-03-2022 तक कुल रु 2561337.00 का व्यय किया गया है। व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलबाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी। अतः व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए धनराशि रु. 2561337.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति आशा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री संजय शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है

क्र.सं.	**कार्य विवरण**	**दिनांक/बाउचरसं.**	
1	-हैण्डपम्प मर	21/7/26/एस एफ सी /2021-22/पी/1	40898.00
	"	12/12/2021/एस एफ सी /2021-22/पी /10	23447.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	5/9/2021/एफ एफ सी /2021-22/पी /6	69241.00
	"	5/9/2021/एफ एफ सी /2021-22/पी /7	68278.00
3-	ह्यूम पाइप	26/7/2021/चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/1	186295.00
	" मजदूरी	30/9/2021/पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी /4	10400.00
4-	पंचायत भवन इक्वीपमेन्ट	14/1/2022/एस एफ सी /2021-22/पी /12	175000.00
5-	इण्टरलाकिंग सामग्रीकोहडार-कोरांव मार्ग से		
	लाल वहादुर के घर तक	6/12/2021/XV एफ सी /2021-22/पी7	162663.00
		26/1/2022/XV एफ सी /2021-22/पी /	45718.00
	"मजदूरी	8/02/2022/XV एफ सी /2021-22/पी /22	25496.00
		26/1/2022/XV एफ सी /2021-22/पी /18	25496.00
	आशाराम के घर से	31/12/2022/XV एफ सी /2021-22/पी /10	128060.00
	राम लाल के घर तक	26/1/2022/XV एफ सी /2021-22/पी /15	87407.00
	मजदूरी	26/1/2022/XV एफ सी /2021-22/पी /17	25700.00
	प्रा.वि. पथरा से मायाशंकर के घर तक	26/1/2022/XV एफ सी /2021-22/पी /19	173658.00

	13/3/2022/XV एफ सी /2021-22/पी /23	85350.00
" मजदूरी	13/3/2022/XV एफ सी /2021-22/पी /24	32580.00
जटहरा मार्ग से भारतलालपाँडे के घर तक	26/1/2022/XV एफ सी /2021-22/पी /20	204736.00
6- प्रा.वि. रौनी में टाइल्स कार्य	26/7/2021/एस एफ सी /2021-22/पी /2	24177.00
	26/7/2021/एस एफ सी /2021-22/पी /3	92742.00
	5/9/2021/XV एफ सी /2021-22/पी /3	60902.00
-जूनि.वि. "	26/7/2021/एस एफ सी /2021-22/पी /4	91659.00
	5/9/2021/XV एफ सी /2021-22/पी /	71930.00
-प्रा.वि.एंव जूनि.वि. में किचन टाइल्स	26/7/2021/एस एफ सी /2021-22/पी /5	14909.0
-" " "	26/7/2021/एस एफ सी /2021-22/पी/8	35545.00
-" " मजदूरी	30/9/2021/पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी /1	15180.00
-" " मजदूरी	30/9/2021/पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी /2	49180.00
-" " मजदूरी	30/9/2021/पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी /3	44448.00
-" " मजदूरी	30/10/2021/एस एफ सी /2021-22/पी /9	32838.00
7 -आंगनवाडी केन्द्र की	5/9/2021/XV एफ सी /2021-22/पी /2	97659.00
मरम्मत एंव टाइल्स कार्य		
-" " "	30/9/2021/पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/6	64789.00
8 - ख़डन्जा रमेशविहारी के	30/10/2021/पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/5	87991.00
घर से चन्द्रा के घर तक		
- ख़डन्जा रमेशविहारी के	17/1/2022/XV एफ सी /2021-22/पी /13	58224.00
घर से लालचन्द्र के घर तक		
-" " " मजदूरी	17/1/2022/XV एफ सी /2021-22/पी /14	20844.00
9- हैण्डपम्प प्लेटफार्म दया	12/12/2021/पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी /9	19384.00
शंकर के घर		
10- एस एच जी	6/12/2021/XV एफ सी /2021-22/पी /8	18000.00

11- पक्की नाली आनन्द के 13/3/2022/XV एफ सी /2021-22/पी/25 90513.00

घर से कोहडार मार्ग तक

योग **2561337.00**

(पैरा-11)

4- ग्राम पंचायत - सुहास विकास खंड - मेजा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 4- आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत सुहास की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्यवित्त एंव केन्द्रीय वित्त में व्यय धनराशि रु-1752643.00 में रिजेक्टिड & रिकैन्सिलेशन की धनराशि रु. 170798.00 भी सम्मलित है, के सापेक्ष कुल व्यय धनराशि रु.1581845.00 रहा। परन्तु ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग (पाचवॉ एस एफ सी) और केन्द्रीय वित्त मद से निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है-

क्र0	दिनांक	वाउचर नंबर	धनराशि	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	05.07.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/01	54000.00	एस एच जी	संग्रह प्रेरणा महिला संघ
02	26.07.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/01	28711.00	हैण्डपम्प मरम्मत	जय हनुमान इंटरप्राइजेज
03	26.07.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/02	106424.00	ह्यूम पाइप	जय हनुमान इंटरप्राइजेज
04	06.08.2021	एफएफसी/2021-22/पी/01	79387.00	**प्राथ.वि. विसरी मे किचेन टाइल्स**	जय हनुमान इंटरप्राइजेज
05	06.08.2021	एफएफसी/2021-22/पी/02	126189.00	**प्राथ.वि. विसरी मे कक्ष टाइल्स**	जय हनुमान इंटरप्राइजेज
06	06.08.2021	एफएफसी/2021-22/पी/03	172796.00	हैण्डपम्प रिबोर	जय हनुमान इंटरप्राइजेज
07	12.09.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/02	85926.00	**प्राथ.वि. सुहास में कक्ष टाइल्स**	जय हनुमान इंटरप्राइजेज
08	12.09.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/03	120417.00	**प्राथ.वि. सुहास में किचेन टाइल्स**	जय हनुमान इंटरप्राइजेज
09	28.10.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/04	97183.00	**जूनि.. वि. सुहास में किचेन टाइल्स**	जय हनुमान इंटरप्राइजेज

10	28.10.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/10	39060.00	**प्राथ.वि. सुहास में कक्ष टाइल्स**	जय हनुमान इंटरप्राइजेज
11	28.10.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/06	5304.00	ह्यूम पाइप मजदुरी	विपिन कुमार
12	28.10.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/12	25096.00	**प्राथ.वि. विसरी मे कक्ष टाइल्स** मजदुरी	प्रमोदसुनील,
13	31.10.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/08	2950.00	डिजिटल साइन	एशिया इंटरप्राइजेज
14	03.12.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/01	21000.00	मानदेय	रविन्दर कुमार
15	12.12.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/02	67544.00	कोरांव सम्पर्क मार्ग से सगरा तलाब तक खडन्जा	जय हनुमान इंटरप्राइजेज
16	12.12.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/03	123894.00	शिवमोहन के घर से धर्मराज के घर तक इंटरलाकिंग	जय हनुमान इंटरप्राइजेज
17	12.12.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/09	18000.00	एस एच जी	संग्रह प्रेरणा महिला संघ
18	14.01.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/10	175000.00	पंचायत भवन इक्वूपमेंट	सक्षम इंटरप्राइजेज
19	15.01.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/04	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय	रोहित कुमार
20	26.01.2022	एफएफसी/2021-22/पी/04	33000.00	हैण्डपम्प रिबोर	सक्षम इंटरप्राइजेज
21	26.01.2022	एफएफसी/2021-22/पी/05	11995.00	पंचायत भवन मरम्मत	सक्षम इंटरप्राइजेज
22	04.02.2022	एफएफसी/2021-22/पी/06	4244.00	पंचायत भवन मरम्मत मजदुरी	प्रमोदसुनील,
23	26.01.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/11	25893.00	प्राथ.वि. विसरी मे किचेन टाइल्स	सक्षम इंटरप्राइजेज
24	26.01.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/12	10905.00	प्राथ.वि. विसरी मे कक्ष टाइल्स	सक्षम इंटरप्राइजेज
25	26.01.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/13	29098.00	प्राथ.वि. विसरी मे कक्ष टाइल्स	सक्षम इंटरप्राइजेज
26	26.01.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/14	28673.00	प्राथ.वि. सुहास में किचेन टाइल्स	सक्षम इंटरप्राइजेज
27	26.01.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/14	46112.00	प्राथ.वि. सुहास में किचेन टाइल्स मजदुरी	प्रमोद ,सुनील
28	26.01.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/15	19212.00	प्राथ.वि. विसरी मे कक्ष टाइल्स	प्रमोदपवन,

29	08.02.2022	एफएफसी/2021-22/पी/07	2000.00	पंचायत भवन मरम्मत मजदुरी	ईश्वरशरण
30	08.02.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/17	20000.00	प्राथ.वि. सुहास में किचेन टाइल्स	ईश्वरशरण
31	08.02.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/18	8400.00	प्राथ.वि. विसरी मे कक्ष टाइल्स मजदुरी	ईश्वरशरण
32	13.03.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/19	88015.00	शिवमोहन के घर से धर्मराज के घर तक इंटरलाकिंग	सक्षम इंटरप्राइजेज
33	13.03.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/20	24919.00	कोरांव सम्पर्क मार्ग से सगरा तलाब तक खडन्जा	सक्षम इंटरप्राइजेज
34	13.03.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/21	25904.00	शिवमोहन के घर से धर्मराज के घर तक इंटरलाकिंग	सुनील
35	13.03.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/22	19392.00	कोरांव सम्पर्क मार्ग से सगरा तलाब तक खडन्जा	सुनील
			1752643-00		

कुल धनराशि 1752643-00

रिजेक्टिड रिकैंसिलेशन

उपरोक्त उपभोग/व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई। व्यक्तिगत मांगने के उपरांत भी कोई भीमूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। तदोपरांत पत्राचार के माध्यम से भीअभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वितीय और तकनीकी अनुमति, एम०बी०, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय धनराशि -1581845.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली, लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8- क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली, ग्राम प्रधान श्री रविन्दरकुमार (रु.790723.00) और सचिव श्री संजय शुक्ला से

(रु.790722.00) मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है, और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(पैरा-1)

5- ग्राम पंचायत - भटौती विकास खंड - मेजा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 5- आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत भटौती की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्यवित्त एव केन्द्रीय वित्त में व्यय धनराशि रु. 3328602.00 अंकित रहा जिसमे रिकैंसिलेशन/रिजेक्टिड धनराशि रु 299196..00 भी सम्मलित है। अतः कुल व्यय धनराशि रु3029406..00 रहा जिसके सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग) पांचवां एस एफ सी) और केन्द्रीय वित्त आयोग मद से निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है-

क्र0	दिनांक	वाउचर नंबर	धनराशि	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	05.07.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/01	54000.00	एस एच जी	संग्रह प्रेरणामहिला संघ
02	16.06.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/1	64332.00	हैण्डपम्प मरम्मत	उमंग इंटरप्राइजेज
03	02.08.2021	एफएफसी/2021-22/पी/4	32166.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंश एशोसिएट
04	02.08.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/2	73760.00	प्रा.वि. सुन्नदा का पूरा में किचेन टाइल्स	माँशान्ती इंटरप्राइजेज
05	05.09.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/02	5900.00	डिजिटल साइन	एशिया इंटरप्राइजेज
06	05.09.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/03	71110.00	प्रा.वि. सुन्नदा का पूरा में आंगनवाडीकेन्द्र मे टाइल्स	माँशान्ती इंटरप्राइजेज
07	05.09.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/03	32021.00	रामसजीवन के घर के पास कूप जगत मरम्मत	अंश एशोसिएट

08	05.09.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/03	43745.00	कृष्णलाल के घर के पास कूप जगत मरम्मत	अंश एशोसिएट
09	05.09.2021	एफएफसी/2021-22/पी/05	29926.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अंश एशोसिएट
10	05.09.2021	एफएफसी/2021-22/पी/06	40671.00	रमाशंकर के घर से कुमार तिवारी के घर तक पक्की नाली	अंश एशोसिएट
11	05.09.2021	एफएफसी/2021-22/पी/07	50103.00	रामसजीवन के घर से विशम्भर के घर तक इंटरलाकिंग	अंश एशोसिएट
12	17.09.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/2	01.00	PRP	शिवबाबा
13	17.06.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/2	38590.00	गोवंशस्थल वाउण्ड्रीनाल मरम्मत	उमंग इंटरप्राइजेज
14	17.06.2021	एफएफसी/2021-22/पी/03	116426.00	मिठाई लाल के घर से रामविलास के घर तक इंटरलाकिंग	उमंग इंटरप्राइजेज
15	17.06.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/01	173799.00	भोला के घरसे छोटेलाल के घर तक इंटरलाकिंग	उमंग इंटरप्राइजेज
16	16.06.2021	एफएफसी/2021-22/पी/01	180643.00	पक्की रोड के घरसे बन्दीदूबे के घर तक इंटरलाकिंग	उमंग इंटरप्राइजेज
17	16.06.2021	एफएफसी/2021-22/पी/02	180837.00	रामदेव के घर से नाला तक इंटरलाकिंग	उमंग इंटरप्राइजेज
18	27.01.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/10	174500.00	पंचाभवन इक्वीपमेंट.	माँशान्ती इंटरप्राइजेज
19	30.09.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-2022/पी/04	56960.00	प्रा.वि. भटौती में हैण्डपम्प रिबोर	अंश एशोसिएट
20	30.09.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-2022/पी/05	43700.00	प्रा.वि. भटौती में हैण्डपम्प रिबोर	अंश एशोसिएट

21	21.10.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-2022/पी/6	16500.00	नीर निर्मल बैठक	एशिया इंटरप्राइजेज
22	21.10.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-2022/पी/7	61416.00	हैण्डपम्प रिबोर	एशिया इंटरप्राइजेज
23	21.10.2021	एफएफसी/2021-22/पी/08	20720.00	गोवंशस्थल पर सवमर्सिवल	अंश एशोसिएट
24	22.10.2021	एफएफसी/2021-22/पी/09	42000.00	प्रा.वि. बिसरी मे कक्ष मरम्मत	अजयनीरज,
25	23.10.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/03	96625.00	स्ट्रीट लाइट	विजन सोलर सिस्टम
26	30.10.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/05	10080.00	स्टेशनरी	एशिया इंटरप्राइजेज
27	30.10.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/06	10080.00	स्टेशनरी	एशिया इंटरप्राइजेज

28	31.10.2021	एफएफसी/2021-22/पी/10	47034.00	गोपालक मजदूरी	मदनसुरेश,हरीश,	
29	17.11.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/06	47897.00	रामसजीवन के घर के पास कूप जगत मरम्मत	अंश एशोसिएट	
30	17.11.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/07	38469.00	कृष्णलाल के घर के पास कूप जगत मरम्मत	अंश एशोसिएट	
31	17.11.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/07	2467.00	पेपर वर्क टेण्डर	जनमोर्चा	
32	17.11.2021	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/08	13540.00	रामसजीवन के घर के पास कूप जगत मरम्मत	अंश एशोसिएट	
33	06.12.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/08	2467.00	पेपर वर्क टेण्डर	जनमोर्चा	
34	06.12.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/09	2520.00	पेपर वर्क टेण्डर	यूनाइटेड भारत	
35	06.12.2022	एफएफसी/2021-22/पी/11	72000.00	सीताराम के घरसे सिपाही लाल के घर तक इंटरलाकिंग	अंश एशोसिएट	
36	08.12.2022	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/09	13540.00	रामसजीवन के घर के पास कूप जगत मरम्मत की मजदूरी	अजय	
37	08.12.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/10	18000.00	एस एच जी	संग्रह प्रेरणामहिला संघ	
38	08.12.2022	चौथा एस एफ सी/2021-22/पी/10	21876.00	कृष्णलाल के घर के पास कूप जगत मरम्मत की मजदूरी	अजय	
39	08.12.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/10	7790.00	प्रशासनिक व्यय	Director P.R.	
40	08.12.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/12	2500.00	प्रा सुन्नदा का पूरा का.वि. बिजली विल	EDDबिजली विल	
41	08.12.2022	एफएफसी/2021-22/पी/12	118324.00	हैण्डपम्प रिबोर मनीष के घर	माँशान्ती इंटरप्राइजेज	
42	08.12.2022	एफएफसी/2021-22/पी/13	6064.00	रामसजीवन के घर से विशम्भर के घर तक इंटरलाकिंग मजदूरी	अजय	
43	09.12.2022	एफएफसी/2021-22/पी/14	186866.00	गोवंशस्थल वाउण्ड्रीवाल मरम्मत	माँशान्ती इंटरप्राइजेज	
44	16.01.2022	एफएफसी/2021-22/पी/15	62712.00	गोपालक बेतन	मदन,रामपाल,हरीश्चंद, सुरेश	
45	16.01.2022	एफएफसी/2021-22/पी/16	186866.00	गोवंशस्थल वाउण्ड्रीवाल मरम्मत	माँशान्ती इंटरप्राइजेज	

46	27.01.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-2022/पी/9	6000.00	पंचासहायक मानदेय.	विमलेश कुमार
47	28.01.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-2022/पी/10	48249.00	हैण्डपम्प रिबोर	माँशान्ती इंटरप्राइजेज
48	28.01.2022	एफएफसी/2021-22/पी/17	67200.00	शेषमणी के घर से नाला तकअण्डरग्राउण्डनाली	माँशान्ती इंटरप्राइजेज
49	28.01.2022	एफएफसी/2021-22/पी/18	212779.00	मिठाई लाल के घर से हरेराम के घर तक इंटरलाकिंग	माँशान्ती इंटरप्राइजेज
50	21.02.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-2022/पी/11	48249.00	हैण्डपम्प मरम्मत	माँशान्ती इंटरप्राइजेज
51	15.03.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-2022/पी/12	48249.00	हैण्डपम्प मरम्मत	माँशान्ती इंटरप्राइजेज
52	15.03.2022	XV एफ सी /2021-2022/पी/14	6000.00	पंचासहायक मानदेय.	विमलेश कुमार
53	15.03.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/15	83439.00	मिठाई लाल के घर से हरेराम के घर तक इंटरलाकिंग	माँशान्ती इंटरप्राइजेज
54	15.03.2022	एफएफसी/2021-22/पी/19	41808.00	गोपालक बेतन	मदन,रामपाल,हरीश्चंद, सुरेश
55	15.03.2022	एफएफसी/2021-22/पी/17	15717.00	शेषमणी के घर से नाला तकअण्डरग्राउण्डनाली	माँशान्ती इंटरप्राइजेज
56	23.032002	पांचवां एस एफ सी/2021-2022/पी/13	24500.00	मानदेय	मैना लाल
57	23.03.2022	XV एफ सी /2021-2022/पी/16	6000.00	पंचासहायक मानदेय.	विमलेश कुमार
58	23.03.2022	एफएफसी/2021-22/पी/21	44148.003	मिठाई लाल के घर से हरेराम के घर तकइंटरलाकिंगमजदूरी	अजय कुमार
59	23.03.2022	एफएफसी/2021-22/पी/22	8096.00	शेषमणी के घर से नालातकअण्डरग्राउण्डनालीमजदूरी	अजयमदन,
60	25.10.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/04	96625.00	स्ट्रीट लाइट	विजन सोलर सिस्टम
			3328602.00		

उपरोक्त उपभोग/व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई। व्यक्तिगत मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। तदोपरांत पत्राचार के माध्यम से भी अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका,

कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम०बी०, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहठी० कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी
आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय रु. 3029406.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली, लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8- क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री मैना लाल (रु1514703.00) और सचिव श्री रविकान्त शुक्ला (रु1514703.00) से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है, और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है

(पैरा-11)

6- ग्राम पंचायत - बसखड़ी विकास खंड - मांडा जनपद - प्रयागराज
वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 6- ग्राम पंचायत बसकड़ी के वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित बय धनराशि ₹1146752.00 के आधार पर संपन्न की गई है। वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा ई ग्राम स्वराज पर उक्त अंकित व्यय धनराशि ₹1146752.00 के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, कार्य माप पुस्तिका (एम0बी0), केशवुक, पासबुक, बिल /वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, कराए गए कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज / ऑनलाइन पर ग्राम पंचायत बसकड़ी द्वारा दर्शित व्यय धनराशि ₹1146752.00 की पुष्टि के लिए ग्राम पं०/वि० अधिकारी द्वारा कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक ऑफलाइन / भौतिक रुप से प्रस्तुत नहीं किया गया | अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पं०/वि० अधिकारी

से संयुक्त रूप से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा", उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत बमकी द्वारा व्यय दर्शित धनराप्ति ₹1146752.00 गबन की श्रेणी में आती है। अतः व्यय की गयी कुल धनराशि ₹1146752.00 (रु. ग्यारह लाख छियालिस हजार सात सौ बावन) की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री भाग्यभूषण से एवं आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत में निम्न कार्यों पर व्यय दर्शित है-
1. ग्राम पंचायत मेंएस एच जीहेतु भुगतान 27000.00
2. ग्राम पंचायत में पेसिस्टम हेतु भुगतान - 25724.00
3. ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद का भुगतान - 15000.00
4. पीएस बसकड़ी में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) - 130400.00
5. ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) 132390.00
6. पंचायत भवन निर्माण कार्य का सामग्री भुगतान - 49500.00
7.15 केंद्र वित्त आयोग प्रशासनिक किस्त का भुगतान- 2945:00
8. ग्राम पंचायत में नाली निर्माण कार्य का भुगतान (लक्ष्मी नारायण के घर से तालाब तक) (सामग्री एवं मजदूरी) 178107.00
9. यूपीएस बसकड़ी के कैम्पस में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) 168420.00
10. ग्राम पंचायत में हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) 133014.00
11. पंचायत सहायक के मानदेय का भुगतान 18000.00
12. लक्ष्मी नारायण के घर से तालाब तक नाली पर पत्थर की पटिया ढकने के कार्य परव्यय (सामग्री एवं मजदूरी) -59752.00
13. पंचायत भवन में कुर्मी, टेबुल एवं कंप्यूटर सेट हेतु भुगतान - 206500.00 व्यय की गयी कुल धनराशि = ₹ 1146752.00

(पैरा-1)

7- ग्राम पंचायत वेला अहिरान विकास खंड - मांडा जनपद -प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 7. ग्राम पंचायत वेलाअहिरान के वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि ₹539369.00 के आधार पर संपन्न की गई है। वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा ई ग्राम स्वराज पर उक्त अंकित व्यय धनराशि ₹539369.00 के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, कार्य माप पुस्तिका (एम०बी०), कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, कराए गए कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज /ऑनलाइन पर ग्राम पंचायत बेलाअहिरान द्वारा दर्शित्त व्यय धनराशि ₹539369.00 की पुष्टि के लिए ग्राम पं०/वि० अधिकारी द्वारा कोई भी मूल अभिलेख और व्यय

प्रमाणक ऑफलाइन / भौतिक रुप से प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पं०/वि० अधिकारी से संयुक्त रूप से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा", उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत बेलाअहिरान द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि ₹539369.00 गबन की श्रेणी में आती है। अतः व्यय की गयी कुल धनराशि ₹539369.00 (पांच लाख उनचालीस हजार तीन सौ उनहत्तर) की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री भाग्यभूषण से एवं आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत में निम्न कार्यों पर व्यय दर्शित है-

1. ग्राम पंचायत में कोविड-19 दवा स्प्रे मशीन हेतु भुगतान 13200.00

ग्राम पंचायत में निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान 2500.00

2. 3. पीएस बेलाबहिरान में हैंडवाश निर्माण कार्य का भुगतान 60098.00

4. ग्राम पंचायत में हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय - 257992.00

5. ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) 19400.00 . ग्राम पंचायत में सी सी रोड मरम्मत एवं पीवीसी पाईप नाली निर्माण कार्य पर व्यय 182764.00

6 7.15 केंद्र वित्त आयोग प्रशासनिक किस्त का भुगतान 3415.00

व्यय की गयी कुल धनराशि ₹539369.00 (पांच लाख उनचालीस हजार तीन सौ उनहत्तर)

(पैरा-1)

8- ग्राम पंचायत ढेढरा विकास खंड - मांडा जनपद -प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 8- ग्राम पंचायत ढेढरा के वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि ₹762097.00 के आधार पर संपन्न की गई है। वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा ई ग्राम स्वराज पर उक्त अंकित व्यय धनराशि ₹762097.00के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, बर्फ आई0डी0, कार्य माप पुस्तिका (एम०बी०), कैशबुक, पासबुक, बिल /बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, कराए गए कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज / ऑनलाइन पर ग्राम पंचायत डेढरा द्वारा दर्शित्त व्यय धनराशि ₹762097.00 की पुष्टि के लिए ग्राम पं०/वि० अधिकारी द्वारा कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक ऑफलाइन / भौतिक रुप से प्रस्तुत नहीं किया गया | अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र०

द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पं०/वि० अधिकारी से संयुक्त रूप से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा", उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत डेढरा द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹762097.00 गबन की श्रेणी में आती है। अतः व्यय की गयी कुल धनराशि ₹762097.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री राजीव सक्सेना से एवं आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पप्पी देवी से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर व्यय दर्शित है-

1. ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद का भुगतान - 13400.00
2. ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय 431632.00

3. ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) - 60014.00
4. ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य पर व्यय 175500.00
5. पीएस डेढरा में वारामदा एवं क्लास में टाइल्स कार्य का भुगतान - 81551.00

व्यय की गयी कुल धनराशि ₹762097.00 (रु. सात लाख बासठ हजार सतानबे)

(पैरा-1)

9- ग्राम पंचायत गेरुआ डीह विकास खंड - मांडा जनपद -प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 9- ग्राम पंचायत गेरुआडीह के वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि ₹1515693.00 के आधार पर संपत्र की गई है। वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा ई ग्राम स्वराज पर उक्त अंकित व्यय धनराशि ₹1515693.00 के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, कार्य माप पुस्तिका (एम०बी०), कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग बसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, कराए गए कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पर ग्राम पंचायत गेरुआडीह द्वारा दर्जित व्यय धनराशि ₹1515693.00 की पुष्टि के लिए ग्राम पं० वि० अधिकारी द्वारा कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक ऑफलाइन / भौतिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई बाउवर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी ब्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पं०/वि० अधिकारी से संयुक्त रूप से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा, उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत गेरुआडीह द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹1515693.00 गबन की श्रेणी में आती है। अतः व्यय की गयी कुल धनराशि ₹1515693.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पं०

वि० अधिकारी श्री विजेन्द्र कुमार शुक्ला से एवं आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धनंजय सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर व्यय दर्शित है-

1. ग्राम पंचायत में दवा छिड़काव एवं अन्य कार्य का भुगतान 4790.00
2. ग्राम पंचायत में एस एच जी हेतु भुगतान 27000.00 +18000.00 +9000.00-54000.00
3. ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी)- 38744.00+19120.00+38285.00+59080.00=155229.00
4. जूनियर स्कूल गेरुआडीह में टाइल्स कार्य का भुगतान 192325.00
5. जूनियर स्कूल गेरुआडीह के परिसर में चबूतरा निर्माण कार्य पर व्यय 30932.00+80326.00+8284.00+18388.00-137930.00
6. यूपीएस गेरुआडीह में मिट्टी पटाई कार्य का भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) 51840.00+77112.00-128952.00
7. ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प और डस्टबिन हेतु भुगतान 39000.00
8. पीएस गेरुआडीह के कमरों में टाइल्स कार्य का भुगतान 115464.00 +33748.00-149212.00
9. पीएस एवं यूपीएस गेरुआडीह के कैम्पस में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय 80814.00+195593.00-276407.00
10. प्राइमरी स्कूल गेरुआडीह में गेट और रैंप तथा अन्य कार्य पर व्यय - 61868.00
11. पंचायत सहायक के मानदेय का भुगतान 6000.00 +6000.00 =12000.00
12. पंचायत भवन ऑफिस इक्यूपमेंट हेतु भुगतान - 118000.00
13. प्राइमरी स्कूल गेरुआडीह में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 161982.00
14. प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल गेरुआडीह में साइट कनेक्शन सामग्री हेतु भुगतान - 19820.00
15. व्यय की गयी कुल धनराशि ₹1515693.00 (रु. पंद्रह लाख पंद्रह हजार छह सौ तिरानवे)

(पैरा-1)

10- ग्राम पंचायत सैबसा विकास खंड - मांडा जनपद -प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 10- ग्राम पंचायत सैवसा के वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यत धनराति ₹1764751.00 के आधार पर संपन्न की गई है। वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा ई ग्राम स्वराज पर उक्त अंकित व्यय धनरानि ₹1764751.00 के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, कार्य माप पुस्तिका (एम०वी०), कैशबुक, पासबुक, बिल /बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित माग, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, कराए गए कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज / ऑनलाइन पर ग्राम पंचायत सैबसा द्वारा अर्जित व्यय धनराशि ₹1764751.00 की पुष्टि के लिए ग्राम पं०/वि० अधिकारी द्वारा कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक ऑफलाइन / भौतिक रुप से प्रस्तुत नहीं किया गया | अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं की जा

सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पं० वि० अधिकारी से संयुक्त रूप से की जायेगी और बसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा, उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत सैवसा द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि ₹1764751.00 गवन की श्रेणी में आती है। अतः व्यय की गयी कुल धनराशि ₹1764751.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री वृजेश द्विवेदी से एवं आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल जी से किया जाना अपेक्षित है।
ग्राम पंचायत में निम्न कार्यों पर व्यय दर्शित है-

1. ग्राम पंचायत में कोविड-19 दवा छिड़काव का भुगतान 16800.00
2. ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी)
45332.00+11250.00+19904.00=76486.00
3. सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) 77472.00+43274.00-120746.00
4. पंचायत भवन निर्माण कार्य का सामग्री भुगतान 292000.00+152500.00 444500.00
5. सामुदायिक शौचालय के पास हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) 44338.00
6. ग्राम पंचायत में निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान 2500.00
7. पंद्रहवीं सी एफ सी प्रशासनिक किस्त का भुगतान - 2630.00
8. ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद में खर्च 8200.00
9. मंगारी के खेत से भगवानदास के खेत तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) -
171058.00+23400.00=194458.00+23400.00=217858.00
10. पंचायत सहायक के मानदेय का भुगतान (दिसंबर 2021) 6000.00 10
11. शिव राम के घर से. मंगारी के खेत तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी)
170468.00+23200.00=193668.00
12. बद्रीनाथ के घर से राजेश के चक तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) -
456025.00
13. पंचायत भवन में कुर्सी, टेवुल एवं कंप्यूटर सेट हेतु भुगतान 175000.00

व्यय की गयी कुल धनराशि ₹1764751.00 (सत्रह लाख चौसठ हजार सात सौ इकावन)

(पैरा-1)

11- ग्राम पंचायत - दीघिया विकास खंड - मांडा जनपद -प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 11- ग्राम पंचायत दिघिया के वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि ₹3376984.00 के आधार पर मंपच की गई है। वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा ई ग्राम स्वराज पर उक्त अंकित व्यय धनराति ₹3376984.00के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, कार्य माप पुस्तिका (एम०बी०), कैशवुक, पासबुक, बिल बाउबर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभित्र समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्रातियां व भुगतान लेखा, समेकित मार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल

सम्पति पंजिका व चन सम्पति पंजिका, कराए गए कार्य का विस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज / ऑनलाइन पर ग्राम पंचायत दिघिया द्वारा दर्जित व्यय धनराशि ₹3376984.00 की पुष्टि के लिए ग्राम पं०/वि० अधिकारी द्वारा कोई भी मूल अभिलेख और जग प्रमाणक ऑफलाइन / भौतिक रुप से प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के जमाव में धनराशि के अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायतीराज निभाग उ०प० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पं० वि० अधिकारी से संयुक्त रूप में की जावेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा", उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत दिषिया द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि ₹3376984.00 गबन की श्रेणी में आती है। अतः व्यय की गयी कुल धनराशि ₹3376984.00 की बसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री बृजेश द्विवेदी से एवं आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत में निम्न कार्यों पर व्यय दर्शित है-

1. ग्राम पंचायत में पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम सामग्री हेतु भुगतान 25724.00
2. ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के रख रखाव हेतु मानदेय का भुगतान (तीन माह का 21000.00
3. ग्राम पंचायत में एस एच जी हेतु भुगतान 15000.00+18000.00 =33000.00
4. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) -
49766.00+9000+48787.00+9060.00+50372.00+9060.00=176045.00
5. ग्राम पंचायत में कोविड-19 दवा छिड़काव का भुगतान 17920.00
6. यूपीएस दिधिया के क्लास में टाइल्स कार्य का भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) 52700.00+14100.00 = 66800.00
7. ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप हेतु भुगतान 82725.00 +66975.00+64500.00 = 214200.00
8. नहर के पास काली रोड से पिंटू शुक्ला के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 161651.00+22400.00 184051.00
9. हौसला तिवारी के घर से राम सजीवन के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) -159121.00+21200.00 180321.00
10. सामुदायिक शौचालय के पास हैंडपंप रिबोर, समरसेबुल, लाइट इत्यादि के सामग्री पर व्यय 63896.00+25000.00 88896.00
11. पंद्रहवीं सी एफ सीप्रशासनिक किस्त का भुगतान - 8622.00
12. समयी सोनकर के घर के सामने हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय 28428.00+13013.00 = 41441.00
13. लल्लू सोनकर के घर के सामने हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय 28428.00+13013.00 =41441.00
14. ओम प्रकाश यादव के घर के सामने हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय 28428.00+13013.00=41441.00
15. मुझा के घर से अशोक तिवारी के घर तक अंडर ग्राउंड नाली निर्माण कार्य (हयूम पाईप सी आर वाई) पर व्यय- 108800.00

16. विजयानंद के घर के बगल से दीना नाच के घर के बगल तालाब तक नाली निर्माण कार्य (हयूम पाईप सी आर वाई) पर व्यय 105725.00
17. ग्राम पंचायत में निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान - 2467.00
18. पंचायत भवन में कुर्सी, टेबुल एवं कंप्यूटर सेट हेतु भुगतान 206500.00

19. पंचायत सहायक के मानदेय का भुगतान feb. 22 तक 6000.00+12000.00 18000.00
20. रिंकू के खेत से जीत नारायन के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 176624.00+22326.00 198950.00
21. नन्दलाल के घर से रिंकू के खेत तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 173711.00-24229.00-197940.00
22. अमृत लाल के घर से बेचन राम के बगीचा तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 264564.00+36800.00 = 301364.00
23. ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइटहेतु भुगतान 170000.00+27421.00+170500.00 = 367921.00 23. फिरोज के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) 29913.00+14425,00 = 44338.00
24. कल्लू यादव के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 29913.00+14425.00 = 44338.00
25. गिरिजा शंकर उपध्याय के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 29913.00+14425.00 = 44338.00
26. महाजन के घर से दीप चंद के घर तक नाली निर्माण कार्य पर सामग्री हेतु भुगतान 90500.00
27. वेचन राम के बगीचा से मुंदर और राजेश के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 187451.00+26600.00 = 214051.00
28. विधान सभा चुनाव में बूथों पर खर्च 17500.00
29. जल निकासी हेतु (ह्यूम पाईप सी आर वाई) पर व्यय - 130000.00
30. पंचायत भवन के परिसर में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 85000.00+20340.00+14280.00+23730.00 = 143350.00

व्यय की गयी कुल धनराशि = ₹3376984.00 (तैंतीस लाख छिहत्तर हजार नौ सौ चौरासी

(पैरा-1)

12- ग्राम पंचायत मुंतजीपुर विकास खंड - सैदाबाद जनपद -प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 12- ग्राम पंचायत मुन्तजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित खाते से विभिन्न तिथियों में कुल रू0 228500.00 का व्यय दर्शित है। विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण	फर्म का नाम
1	17-11-2021	15000.00	प्रशासनिक मद	संतोष इंटरप्राइजेज
2	17-11-2021	17500.00	प्रशासनिक मद	संतोष इंटरप्राइजेज
3	20-10-2021	96000.00	डस्टबिन	आशुतोष इंटरप्राइजेज
4	18-01-2021	100000.00	इंटरलॉकिंग सामग्री	आशुतोष इंटरप्राइजेज
	योग -	228500.00		

उक्त कार्य व मजदूरी के सापेक्ष मात्र कोषबही व बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजी, एम०बी०, मस्टररोल, परिसम्पति पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अनुपलब्ध रहे। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है? नियमानुसार ऐसा प्रमाणक बिहीन व्यय गबन है। अतः सम्पूर्ण आहरित धनराशि रू0 228500.00 का अपहरण किया गया है। इस हेतु प्रधान श्री राम बाबू सिंह व सचिव श्रीमती सुगन्धा शुक्ला दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। दोनो से समान रूप से ब्याजमय वसूली अपेक्षित है।

)पैरा-2(

प्रस्तर 13. ग्राम पंचायत मुन्तजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में कुल रू0 207924.00 का व्यय दर्शित है। विवरण निम्नवत् है -1

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण	फर्म का नाम
1	18-08-2021	100000.00	खडंजा कार्य सामग्री	आशु इंटरप्राइजेज
2	12-10-2021	30000.00	खडंजा कार्य सामग्री	आशु इंटरप्राइजेज
3	04-11-2021	18000.00	विवरण विहीन	आशु इंटरप्राइजेज
4	03-01- 2022	59924.00	ह्युम पाइप क्रय	आशु इंटरप्राइजेज
	योग	207924.00		

उक्त कार्य व मजदूरी के सापेक्ष मात्र कोषबही व बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजी, एम०बी०, मस्टररोल, परिसम्पति पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अनुपलब्ध रहे। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है? नियमानुसार ऐसा प्रमाणक बिहीन व्यय गबन है। अतः सम्पूर्ण आहरित धनराशि रू0 207924.00 का अपहरण किया गया है। इस हेतु प्रधान श्री राम बाबू सिंह व सचिव श्रीमती सुगन्धा शुक्ला दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। दोनो से समान रूप से ब्याजमय वसूली अपेक्षित है।

(पैरा-1)

13- ग्राम पंचायत- हरीपुर उर्फ सराय दासू विकास खंड - सैदाबाद जनपद - प्रयागराज
वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 14-

ग्राम पंचायत हरिपुर उर्फ सरायदासू के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में कुल रू0 433500.00 का व्यय दर्शित है। विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण	फर्म का नाम
1	10-08-2021	108000.00	सीटिंग बेंच	एनर्जी फस्ट
2	10-08-2021	132000.00	सीटिंग बेंच	एनर्जी फस्ट
3	10-11-2021	96750.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	एनर्जी फस्ट
4	10-11-2021	96750.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	एनर्जी फस्ट
	योग -	433500.00		

उक्त कार्य व मजदूरी के सापेक्ष मात्र कोषबही व बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजी, एम०बी०, मस्टररोल, परिसम्पत्ति पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अनुपलब्ध रहे। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है? नियमानुसार ऐसा प्रमाणक बिहीन व्यय गबन है। अतः सम्पूर्ण आहरित धनराशि रू0 433500.00 का अपहरण किया गया है। इस हेतु प्रधान श्रीमती दुर्गावती देवी व सचिव श्री सर्वेश मिश्र दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। दोनो से समान रूप से ब्याजमय वसूली अपेक्षित है।

(पैरा-2)

प्रस्तर 15-ग्राम पंचायत हरिपुर उर्फ सरायदासू के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में कुल रु० 189725.00 का व्यय दर्शित है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण	फर्म का नाम
1	26-03-2022	153100.00	इंटरलॉकिंग कार्य सामग्री	राम इंटरप्राइजेज
2	26-03-2022	36625.00	मजदूरी इंटरलॉकिंग कार्य	सुरेश कुमार
	योग -	189725.00		

उक्त कार्य व मजदूरी के सापेक्ष मात्र कोषबही व बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाव्क पंजी, एम०बी०, मस्टररोल, परिसम्पति पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अनुपलब्ध रहे। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है? नियमानुसार ऐसा प्रमाणक बिहीन व्यय गबन है। अतः सम्पूर्ण आहरित धनराशि रु० 189725.00 का अपहरण किया गया है। इस हेतु प्रधान श्रीमती दुर्गावती देवी व सचिव श्री सर्वेश मिश्र दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। दोनो से समान रूप से ब्याजमय वसूली अपेक्षित है।

(पैरा-3)

14- ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर विकास खंड - सैदाबाद जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 16- ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार दिनांक 02.04.2021 को कुल रू0 374723.00 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार धनराशि का आहरण किया गया है परन्तु आहरित धनराशि कोषबही में अंकित नहीं किया गया है। आहरित धनराशि को किस कार्य हेतु निकाला गया है। स्पष्ट नहीं हो सका। विवरणहीन व कोषबही में धनराशि का अंकन न कर अपहरण कर लिया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

क्रमांक	दिनांक	आहरित धनराशि
1.	02.04.2021	25719
2.	02.04.2021	108900
3.	02.04.2021	34500
4	02.04.2021	26606
5.	02.04.2021	157839
6.	2.04.2021	21159
	योग-	374723

(पैरा-2)

प्रस्तर 17- उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है? नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। अतः सम्पूर्ण आहरित धनराशि रू० 374723.00 का अपहरण किया गया है। इस हेतु प्रशासक श्री शिव गोविन्द पटेल (ए०डी०ओ आईएसबी) व सचिव श्री इन्द्र कुमार यादव दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। दोनों से समान रूप से ब्याजमय वसूली अपेक्षित है।3. ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित खाते से विभिन्न तिथियों में कुल रू0 215000.00 का व्यय दर्शित है। विवरण निम्नवत् है

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण	फर्म का नाम
1	08-07- 2021	24500	प्रशासनिक मद	एनर्जी फस्ट
2	14-10-2021	120000	सीमेंट बेंच निर्माण	आशु इंटरप्राइजेज
3	18-11-2021	48000	सीमेंट बेंच निर्माण	आशु इंटरप्राइजेज
4	17-03-2022	22500	प्रशासनिक मद	आर्यन इंटरप्राइजेज
	योग -	215000.00		

उक्त कार्य व मजदूरी के सापेक्ष मात्र कोषबही व बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजी, एम०बी०, मस्टररोल, परिसम्पत्ति पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अनुपलब्ध रहे। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है? नियमानुसार ऐसा प्रमाणक बिहीन व्यय गवन है। अतः सम्पूर्ण आहरित धनराशि रू0 215000.00 का अपहरण किया गया है। इस हेतु प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी व सचिव श्रीमती सुगन्धा शुक्ला दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। दोनो से समान रूप से ब्याजमय वसूली अपेक्षित है।

(पैरा-4)

प्रस्तर 18-ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में कुल रू0 215000.00 का व्यय दर्शित है। विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण	फर्म का नाम
1	31-07-2021	120000	सीमेंट बेंच निर्माण	आकांशा इंटरप्राइजेज
2	02-08- 2021	24000	सीमेंट बेंच निर्माण	आकांशा इंटरप्राइजेज
3	02-08-2021	100000	स्ट्रीट लाइट	आशु इंटरप्राइजेज
	योग -	244000.00		

उक्त कार्य व मजदूरी के सापेक्ष मात्र कोषबही व बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजी, एम०बी०, मस्टररोल, परिसम्पत्ति पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अनुपलब्ध रहे। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है? नियमानुसार ऐसा प्रमाणक बिहीन व्यय गबन है। अतः सम्पूर्ण आहरित धनराशि रू0 244000.00 का अपहरण किया गया है। इस हेतु प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी व सचिव श्रीमती सुगन्धा शुक्ला दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। दोनो से समान रूप से ब्याजमय वसूली अपेक्षित है।

(पैरा-5)

15- ग्राम पंचायत- देवगलपुर विकास खंड - मऊआईमा जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 19- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में प्रिया साफ्ट है ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त/14/15वा वित्त आयोग मंद से ग्राम पंचायत देवगलपुर द्वारा निम्न विवरणनुसार अनुदान की धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दशांये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम चायत द्वारा कोई भी बिल बाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के विल एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्ययस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल। बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,

एम० बी० मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर । कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा रान उपलब्ध नहीं कराई गयी

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 1485282.00 बिना बिल वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली समान रूप से त तारीख दाण्डिक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी (रु0 742641.00) व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोज कुमार भारतीय (3042641.00) से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विविरण निम्न प्रकार है

कम सं०	विवरण	धनराशि
1	इण्टर लाकिग निर्माण पर व्यय 1 पक्की सड़क से लेखपाल के घर तक इण्टर लाकिग पर व्यय 2 हरीलाल के घर से धनराज के घर तक इण्टर लाकिग पर व्यय 3 अलोपी के घर से साजन के घर तक इण्टर लाकिग पर व्यय 4 जमुना के घर से राम कैलाश के घर तक इण्टर लाकिग पर व्यय 5 भइयालाल के घर से बदरी के घर तक इण्टर लाकिंग पर व्यय	 220307.00 171715.00 166167.00 162841.00 213396.00
2	दिव्याग शौचालय निर्माण पर व्यय	158826.00
3	प्रशासनिक मद पर व्यय	9700.00
4	पंचायत भवन आफिस पर व्यय	5000.00
5	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय	138556.00
6	हैण्ड पम्प मरम्त पर व्यय	198900.00
7	हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय	33874.00
8	पंचायत सहायक का मानदेय	6000.00
		1485282.00 **(चौदह लाख पच्चासी हजार दो सौ बयासी मात्र)**

(पैरा-1)

16- ग्राम पंचायत कठवर परवेजपुर विकास खंड - मऊआईमा जनपद- प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 20- आलोय वर्ष 2021-2022 में प्रिया साफ्ट के ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य का 14/15 पंचायत कठवरपरवेजपुर द्वारा निम्न विवरणनुमार अनुदान की धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल बाउचर लेखा परीक्षा में आप हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम राज्य वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा ४(क) में व्ययस्था दी गई है कि व्यय के

संबंध मे के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है जो व्यय दशौयी गयी धनराशि को बाद हुए सम्बन्धित शिक वसुली नियमानुसार की आयेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत इस्टीमेट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एमाः० बी० मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 1463341.00 बिना बिल वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली समान रूप से ततारीख दाण्डिक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा सिंह (रू 731670.50) व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोज कुमार भारतीय (रू 731670.50) से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विविरण निम्म प्रकार है

कम सं०	विवरण	धनराशि
1	इण्टर लाकिग निर्माण पर व्यय 1 लालू के घर से रामराज के घर तक इण्टर लाकिग पर व्यय 2 मेहदी के घर से शहवान के घर तक इण्टर लाकिग पर व्यय 3 प्रेमराज के घर से इण्टर लाकिग तक इण्टर लाकिंग पर व्यय 4 अजय सिंह के घर से अतुल के घर तक इण्टर लाकिग पर व्यय 5 बदरी के घर से तालाब तक नाली निर्माण पर व्यय	 198045.00 198858:00 26996.00 100474.00 136188.00
2	हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय	351208.00
3	दिव्याग शौचालय निर्माण पर व्यय	147594.00
4	शाक पिट निर्माण पर व्यय	158218.00
5	सामुदायिक शौचालय के देख रेख पर व्यय	11328.00
6	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय	102432.00
7	पचायत भवन आफिस पर व्यय	5000.00
8	प्रधान का मानदेय	21000.00
9	पंचायत सहायक का मानदेय	6000.00
	1463341.00 **(चौदह लाख तीरसठ हजार तीन सौ इक्तालीस मात्र)**	

(पैरा-1)

17- ग्राम पंचायत बांसी विकास खंड- शंकरगढ़ जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 21- ग्राम पंचायत बांसी के वितीय वर्ष 2021-2022 के राज्य वित्त कोषवही में दिनांक 19/07/2021 को हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय हेतु ₹16693.00 का भुगतान दर्शित है। परंतु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय के सापेक्ष विल /बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कुल व्यय ₹16693.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के प्रावधान के तहत ₹16693.00 (रु. सोलह हजार छह सौ तिरानवे) की बसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम सिंह से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। **(पैरा-1)**

18- ग्राम पंचायत ओसा विकास खंड - शंकरगढ़ जनपद- प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 22-

ग्राम पंचायत ओसा के वित्तीय वर्ष 2021-2022 के केंद्रीय वित्त कोषवही में दिनांक 31/12/2021 को दिव्यांग शौचालय निर्माण सामग्री क्रय हेतु ₹132000.00 का भुगतान दर्शित है। परंतु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय के सापेक्ष विबल / वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय ₹132000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के प्रावधान के तहत ₹132000.00 (रु. एक लाख बत्तीस हजार) की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गनेश कुमार से बराबर- बराबर की जानी अपेक्षित है।

(पैरा-1)

19- ग्राम पंचायत पुरवा खास विकास खंड - चाका जनपद- प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 23- आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत पुरवाखास के ग्राम निधि प्रथम / और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्र वित्त आयोग से उपभोग/व्यय की गई धनराशि **रु. 2125796.00** (वाउचरवार कुल योग ₹ 2386719.00 में से **रु.** 260923.00 का पेमेंट ई-ग्रामस्वराज पर कैंसिल/रिजेक्ट होना दर्शाया गया है) के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस उपभोग/व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध,टेलीफोन वार्ता एवं पत्राचार कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई परंतु इसके उपरांत भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना,एस्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी अनुमति,एम0बी0, बिल /बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, यथानुसार विभिन्न समितियोंकी संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका,त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टैंडर कोटेशन पत्रावली,मानदेय रजिस्टर आदि - जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें"।

आगे इसी, ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना बिल वाउचर /वांछित अभिलेखों के धनराशि **रु**0- **2125796.00** का व्यय कर, धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली समान रूप से / बराबर-बराबर, तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्री उमाशंकर** से रु.1062898.00

व तत्कालीन सचिव **श्री रोहित भारतीय** से रु.1062898.00 मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है। व्यय का विस्तृत विवरण निम्नवत है -

राज्य वित्त आयोग (पाचवॉ एस एफ सी) से प्राप्त अनुदान की धनराशि से दर्शित व्यय -

क्र0	दिनांक	वाउचर नंबर	धनराशि	मद/कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	05.05.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/01	65856.00	पेमेंट फार दि वर्क दिव्यांग शौचालय के पास इंटरलाकिंग	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
02	14.06.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/02	9200.00	पेमेंट फार सी टी केयर टेकर का मानदेय	सुशीला केयरटेकर
03	12.08.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/03	19800.00	स्वच्छता प्रचार-प्रसार आदि पर व्यय	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
04	12.08.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/04	19800.00	कंटीजेंसी एण्ड अदर एक्सपेंसेज	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
05	12.08.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/05	21760.00	हैंडपम्प रिपेयरिंग	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
06	10.09.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/06	109546.00	पेमेंट फार दि वर्क पंचायत भवन में टाइल्स वर्क	राज कंस्ट्रक्शन
07	10.09.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/07	41650.00	रोशनलाल वर्मा के घर से पुलिया तक इंटर लाकिंग	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
08	30.09.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/08	14000.00	मई 2021 से सितम्बर 2021 तक ग्रा.प्र. मानदेय	उमाशंकर ग्रा0 प्र0
09	20.10.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/09	108360.00	बांके के घर से मस्जिद तक नाली एवं खडंजा	राहुल इंटरप्राइजेज
10	02.11.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/10	39470.00	हैंडपम्प रिपेयरिंग	राज कंस्ट्रक्शन
11	06.12.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/11	11500.00	राज कनसर	राज कंस्ट्रक्शन
12	06.12.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/12	59554.00	बांके के घर से सुरेश के मंदिर तक नाली	राज कंस्ट्रक्शन
13	11.12.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/13	29800.00	सी टी केयर टेकर का मानदेय	भोला आजीविका एस एच जी
14	13.12.2021	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/14	6523.00	स्टेट लेबल रिफंड	निदेशक पंचायतराज
15	04.01.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/15	23400.00	पंचायत भवन मे टेबल, चेयर , आलमारी	राज कंस्ट्रक्शन

16	04.01.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/16	13400.00	चटिया निर्माण	राज कंस्ट्रक्शन
17	12.01.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/17	24100.00	पंचायत भवन इक्यूपमेंट चेयर टेबल	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
18	18.01.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/18	6000.00	पंचायत सहायक का मानदेय दिसम्बर 2021	प्रमोद कु.चौधरी
19	03.02.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/19	26360.00	हैंडपम्प रिपेयरिंग	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
20	03.02.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/20	26360.00	हैंडपम्प रिपेयरिंग	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
21	03.02.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/21	8387.00	प्रशासनिक व्यय	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
22	04.02.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/22	6000.00	पंचायत सहायक का मानदेय	प्रमोद कु.चौधरी
23	22.02.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/23	7350.00	पेमेंट फार इक्यूपमेंट	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
24	08.03.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/25	7350.00	कंटीजेंसी	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
25	09.03.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/26	29550.00	आफिस एक्सपेंसेज	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
26	09.03.2022	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/27	12000.00	पंचायत सहा0 का मानदेय जन. 2022 से फर.2022 तक	प्रमोद कु.चौधरी
-	--	**योग**	**747076.00**	--	--

तथा केन्द्रीय वित्त आयोग (14वां/15वां एफ सी) से प्राप्त अनुदान से दर्शित व्यय -

क्र0	**दिनांक**	**वाउचर नंबर**	**धनराशि**	**मद/कार्य का विवरण**	**भुगतान प्राप्तकर्ता**
01	04.05.2021	एफएफसी/2021-22/पी/01	37364.00	पेमेंट फार दि वर्क पीएस पुरवाखास के अवशेष कमरों में टाइल्स	वैष्णवी इंटरप्रा0+01
02	04.05.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/01	106415.00	पेमेंट फार दि वर्क पीएस पुरवाखास के अवशेष कमरों में टाइल्स	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
03	06.07.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/02	17800.00	सी टी केयर मानदेय	सुशीला केयरटेकर
04	31.07.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/03	149572.00	पेमेंट फार दि वर्क रोशनलाल वर्मा के घर से पुलिया तक इंटरलाकिंग	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
05	12.08.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/04	114898.00	पेमेंट फार सूर्यमणि के घर से बबलू के घर तक खडंजा मरम्मत	वैष्णवी इंटरप्राइजेज

06	10.09.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/05	88960.00	पेमेंट फार दि वर्क पंचायत भवन में टाइल्स वर्क	राज कंस्ट्रक्शन
07	23.09.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/06	88200.00	रामबली के घर से नहर तक संपर्क मार्ग व रिटर्निग वाल नाली	राज कंस्ट्रक्शन
08	23.09.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/07	97300.00	सर्वेश यादव के घर से रामबली घर तक संपर्क मार्ग व रिटर्निग वाल नाली	राज कंस्ट्रक्शन
09	30.09.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/08	27000.00	केयर टेकर का मानदेय	भोला आजीविका एस एच जी
10	20.10.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/09	178690.00	गांधी चबूतरे के चारों तरफ इंटरलाकिंग नाली	राहुल इंटरप्राइजेज
11	31.10.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/10	27000.00	गांधी चबूतरे पर इंटरलाकिंग व चटिया	राहुल इंटरप्राइजेज
12	02.11.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/11	69876.00	रईस अहमद के घर से पक्की सड़क तक इंटरलाकिंग	राज कंस्ट्रक्शन
13	12.11.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/12	80500.00	पेमेंट फार सोक पिट निर्माण 07 नग	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
14	06.12.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/13	96176.00	अजय के घर से सत्यनारायण के घर तक खड़ंजा एवं नाली निर्माण	राज कंस्ट्रक्शन
15	06.12.2021	XV एफ सी /2021-22/पी/15	11500.00	पेमेंट फार दि वर्क सोक पिट	राज कंस्ट्रक्शन
16	06.12..2021	XV एफ सी /2021-22/पी/16	23000.00	पेमेंट फार दि वर्क सोक पिट	राज कंस्ट्रक्शन
17	14.01.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/18	42000.00	03 सोक पिट	राज कंस्ट्रक्शन
18	22.01.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/19	6523.00	डायरेक्टर पंचायतराज	डायरेक्टर पंचायतराज
19	22.02.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/20	39540.00	पंचू के घर से सत्यनारायण के घर होते हुए अजय के घर तक इंटरलाकिंग मरम्मत	राज कंस्ट्रक्शन
20	22.02.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/21	39540.00	पंचू केघर से सत्यनारायण के घर होते हुए अजय के घर तक इंटर लाकिंग मरम्मत	राज कंस्ट्रक्शन
21	22.02.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/22	19360.00	पंचू के घर से सत्यनारायण के घर होते हुए अजय के घर तक इंटर लाकिंग मरम्मत	राज कंस्ट्रक्शन

22	22.02.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/23	19360.00	पंचू के घर से सत्यनारायण के घर होते हुए अजय के घर तक इंटर लाकिंग मरम्मत	राज कंस्ट्रक्शन
23	22.02.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/24	63650.00	काली रोड से कमलेश तिवारी के घर तक नाली निर्माण	राज कंस्ट्रक्शन
24	08.03.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/30	19630.00	पंचू के घर से सत्यनारायण के घर होते हुए अजय के घर तक इंटर लाकिंग मरम्मत	राज कंस्ट्रक्शन
25	08.03.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/31	19630.00	पंचू के घर से सत्यनारायण के घर होते हुए अजय के घर तक इंटर लाकिंग मरम्मत	राज कंस्ट्रक्शन
26	08.03.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/32	64679.00	काली सड़क से कमलेश तिवारी के घर तक नाली	राज कंस्ट्रक्शन
27	08.03.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/33	39740.00	पंचू के घर से सत्यनारायण के घर होते हुए अजय के घर तक इंटर लाकिंग मरम्मत	राज कंस्ट्रक्शन
28	08.03.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/34	39740.00	पंचू के घर से सत्यनारायण के घर होते हुए अजय के घर तक इंटर लाकिंग मरम्मत	राज कंस्ट्रक्शन
29	26.03.2022	XV एफ सी /2021-22/पी/35	12000.00	सी टी केयरटेकर का मानदेय जनवरी 2022 से फरवरी 2022 तक	भोला आजीविका एस एच जी
		योग	**1639643.00**		

कुल योग = **₹ 2386719.00** (रुपया तेईस लाख छियासी हजार सात सौ उन्नीस)

(पैरा-1)

20- ग्राम पंचायत रैया विकास खंड - होलागढ़ जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 24- ग्राम पंचायत रैया के वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा कैशबुक में अंकित व्यय धनराशि 22410533.00 के आधार पर संपन्न की गई है। वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा कैशबुक में उक्त अंकित व्यय धनराशि ₹2410533.00 की पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्य माप पुस्तिका (एम०बी०), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, परिमम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कम, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, कराए गए कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत रैया द्वारा

व्यय धनराशि 2410533.00 की पुष्टि के लिए ग्राम पं०/वि० अधिकारी द्वारा कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक ऑफलाइन / भौतिक रुप में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पं०/वि० अधिकारी से संयुक्त रूप से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा", उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत रैया द्वारा व्यय धनराशि ₹2410533.00 गबन की श्रेणी में आती है। अतः व्यय की गयी कुल धनराशि 22410533.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री राकेश कुमार में एवं आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जियालाल निर्मल से किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में निम्न कार्यों पर व्यय दर्शित है:-

1. प्राइमरी स्कूल वादी का बाग में दिव्यांग शौचालय कार्य का भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी)- 21580.00+23700.00-45280.00
2. प्राइमरी स्कूल वादी का बाग और पूर्वमाध्यमिक विद्यालय रैया में हैंडवाश कार्य का भुगतान (सामग्री) -60534.00
3. ग्रामप्रधान मानदेय भुगतान 33322.00
4. ग्राम पंचायत में साफ सफाई पर व्यय - 8160.00
5. ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के रख रखाव हेतु मानदेय का भुगतान - 39000.00
6. ग्राम पंचायत में गोपालक हेतु मानदेय का भुगतान - 93968.00
7. पंचायत सहायक के मानदेय का भुगतान - 12000.00
8. ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद में खर्च - 5000.00
9. पंचायत भवन निर्माण कार्य का भुगतान (मामग्री) - 20000.00
10. पीएस रैया में मरम्मत कार्य का भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) 14339.00
11. पंचायत भवन के फर्नीचर क्रय हेतु भुगतान - 26000.00
12. ग्राम पंचायत में सफाई किट क्रय हेतु भुगतान 12000.00
13. ग्राम पंचायत में कोरोना किट क्रय हेतु भुगतान 28610.00
14. ग्राम पंचायत में निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान - 2100.00
15. पंद्रहवीं सी एफ सी प्रशासनिक किस्त का भुगतान - 3165.00
16. ग्राम पंचायत में हहह्यूम पाईप क्रय हेतु भुगतान 114713.00
17. ग्राम पंचायत में नाली निर्माण / मरम्मत कार्य का भुगतान- 394950.00
18. ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 1018935.00
19. ग्राम पंचायत में खड़ंजा मरम्मत कार्य का भुगतान - 267604.00
20. ग्राम पंचायत में हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) 165653.00
21. ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) - 45200.00

व्यय की गयी कुल धनराशि रु. 2410533.00

(पैरा-1)

21-ग्राम पंचायत- सुल्तानपुर जयसिंह विकास खंड - होलागढ़ जनपद- प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 25- ग्राम पंचायत सुल्तानपुर जयसिंह के वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि ₹1468375.00 के आधार पर संपन्न की गई है। वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा ई ग्राम स्वराज पर उक्त अंकित व्यय धनराशि ₹1468375.00 की पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, कैशबुक, पासबुक, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्य माप पुस्तिका (एम०बी०), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, कराए गए कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज / ऑनलाइन पर ग्राम पंचायत सुल्तानपुर जयसिंह द्वारा दर्शित व्यय धनराशि ₹1468375.00 की पुष्टि के लिए ग्राम पं०/वि० अधिकारी द्वारा कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक ऑफलाइन / भौतिक रुप से प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पं०/वि० अधिकारी से संयुक्त रूप से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा", उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत सुल्तानपुर जयसिंह द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹1468375.00 गबन की श्रेणी में आती है। अतः व्यय की गयी कुल धनराशि ₹1468375.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह से एवं आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में निश्न कार्यों पर व्यय दर्शित है-

1. पीएस सुल्तानपुर जयसिंह में टाइल्स एवं हैंडवाश कार्य का भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) - 116960.00 +13646.00=130606.00

2. प्राइमरी स्कूल सुल्तानपुर जयसिंह में बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य का भुगतान - 47331.00+13845.00= 61176.00
3. ग्रामप्रधान मानदेय भुगतान 17500.00-
4. मामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) - 16800.00
5. ग्राम पंचायत में कोविड-19 दवा छिड़काव, पब्लिक ऐड्रेस मिस्टम सामग्री हेतु भुगतान का भुगतान -9450.00
6. ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के रख रखाव हेतु मानदेय का भुगतान 9000.00
7. किशुन और शिवकुमार के घर के पाम हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 31096.00+36360.00 = 67456.00
8. पंचायत भवन निर्माण कार्य का भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) 165700.00+170803.00+38800.00 = 375303.00

9. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) 22638.00+9980.00+41200.00 = 73818.00

10. विनोद और अमरनाथ के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 31096+36494.00=67590.00

11. पीएस सुल्तानपुर जयसिंह में छत मरम्मत कार्य का भुगतान (सामग्री एवं मजदूरी) 113148.00

12. पक्की रोड से ननके के बोरिंग तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी)- 97487.00+ 18436.00-115923.00

13. ग्राम पंचायत में सौक पिट निर्माण कार्य पर व्यय 195228.00

14. पंद्रहवीं सी एफ सी प्रशासनिक किस्त का भुगतान - 1712.00

15. पंचायत सहायक के मानदेय का भुगतान 6000.00 +12000.00 = 18000.00 17. पक्की रोड से राज नारायण के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 119402.00

16. ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद में खर्च 8735.00

17. ग्राम पंचायत में अन्य दो अज्ञात स्थानों पर हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय (सामग्री एवं मजदूरी) - 36432.00+31096.00-67528.00

व्यय की गयी कुल धनराशि रु. 1468375.00 (रु.चौदह लाख अड़सठ हजार तीन सौ पचहत्तर)

(पैरा-1)

22-ग्राम पंचायत पुरेमथुरादास विकास खंड - हँडिया जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 26- ग्राम पंचायत पुरेमथुरादास के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में दिनांक 08.10.2021 एवं दिनांक 13.07.2021 को क्रमशः रू0 77560.00 एवं 96561.00 कुल रू0 174121.00 का व्यय कोषबही में दर्शित है। उक्त कार्य व मजदूरी के सापेक्ष मात्र कोषबही व बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजी, एम०बी०, मस्टररोल, परिसम्पत्ति पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अनुपलब्ध रहे। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है? नियमानुसार ऐसा प्रमाणक बिहीन व्यय गबन है। अतः सम्पूर्ण आहरित धनराशि रु० 174121.00 का अपहरण किया गया है। इस हेतु प्रधान श्री राजीव कुमार व सचिव श्री भागीरथी दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। दोनो से समान रूप से ब्याजमय वसूली अपेक्षित है।

(पैरा-1)

प्रस्तर 27- ग्राम पंचायत पुरेमथुरादास के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में दिनांक 27.12.2021 को रू0 48261.00, दिनांक 29.12.2021 को रू0 48261.00 व दिनांक 31.12.2021 को रू0 48261.00 कुल रु० 144783.00 का आहरण कर कूप जगत का मरम्मत कार्य कोषबही में दर्शित किया गया है। उक्त कार्य व मजदूरी के सापेक्ष मात्र कोषबही व बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजी, एम०बी०, मस्टररोल, परिसम्पति पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अनुपलब्ध रहे। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है? नियमानुसार ऐसा प्रमाणक बिहीन व्यय गबन है। अतः सम्पूर्ण आहरित धनराशि रु० 144783.00 का अपहरण किया गया है। इस हेतु प्रधान श्री राजीव कुमार व सचिव श्री भागीरथी दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। दोनो से समान रूप से ब्याजमय वसूली अपेक्षित है।

(पैरा-3)

23-ग्राम पंचायत- अतरौरा विकास खंड - हँडिया जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 28- ग्राम पंचायत अतरौरा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित खाते से विभिन्न तिथियों में कुल रु0479791.00 का व्यय दर्शित है। विवरण निम्नवत् है -

क्रमाक	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण	फर्म का नाम
1	01-05-2021	169593	इंटर, लॉकिंग	शिवा इंटरप्राइजेज
2	19-05-2021	28386	इंटर लॉकिंग	शिवा इंटरप्राइजेज
3	25-01-2021	100314	हैण्डपंप रिबोर	काल भैरव ट्रेडर्स
4	25-01-2021	33084	हैण्डपंप रिबोर	काल भैरव ट्रेडर्स
5	19-02-2022-	64414	हैण्डपंप रिबोर	काल भैरव ट्रेडर्स
6	23-03-2022	84000	पूर्व प्रधान मानदेय जनवरी 2019 से दिसम्बर 2020	श्रीमती विद्या देवी
	योग -	**479791.00**		

उक्त कार्य व मजदूरी के सापेक्ष मात्र कोषबही व बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजी, एम०बी०, मस्टररोल, परिसम्पत्ति पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका आदि अनुपलब्ध रहे। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है? नियमानुसार ऐसा प्रमाणक बिहीन व्यय गबन है। अतः सम्पूर्ण आहरित धनराशि रू0 479791.00 का अपहरण किया गया है। इस हेतु प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी व सचिव श्रीमती सुगन्धा शुक्ला दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। दोनो से समान रूप से ब्याजमय वसूली अपेक्षित है।

(पैरा-1)

24-ग्राम पंचायत अटखरिया विकास खंड - उरुवा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 29- ग्राम पंचायत अठखरिया विकास खण्ड उरूवा जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज के उपलब्ध अभिलेखों की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये है, जॉचोपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत अठखरिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर फीड रिसीट पेंमेंट व मासिक कैश बुक में अंकित आय व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं प्रमाणक, व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ऑफलाईन उपलब्ध नहीं कराये गये। बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मॉग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई

भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 10-07-2007 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	क्र0 स0	दिनांक	वाऊचर संख्या	धनराशि	कार्य विवरण
श्री अनिल कुमार (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुजीत कुमार (सचिव)	01	21-04-21	एफएफसी/2021-22/पी/1	102608-00	प्राथमिक स्कूल में इण्टर लॉकिग का भुगतान उदय इण्टर प्राईजेज
	02	21-04-21	एफएफसी/2021-22/पी/2	49501-00	सामुदायिक शौचालय के पास समर सेबल रिबोर का भुगतान उदय इण्टर प्राईजेज
	03	26-04-21	एफएफसी/2021-22/पी/3	200090-00	प्राथमिक स्कूल में शौचालय का भुगतान उदय इण्टर प्राईजेज
	04	27-04-21	एफएफसी/2021-22/पी/4	197405-00	प्राथमिक स्कूल में इण्टर लॉकिग का भुगतान उदय इण्टर प्राईजेज
	05	15-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/10	33945-00	प्राथमिक स्कूल में इण्टर लॉकिग का भुगतान फरजुल्ला रू0 3819-00, प्रदीप कुमार रू0 4950-00, लव कुमार सिंह रू0 4950-00, छोटे लाल रू0 3819-00, बृजेश कुमार रू0 4950-00, राजवन सिंह रू0 3819-00, दिलीप रू0 3819-00, अभिषेक रू0 3819-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	06	15-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/11	22950-00	प्राथमिक स्कूल में बालक एवं बालिका हेतु शौचालय निर्माण मजदूरी का भुगतान प्रदीप कुमार रू0 7650-00, लव कुमार सिंह रू0 7650-00, बृजेश कुमार रू0 7650-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	07	15-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/12	19698-00	प्राथमिक स्कूल में बालक एवं बालिका हेतु शौचालय निर्माण मजदूरी का भुगतान विनायक रू0 3417-00,दिलीप रू0 3417-00 छोटे लाल रू0 3417-00, अभिषेक रू0 3417-00 फरजुल्ला रू0 3015-00, राजवन सिंह रू0 3015-00 को पी0एफ0एम0एस0 के

					माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	08	15-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/13	6300-00	प्राथमिक स्कूल में इण्टर लॉकिग मजदूरी का भुगतान लव कुमार सिंह रू0 3150-00, बृजेश कुमार रू0 3150-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	09	15-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/14	7236-00	प्राथमिक स्कूल में इण्टर लॉकिग मजदूरी का भुगतान विनायक रू0 1809-00, छोटे लाल रू0 1809-00, अभिषेक रू0 1809-00 राजवन सिंह रू0 1809-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	10	15-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/5	356950-00	प्राथमिक स्कूल में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य का भुगतान उदय इण्टर प्राईजेज।
	11	15-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/6	20885-00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य सामग्री का भुगतान उदय इण्टर प्राईजेज।
	12	15-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/7	45000-00	प्राथमिक स्कूल में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य मजदूरी का भुगतान प्रदीप कुमार रू0 1800-00 प्रदीप कुमार रू0 12150-00 लव कुमार सिंह रू0 2700-00, बृजेश कुमार रू0 4050-00, लव कुमार सिंह रू0 12150-00, बृजेश कुमार रू0 12150-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	13	15-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/8	57084-00	प्राथमिक स्कूल में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य मजदूरी का भुगतान छोटे लाल रू0 5829-00, फरजुल्ला रू0 5829-00, दिलीप रू0 6030-00, फरजुल्ला रू0 5025-00 छोटे लाल रू0 5628-00, अभिषेक रू0 5829-00 दिलीप रू0 5829-00, राजवन सिंह रू0 5628-00, अभिषेक रू0 5628-00, राजवन सिंह रू0 5829-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	14	15-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/9	27450-00	सामुदायिक शौचालय मजदूरी का भुगतान लव कुमार सिंह रू0 9450-00, बृजेश कुमार रू0 9000-00 प्रदीप कुमार रू0 9000-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	15	22-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/15	6750-00	सामुदायिक शौचालय मे समर सेबल रिबोर मजदूरी का भुगतान प्रदीप कुमार रू0 2250-00, बृजेश कुमार रू0 2250-00, लव कुमार सिंह रू0 2250-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।

	16	22-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/16	21150-00	प्राथमिक स्कूल में टाईल्स कार्य मजदूरी का भुगतान प्रदीप कुमार रू0 6750-00, लव कुमार सिंह रू0 7200-00, बृजेश कुमार रू0 7200-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	17	22-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/17	28140-00	प्राथमिक स्कूल में टाईल्स कार्य मजदूरी का भुगतान फरजुल्ला रू0 5628-00, दिलीप रू0 5628-00, राजवन सिंह रू0 5628-00, अभिषेक रू0 5628-00, छोटे लाल रू0 5628-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	18	22-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/18	7821-00	राम निहोर के घर से तालाब तक नाली निर्माण मजदूरी का भुगतान छोटे लाल रू0 1005-00, अभिषेक रू0 1005-00, राजवन सिंह रू0 1206-00, लव कुमार सिंह रू0 1800-00, दिलीप रू0 1005-00, बृजेश कुमार रू0 1800-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	19	22-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/19	31887-00	मैनू दीन के घर से तालाब तक नाली निर्माण मजदूरी का भुगतान बृजेश कुमार रू0 4950-00, प्रदीप कुमार रू0 4500-00, छोटे लाल रू0 3417-00, फरजुल्ला रू0 3417-00, लव कुमार सिंह रू0 4950-00, दिलीप रू0 3618-00,अभिषेक रू0 3618-00, राजवन सिंह रू0 3417-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	20	22-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/20	28317-00	शशि कान्त के घर से बृजेश के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य का भुगतान फरजुल्ला रू0 2613-00, प्रदीप कुमार रू0 4950-00, छोटे लाल रू0 2814-00, बृजेश कुमार रू0 4950-00, अभिषेक रू0 2613-00, दिलीप रू0 2613-00, राजवन सिंह रू0 2814-00, लव कुमार सिंह रू0 4950-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	21	22-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/21	27963-00	बृजेश के घर से अवधेश के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य मजदूरी का भुगतान बृजेश कुमार रू0 5400-00, लव कुमार सिंह रू0 4950-00, राजवन सिंह रू0 3216-00, अभिषेक रू0 3015-00, दिलीप रू0 3216-00, प्रदीप कुमार रू0 4950-00, छोटे लाल रू0 3216-00 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान हुआ है किन्तु सभी व्यक्तियों में खाता संख्या एक ही अंकित है।
	22	18-07-21	एफएफसी/2021-22/पी/22	93372-00	वारीश अली, अश्वनी पाण्डेय, श्याम मोहन शर्मा, अलताफ आलम, दुर्गा प्रसाद गुप्ता का भुगतान सीतामाता इण्टर प्राईजेज।

	23	26-08-21	एफएफसी/2021-22/पी/23	78770-00	हैण्ड पम्प रिबोर का भुगतान सीतामाता इण्टर प्राईजेज।
	24	16-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22 / पी/3	62855-00	दुर्गा प्रसाद गुप्ता के घर के सामने हैण्ड पम्प रिबोर की मजदूरी का भुगतान एस एस इण्टर प्राईजेज।
	25	16-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/1	2350-00	जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन भुगतान एस0डी0 त्रिपाठी एसोसिएट्स।
	26	31-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/2	124869-00	दुर्गा प्रसाद गुप्ता के घर के सामने हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री का भुगतान एस एस इण्टर प्राईजेज।
	27	08-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22 / P/4	120000-00	ग्राम सभा में स्ट्रीट लाईट कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
	28	08-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22 / P/5	3000-00	प्राथमिक स्कूल में बिजली बिल का भुगतान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड मेजा।
	29	08-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/3	78645-00	ग्राम सभा में स्ट्रीट लाईट कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
	30	08-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/4	80200-00	पंचायत भवन की सामग्री खरीद हेतु भुगतान मन कामेश्वर कन्सट्रेक्शन एण्ड सप्लायर ।
	31	08-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/5	1888-00	टाईड एवं अनटाईड का भुगतान पंचायत राज डायरेक्टर।
	32	04-01-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22 / P/6	26300-00	पंचायत भवन की सामग्री खरीद हेतु सामग्री का अवशेष भुगतान मन कामेश्वर कन्सट्रेक्शन एण्ड सप्लायर ।
	33	04-01-22	XV एफ सी /2021-22/पी/6	100000-00	पंचायत भवन की सामग्री खरीद हेतु सामग्री का भुगतान मन कामेश्वर कन्सट्रेक्शन एण्ड सप्लायर ।
	योग		20,71,379-00 (रूपया बीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ उनयासी मात्र)		

के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित बिन्दु "4 घ" में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के

कार्यालय में रखी जायेगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी होगी लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद् अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और राज्य वित्त आयोग के गाईडलाईन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण/गबन किया गया है।

वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य व केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के निम्नवत आहरण कर व्यय किया गया है- परन्तु उक्त ऑनलाईन अंकित/व्यय धनराशि रूपया 20,71,379-00 से सम्बन्धित कोई भी ऑफलाईन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें।

अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार (ग्राम प्रधान) रू0 10,35,690-00 एवं श्री सुजीत कुमार (ग्रा0वि0अधि0) रू0 10,35,689-00 की जानी अपेक्षित है।

यदि भविष्य में आपत्तियों के परिपालन में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये जाते है तो प्रस्तुत प्रमाणकों को व्यपार कर विभाग व सम्बन्धित फर्म से प्रमाणित करवाने के पश्चात ही परिपालन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(पैरा-1)

25- ग्राम पंचायत बरवा विकास खंड - उरुवा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 30- ग्राम पंचायत बरवा विकास खण्ड उरूवा जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज के उपलब्ध अभिलेखों की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये है, जॉचोपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बरवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर फीड रिसीट पेंमेंट व मासिक कैश बुक में अंकित आय व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं प्रमाणक, व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ऑफलाईन उपलब्ध नहीं कराये गये। बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मॉग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 10-07-2007 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित बिन्दु "4 घ" में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी होगी लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद् अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका

तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और राज्य वित्त आयोग के गाईडलाईन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण/गबन किया गया है।

वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य व केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के निम्नवत आहरण कर व्यय किया गया है-

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	क्र0 स0	दिनांक	वाऊचर संख्या	धनराशि	कार्य विवरण
श्री शर्मा लाल (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुजीत कुमार (सचिव)	01	17-07-21	चौथा एस एफ सी/2021-22/ पी/1	28000-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान पाण्डेय इण्टर प्राईजेज।
	02	17-07-21	एफएफसी/2021-22/पी/1	42297-99	दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान पाण्डेय इण्टर प्राईजेज।
	03	17-07-21	XV एफ सी /2021-22/पी/1	42599-00	दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान पाण्डेय इण्टर प्राईजेज।
	04	17-07-21	XV एफ सी /2021-22/पी/2	20160-00	रोशनी आजिवका एस0एच0जी0 को भुगतान।
	05	29-07-21	एफएफसी/2021-22/पी/2	19998-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान पाण्डेय इण्टर प्राईजेज।
	06	03-08-21	एफएफसी/2021-22/पी/3	107926-00	हैण्ड पम्प रिबोर का भुगतान पाण्डेय इण्टर प्राईजेज।
	07	03-08-21	XV एफ सी /2021-22/पी/3	52510-00	कार्यालय में मेज, कुर्सी, दरी, ऑलमारी आदि सामग्री क्रय का भुगतान पाण्डेय इण्टर प्राईजेज।
	08	03-09-21	एफएफसी/2021-22/पी/4	121330-00	राम मिलन के खेत से नाला तक पक्की नाली कार्य का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	09	03-09-21	एफएफसी/2021-22/पी/5	76224-00	सुरेश शुक्ला के घर से रत्नेश शुक्ला के घर तक पक्की नाली कार्य का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	10	03-09-21	एफएफसी/2021-22/पी/6	77914-00	हैण्ड पम्प रिबोर का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	11	14-09-21	एफएफसी/2021-22/पी/7	52248-00	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	12	27-09-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/1	1-00	चेक का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।

	13	30-09-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/2	177678-00	नन्द लाल दुबे के घर से शंकर दुबे के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु सामग्री का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	14	30-09-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/3	25637-00	नन्द लाल दुबे के घर से शंकर दुबे के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	15	21-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/4	142738-00	काली रोड से महेन्द्र प्रसाद मिश्रा के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु सामग्री का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	16	21-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/5	21367-00	काली रोड से महेन्द्र प्रसाद मिश्रा के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	17	21-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/6	211558-00	किलहनी से कालू राम बिन्द के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु सामग्री का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	18	21-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/7	31913-00	किलहनी से कालू राम बिन्द के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	19	21-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/8	16800-00	आधुनिक धेलिया ट्राली सफाई किट की सामग्री हेतु भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	20	23-10-21	एफएफसी/2021-22/पी/20	193550-00	सट्रीट लाईट हेतु भुगतान वंश सोलर एनर्जी।
	21	29-10-21	एफएफसी/2021-22/पी/21	126101-00	05 नग हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	22	29-10-21	एफएफसी/2021-22/पी/22	62855-00	05 नग हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	23	02-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/12	97196-00	राजपति गौड के घर से काली रोड तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु सामग्री मॉ हीरावती इण्टर प्राईजेज।

	24	02-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/13	14761-00	राजपति गौड के घर से काली रोड तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु सामग्री मॉ हीरावती इण्टर प्राईजेज।
	25	02-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/14	41876-00	लालमनी गौड के घर से सी सी रोड तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु सामग्री मॉ हीरावती इण्टर प्राईजेज।
	26	05-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22 / P/16	3000-00	प्रा0स्कूल के बिजली बिल का भुगतान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण मेजा।
	27	05-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/4	4482-00	टाईड एवं अनटाईड का भुगतान पंचायत राज डायरेक्टर।
	28	08-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/5	6193-00	लालमनी गौड के घर से सी सी रोड तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु मजदूरी मॉ हीरावती इण्टर प्राईजेज।
	29	08-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/6	17500-00	ग्राम प्रधान को 05 माह का मानदेय का भुगतान।
	30	18-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/7	19700-00	ग्राम सभा में टेन्ट में गद्दा, रजाई के किराये का भुगतान शर्मा लाल।
	31	05-01-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22 / P/18	37713-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	32	05-01-22	XV एफ सी /2021-22/पी/10	167726-00	दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा के घर से राम खेलावन विश्वकर्मा के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु सामग्री का भुगतान मॉ हीरावती इण्टर प्राईजेज।
	33	05-01-22	XV एफ सी /2021-22/पी/11	26075-00	दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा के घर से राम खेलावन विश्वकर्मा के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान मॉ हीरावती इण्टर प्राईजेज।
	34	05-01-22	XV एफ सी /2021-22/पी/12	165273-00	काली रोड से राम खेलावन विश्वकर्मा के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु सामग्री का

					भुगतान मॉ हीरावती इण्टर प्राईजेज।
	35	05-01-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 13	26892-00	काली रोड से राम खेलावन विश्वकर्मा के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान मॉ हीरावती इण्टर प्राईजेज।
	36	05-01-22	XV एफ सी /2021-22/पी/8	173499-00	दिनेश कुमार मिश्रा के घर से नचकऊ विश्वकर्मा के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु सामग्री का भुगतान मॉ हीरावती इण्टर प्राईजेज।
	37	05-01-22	XV एफ सी /2021-22/पी/9	26454-00	दिनेश कुमार मिश्रा के घर से नचकऊ विश्वकर्मा के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान मॉ हीरावती इण्टर प्राईजेज।
	38	09-01-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 14	74585-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	39	09-01-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 15	47712-00	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु भुगतान मॉ हीरावती इण्टर प्राईजेज।
	40	27-01-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 16	196000-00	पंचायत भवन में सामग्री खरीद हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	41	08-02-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 17	98738-00	पंचायत भवन में रहने हेतु भुगतान मॉ हीरावती इण्टर प्राईजेज।
	42	15-03-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22 / पी /19	37820-00	पी0वी0सी0 पाईप का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	43	15-03-22	एफएफसी/2021-22/पी/ 8	47712-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन।
	44	15-03-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 18	195000-00	पूर्व मा0 विद्यालय में शौचालय निर्माण का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	योग		31,77,311-00 (रूपया इकतीस लाख सतहत्तर हजार ती सौ ग्यारह मात्र)		

परन्तु उक्त ऑनलाईन अंकित/व्यय धनराशि रूपया 31,77,311-00 से सम्बन्धित कोई भी ऑफलाईन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक

स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें।

अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शर्मा लाल (ग्राम प्रधान) रू0 15,88,655-00 एवं श्री सुजीत कुमार (ग्रा0वि0अधि0) रू0 15,88,656-00 से की जानी चाहिए।

यदि भविष्य में आपत्तियों के परिपालन में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये जाते है तो प्रस्तुत प्रमाणकों को व्यपार कर विभाग व सम्बन्धित फर्म से प्रमाणित करवाने के पश्चात ही परिपालन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(पैरा-1)

26- ग्राम पंचायत धरमपुर विकास खंड - उरुवा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 31- ग्राम पंचायत धरमपुर विकास खण्ड उरूवा जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज के उपलब्ध अभिलेखों की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये है, जॉचोपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत धरमपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर फीड रिसीट पेंमेंट व मासिक कैश बुक में अंकित आय व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं प्रमाणक, व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ऑफलाईन उपलब्ध नहीं कराये गये। बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मॉग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 10-07-2007 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित बिन्दु "4 घ" में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी होगी लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद् अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और राज्य वित्त आयोग के गाईडलाईन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण/गबन किया गया है।

वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य व केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के निम्नवत आहरण कर व्यय किया गया है-

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	क्र0 स0	दिनांक	वाऊचर संख्या	धनराशि	कार्य विवरण

रेखा देवी (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुजीत कुमार (सचिव)	01	28-04-21	एफएफसी/2021-22/पी/1	28127-00	प्राथमिक स्कूल श्याम नगर में दिव्यांग शौचालय निर्माण का भुगतान जी पी इण्टर प्राईजेज।
	02	28-04-21	एफएफसी/2021-22/पी/2	70609-00	श्याम नगर में रैनिंग वाटर, सबमर सेबल निर्माण का भुगतान जी पी इण्टर प्राईजेज।
	03	20-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/3	117014-00	पूर्व मा0विद्यालय में दिव्यांग शौचालय निर्माण सामग्री का भुगतान जी पी इण्टर प्राईजेज।
	04	20-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/4	23000-00	पूर्व मा0 विद्यालय में दिव्यांग शौचालय मजदूरी का भुगतान। राम दुलारे रू0 5200-00, मोहित कुमार रू0 6200-00 नितिन कुमार रू0 11600-00
	05	20-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/5	14186-00	पूर्व मा0विद्यालय में दिव्यांग शौचालय निर्माण सामग्री का भुगतान जी पी इण्टर प्राईजेज।
	06	20-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/6	23000-00	पूर्व मा0 विद्यालय में दिव्यांग शौचालय मजदूरी का भुगतान। नितिन कुमार रू0 11600-00, मोहित कुमार रू0 6200-00, राम दुलारे रू0 5200-00
	07	13-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/1	23158-00	दिव्यांग शौचालय में जल स्वच्छता कार्य सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान। राजेश कुमार रू0 23158-00
	08	13-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 1	10500-00	ग्राम प्रधान को 03 माह का मानदेय का भुगतान रेखा देवी।
	09	16-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 2	2350-00	जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन हेतु भुगतान एस0के0 त्रिपाठी एसोसिएट्स।
	10	27-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/2	19500-00	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान राकेश कुमार बिन्द।
	11	27-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/3	30995-00	ऑगनवाडी केन्द्र एवं सामुदायिक शौचालय में हैण्ड पम्प निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान धर्मराज।
	12	27-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/5	50549-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान किसान केसरी।

	13	27-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/6	118404-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री का भुगतान निखिल इण्टर प्राईजेज।
	14	27-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/7	50549-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान धर्मराज।
	15	29-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/8	34124-00	ऑगनवाडी केन्द्र एवं सामुदायिक शौचालय में हैण्ड पम्प निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान पाण्डेय इण्टर प्राईजेज।
	16	29-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/9	94169-00	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु सामग्री का भुगतान पाण्डेय इण्टर प्राईजेज।
	17	10-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 4	95762-00	पंचायत भवन में हैण्ड पम्प, समरसेबल एवं सोलर लाईट कार्य हेतु सामग्री का भुगतान पाण्डेय इण्टर प्राईजेज।
	18	10-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 5	15497-00	पंचायत भवन में हैण्ड पम्प, समरसेबल एवं सोलर लाईट कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान धर्मराज।
	19	13-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 7	2467-00	जनमोर्चा न्यूज को टेण्डर प्रकाशन हेतु भुगतान जन मोर्चा न्यूज।
	20	07-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/10	3000-00	प्रा0स्कूल के बिजली बिल का भुगतान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण मेजा।
	21	07-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 10	2267-00	टाईड एवं अनटाईड का भुगतान पंचायत राज डायरेक्टर।
	22	07-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 9	118404-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री का भुगतान निखिल इण्टर प्राईजेज।
	23	12-01-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/11	6000-00	पंचायत सहायक को दिसम्बर माह का मानदेय का भुगतान अर्चना गौड।
	योग		9,53,631-00 (रूपया नौ लाख तिरपन हजार छः सौ इकतीस मात्र)		

परन्तु उक्त ऑनलाईन अंकित/व्यय धनराशि रूपया 9,53,631-00 से सम्बन्धित कोई भी ऑफलाईन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें।

अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान रेखा देवी (ग्राम प्रधान) रू0 4,76,816-00 एवं श्री सुजीत कुमार (ग्रा0वि0अधि0) रू0 4,76,815-00 से की जानी चाहिए।

यदि भविष्य में आपत्तियों के परिपालन में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये जाते है तो प्रस्तुत प्रमाणकों को व्यपार कर विभाग व सम्बन्धित फर्म से प्रमाणित करवाने के पश्चात ही परिपालन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(पैरा-1)

27- ग्राम पंचायत- डोहरिया विकास खंड - उरुवा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 32- ग्राम पंचायत डोहरिया विकास खण्ड उरूवा जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज के उपलब्ध अभिलेखों की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये है, जॉचोपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	क्र0 स0	दिनांक	वाऊचर संख्या	धनराशि	कार्य विवरण
श्री राकेश सिंह (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुजीत कुमार (सचिव)	01	06-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/2	6000-00	सामुदायिक शौचालय में साफ-सफाई हेतु माह नवम्बर तक केयर टेकर का मानदेय प्रिया आजिवका एस0एच0जी0 को भुगतान।
	02	01-02-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22 / पी/3	6000-00	पंचायत सहायक अभिनव सिंह को भुगतान।
	योग		**12,000-00 (रूपया बारह हजार मात्र)**		

ग्राम पंचायत डोहरिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर फीड रिसीट पेंमेंट व मासिक कैश बुक में अंकित आय व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं प्रमाणक, व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ऑफलाईन उपलब्ध नहीं कराये गये। बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मॉग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या-

ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 10-07-2007 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित बिन्दु "4 घ" में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी होगी लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद् अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और राज्य वित्त आयोग के गाईडलाईन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण/गबन किया गया है।

वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य व केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के निम्नवत आहरण कर व्यय किया गया है-

परन्तु उक्त ऑनलाईन अंकित/व्यय धनराशि रूपया 12,000-00 से सम्बन्धित कोई भी ऑफलाईन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें।

अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह(ग्राम प्रधान) रू0 6,000-00 एवं श्री सुजीत कुमार (ग्रा0वि0अधि0) रू0 6,000-00 की जानी अपेक्षित है।

नोट- वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत दोहरिया विकास खण्ड उरूवा जनपद प्रयागराज में मात्र रूपया 12000-00 का ही व्यय हुआ है।

यदि भविष्य में आपत्तियों के परिपालन में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये जाते है तो प्रस्तुत प्रमाणकों को व्यपार कर विभाग व सम्बन्धित फर्म से प्रमाणित करवाने के पश्चात ही परिपालन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(पैरा-1)

28- ग्राम पंचायत जेरा विकास खंड - उरुवा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 33- ग्राम पंचायत जेरा विकास खण्ड उरूवा जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज के उपलब्ध अभिलेखों की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये है, जॉचोपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जेरा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर फीड रिसीट पेंमेंट व मासिक कैश बुक में अंकित आय व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं प्रमाणक, व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ऑफलाईन उपलब्ध नहीं कराये गये। बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मॉग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 10-07-2007 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित बिन्दु "4 घ" में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी होगी लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद् अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और राज्य वित्त आयोग के गाईडलाईन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण/गबन किया गया है।

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	क्र0 स0	दिनांक	वाऊचर संख्या	धनराशि	कार्य विवरण
रीता देवी (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुजीत कुमार (सचिव)	01	10-07-21	एफएफसी/2021-22/पी/1	129264-00	पी0डबल्यू0डी0 रोड से छोटे लाल के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	02	19-07-21	चौथा एस एफ सी/2021-22/ पी/1	97328-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	03	22-08-21	एफएफसी/2021-22/पी/2	75284-00	पी0डबल्यू0डी0 रोड से छोटे लाल के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	04	14-09-21	एफएफसी/2021-22/पी/3	60473-00	हैण्ड पम्प रिबोर का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	05	14-09-21	एफएफसी/2021-22/पी/4	33713-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	06	14-09-21	एफएफसी/2021-22/पी/5	30000-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	07	12-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/2	197420-00	स्ट्रीट लाईट कार्य हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर।
	08	16-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 2	2350-00	जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन हेतु भुगतान एस0के0 त्रिपाठी एसोसिएट्स।
	09	27-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/3	52409-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री का भुगतान मिश्रा ट्रेडर्स।
	10	11-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 3	181664-00	ह्यूम पाईप का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	11	11-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 4	42911-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	12	11-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 5	22676-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	13	11-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 6	33713-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान मिश्रा ट्रेडर्स।
	14	13-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 7	2467-00	जनमोर्चा न्यूज को टेण्डर प्रकाशन हेतु भुगतान जन मोर्चा न्यूज।

	15	17-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 10	156102-00	मनीष कुमार के घर से कल्लू के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य हेतु सामग्री का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	16	17-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 9	35414-00	सफाई कर्मी किट हेतु भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	17	18-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 11	18138-00	मनीष कुमार के घर से कल्लू दुबे के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	18	12-01-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/14	6000-00	पंचायत सहायक रेखा सोनकर को माह दिसम्बर का मानदेय भुगतान।
	19	18-01-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/16	30000-00	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	20	18-01-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 13	11571-00	कल्लू के घर से विजय दुबे के बाउण्ड्री तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	21	20-02-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/17	89488-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान प्रथा इण्टर प्राईजेज।
	22	20-02-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 14	214600-00	खंडजा मार्ग से मुंशी सोनकर के घर तक तक इण्टर लॉकिग कार्य का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर।
	23	20-02-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 15	36000-00	खंडजा मार्ग से मुंशी सोनकर के घर तक तक इण्टर लॉकिग कार्य का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर।
	योग		15,58,985-00 (रूपया पन्द्रह लाख अठ्ठावन हजार नौ सौ पचासी मात्र)		

वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य व केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के निम्नवत आहरण कर व्यय किया गया है-

परन्तु उक्त ऑनलाईन अंकित/व्यय धनराशि रूपया 15,58,985-00 से सम्बन्धित कोई भी ऑफलाईन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें।

अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान रीता देवी (ग्राम प्रधान) रू0 7,79,493-00 एवं श्री सुजीत कुमार (ग्रा0वि0अधि0) रू0 7,79,492-00 से की जानी चाहिए।

यदि भविष्य में आपत्तियों के परिपालन में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये जाते है तो प्रस्तुत प्रमाणकों को व्यपार कर विभाग व सम्बन्धित फर्म से प्रमाणित करवाने के पश्चात ही परिपालन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(पैरा-1)

29- ग्राम पंचायत- पकरी सेवार उपरहार विकास खंड - उरुवा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 34- ग्राम पंचायत पकरी सेवार उपरहार विकास खण्ड उरूवा जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज के उपलब्ध अभिलेखों की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये है, जॉचोपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पकरी सेवार उपरहार के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर फीड रिसीट पेंमेंट व मासिक कैश बुक में अंकित आय व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं प्रमाणक, व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ऑफलाईन उपलब्ध नहीं कराये गये। बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मॉग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 10-07-2007 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित बिन्दु "4 घ" में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी होगी लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद् अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और राज्य वित्त आयोग के गाईडलाईन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण/गबन किया गया है।

वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य व केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के निम्नवत आहरण कर व्यय किया गया है-

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	क्र0 स0	दिनांक	वाऊचर संख्या	धनराशि	कार्य विवरण
रेनू पाण्डेय (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुजीत कुमार (सचिव)	01	25-05-21	चौथा एस एफ सी/2021-22/ पी/1	19656-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्सन।
	02	25-05-21	चौथा एस एफ सी/2021-22/ पी/2	19510-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्सन।

	03	25-05-21	चौथा एस एफ सी/2021-22/ पी/3	19040-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्सन।
	04	25-05-21	चौथा एस एफ सी/2021-22/ पी/4	19532-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्सन।
	05	25-05-21	चौथा एस एफ सी/2021-22/ पी/5	19969-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्सन।
	06	25-05-21	चौथा एस एफ सी/2021-22/ पी/6	68219-00	सोक्ता गड्ढा का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्सन।
	07	25-05-21	एफएफसी/2021-22/ पी/1	18883-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्सन।
	08	25-05-21	एफएफसी/2021-22/ पी/2	19800-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्सन।
	09	17-06-21	एफएफसी/2021-22/ पी/3	31000-00	प्रशासनिक व्यय का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्सन।
	10	22-06-21	एफएफसी/2021-22/ पी/4	36000-00	तालाब से बाग तक पक्की नाली निर्माण कार्य की मजदूरी का भुगतान महेन्द्र रू0 9,000-00, शितला प्रसाद रू0 9,000-00, रमेश रू0 9,000-00, संतोष कुमार रू0 9,000-00।
	11	06-07-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 1	54000-00	मीना देवी एस0एच0जी0 को भुगतान।
	12	07-07-21	एफएफसी/2021-22/ पी/5	109219-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	13	07-07-21	एफएफसी/2021-22/ पी/6	186100-00	हैण्ड पम्प रिबोर का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	14	20-07-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 2	31500-00	प्रशासनिक व्यय का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।

	15	27-07-21	एफएफसी/2021-22/पी/7	111384-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	16	17-08-21	एफएफसी/2021-22/ पी/8	109218-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	17	11-09-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/1	49500-00	पंचायत भवन में कुर्सी, मेज, दरी आदि सामग्री क्रय का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्सन।
	18	13-09-21	एफएफसी/2021-22/ पी/9	89186-00	सीताराम आश्रम सेवार में चबुतरा निर्माण का भुगतान रमेश रू0 6,000-00, संतोष कुमार रू0 6,000-00, कार्तिक कन्सट्रक्सन रू0 66,066-00, शितला प्रसाद रू0 6,000-00, तौलन राम रू0 5,120-00
	19	13-09-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 3	36000-00	सफाई किट का भुगतान वंश सोलर एनर्जी।
	20	24-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/2	193550-00	स्ट्रीट लाईट की खरीद का भुगतान वंश सोलर एनर्जी।
	21	24-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 4	134713-00	सरस के तालाब से अम्बिका के घर होते हुए राज बहादुर के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य की सामग्री का भुगतान संध्या इण्टर प्राईजेज।
	22	24-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 5	143909-00	पी0डब्लयू0डी0रोड से नीबूं लाल के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य की सामग्री का भुगतान संध्या इण्टर प्राईजेज।
	23	24-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 6	165717-00	पी0डब्लयू0डी0 रोड से पंचायतघर तक इण्टर लॉकिग कार्य की सामग्री का भुगतान संध्या इण्टर प्राईजेज।
	24	25-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 7	193550-00	स्ट्रीट लाईट कार्य हेतु भुगतान वंश सोलर एनर्जी।

	25	27-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/4	19951-00	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	26	27-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/5	19957-00	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	27	27-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 8	193550-00	50 नग स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु भुगतान वंश सोलर एनर्जी।
	28	13-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 9	2467-00	जनमोर्चा न्यूज को टेण्डर प्रकाशन हेतु भुगतान जन मोर्चा न्यूज।
	29	19-11-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/8	19950-00	07 नग हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	30	19-11-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/9	19957-00	07 नग हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	31	19-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 10	27110-00	पी0डब्लयू0डी0रोड से पंचायत भवन तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु मिस्त्री एवं मजदूर का भुगतान रमेश रू0 5,600-00, संतोष कुमार रू0 4,800-00, महेन्द्र रू0 2,828-00, तौलन राम रू0 2,828-00, मनोज रू0 2,828-00, अरविन्द कुमार रू0 2,626-00, शीतला प्रसाद रू0 5,600-00
	32	19-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 11	27308-00	पी0डब्लयू0डी0रोड से नीबूं लाल के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु मिस्त्री एवं मजदूर का भुगतान तौलन राम रू0 2,626-00, संतोष कुमार रू0 5,200-00,रमेश रू0 5,600-00, महेन्द्र रू0 2,828-00, मनोज रू0 2,828-00,

					अरविन्द कुमार रू0 2,626-00, शीतला प्रसाद रू0 5,600-00
	33	19-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 12	16165-00	सरस के तालाब से अम्बिका के घर होते हुए राज बहादुर के घर तक इण्टर लॉकिग इण्टर लॉकिग का अवशेष कार्य हेतु सामग्री का भुगतान संध्या इण्टर प्राईजेज।
	34	19-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 13	19478-00	सरस के तालाब से अम्बिका के घर होते हुए राज बहादुर के घर तक इण्टर लॉकिग इण्टर लॉकिग का अवशेष कार्य हेतु मिस्त्री एवं मजदूर का भुगतान शीतला प्रसाद रू0 4,000-00, रमेश रू0 4,000-00, अरविन्द कुमार रू0 1,818-00, महेन्द्र रू0 2,020-00,तौलन राम रू0 2,020-00, संतोष कुमार रू0 3,600-00, मनोज रू0 2,020-00
	35	19-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 14	59984-00	चबुतरा निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान संध्या इण्टर प्राईजेज।
	36	19-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 15	19680-00	गंगा चबुतरा निर्माण कार्य हेतु मिस्त्री एवं मजदूर का भुगतान शीतला प्रसाद रू0 4,000-00, मनोज रू0 2,020-00, महेन्द्र रू0 2,020-00, संतोष कुमार रू0 3,600-00, अरविन्द कुमार रू0 2,020-00, रमेश रू0 4,000-00, तौलन राम रू0 2,020-00
	37	26-11-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/10	37500-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।

	38	26-11-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/11	37500-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	39	06-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/12	3000-00	प्राथमिक स्कूल में विद्युत बिल का भुगतान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड मेजा।
	40	16-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 16	89257-00	पी0डब्लयू0डी0रोड से संजय के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु सामग्री का भुगतान जय बजरंग बली ट्रेडर्स।
	41	16-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 17	15555-00	पी0डब्लयू0डी0रोड से संजय के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान मनोज रू0 2,652-00, अरविन्द कुमार रू0 3,480-00, महेन्द्र रू0 2,652-00, संतोष कुमार रू0 3,915-00, तौलन राम रू0 2,856-00
	42	16-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 18	172849-00	पी0डब्लयू0डी0रोड से राकेश पाण्डेय के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु सामग्री का भुगतान जय बजरंग बली ट्रेडर्स।
	43	16-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 19	19972-00	राकेश पाण्डेय के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान अरविन्द कुमार रू0 5,600-00, मनोज रू0 2,856-00, संतोष कुमार रू0 5,600-00, तौलन राम रू0 2,856-00, महेन्द्र रू0 3,060-00
	44	07-01-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/13	115000-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री का भुगतान सरदार पटेल इण्टर प्राईजेज।

	45	10-03-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/15	191280-00	हैण्ड पम्प रिबोर का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	46	12-03-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 20	219471-00	पी0डब्लयू0डी0रोड से उमा शंकर के घर नहर की पुलिया तक इण्टर लॉकिग कार्य का भुगतान जय बजरंगबली ट्रेडर्स।
	47	15-03-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 21	150000-00	भगवानदास के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान जय बजरंगबली ट्रेडर्स।
	48	20-03-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/16	60000-00	हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	योग		34,36,096-00 (रूपया चौतीस लाख छत्तीस हजार छियानबे मात्र)		

परन्तु उक्त ऑनलाईन अंकित/व्यय धनराशि रूपया 34,36,096-00 से सम्बन्धित कोई भी ऑफलाईन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें।

अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान रेनू पाण्डेय (ग्राम प्रधान) रू0 17,18,048-00 एवं श्री सुजीत कुमार (ग्रा0वि0अधि0) रू0 17,18,048-00 से की जानी चाहिए।

यदि भविष्य में आपत्तियों के परिपालन में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये जाते है तो प्रस्तुत प्रमाणकों को व्यपार कर विभाग व सम्बन्धित फर्म से प्रमाणित करवाने के पश्चात ही परिपालन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(पैरा-1)

30- ग्राम पंचायत परानीपुर उपरहार विकास खंड - उरुवा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 35- ग्राम पंचायत परानीपुर उपरहार विकास खण्ड उरूवा जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज के उपलब्ध अभिलेखों की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये है, जॉचोपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत परानीपुर उपरहार के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर फीड रिसीट पेंमेंट व मासिक कैश बुक में अंकित आय व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं प्रमाणक, व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ऑफलाईन उपलब्ध नहीं कराये गये। बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मॉग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 10-07-2007 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित बिन्दु "4 घ" में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी होगी लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद् अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और राज्य वित्त आयोग के गाईडलाईन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण/गबन किया गया है।

वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य व केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के निम्नवत आहरण कर व्यय किया गया है-

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	क्र0स0	दिनांक	वाऊचर संख्या	धनराशि	कार्य विवरण
बीनू सिंह (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुजीत कुमार (सचिव)	01	29-07-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 2	60000-01	प्रशासनिक व्यय हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर।
	02	29-07-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 3	114999-99	पंचायत सचिवालय में सामग्री क्रय हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर।
	03	10-08-21	एफएफसी/2021-22/पी/1	117701-99	बारा दशरथपुर में दिव्यांग शोचालय निर्माण कार्य का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	04	10-08-21	एफएफसी/2021-22/पी/2	123116-00	प्राथमिक स्कूल में 02 दिव्यांग शोचालय निर्माण कार्य का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	05	25-08-21	चौथा एस एफ सी/2021-22/ पी/1	198369-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	06	25-08-21	एफएफसी/2021-22/पी/3	42000-00	ग्राम प्रधान बीनू सिंह को मानदेय का भुगतान।
	07	25-08-21	एफएफसी/2021-22/पी/4	81475-00	पूर्व प्राथमिक स्कूल में दिव्यांग शोचालय निर्माण कार्य का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	08	25-08-21	एफएफसी/2021-22/पी/5	21725-00	प्राथमिक स्कूल डीटिव में हैण्डवास का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	09	25-08-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 4	54000-00	जय गंगा मा अजीविका एस0एच0जी0 को भुगतान।
	10	25-08-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 5	114800-00	वृक्षारोपण के लिए बाउण्ड्रीवाल एवं तार निर्माण कार्य का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर।
	11	25-08-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 6	68735-00	प्रशासनिक व्यय हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर।
	12	08-09-21	एफएफसी/2021-22/पी/6	173257-00	रामआसरे के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण कार्य का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	13	08-09-21	एफएफसी/2021-22/पी/7	244333-00	विभिन्न मजरो में हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	14	08-09-21	एफएफसी/2021-22/पी/8	198000-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।

	15	08-09-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 7	27000-00	जय गंगा मा अजीविका एस0एच0जी0 को भुगतान।
	16	10-10-21	एफएफसी/2021-22/पी/9	42000-00	प्रधान बीनू सिंह का मानदेय का भुगतान।
	17	10-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 8	195000-00	50 नग स्ट्रीट लाईक की खरीद का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	18	12-10-21	चौथा एस एफ सी/2021-22/ पी/2	142643-00	पंचायत भवन परिसर में इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	19	16-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 9	2350-00	जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन हेतु भुगतान एस0के0 त्रिपाठी एसोसिएट्स।
	20	23-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/1	187496-00	ह्यूम पाईप कार्य हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	21	23-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/2	187496-00	ह्यूम पाईप कार्य हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	22	23-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/3	126000-00	स्ट्रीट लाईट कार्य हेतु भुगतान वंश सोलर एनर्जी।
	23	31-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/4	73400-00	पंचायत भवन में समरसेबल हैण्ड पम्प हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	24	31-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/5	73400-00	सामुदायिक शौचालय में समरसेबल हैण्ड पम्प हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	25	01-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 10	295990-00	धर्मराज के घर से खडन्जा तक इण्टर लॉकिग कार्य की सामग्री का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	26	01-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 11	295993-00	राजेन्द्र सिंह के घर से खडन्जा तक इण्टर लॉकिग कार्य की सामग्री का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	27	13-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 12	2467-00	जनमोर्चा न्यूज को टेण्डर प्रकाशन हेतु भुगतान जन मोर्चा न्यूज।
	28	16-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 13	197800-00	50 नग स्ट्रीट लाईक की खरीद का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	29	16-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 14	179000-00	पंचायत भवन में मरम्मत कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	30	02-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 15	156300-00	बाबा महराज धाम पर हाईमास लाईट कार्य हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।

	31	02-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 16	156300-00	बाबा महराज धाम पर हाईमास लाईट कार्य हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	32	05-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/6	3000-00	प्राथमिक स्कूल में विद्युत बिल का भुगतान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड मेजा।
	33	14-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/7	207133-00	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु सामग्री का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर।
	34	14-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/8	37200-00	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु कार्य हेतु अमन को मजदूरी का भुगतान ।
	35	14-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/9	20000-00	प्रशासनिक व्यय हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर।
	36	14-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 17	165938-00	रमेश सिंह के घर से तालाब तक ह्यूम पाईप क्रय हेतु सामग्री का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर।
	37	14-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 18	31387-00	रमेश सिंह के घर से तालाब तक ह्यूम पाईप क्रय हेतु अमन को मजदूरी का भुगतान ।
	38	14-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 19	118220-00	ट्रासफारमर से धर्मराज के गौसाला से होते हुए तालाब तक ह्यूम पाईप क्रय हेतु सामग्री का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर।
	39	14-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 20	21616-00	ट्रासफारमर से धर्मराज के गौसाला से होते हुए तालाब तक ह्यूम पाईप क्रय हेतु अमन को मजदूरी का भुगतान ।
	40	24-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/10	10000-00	टेण्डर प्रकाशन हेतु भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर।
	41	24-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/11	70814-00	सफाई किट की खरीद हेतु सामग्री का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर।
	42	13-01-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/12	6000-00	पंचायत सहायक लक्ष्मी यादव को माह दिसम्बर माह के मानदेय का भुगतान।
	43	08-02-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 21	189900-00	लक्ष्मी नारायण के गौसाला तक इण्टर लॉकिग कार्य का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर रू0 1,69,900-00 एवं अमन रू0 20,000-00
	44	08-02-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 22	195000-00	राजेन्द्र के घर से इण्टर लॉकिग तक इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर रू0 1,00,000-00 एवं अमन रू0 95,000-00

	45	15-02-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 23	313700-00	बाबा महराज धाम से अमरेश के घर तक इण्टर लॉकिग का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर रू0 2,65,700-00 एवं अमन रू0 48,000-00
	46	15-02-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 24	313700-00	विकास सिंह के घर से जगदीश सिंह के घर तक इण्टर लॉकिग का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर रू0 2,65,700-00 एवं अमन रू0 48,000-00
	47	15-02-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 25	313700-00	ट्रासफारमर से जगत बहादुर के खेत तक इण्टर लॉकिग का भुगतान मनकामेश्वर कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर रू0 2,65,700-00 एवं अमन रू0 48,000-00
	योग		59,70,454-99 (रूपया उनसठ लाख सत्तर हजार चार सौ चौवन एवं निनयानबे पैसा मात्र)		

परन्तु उक्त ऑनलाईन अंकित/व्यय धनराशि रूपया 59,70,454-99 से सम्बन्धित कोई भी ऑफलाईन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें।

अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान बीनू सिंह (ग्राम प्रधान) रू0 29,85,227-99 एवं श्री सुजीत कुमार (ग्रा0वि0अधि0) रू0 29,85,227-00 से की जानी चाहिए।

यदि भविष्य में आपत्तियों के परिपालन में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये जाते है तो प्रस्तुत प्रमाणकों को व्यपार कर विभाग व सम्बन्धित फर्म से प्रमाणित करवाने के पश्चात ही परिपालन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(पैरा-1)

31- ग्राम पंचायत उरनाह विकास खंड - उरुवा जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 36- ग्राम पंचायत उरनाह विकास खण्ड उरूवा जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज के उपलब्ध अभिलेखों की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये है, जॉचोपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत उरनाह के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर फीड रिसीट पेंमेंट व मासिक कैश बुक में अंकित आय व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं प्रमाणक, व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ऑफलाईन उपलब्ध नहीं कराये गये। बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मॉग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 10-07-2007 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित बिन्दु "4 घ" में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी होगी लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद् अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	क्र0 स0	दिनांक	वाऊचर संख्या	धनराशि	कार्य विवरण
श्री विजय शुक्ला (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुजीत कुमार (सचिव)	01	28-04-21	एफएफसी/2021-22/पी/1	121687-00	सामुदायिक शौचालय निर्माण का भुगतान जी पी इण्टर प्राईजेज।
	02	28-04-21	एफएफसी/2021-22/पी/2	20223-00	प्रा0स्कूल में रैनिंग वाटर, टाईल्स कार्य का भुगतान जी पी इण्टर प्राईजेज।
	03	21-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/3	29503-00	नाली ढक्कन निर्माण कार्य का भुगतान जी पी इण्टर प्राईजेज।
	04	21-05-21	एफएफसी/2021-22/पी/4	28800-00	दिव्यांग शौचालय निर्माण मजदूरी का भुगतान मंगला देवी रू0 9600-00,आनन्द रू0 9600-00, अंकित कुमार रू0 9600-00
	05	21-05-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 1	59845-00	प्रा0स्कूल में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान जी पी इण्टर प्राईजेज।
	06	24-09-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/पी/1	79121-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	07	24-09-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/2	37713-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	08	01-10-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/4	25142-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	09	10-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 2	44011-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	10	10-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 3	38187-00	50 नग हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	11	16-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 4	2350-00	जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन हेतु भुगतान एस0के0 त्रिपाठी एसोसिएट्स।
	12	19-10-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 5	2500-00	टेण्डर प्रकाशन हेतु भुगतान सूरज बात्रा।

	13	02-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 6	8852-00	25 नग स्ट्रीट लाईट का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	14	13-11-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 7	2467-00	जनमोर्चा न्यूज को टेण्डर प्रकाशन हेतु भुगतान जन मोर्चा न्यूज।
	15	06-12-21	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/6	3000-00	प्रा0स्कूल के बिजली बिल का भुगतान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण मेजा।
	16	17-12-21	XV एफ सी /2021-22/पी/ 8	116833-00	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	17	06-01-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 9	12000-00	सामुदायिक शौचालय में साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु केयर टेकर का मानदेय का भुगतान संतोषी आजिवका एस0एच0जी0
	18	02-02-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/8	6000-00	पंचायत सहायक रेनू सिंह का मानदेय भुगतान।
	19	26-03-22	पांचवां एस एफ सी/2021-22/ पी/9	51283-00	संजय शुक्ला के घर की बाउन्ड्रीवाल से परेड तक इण्टर लॉकिग कार्य का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	20	26-03-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 10	26300-00	प्रशासनिक एवं निर्वाचन बूथ का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	21	26-03-22	XV एफ सी /2021-22/पी/ 11	110948-00	बुधन जायसवाल के घर से तालाब तक ह्यूम पाईप नाली निर्माण का भुगतान अंजली पेन्ट हाऊस।
	योग		8,26,765-00 (रूपया आठ लाख छब्बीस हजार सात सौ पैसठ मात्र)		

और राज्य वित्त आयोग के गाईडलाईन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण/गबन किया गया है।

वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य व केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के निम्नवत आहरण कर व्यय किया गया है-

परन्तु उक्त ऑनलाईन अंकित/व्यय धनराशि रूपया 8,26,765-00 से सम्बन्धित कोई भी ऑफलाईन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें।

अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री विजय शुक्ला (ग्राम प्रधान) रू0 4,13,382-00 एवं श्री सुजीत कुमार (ग्रा0वि0अधि0) रू0 4,13,383-00 से की जानी चाहिए।

यदि भविष्य में आपत्तियों के परिपालन में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये जाते है तो प्रस्तुत प्रमाणकों को व्यपार कर विभाग व सम्बन्धित फर्म से प्रमाणित करवाने के पश्चात ही परिपालन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(पैरा-1)

32- ग्राम पंचायत- दामोदरपुर उर्फ तिवारीपुर विकास खंड - सहसों जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 37- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत दामोदरपुर उर्फ तिवारीपुर की लेखापरीक्षा में पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण निम्न लिखित की धनराशियाँ 387627.00 का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण किया गया

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1-	12/6/21	हेण्डपम्प मरम्मत	35000.00	राज्य वित्त
	10/12/21	हेण्डपम्प मरम्मत	28445.00	राज्य वित्त
	20/1/22	हेण्डपम्प मरम्मत	28182.00	राज्य वित्त
2-	06/8/21	पंचायत भवन निर्माण में मिट्टी भराई का कार्य	125500.00	राज्य वित्त
3-	27/1/22	पंचायत भवन हेतु कुसी, मेज, आलमारी इत्यादि	170500.00	केन्द्रीय वित्त
		कुल योग-	**387627.00**	

राज्य वित्त से दिनांक 12/6/21-रु 35000.00.10/12/21-रु 28445.00 एवं 20/1/22-रु 28182.00 को हैडपंप मरम्मत पर कुल व्यय रु 91627.00 का विवरण कोशबही में अंकित है किंतु हैंडपंप मरम्मत से संबंधित कोई भी पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 17 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 91627.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्री श्री बाल गोविंद त्रिपाठी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेंद्र दुबे से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-1)

प्रस्तर 38- राज्य वित्त से दिनांक 06/8/21 को पंचायत भवन मे मिट्टी भराई हेतु रु 125500.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 125500.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्री श्री बाल गोविंद त्रिपाठी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेंद्र दुबे से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-2)

प्रस्तर 39- केन्द्रीय वित्त से दिनांक 27/1/22 को पंचायत भवन में कुर्सी मेज, आलमारी इत्यादि हेतु रु 170500.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु170500.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्री श्री बाल गोविंद त्रिपाठी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेद्र दुबे से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाएउपरोक्त समस्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख न उपलब्ध करने की स्थिति में कुल धनराशि रू.387627.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री बाल गोविंद त्रिपाठी से रु.193813.50 एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री धर्मेद्र दुबे से रु. 193813.50 किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-3)

33- ग्राम पंचायत हसनपुर कोरारी विकास खंड - सहसों जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 40- ग्राम पंचायत हसनपुर कोरारी विकास खण्ड- सहसो जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त मद से दिनांक 06-10-2021 एवं 28-10-2021 को विभिन्न कार्यो हेतु सामग्री हेतु रूपया 473219.00 प्रताप बिल्डर्स एवं आदर्श इण्टर प्राईजेज को पी0एफ0एम0एस0 द्वारा भुगतान तथा मजदूरी रूपया 99885.00 प्रधान श्री प्रेमचन्द्र को भुगतान करना कैश बुक में खारिज किया गया है, जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न कार्यो हेतु सामग्री एवं मजदूरी पर क्रमशः **473219.00 + 99885.00** कुल **रूपया 573104**.00 का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 स0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	06-10-2021	152884-00	सामुदायिक भवन टाईल्स सामग्री का भुगतान प्रताप बिल्डर्स
02	06-10-2021	36090-00	सामुदायिक भवन टाईल्स मजदूरी का भुगतान प्रधान श्री प्रेमचन्द्र
03	28-10-2021	113510-00	सामुदायिक मिलन केन्द्र मरम्मत एवं रंगाई पुताई सामग्री का भुगतान प्रताप बिल्डर्स
04	28-10-2021	27570-00	सामुदायिक मिलन केन्द्र मरम्मत एवं रंगाई पुताई मजदूरी का भुगतान प्रधान श्री प्रेमचन्द्र
05	28-10-2021	206825-00	इण्टर लॉकिग सामग्री (अर्जुन के घर से नोखेलाल के घर तक) का भुगतान आदर्श इण्टर प्राईजेज
06	28-10-2021	36225-00	इण्टर लॉकिग मजदूरी (अर्जुन के घर से नोखेलाल के घर तक) का भुगतान प्रधान श्री प्रेमचन्द्र
	योग	573104-00	

सामग्री खरीद रूपया 473219-00 के व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान 99885-00 के मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे क्रय सामग्री का नाम मात्रा एवं दर अज्ञात रही।
उपरोक्त प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रेमचंद्र (रूपया 286552.00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री अजय राना (रूपया 286552.00) से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(पैरा-1)

प्रस्तर 41- ग्राम पंचायत हसनपुर कोरारी विकास खण्ड- सहसो जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग मद से दिनांक 24-01-2022 को इण्टरलॉकिग कार्य ''लालाराम के खेत से रूपचन्द्र के खेत तक'' हेतु सामग्री पर **रूपया 172958-00 एवं मजदूरी पर रूपया 26470-00 कुल रूपया 199428-00** का भुगतान आदर्श इण्टर प्राईजेज को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया गया है मजदूरी का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित नहीं करके सीधे फर्म आदर्श इण्टर प्राईजेज को किया गया है। सामग्री खरीद रूपया 172958-00 का व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान रूपये 26470-00 का मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे क्रय सामग्री का नाम मात्रा एवं दर अज्ञात रही। उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रेमचंद्र (रूपया 99714.00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री अजय राना (रूपया 99714.00) से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(पैरा-2)

प्रस्तर 42- ग्राम पंचायत हसनपुर कोरारी विकास खण्ड- सहसो जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त मद से दिनांक 01-11-2021 को रूपया 149715-00 नाली निर्माण सामग्री (अर्जुन के घर से श्रीपाल के घर होते हुए रमेश के खेत तक) हेतु एवं दिनांक 01-02-2022 को रूपया 135000-00 कम्प्यूटर, इनवर्टर, सोलर पैनल हेतु दोनो भुगतान आदर्श इण्टर प्राईजेज को किए गए है। परन्तु दोनो भुगतानों के लिए कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः क्रय सामग्री का नाम, दर एवं मात्रा अज्ञात रहा। नाली निर्माण कार्य की मजदूरी भी वित्तीय वर्ष में कैशबुक में खारिज नहीं है, बिना मजदूरी के निर्माण कार्य सम्भव नहीं है।

उपरोक्त दोनो प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए।

अतः स्पष्ट है कि धनराशि **रूपया 149715-00+ रूपया 135000-00 कुल रूपया 284715-00** का अपहरण फर्म की मिलीभगत से प्रधान श्री प्रेमचन्द्र एवं सचिव श्री अजय राना द्वारा किया गया है।

लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रेमचंद्र (रूपया 142357.00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री अजय राना (रूपया 142358.00) से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(पैरा-3)

प्रस्तर 43 -ग्राम पंचायत हसनपुर कोरारी विकास खण्ड- सहसो जनपद प्रयागराज में प्राथमिक विद्यालय दिव्यांग शौचालय निर्माण के लिए सामग्री मद में **रूपया 138517-00 फर्म प्रताप बहादुर सिंह एवं मजदूरी मद में रूपया 23400-00 प्रधान श्री प्रेमचन्द्र को इस प्रकार कुल रूपया 161917-00 का भुगतान कैश बुक में खारिज है** परन्तु कोई भी मस्टररोल व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	15-06-2021	100000-00	प्राइमरी विद्यालय में दिव्यांग शौचालय सामग्री का भुगतान श्री प्रताप बहादुर सिंह प्रधान श्री प्रेमचन्द्र
02	21-09-2021	23400-00	प्राइमरी विद्यालय में दिव्यांग शौचालय मजदूरी का भुगतान प्रधान श्री प्रेमचन्द्र
03	22-09-2021	38517-00	प्राइमरी विद्यालय में दिव्यांग शौचालय सामग्री का भुगतान श्री प्रताप बहादुर सिंह
	योग	161917-00(एक लाख इकसठ हजार नौ सौ सत्रह मात्र)	

उपरोक्त विवरण में मजदूरी प्रधान श्री प्रेमचन्द्र द्वारा प्राप्त की गयी है जबकि मजदूरी कार्यरत मजदूरों के खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित की जानी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रेमचंद्र (रूपया 80959.00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री अजय राना (रूपया 80958.00) से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

क्र0 स0	**आपत्ति संख्या**	**धनराशि**
01	आपत्ति संख्या 01	573104-00
02	आपत्ति संख्या 02	199428-00
03	आपत्ति संख्या 03	284715-00

04	आपत्ति संख्या 04	161917-00
	योग	1219164-00

नोट- उपरोक्त विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये कोषवही एवं बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर निर्गत की गयी है एवं उपरोक्त सभी अभिलेख अप्राप्त रहें। **)पैरा-1(**

34- ग्राम पंचायत चिरौडा विकास खंड - सहसों जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 44- ग्राम पंचायत चिलौरा विकास खण्ड- सहसो जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में इण्टर लॉकिग कार्य हेतु दिनांक 10-11-2021 को रूपया 524968-00 दिनांक 02-12-2021 को रूपया 198915-00 एवं दिनांक 10-01-2022 को रूपया 616561-00 भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल रूपया 1340444-00 का भुगतान राजेश कन्सट्रक्शन को किया गया है, जिसमें सामग्री पर रूपया 1123161-00 एवं मजदूरी पर रूपया 217283-00 दोनो फर्मों को ही भुगतान किए गए है, जबकि मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 द्वारा कार्यरत मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए था। परन्तु इस प्रकार भुगतान न कर शासन की मंशा के विपरीत कार्य किया गया है।

सामग्री क्रय पर भुगतान रूपया 1123161-00 के लिए कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे क्रय सामग्री का नाम, मात्रा, दर एवं मूल्य आदि की जानकारी नहीं की जा सकी तथा सम्बन्धित मस्टर रोलो के अप्राप्त रहने से कार्य एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए।

अतः स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से प्रधान श्री कृष्ण कुमार एवं सचिव श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा धन का अपहरण किया गया है लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार (रूपया 670222.00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार सिंह (रूपया 670222.00) से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। जिसकी वसूली दोनों व्यक्तियों से समान रूप से तातारीख ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र0 स0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	10-11-2021	104701-00	इण्टर लॉकिग सामग्री (काली रोड से रमेश चमार के घर तक) का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
02	10-11-2021	24368-00	इण्टर लॉकिग मजदूरी (काली रोड से रमेश चमार के घर तक) का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
03	10-11-2021	67999-00	इण्टर लॉकिग सामग्री (काली रोड से विजय शंकर के घर तक) का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
04	10-11-2021	15300-00	इण्टर लॉकिग मजदूरी(काली रोड से विजय शंकर के घर तक) का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
05	10-11-2021	136500-00	इण्टर लॉकिग सामग्री पक्की सडक से बदरहा के घर तक का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
06	10-11-2021	30500-00	इण्टर लॉकिग मजदूरी पक्की सडक से बदरहा के घर तक का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
07	10-11-2021	119500-00	इण्टर लॉकिग सामग्री बदरहा के घर से मन्नी के घर तक का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
08	10-11-2021	26000-00	इण्टर लॉकिग मजदूरी बदरहा के घर से मन्नी के घर तक का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
	योग	**524968-00**	
01	02-12-2021	190500-00	इण्टर लॉकिग सामग्री रामकिशुन के घर से जयराम के घर तक का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
02	02-12-2021	28415-00	इण्टर लॉकिग मजदूरी रामकिशुन के घर से जयराम के घर तक का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
	योग	**198915-00**	
01	10-01-2022	49639-00	इण्टर लॉकिग सामग्री बसनलाल पासी के घर से इण्टर लॉकिग तक नाली का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
02	10-01-2022	13180-00	इण्टर लॉकिग मजदूरी बसनलाल पासी के घर से इण्टर लॉकिग तक नाली का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
03	10-01-2022	160076-00	इण्टर लॉकिग सामग्री बसनलाल पासी के घर से इण्टर लॉकिग तक इण्टर लॉकिग का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
04	10-01-2022	28700-00	इण्टर लॉकिग मजदूरी बसनलाल पासी के घर से इण्टर लॉकिग तक इण्टर लॉकिग का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
05	10-01-2022	152323-00	इण्टर लॉकिग सामग्री मेवालाल के घर से मंदिर के सामने मोहन लाल के घर तक का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
06	10-01-2022	27160-00	इण्टर लॉकिग मजदूरी मेवालाल के घर से मंदिर के सामने मोहन लाल के घर तक का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
07	10-01-2022	152323-00	इण्टर लॉकिग सामग्री मोहनलाल के घर से जीतलाल के घर तक का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
08	10-01-2022	27160-00	इण्टर लॉकिग मजदूरी मोहनलाल के घर से जीतलाल के घर तक का भुगतान राजेश कंसट्रक्शन
	योग	**616561-00**	
	कुल योग	**1340444-00** (मात्र रूपया तेरह लाख चालीस हजार चार सौ चौवालीस)	

(पैरा-1)

प्रस्तर 45- ग्राम पंचायत चिलौरा विकास खण्ड- सहसो जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक **14-01-2022 को रूपया 465950-00 एवं दिनांक 27-01-2022 को रूपया 347000-00 का भुगतान आदेश इन्टर प्राईजेज को विभिन्न मदों हेतु किया गया है। इस प्रकार कुल भुगतान रूपया 812950-00** के लिए कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए।

अतः स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से प्रधान श्री कृष्ण कुमार एवं सचिव श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा धन का अपहरण किया गया है लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार (रूपया 406475.00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार सिंह (रूपया 406475.00)

क्र0 स0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	14-01-2022	141950-00	सीमेन्टेड बेन्च 17 नग का भुगतान आदेश इण्टर प्राईजेज
02	14-01-2022	190400-00	16 जोडी डस्टबिन का भुगतान आदेश इण्टर प्राईजेज
03	14-01-2022	133600-00	सीमेन्टेड बेन्च 16 नग का भुगतान आदेश इण्टर प्राईजेज
	योग	**465950-00**	
01	27-01-2022	198000-00	उच्च प्रा0विद्यालय मरम्मत कार्य हेतु भुगतान आदेश इण्टर प्राईजेज
02	27-01-2022	149000-00	पंचायत भवन पर कम्प्यूटर, इन्वर्टर, फर्नीचर हेतु भुगतान आदेश इण्टर प्राईजेज
	योग	**347000-00**	
	कुल योग	**812950-00** (मात्र रूपया आठ लाख बारह हजार नौ सौ पचास)	

से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। जिसकी वसूली दोनों व्यक्तियों से समान रूप से तातारीख ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र0 स0	**आपत्ति संख्या**	**धनराशि**
01	आपत्ति संख्या 01	1340444-00
02	आपत्ति संख्या 02	812950-00
	योग	2153394-00

नोट- उपरोक्त विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये कोषवही एवं बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर निर्गत की गयी है एवं उपरोक्त सभी अभिलेख अप्राप्त रहें।

(पैरा-2)

35- ग्राम पंचायत उमरीमय टटिहरा विकास खंड - सहसों जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 46- ग्राम पंचायत उमरीमय टटिहरा विकास खण्ड- सहसो जनपद प्रयागराज आलोच्य वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त मद से इण्टर लॉकिग कार्य हेतु दिनांक 15-10-2021 एवं 28-10-2021 को क्रमशः रूपया 124983-00 एवं रूपया 192720-00 सामग्री एवं मजदूरी दोनों मदों का भुगतान मे0 महादेव इण्टर प्राईजेज को किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान कार्यरत मजदूरों को मस्टररोल के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 द्वारा उनके खाते में स्थानान्तरित की जानी चाहिए थी परन्तु ऐसा नहीं करके सीधे फर्म को भुगतान किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

क्र0 स0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	15-10-2021	104433-00	इण्टर लॉकिग सामग्री बरकत के घर से रियाज के दरवाजे तक का भुगतान महादेव इण्टर प्राईजेज
02	15-10-2021	20550-00	इण्टर लॉकिग मजदूरी बरकत के घर से रियाज के दरवाजे तक का भुगतान महादेव इण्टर प्राईजेज
03	28-10-2021	160890-00	इण्टर लॉकिग सामग्री बरकत के घर से दौस मुहम्मद के घर तक का भुगतान महादेव इण्टर प्राईजेज
04	28-10-2021	31830-00	इण्टर लॉकिग मजदूरी बरकत के घर से दौस मुहम्मद के घर तक का भुगतान महादेव इण्टर प्राईजेज
	योग	317703-00(तीन लाख सत्रह हजार सात सौ तीन रूपये मात्र)	

उपरोक्त विवरण के अनुसार सामग्री खरीद पर रूपया 265323-00 एवं मजदूरी रूपया 52380-00 का भुगतान महादेव इण्टर प्राईजेज को किया गया है। परन्तु कोई भी मस्टर रोल व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे क्रय सामग्री का नाम दर मात्रा आदि अज्ञात रहा।

उपरोक्त प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपति (रूपया 158851.00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री रामबहादुर (रूपया 158852.00) से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(पैरा-1)

प्रस्तर 47- ग्राम पंचायत उमरीमय टटिहरा विकास खण्ड- सहसो जनपद प्रयागराज आलोच्य वर्ष 2021-22 में नाली निर्माण कार्य हेतु दिनांक 15-10-2021 को रूपया 33857-00 एवं दिनांक 18-10-2021 को रूपया 142256-00 का भुगतान मे0 महादेव इण्टर प्राईजेज का सामग्री एवं मजदूरी दोनों का भुगतान किया गया है। मजदूरी का

भुगतान मस्टर रोल के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 द्वारा मजदूरों के बैंक खाते में नहीं करके सीधे फर्म को भुगतान किया गया है। किसी भी धनरराशि के लिए कोई भी व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कराए गए कार्य पर **व्यय धनराशि रूपया 176113-00** की पुष्टि नहीं होती है। व्यय प्रमाणक के अभाव में क्रय सामग्री का नाम मूल्य दर एवं मात्रा आदि अज्ञात रहा।

उपरोक्त भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए।

लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः फर्म की मिलीभगत से प्रधान श्री इन्द्रपति एवं सचिव श्री राम बहादुर द्वारा धन का अपहरण किया गया। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपति (रूपया 88057.00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री रामबहादुर (रूपया 88056.00) से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत् है-

क्र0 स0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	15-10-2021	26837-00	नाली निर्माण सामग्री रामलखन के दरवाजे से दौस मुहम्मद के घर तक का भुगतान महादेव इण्टर प्राईजेज
02	15-10-2021	7020-00	नाली निर्माण मजदूरी रामलखन के दरवाजे से दौस मुहम्मद के घर तक का भुगतान महादेव इण्टर प्राईजेज
03	18-10-2021	111056-00	नाला निर्माण सामग्री यार मोहम्मद के घर के पीछे से तालाब से सामने वाले तालाब तक का भुगतान महादेव इण्टर प्राईजेज
04	18-10-2021	31200-00	नाला निर्माण मजदूरी यार मोहम्मद के घर के पीछे से तालाब से सामने वाले तालाब तक का भुगतान महादेव इण्टर प्राईजेज
		176113-00 (एक लाख छिहत्तर हजार एक सौ तेहर मात्र)	

(पैरा-2)

प्रस्तर 48- ग्राम पंचायत उमरीमय टटिहरा विकास खण्ड- सहसो जनपद प्रयागराज आलोच्य वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त मद से दिनांक 27-05-2021 को रूपया 162624-00 का भुगतान अमन इण्टर प्राईजेज को प्रा0वि0 उमरीमय टटिहरा में बाउण्ड्रीवाल के अन्दर इण्टर लॉकिग कार्य हेतु एवं दिनाक 27-05-2021 को ही प्रा0 वि0 उमरीमय टटिहरा में किचेन में टाईल्स कार्य हेतु रूपया 74649-00 विजय पेन्ट हाऊस को भुगतान किया गया है तथा दिनांक 15-10-2021 को रूपया 11743-00 का भुगतान अमन इण्टर प्राईजेज को बालक शौचालय एक युनिट निर्माण प्रा0वि0उमरी मय टटिहरा के वास्ते किया गया है। इस प्रकार तीनो कार्यो हेतु **कुल भुगतान रूपया 354716-00** सीधे फर्म को भुगतान है। निर्माण कार्य हेतु मजदूरी की धनराशि कैश बुक में खारिज नहीं की गयी है, कोई भी निर्माण कार्य मजदूरी के बिना सम्भव नहीं है। उपरोक्त कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे क्रय सामग्री का नाम मात्रा दर मूल्य आदि अज्ञात रहा।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	27-05-2021	162624-00	प्रा0वि0उमरी मय टटिहरा मे बाउण्ड्रीवाल के अन्दर इण्टर लॉकिग कार्य का भुगतान अमन इण्टर प्राईजेज
02	27-05-2021	74649-00	प्रा0 वि0 उमरीमय टटिहरा में किचेन में टाईल्स कार्य का भुगतान विजय पेन्ट हाऊस
03	15-10-2021	117443-00	प्रा0 वि0 उमरीमय टटिहरा में एक युनिट बालक शौचालय का निर्माण अमन इण्टर प्राईजेज
		354716-00 (तीन लाख चौवन हजार सात सौ सोलह मात्र)	

उपरोक्त भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः कुल व्यय एवं कार्य की पुष्टि नहीं होती है। मात्र फर्म के माध्यम से प्रधान एवं सचिव द्वारा धन का अपहरण किया गया है। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः फर्म की मिलीभगत से प्रधान श्री इन्द्रपति एवं सचिव श्री राम बहादुर द्वारा धन का अपहरण किया गया। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपति (रूपया 177358.00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री रामबहादुर (रूपया 177358.00) से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र0 स0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	27-05-2021	162624-00	प्रा0वि0उमरी मय टटिहरा मे बाउण्ड्रीवाल के अन्दर इण्टर लॉकिग कार्य का भुगतान अमन इण्टर प्राईजेज
02	27-05-2021	74649-00	प्रा0 वि0 उमरीमय टटिहरा में किचेन में टाईल्स कार्य का भुगतान विजय पेन्ट हाऊस
03	15-10-2021	117443-00	प्रा0 वि0 उमरीमय टटिहरा में एक युनिट बालक शौचालय का निर्माण अमन इण्टर प्राईजेज
		354716-00 (तीन लाख चौवन हजार सात सौ सोलह मात्र)	

(पैरा-3)

प्रस्तर 49- ग्राम पंचायत उमरीमय टटिहरा विकास खण्ड- सहसो जनपद प्रयागराज आलोच्य वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त मद से दिनांक 28-10-2021 को महादेव इण्टर प्राईजेज को इण्टर लॉकिग कार्य सामग्री पर रूपया 177391-00 एवं मजदूरी पर रूपया 40350-00 कुल **रूपया 217741-00** महादेव इण्टर प्राईजेज को भुगतान किया गया है। मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल के माध्यम से नही करके सीधे फर्म को भुगतान किया गया है। जबकि मजदूरी मस्टर रोल के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 द्वारा कार्यरत मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित की जानी चाहिए थी। परन्तु ऐसा नही करके शासन की मंशा के विपरीत कार्य किया गया है। उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से कार्य एवं व्यय की पुष्टि नहीं होती है तथा क्रय सामग्री का नाम मात्रा एवं दर मूल्य आदि की जानकारी भी नहीं हो सकी।

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल

पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपति (रूपया 108870.00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री रामबहादुर (रूपया 108871.00) से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

क्र0 स0	आपत्ति संख्या	धनराशि
01	आपत्ति संख्या 01	317703-00
02	आपत्ति संख्या 02	176113-00
03	आपत्ति संख्या 03	354716-00
04	आपत्ति संख्या 04	217741-00
	योग	1066273-00

नोट- उपरोक्त विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये कोषवही एवं बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर निर्गत की गयी है एवं उपरोक्त सभी अभिलेख अप्राप्त रहें।

(पैरा-4)

36- ग्राम पंचायत हसनपुर मय चकमंसूर विकास खंड - बहरिया जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत हसनपुर मय चकमंसूर लेखापरीक्षा में पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण निम्न लिखित की धनराशियों रु 342455.00 का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण किया गया

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1-	09/6/21	हैण्डपम्प मरम्मत	19455.00	राज्य वित्त
	04/10/21	हेण्डपम्प मरम्मत	10000.00	राज्य वित्त
	04/10/21	हैण्डपम्प मरम्मत	21000.00	राज्य वित्त
	30/12/21	हैण्डपम्प मरम्मत	11000.00	राज्य वित्त
	30/12/21	हैण्डपम्प मरम्मत	15000.00	राज्य वित्त
2-	19/6/21	मानदेय पूर्व प्रधान	35000.00	राज्य वित
3-	9/6/21	स्टेशनरी	4000.00	राज्य वित्त
	6/1/22	स्टेशनरी	5000.00	राज्य वित्त
4-	20/7/21	हएम पाइप	50000.00	राज्य वित्त
	31/1/22	हुएम पाइप	28000.00	राज्य वित्त
5-	24/1/22	पंचायत भवन फर्नीचर	57000.00	राज्य वित्त
6-	31/1/22	सोकपिट निर्माण एवं हैण्डपम्प मरम्मत	87000.00	केन्द्रीय वित्त
		योग-	**342455.00**	

प्रस्तर 50- राज्यवित्त से दिनांक 9/6/21-19455.004/10/21-10000.00,4/10/21-21000.00,30/12/21-11000.00830/12/21-15000.00 को हैंडपंप मरम्मत पर व्यय रु76455.00 का विवरण कोशबही में अंकित है किंतु हैंडपंप मरम्मत

से संबंधित कोई भी पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दले को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलैब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 76455.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्री नरेश कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी कु पूजा सिंह से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-1)

प्रस्तर 51- राज्य वित से दिनांक 19/6/21 को रु 35000.00 का भुगतान मानदेय पूर्व प्रधान को लेखा परीक्षा वर्ष में किया गया किंतु लेखा परीक्षा के दौरान मानदेय रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसी स्थिति में मानदेय के पुनर भुगतान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लैखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 35000.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्री नरेश कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी कु पूजा सिंह से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-2)

प्रस्तर 52- राज्य वित्त से. दिनांक 9/6/21-4000.00 एवं 6/1/22-5000.00 को स्टेशनरी हेतुकूल रु 9000.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरों 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 9000.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्री नरेश कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी कु पूजा सिंह से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-3)

प्रस्तर 53- राज्य वित सेदिनांक 20/7/21-50000.00 एवं 31/1/22-28000.00 को ह्यमपाइप काकुल भुगतान 78000.0 रुपए कोशबही में दर्ज है किंतु इनको किन स्थानों पर लगाया गया, इनका कोई विवरण कौशवहीं में दर्ज नहीं है न ही इसके सापेक्ष आलोच्य वर्ष में मजदूरी पर व्यय संबंधी मस्टररोल प्रस्तुत किया गया है। इससे संबंधित कार्य की कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 78000.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्री नरेश कुमारएवं ग्राम विकास अधिकारी के पूजा सिंह से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-4)

प्रस्तर 54- राज्य वित्त से दिनाक 24/1/22 को पंचायत भवन में कुर्सी मेज, आलमारी इत्यादि हेतु रु57000.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पोष्ट नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 57000.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्री नरेश कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी के पूजा सिंह से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-5)

प्रस्तर 55- केन्द्रीय वित्त से दिनांक 31/1/22 को 4 नग सोकपिट एवं हैन्डपम्प मरम्मत पर भुगतान रु 87000.00 कोषबही में दर्शित है। यह किन स्थानों पर बने हैं, इसका विवरण दर्ज नहीं है और न इससे संबंधित कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जैसे कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी पत्रावली, चरणबद्ध ढंग से फॉटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध करानें में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 87000.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्री नरेश कुमारएवं ग्राम विकास अधिकारी कु पूजा सिंह से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-6)

उपरोक्त समस्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख न उपलब्ध करने की स्थिति में धनराशि रु. 342455.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार से रु. 171227.50 एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी कु पूजा सिंह से रु. 171227.50 किया जाना अपेक्षित है।

37- ग्राम पंचायत भरेहटा विकास खंड - बहरिया जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत भरेहता की लेखापरीक्षा में पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण निम्न लिखित की धनराशियों रु 525526.00 का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण किया गया-

क्र	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1	30/4/21	हैण्डपम्प मरम्मत	11000.00	राज्य वित
	06/8/21	हैण्डपम्प मरम्मत	38000.00	राज्य वित
	04/9/21	हैण्डपम्प मरम्मत	42000.00	राज्य वित
	04/10/21	हैण्डपम्प मरम्मत	40500.00	राज्य वित
	04/10/21	हैण्डपम्प मरम्मत	67776.00	राज्य वित
	20/10/21	हैण्डपम्प मरम्मत	42500.00	राज्य वित
	16/11/21	हैण्डपम्प मरम्मत	38500.00	राज्य वित
	15/2/22	हैण्डपम्प मरम्मत	29550.00	राज्य वित
2-	04/8/21	हैण्डपम्प रिबोर	68400.00	राज्य वित
	16/8/21	हैण्डपम्प रिबोर	97800.00	केन्द्रीय वित
3-	28/1/22	पंचायत भवन में कुर्सी, मेज, आलमारी इत्यादि	45000.00	राज्य वित्त
4	18/3/22	प्रशासनिक मद	4500.00	केन्द्रीय वित

		योग -	**525526.00**	

प्रस्तर 56- राज्य वित्त से दिनांक 30/4/21-11000.00,6/8/21--638000.00,4/9/21-42000.00,4/10/21-40500.00,4/10 /21-67776.00,20/10/21--42500.00, 16/11/21--38500.00 एवं 15/2/22-29550.00 को हैंडपंप मरम्मत पर कल व्यय रु309826.00 का विवरण कोशबही में अंकित है किंतु हैंडपंप मरम्मत से संबंधित कोई भी पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 309826.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती जगपती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-1)

प्रस्तर 57- राज्य वित से रिबोर हेतु दिनांक 4/8/21 को रु 68400.00 एवंकेन्द्रीय वित्त से दिनांक 16/8/21 को रु 97800.00 का व्यय कोशबही में दर्ज है किंतु उपयुक्त हैंडपंप रिबोर के संबंध में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। रिबोर से संबंधित पत्रावली जैसे हैंडपंप के अनुप्रयोग की सूचना, रिबोर का प्रार्थना पत्र, तकनीकी निरीक्षण की रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 166200.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती जगपती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-2)

प्रस्तर 58- राज्य वित्त से दिनांक 28/1/22 को पंचायत भवन में कुर्सी मेज, आलमारी इत्यादि हेतु रु 45000.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 45000.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती जगपती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-3)

प्रस्तर 59- केन्द्रीय वित्त से दिनांक 18/3/22 को प्रशाससनिक मद हेतु रु 4500.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलॅब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 4500.00 को गवन मानते हुए प्रधान श्रीमती जगपती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ कियाजाए।

(पैरा-4)

उपरोक्त समस्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्ययों को पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256 (1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रवन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख

न उपलब्ध करने की स्थिति में धनराशि रु. 525526.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जगपती देवी से रु.262763.00 एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से रु. 262763.00 किया जाना अपेक्षित है।

38- ग्राम पंचायत हुसैनपुर विकास खंड - बहरिया जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत हुसैनपुर की लेखापरीक्षा में पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण निम्न लिखित की धनराशियों रु 58000.00 कर अपहरण किया गया का अनियमित रूप से आहरण

क्र	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1		हैण्डपम्प मरम्मत	36000.00	राज्य वित
2		प्रशासनिक मद	22000.00	राज्य वित्त
		योग -	58000.00	

प्रस्तर 60- राज्य वित्त से दिनांक 30/4/21 को हैंडपंप मरम्मत पर व्यय रु 36000.00 का विवरण कोशबही में अंकित है किंतु हैंडपंप मरम्मत से संबंधित कोई भी पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 36000.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती रामसवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीराजेश शुक्ल से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाए।

(पैरा-1)

प्रस्तर 61- राज्य वित से दिनांक 30/4/21 को प्रशाससनिक मद हेतु रु 22000.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलॅब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती रामसवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाए।

(पैरा-1)

उपरोक्त समस्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256 (1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख न उपलब्ध करने की स्थिति में धनराशि रु. 58000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामसवारी से रु. 29000.00 एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से रु. 29000.00 किया जाना अपेक्षित है।

39- ग्राम पंचायत बेरुई विकास खंड - बहरिया जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत बेरुई की लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण निम्न लिखित की धनराशि रु 683120.00 का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण किया गया

क्र	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1	15/7/21	हैण्डपम्प मरम्मत	48500.00	राज्य वित
	11/10/21	हैण्डपम्प मरम्मत	29400.00	राज्य वित
	22/12/21	हैण्डपम्प मरम्मत	25200.00	राज्य वित
2-	15/9/21	हैण्डपम्प रिबोर	175000.00	राज्य वित
	29/10/21	हैण्डपम्प रिबोर	175800.00	राज्य वित
3-	4/11/21	प्रशासनिक मद	5000.00	राज्य वित
	12/12/21	प्रशासनिक मद	10000.00	राज्य वित
4-	16/9/21	हएम पाइप	46920.00	राज्य वित
5-	17/3/22	सोकपिट	167300.00	केन्द्रीय वित्त
		योग -	**683120.00**	

प्रस्तर 62- राज्य वित से दिनांक 15/7/21-48500.00,11/10/21-29400.00 एवं 22/12/21-25200.00 को हैंडपंप मरम्मत पर कुल व्यय रु103100.00 का विवरण कोशबही में अंकित है किंतु हैंडपंप मरम्मत से संबंधित कोई भी पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 103100.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती जगपती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील तिवारी से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-1)

प्रस्तर 63- राज्य वित से रिबोर हेतु दिनांक 15/9/21-175000.00 एवं 29/10/21-175800.00 को कूल रु 350800.00 का व्यय कोशबही में दर्ज है किंतु उपयुक्त हैंडपंप रिबोर के संबंध में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। रिबोर से संबंधित पत्रावली जैसे हैंडपंप के अनुप्रयोग की सूचना, रिबोर का प्रार्थना पत्र, तकनीकी निरीक्षण की रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दैल को समस्त अभिलेख उपलब्धकराएं परंतु दोनों

प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु350800.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती जगपती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील तिवारी से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-2)

प्रस्तर 64- राज्य वित्त सेदिनांक 4/11/21-5000.00 एवं 12/12/21-10000.00 को प्रशाससनिक मद हेतु कुल रु15000.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षों के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं के पैरा 7 की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 15000.00को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती जगपती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील तिवारी से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-3)

प्रस्तर 65- राज्य वित्त से दिनांक 16/9/21 को ह्यमपाइप का भुगतान 46920.00 रुपए कोशबही में दर्ज है किंतु इनको किन स्थानों पर लगाया गया इनका कोई विवरण कोशबँही में दर्ज नहीं है न ही इसके सापेक्ष आलोच्य वर्ष में मजदूरी पर व्यय संबंधी मस्टररोल प्रस्तुत किया गया है। इससे संबंधित कार्य की कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 46920.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती जगपती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील तिवारी से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-4)

प्रस्तर 66- केन्द्रीय वित्त से दिनांक 17/3/22 को 13 नग सोकपिट पर भुगतान रु 167300.00 कोषबही में दर्शित है । यह किन स्थानों पर बने हैं, इसका विवरण दर्ज नहीं है और न इससे संबंधित कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जैसे कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी पत्रावली, चरणबद्ध ढंग से फोटो, कॉर्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 167300.0 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती जगपती देवीएवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील तिवारी से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-5)

उपरोक्त समस्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256 (1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख न उपलब्ध करने की स्थिति में धनराशि रु. 683120.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जगपती देवी से रु 341560.00 एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुशील तिवारी से रु. 341560.00 किया जाना अपेक्षित है।

40- ग्राम पंचायत चंदरपुर उर्फ बसमहुआ विकास खंड - बहरिया जनपद- प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत चंदरपुर उर्फ बसमहुआ की लेखापरीक्षा में पुष्टि हेतु आवश्यक का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण निम्न लिखित की धनराशियों रु 352566.00 अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण किया गया-

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1-	11/5/21	हैण्डपम्प मरम्मत	3000.00	राज्य वित्त
	12/5/21	हैण्डपम्प मरम्मत	19200.00	राज्य वित
	25/5/21	हैण्डपम्प मरम्मत	9866.00	राज्य वित्त
	5/7/21	हैण्डपम्प मरम्मत	5000.00	राज्य वित्त
	5/7/21	हैण्डपम्प मरम्मत	25000.00	राज्य वित्त
	14/9/21	हैण्डपम्प मरम्मत	14050.00	राज्य वित
	14/9/21	हैण्डपम्प मरम्मत	11000.00	राज्य वित्त
2-	12/1/22	हैण्डपम्प रिबोर	65600.00	राज्य वित्त
3-	2/8/21	हएम पाइप	60000.00	राज्य वित्त
4-	05/7/21	सफ़ाई किट	26000.00	राज्य वित्त
5-	09/4/21	मजदूरी हेत	88850.00	राज्य वित्त
6-	12/1/22	पंचायत भवन में कर्सी, मेज, आलमारी इत्यादि	25000.00	केन्द्रीय वित
		योग-	**352566.00**	

प्रस्तर 67- राज्य वित से दिनांक 11/5/21-3000,00,12/5/21-19200.00,25/5/21-9866.00,5/7/21-5000.00,5/7/21-25000.00,14/921-14050.00 एवं 14/9/21-11000.00 को हैंडपंप मरम्मत पर कुल व्यय रु. 87116.00 का विवरण कोशबही में अंकित है किंतु हैंडपंप मरम्मत से संबंधित कोई भी पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार सपूर्ण धनराशि रु 87116.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीरवि शंकर पाण्डेय से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है **(पैरा-1)**

प्रस्तर 68- राज्य वित्त से रिबोर हेतु दिनांक 12/1/22 को रु 65600.00 का व्यय कोशबही में दर्ज है किंतु उपयुक्त हैंडपंप रिबोर के संबंध में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। रिबोर से संबंधित पत्रावली जैसे हैंडपंप के अनुप्रयोग की सूचना, रिबोर का प्रार्थना पत्र, तकनीकी निरीक्षण की रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 65600.00 को गबन मानते

हुएप्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीरवि शंकर पाण्डेय से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-2)

प्रस्तर 69- राज्य वित्त से दिनांक 2/8/21 को ह्यूमपाइप का भुगतान 60000.00 रुपए कोशबही में दर्ज है किंतु इनकों किन स्थानों पर लगाया गया इनका कोई विवरण कोशबही में दर्ज नहीं है न ही इसके सापेक्ष आलोच्य वर्ष में मजदूरी पर व्यय संबंधी मस्टररोल पस्तुत किया गया है। इससे संबंधित कार्य की कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कॅराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु60000.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रवि शंकर पाण्डेय से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाए।

(पैरा-3)

प्रस्तर 70- राज्य वित्त से दिनांक 5/7/21 को सफाई किट हेतु रु26000.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 26000.00 को गबन मानते हुए प्रधानश्रीमती गीता देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रवि शंकर पाण्डेय से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-4)

प्रस्तर 71- राज्य वित्त से दिनांक 9/4/21 को मजदूरी हेतु रु88850.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी विवरण एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 88850.00 को गबन मानते हुए प्रधानश्रीमती गीता देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रवि शंकर पाण्डेय से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-5)

प्रस्तर 72- केन्द्रीय वित से दिनांक 12/1/22 को पंचायत भवन में कुर्सी मेज, आलमारी इत्यादि हेतु रु 25000.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पौष्ट नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा देल को समस्त अभिलेख उपलॅब्ध कराएं परंतु दोनी व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु25000.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रवि शंकर पाण्डेय से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-6)

उपरोक्त समस्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख न उपलब्ध करने की स्थिति में धनराशि रु 352566.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी

से रु. 176283.00एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवि शंकर पाण्डेय से रु. 176283.00 किया जाना अपेक्षित है।

41- ग्राम पंचायत भदरपुर उर्फ दीनापुर विकास खंड - बहरिया जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत भदरपुर उर्फ दीनापुर की लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु आवश्यक का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण निम्न लिखित की धनराशियों रु 871400.00 अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण किया गया-

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1-	30/4/21	हैण्डपम्प मरम्मत	24000.00	राज्य वित्त
	4/9/21	हेण्डपम्प मरम्मत	42000.00	राज्य वित्त
	25/10/21	हेण्डपम्प मरम्मत	47600.00	राज्य वित्त
	29/11/21	हेण्डपम्प मरम्मत	44000.00	राज्य वित्त
	22/12/21	हेण्डपम्प मरम्मत	16000.00	राज्य वित्त
	07/1/22	हेण्डपम्प मरम्मत	36000.00	राज्य वित्त
2-	04/9/21	हयूमपाइप	43500.00	राज्य वित्त
	30/4/21	प्रशासनिक मद	8000.00	राज्य वित्त
	25/10/21	प्रशासनिक मद	35000.00	राज्य वित्त
	01/12/21	प्रशासनिक मद	42000.00	राज्य वित्त
4	27/7/21	हेण्डपम्प रिबोर	102500.00	केन्द्रीय वित्त
5	14/10/21	डस्टबिन	84000.00	केन्द्रीय वित्त
6-	20/10/21	इंटरलॉकिंग कमलेश यादव के शौचालय से इंटरलॉकिंग तक	215000.00	केन्द्रीय वित्त
7-	27/1/22	पंचायत भवन में कुसी, मेज, आलमारी इत्यादि	131800.00	केन्द्रीय वित्त
		कुल योग -	**871400.00**	

प्रस्तर 73- राज्य वित्त से दिनांक 30/4/21-24000.00,4/9/21--42000,00,25/10/21-47600.00,29/11/21-44000.00,22/12/21-16000.00 एवं 7/1/22-36000.00 को हैंडपंप मरम्मत पर कुल व्यय रु209600.00 का विवरण कोशबही में अंकित है किंतु हैंडपंप मरम्मत से संबंधित कोई भी पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 संयुक्त के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 209600.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती नेहा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-1)

प्रस्तर 74- राज्य वित्त से स्थानों का भुगतान 43500.00 रुपए कोशबही में दर्ज है किंतु इनको किन गादिनांक में दर्ज र्ज नहीं है न ही इसके सापेक्ष आलोच्य वर्ष में मजदूरी प्र पर लगाया गया इनका कोई विवरण कोशबही में कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के व्यय संबंधी मस्टररोल प्रस्तुत किया गया है। इससे संबंधित कार्य

की अनुसार सचिव एवं ग्राम कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपल्ब्ध कराएँ परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 43500.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती नेहा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से 50-50 के अनुपातमें वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-2)

प्रस्तर 75- राज्य वित्त से दिनांक 30/4/21-8000.00,25/10/21-35000,00 एवं 1/12/21-42000:00 को प्रशाससनिक मद हेतु कुल रु 85000.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्तु अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 85000.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती नेहा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-3)

प्रस्तर 76- केन्द्रीय वित्त से रिबोर हेतु दिनांक 27/7/21 को रु 102500.00 का व्यय कोशबहीं में दर्ज है किंतु उपयुक्त हैंडपंप रिबोर के संबंध में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। रिबोर से संबंधित पत्रावली जैसे हैंडपंप के अनुप्रयोग की सूचना, रिबोर का प्रार्थना पत्र, तकनीकी निरीक्षण की रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मेनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 102500.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती नेहा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-4)

प्रस्तर 77- केन्द्रीय वित्त से दिनांक 14/10/21 को डस्टबिन हेतु रु 84000.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 84000.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती नेहा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाए।

(पैरा-5)

प्रस्तर 78- केन्द्रीय वित्त से दिनांक 20/10/21 को इंटरलॉकिंग कमलेश यादव के शौचालय से इन्टरलॉकिंग तक पर रु 215000.00 का व्यय कोशबही में अंकित है किंतु उक्त व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी पत्रावली, चरणबद्ध ढंग से फोटो. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों प्रमाणक अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 215000.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती नेहा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से 50-50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है

(पैरा-6)

प्रस्तर 79- केन्द्रीय वित्त से दिनांक 27/1/22 को पंचायत भवन में कुर्सी मेज, आलमारी इत्यादि हेतु रु 131800.00 का भुगतान कोशबही में दर्शित है किंतु इस व्यय से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं परंतु दोनों व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 क में दी गई व्ययस्था के अनुसार संपूर्ण धनराशि रु 131800.00 को गबन मानते हुए प्रधान श्रीमती नेहा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से 50- 50 के अनुपात में वसूली दांडिक ब्याज के साथ किया जाए।

(पैरा-7)

उपरोक्त समस्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256 (1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख न उपलब्ध करने की स्थिति में धनराशि रू. 871400.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नेहा से रु.435700.00 एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ल से रु. 435700.00 किया जाना अपेक्षित है।

42- ग्राम पंचायत अहमदपुर असरौली उपरहार विकास खंड - भगवतपुर

जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 80- ग्राम पंचायत अहमदपुर असरौली उपरहार की वित्तीय वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज फीडिंग / प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (1) के केन्द्रयवित्त आयोग (14वाँ / 15 वाँ वित्त) से सम्बन्धित बैंक खाते से रूपया 967409-00 (नौ लाख सरसठ हजार चार सौ नौ) की धनराशि आहरित करके ऑनलॉईन कोषवही में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाया गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंक स्टेटमेंट, वाऊचर, फाईल/पत्रावली, एम०बी०, मस्टर रोल, कार्यपर्ती प्रमाणपत्र, चेक बुक, काऊटर फाईल/अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय / तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार माँगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्ययय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभि सन्धि से रूपया 967409-00 (नौ लाख सरसठ हजार चार सौ नौ) का अपहरण कर लिया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र०	धनराशि	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	48216-00	राजू पासी के घर से सऊब के प्लाट तक नाली	नूर जारा
2	144907-00	राजू पासी के घर से सऊब के प्लाट तक नाली	अंजू इण्टर प्राईजेज
3	345025-00	राजू पासी के घर से शोएब के प्लाट तक नाली	फैसल इंटर प्राईजेज
4	71312-00	राजू पासी के घर से शोएब के प्लाट तक नाली	नूर जारा
5	3000-00	निविदा कार्य	नरायन प्रसाद तिवारी
6	300000-00	ओपन जिम निर्माण कार्य	किशन इण्टर प्राईजेज
7	1761-00	यूनाइटिड फंड हेतु	निदेशक पंचायती राज
8	2641-00	टाइड फंड हेतु	निदेशक पंचायती राज
9	12895-00	प्रशासनिक व्यय	एम के

10	13985-00	प्रशासनिक व्यय	एम के
11	60000-00	पंचायत सहायक मानदेय	तंजीम बनो
12	6000-00	पंचायत सहायक मानदेय	तंजीम बनो
13	6000-00	पंचायत सहायक मानदेय	तंजीम बनो
14	5667-00	प्रशासनिक व्यय	एम के
योग	**967409-00**		

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम-256 (2) के उपनियम (1) (क) में निनिर्दिस्ट विशिश्टियों / नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-08 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ डी०पी०आर०ओ० द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रूपया 967409-00 (नौ लाख सरसठ हजार चार सौ नौ) का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती पूर जारा से रूपया 483704.50 एवं ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री संदीप कुमार से रूपया 483704.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-1)

43- ग्राम पंचायत भगेसर विकास खंड - कोराव जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 81- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित 14/15 वॉ वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत भगेसर पर द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाऊचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्ययस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल / वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम० बी० मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय पुष्टि में टेण्डर/कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रूपया 3016248.00 बिना बिल / वाऊचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रुप से ग्राम प्रधान श्री बम भोले प्रसाद से (1508124.00 रुपये मात्र व ग्राम पंचायत सचिव श्री सैय्यद नजमुल से (1508124.00 रूपये मात्र) करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

कराये गये कार्य एवं उस पर

किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार

क्र	कार्य का विवरण	धनराशि

1क	पक्की सडक से उदित के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	108602-00
1ख	काली रोड से राम जानकी मंदिर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	128440-00
1ग	प्रा०वि०भगेसर से राम जानकी मंदिर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	1411967-00
1घ	पुरानी इण्टर लॉकिग से महारानी चौरा तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	209118-00
2क	जी०एस०बी० कार्य पर व्यय परशुराम के घर से हृदय प्रताप के खेत तक जी०एस०बी० कार्य पर व्यय	242879-00
2ख	भगेसर मेन रोड से हृदय प्रताप के खेत तक जी०एस०बी० कार्य पर व्यय	241878-00
2ग	भगेसर मेन रोड से भगवत प्रसाद घर तक जी०एस०बी० कार्य पर व्यय	42497-00
2घ	भगवत प्रसाद के खेत से तक जी०एस०बी० कार्य पर व्यय	42899-00
2ड	पंचायत भवन से माइनर पुलिया तक जी०एस०बी० कार्य पर व्यय	122186-00
3	हैण्ड पम्प रिपेयर	88260-00
4	हैण्ड पम्प रिबोर	61542-00
5	टेण्डर विज्ञापन	4200-00
6	प्रधान का मानदेय	14000-00
7	ह्यूम पाईप	62378-00
8	केवट बस्ती मे चबूतरा निर्माण	29858-00
9	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय	56940-00
10	पंचायत भवन ऑफिस पर व्यय	36400-00
11	पंचायत सहायक का मानदेय	18000-00
12	सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का मानदेय	51000-00
13	पूर्व मा०वि०भगेसर में टाईल्स कार्य	7954-00
14	कोविड 19 पर सामग्री व्यय	35250-00
	योग 3016248-00 (रूपया तीस लाख सोलह हजार दो सौ अडतालीस मात्र)	

(पैरा-1)

44- ग्राम पंचायत रतौरा विकास खंड - कोराव जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 82- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित 14/15 वॉ वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत रतौरा पर द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाऊचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्ययस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल / वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,

एम० बी० मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रूपया 2230681.00 बिना बिल / बाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती शशि कला से (1115340.50 रुपये मात्र व ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अनीता पटेल से (1115340.50 रूपये मात्र) करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

क्	कार्य का विवरण	धनराशि
1	हैण्ड पम्प रिपेयर	173780-00
2	टेण्डर विज्ञापन	1737-00
3	प्रधान का मानदेय	70000-00
4	हयूम पाईप	151060-00
5	प्रशासनिक मद पर व्यय	20000-00
6	पंचायत भवन ऑफिस पर व्यय	397597-00
7	पंचायत सहायक का मानदेय	18000-00
8	ग्रा०पं० में डस्टबिन पर व्यय	188000-00
9	सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का मानदेय	6000-00
10	ग्रा० पं० में लाऊड स्पीकर पर व्यय	10000-00
11	प्रा०वि० व पूर्व मा०वि०के बाउण्ड्री एवं शौचालय पर व्यय	279745-00
12	पूर्व मा०वि०के रतौरा में टाईल्स कार्य	222790-00
13	ग्रा०पं० में लाऊड कैमरा पर व्यय	19999-00
14	प्रा०वि० में दिव्यांग शौचालय पर व्यय	103026-00
15	प्रा०वि० बेदी पट्टी में भवन मरम्मत व टाईल्स कार्य	334481-00
16	ग्रा0पं0 में स्ट्रीट लाईट पर व्यय	234466-00
	योग 2230681-00 (रूपया बाईस लाख तीस हजार छः सौ इक्यासी मात्र ।)	

(पैरा-1)

45- ग्राम पंचायत अलहवाँ विकास खंड - कोराव जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 83- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित 14/15 वॉ वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत अलहवाँ पर द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल / वाऊचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्ययस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम० बी० मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रूपया 2778150.00 बिना बिल / वाऊचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रुप से ग्राम प्रधान श्री अहद अहमद से (1389075.00 रुपये मात्र व ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक कुमार से (1389075.00 रूपये मात्र) करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

	कार्य का विवरण	धनराशि
1	हैण्ड पम्प रिपेयर	132691-00
2	टेण्डर विज्ञापन	12024-00
3	प्रधान का मानदेय	21000-00
4	पंचायत भवन ऑफिस पर व्यय	804403-00
5	पंचायत सहायक का मानदेय	6000-00
6	सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का मानदेय	11285-00
7	दिव्यांग शौचालय पर व्यय	152316-00
8	ग्रा० पं० में सफाई कार्य पर व्यय	35000-00
9	अंत्येष्टि निर्माण पर व्यय	1603431-00
	योग	2778150-00(रूपया सत्ताईस लाख अव्हत्तर हजार एक सौ पचास मात्र।)

(पैरा-1)

46- ग्राम पंचायत बडोखर विकास खंड - कोराव जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 84- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित 14/15 वॉ वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत बडोखर पर द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाऊचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्ययस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम० बी० मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय पुष्टि में टेण्डर/कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रूपया 5638880.00 बिना बिल / वाऊचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रुप से ग्राम प्रधान श्री नन्हे सिंह से (2819440.00 रुपये मात्र व ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द मोहन सिंह से (2819440.00 रूपये मात्र) करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०	**कार्य का विवरण**	**धनराशि**

1क	इण्टर लॉकिग पर व्यय काली सडक से पूर्व मा०वि० तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	46284-00
1ख	बद्री चमार के घर से पप्पू सिंह के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	222876-00
1ग	चिंटू के घर से मालाधारी के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	405393-00
1घ	पूर्व मा०वि० बडोखर में इण्टर लॉकिग दिव्यांग शौचालय तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	281049-00
1ड	गेंदा लाल के घर से राम लाल के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	30644-00
1च	इण्टर लॉकिग रोड से हरिहर प्रसाद के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	15322-00
1छ	काली सडक से सीताराम के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	19701-00
1ज	इण्टर लॉकिग से डडोल के घर तक इण्टर लॉकिंग पर व्यय	199053-00
1झ	इण्टर लॉकिग रोड से सूर्यलाल के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	197698-00
1ञ	इण्टर लॉकिग रोड से रामचन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग पर व्यय	33929-00
1झ	संतलाल के घर से रामकृपाल के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	28019-00
1ठ	प्रा०वि०बडोखर में इण्टर लॉकिंग पर व्यय	481248-00
2क	मिट्टी पटाई पर व्यय पूर्व मा०वि० ईटारहीन में मिट्टी पटाई पर व्यय	325935-00
2ख	पूर्व मा०वि० ईटारहीन के टेनिस ग्राउन्ड में मिट्टी पटाई पर व्यय	64478-00
ग	टावर से कन्हई के घर तक मिट्टी पटाई पर व्यय	43664-00
3	हैण्ड पम्प रिपेयर	682953-00
4	हैण्ड पम्प रिबोर	486133-00
5	टेण्डर विज्ञापन	1500-00
6	प्रशासनिक मद पर व्यय	68918-00
7	पंचायत भवन ऑफिस / बाउन्ड्रीवाल पर व्यय	480807-00
8	पंचायत सहायक का मानदेय	12000-00
9	ग्रा०पं० बडोखर में नाली सफाई पर व्यय	224172-00
10	सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का मानदेय	9000-00
11	राज नारायण के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय	50673-00
12	सामुदायिक शौचालय पर व्यय	171337-00
13	ग्रा०पं० बडोखर में पानी टंकी की मोटर मरम्मत पर व्यय	58000-00
14	पूर्व मा०वि० बडोखर में चाहरदीवारी की पेन्टिंग पर व्यय	282372-00
15	हयूम पाईप	166080-00
16	गौपालक का मानदेय	63648-00
17	प्रधान का मानदेय	17500-00
18	पी०ए० सिस्टम लगाने पर व्यय	25724-00
19	विधानसभा निर्वाचन हेतु आदर्श बूथ बनाने पर व्यय	40430-00
20	ग्रा०पं० कार्ययोजना फीडिंग पर व्यय	5200-00
21	ग्रा०पं० बडोखर में मेन गेट पर व्यय	60510-00
22	ग्रा०पं० बडोखर में प्रधान मंत्री आवास की रंगाई पुताई पर व्यय	64820-00
23	देवरिया तालाब पर आर०सी०सी० पीलर पर व्यय	67079-00
24	कालिका धाम में चबूतरा निर्माण / स्थल विकास पर व्यय	204731-00
योग	**(रूपया छप्पन लाख अडतीस हजार आठ सौ अस्सी मात्र ।)**	**5638880-0**

(पैरा-1)

47- ग्राम पंचायत - साजी विकास खंड - कोराव जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 85- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित 14/15 वॉ वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत साजी पर द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल / वाऊचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्ययस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम० बी० मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय पुष्टि में टेण्डर/कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रूपया 1588089.00 बिना बिल / वाऊचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रुप से ग्राम प्रधान श्री इन्द्र बहादुर से (794044.50 रुपये मात्र व ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अनीता पटेल से (794044.50 रूपये मात्र) करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।\
कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशि
1क	इण्टर लॉकिग पर व्यय लैला कोल के घर से मुन्नी लाल के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	205385-00
1ख	चिंता के घर से रामलाल के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	184777-00
1ग	श्याम लाल प्रजापति के घर से धर्म राज के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	148810-00
2	हैण्ड पम्प रिपेयर	37874-00
3	हैण्ड पम्प रिबोर	318716-00
4	टेण्डर विज्ञापन	1737-00
5	प्रशासनिक मद पर व्यय	20000-00
6	पंचायत भवन ऑफिस पर व्यय	153440-00
7	पंचायत सहायक का मानदेय	18000-00
8	ग्रा०पं० में डस्टबिन पर व्यय	118000-00
9	सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का मानदेय	24000-00
10	ग्रा० पं० में लाउड स्पीकर पर व्यय	10000-00
11	दिव्यांग शौचालय पर व्यय	136023-00
12	प्रा०वि० साजी में टाईल्स कार्य	71327-00
13	ग्रा०पं० में स्ट्रीट लाईट पर व्यय	14000-00

योग	**(रूपया पन्द्रह लाख अठासी हजार नवासी मात्र।)**	**1588089-00**

48- ग्राम पंचायत भलुआ विकास खंड - कोराव जनपद- प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 86- आलोच्य वर्ष 2021-2022 में प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित 14/15 वॉ वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत भलुआ पर द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल / वाऊचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्ययस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम० बी० मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रूपया 2489642.00 बिना बिल / बाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रुप से ग्राम प्रधान श्रीमती रिया सिंह से (1244821.00 रुपये मात्र व ग्राम पंचायत सचिव श्री कमल कुमार से (1244821.00 रूपये मात्र) करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशि
1	इण्टर लॉकिग पर व्यय जगदीश पाण्डेय के घर से रोड तक इण्टर लॉकिग पर व्यय	80000-00
2क	जी०एस०बी० उमरी मेन रोड से त्रिलोकी नारायण के घर तक जी०एस०बी० कार्य	20709-00
2ख	उमरी मेन रोड से इंद्र मणि पाण्डेय के घर तक जी०एस०बी० काय	38494-00
3	हैण्ड पम्प रिपेयर	30100-00
4	हैण्ड पम्प रिबोर	530387-00
5	टेण्डर विज्ञापन	3500-00
6	प्रधान का मानदेय	38000-00
7	प्रशासनिक मद पर व्यय	36500-00
8	पंचायत भवन ऑफिस पर व्यय	26500-00
9	सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का मानदेय	21000-00
10	ग्रा० पं० में सफाई कार्य पर व्यय	18500-00
11	विधान सभा निर्वाचन हेतु सामग्री पर व्यय	19500-00
12	अत्येष्टि स्थल के निर्माण पर व्यय	1470858-00
13	प्रा०वि० उमरी में जल व्ययस्था पर व्यय	59870-00
14	ग्रा०पं० में स्ट्रीट लाईट पर व्यय	70000-00
15	कोविड 19 पर सामग्री व्यय	25724-00
योग	**(रूपया चौबीस लाख नवासी हजार छः सौ बयालीस मात्र।)**	**2489642-00**

49- ग्राम पंचायत बेलहा **विकास खंड - श्रृगवेरपुर जनपद-प्रयागराज**

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 87-

क०	वर्क आई डी	विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	51911237	पेन एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन हेतु	24-07-21	4130-00	शिवांक शर्मा
2	51911237	टेंडर हेतु	24-07-21	2000-00	संतोष पटेल
3	51922354	टाइल्स वर्क	14-10-21	180776-00	प्रधान ट्रेडर्स
4	43809106	सबमर्सिबल वर्क में सामुदायिक शौचालय	14-10-21	15000-00	प्रधान ट्रेडर्स
5	51911237	प्लंबरिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क में सामुदायिक शौचालय	14-10-21	7870-00	संतोष पटेल
6	51911237	प्रशासनिक मद हेतु	14-10-21	2500-00	अमोल एंटरप्राइजेज
7	51910985	हैंडपंप मरम्मत	14-10-21	8000-00	प्रधान ट्रेडर्स
8	43809106	हैंडपंप रिबोर	16-10-21	34266-00	प्रधान ट्रेडर्स
9	51911237	मानदेय सामुदायिक शौचालय के रखरखाव हेतु	16-10-21	9000-00	नमः शिवाय आजीविका समूह
10	51911237	ग्राम सभा में सफाई हेतु	08-11-21	9650-00	संतोष पटेल
11	51911237	मानदेय सामुदायिक शौचालय के रखरखाव हेतु	08-11-21	12000-00	नमः शिवाय आजीविका समूह
12	44898603	पंचायत भवन निर्माण कार्य	27-11-21	658756-00	बाबा ट्रेडर्स
13	51911227	मानदेय सामुदायिक शौचालय	12-12-21	12000-00	नमः शिवाय आजीविका समूह
14	51911409	पंचायत भवन में फर्नीचर क्रय	12-01-22	43050-00	प्रधान ट्रेडर्स
15	51911227	पंचायत सहायक मानदेय	12-01-22	6000-00	कंचन पटेल
16	51911227	प्रशासनिक मद	12-01-22	2508-00	डायरेक्टर पंचायती राज
17	51911227	पीस मनव्वर पुनेश विंडो कार्य	13-02-22	10000-00	प्रधान ट्रेडर्स

18	51911354	पीस बेल्हा में विंडो कार्य	13-02-22	16000-00	प्रधान ट्रेडर्स
19	51911237	कैमरा कार्य	13-02-22	16500-00	प्रधान ट्रेडर्स
20	58581459	बाबू के घर बाबा की कुटी तक पक्की नाली निर्माण	13-02-22	139232-00	प्रधान बिल्डर्स एंड सप्लायर
21	58580722	घर से तालाब तक कमलेश शुक्ला के पक्की नाली निर्माण	13-02-22	75288-00	बिल्डर्स एंड प्रधान सप्लायर
22	60747671	हैंडपंप रिबोर भोलानाथ राकेश जयकरण	14-02-22	102798-00	प्रधान ट्रेडर्स
23	51911227	पंचायत सहायक मानदेय	17-02-22	6000-00	कंचन पटेल
24	51911409	Panchayt bhaven mein computer kraya पंचायत भवन में कंप्यूटर कार्य	11-03-22	87950-00	प्रधान ट्रेडर्स
25	51911227	प्रधान मानदेय	23-03-22	34500-00	श्रीमती शीला देवी
26	51910985	हैंडपंप मरम्मत कार्य	23-03-22	20000-00	प्रधान ट्रेडर्स
27	51911237	पीएस में वेल्डिंग कार्य	23-03-22	2000-00	शीला देवी
			total	1517774-00	

आलोच्य वर्ष में प्रिया साफ्ट के अनुसार राज्य / केन्द्रीय वित आयोग मद से भुगतान रूपया 1517774-00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित भुगतान की नियमिता, औचित्य एवं वास्तवितका की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाणकों यथा कार्ययोजना, बजट पुस्तिका, कैश-बुक, उपभोग प्रमाण पत्र समस्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, व्यय प्रमाणक इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतएव उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या-36 क पैरा-8 (क) में दी गयी व्ययस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधन श्रीमती शीला देवी व ग्रा०वि०अधि० श्री, अनिल सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

)पैरा-1(

50- ग्राम पंचायत बहादुरपुर ताल्लुक इब्राहिमपुर **विकास खंड - बहादुरपुर**

जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 88- आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम **पंचायत- बहादुरपुर ताल्लुक इब्राहिमपुर** विकास **खण्ड - बहादुरपुर** के की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम, केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज की साइट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय निम्न है -

क्र . स .	कार्य का नाम/	भुगतान प्राप्त कर्ता	दिनांक	धनराशि
1	सामुदायिक शौचालय की संचालिका का मानदेय भुगतान	सरस्वती स्वमं सहायता समूह	15/7/21	27000.00
2	नाली का मरम्मत छूटन के घर से तालाब तक	जंग बहादुर एस/ओ भाई लाल	11/09/21	32410.00
3	नाली का मरम्मत इस्माइल के घर से मुनवर के घर तक	जंग बहादुर एस/ओ भाई लाल	11/09/21	33265.00
4	नाली का मरम्मत इस्माइल के घर से मुनवर के घर तक	दीपाली एंटरप्राइजेज	21/09/21	188890.00
5	मानदेय भुगतान	सरस्वती स्वमं सहायता समूह	21/10/21	30000.00
6	पंचायत भवन मरम्मत टाईल्स लगवाई का भुगतान	प्रताप बिल्डर्स	25/10/21	146000.00
7	पंचायत भवन मरम्मत टाईल्स लगवाई मजदूरी भुगतान	जंग बहादुर एस/ओ भाई लाल	25/10/21	5415.00
8	सामुदायिक शौचालय की संचालिका का मानदेय भुगतान	सरस्वती स्वमं सहायता समूह	02/12/21	24000.00
9	पंचायत भवन बाउंड्री वाल हेतु भुगतान	जंग बहादुर एस/ओ भाई लाल	07/12/21	49470.00
10	पंचायत भवन बाउंड्री वाल हेतु भुगतान	प्रताप बिल्डर्स	07/12/21	198576.00
11	पंचायत भवन बाउंड्री वाल हेतु भुगतान	जंग बहादुर एस/ओ भाई लाल	07/12/21	47130.00
12	पंचायत भवन बाउंड्री वाल हेतु भुगतान	प्रताप बिल्डर्स	07/12/21	201320.00
13	पंचायत भवन की रगई पुतई हेतु भुगतान	जंग बहादुर एस/ओ भाई लाल	07/12/21	7760.00
14	पंचायत भवन की रगई पुतई हेतु भुगतान	प्रताप बिल्डर्स	07/12/21	117130.00
15	फ़र्नीचर हेतु भुगतान	पल्लव ट्रेडर्स	07/12/21	56750.00
16	पंचायत सहायक मानदेय	खुसबू गौतम	14/01/22	6000.00
17	पंचायत भवन में कम्पुटर कैमरा प्रिंटर हेतु भुगतान	प्रधान	12/03/22	62250.00
18	सामुदायिक शौचालय की संचालिका का मानदेय भुगतान	सरस्वती स्वमं सहायता समूह	12/03/22	18000.00
19	पंचायत सहायक मानदेय	खुसबू गौतम	12/03/22	12000.00
20	नाली का मरम्मत छूटन के घर से तालाब तक सामग्री का भुगतान	प्रताप बिल्डर्स	12/03/22	188775.00
21	पंचायत भवन इलेक्ट्रिसिटी बिल हेतु लेबर चार्ज	जंग बहादुर एस/ओ भाई लाल	12/03/22	4110.00
22	पंचायत भवन इलेक्ट्रिसिटी बिल हेतु लेबर चार्ज	प्रताप बिल्डर्स	12/03/22	56012.00
			कुल धनराशि	**1512263.00**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग / व्यय ₹ **1512263.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति,

बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली, आदि जो कि व्यय की पुष्टि हेतु मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्ययस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8 - क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ **1512263.00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण / मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम- 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम **प्रधान-श्री जंग बहादुर** और तत्कालीन ग्राम पंचायत **सचिव -श्रीमती शिवांजली द्विवेदी** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा की जाय । और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

(पैरा-1)

51- ग्राम पंचायत ढोकरी विकास खंड - फूलपुर जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 89- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत- दोकरी हैण्डपम्प रिबोर एवं हैण्डपम्प मरम्मत मद में कुल रू 390956-00 व्यय किया गया है। हैण्डपम्प रिबोर मद में कुल रू 260822-00 का भुगतान फ़र्मो के माध्यम किया गया है जिसमें मजदूरी भुगतान कैश बुक में दर्शित नहीं है। इसी प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत मद में ₹130134-00 का भुगतान भी फर्मो को किया गया है। हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी कैश बुक में खारिज नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि हैण्डपम्प रिबोर एवं हैण्डपम्प मरम्मत का स्थलीय विवरण भी कैश बुक में दर्ज नही है। अतः यह ज्ञात नही हो सका कि किन-किन स्थलों पर रिबोर कार्य हुआ है एवं किन-किन स्थलों पर हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य कराया गया है। मात्र सामग्री खरीद के आधार पर हैण्डबम्प रिबोर एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य सम्भव नहीं है। प्रधान, सचिव द्वारा फर्म की मिलीभगत से धन का अपहरण किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है

हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय-

क्र	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	31-7-21	33946-00	कैश बुक के अनुसार गायत्री इन्टरप्राइजेज को भुगतान ई-ग्राम स्वराज की फीडीग के अनुसार- में० गोपाल सिंह को भुगतान
2	7-8-21	32200-00	गायत्री इण्टरप्राइजेज

3	31-8-21	33276	गायत्री इण्टरप्राइजेज
4	19-10-21	32200	विरेन्द्र ट्रेडिंग
5	19-10-21	32300	विरेन्द्र ट्रेडिंग
6	19-10-21	32500	विरेन्द्र ट्रेडिंग
7	01-11-21	32200	गायत्री इन्टरप्राइजेज
8	04-11-21	32200	गायत्री इन्टरप्राइजेज
		260822 (दो लाख साठ हजार आठ सौ वाइस रूपये माल)	

हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय-

क्र	दिनांक	धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	31-8-21	17200	5-नग एच.पी. मरम्मत	गायत्री इन्टरप्राइजेज
2	19 -10-21	17200	5-नग एच.पी. मरम्मत	विरेन्द्र ट्रेडिंग कं
3	19 -10-21	17300	4-नग एच.पी. मरम्मत	विरेन्द्र ट्रेडिंग कं
4	19 -10-21	17500	5-नग एच.पी. मरम्मत	विरेन्द्र ट्रेडिंग कं
5	17-11-24	8734	1-नग एच.पी. मरम्मत	मे गोपाल सिंह
6	18-11-21	52200	11-नग एच.पी. मरम्मत	गायत्री इन्टरप्राइजेज
		130134-00 (एक लाख तीस हजार एक सौ चौतीस रूपये माल)		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर एवं हैण्डपम्प मरम्मत मद में कुल के 390956 का व्यय दशाया गया है। उक्त व्ययों के लिए कोई भी व्यय प्रमाणक, कोटेशन, इस्टीमेट, एम. बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर उपभोग प्रमाण पत्र तथा संबंधित पक्षों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यादेश आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किए जाने से कार्यों एवं व्यय की पुष्टि नही होती है। अतः फार्म के माध्यम से प्रधान श्री राजू भारतीया एवं सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार द्वारा धन का अपहरण किया गया है। दोनो व्यक्तियों से समान रूप से तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ती सं०-1)

प्रस्तर 90 - आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत ढोकरी में केन्द्रीय वित्त मद से इन्टरलाकिंग कार्य हेतु मजदूरी सहित गायत्री इन्टरप्राइजेज को ₹ 446155 तथा प्रधान राजू भारतीया को ₹85710 मजदूरी का भुगतान किया गया है। गायत्री इन्टरप्राइजेज को भुगतान सामग्री के वास्ते कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया जिससे क्रय सामग्री का नाम दर, माला, एवं आदि की जानकारी नही हो सकी, तथा मजदूरी पीएफएमएस के माध्यम से मजदूरों के खाते में ट्रासफर नहीं करके गायत्री इण्टरसाइजेज को भुगतान की गयी है जिसका कोई भी मस्टररोल प्रस्तुत नहीं रहा। प्रधान श्री राजू भारतीया को ₹85710 का भुगतान जिन कार्यों हेतु किया गया है। उन कार्यों के लिए पूरे वित्तीय वर्ष में कोई भी सामग्री क्रय नही की गयी है। जब सामग्री ही नही क्रय की गयी है तो मजदूरी का भुगतान

का प्रयोजन भी नही बनता। उक्त भुगतान से संबंधित मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जबकि भुगतान मस्टररोल के माध्यम से मजदूरों के खाते में ट्रासफर करना चाहिए था। परन्तु ऐसा नही किया गया है। उपरोक्त स्थितियों के आलोक में प्रधान एवं सचिव मंशा फर्म के माध्यम से धन के अपहरण करने की है।

विवरण निम्न प्रकार है -

क्र	दिनांक	धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	26-10-21	209911	इण्टरलाकिंग सामग्री	गायत्री इन्टरप्राइजेज रमेश के घर से लालचंद्र के घर तक
2	26-10-21	36540	इण्टरलाकिंग मजदूरी	गायत्री इन्टरप्राइजेज रमेश के घर से लालचंद्र के घर तक
3	18-11-21	167477	इण्टरलाकिंग सामग्री	गायत्री इन्टरप्राइजेज राम आसरे के घर से राधेश्याम के घर तक
4	18-11-21	32227	इण्टरलाकिंग मजदूरी	गायत्री इन्टरप्राइजेज राम आसरे के घर से राधेश्याम के घर तक
5	08-12-21	30210	मजदूरी प्रधान को	मे गोपाल सिंह के घर से सतीश के घर तक
6	13-1-22	55500	मजदूरी प्रधान को	गायत्री इन्टरप्राइजेज
		531865-00 (पाँच लाख इकतीस हजार आठ सौ पैंसठ माल)		

उपरोक्त विवरण के अनुसार व्यय धनराशि ₹ 531865 वास्ते लेखा परीक्षा में प्रस्ताव, इन्टीमेट, टेण्डर, एम. जी. व्यय प्रमाणक, स्टाक राज्य वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किए जाने से कार्य एवं व्यय की पुष्टि नही होती है। अतः स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत इसे प्रधान श्री राजू भारतीय एवं सचिव धीरेन्द्र कुमार द्वारा धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली दोनो व्यक्तियों से समान रूप से ततारीख ब्याज सहित अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं०२)

प्रस्तर 91- ग्राम पंचायत में केन्द्रीय वित्त मद से सीमेंटेड बेंच हेतु ₹ 102000 का भुगतान विराट कन्सट्रक्सन को किया गया है। परन्तु कैश बुक में स्थलीय विवरण दर्ज नहीं किया गया है कि कितनी बेन्च किन-किन स्थलों पर बनी है। व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने से दर, मात्रा एवं मूल्य का निर्धारण नही हो सका। संबंधित प्रस्ताव इस्टीमेट टेण्डर, वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी आभिलेख प्रस्तुत नही किया गया, अतः व्यय धन की पुष्टि नही हो सकी। जिसकी वसूली प्रधान भी राजू भारतीया एवं सचिव धीरेन्द्र कुमार से तातारीख ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
27-1-22	102000	सीमेंटेड बेंच हेतु विराट कन्सट्रक्सन को भुगतान

(मूल आपत्ति -3)

प्रस्तर 92- आलोच्य वर्ष में प्रावि ढोकरी संविलियन/भरत खटिकान में दिव्यांग शौचालय निर्माण, मिट्टी भराई कार्य, सौन्दयीकरण एवं रनिंग वाटर कार्य हेतु ₹ 500931 मजदूरी सहित समस्त भुगतान गायत्री इन्टरप्राइजेज को किया गया है। गायत्री इन्टरप्राइजेज से सामाग्री य एवं मजदूरी भुगतान से भी कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त रही किया गया है। मजदूरी मस्टररोल के माध्यम से मजदूरों के खाते में नहीं देकर सीधे फर्म को भुगतान की गयी है। जो नियमों के प्रतिकूल है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	16-6-21	108175	प्रा.वि. टोकरी संविलियन में दिव्यांग शौचालय सामग्री + मजदूरी
2.	24-6-21	95066	प्रा.वि. टोकरी संविलियन में दिव्यांग शौचालय सामग्री + मजदूरी
3.	16-6-31	101311	प्रा.वि. भरत खटिकान में दिव्यांग शौचालय सामग्री + मजदूरी
4-	7-8-11	56526	प्रा.वि. भरत खटिकान में मिट्टी भराई कार्य
5-	7-8-21	80353	पी एस/यूपीएस में सौन्दर्यकिरन कार्य
6-	29-12-21	59500	पी एस भरत रवटिकान में रनिग वाटर कार्य

योग- 500931 (पाँच लाख नौ सौ इकतीस रुपये मात्र)

उपरोक्त विवरण के अनुसार कैश बुक में दर्ज कुल धनराशि ₹500930 के लिए सामग्री खरीद मूल्य एवं मजदूरी भुगतान धनराशि का अंकन नहीं किया गया है। अतः यह ज्ञात नही किया जा सका कि कितनी सामग्री किस कार्य के लिए प्रयुक्त है एवं उक्त कार्य में मजदूरी कितनी दी गयी है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किए जानेने से क्रय सामग्री को मात्रा , सामग्री का नाम एवं दर तथा कुल मूल्य अज्ञात रहा।

लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से संबंधित प्रस्ताव कार्यादेश इस्टीमेट, टेण्डर कोटेशन, एम. वी., वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाणक स्टाक राजिस्टर, परिसंमपत्ति रजिस्टर आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने से कार्य एवं व्यय की पुष्टि नही होती है। अतः स्पष्ट है कि ₹ 500930:00 का अपहरण फर्म गायत्रि इन्टरप्राइजेज के माध्यम से प्रधान श्री राजू भारतीया तथा सचिव श्री धीरेन्द्र कुशवाहा की मिलीभगत से किया गया है। जिसकी दोनो व्यक्तियों से संयुक्त रूप से तारीख ब्याज सहित समान रूप से वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति से०-4)

प्रस्तर 93- आलोच्य वर्ष में पंचायत भवन मरम्मत मद, रिवोर एवं रनिग वोटर कार्य तथा फर्नीचर क्रय हेतु कुल ₹ 262143 को व्यय कैश कुक में दर्ज किया गया है। समस्त भुगतान गायत्री इन्टरप्राइजेज को किया गया है। पंचायत भवन मरम्मत सामाग्री एवं मजदूरी तया हैण्डपम्प रिवोर सामग्री एवं मजदूरी का अलग अलग विवरण कैश बुक में दर्ज नही किया गया है व्यय प्रमाणको के अभाव में स्पष्ट नहीं हो सका कि कौन-कौन सी सामाग्री किन-किन दरों पर एवं कितनी माला में क्रय की गयी है। मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में पीएफएमएस के माध्यम से स्थानान्तरित नही करके सीधे फर्म को भुगतान किया जाना भी नियम विरुद्ध कार्य किया।

पंचायत मरम्मत एवं अन्य कार्यों को विवरण निम्न प्रकार है -

दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
31-8-21	127643	पंचायत भवन मरम्मत कार्य - गायत्री इन्टरप्राइजेज
28-10-24	42000	पंचायत भवन रिबोर एवं रनिग वाटर- गायत्री इन्टरप्राइजेज
6-12-21	52500	पंचायत भवन फर्नीचर हेतु व्यय - गायत्री इन्टरप्राइजेज
3-1-22	40000	पंचायत भवन फर्नीचर हेतु व्यय - गायत्री इन्टरप्राइजेज
योग-	262143	(दो लाख वासठ हजार एक सौ तिरालिस मात्र)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पंचायत भवन, मरम्मत कार्यों हेतु व्यय धनराशि में कोई भी मजदूरी कैश बुक में दर्ज नहीं है। उक्त कार्य विना मजदूरी के संभव कैसे हो सका है। अतः स्पष्ट है कि फर्म को माध्यम बनाकर धन का अपहरण किया गया है।

उक्त कार्यों से संबंधित प्रस्ताव, टेण्डर कोटेशन, एम. बी., व्यय प्रमाणक मस्टररोल, वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमान पल, स्टाक राजेस्टर आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किए जाने से कार्य एवं काय की पुष्टि नहीं होती है। अतः धनराशि रू 262143-00 की वसूली प्रधान श्री राजू भारतीया तथा सचिव धीरेन्द्र कुमार से तातारीख ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपन्ति स०5)**

52- ग्राम पंचायत धामापुर अबदाल विकास खंड - सोराव जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 94- ग्राम पंचायत धामापुर अबदाल द्वारा वर्ष 2021-2022 मे प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है

क्र०	दिनांक/डोंगल	प्रमाणक सं०	व्यय का विवरण	फर्म का नाम	धनराशि
1	02-06-21/डोंगल	1	सामुदायिक शौचालय पर	उपलब्ध नहीं	13126.00
2	08-06-21/डोंगल	2	सामुदायिक शौचालय पर	उपलब्ध नहीं	9000.00
3	09-06-21/डोंगल	3	सामुदायिक शौचालय पर	उपलब्ध नहीं	104521.00
4	16-06-21 /डोंगल	4	सामुदायिक शौचालय पर	उपलब्ध नहीं	21200.00
5	25-07-21/डोंगल	5	सामुदायिक शौचालय मे रनिंग वाटर पर व्यय	उपलब्ध नहीं	100103.00
6	07-10-21 /डोंगल	6	सामुदायिक शौचालय पर	उपलब्ध नहीं	18000.00
7	07-10-21/डोंगल	7	सामुदायिक शौचालय पर	उपलब्ध नहीं	14000.00
8	07-10-21/डोंगल	8	सामुदायिक शौचालय मे निर्माण पर व्यय	उपलब्ध नहीं	122144.00
9	16-12-21/डॉगल	9	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय	उपलब्ध नहीं	18350.00
10	26-03-22/डॉगल	10	पंचायत कार्यालय में कम्प्यूटर एवं प्रिंटर पर व्यय	उपलब्ध नहीं	60000.00
				योग	480444.00

(चार लाख अस्सी हजार चार सौ चौवालिस)

ग्राम पंचायत धामापुर अब्दाल द्वारा वर्ष 2021-2022 में व्यय की गई धनराशि रु0 480444.00 की पुष्टी हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैस मेमो, विल ईनवाइस, सप्लाई आदेश, मस्टर रोल, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक कार्यवाही बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 के नियमावली 256(1) एवं पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में विहित प्रावधानों

के अनुसारग्राम पंचायत धामापुर अब्दाल द्वाराव्यय की गई धनराशि रु० 480444.00 (चार लाख अस्सी हजार चार सौ चौवालिस) को गबन की श्रेणी में रखा जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सिध्दार्थ यादव एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजीव सिंह से मय ब्याज बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-1)

53- ग्राम पंचायत राजापुर परसुराम विकास खंड - सोराव जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 95- ग्राम पंचायत राजापुर परसुराम द्वारा वर्ष 2021-2022 में कोशबही प्रथम के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है

क्र०	दिनांक/डॉगल	प्रमाणक सं०	व्यय का विवरण	फर्म का नाम	धनराशि
1	04-06-21/डॉगल	1	पी०ए० सिस्टम, सेनेटाईजर का एस के इंटरप्राजेज को भुगतान	उपलब्ध नहीं	26678.00
2	18-06-21 /डॉगल	2	ग्राम पंचायत में साफ सफाई का एस के इंटरप्राजेज को भुगतान	उपलब्ध नहीं	10050.00
3	18-06-21 /डॉगल	3	प्रा० वि० राजापुर परशुराम में रनिंग बाटर का एस के इंटरप्राजेज को भुगतान	उपलब्ध नहीं	84916.00
				योग	**121644.00**

(एक लाख एक्कीस हजार छः सौ चौवालीस)

ग्राम पंचायत राजापुर परशुराम द्वारा वर्ष 2021-2022 में व्यय की गई धनराशि रु0121644.00 की पुष्टी हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैस मेमो, विल ईनवाइस, सप्लाई आदेश, मस्टर रोल, वित्तीय एवंप्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक कार्यवाही बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहींकियागया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 के नियमावली 256 (1) एवं पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में विहित प्रावधानों के अनुसारग्राम पंचायत बहोरिकपुर द्वारा व्यय की गई धनराशि रु0121644.00 (एक लाख एक्कीस हजार छः सौ चौवालीस) को गबन की श्रेणी में रखा जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम पटेल एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामशिरोमणि से मय ब्याज बराबर-बराबर बसूल किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-1)

54- ग्राम पंचायत सराय फतते विकास खंड - सोराव जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 96- ग्राम पंचायत सराय फतते द्वारा वर्ष 2021-2022 में कोशबही प्रथम के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है

क्र०	दिनांक/डोंगल	प्रमाणक सं०	व्यय का विवरण	फर्म का नाम	धनराशि
1	21-04-21 /डॉगल	1	प्राथमिक विद्यालय सरायफले में टाईल्स का भुगतान	उपलब्ध नहीं	199800.00
2	13-08-21 /डॉगल	2	भुमिगत नाली निर्माण हेतु ह्युम पाईप कय	उपलब्ध नहीं	58750.00
3	23-08-21 /डॉगल	3	ईण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर	उपलब्ध नहीं	51956.00
				योग	**310506.00**

(तीन लाख दस हजार पाँच सौ छः)

ग्राम पंचायत सरायफत्ते द्वारा वर्ष 2021-2022 में व्यय की गई धनराशि रु0310506.00 की पुष्टी देन कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैस मेमो, बिल ईनवाइस, सप्लाई आदेश, मस्टर रोल, वित्तीय एवंप्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक कार्यवाही बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहींकियागया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 के नियमावली 256 (1) एवं पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में विहित प्रावधानों के अनुसारग्राम पंचायतबहोरिकपुर द्वाराव्यय की गई धनराशि रु0 310506.00 (तीन लाख दस हजार पाँच सौ छः) को गबन की श्रेणी में रखा जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अमरनाथ एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद से मय ब्याज बराबर-बराबर बसूल किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-1)

55- ग्राम पंचायत बहोरिकपुर विकास खंड - सोराव जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 97- ग्राम पंचायत बहोरिकपुर द्वारा वर्ष 2021-2022 में कोशबही प्रथम के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है

क्र०	दिनांक/डोंगल	प्रमाणक सं०	व्यय का विवरण	फर्म का नाम	धनराशि
1	28-04-21/डॉगल	1	इंडिया मार्का हँडपम्प रिबोर	उपलब्ध नहीं है	34600.00
2	24-05-21/डॉगल	2	प्राथमिक विद्यालय में टाईल्स का भुगतान	उपलब्ध नहीं है	127500.00
3	28-08-21/डॉगल	3	ह्यूम पाइप क्रय	उपलब्ध नहीं है	58500.00
4	15-09-21/डॉगल	4	सामुदायिक शौचालय में नाली निर्माण	उपलब्ध नहीं है	81108.00
				योग	**301708.00**

(तीन लाख एक हजार सात सौ आठ)

ग्राम पंचायत बहोरिकपुर द्वारा वर्ष 2021-2022 में व्यय की गई धनराशि रु0301708.00 की पुष्टी हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैस मेमो, बिल ईनवाइस, सप्लाई आदेश, मस्टर रोल, वित्तीय एवंप्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक कार्यवाही बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहींकियागया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 के नियमावली 256 (1) एवं पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में विहित प्रावधानों के अनुसारग्राम पंचायतबहोरिकपुर द्वाराव्यय की गई धनराशि रु0 301708.00 (तीन लाख एक हजार सात सौ आठ) को गबन की श्रेणी में रखा जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सानिया एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद से मय ब्याज बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-1)

56- ग्राम पंचायत - ताजपुर उर्फ भीखमपुर विकास खंड - कौड़िहार

जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 98- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत ताजपुर उर्फ भीखमपुर की वित्तीय वर्ष 2021-22 में है याम स्वरोजगार तथा प्रियासोफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रयम (1) के केंद्रीय वित्त आयोग (14 वो एवं 15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 469731.00 (चार लाख उनहत्तर हजार सात सी एकतीस) की धनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है। परंतु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोष बही बैंक स्टेटमेंट, वाउचर फाइल/पत्रावली एमवीबुक मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र चेकबुक, काउंटरफाइल / अन्यूज्ड चेक बैंकसमायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल संपत्तिरजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर वित्तीय तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई मी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्रामपंचायत प्रशासक याम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुर्भिसंधि से रुपया 469731.00 (चार लाख उनहत्तर हजार सात सौ एकतीस) का अपहरण कर लिया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र.स.	धनराशि	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	13900.00	सफाई किट	शिव हाडवेयर मशीनरी स्टोर
2	14500.00	कैमरा क्रय हेतु	आसोल डेवलपमेंट
3	2400.00	हैंडपंप मरम्मत	शिव कुमार
4	9850.00	हैंडपंप मरम्मत	शिव हाडवेयर मशीनरी स्टोर
5	5600.00	केमिकल सेनेटाइज़र मशीन	आमोल डेवलपमेंट
6	9396.00	केमिकल सेनेटाइज़र मशीन	आमोल डेवलपमेंट
7	5000.00	प्रशासनिक व्यय	शिव हाइवेयर मशीनरी स्टोर
8	90000.00	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स का कार्य	श्रेयांश एसोसिएटस
9	139173.00	उच्चप्राथमिक विद्यालय में टाइल्स का कार्य	श्रेयांश एसोसिएटस
10	42404.00	उच्चप्राथमिक विद्यालय में टाइल्स का कार्य	राकेश कुमार
11	2500.00	प्रशासनिक व्यय	आमोल डेवलपमेंट
12	9000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय	राम जसी
13	2471.00	अमर उजाला विज्ञापन	अमर उजाला

14	6500.00	स्टेसनरी	शिव कुमार
15	3500.00	प्रधान मानदेय	देवता दिन
16	63658.00	प्राथमिक विद्यालय भिखमपुर में टाइल्स का कार्य	श्रेयांश एसोसिएटस
17	4130.00	टैन,जीएसटी हेतु	शिवनक शर्मा
18	14000.00	प्रधान मानदेय	देवता दिन
19	12000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय	राम जसी
20	1749.00	टाइड और अनटाइड फंड हेतु	निदेशक पंचायतीराज
21	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय	रीना यादव
22	12000.00	पंचायत सहायक मानदेय	रीना यादव
योग	**469731.00**		

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय हैं कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या -256(2) के उपनियम (1) (क) मे विनिर्दिस्त विशिष्टियों / नियमो एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ 36,37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक ग्राम प्रधान तथा संबन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ साथ डीपीआरओ द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का भी मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष मे प्रमाणक विहीन व्यय दर्शा कर रुपया 469731.00 (चार लाख उनहत्तर हजार सात सौ एकतीस) का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संबन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया हैं। अतः ग्राम प्रधान श्री देवतादीन से रुपया 234865.50 एवंग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दिनेश चौरसिया से रुपया 234865.50 वसूल किया जाना अपेक्षित हैं।

(पैरा-1)

57- ग्राम पंचायत - सेवना विकास खंड - प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 99- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत सेवना की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन एवं स्टैट्मन्ट से प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 यह कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षक दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से संबंधित कोई वाउचर /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो धनराशि को गबन मानते हुए की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की जाए के नियमानुसार संबंधित द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार धनराशि का गबन किया गया -

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1	13-7-2021	सामुदायिक शौचालय	90000	शिव हार्डवेयर स्टोर
2	13-7-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	32047	शिव हार्डवेयर स्टोर
3	3/2/2022	हैन्ड पम्प रिबोर	36000	शिव हार्डवेयर स्टोर

4	19-7-2022	प्राथमिक विद्यालय में कार्य	114000	शिव हार्डवेयर स्टोर
	29-7-2021	हैन्ड पम्प मरम्मत	16200	शिव हार्डवेयर स्टोर
	29-11-2022	हैन्ड पम्प मरम्मत	16000	शिव हार्डवेयर स्टोर
	20-11-2021	प्रशासनिक व्यय	5000	हिंदुस्तान ट्रेडर्स
			309247	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । जीएसटी एवं टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार धनराशि रु. 309247.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी। एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा किया गया। जिसकी धनराशि रू.154623.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी से एवं रू.154624.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-1)

प्रस्तर 100- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत सेवना की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन एवं स्टैट्मन्ट से प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 यह कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षक दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से संबंधित कोई वाउचर /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो धनराशि को गबन मानते हुए की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की जाए के नियमानुसार संबंधित द्वारा निम्न निम्न लिखित विवरण के अनुसार धनराशि का गबन किया गया -

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1	30-4-2021	आपरेशन काया कल्प	124000	हिंदुस्तान ट्रेडर्स
2	2/5/2021	आपरेशन काया कल्प	35500	हिंदुस्तान ट्रेडर्स
3	4/9/2021	आपरेशन काया कल्प	33300	शिव हार्डवेयर स्टोर
4	4/9/2021	आपरेशन काया कल्प	33300	शिव हार्डवेयर स्टोर
5	9/10/2021	आपरेशन काया कल्प	140000	शिव हार्डवेयर स्टोर

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपरेशन काया कल्प के नाम से ही धंराशियों का आहरण किया गया परंतु कार्य का विवरण नहीं दिया गया जो अनियमित रहा । उक्त कार्य की आलोच्य वर्ष में कोई आइ डी जनरेट नहीं की गई है जो नियम विरुद्ध एवं अनियमित रहा । उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । जीएसटी एवं टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा

198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार धनराशि रु.366100.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमती शंकुन्तला देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अतरसिंह द्वारा किया गया। जिसकी धनराशि रू.183050.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शंकुन्तला देवी एवं रू.183050.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अतर सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(पैरा-2)**

प्रस्तर 101 -आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत सेवना की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन एवं स्टैट्मन्ट से प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 यह कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षक दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से संबंधित कोई वाउचर /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो धनराशि को गबन मानते हुए की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की जाए के नियमानुसार संबंधित द्वारा निम्न निम्न लिखित विवरण के अनुसार धनराशि का गबन किया गया -

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
	25-8-2021	शोकपिट निर्माण	33400	ए. के. इंटरप्राइजेज़
	2/9/2021	शोकपिट निर्माण	38500	ए. के. इंटरप्राइजेज़
	27-11-2021	शोकपिट निर्माण	28000	शिव हार्डवेयर स्टोर
	27-11-2021	शोकपिट निर्माण	5000	शिव हार्डवेयर स्टोर
	3/2/2022	शोकपिट निर्माण	36922	शिव हार्डवेयर स्टोर
	3/2/2022	शोकपिट निर्माण	36922	शिव हार्डवेयर स्टोर
	3/2/2022	शोकपिट निर्माण	24156	शिव हार्डवेयर स्टोर
	3/2/2022	शोकपिट निर्माण	36922	शिव हार्डवेयर स्टोर
			239822	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शोकपिट निर्माण के नाम से ही धंराशियों का आहरण किया गया परंतु कार्य का विवरण नहीं दिया गया जो अनियमित रहा । उक्त कार्यों की कोई आइ डी जनरेट नहीं की गई है जो नियम विरुद्ध एवं अनियमित रहा । उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । जीएसटी एवं टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार धनराशि रु.239822.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमती शंकुन्तला देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अतरसिंह द्वारा किया गया। जिसकी धनराशि रू.119911.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शंकुन्तला देवी एवं रू.119911.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अतर सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(पैरा-3)**

58- ग्राम पंचायत - साथर **विकास खंड - प्रतापपुर** **जनपद-प्रयागराज**

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 102- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत साथर की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन एवं स्टैट्मन्ट से प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 यह कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षक दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से संबंधित कोई वाउचर /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो धनराशि को गबन मानते हुए की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की जाए के नियमानुसार संबंधित द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार धनराशि का गबन किया गया -

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
	10/9/2021	अज्ञात (अंबिका ट्रेडर्स)	34002	अंबिका ट्रेडर्स
	22 -10-2021	अज्ञात (अंबिका ट्रेडर्स)	32100	अंबिका ट्रेडर्स
	25 -10-2021	मजदूरी (अज्ञात कार्य)	27000	राम लखन पटेल
	22 -10-2021	अज्ञात (अंबिका ट्रेडर्स)	34500	अंबिका ट्रेडर्स
	25 -10-2021	मजदूरी (अज्ञात कार्य)	10500	राम लखन पटेल
	20-11-2021	अज्ञात (अंबिका ट्रेडर्स)	140000	अंबिका ट्रेडर्स
			278102	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। भुगतान प्राप्त व्यक्ति की कोई पहचान प्रस्तुत नही किया गया । सम्बन्धित व्यक्तियों को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्तियों की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । सभी भुगतान अज्ञात व्यक्तियों को किया किया गया है, जो कि नियम विरूध्द है, भुगतान जीएसटी रजिस्टर्ड को किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता कर धन का गबन किया गया । जीएसटी एवं टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार धनराशि रु. 278102.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा किया गया। जिसकी धनराशि रू.139051.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी से एवं रू.139051.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-1)

प्रस्तर 103- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत साथर की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन एवं स्टैट्मन्ट से प्राप्त आंकड़ों में निम्न

लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 यह कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षक दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से संबंधित कोई वाउचर /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो धनराशि को गबन मानते हुए की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की जाए के नियमानुसार संबंधित द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार धनराशि का गबन किया गया -

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1-	11/11/2021	प्राथमिक विद्यालय चेतरा में टाइल्स कार्य	70000	बीपीएस ट्रेडर्स
	23 -9-2021	प्राथमिक विद्यालय चेतरा में टाइल्स कार्य	100000	बीपीएस ट्रेडर्स
2-	26-7-2021	ह्यूम पाइप	90500	विवेक प्राइजेज़
3-	6/6/2021	पंचायत भवन हेतु	199000	विहान इंटर प्राइजेज़
	21-7-2021	पंचायत भवन हेतु	105000	आर. के. ट्रेडर्स
4-	6/6/2021	सामुदायिक शौचालय	201523	विहान इंटर प्राइजेज़
5-	6/6/2021	इंटरलाकिंग	212023	विहान इंटर प्राइजेज़
6-	5/11/2021	सामग्री का भुगतान	34500	विहान इंटर प्राइजेज़
	9/9/2021	सामग्री का भुगतान	100000	विवेक इंटरप्राइजेज़
			1112546	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । जीएसटी एवं टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार धनराशि रु. 1112546.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा किया गया। जिसकी धनराशि रू. 556273.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं रू. 556273.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(पैरा-2)**

प्रस्तर 104- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत साथर की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन एवं स्टैट्मन्ट से प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 यह कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षक दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से संबंधित कोई वाउचर /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो धनराशि को गबन मानते हुए की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की जाए के नियमानुसार संबंधित द्वारा निम्न निम्न लिखित विवरण के अनुसार धनराशि का गबन किया गया -

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1	6/6/2021	आपरेशन काया कल्प	201000	विहान इंटर प्राइजेज़

2	6/6/2021	आपरेशन काया कल्प	198000	विहान इंटर प्राइजेज़
3	5/7/2021	आपरेशन काया कल्प	132000	विवेक इंटरप्राइजेज़
4	6/10/2021	आपरेशन काया कल्प	80000	अंबिका ट्रेडर्स
5	2/10/2021	आपरेशन काया कल्प	120000	बीपीएस ट्रेडर्स
6	2/10/2021	आपरेशन काया कल्प	160000	अंबिका ट्रेडर्स
7	8/2/2021	आपरेशन काया कल्प	130000	अंबिका ट्रेडर्स
			1021000	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपरेशन काया कल्प के नाम से ही धंराशियों का आहरण किया गया परंतु कार्य का विवरण नहीं दिया गया जो अनियमित रहा । उक्त कार्य की आलोच्य वर्ष में कोई आइ डी जनरेट नहीं की गई है जो नियम विरुद्ध एवं अनियमित रहा । उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । जीएसटी एवं टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार धनराशि रु.1021000.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा किया गया। जिसकी धनराशि रू.510500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं रू.510500.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(पैरा-3)**

प्रस्तर 105- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत साथर की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन एवं स्टैट्मन्ट से प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 यह कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षक दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से संबंधित कोई वाउचर /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो धनराशि को गबन मानते हुए की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की जाए के नियमानुसार संबंधित द्वारा निम्न

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
	8/2/2022	हैन्ड पम्प रिबोर	72000	अंबिका ट्रेडर्स
	8/2/2022	हैन्ड पम्प रिबोर	34500	अंबिका ट्रेडर्स
	9/2/2022	हैन्ड पम्प रिबोर	34500	अंबिका ट्रेडर्स
	16-2-2022	हैन्ड पम्प मरम्मत	33400	अंबिका ट्रेडर्स
	15-3-2022	हैन्ड पम्प रिबोर	25000	अंबिका ट्रेडर्स
	15-3-2022	हैन्ड पम्प रिबोर	34500	अंबिका ट्रेडर्स
	15-3-2022	हैन्ड पम्प रिबोर	33400	अंबिका ट्रेडर्स
	15-3-2022	हैन्ड पम्प रिबोर	75000	अंबिका ट्रेडर्स
	22-3-2022	हैन्ड पम्प रिबोर	32497	अंबिका ट्रेडर्स
	22-3-2022	हैन्ड पम्प रिबोर	32259	अंबिका ट्रेडर्स

			407056	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। | पंचायत राज विभाग के शासनादेश संख्या 51 / 2017 / 2011 / 33 - 3 - 2017 / 46 / 2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार हैंडपंप रिबोर की अलग-अलग वर्क आईडी जनरेट कर कार्य किया जाना था परंतु ऐसा ना कर एक ही वर्क आईडी जनरेट की गयी हैएवं उसमे भी भुगतान न कर किसी अन्य आइ.डी. में भुगतान किया गया, जो नियम विरुद्ध रहा । पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही.तकनिकी अनुश्रवण का कार्य जेई एम आई/ आर ई डी / मंडी परिषद् / जिला पंचायत / डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा, साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु gpdp के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एव पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही.विकेंद्रीकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा.सं-.4430/33-1-99/एस पी .आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बंधित योजनाओ एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/ अनुमोदन / संस्तुति करना है .जिसका अनुमोदन अप्राप्त रहा । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । जीएसटी एवं टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार धनराशि रु. 407056.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा किया गया। जिसकी धनराशि रू. 203528.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं रू. 203528.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(पैरा-4)**

59- ग्राम पंचायत - सिरसा विकास खंड - प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 106- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत सिरसा की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन एवं स्टैट्मन्ट से प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 यह कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षक दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से संबंधित कोई वाउचर /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो धनराशि को गबन मानते हुए की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की जाए के नियमानुसार संबंधित द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार धनराशि का गबन किया गया -

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
4-	8/10/2021	निविदा हेतु	3258	चंद्र भानु
	8/10/2021	प्राथमिक विद्यालय सिरसा शौचालय मरम्मत	24000	प्रमोद कुमार

	8/10/2021	प्राथमिक विद्यालय सिरसा शौचालय मरम्मत	10000	प्रमोद कुमार
	4/11/2021	प्राथमिक विद्यालय सिरसा टाइल्स कार्य	70000	प्रमोद कुमार
	17-02-2022	प्राथमिक विद्यालय सिरसा शौचालय मरम्मत	35000	प्रमोद कुमार
	17-02-2022	प्राथमिक विद्यालय सिरसा शौचालय मरम्मत	14000	प्रमोद कुमार
	4/9/2021	आपरेशन काया कल्प	48000	प्रमोद कुमार
			204258	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। भुगतान प्राप्त व्यक्ति की कोई पहचान प्रस्तुत नही किया गया । सम्बन्धित व्यक्तियों को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्तियों की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । सभी भुगतान अज्ञात व्यक्तियों को किया किया गया है, जो कि नियम विरूध्द है, भुगतान जीएसटी रजिस्टर्ड को किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता कर धन का गबन किया गया । जीएसटी एवं टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार धनराशि रु. 204258 का गबन ग्राम प्रधान श्री मोरंगध्वज एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा किया गया। जिसकी धनराशि रू. 1022129.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोरंगध्वज एवं रू. 1022129.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **(पैरा-1)**

प्रस्तर 107- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत सिरसा की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन एवं स्टैट्मन्ट से प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 यह कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षक दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से संबंधित कोई वाउचर /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो धनराशि को गबन मानते हुए की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की जाए के नियमानुसार संबंधित द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार धनराशि का गबन किया गया -

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1-	1/5/2021	आपरेशन काया कल्प	124000	हिंदुस्तान ट्रेडर्स
2-	16-8-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	32047	विहान इन्टर प्राइजेज़
	29-01-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	32000	खन्ना इन्टर प्राइजेज़
	29-01-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	32000	खन्ना इन्टर प्राइजेज़
	31-12-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	92114	खन्ना इन्टर प्राइजेज़
	17-02-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	32000	खन्ना इन्टर प्राइजेज़
3-	8/7/2021	हैन्ड पम्प मरम्मत	18349	खन्ना इन्टर प्राइजेज़
	29-01-2022	हैन्ड पम्प मरम्मत	50000	खन्ना इन्टर प्राइजेज़
	8/7/2021	हैन्ड पम्प मरम्मत	17894	खन्ना इन्टर प्राइजेज़
4-	20-11-2021	प्रशाशनिक व्यय	14200	आर. के. कसंट्रॅकसन

	20-11-2021	प्रशाशनिक व्यय	5000	विहान इन्टर प्राइजेज़
5-	17-7-2021	पंचायत भवन	93027	आर. के. ट्रेडर्स
6-	4/5/2021	ग्रामपंचायत में विकलांग शौचालय	124000	खन्ना इन्टर प्राइजेज़
7-	21-8-2021	प्राथमिक विद्यालय सिरसा हैंडवाश निर्माण	50000	खन्ना इन्टर प्राइजेज़
	25-8-2021	प्राथमिक विद्यालय सिरसा बॉउन्ड्री वाल निर्माण	20000	खन्ना इन्टर प्राइजेज़
	4/11/2021	प्राथमिक विद्यालय सिरसा टाइल्स कार्य	100000	श्याम इन्टर प्राइजेज़
	24-7-2021	प्राथमिक विद्यालय सिरसा	90000	खन्ना इन्टर प्राइजेज़
		योग	**926631**	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । जीएसटी एवं टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार धनराशि रु. 926631.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री मोरंगध्वज एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा किया गया। जिसकी धनराशि रू. 463315.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोरंगध्वज एवं रू. 463316.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-2)

60- ग्राम पंचायत - ठटा **विकास खंड - प्रतापपुर** **जनपद-प्रयागराज**

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 108- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत ठटा की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन एवं स्टैट्मन्ट से प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण किया गया -

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1-	24-11-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	32700	लाल बहादुर ट्रेडर्स
	17-2-2022	हैन्ड पम्प रिबोर	65622	लाल बहादुर ट्रेडर्स
	17-2-2022	हैन्ड पम्प रिबोर	32200	लाल बहादुर ट्रेडर्स
2-	17-2-2022	हैन्ड पम्प मरम्मत	33422	लाल बहादुर ट्रेडर्स
	17-2-2022	हैन्ड पम्प मरम्मत	16222	लाल बहादुर ट्रेडर्स
3-	7/10/2021	पंचायत भवन हेतु सामग्री	60500	लाल बहादुर ट्रेडर्स
	7/10/2021	पंचायत भवन हेतु सामग्री	25000	नरेंद्रदेव
			265666	

उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, **मजदूरों का मस्टररोल**, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण

पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराने की स्थिति में धनराशि रू. 265666.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेंद्र देव से रु. 132833.00 एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अतर सिंह से रु. 132833.00 बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(पैरा-1)**

61- ग्राम पंचायत - रस्तीपुर विकास खंड - प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 109- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत रस्तीपुर की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण किया गया -

क्रमांक	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1-	19-05-2021	आपरेसन काया कल्प	198000	गांधी इन्टर प्राइजेज़
	24-5-2021	आपरेसन काया कल्प	198000	गांधी इन्टर प्राइजेज़
	18-6-2021	आपरेसन काया कल्प	198000	गांधी इन्टर प्राइजेज़
	18-6-2021	आपरेसन काया कल्प	198000	गांधी इन्टर प्राइजेज़
	23-9-2021	आपरेसन काया कल्प	88000	लाल बहादुर ट्रेडर्स
	13-2-2022	आपरेसन काया कल्प	20500	लाल बहादुर ट्रेडर्स
	13-2-2022	आपरेसन काया कल्प	51500	लाल बहादुर ट्रेडर्स
2-	25-1-2022	सामुदायिक शौचालय	68000	लाल बहादुर ट्रेडर्स
3-	6/9/2021	हैन्ड पम्प रिबोर	64094	लाल बहादुर ट्रेडर्स
	24-9-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	68000	लाल बहादुर ट्रेडर्स
4-	18-12-2021	हैन्ड पम्प मरम्मत	15800	लाल बहादुर ट्रेडर्स
5-	30-11-2021	ह्ूम पाइप	108000	उमा ट्रेडर्स
6-	30-9-2021	प्रशाशनिक व्यय	25000	उषा रानी
	28-10-2021	प्रशाशनिक व्यय	25000	उषा रानी
	14-12-2021	प्रशाशनिक व्यय	25200	उषा रानी
7-	28-12-2021	अज्ञात	2000	कृष्णा इन्टर प्राइजेज़
	28-12-2021	अज्ञात	3286	लाल बहादुर ट्रेडर्स
	16-12-2021	अज्ञात	9000	शांति देवी
		योग	**1365380**	

उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, **मजदूरों का मस्टररोल**, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख

न उपलब्ध कराने की स्थिति में धनराशि रू. 1365380.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषा रानी से रु. 682690.00 एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री दशरथ लाल से रु. 682690.00 बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(पैरा-1)**

62- ग्राम पंचायत - सरायममरेज विकास खंड - प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 110- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत सराय ममरेज की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन एवं स्टैट्मन्ट से प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण किया गया -

क्रमांक	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1-	11/6/2021	आपरेशन काया कल्प	277000	विहान इन्टर प्राइजेज़
	29-8-2021	आपरेशन काया कल्प	28050	दान बहादुर
	29-8-2021	आपरेशन काया कल्प	34000	अंबिका ट्रेडर्स
	29-8-2021	आपरेशन काया कल्प	76009	अतुल कुमार सिंह
	3/9/2021	आपरेशन काया कल्प	60000	दान बहादुर
	3/9/2021	आपरेशन काया कल्प	180000	अतुल कुमार सिंह
	9/9/2021	आपरेशन काया कल्प	34081	अंबिका ट्रेडर्स
	9/9/2021	आपरेशन काया कल्प	65000	दान बहादुर
	9/9/2021	आपरेशन काया कल्प	181000	अतुल कुमार सिंह
	8/11/2021	आपरेशन काया कल्प	170000	हिंदुस्तान ट्रेडर्स
	3/2/2021	आपरेशन काया कल्प	28000	अरुण इन्टर प्राइजेज़
2-	21-9-2021	सामुदायिक शौचालय	220000	रचित इन्टर प्राइजेज़
3-	14-7-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	303688	आर के ट्रेडर्स
	8/11/2021	हैन्ड पम्प रिबोर	125000	हिंदुस्तान ट्रेडर्स
	25-11-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	104000	अरुण इन्टर प्राइजेज़
	8/1/2022	हैन्ड पम्प रिबोर	96000	अरुण इन्टर प्राइजेज़
	30-1-2022	हैन्ड पम्प रिबोर	69000	अरुण इन्टर प्राइजेज़
	3/2/2022	हैन्ड पम्प रिबोर	34500	विहान इन्टर प्राइजेज़
4-	9/10/2021	हैन्ड पम्प मरम्मत	103509	विवेक इन्टर प्राइजेज़
	13-12-2021	हैन्ड पम्प मरम्मत	33800	अरुण इन्टर प्राइजेज़
	21-1-2022	हैन्ड पम्प मरम्मत	34000	अरुण इन्टर प्राइजेज़
5-	24-7-2021	ह्ूम पाइप	164100	विवेक इन्टर प्राइजेज़
6-	26-10-2021	ह्ूम पाइप	26000	दान बहादुर
	3/2/2022	अज्ञात	72000	विहान इन्टर प्राइजेज़

	20-11-2021	प्रशाशनिक व्यय	10000	रचित इन्टर प्राइजेज़
	25-11-2021	प्रशाशनिक व्यय	5000	दान बहादुर
7-	7/7/2021	ग्राम पंचायत कार्य	98000	विवेक इन्टर प्राइजेज़
	8/10/2021	पंचायत भवन	198000	रचित इन्टर प्राइजेज़
	26-10-2021	पंचायत भवन	179400	रचित इन्टर प्राइजेज़
8-	26-10-2021	बिजली कार्य	90000	रचित इन्टर प्राइजेज़
	26-4-2021	इंटरलाकिंग	184500	कृष्णा इन्टर प्राइजेज़
	8/11/2021	इंटरलाकिंग	140000	हिंदुस्तान ट्रेडर्स
	8/11/2021	इंटरलाकिंग	35000	दान बहादुर
	21-1-2022	इंटरलाकिंग	198000	अरुण इन्टर प्राइजेज़
		योग	**3656637**	

उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, **मजदूरों का मस्टररोल**, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराने की स्थिति में धनराशि रू. 3656657.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री दान बहादुर से रु. 1828328.00 एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवींद्र सिंह से रु. 1828329.00 बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(पैरा-6)**

63- ग्राम पंचायत - रिठुआ विकास खंड - प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 111- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत रिठुआ की लेखापरीक्षा मे पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ - ग्रामस्वराज से अनलाइन एवं उपलब्ध कैश बुक से प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे , का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण किया गया -

क्रमांक	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1-	16-5-2021	प्राथमिक विद्यालय	291692	जे. पी. प्राइजेज़
	18-6-2021	प्राथमिक विद्यालय	85230	जे. पी. प्राइजेज़
2-	10/7/2021	आपरेसन काया कल्प	154437	जे. पी. प्राइजेज़
	29-9-2021	आपरेसन काया कल्प	185688	जे. पी. प्राइजेज़
	23-10-2021	आपरेसन काया कल्प	22550	जे. पी. प्राइजेज़
	1/11/2021	आपरेसन काया कल्प	30700	जे. पी. प्राइजेज़
	21-1-2022	आपरेसन काया कल्प	149265	जे. पी. प्राइजेज़
	25-1-2022	आपरेसन काया कल्प	89000	जे. पी. प्राइजेज़
	25-1-2022	आपरेसन काया कल्प	34000	जे. पी. प्राइजेज़

3-	30-12-2021	सामुदायिक शौचालय	75472	जे. पी. प्राइजेज़
4-	22-9-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	64418	जे. पी. प्राइजेज़
	10/11/2021	हैन्ड पम्प रिबोर	65469	जे. पी. प्राइजेज़
	23-12-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	25100	जे. पी. प्राइजेज़
5-	14-11-2021	हैन्ड पम्प मरम्मत	64105	जे. पी. प्राइजेज़
	16-11-2021	हैन्ड पम्प मरम्मत	127750	जे. पी. प्राइजेज़
6-	19-8-2021	ह्ूम पाइप	78618	जे. पी. प्राइजेज़
	17-11-2021	ह्ूम पाइप	52080	जे. पी. प्राइजेज़
7-	28-9-2021	प्रशाशनिक व्यय	10000	आयुष्मान ट्रेडर्स
	15-11-2021	प्रशाशनिक व्यय	14200	आयुष्मान ट्रेडर्स
	23-12-2021	प्रशाशनिक व्यय	19000	आयुष्मान ट्रेडर्स
8-	26-9-2021	प्राथमिक विद्यालय में इंटरलाकिंग	273441	आयुष्मान ट्रेडर्स
	3/10/2021	प्राथमिक विद्यालय में इंटरलाकिंग	101901	जे. पी. प्राइजेज़
9-	11/1/2022	पंचायत भवन हेतु	255784	जे. पी. प्राइजेज़
		योग	**2269900**	

उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, **मजदूरों का मस्टररोल**, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराने की स्थिति में धनराशि रू. 2269900.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीता कुशवाहा से रु. 1134950.00 एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रमा शंकर से रु. 1334950.00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(पैरा-6)**

64- ग्राम पंचायत - कटेहरी विकास खंड - प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज

वर्ष - 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर 112- आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत कटेहरी की लेखापरीक्षा में पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण समस्त आँकड़े इ ग्रामस्वराज से अनलाइन प्राप्त आंकड़ों में निम्न लिखित की धनराशियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण किया गया -

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण

1-	28-04-2021	आपरेसन काया कल्प	124000	केन्द्रीय वित
	24-5-2021	आपरेसन काया कल्प	32705	केन्द्रीय वित्त
	27-9-2021	आपरेसन काया कल्प	185500	केन्द्रीय वित
	5/10/2021 7/10/2021	आपरेसन काया कल्प आपरेसन काया कल्प	164000 164000	केन्द्रीय वित केन्द्रीय वित
	8/1/2022	आपरेसन काया कल्प	58653	केन्द्रीय वित्त
	24-1-2022	आपरेसन काया कल्प	198000	केन्द्रीय वित
2-	28-04-2021	सामुदायिक शौचालय	59000	केन्द्रीय वित
	22-9-2021	सामुदायिक शौचालय मानदेय समूह	27000	केन्द्रीय वित
	4/1/2022	सामुदायिक शौचालय रख रखाव	9000	केन्द्रीय वित
3-	3/6/2021	मेन्टीनेंस कार्य	9000	राज्य वित्त
	22-12-2021	मेन्टीनेंस कार्य	17500	राज्य वित्त
	28-1-2022	मेन्टीनेंस कार्य	31500	राज्य वित्त
4-	24-9-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	34400	केन्द्रीय वित
	24-9-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	198200	केन्द्रीय वित
	31-1-2021	हैन्ड पम्प रिबोर	75000	राज्य वित
	22-12-2021	मजदूरी	27000	केन्द्रीय वित

	28-12-2021	मजदूरी	27000	राज्य वित्त
5-	4/1/2022	हैन्ड पम्प मरम्मत	102400	राज्य वित्त
	28-01-2021	हैन्ड पम्प मरम्मत	187500	राज्य वित्त
	4/1/2022	हम पाइप मजदूरी	27000	राज्य वित
6-	4/1/2022	मजदूरी	19900	राज्य वित
	4/1/2022	अज्ञात	18000	राज्य वित
7-	4/1/2022	राम मणि के घर से प्रवीण पॉनदे के घर तक खरंजा निर्माण	58653	केन्द्रीय वित्त
8-	18-01-2022	पंचायत भवन हेतु सामग्री	85500	केन्द्रीय वित्त
9-	28-01-2021	इंटर लाकिन्ग	159876	राज्य वित्त

2100287उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेटेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मजदूरों का मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256 (1) एवं ग्राम पंचायत वित एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख न उपलब्ध करने की स्थिति में धनराशि रू. 2100287.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी से रु. 1050143.00 एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री चंद्रजीत यादव से रु. 1050144.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

जनपद - मुजफ्फरनगर

ग्राम पंचायतों के वर्ष 2021-22 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियां/प्रस्तरों का विवरण

1- ग्राम पंचायत- सीकरी विकास खण्ड- मोरना वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-01

आलोच्य वर्ष में विभिन्न दिनांक में ग्राम पंचायत केन्द्रीय वित्त अनुदान से अंकन रू0 200000.00 हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य कराया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	प्रमाणक सं०	दिनांक	धनराशि
1	अज्ञात	18.06.21	50000.00
2	अज्ञात	18.06.21	100000.00
3	अज्ञात	18.06.21	50000.00
योग			200000.00

उक्त व्यय के सापेक्ष हैण्डपम्प खराब होने की रिपोर्ट, स्टीमेट, सक्षम अधिकारी स्वीकृति व प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये गये। तथा कितने हैण्डपम्प कहाँ-कहाँ ठीक कराये गये है लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं कराया गया। जिसके कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है अत व्यय धनराशि अंकन रू0 200000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरजीत सिंह से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-01)

प्रस्तर-02

आलोच्य वर्ष में विभिन्न दिनांको में ग्राम पंचायत के केन्द्रीय वित्त अनुदान व राज्य वित्त अनुदान से अंकन रू0 705000.00 की कुल 05 हाई रिस्क लाईट कय की जानी दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	दिनांक	मात्रा	धनराशि	निधि का नाम
1	26-07-2021	01	145000-00	राज्य वित्त से
2	25-09-2021	01	135000-00	राज्य वित्त से
3	04-10-2021	01	135000-00	राज्य वित्त से
4	12-07-2021	01	145000-00	केन्द्रीय वित्त से
5	12-07-2021	01	145000-00	केन्द्रीय वित्त से
योग			705000-00	

उक्त हाई रिस्क लाईट क्रय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी स्वीकृति, स्टीमेटट कार्ययोजना व प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये। तथा लाईट कहाँ-कहाँ लगायी गयी है लेखा परीक्षा में स्पष्ट

नही किया गया। तथा तीन लाईट 145000.00 की दर से तथा 2 लाईट 135000.00 की दर से क्रय की गयी है उक्त में 10000.00 प्रति लाईट का अन्तर क्यो तथा है तथा 05 लाईट एक साथ ही क्रय क्यो नही की गयी है लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा। जिस कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नही की सकी। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है अत व्यय धनराशि अंकन रू0 705000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरजीत सिंह से की जानी अपेक्षित है। (सा० आ० स०-02)

प्रस्तर-03

वित्तीय वर्ष 21-22 में विभिन्न स्थानो परं ग्राम पंचायत में सफाई पर अंकन रू0 400000.00 का व्यय किरया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	निधि का नाम
1	23.08.21	250000-00	राज्य वित्त से
2	20-12-21	50000-00	राज्य वित्त से
3	26-10-21	100000-00	केन्द्रीय वित्त
योग		400000-00	

उक्त सफाई कार्य कराये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी स्वीकृति, स्टीमेटट कार्ययोजना व मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये। तथा ग्राम में सफाई कर्मी भी कार्यरत है फिर सफाई पर उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है अत व्यय धनराशि अंकन रू0 400000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरजीत सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

प्रस्तर-04

प्रमाणक संख्या अज्ञात दिनांक 10.01.22 के द्वारा समस्त ग्राम की सफाई पर अंकन रू0 72000.00 का व्यय किया जाना कोषबही में अंकित किया गया है किन्तु सफाई कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति स्टीमेट कार्ययोजना व मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये। तथा ग्राम में सफाई कर्मी भी कार्यरत है फिर सफाई पर उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है अत व्यय धनराशि अंकन रू0 72000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप सिंह से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-04)

2- ग्राम पंचायत-हजूरनगर विकास खण्ड- शाहपुर वर्ष -2021-22

प्रस्तर-05

आलोच्य वर्ष में विभिन्न बिन्दुओ में अंकन रू0 130774.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत समान सहित में किया जाना कैशबही में दर्शित है। जिसका विवरण निम्न है:-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
1	17.08.2021	26500.00
2	05.10.2021	31250.00
3	18.11.2021	28024.00
4	20.01.2022	45000.00
	योग	130774.00

उक्त व्यय की पुष्टि में प्राक्कलन, कार्य योजना, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है अतः अंकन रू0 130774.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मेहरूनिशा तथा सचिव श्री शिवकुमार से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 02)

प्रस्तर-06

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत दिनांक 02.08.2021 को एक आर०ओ० अंकन रू0 115000.00 का कय किया जाना कैशबुक में दर्शित है उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, प्राक्कलन, कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है जो पचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है अतः अंकन रू0 115000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मेहरूनिशा तथा सचिव श्री शिवकुमार से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 01)

3 - ग्राम पंचायत-अहरोड़ा विकास खण्ड- जानसठ वर्ष -2021-22

प्रस्तर-07

दिनांक 2.07.2021 को अंकन रू0 1900.00 का पी०एल०ए० को भुगतान किया जाना कोषबहीं में दर्शित है। ग्राम पंचायत में कर की कोई वसूली नहीं हुई है। फिर भी 1900.00 का भुगतान पी०एल०ए० को किया जाना अनियमित है। तथा 1900.00 का व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 1900.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री त्रिरूमवन व सचिव श्री अनुपम से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 15)

प्रस्तर-08

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 28.05.2021 को अंकन रू0 148000.00 का एक आर०ओ० कय किया जाना कोषबही में अंकित किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। तथा आर० ओ० कय किये जाने से पूर्व कोटेशन भी नहीं ली गयी है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 148000.00 की वसूली प्रशासक श्री मुकुटराज व सचिव श्री अनुपम से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 16)

प्रस्तर-09

दिनांक 13.12.2021 को अंकन रू0 5000.00 का व्यय फोटो स्टेट कराने पर व बुकलेट बनावने पर किया जाना कोषबही में दर्शित हैं। फोटो स्टेट व बुकलेट बनवाने का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। तथा किस चीज की फोटो कापी करायी गई लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 5000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री त्रिरूभवन व सचिव श्री अनुपम से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 17)

प्रस्तर-10

दिनांक 09.09.2021 को अंकन रू0 14500.00 का व्यय रेहडा मरम्मत पर किया जाना कोषबही में दर्शित है। रेहडा मरम्मत किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली गयी या नही लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा। रेहडा मरम्मत कराये जाने से पूर्व स्टीमेंट भी नहीं लिया गया है। तथा व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 14500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री त्रिरूभवन व सचिव श्री अनुपम से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 18)

प्रस्तर-11

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 22.09.2021 को रू0 20500.00, 26.09.2021 को 25205.00 6.10. 21 को रू0 15000.00, 16.10.2021 को 18500.00 02.07.2021 को 35000.00, 26.07.2021 को 25000.00 3.08.2021 को 10500.00 18.10.2021 को 3000.00 18.11.2021 को 14500.00 व 01.02.2022 को 25000.00 कुल अंकन रू0 192205.00 का व्यय गॉव की सफाई व सेनेटाइजर व फोगिग, नाला सफाई व सामुदायिक केन्द्र की सफाई व रखरखाव पर किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 192205.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री त्रिरूभवन व सचिव श्री अनुपम से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 19)

4 - ग्राम पंचायत-जटवाड़ा विकास खण्ड- जानसठ वर्ष -2021-22

प्रस्तर-12

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 25.03.2022 को अंकन रू0 10000.00 का भुगतान प्रिया सॉफ्ट हेतु किया गया है। उक्त पुटि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 10000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नवाब अली व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 14)

प्रस्तर-13

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न दिनांको में ग्राम पंचायत में निम्न लिखित निर्माण कार्य कराये गये है। जिन पर अंकन रू0 1182077.00 निर्माण सामग्री व रू0 228500.00 मजदूरी पर कुल व्यय 1410577.00 किया गया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय

1	उपस्वास्थ्य केन्द्र में भवन मरम्मत	142077.00	28600.00	170677.00
2	इन्टरलाक व नाली निर्माण	20563.00	2300.00	22863.00
3	पुलिया निर्माण क्यूम के पास	51882.00	11000.00	62882.00
4	इ०ला० व नाली निर्माण	114023,00	26000.00	140023.00
5	गउशाला में जाली बन्दी	84200.00	15000.00	99200.00
6	चैनर निर्माण विभिन्न स्थानो पर	129849.00	14000.00	143849.00
7	चैनर निर्माण विभिन्न स्थानो पर	129728.00	14000.00	143728.00
8	चैनर निर्माण विभिन्न स्थानो पर	210559.00	22000.00	232559.00
9	जच्चा बच्चा केन्द्र में चार दिवारी	139677.00	54000.00	193677.00
10	इ०लाक व नाली निर्माण	69195.00	21600.00	90795.00
11	इ०लाक व नाली निर्माण	90324.00	20000.00	110324.00

परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है। निर्माण रजिस्टर पर सचिव को छोडकर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही कराये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 1410577.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नवाब अली व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।(सा०आ०सं० 15)

<u>प्रस्तर-14</u>

आलोचय वर्ष 2021-22 में दिनांक 26.10.2021 को अंकन रू0 75000.00 व दिनांक 18.12.2021 को रू0 75000.00 कुल रू0 150000.00 का व्यय वाल पेंटिंग पर किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है। निर्माण रजिस्टर पर कार्य की माप अंकित नही है। निर्माण रजिस्टर पर सचिव को छोडकर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही कराये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 150000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नवाब अली व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 16)

प्रस्तर-15

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 29.04.2021 को 12000.00 व 19950.00 व 31.05.2021 को 21000.00 व 30494.00 गाँव की सफाई व सनेटराइज पर व्यय किये गये है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 83444.00 की वसूली प्रशासक श्री मुकुटराज व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 17)

प्रस्तर-16

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 10.06.21 व 9.08.21 को क्रमशः 16980.00 व 22540.00 हैण्डपम्प मरम्मत तथा विभिन्न दिनांको में 12 स्थानो पर हैण्डपम्म रिबोर पर अंकन रू0 276700.00 सामग्री पर तथा 158700.00 मजदूरी पर कुल 435400.00 का व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित है। इस प्रकार कुल अंकन रू0 474920.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत व हैण्डपम्प रिबोर पर किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। निर्माण रजिस्टर पर निर्माण सामग्री की डिटेल अंकित नहीं की गयी है। निर्माण रजिस्टर पर सचिव को छोडकर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही कराये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 474920.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नवाब अली व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 18)

प्रस्तर-17

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 10.06.2021 को रू0 11800.00, 30.06.2021 को 21000.00 व 36000.00 5.10.21 को रू0 16200.00, 11.10.2021 को 15000.00 27.10.2021 को 18694.00, 18.10.2021 को 21000.00 20.10.2021 को 36494.00 व 15000.00 9.02.2022 को 16200.00 18.02.2022 को 11800.00 व 10200.00 व 25.03.2022 को 43200.00 कुल अंकन रू0 272588.00 का व्यय सफाई व सेनेटाइजर व फोगिग पर किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 272588.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नवाब अली व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 19)

5- ग्राम पंचायत-निजामपुर विकास खण्ड- जानसठ वर्ष -2021-22

प्रस्तर-18

(1) आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 30.04.2021 को अंकन रू0 60000.00 07.05.2021 को 28250.00 का व्यय निर्वाचन हेतु किया जाना कोषबडी में अंकित किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल को अध्याय के खण्ड के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त धनराशि अंकन रु0 88250.00 की वसूली प्रशासक श्री मुकुटराज व सचिव श्री अनुपम से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 11)

प्रस्तर-19

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 07.05.2021 को अंकन रू0 148000.00 व 148000.00 के दो आर०ओ० क्रय किया जाना कोषबही में अंकित किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। तथा आर० ओ० क्रय किये जाने से पूर्व कोटेशन भी नहीं ली गयी है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू० 296000.00 की वसूली प्रशासक श्री मुकुटराज व सचिव श्री अनुपम से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 10)

प्रस्तर-20

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 30.04.2021 व 24.05.2021 को हैण्डपम्प मरम्मत पर कमशः 45000.00 व 25250.00 कुल अंकन रू0 70250.00 का व्यय किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेट हैण्डपम्प खराब होने की रिर्पोट व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। निर्माण रजिस्टर पर क्रय की गई निर्माण सामग्री की डिटेल अंकित नहीं की गयी है। तथा निर्माण रजिस्टर पर सचिव को छोडकर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 70250.00 की वसूली प्रशासक श्री मुकुटराज व सचिव श्री अनुपम से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 12)

6- ग्राम पंचायत-नगली महासिंह विकास खण्ड- जानसठ वर्ष -2021-22

प्रस्तर-21

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 02.07.2021 को रु० 15000.00, 03.07.2021 को 28000.00 व 26.07.21 को रू0 26500.00, 09.08.2021 को 20500.00, 16.10.2021 को 24500.00, 22.10.2021 को 8500.00 18.11.2021 को 20500.00 05.01.2022 को 20500.00 09.02.2022 को 10000.00 व 27.03.2022 को 10000.00 कुल अंकन रू0 184000.00 का व्यय सफाई व सेनेटाइजर व फोगिंग पर किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रु० 184000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विपुल कुमार व सचिव श्री अनुपम से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 12)

प्रस्तर-22

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 03.07.2021 को अंकन रू० 5000.00 व 17.01.2022 को 6000.00 व दि० 03.07.2021 को रू0 2000.00 कुल अंकन रु० 13000.00 का व्यय डोगल बनवाने हेतु कोषबही में अंकित किया गया है। परन्तु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 13000.00 की वसूली श्री विपुल कुमार ग्राम प्रधान व सचिव श्री अनुपम से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 09)

प्रस्तर-23

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 24.01.2022 को अंकन रू0 20000.00 व 09.02.2022 को 10000.00 व 4000.00 कुल अंकन सं० 34000.00 का व्यय चुनाव हेतु बूथ पर किया जाना कोषबही में अंकित किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 34000.00 की वसूली श्री विपुल कुमार ग्राम प्रधान व सचिव श्री अनुपम से मय व्याज की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 13)

प्रस्तर-24

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 07.05.2021 को हैण्डपम्प रिबोर पर अंकन रू0 48298.00 व 32000.00 कुल रू0 80298.00 तथा दिनांक 30.04.2021 को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर रू0 50275.00 कुल अंकन रू0 130573.00 का व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट, हैण्डपम्प खराब होने की रिर्पोट व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा नरीक्षा में प्रस्तुते नहीं किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 130573.00 की वसूली प्रशासक श्री मुकुटराज व सचिव श्री अनुपम से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 10)

प्रस्तर-25

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 07.05.2021 को रू0 51275.00 व 15250.00 गाँव के सैनेटाइजर व 24.05.21 को रू0 40000.00 का व्यय गाँव की सफाई पर इस प्रकार कुल अंकन रू0 106525.00 का व्यय दिया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 106525.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मुकुटराज प्रशासक व सचिव श्री अनुपम से मय व्याज की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 11)

7- ग्राम पंचायत-रसूलपुर विकास खण्ड- जानसठ वर्ष -2021-22

प्रस्तर-26

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 25.03.2022 को अंकन रू0 10000.00 का भुगतान प्रिया साफ्ट हेतु किया गया है। उक्त की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 10000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सन्नो व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर-27

दिनांक 06.09.2021 को अंकन रू0 1900.00 का पी०एल०ए० को भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित है। ग्राम पंचायत में कर की कोई वसूली नही हुई है। फिर भी 1900.00 का भुगतान पी०एल०ए० को किया जाना अनियमित है। तथा 1900.00 का व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 1900.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सन्नो व सचिव श्री पंकजपाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर-28

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 21.05.2021 को 10500.00 व 3500.00 का व्यय निवाचन हेतु किया गया है। तथा दिनांक 21.05.2021 को अंकन रू0 30494.00 व 13500.00 का व्यय गॉव की सफाई व सेनेटाइजर पर किया गया है। इस प्रकार अंकन रू0 57994.00 का व्यय किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय प्रमाणक व मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू० 57994.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मुकुटराज प्रशासक व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 17)

प्रस्तर-29

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 07.07.2021 व 25.03.23 को हैण्डपम्प मरम्मत पर कमशः 25630.00 सामग्री व 5000.00 मजदूरी व 15410.00 सामग्री व 3000.00 मजदूरी पर कुल अंकन रू0 49040.00 का व्यय किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है। निर्माण रजिस्टर पर निर्माण सामग्री की डिटेल अंकित नही की गयी है। निर्माण रजिस्टर पर सचिव को छोडकर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही कराये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यो की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 49040.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति रेशमा परवीन व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 19)

प्रस्तर-30

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 25.07.2021 को अंकन रु० 135000.00 व दिनांक 07.10.2021 को 135000.00 कुल अंकन रू0 270000.00 का व्यय दो आर०ओ० क्रय किया जाना कोषबही में अंकित किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। तथा आर० ओ० क्रय किए जाने से पूर्व कोटेशन भी नहीं ली गयी है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 270000.00 की वसूली श्रीमति रेशमा परवीन ग्राम प्रधान व सचिव श्री पंकजपाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 20)

प्रस्तर-31

आलोचय वर्ष 2021-22 में दिनांक 30.09.2021 को अंकन रू0 33000.00 व दिनांक 16.03.2022 को रू0 33000.00 कुल रू0 66000.00 का व्यय वाल पेंटिग पर किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। निर्माण रजिस्टर पर कार्य की माप अंकित नही है। निर्माण रजिस्टर पर सचिव को छोडकर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही कराये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 66000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नवाब अली व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 13)

प्रस्तर-32

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 06.07.2021 को रू0 27000.00, 27.07.2021 को 30000.00 व 02.09.21 को रू0 19500.00, 24.10.2021 को 22500.00 व रू0 18694.00, 08.01.2022 को 31500.00, व 13.03.2022 को 27000.00 व 33000.00 कुल अंकन रू0 209194.00 का व्यय सफाई व सेनेटाइजर व फोगिग पर किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यो की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 209194.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सन्नो व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर-33

दिनांक 13.07.2021 को ग्राम पंचायत से जे०सी०बी० मशीन से कूडा उठवाई पर अंकन रू0 49425.00 का व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित है। जे०सी०बी० से कूडा उठवाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली गई या नही लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है। जिसके कारण

कराये गये कार्यों की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 49425.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सन्नो व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 16)

<u>प्रस्तर-34</u>

आलोच्यं वर्ष 2021-22 में गॉव में विभिन्न रास्तो पर मिटठी भराव का कार्य किये जाने पर कुल अंकन रू0 210550.00 का व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

दिनांक	स्थान	धनराशि
30.09.2021	मौ०अली के मकान से साबान के मकान तक	8700.00
30.09.2021	श्यामुदीन से मेन सडक तक	52200.00
22.11.2021	इम्तियाज के मकान से मेन सडक तक	33750.00
22.11.2021	श्यामूदीन के मकान से इम्तियाज के मकान तक	12500.00
13.03.2022	शेरअली के मकान से अख्तर के मकान तक	44000.00
13.03.2022	जफरू के मकान से मेन रास्ते तक	59400.00

उक्त मिटठी भराव को निर्माण रजिस्टर में अंकित नही किया गया है। जिस कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त रास्तो की लम्बाई व चौडाई कितनी थी, तथा मिटठी का भराव कितने फुट किया गया। क्या ये रास्ते कच्चे ही थें या खडंजा लगा हुआ था। लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा तथा मिटठी भराव के बाद ये रास्ते कच्चे ही छोड दिये गये । परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते स्तुत नही किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यो की पुष्टि हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 210550.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सन्नो व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 18)

<u>प्रस्तर-35</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न दिनांको में ग्राम पंचायत में निम्न लिखित निर्माण कार्य कराये गये है। जिन पर अंकन रू0 923336.00 निर्माण सामग्री व रू0 150000.00 मजदूरी पर कुल व्यय 1073336.00 किया गया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
1-उपस्वास्थ्य केन्द्र में चारदिवारी	93396.00	30600.00	123996.00
2-प्रा०स्वा०केन्द्र में टाइल कार्य	173064.00	18000.00	191064.00

3-प्रा०स्वा०केन्द्र मे टाईल्स व विद्युतीकरण	148193.00	8000.00	156193.00
4-प्रा०स्वा०केन्द्र में इ०लाक	43707.00	8000.00	51707.00
5-इ०लाक व नाली निर्माण	13804.00	2600.00	16404.00
6-प्रा०स्वा०केन्द्र में गेट निर्माण	81774.00	5000.00	86774.00
7-नाली व स्लैब निर्माण	106297.00	22600.00	128897.00
8-एल टाईप नाली निर्माण	6687.00	1300.00	7987.00
9-पुलिया निर्माण	43099.00	5300.00	48399.00
10-एल टाईप नाली निर्माण	68592.00	15600.00	84192.00
11-एल टाईप नाली निर्माण	21631.00	5000.00	26631.00
12-एल टाईप नाली निर्माण	123092.00	28000.00	151092.00

परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक व मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। निर्माण रजिस्टर पर सचिव को छोडकर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यो की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 1073336.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सन्नो व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 21)

8- ग्राम पंचायत-मुझेड़ा सादात विकास खण्ड- जानसठ वर्ष -2021-22

प्रस्तर-36

दिनांक 30.06.2021 को अंकन रू0 1900.00 का पी०एल०ए० को भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित है। ग्राम पंचायत में कर की कोई वसूली नहीं हुई है। फिर भी 1900.00 का भुगतान पी०एल०ए० को किया जाना अनियमित है। तथा 1900.00 का व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 1900.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति रेशमा परवीन व सचिव श्री पंकजपाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर-37

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 29.04.2021 को 15500.00 व 7000.00 का व्यय निर्वाचन हेतु किया गया है। तथा दिनांक 29.04.2021 को अंकन रू0 21000.00 व 41850.00 व दिनांक 13.05.2021 को 24000.00 व 49188.00 का व्यय गाँव की सफाई व सेनेटाइजर पर किया गया है। इस प्रकार अंकन रू0 158538.00 का व्यय किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, व्यय प्रमाणक व मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पृष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 158538.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मुकुटराज प्रशासक व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 16)

<u>प्रस्तर-38</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 07.07.2021 को अंकन रू0 135000.00 व 135000.00 व दिनांक 03.08.2021 को 135000.00 व 135000.00 व दिनांक 09.08.2021 को 135000.00 व 11.08.2021 को 135000.00 व 29.09.2021 को 135520.00 व 135520.00 व दिनांक 7.10.2021 को 135520.00 कुल अंकन रू० 1216560.00 का व्यय नों आर०ओ० क्रय किया जाना कोषबही में अंकित किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है। तथा आर० ओ० क्रय किये जाने से पूर्व कोटेशन भी नही ली गयी है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 1216560.00 की वसूली श्रीमति रेशमा परवीन ग्राम प्रधान व सचिव श्री पंकजपाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 17)

<u>प्रस्तर-39</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 14.06.21 व 8.09.21 व 5.01.2022 को हैण्डपम्प मरम्मत पर कमशः 35175.00 सामग्री व 9000.00 मजदूरी व 20030.00 सामग्री व 4000.00 मजदूरी व 25590.00 सामग्री व 5000.00 मजदूरी व 25780.00 सामग्री व 5000.00 मजदूरी पर कुल अंकन रू0 129575.00 का व्यय किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। निर्माण रजिस्टर पर निर्माण सामग्री की डिटेल अंकित नहीं की गयी है। निर्माण रजिस्टर पर सचिव को छोडकर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही कराये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नही होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के खण्ड के अंतर्गत गबन मानते हुए धनराशि अंकन रु0 129575.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति रेशमा परवीन व सचिव श्री पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 18)

<u>प्रस्तर-40</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 14.06.2021 को रु० 40500.00 15.06.2021 को 39000.00 व 13.10.21 को रु० 34500.00, 27.10.2021 को 49500.00, 07.11.2021 को 22500.00, 26.12.2021 को 10800.00, 05.01.2022 को 63000.00, 25.02.2022 को 15000.00, 02.02.2022 को 15000.00, 28.08.2021 को 30000.00, 07.10.2021 को 30000.00, 25.02.2022 को 36000.00, 20.11.2021 को 11800.00, 05.01.2022 को 39000.00 व 30.06.2021 को 36000.00 कुल अकन रू० 472600.00 का व्यय सफाई व सेनेटाइजर व फोगिग व नाला सफाई व सामुदायिक की सफाई रखरखाव पर किया गया है । परंतु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन का० 472600.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति रेशमा परवीन व सचिव श्री
पंकज पाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 19)

<u>प्रस्तर-41</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 20.10.2021 को अंकन रू0 107010.00 व दिनांक 20.11.2021 को 109200.00 व 109200.00 व दिनांक 02.02.2022 को 90860.00 व 15.02.2022 को 116820.00 व 25.02.2022 को 113575.00 व 45430.00 कुल अंकन रू0 692095.00 का व्यय 202 स्ट्रीट लाईट कय किया जाना कोषबही व निर्माण रजिस्टर में अंकित किया गया है। निर्माण रजिस्टर पर सचिव को छोडकर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी को स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। तथा स्ट्रीट लाईट क्रय किये जाने से पूर्व कोटेशन भी नहीं ली गयी है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रू0 692095.00 की वसूली श्रीमति रेशमा परवीन ग्राम प्रधान व सचिव श्री पंकजपाल से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 20)

<u>प्रस्तर-42</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 20.06.2021 को अंकन स० 135000.00, 135000.00 व दिनांक 12.07.2021 को 135000.00 व 135000.00 व दिनांक 15.07.2021 को 135000.00 व 18.07.2021 को 135000.00 व 02.02.2022 को 110000.00 कुल अंकन रू० 920000.00 का व्यय 07 हाई मास्क लाईट क्रय किया जाना कोषबही व निर्माण रजिस्टर में अंकित किया गया है। निर्माण रजिस्टर पर सचिव को छोडकर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। तथा हाई मारक लाईट कय किये जाने से पूर्व कोर्टेशन भी नहीं ली गयी है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि अंकन रूह 920000.00 की वसूली श्रीमति रेशमा परवीन ग्राम प्रधान व सचिव श्री पंकजपाल से गय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 21)

प्रस्तर-43

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 08.01.2022 को 63000.00 का कार्यालय हेतु एक कम्प्यूटर क्रय किया जाना कोषबही में अंकित किया गया है। परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। तथा कम्प्यूटर क्रय किये जाने से पूर्व कोटेशन भी नही ली गयी है। जो आवश्यक है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्ययं धनराशि अंकन रू0 63000.00 की वसूली श्रीमति रेशमा परवीन ग्राम प्रधान व सचिव श्री पंकजपाल से मय ब्याज की 'जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 22)

प्रस्तर-44

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न दिनांको में ग्राम पंचायत में निम्न लिखित निर्माण कार्य कराये गये है। जिन पर अंकन रू० 1560918.00 निर्माण सामग्री व रू0 311000.00 मजदूरी पर कुल व्यय 1871918.00 किया गया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
1-उपस्वास्थ्य केन्द्र में चारदिवारी	73985.00	00	73985.00
2-नाला निर्माण स्कूल से मेन रोड तक	155951.00	36000.00	191951.00
3-प्रा०स्वा० केन्द्र में इ०लाक	188219.00	32000.00	220219.00
4-नाला निर्माण	171426.00	34800.00	206226.00
5-नाला निर्माण हाजी हसन से सिकन्दर	174967.00	35200.00	210167.00
6-नाला निर्माण प्रा०वि०से सुक्कू	174039.00	38000.00	212039.00
7-नाली निर्माण मदस्से से मेनरोड	40766.00	13000.00	53766.00
8-इ0ला0 वनाली निर्माण आशु से मिस्त्री	185914.00	43000.00	228914.00
9-नाला निर्माण काजी साहब से यूनूस	202281.00	41000.00	243281.00
10-इ0 लाक इकलाख से नन्हे	193370.00	38000.00	231370.00

परन्तु व्यय किये जाने से पूर्व कार्ययोजना स्टीमेंट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। निर्माण रजिस्टर पर सचिव को छोडकर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये है। जिसके कारण कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन मानते हुये उक्त व्यय धनराशि

अंकन रु0 1871918.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति रेशमा परवीन व सचिव श्री पंकज पाल से मय व्याज की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं॰ 23)

9-**<u>ग्राम पंचायत-मंसूरपुर विकास खण्ड- खतौली वर्ष -2021-22</u>**

<u>प्रस्तर- 45</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 04.05.2021 को अंकन रू0 10,000.00 का भुगतान प्रियासाफ्ट फीडिंग हेतु किया गया है। परन्तु उक्त भुगतान की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये है। अतः वित्त एवम लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ0प्र0 के अध्याय-8 नियम-8(क) के अंतर्गत व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि अंकन रू0 10,000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम सचिव श्री विजय शेखर एंव प्रशासक श्री योगेश्वर दत्त त्यागी से की जानी आपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-01)

<u>प्रस्तर- 46</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 20.10.2021 को अंकन रू0 20,000.00 दिनांक 22.10.2021 को अंकन रू0 86,000.00 दिनांक 13.12.2021 को अंकन रू0 40,000.00 दिनांक 17.02.2022 को अंकन रू0 21,000.00 तथा दिनांक 20.03.2022 को अंकन रू0 15,000.00 कुल अंकन रू0 1,82,000.00 का व्यय सफाई तथा फॉगिंग पर किया गया है परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि मे कार्ययोजना, स्टीमेट, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, मस्टररोल व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये है। निर्माण रजिस्टर पर कार्य की माप तथा प्रयुक्त सामग्री का विवरण नही दिया गया है जिसके कारण कराये गये कार्य की पुष्टि नही होती है अतः वित्त एंव लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ0प्र0 के अध्याय-8 नियम-8(क) के अन्र्तगत गबन मानते हुए उक्त धनराशि अंकन रू0 1,82,000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान जोया एंव सचिव श्री विजय शेखर से मयब्याज की जानी आपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-02)

<u>प्रस्तर-47</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में कुल अंकन रू0 3,92,000.00 का व्यय कोषबही मे दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

दिनांक	कार्य का विवरण	आहरित धनराशि
09.05.2021	हैण्डपम्प मरम्मत,सैनेटाइजर,आइसोलेशन वार्ड	52,000.00
11.05.2021	हैण्डपम्प मरम्मत,सैनेटाइजर,आइसोलेशन वार्ड	60,000.00
22.05.2021	हैण्डपम्प मरम्मत,सैनेटाइजर,आइसोलेशन वार्ड	1,40,000.00
09.05.2021	सैनेटाइजर, फॉगिंग,हैण्डपम्प मरम्मत,लाईट मरम्मत	1,40,000.00

उक्त व्यय की पुष्टि मे कार्ययोजना,क्रय सामग्री के बिल,स्टीमेट,एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये है। निर्माण रजिस्टर अपूर्ण होने के कारण यह स्पष्ट नही हो पाया है कि उपर्युक्त कार्यो मे किस मद पर कुल कितना भुगतान किया गया जिसके कारण कराये गये कार्य की पुष्टि नही होती है अतः वित्त एंव लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ0प्र0 के अध्याय-8 नियम-8(क) के अन्र्तगत गबन मानते हुए उक्त धनराशि अंकन

रू0 3,92,000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम सचिव श्री विजय शेखर एंव प्रशासक श्री योगेश्वर दत्त त्यागी से मयब्याज की जानी आपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-26)

<u>प्रस्तर-48</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न दिनांको में ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित कार्य कराये गये है जिनपर कुल अंकन रू0 43,32,000.00 का व्यय कोषबही मे कोषांकित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

दिनांक	कार्य का विवरण	आहरित धनराशि
17.04.2021	प्रा0 स्कूल मे इन्टरलॉकिंग ,टाइल्स,शौचालय मरम्मत	3,10,000.00
23.04.2021	प्रा0 स्कूल मे इन्टरलॉकिंग ,टाइल्स,शौचालय मरम्मत	1,00,000.00
25.04.2021	प्रा0 स्कूल मे इन्टरलॉकिंग ,टाइल्स,शौचालय मरम्मत	3,10,000.00
01.05.2021	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य रविन्द्र से मैन रास्ते तक	2,40,000.00
01.05.2021	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य दौलतपुर रोहताश वाली गली मे	2,15,000.00
29.09.2021	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मैन रोड पर सडक के किनारे	5,67,000.00
29.09.2021	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	2,40,000.00
29.09.2021	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	2,40,000.00
29.09.2021	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	50,000.00
29.09.2021	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	2,85,000.00
29.09.2021	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	2,85,000.00
29.09.2021	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	1,50,000.00
29.09.2021	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	3,00,000.00
29.09.2021	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	2,00,000.00
17.02.2022	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	2,00,000.00
17.02.2022	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	2,50,000.00
17.02.2022	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	1,00,000.00
17.02.2022	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	1,30,000.00
17.02.2022	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य मण्डी से काले क्रेशर तक	1,60,000.00

परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि मे कार्ययोजना,क्रय सामग्री,स्टीमेट,एम0बी0,तकनीकी एंव प्रशासनिक स्वीकृति,व्यय प्रमाणक,स्टाक रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही कराये गये है। निर्माण रजिस्टर अपूर्ण होने के कारण क्रय सामग्री की धनराशि तथा क्वानटिटि,मजदूरी की धनराशि,कार्य की माप,भुगतान किसके पक्ष मे किया गया आदि की पुष्टि नही हो सकी है।इस प्रकार किया गया कुल व्यय अंकन रू0 43,32,000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम सचिव श्री विजय शेखर एंव प्रधान श्रीमति जोया से मयब्याज की जानी आपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-27)

10-**ग्राम पंचायत-अन्तवाड़ा विकास खण्ड- खतौली वर्ष -2021-22**

प्रस्तर-49

ग्राम पंचायतो के वित एंव लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ0प्र0 के अध्याय 8 नियम 8(क) के अंतर्गत दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मे कोई वाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सचिव तथा ग्राम प्रधान से किये जाने का प्रावधान है। आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत अन्तवाडा मे अंकन रू0 24,86,676.10 (बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार) आहरित किये गये है जिसके सापेक्ष का कोई भी व्यय प्रमाणक मांग किये जाने के पश्चात भी उपलब्ध नही कराये गए है।

साथ ही ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-कोषबही, निर्माणबही,कार्यवाही रजिस्टर,मास्टर रोल,माप-पुस्तिका,प्राक्कलन पुस्तिका तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध नही कराये गये है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध आनलाइन कैश बुक का मिलान ग्राम सचिव की मैनुअल कैश्बुक अनुपलब्ध रहने के कारण नही हो पाया है अतः आलोच्य वर्ष मे व्यय की गयी कुल धनराशि रू0-24,86,676.10 अपुष्ट रही। अतः उपरोक्त नियम 8 (क) के प्रावधानुसार व्यय धनराशि रू0-24,86,676.10 की वसूली तत्कालीन ग्राम सचिव श्री विजय शेखर व ग्राम प्रधान श्री दिग्विजय कीर्तिमान से नियमानुसार की जानी आपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

11-ग्राम पंचायत-खानुपूर विकास खण्ड- खतौली वर्ष -2021-22

प्रस्तर-50

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 09.08.2021, 25.08.2021, 12.03.2022 को क्रमांश अंकन रू0 20000.00, 20000.00, 20000.00 कुल रू0 60000.00 का आहरण सफाई कार्य हेतु कोषबही मे कोषांकित किया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि मे कार्ययोजना, मस्टररोल, तकनीकी एंव वित्तिय स्वीकृति,बिल बाउचर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गए है निर्माण रजिस्टर पर कार्य की माप अंकित नही की गयी है जिसके कारण कराये गए कार्य की पुष्टि नही होती है अतः वित्त एंव लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ0प्र0 के अध्याय-8 नियम-8(क) के अंतर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि अंकन रू0 60000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम सचिव श्री किरणपाल व ग्राम प्रधान श्री राजीवपाल से मयब्याज की जानी आपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर-51

आलोच्य वर्ष 2021-22 मे दिनांक 14.10.2021 को अंकन रू0 18350.00 का आहरण हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कोषबही मे दर्शाया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि मे कार्ययोजना,मस्टररोल,तकनीकी/ वितीय स्वीकृति,व्यय प्रमाणक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये है जिसके कारण कराये गये कार्य की पुष्टि नही होती है अतः वित्त एंव लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ0प्र0 के अध्याय-8 नियम-8(क) के अंतर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि अंकन रू0 18350.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम सचिव श्री किरणपाल व ग्राम प्रधान श्री राजीवपाल से मयब्याज की जानी आपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-02)

12**- ग्राम पंचायत-शेरपुर विकास खण्ड- पुरकाजी वर्ष -2021-22**

प्रस्तर-52

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत शेरपुर के वर्ष 2021-22 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पचायत की आय-व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शुन्य रही है किन्तु उपलब्ध कराये गए बैंक स्टेटमेंट खाता स० 0819000100913772 राज्य वित्त व 0819000100971280 केन्द्रीय वित्त, से मालूम हुआ कि वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा रु० 1752340.00 की धनराशि व्यय की गयी है। चूंकि वर्ष में व्यय धनराशी अकन रु० 1752340.00 के सापेक्ष, बार बार मांगे जाने के उपरान्त भी, कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए है जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित है, जो पचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय 8 बिंदु (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है। अतः समस्त व्यव प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिक्य, कैशबुक, बैंक पासबुक, निर्माण रजि०, स्टाक रजि०, कार्य योजना, माप पुस्तिका, एस्टीमेट, मानचित्र, तकनिकि एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदि-आदि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जाए अन्यथा अभिलेखों के आभाव में व्यय अंकन रु० 1752340.00 को अपहरण मानते हुए इस धनराशि में से रु० 216317.00 की वसूली, ब्याज सहित, श्री रुपेश कुमार पंचायत सचिव एवं प्रशासक श्री ओमवीर से आधी आधी व रु० 1536023.00 की वसूली ब्याज सहित, श्री कुलवत पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान श्रीमति सतोष से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

13**- ग्राम पंचायत-फलोदा विकास खण्ड- पुरकाजी वर्ष -2021-22**

प्रस्तर-53

ग्राम पंचायत फलोदा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्तियां प्रकाश में आई-

(1) हैण्ड पंप मरम्मत/रेबोर कार्य-

क्र०	कैश बुक में अंकित दिनांक एवं प्रमाणक सं०	धनराशि	व्यय का विवरण
1	7/5/21-3	9000.00	हैण्ड पंप मरम्मत
2	24/5/21-12	18600.00	हैण्ड पंप मरम्मत
3	24/5/21-17	18000.00	हैण्ड पंप मरम्मत
4	3/7/21-20	64000.00	हैण्ड पंप रिबोर
5	26/7/21-27	40000.00	हैण्ड पंप रिबोर
6	27/9/21-52	23500.00	हैण्ड पंप रिबोर
	योग-	173100.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक/बिल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे है। उक्त कार्य किस आधार पर किसके अनुरोध पर किस किस स्थान पर कराये गए से सम्बंधित कोई विवरण नहीं पाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि मात्र व्यय दर्शाने हेतु कागजी खाना-पूर्ति की गयी है और वास्तविक कार्य कराया ही नहीं गया

है। अतः उपरोक्त अपुष्ट धनराशी रु० 173100.00 में से रु० 45600.00 की वसूली ब्याज सहित श्री ओमबीर प्रशासक, श्री विष्णुदत्त पंचायत सचिव व रु० 127500.00 की वसूली ब्याज सहित श्री विष्णुदत्त पंचायत सचिव व श्री संतलाल ग्राम प्रधान से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-01)

<u>प्रस्तर-54</u>

(ii)- इ-रिक्शा पर व्यय-

क्र०	कैश बुक में अंकित दिनांक एवं प्रमाणक सं०	धनराशि	व्यय का विवरण
1	24/5/21-15	198700.00	ई-रिक्शा क्रय
2	3/7/21-23	20000.00	ई-रिक्शा मरम्मत
3	4/1/22-70	15000.00	ई-रिक्शा मरम्मत
	योग-	233700.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक/बिल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे है। कैश बुक अनुसार उक्त ई रिक्शा दिनांक 24-5-21 में क्रय की गयी है जिसपर नियमानुसार कम्पनी द्वारा कुछ न कुछ गारंटी अवस्य दी होगी किन्तु मात्र 2 महीने से भी कम समय के अन्दर मरम्मत पर रु० 20000.00 और फिर लगभग 6 महीने के बाद फिर से रु० 15000.00 व्यय करने का औचित्य स्पष्ट न हो सका । सचिव द्वारा भी इस बिंदु पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि या तो जानबूझ कर सबस्टैण्डर्ड माल खरीदा या मात्र कागजी खाना पूर्ति कर राजस्व की हानि पहुंचाई गयी है । उपरोक्त धनराशी रु० 233700.00 में से रु० 198700.00 के लिए श्री ओमबीर प्रशासक, व श्री विष्णुदत्त पंचायत सचिव व रु० 35000.00 के लिये श्री विष्णुदत्त पंचायत सचिव व श्री संतलाल ग्राम प्रधान जिम्मेदार है अतः इन धनराशियों के वसूली ब्याज सहित उपरोक्तानुसार की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-02)

<u>प्रस्तर-55</u>

वाटर आर0ओ0 / एल0इ0डी0 एवं सोलर लाइट क्रय/मरम्मत-

क्र०	कैश बुक में अंकित दिनांक एवं प्रमाणक स०	धनराशि	व्यय का विवरण
1	7/5/21-8	35000.00	एल0इ0डी0 लाइट क्रय
2	7/8/21-36	22000.00	एल0इ0डी0 लाइट मरम्मत
3	2/9/21-40	90000.00	एल0इ0डी0 लाइट क्रय
4	7/9/21-41	60000.00	एल0इ0डी0 लाइट क्रय

5	7/5/21-10	31600.00	सोलर लाइट क्रय
6	10/1/22-77	31600.00	सोलर लाइट क्रय
7	26/7/21-31 29/7/21-33	299200.00	वाटर आर0ओ0 क्रय
8	29/7/21-55	6000.00	वाटर आर0ओ0 मरम्मत
	योग	575400.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक/बिल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे है। जिनके आभाव में उक्त माल से संबधित कोई भी जानकारी न हो सकी कि उक्त माल किन शर्तों पर किस से क्रय किया गया है। शासन की मंशा अनुसार इस प्रकार का समस्त माल जेम पोर्टल से ही क्रय किया जाना चाहिए | बिल / प्रमाणक के आभाव में उक्त समस्त धनराशी अपुष्ट रही है | अतः रु० 575400.00 में से रु० 66600.00 की वसूली ब्याज सहित श्री ओमबीर प्रशासक, श्री विष्णुदत्त पंचायत सचिव व रु० 508800.00 की वसूली ब्याज सहित श्री विष्णुदत्त पंचायत सचिव व श्री संतलाल ग्राम प्रधान से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-03)

14 - ग्राम पंचायत-न्यामू विकास खण्ड- चरथावल वर्ष -2021-22

प्रस्तर-56

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत न्यामू के वर्ष 2021-22 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पंचायत की आय व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शुन्य रही है किन्तु उपल्ब्ध कराये गए बैंक स्टेटमेट खाता स० 4856000100106151 राज्य वित्त व 4856000100166320 केन्द्रीय वित्त, से मालूम हुआ कि वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत की रु० 3402270.00 की धनराशि प्राप्त हुई है और रु० 2953619.20 की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। चूंकि वर्ष में व्यय धनराशी अकन रु 2953619.20 के सापेक्ष, बार बार मांगे जाने के उपरान्त भी, कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए है जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित है, जी पंचायत लेखा मैन्युअल वित्ल के अध्याय 8 बिंदु 8(क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका, प्रस्ताव पुस्तिका केशबुक, बैंक पासबुक निर्माण रजि०, स्टाक रजि० कार्य योजना, माप पुस्तिका एस्टीगेट, मानचित्र, तकनिकि एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदि-आदि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर जाप एव पुष्टि कराई जाए अन्यथा अभिलेखों के आभाव में व्यय अकन रु० 2953619.20 को अपहरण मानते हुए इस धनराशि में से रु० 81023.00 की वसूली व्याज सहित श्री कुलवत पंचायत सचिव एवं प्रशासक श्री राजेंद्र कुमार से आधी-आधी व रु० 2872596.20 की वसूली, ब्याज सहित. श्री कुलवत पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान श्री कुशलपाल से आधी आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-01)

15 - ग्राम पंचायत-पावटी विकास खण्ड- चरथावल वर्ष -2021-22

प्रस्तर-57

ग्राम पंचायत पावटी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्तियां प्रकाश में आई-

(1) हैण्ड पंप मरम्मत/रबोर कार्य-

क्र0	कैश बैंक में अंकित दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण
1	28-4-21	24500.00	हैण्ड पम्प रिबोर
2	28-4-21	20000.00	हैण्ड पम्प रिबोर
3	28-4-21	22400.00	हैण्ड पम्प रिबोर
4	28-4-21	2400.00	हैण्ड पम्प मरम्मत
5	24-5-21	17600.00	हैण्ड पम्प मरम्मत
6	24-5-21	15300.00	हैण्ड पम्प मरम्मत
7	9-11-21	99350.00	हैण्ड पम्प रिबोर
8	9-11-21	112500.00	हैण्ड पम्प रिबोर
9	22-12-21	22500.00	हैण्ड पम्प रिबोर
10	22-12-21	20500.00	हैण्ड पम्प रिबोर
	योग-	357050.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक बिल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे है। उक्त कार्य किस आधार पर किसके अनुरोध पर किस किस स्थान पर कराये गए से सम्बंधित कोई विवरण नहीं पाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि मात्र व्यय दर्शाने हेतु कागजी खाना-पूर्ति की गयी है और वास्तविक कार्य कराया ही नहीं गया है। अतः उपरोक्त अपुष्ट धनराशी रु० 357050.00 को अपहरण मानते हुए इस धनराशि में से रु० 102200.00 की वसूली ब्याज सहित, श्री अनंगपाल पंचायत सचिव एवं प्रशासक श्री राजेंद्र कुमार से आधी-आधी व रु० 254850.00 की वसूली, ब्याज सहित, श्री अनंगपाल पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान श्री अजित सिंह ब्याज सहित आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

(II)- ए एन एम् केंद्र पर व्यय-

क्र०	कैश बुक में अंकित दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण
1	6-7-21	26600.00	टाइल कार्य
2	6-7-21	20010.00	टाइल कार्य
3	6-7-21	21420.00	टाइल कार्य
4	6-7-21	130650.00	टाइल कार्य

5	6-7-21	40000.00	लेबर
6	6-7-21	60375.00	सी सी कार्य
7	6-7-21	66335.00	सी सी कार्य
8	6-7-21	54914.00	सी सी कार्य
9	22-7-21	48400.00	सी सी लेबर
10	22-7-21	1680.00	पोलीथिन
11	22-7-21	168500.00	बिजली व सेनिटरी
12	23-7-21	75900.00	बिजली व सेनिटरी
13	10-11-21	36104.00	गेट लगवाया
	योग-	750888.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक/बिल, कार्य का प्रस्ताव, प्रशसनिक व तकनिकी स्वीकृति, मानचित्र व एस्टीमेट लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे हैं। उक्त आभाव में उक्त कार्य से संबधित कोई भी जानकारी न हो सकी। नियमानुसार इस कार्य के लिये टेंडर प्रणाली को अपनाना चाहिए था किन्तु एसा न कर ग्राम प्रधान व सचिव ने मिलीभगत कर नियमो के विरुद्ध कार्य किया है। बिल / प्रमाणक व अन्य स्वीकृतियों के आभाव में उक्त समस्त धनराशी अपुष्ट रही है। अतः रु० 750888.00 की वसूली ब्याज सहित श्री अनंगपाल पंचायत सचिव व श्री अजीत ग्राम प्रधान से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-01)

16- ग्राम पंचायत- साँझक विकास खण्ड- बघरा वर्ष -2021-22

प्रस्तर-58

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 25.03.22 को राज्य वित्त द्वारा दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक प्रधान मानदेय का भुगतान रूपये 20000.00 किया गया। जबकि माह दिसम्बर का प्रधान मानदेय भुगतान रू0 5000.00 किया गया। जबकि माह दिसम्बर में मानदेय रू0 3500.00 दिया जाना चाहिया था। अतः रू0 1500.00 दिसम्बर माह में अधिक भुगतान किया गया, जो कि शासनादेश संख्या 3/2010/3038/337-2010 दिनांक 22.11.16 के अनुसार अनियमित है, जिसकी वसूली रूपये 1500.00 तत्कालीन प्रधान लुकमान चौधरी एवं सचिव फिरोज चन्द्रा से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-5)

17- ग्राम पंचायत- लोई विकास खण्ड- बुढ़ाना वर्ष -2021-22

प्रस्तर-59

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 09.05.2021 को वा0न0 5वां राज्य वित्त आयोग /2021-22/ पी /1 से निम्नलिखित मदों पर भुगतान दर्शित है।

क्रमांक	धनराशि	कुल कार्य
1	25000.00	चैनर निर्माण
2	45000.00	सैनेटाइजर
3	134000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
कुल योग	204000.00	

उपरोक्त सभी कार्य एक ही वर्क आई.डी. पर कराए गए है, जो नियम विरूद्ध है। प्रत्येक अलग कार्य के लिए एक ही वर्क आई.डी. बनानी चाहिए। साथ ही उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा पर उपलब्ध नही कराए गये है। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 (क) तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (30) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रू0 204000.00 प्रशासक अनंगपाल एवं सचिव आर्यन से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-2)

<u>प्रस्तर-60</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 09.05.2021 को वा0न0 5वां राज्य वित्त आयोग /2021-22/ पी /2 से निम्नलिखित मदों पर भुगतान दर्शित है।

क्रमांक	धनराशि	कुल कार्य
1	86966.00	मेटिरियल पेमेन्ट
2	74576.00	लेबर हैण्डपम्प हेतु पेंमेट
3	61730.00	पोलिंग बूथ व्यवस्था
कुल योग	223272.00	

उपरोक्त सभी कार्य एक ही वर्क आई.डी. पर कराए गए हैं, जो नियम विरूद्ध है। प्रत्येक अलग कार्य के लिए एक ही वर्क आई.डी. बनानी चाहिए। साथ ही उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा पर उपलब्ध नही कराए गये है। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 (क) तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रू0 223272.00 प्रशासक अनंगपाल एवं सचिव आर्यन से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-3)

<u>प्रस्तर-61</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 11.05.2021 को वा0नं0 5वां राज्य वित्त आयोग /2021-22/ पी /3 से निम्नलिखित मदों पर भुगतान दर्शित है।

क्रमांक	धनराशि	कुल कार्य
1	56350.00	सफाई कार्य
2	45000.00	सॉमपिट
3	60000.00	फिटिंग कार्य
4	35000.00	आइसोलेशन कार्य
कुल योग	196350.00	

उपरोक्त सभी कार्य एक ही वर्क आई.डी. पर कराए गए हैं जो नियम विरूद्ध है। प्रत्येक अलग कार्य के लिए एक ही वर्क आई.डी. बनानी चाहिए। साथ ही उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा पर उपलब्ध नही कराए गये है। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं 8 (क) तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1941 के अधिभार नियम 256(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रू० 196350.00 प्रशासक अनंगपाल एवं सचिव आर्यन से की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0-4)

<u>प्रस्तर-62</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 29.07.2021 को वा0नं0 5वां राज्य वित्त आयोग /2021-22/ पी /5 में निम्नलिखित मदों पर भुगतान दर्शित है।

क्रमांक	धनराशि	कुल कार्य
1	32000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2	25000.00	नाला सफाई
3	25000.00	सफाई कार्य कूड़ा उठवाई
कुल योग	82000.00	

उपरोक्त सभी कार्य एक ही वर्क आई.डी. पर कराए गए है, जो नियम विरूद्ध है। प्रत्येक अलग कार्य के लिए एक ही वर्क आई.डी. बनानी चाहिए। साथ ही उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा पर उपलब्ध नही कराए गये है। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड-8(क) तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि रू० 82000.00 की वसूली समान रूप से प्रधान युनूस एवं सचिव आर्यन से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-5)

<u>प्रस्तर-63</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 29.07.2021 को वा0न0 5वां राज्य वित्त आयोग /2021-22/ पी /6 द्वारा रू0 12000.00 अवशिष्ट निस्तारण हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है, जिसके सापेक्ष मस्टररोल अनुपलब्ध होने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि न हो सकी। अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए कुल रू0 12000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान युनूस एवं सचिव आर्यन से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-6)

<u>प्रस्तर-64</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 29.07.2021 को वा0न0 5वां राज्य वित्त आयोग /2021-22/7 द्वारा रू० 9000.00 नल खरीद व लगाई कार्य हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित बिल / वाउचर एवं मस्टररोल लेखा परीक्षा पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये। अतः वित्त एवं

लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रू० 9000.00 समान रूप से प्रधान युनूस एवं सचिव आर्यन से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-7)

<u>प्रस्तर-65</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 20.05.2021 को 15वां राज्य वित्त आयोग /2021-22/ पी /1 द्वारा रू० 134000.00 हैण्डपम्प रिबोर विभिन्न स्थानों पर कराया जाना कोषांकित है। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मस्टररोल लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत नही किये गये। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रू0 134000.00 समान रूप से प्रशासक अनंगपाल एवं सचिव आर्यन से की जानी अपेक्षित है। (आ०सं०-8)

<u>प्रस्तर-66</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न तिथियों पर 15वें वित्त द्वारा सैनेटाईजिंग कार्य, सफाई, फोगिंग एवं मास्क वितरण हेतु व्यय किया गया।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	25.05.21	362000.00
2	24.05.21	240000.00
3	24.05.21	80000.00
	योग	682000.00

परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक मस्टररोल लेखा परीक्षा पर पुष्टि हेतु अप्राप्त रहे। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रू० 6,82,000.00 समान रूप से प्रशासक अनंगपाल एवं सचिव आर्यन से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-09)

<u>प्रस्तर-67</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 29.07.2021 को रू0 22000.00 सफाई कार्य हेतु व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 22000.00 की वसूली समान रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान युनूस एवं सचिव आर्यन से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-10)

18- ग्राम पंचायत- विज्ञाना विकास खण्ड- बुढ़ाना वर्ष -2021-22

प्रस्तर-68

आलोच्य वर्ष 2021-22 में निम्न भुगतान कोषबही में कोषांकित है।

		दिनांक	भुगतान	धनराशि
1	5वाँ वित्त	27.01.2022	कपर आलम को	6000.00
2	5वाँ वित्त	29.04.2021	अनिल आर्ट	78000.00
3	5वाँ वित्त	20.05.2021	अनिल आर्ट	135000.00

उपरोक्त भुगतान कोषबही के व्यय पक्ष में केवल भुगतान के रूप में बिना सामग्री एवं मस्टररोल आदि लिखे बिना कोषांकित किये गये है। अभिलेखीय साक्ष्यों के रूप में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि० बिल / व्यय प्रमाणक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर आदि अप्राप्त रहे है। अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 नियम 8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू० 6000.00 की वसूली समान रूप से प्रधान उमरदराज एवं सचिव आर्यन से और रू० 213000.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक अनंगपाल एवं सचिव आर्यन से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-1)

प्रस्तर-69

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न भुगतान कोषबही में कोषांकित है।

5वां वित्त	दिनांक	धनराशि	15वां वित्त	दिनांक	धनराशि
	20.05.21	11000.00		20.05.21	113600.00
	29.05.21	45000.00		20.05.21	134000.00
				24.05.21	50000.00
				24.05.21	50000.00
	कुल धनराशि	56000.00		कुल धनराशि	347600.00

उपरोक्त भुगतान इंतजार कॉन्ट्रैक्टर को कोषबही के व्यय पक्ष में केवल भुगतान के रूप में बिना सामग्री एवं मस्टररोल आदि लिखे कोषांकित कर दिया गया है। अभिलेखीय साक्ष्यों के रूप में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, बिल/व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजि० आदि अप्राप्त रहे। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 56000.00 एवं 347600.00 कुल रू0 403600.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री अनंगपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन से की जानी अपेक्षित है। (आ०स०-2)

प्रस्तर-70

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न भुगतान कोषबही में कोषांकित है -

5वें वित्त से दिनांक धनराशि

1.	11.5.21	40000.00
2.	11.5.21	24000.00
3.	11.5.21	7600.00
	योग	71600.00

15वें	वित्त	से	दिनांक	धनराशि
1.			20.5.21	54000.00
2.			24.5.21	120000.00
3.			24.5.21	120000.00
		योग		294000.00

उपरोक्त भुगतान "राजपूताना इन्टप्राइजेज' को कोषबही के व्यय पक्ष में केवल भुगतान के रूप में बिना मस्टररोल/सामग्री आदि लिखे बिना कोषांकित कर दिया गया है। अभिलेखीय साक्ष्यों के रूप में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर बिल/व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजि० आदि अप्राप्त रहे। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 71600.00 व 294000.00 कुल धनराशि रू0 365600.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री अनंगपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन से की जानी अपेक्षित है। (आ०सं० 3)

19- ग्राम पंचायत- लच्छेडा विकास खण्ड- सदर वर्ष -2021-22

प्रस्तर-71

वर्ष 2021-22 माह अप्रैल 2021 से दिसम्बर 21 तक ग्राम पंचायत में सैनेटाइजिंग हेतु रूपये 56660.00 का भुगतान किया जाना कोषांकित है। उक्त भुगतान सम्बन्धी पुष्टि हेतु सामग्री बिल/वाउचर व मजदूरी एवं मस्टररोल लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहे। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 नियम 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रूपये 56660.00 समान रूप से ग्राम प्रधान कुलदीप एवं सचिव प्रेम से की जानी अपेक्षित है।

(आ० सं0-2)

प्रस्तर-72

आलोच्य वर्ष 2021-22 में माह अप्रैल 21 से दिसम्बर 21 तक रूपये 229968.00 विभिन्न वाऊचरों द्वारा हैण्ड पम्प रिबोर हेतु व्यय किया जाना कोषांकित है। उक्त से सम्बन्धित स्थानों की सूची जहाँ पर हैण्डपम्प रिबोर करायी गयी लेखा परीक्षा पर अज्ञात रही। सामग्री सम्बन्धित वाउचर एवं मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल आदि भी पुष्टि हेतु अप्राप्त रहे। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि रूपये 229968.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री कुलदीप व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेम से की जानी अपेक्षित है।

(आ०सं०-3)

प्रस्तर-73

वर्ष 2021-22 मैं दिनांक 07.08.2021 को रूपये 45628.00 तथा दिनांक 17.09.2021 को रूपये 92028.00 कुल रूपये 137656.00 का व्यय वालपुट्टी एवं बाल पेटिंग पर दर्शाया गया है। उक्त भुगतान सम्बन्धी पुष्टि हेतु बिल/वाऊचर तथा मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहे। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रूपये 137656.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान कुलदीप व सचिव श्री प्रेम से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-4)

प्रस्तर-74

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 17.07.2021 को लाईट एवं फैन क्रय हेतु रूपये 38686.00 का भुगतान किया जाना कोषांकित है। उक्त भुगतान सम्बन्धी पुष्टि हेतु बिल/वाऊचर्स लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहे। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 के नियम 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रूपये 38686.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री कुलदीप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेम से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-5)

प्रस्तर-75

आलोच्य वर्ष 2021-22 मैं दिनांक 17.07.2021 को वा0न0 5वां राज्य वित्त आयोग /2021-22/ पी/1 द्वारा रूपये 46905.00 का पंचायत घर हेतु फर्नीचर क्रय किया गया। परन्तु हेतु क्या-क्या फर्नीचर क्रय किया गया व किस दर से क्रय किया गया, उक्त से सम्बन्धित वाऊचर लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहे। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 के नियम 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रूपये 46905.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कुलदीप व सचिव श्री प्रेम से की जानी अपेक्षित है। (आ०सं०-6)

प्रस्तर-76

आलोच्य वर्ष 2021-22 में माह अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 तक रूपये 85000.00 एवं 36000.00 कुल रूपये 121000.00 का भुगतान वाटर कूलर क्रय हेतु किया जाना कोषांकित है। उक्त

भुगतान सम्बन्धी पुष्टि हेतु बिल/वाउचर व मस्टर रोल लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहे। अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा, मैनुअल पंचायत राज विभाग उ०प्र०. के अध्याय 8 में नियम 8 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (50) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रूपये 121000.00 की वसूली समान रूप से प्रधान श्री कुलदीप एवं सचिव श्री प्रेम से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-7)

<u>प्रस्तर-77</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में माह अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 तक रूपये 140000.00 का भुगतान ग्राम पंचायत हेतु 20 स्टील की बैंच रूपये 7000.00 पर बैंच की दर से क्रय किया जाना कोषांकित है। उक्त भुगतान सम्बन्धी पुष्टि हेतु बिल/वाउचर्स एवं मस्टररोल लेखा परीक्षा परअप्राप्त रहे। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 के नियम 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रूपये 140000.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री कुलदीप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेम से की जानी अपेक्षित है।
(आ०सं०-8)

<u>प्रस्तर-78</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्य एवं सामग्री निम्न तिथियों में विभिन्न वाऊचर द्वारा भुगतान किया गया। विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	सामग्री
17.07.2021	24150.00	सीमेन्ट
17.07.2021	20790.00	ईट
17.07.2021	5500.00	ईट
17.07.2021	144000.00	टाईल्स
17.07.2021	15722.00	सीमेन्ट, कोरसेन्ट, ग्रीट
17.07.2021	16601.00	ईट रोडा
17.07.2021	22900.00	टाईल्स
17.07.2021	104726.00	सीमेन्ट, कोरसेन्ट, ग्रीट
17.07.2021	82000.00	टाईल्स
17.07.2021	10395.00	ईट रोडा
17.07.2021	85320.00	फ्लोर टाइल्स
17.07.2021	89797.00	दीवार टाइल्स
17.07.2021	1417.00	ईट रोडा
17.07.2021	18346.00	सामग्री
18.11.2021	140000.00	सामग्री
12.11.2021	57963.00	सीमेन्ट, रेत, कोरसेन्ट आदि

02.12.2021	29295.00	ईट रोडा
02.12.2021	60600.00	टाईल्स
02.12.2021	44000.00	टाईल्स
02.12.2021	52200.00	टाईल्स
02.12.2021	22000.00	टाईल्स
02.12.2021	42000.00	टाईल्स
कुल योग	1089722.00	

उक्त दर्शित धनराशि माह अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 तक क्रय की गयी है। परन्तु उपरोक्त सामग्री के क्रय सम्बन्धी बिल/वाउचर्स व मस्टररोल लेखा परीक्षा पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 नियम 8 (क) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रूपये 1089722.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री कुलदीप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेम से की जानी अपेक्षित है। (आ०सं०-9)

20- ग्राम पंचायत- मौलाहेड़ी विकास खण्ड- सदर वर्ष -2021-22

प्रस्तर-79

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 06.09.2021 को विभिन्न स्थानों पर सफाई कार्य एवं अन्य कार्य हेतु रूपये 25000.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा परप्रस्तुत न किये जाने के कारण पुष्टि न हो सकी। अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायत राज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार गबन मानते हुए रूपये 25000.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री रमन सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेम से की जानी अपेक्षित है। (आ० सं0-1)

प्रस्तर-80

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 20.07.2021 को वा0न0 5वां राज्य वित्त आयोग /2021-22/ पी/1 द्वारा रूपये 7500.00 सैनेटाइजिंग कार्य हेतु व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण पुष्टि न हो सकी। अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायत राज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार गबन मानते हुए रूपये 7500.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेम से की जानी अपेक्षित है। (आ०सं०-3)

प्रस्तर-81

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 09.11.2021 को विभिन्न कार्यों हेतु भुगतान दर्शित हैं :-

क्र०सं०	धनराशि	सामग्री
	17088.00	फ्लोर टाईल्स
	11787.00	फ्लोर टाईल्स
	18320.00	दीवार टाईल्स

	10019.00	सामग्री क्रय
	14175.00	ईट व ईट रोडा क्रय
	16155.00	सरिया व गेट क्रय
	14037.00	सामग्री क्रय
योग-	101581.00	

उक्त भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाऊचर एवं मस्टररोल आदि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्यय धनराशि अंकन रूपये 101581.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री रमन सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेम से की जानी अपेक्षित है। (आ०सं०-4)

<u>प्रस्तर-82</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 30.12.2021 को रूपय 165000.00 द्वारा जू०हा० स्कूल हेतु फर्नीचर क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त फर्नीचर क्रय सम्बन्धी बिल/वाऊचर्स एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त उपभोग प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत नहीं कराया गया। जिससे पुष्टि नहीं हो सकी। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के नियम 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256(2) के (क) से (50) के अन्तर्गत गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्यय धनराशि अंकन रूपये 165000.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री रमन सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेम से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-5)

<u>21- ग्राम पंचायत- रामपुर विकास खण्ड-सदर वर्ष -2021-22</u>

<u>प्रस्तर-83</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त द्वारा दिनांक 24.09.2021 को रूपये 115500.00 तीस एल०ई०डी० लाईट क्रय दिनांक 27.09.2021 को रूपये 29000.00 में दो सोलर लाईट क्रय एवं दिनांक 30. 03.2022 को रूपये 29600.00 एल.ई.डी. लाईट क्रय कर कुल रूपये 174100.00 व्यय किया जाना दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित बिल/वाऊचर लेखा परीक्षा पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त व्यय धनराशि 174100.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुनेश एवं सचिव श्री अरूण बालियान से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (आ०सं0-2)

<u>प्रस्तर-84</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 16.08.2021 को राज्य वित्त द्वारा रूपये 10000.00 प्रिया/सॉफ्ट हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 नियम 8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रूपये 10000.00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती मुनेश एवं सचिव श्री अरूण बालियान से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(आ०सं०-3)

प्रस्तर-85

आलोच्य वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त द्वारा दिनांक 19.05.2021 रूपये 140000.00 द्वारा ई-रिक्शा क्रय किया गया। उक्त की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 नियम 8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि रूपये 140000.00 की वसूली समान रूप से प्रधान श्रीमती मुनेश एवं सचिव श्री अरूण बालियान से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-4)

प्रस्तर-86

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में सफाई हेतु विभिन्न तिथियों पर कुल धनराशि रूपये 3,00,000.00 व्यय किया जाना कोषांकित है परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 नियम 8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि रूपये 3,00,000.00 की वसूली समान रूप से प्रधान श्रीमती मुनेश एवं सचिव श्री अरूण बालियान से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-5)

प्रस्तर-87

आलोच्य वर्ष 2021-22 में निम्न
दिनांक 26.08.2021 = 119500.00
दिनांक 01.11.2021 = 119700.00
दिनांक 04.11.2021 = 110500.00
दिनांक 05.11.2021 = 119500.00
दिनांक 08.12.2021 = 120100.00

कुल धनराशि रूपये 589300.00 वाटर कूल हेतु व्यय किया जाना कोषांकित है। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 नियम 8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि रूपये 589300.00 की वसूली समान रूप से प्रधान श्रीमती मुनेश एवं सचिव श्री अरूण बालियान से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-6)

प्रस्तर-88

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 12.12.2021 को रूपये 199000.00 स्वागत बोर्ड निर्माण हेतु व्यय किया जाना कोषांकित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रयुक्त सामग्री सम्बन्धी व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु अप्राप्त रहे। अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ०प्र० के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि रूपये 199000.00 की वसूली समान रूप से प्रधान श्रीमती मुनेश एवं सचिव श्री अरूण बालियान से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-7)

22- ग्राम पंचायत- गढ़ीदुर्गनपुर विकास खण्ड-सदर वर्ष -2021-22

प्रस्तर-89

आलोच्य वर्ष 2021-22 में माह जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 तक रूपये 46900.00 विभिन्न वाऊचरों द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु व्यय किया जाना कोषांकित है। उक्त से सम्बन्धित स्थानों की सूची जहां पर हैण्ड पम्प मरम्मत करी गयी लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रही एवं व्यय प्रमाणकऔर मस्टररोल आदि भी पुष्टि हेतु अप्राप्त रहे। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत गबन मानते उक्त धनराशि की वसूली रूपये 46900.00 समान रूप से प्रधान मौ० शाहिद एवं सचिव प्रेम से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-2)

प्रस्तर-90

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में माह जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 तक सैनेटाइजिंग एवं फोगिंग हेतु रूपये 37330.00 का भुगतान किया जाना कोषांकित है। उक्त भुगतान सम्बन्धी पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं मस्टररोल लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहे। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के माध्यम 8 के नियम 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रूपये 37330.00 समान रूप से प्रधान मौ० शाहिद एवं सचिव प्रेम से की जानी अपेक्षित है।

(आ०सं०-3)

प्रस्तर-91

आलोच्य वर्ष 2021-22 में माह जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 तक रूपये 30000.00 सफाई कार्यो हेतु व्यय किया गया। उक्त से सम्बन्धत मस्टररोल लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण उक्त धनराशि की पुष्टि न हो सकी। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) (ङ) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रूपये 30000.00 समान रूप से प्रधान मौ० शाहिद एवं सचिव प्रेम से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-4)

प्रस्तर-92

दिनांक 07.08.2021 को 5वां राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/2 द्वारा रूपये 31034.00 का पंचायत घर हेतु फर्नीचर क्रय किया जाना कोषांकित है। परन्तु पंचायत हेतु क्या-2 फर्नीचर क्रय किया गया व किस दर से क्रय किया गया, से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहे। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रूपये 31034.00 समान रूप से प्रधान मौ० शाहिद एवं सचिव प्रेम से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-5)

प्रस्तर-93

आलोच्य वर्ष 2021-22 में पंचायत घर निर्माण हेतु विभिन्न कार्य एवं सामग्री निम्न तिथियों में विभिन्न वाऊचर द्वारा भुगतान किया गया। विवरण निम्न प्रकार है :-

दिनांक	धनराशि	कार्य
07.08.2021	27720.00	पंचायत घर में वालपुट्टी एवं प्राईमरी कार्य
07.08.2021	28880.00	पंचायत घर में वाल पुट्टी एवं बिजली फिटिंग उपकरण सामग्री
07.08.2021	6600.00	पंचायत घर में वालपुट्टी एवं बिजली फिटिंग मजदूरी
10.08.2021	76000.00	पंचायत घर में फ्लोर टाईल्स
10.08.2021	11761.00	पंचायत घर में फ्लोर टाईल्स हेतु सामग्री
10.08.2021	6804.00	पंचायत घर में फ्लोर टाईल्स हेतु सामग्री
21.07.2021	37000.00	पंचायत घर हेतु ईटें
21.07.2021	28000.00	पंचायत घर हेतु टाईल्स
21.07.2021	24200.00	पंचायत घर हतु मजदूरी
13.10.2021	6300.00	मजदूरी एवं सामग्री

कुल धनराशि रूपये 253265.00 माह जुलाई 2021 से माह दिसम्बर 2021 तक व्यय किया गया। परन्तु उपरोक्त सामग्री क्रय सम्बन्धी बिल/वाऊचर एवं मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली रूपये 253265.00 समान रूप से प्रधान मौ० शाहिद एवं सचिव प्रेम से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-6)

प्रस्तर-94

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 21.10.2021 को वा0नं0 5वां राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/18 द्वारा रूपये 15600.00 का रेहडा क्रय किया गया। उक्त से सम्बन्धित बिल/वाऊचर लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क)

के एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धनराशि रूपये 15600.00 की वसूली समान रूप से प्रधान मौ० शाहिद एवं सचिव प्रेम से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-7)

23- ग्राम पंचायत- लालूखेड़ी विकास खण्ड-बघरा वर्ष -2018-19

प्रस्तर-95

ग्राम पंचायत लालूखेडी की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न अभिलेख जैसे स्टॉक रजिस्टर मस्टर रोल, क्रय सामग्री हेतु कोटेशन पत्रावली, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सफाई कार्य का ब्यौरा व मस्टर रोल, नल मरम्मत / रिबोर सामग्री पर व्यय अपुष्ट, कार्य की पूर्णताः / हस्तगत की स्थिति, तकनीकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृत, जीएस०टी० / आयकर कटौती न करना, टैण्डर/पत्रावली, रायल्टी / जीएस०टी० लेबर सेस आदि कोषागार में जमा की पुष्टि पत्रावली आदि के अभाव में समस्त व्यय रुपये 2089822.80 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा है। उक्त स्थिति अनियमित है। उपरोक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। विपरीत स्थिति में समस्त व्यय धनराशि पंचायत ऑडिट मैनुअल के अध्याय-8 के नियम-8 (क) के अनुसार उक्त व्यय धनराशि ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सिद्धार्थ राज से वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आ0 सं0 06,09,10,11,13,18,24,27,28,29,31,35,37)

24- ग्राम पंचायत- किनौनी विकास खण्ड-बघरा वर्ष -2018-19

प्रस्तर-96

ग्राम पंचायत किनौनी की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न अभिलेख जैसे गार्ड फाईल में बाउचरों का रख रखाव, मस्टर रोल अप्राप्त, सामग्री कय हेतु कोटेशन पत्रावली, कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण, सफाई कार्य का ब्यौरा व मस्टर रोल अप्राप्त, नल मरम्मत / रिबोर सामग्री पर व्यय हेतु, जी एस टी / आयकर कटौती न करना, टैन्डर / कोटेशन प्रत्रावली अप्राप्त, रॉयल्टी / जीएसटी/लेबर सेस आदि कोषागार में जमा की पुष्टि अप्राप्त आदि के अभाव में समस्त व्यय रू0 4467623-80 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। उक्त स्थिति आपत्ति जनक एवं अनियमित है। उक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जाँच एवं पुष्टि करायी जानी आपेक्षित है। विपरीत स्थिति में समस्त व्यय धनराशि पंचायत आडिट मैनुवल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार धनराशि ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सिद्धार्थ राज से वसूल की जानी अपेक्षित है।
(आ0 सं0 03,09,33,14/18,19,24,26,30,10/33,37)

जनपद -सहारनपुर **मण्डल- सहारनपुर**

ग्राम पंचायतो के वर्ष 2021-22
के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की
. गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण

1. ग्राम पंचायत- कुराली विकासखण्ड- नकुड़

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष **2020-21** में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रू0 967937-00 आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे- कार्यवाही रजिस्टर कार्ययोजना एस्टीमेट स्टाक रजि0 निर्माण रजि0 व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर प्रत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 967937-00 की पुष्टि न की जा सकी उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा की दशा में ग्राम पचांयत लेखा मैन्युअल के अध्याय- 8 के बिन्दु- 8क के अनुसार- यदि दर्शायें गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः व्यय रू0 967937-00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री तिरसपाल (281565-50 + वसूली की तिथि तक का ब्याज) तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अरविन्द कुमार से(483968-50 + वसूली की तिथि तक का ब्याज) तथा प्रशासक श्री राजकुमार से (202403.00 + वसूली की तिथि तक का ब्याज) सुयंक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

2. ग्राम पंचायत- छापुर विकासखण्ड- नकुड़

प्रस्तर-02

लेखा परीक्षा वर्ष **2020-21** में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से

अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रू0 1494037.00 आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे- कार्यवाही रजिस्टर कार्ययोजना एस्टीमेट स्टाक रजि0 निर्माण रजि0 व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर प्रत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 1494037.00 की पुष्टि न की जा सकी उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा की दशा में ग्राम पचांयत लेखा मैन्युअल के अध्याय- 8 के बिन्दु- 8क के अनुसार- यदि दर्शायें गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः व्यय रू0 1494037.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राजपाल सिंह से (390181.50 + वसूली की तिथि तक का ब्याज) तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अरविन्द कुमार से(747018.50 + वसूली की तिथि तक का ब्याज) तथा प्रशासक श्री राजकुमार से (356837.00 + वसूली की तिथि तक का ब्याज) सुयंक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

3. ग्राम पंचायत- कृष्णी विकासखण्ड- बलियाखेड़ी

प्रस्तर-03

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत कृष्णी की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में रू0 807451.00 की आय एवं रू0 738735.00 का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय 8 बिन्दु 8 क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 738735.00 को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री अजय देव से रू0 369367.50 व ग्राम प्रधान श्री जगपाल सिंह से रू0 369367.50 की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

4. ग्राम पंचायत- मोहनपुर गाढ़ा विकासखण्ड- बलियाखेड़ी

प्रस्तर-**04**

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-**8** के बिन्दु-**7** के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत मोहनपुर गाढ़ा की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू**0 1881166.00** की आय एवं रू**0 1755510.00** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8** क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू**0 1755510.00** को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री अजय देव से रू**0 877755.00** व ग्राम प्रधान श्री गुलाब सिंह से रू**0 877755.00** की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या **01**)

5. ग्राम पंचायत- शरबतपुर विकासखण्ड- बलियाखेड़ी

प्रस्तर-**05**

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-**8** के बिन्दु-**7** के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत शरबतपुर की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू**0 808594.00** की आय एवं रू**0 1049082.00** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8**;क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू**0 1049082.00** को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री हिमांशु से रू**0 524541.00** व ग्राम प्रधान श्रीमती भावना देवी से रू**0 524541.00** की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या **01**)

6. ग्राम पंचायत- दैदनौर विकासखण्ड- गंगोह

प्रस्तर-**06**

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-**8** के बिन्दु-**7** के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत दैदनौर की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में रू**0 968484.00** की आय एवं रू**0 333000.00** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8** क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू**0 333000.00** को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री आकाश कुमार से रू**0 166500.00** प्रशासक श्री प्रमोद कुमार सहा**0**वि**0**अधि**0** से रू**0 166500.00** की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या **01**)

7. ग्राम पंचायत- लखनौती मु**0** विकासखण्ड- गंगोह

प्रस्तर-**07**

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-**8** के बिन्दु-**7** के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत लखनौती मु**0** की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू**0 9471729.00** की आय एवं रू**0 3322626.00** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8;**क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू**0 3322626.00** को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री विक्रांत त्यागी से रू**0 1661313.00** प्रशासक श्री प्रमोद कुमार सहा**0**वि**0**अधि**0** से रू**0 574842.00** व ग्राम प्रधान

श्रीमती अनीसा से रू0 **1086471.00** की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या **01**)

8. ग्राम पंचायत- मौ**0**पुर गुर्जर विकासखण्ड- गंगोह

प्रस्तर-**08**

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-**8** के बिन्दु-**7** के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत मौ**0**पुर गुर्जर की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू**0 1828680.00** की आय एवं रू**0 1512949.00** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8** क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू**0 1512949.00** को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री किरत सिंह से रू**0 756474.50** व ग्राम प्रधान श्री प्रवीण कुमार से रू**0 756474.50** की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या **01**)

9. ग्राम पंचायत- तबर्रकपुर विकासखण्ड- गंगोह

प्रस्तर-**09**

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-**8** के बिन्दु-**7** के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत तबर्रकपुर की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू**0 1414580.00** की आय एवं रू**0 1195865.00** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8;**क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू**0 1195865.**

00 को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री विक्रांत त्यागी से रू0 597932.50 प्रशासक श्री प्रमोद कुमार सहा0वि0अधि0 से रू0 158699.50 व ग्राम प्रधान श्रीमती सोनी से रू0 439233.00 की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

10. ग्राम पंचायत- चौरा विकासखण्ड- ननौता

प्रस्तर-10

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत चौरा की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराई गई हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू0 2095956.00 की आय एवं रू0 421987.20 का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय 8 बिन्दु 8;क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 421987.20 को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री कवंरपाल सिंह से रू0 115851.40 व श्री प्रेमपाल सरोज से रू0 95142.20 प्रशासक श्री राशीद अहमद (स0वि0अधि0पं0 से रू0 15700.00 व ग्राम प्रधान श्री श्रवण सिंह से रू0 195293.60 की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

11. ग्राम पंचायत- कासमपुर माजरा पाडली विकासखण्ड- सढ़ौली कदीम

प्रस्तर-11

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत कासमपुर माजरा पाडली की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराई गई हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू0 3805026.00 की आय एवं रू0 2982293.60 का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना

कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय 8 बिन्दु 8 क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 2982293.60 को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री अमर सिंह से रू0 1491146.80 प्रशासक श्री रवि प्रकाश ख0वि0अधि0 से रू0 97500.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमति रेशमा से रू0 1393646-80 की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

12. ग्राम पंचायत- सढ़ौली कदीम विकासखण्ड- सढ़ौली कदीम

प्रस्तर-12

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष आलोच्य की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराई गई हैं। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1;पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रह वें वित्त) से रू0 2319297.00 आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे- कार्यवाही रजिस्टर कार्ययोजना एस्टीमेंट कैशबुक स्टांक रजि0 निर्माण रजि0 व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 2319297.00 की पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 बिन्दु 8;क) के अनुसार यदि दर्शायें गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः व्यय रू0 2319297.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली सहित ग्राम प्रधान श्री शेखर से रू0 1159648.50 तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री कमल राणा से रू0 1159648.50 संयुक्त रूप् से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

13. ग्राम पंचायत- सढ़ौली भूड़ विकासखण्ड- सढ़ौली कदीम

प्रस्तर-13

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष आलोच्य की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराई गई हैं। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1;पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रह

वें वित्त) से रू0 1817625.00 आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे- कार्यवाही रजिस्टर कार्ययोजना कैशबुक स्टांक रजि0 निर्माण रजि0 व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 1817625.00 की पुष्टि न की जा सकी उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शायें गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः व्यय रू0 1817625.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली सहित ग्राम प्रधान श्री शेखर से रू0 846862.50, प्रशासक श्री रवि प्रकाश ख0वि0अधि0 से रू0 61950.00 तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री कमल राणा से रू0 908812.50 संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

14. ग्राम पंचायत- इमलिया विकासखण्ड- देवबन्द

प्रस्तर-14

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत इमलिया के वर्ष 2021-22में अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय की जानकारी शून्य रही हैं। किन्तु ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से मालूम हुआ कि वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत को रू0 5451785.10 की धनराशि प्राप्त हुई हैं और रू0 3284440.00 की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी हैं। चूकि वर्ष में व्यय धनराशि अंकन रू0 3284440.00 के सापेक्ष बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 बिन्दु 8 क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं। अतः समस्त व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिकाए प्रस्ताव पुस्तिका कैशबुक बैंक पासबुक निर्माण रजि0 स्टांक रजि0 कार्य योजना माप पुस्तिका एस्टीमेट मानचित्र तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदि-आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जाए अन्यथा अभिलेखों के अभाव में व्यय अंकन रू0 3284440.00 को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित श्री अंकित कटारिया पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान श्रीमति तरन्नुम से की जानी अपेक्षित हैं। (ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार श्री अवनीश शर्मा पंचायत सचिव के कार्यकाल में कोई व्यय नहीं पाया गया हैं।)

(आपत्ति संख्या 01)

15. ग्राम पंचायत- ग्राम पंचायत- खडंजा अहमदपुर विकासखण्ड- देवबन्द

प्रस्तर-15

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत खड़जा अहमदपुर वर्ष 2021-22 के समस्त अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही किन्तु ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से मालूम हुआ कि वर्ष 2021-22में ग्राम

पंचायत को रू0 1685883.62 की धनराशि प्राप्त हुई हैं और रू0 1085541.00 की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी हैं। चूकि वर्ष में व्यय धनराशि अंकन रू0 1085541.00 के सापेक्ष बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 बिन्दु 8 क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं। अतः समस्त व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिका कैशबुक बैंक पासबुक निर्माण रजि0 स्टांक रजि0 कार्य योजना माप पुस्तिका एस्टीमेट मानचित्र तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदि-आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जाए अन्यथा अभिलेखों के अभाव में व्यय अंकन रू0 1085541.00 को अपहरण मानते हुए रू0 460310.00 की वसूली ब्याज सहित श्री सतेन्द्र कुमार पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान श्रीमति मेनका से व रू0 625231.00 की वसूली ब्याज सहित श्री अंकित तोमर पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान श्रीमति मेनका से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

16. ग्राम पंचायत- खेड़ी आसा विकासखण्ड- देवबन्द

प्रस्तर-16

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत खेड़ी आसा वर्ष 2021-22 के समस्त अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही किन्तु ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से मालूम हुआ कि वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत को रू0 1619564.00 की धनराशि प्राप्त हुई हैं और रू0 1164805.00 की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी हैं। चूकि वर्ष में व्यय धनराशि अंकन रू0 1164805.00 के सापेक्षए बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित हैंए जो पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 बिन्दु 8;क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं। अतः समस्त व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिका कैशबुक बैंक पासबुक निर्माण रजि0 स्टांक रजि0 कार्य योजना माप पुस्तिका एस्टीमेट मानचित्र तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जाए अन्यथा अभिलेखों के अभाव में व्यय अंकन रू0 1164805.00 को अपहरण मानते हुए रू0 570795.00 की वसूली ब्याज सहित श्री सतेन्द्र कुमार पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान श्री अरूण कुमार से आधा-आधा व रू0 594010.00 की वसूली ब्याज सहित श्री अंकित तोमर पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान श्री अरूण कुमार से आधा-आधा की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

17. ग्राम पंचायत- अलीपुर भागूवाला विकासखण्ड- मुजफ्फराबाद

प्रस्तर-17

वर्ष 2021-22की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत-अलीपुर भागूवाल में आय एवं व्यय के सापेक्ष केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत में रू0 1620642.00 की आय एवं रू0 1518816.80 का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित

अभिलेख जैसे कि कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय 8 बिन्दु 8 क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 1518816.80 (बैंक चार्जेज एवं कॉण्ट्रा एंट्री यदि कोई हो को घटाकर) को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री गौरव (रू0 759408.40) ग्राम प्रधान श्रीमति रीना(रू0 440773.40) एवं प्रशासक श्री जय सिंह सह0वि0अधि0पं0 (318635.00) से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

18. ग्राम पंचायत- जैतपुर कलां विकासखण्ड- मुजफ्फराबाद

प्रस्तर-18

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत जैतपुर कलां की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराई गई हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू0 2411643.00 की आय एवं रू0 2731697.10 का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय 8 बिन्दु 8;क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 2731697.10 ;बैंक चार्जेज एवं कॉण्ट्रा एंट्री यदि कोई हो को घटाकर) को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र (रू0 1365848.55 ग्राम प्रधान (रू0 804948.55 श्री वाहिद एवं प्रशासक श्री जय सिंह सह0वि0अधि0पं0 ;रू0 560900.00 से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

19. ग्राम पंचायत- बाकरपुर विकासखण्ड- मुजफ्फराबाद

प्रस्तर-19

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये

परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत बाकरपुर की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराई गई हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू0 **731601.00** की आय एवं रू0 **660099.80** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8(**क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 **660099.80 (**बैंक चार्जेज एवं कॉण्ट्रा एंट्री यदि कोई हो को घटाकर) को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री गौरव (रू0 **330049.90)** ग्राम प्रधान श्री मिजान (रू0 **212124.90)** प्रशासक श्री जय सिंह सह0वि0अधि0पं0 **(**रू0 **117925.00)** से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या **01**)

20. ग्राम पंचायत- फतेहपुर पेलो विकासखण्ड- मुजफ्फराबाद

प्रस्तर-20

वर्ष 2021-22की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत-फतेहपुर पेलो में आय एवं व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया हैं। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू0 **934205.00** की आय एवं रू0 **1558586.00** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8** क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 **1558586.00** को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्रीमति शमा परवीन (रू0 **779293.00** ग्राम प्रधान श्री संजय काम्बोज (रू0 **779293.00** से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या **01**)

21. ग्राम पंचायत- कमालपुर विकासखण्ड- मुजफ्फराबाद

प्रस्तर-21

वर्ष 2021-22की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत-कमालपुर में आय एवं व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया हैं। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू0 **2811632.00** की आय एवं रू0 **2194462.00** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश

बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8(**क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू**0 2194462.00** को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री विवेक (रू**0 1097231.00** ग्राम प्रधान श्री शोएब (रू**0 1044341.00** एवं प्रशासक- श्री जय सिंह सह**0**वि**0**अधि**0**पं**0** ;रू**0 52890.00** से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।(आपत्ति संख्या **01**)

22. ग्राम पंचायत- नगला झंड़ा विकासखण्ड- मुजफ्फराबाद

प्रस्तर-**22**

वर्ष 2021-22की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत-नगला झंड़ा में आय एवं व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया हैं। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू**0 1433915.00** की आय एवं रू**0 1798780.00** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंटए कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8**;क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू**0 1798780.00** को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री अनुज विश्नोई (रू**0 899390.00** ग्राम प्रधान श्री अफजल (रू**0 899390.00** से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या **01**)

23. ग्राम पंचायत- सम्भालकी जुनारदार विकासखण्ड- पुवारंका

प्रस्तर-**23**

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-**8** के बिन्दु-**7** के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत सम्भालकी जुनारदार की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराई गई हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू**0 923090.00** की आय एवं रू**0 461354.00** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय

प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय 8 बिन्दु 8;क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 461354.00 ;बैंक चार्जेज एवं कॉण्ट्रा एंट्री यदि कोई हो को घटाकर) को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित पंचायत सचिव श्री दीपक से रू0 230677.00 एवं ग्राम प्रधान श्री सलीम से रू0 230677.00 की संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

24. ग्राम पंचायत- हुसैनपुर विकासखण्ड- रामपुर मनिहारन

प्रस्तर-24

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत हुसैनपुर की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराई गई हैं। ई- ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू0 1408062.00 की आय एवं रू0 1713258.00 का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुकए व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय 8 बिन्दु 8;क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 1713258.00 को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित संयुक्त रूप से पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से रू0 856629.00 एवं ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार से रू0 833349.00 एवं प्रशासक श्री शिवनंदन स0वि0अधि0;पं0 से रू0 23280.00 की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

25. ग्राम पंचायत- पनियाली कासिमपुर विकासखण्ड-नागल

प्रस्तर-25

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेए परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत पनियाली कासिमपुर की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराई गई हैं। ई- ग्राम स्वराज के अनुसार

वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू0 2453960.69 की आय एवं रू0 1761684.00 का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय 8 बिन्दु 8;क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 1761684.00 को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित संयुक्त रूप से पंचायत सचिव श्री अजब सिंह से रू0 880842.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमति रश्मि से रू0 880842.00 की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

26. ग्राम पंचायत- महमूदपुर विकासखण्ड- नागल

प्रस्तर-26

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत महमूदपुर की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराई गई हैं। ई- ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू0 1617600.68 की आय एवं रू0 1490455.80 का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय 8 बिन्दु 8;क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 1490455.80 को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित संयुक्त रूप से पंचायत सचिव श्री योगेश मोहन से रू0 745227.90 एवं ग्राम प्रधान श्री पहल सिंह से रू0 745227.90 की वसूली की जानी अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या 01)

27. ग्राम पंचायत- सलेमपुर विकासखण्ड- नागल

प्रस्तर-27

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम

पंचायत-सलेमपुर की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराई गई हैं। ई- ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू0 **1804468.00** की आय एवं रू0 **2089161.80** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8**;क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 **2089161.80** को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित संयुक्त रूप से पंचायत सचिव श्री योगेश मोहन से रू0 **1044580.90** एवं ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह से रू0 **1044580.90** की वसूली की जानी अपेक्षित हैं।(आपत्ति संख्या **01**)

28. ग्राम पंचायत- डगरौली विकासखण्ड- नागल

प्रस्तर-**28**

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-**8** के बिन्दु-**7** के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेए परन्तु वर्ष 2021-22की ग्राम पंचायत डगरौली की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराई गई हैं। ई- ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत में रू0 **771392.50** की आय एवं रू0 **1443548.28** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8**;क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 **1443548.28** को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित संयुक्त रूप से पंचायत सचिव श्री अजब सिंह से रू0 **721774.14** एवं ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार से रू0 **721774.14** की वसूली की जानी अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या **01**)

29. ग्राम पंचायत- बिलासपुर विकासखण्ड- नागल

प्रस्तर-**29**

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-**8** के बिन्दु-**7** के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परन्तु वर्ष 2021-

22 की ग्राम पंचायत-बिलासपुर की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराई गई हैं। ई- ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में रू0 **1392306-00** की आय एवं रू0 **1784369-00** का व्यय/आहरण किया गया हैं। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि पासबुक/बैंक स्टेटमेंट कैश बुक व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य पूर्ति रजिस्टर स्टांक रजिस्टर कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका मस्टर रोल एवं शौचालय निर्माण अभिलेख आदि-आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैन्युअल वित्त के अध्याय **8** बिन्दु **8** (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा पुष्टि के अभाव में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार समस्त व्यय/आहरित धनराशि रू0 **1784369.00** को अपहरण मानते हुए तातारीख ब्याज सहित संयुक्त रूप से पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र कुमार से रू0 **892184.50** एवं ग्राम प्रधान श्रीमति प्रियंका से रू0 **892184.50** की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या **01**)

<u>जनपद- शामली</u>

प्रारूप-5

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष: 2021-22

जनपद का नाम- शामली

मण्डल का नाम- सहारनपुर

ग्राम पंचायत की अधिभार प्रतिवेदन सम्बन्धी

आपत्तियाः-

1 ग्राम पंचायत- लाख वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- शामली

प्रस्तर 01- ग्राम पंचायत लाख में दिनांक 27.01.22 में हैण्डपम्प रिबोर एवं हैण्डपम्प कार्य पर भुगतान रू0 337615.00 व्यय का भुगतान दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 337615.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मानवेन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 01)

2 ग्राम पंचायत- भैसवाल वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- शामली

प्रस्तर 02- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत भैसवाल में विभिन्न तिथियों में सफाई एवं सैनटाईजर हेतु व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
1	09.04.21	7700.00
2	20.04.21	28800.00
3	20.04.21	14000.00
4	23.04.21	46400.00
5	19.05.21	44500.00
	योग	**141400.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 141400.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री राकेश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सचिन कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 02)**

प्रस्तर 03- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत भैसवाल में दिनांक 29.10.2021 को अंकन रू0 52800.00 तथा दिनांक 24.03.2022 को अंकन रू0 25600.00 का सफाई कार्य तथा दिनांक 24.03.22 को रू0 23000.00 का सैनेटाईजर कार्य कुल अंकन रू0 101400.00 का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 101400.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सचिन कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 03)**

प्रस्तर 04- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत भैसवाल में विभिन्न तिथियों में स्ट्रीट लाईट कार्य सोलर लाईट कार्य एल0ई0डी0 बल्ब लाईट कार्य पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
1	29.10.21	152500.00
2	29.10.21	40000.00
3	05.12.21	237200.00
4	05.12.21	152500.00
5	25.12.21	88950
	योग	**671150**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 671150.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सचिन कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 03)**

प्रस्तर 05- ग्राम पंचायत भैसवाल दिनांक 17.12.21 में पंचायत घर जीर्णोधार पर भुगतान रू0 108095.00 का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 108095.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सचिन कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 04)**

प्रस्तर 06- ग्राम पंचायत भैसवाल में विभिन्न तिथियों में वालपेटागि हैण्डपम्पल रिबोर मरम्मत मेटेरियल व लेबर पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	**दिनांक**	**धनराशि**
1	12.04.21	105617.00
2	20.04.21	14500.00
3	20.04.21	8400.00
4	26.04.21	262044.00
5	26.04.21	78300.00
6	03.05.21	294027.00
	योग	**762888.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 762888.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री राकेश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सचिन कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 05)**

3 ग्राम पंचायत- गंगेरू वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- कॉधला
जनपद-शामली

प्रस्तर 07- ग्राम पंचायत गंगेरू में वाटर कूलर स्थापना पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	**दिनांक**	**धनराशि**	**स्थान**
1	11.04.21	448400.00	अज्ञात
2	06.05.21	89680.00	इस्लामिया मदरसे पर

3	06.05.21	89680.00	गढी दौलत में दुधार रास्ते पर
4	06.05.21	89680.00	पंचायत भवन गुजरान गंगेरू पटटी में
5	06.05.21	89680.00	सारस होट पर
6	06.05.21	89680.00	गढी दौलत अड्डे पर
	योग	**896800.00**	

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 896800.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री कलीराम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 01)**

प्रस्तर 08- ग्राम पंचायत गंगेरू में दिनांक 11.04.21 में वाट पेंटिग पर भुगतान रू0 143890.00 का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 143890.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री कलीराम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 02)

प्रस्तर 09- ग्राम पंचायत गंगेरू में दिनांक 06.05.21 में हैण्डपम्प मेटेरियल पर भुगतान रू0 64680.00 का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 64680.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री कलीराम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 03)

प्रस्तर 10- ग्राम पंचायत गंगेरू में दिनांक 20.05.21 में सफाई मजदूरी व सैनेटाइजर कार्य पर भुगतान रू0 72000.00 का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 72000.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री कलीराम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 04)

प्रस्तर 11- ग्राम पंचायत गंगेरू में दिनांक 13.05.21 में ओपन जिम स्थापना हेतु खेल मैदान में भुगतान रू0 194700.00 का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित

कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 194700.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री कलीराम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 05)

प्रस्तर 12- ग्राम पंचायत गंगेरू में दिनांक 28.07.21 में पुलिया से धर्मपाल के मकान तक खण्डजा निर्माण कार्य पर भुगतान रू0 332495.00 तथा अंकन रू0 174902.00 मिट्टी व खण्डजा निर्माण मैन रास्ते से अलीशन के घर तक कुल रू0 507357.00 का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 507357.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमति सययारा तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 06)**

प्रस्तर 13- ग्राम पंचायत गंगेरू में दिनांक 23.09.21 में चमन मोहल्ले में इन्टर लॉकिंग कार्य पर भुगतान रू0 468080.00 का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 468080.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्रीमति सययारा तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूपेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 07)

प्रस्तर 14- ग्राम पंचायत गंगेरू में दिनांक 08.10.21 में सह0समि0 में कूडी साफ सफाई पर भुगतान रू0 185500.00 का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 185500.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमति सययारा तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूपेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 08)

4 ग्राम पंचायत- लिसाढ वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- कॉधला

प्रस्तर 15- ग्राम पंचायत लिसाढ में विभिन्न तिथियों में गंगेरू सभी मजरो में साफ सफाई सैनेटाईजर कार्य पर भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
1	13.04.21	97000.00
2	12.04.21	97000.00
3	23.05.21	60000.00
	योग	**254000.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 254000.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री कलीराम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 01)**

प्रस्तर 16- ग्राम पंचायत लिसाढ में दिनांक 15.04.21 व दिनांक 23.05.21 में विभिन्न स्थानो पर हैण्डपम्प मरम्मत मेटेरियल मजदूरी कार्य पर भुगतान रू0 24500.00 व 58690.00 तथा 24500.00 कुल रू0 107690.00 का भुगतान दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 107690.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री कलीराम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 02)

प्रस्तर 17- ग्राम पंचायत लिसाढ में दिनांक 05.07.21 में राजेन्द्र के मकान से रामचन्द्र व संजीव के मकान तक सी0सी0 निर्माण मेटेरियल पर भुगतान रू0 629986.00 का भुगतान दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 629986.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान अजीत तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 03)

प्रस्तर 18- ग्राम पंचायत लिसाढ में दिनांक 17.03.22 में बादशाहपुर मजरे मे नाली कार्य पर रू0 224996.00 का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 224996.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री अजीत सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निशान्त मान से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 04)

प्रस्तर 19- ग्राम पंचायत लिसाढ में दिनांक 26.10.21 में महेंद्र से आरा मशीन तक सी0सी0 निर्माण कार्य पर भुगतान रू0 521949.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 521949.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री अजीत सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निशान्त मान से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 05)**

प्रस्तर 20- ग्राम पंचायत लिसाढ में विभिन्न तिथियों में सफाई कार्य पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	**दिनांक**	**धनराशि**
1	28.09.21	32500.00
2	26.10.21	80000.00
3	17.03.22	69600.00
	योग	**182100.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 182100.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री अजीत सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निशान्त मान से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 06)**

प्रस्तर 21- ग्राम पंचायत लिसाढ में विभिन्न तिथियों में सफाई कार्य पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	**दिनांक**	**धनराशि**
1	26.10.21	132880.00
2	26.03.22	98055.00
	योग	**230935.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 230935.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री अजीत सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निशान्त मान से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 07)**

5 ग्राम पंचायत- जसाला वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- कॉधला

प्रस्तर 22- ग्राम पंचायत जसाला में विभिन्न तिथियों में विभिन्न स्थानो पर सफाई कार्य व कूडा उठवाई, सैनेटाईजर सामग्री व मजदूरी पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि	मद
1	13.04.21	76000.00	सफाई कार्य विभिन्न स्थानो पर
2	19.04.21	58860.00	सैनेटाइजर सामग्री व मजदूरी
	योग	**134860.00**	

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 134860.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री धर्मेन्द्र तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 01)**

प्रस्तर 23- ग्राम पंचायत जसाला में विभिन्न तिथियों में वालपेंटिंग कार्य पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
1	13.04.21	18300.00
2	20.04.21	125720.00
3	02.05.21	125720.00
4	05.05.21	125720.00
5	10.05.21	125000.00
6	20.05.21	63000.00
	योग	**583460.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 583460.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री धर्मेन्द्र तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 02)**

प्रस्तर 24- ग्राम पंचायत जसाला में दिनांक 23.04.21 को विभिन्न स्थानों पर वाटर कूलर निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

1	89680.00	नानूपुरा में
2	89680.00	निर्माण सहकारी समिति जसाला

3	89680.00	शिव मन्दिर के पास
4	89680.00	प्राथमिक विधालय न-2
5	89680.00	नउच्च प्राथमिक विधालय
6	89680.00	प्रा0वि0 न-3
7	89680.00	प्रा0वि0 न-1
योग	**627760.00**	

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 627760.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री धर्मेन्द्र तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 03)**

प्रस्तर 25- ग्राम पंचायत जसाला में दिनांक 22.09.21 में स्ट्रीट लाईट पर भुगतान पर रू0 123545.00 का व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 123545.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री शिवकुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निशान्त मान से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 04)

प्रस्तर 26- ग्राम पंचायत जसाला में दिनांक 05.07.21 व दिनांक 28.07.21 में विभिन्न स्थानो पर सफाई कार्य व कूडा उठवाई पर रू0 128500.00 तथा 128000.00 कुल रू0 256500.00 का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 256500.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री शिवकुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 05)

प्रस्तर 27- ग्राम पंचायत जसाला में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प कार्य मरम्मत एवं वाटर कूलर कार्य पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	**दिनांक**	**धनराशि**
1	02.12.22	65943.00
2	26.03.22	99650.00
3	26.03.22	139700.00
	योग	**305293.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 305293.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री धर्मेन्द्र तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निशान्त मान से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 06)**

6 ग्राम पंचायत- भाज्जू वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- शामली

प्रस्तर 28- आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत भाज्जू में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत मेटेरियल लेबर आदि पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
1	25.08.21	98882.00
2	25.08.21	31500.00
3	04.09.21	98879.00
4	28.01.22	50866.00
5	28.01.22	9600.00
	योग	**289727.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 289727.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री धीरज राज व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शरद कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 01)**

प्रस्तर 29- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत भाज्जू में दिनांक 22.03.22 में पंचायत घर जीर्णोधार पर भुगतान रू0 406713.00 का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 406713.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री धीरज राज व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शरद कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 02)**

7 ग्राम पंचायत- बुटराडी वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- शामली

प्रस्तर 30- ग्राम पंचायत बुटराडी में दिनांक 30.12.21 को इनटर लांकिंग कार्य भुगतान रू0 300810.00 का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 300810.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमति कुसुम देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि मलिक से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 01)

प्रस्तर 31- ग्राम पंचायत बुटराडी में दिनांक 22.02.22 को स्ट्रीट लाईट पर भुगतान रू0 143000.00 का व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 143000.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमति कुसुम देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि मलिक से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 02)

8 ग्राम पंचायत- गौहरनी वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- शामली

प्रस्तर 32- ग्राम पंचायत गौहरनी में दिनांक 06.07.2021 में बिजेन्द्र से नोनू तक सी0सी0 कार्य पर रू0 489115.00 व रामू से निशू तक सी0सी0 कार्य पर अंकन रू0 464432.00 कुल रू0 953517.00 का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 953517.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमति रोमा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 01)**

9 ग्राम पंचायत- कुरमाली वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- शामली

प्रस्तर 33- आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत कुरमाली में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प रिबोर लेबर मेटेरियल एवं मरम्मत आदि पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
1	07.07.21	35100.00
2	10.07.21	122200.00
3	10.07.21	22500.00
4	11.07.21	50150.00
5	24.07.21	39810.00
6	24.07.21	11700.00
7	14.10.21	82120.00
8	14.10.21	31200.00
	योग	**394780.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 394780.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री विरेन्द्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शरद कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 01)**

प्रस्तर 34- ग्राम पंचायत कुरमाली में दिनांक 25.08.21 में लाईट मरम्मत कार्य पर रू0 33250.00 व दिनांक 22.11.21 को लाईट स्थापना पर रू0 150332.00 कुल रू0 183582.00 का भुगतान दर्शित है तथा लाईट कहॉ-कहॉ लगायी गयी अस्पष्ट है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 183582.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री विरेन्द्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शरद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 02)

10 ग्राम पंचायत- बुटराडा वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- शामली

प्रस्तर 35- आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत बुटराडा में दिनांक 14.11.21 में सौर उर्जा लाईट व तसले फावडे पर अंकन रू0 64923.00 का भुगतान दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 64923.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री अनुज कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 01)**

11 ग्राम पंचायत- कुडाना वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- शामली

प्रस्तर 36- ग्राम पंचायत कुडाना में दिनांक 06.10.21 को सी0सी0 निर्माण पर भुगतान रू0 383428.00 का भुगतान दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 383428.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमति सन्तरेश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 01)

प्रस्तर 37- ग्राम पंचायत बलवा में दिनांक 30.04.21 में हैण्डपम्प रिबोर मेटेरियल व लेबर कार्य पर भुगतान रू0 527060.00 व रू0 61938.00 कुल अंकन रू0 588998.00 का भुगतान दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 588998.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री राजबीर सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल पंवार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 01)

प्रस्तर 38- ग्राम पंचायत बलवा में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत रिबोर मेटेरियल एवं चौकी लेबर पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
1	13.07.21	28000.00
2	03.08.21	25737.58
3	03.08.21	24964.68
4	12.08.21	25660.28
5	12.08.21	25583.00
6	12.08.21	25351.12
7	12.08.21	84800.00
8	23.11.21	272840.00
9	23.11.21	56650.00
	योग	**569586.66**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 569586.66 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमति रेणू देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल पंवार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 02)**

प्रस्तर 39- ग्राम पंचायत बलवा में दिनांक 09.12.21 में हाई मास्क पर भुगतान रू0 554400.00 का भुगतान दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 554400.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमति रेणू देवी व ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री राहुल पंवार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 03)

13 ग्राम पंचायत- सिलावर वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- शामली

प्रस्तर 40- आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत सिलावर में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प रिबोर मेटेरियल एवं लेबर पर व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
1	30.04.21	154300.00
2	02.05.21	102200.00
3	02.05.21	102800.00
	योग	**359300.00**

परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक मस्टररोल लेखा परीक्षा पर पुष्टि हेतु उपलब्ध नही कराये गये है। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं 8 (क) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिकार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 359300.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री सतकारा व प्रशासक श्री राकेश ए0डी0ओ0 से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 01)

प्रस्तर 41- आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत सिलावर में विभिन्न तिथियों पर 15वें वित्त द्वारा नल मरम्मत हैण्डपम्प रिबोर एवं रिबोर मेटेरियल पर व्यय किया जाना दर्शित है।

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
1	29.09.21	20000.00
2	02.01.22	36420.00
3	24.03.22	55500.00
	योग	**111920.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 111920.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री सतकारा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र सिरोहा से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 02)**

प्रस्तर 42- ग्राम पंचायत सिलावर में 2021-22 में विभिन्न तिथियों में स्ट्रीट लाईट पर व्यय तथा स्ट्रीट लाईट इसटोलेशन पर भुगतान दर्शित है।

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि

1	28.10.21	98176.00
2	17.12.21	98176.00
3	17.12.21	98176.00
4	02.01.22	98176.00
5	24.03.22	153400.00
	योग	**447928.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 447928.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री सतकारा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र सिरोहा से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 03)**

14 ग्राम पंचायत- सोन्टा वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- शामली

प्रस्तर 43- ग्राम पंचायत सोन्टा में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत मेटेरियल एवं लेबर पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	**दिनांक**	**धनराशि**
1	06.09.21	61510.00
2	06.09.21	14000.00
3	27.01.22	34353.00
	योग	**109863.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 109863.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शरद कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 01)**

प्रस्तर 44- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सोन्टा में दिनांक 06.09.21 को रू0 20000.00 व दिनांक 27.01.22 को अंकन रू0 15200.00 कुल रू0 35200.00 सफाई कार्य हेतु व्यय किया जाना दर्शित है जबकि गॉव में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति होने के बावजूद भी अलग से सफाई पर व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 35200.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शरद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 02)

प्रस्तर 45- ग्राम पंचायत सोन्टा में दिनांक 26.10.21 में लाईट निर्माण कार्य पर भुगतान रू0 217000.00 का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जो ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 217000.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शरद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 03)

15 ग्राम पंचायत- लिलौन वर्ष: 2021-22 विकास खण्ड- शामली

प्रस्तर 46- ग्राम पंचायत लिलौन में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प रिबोर मेटेरियल एवं लेबर कार्य पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
1	17.04.21	57521.00
2	17.04.21	44500.00
3	30.04.21	158293.00
4	03.05.21	52965.00
5	06.05.21	44457.00
6	24.05.21	160913.00
7	25.05.21	53256.00
	योग	**571905.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 571905.00 की वसूली समान रूप से प्रशासक श्री राजबीर सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल पंवार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 01)**

प्रस्तर 47- ग्राम पंचायत लिलौन में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प रिबोर मेटेरियल एवं लेबर कार्य पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
1	02.08.21	48083.00
2	02.08.21	48283.00
3	19.11.21	402298.00
4	19.11.21	100346.00
	योग	**599010.00**

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 599010.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री अंकुर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल पंवार से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 02)**

प्रस्तर 48- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत लिलौन में दिनांक 02.08.21 व दिनांक 25.09.21 में एल0ई0डी0 लाईट रिपेयर व मरम्मत कार्य पर भुगतान रू0 61820.00 व रू0 61820.00 कुल रू0 123640.00 का भुगतान दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए रू0 123640.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री अंकुर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल पंवार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 03)

जनपद - चंदौली

प्रारूप- 4
ग्राम पंचायत
1-ग्राम पंचायत – बबूरी
विकासक्षेत्र – चंदौली
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -1 पंचम राज्य वित् /केन्द्रीय वित्त योजना की धनराशि से जनपद में ग्राम प्रधान के निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद नये कार्य प्रारम्भ कराकर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है-

कार्य का नाम	मद	योजना का नाम	दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि	आई0डी0
1-पूर्व माध्यमिक विद्यालय में टाइल्स का कार्य	मैटिरीयल-टाइल्स आदि	राज्य वित्त	18.04.21	मे0 प्रदीप कुमार सिंह	407618	38446131
	मजदूरी	राज्य वित्त	18.04.21	विभिन्न मजदूर	40320	
	मजदूरी	राज्य वित्त	18.04.21	विभिन्न मजदूर	50049	
2-पूर्व माध्यमिक विद्यालय के आफिस में टाइल्स का कार्य	मैटिरीयल-टाइल्स आदि	राज्य वित्त	04.05.21	मे0 प्रदीप कुमार सिंह	406002	38445758
	मजदूरी	राज्य वित्त	04.05.21	विभिन्न मजदूर	78261	
	मजदूरी	राज्य वित्त	04.05.21	विभिन्न मजदूर	9660	
	मैटिरीयल-टाइल्स आदि	केन्द्रीय वित्त	04.05.21	मे0 प्रदीप कुमार सिंह	389364	38446091

3- पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कमरों में टाइल्स का कार्य	मजदूरी	केन्द्रीय वित्त	04.05.21	विभिन्न मजदूर	87519	
4- पूर्व माध्यमिक विद्यालय (कन्या) में टाइल्स का कार्य	मैटिरीयल- टाइल्स आदि	केन्द्रीय वित्त	10.05.21	मे0 प्रदीप कुमार सिंह	387414	38450233
	मजदूरी	केन्द्रीय वित्त	10.05.21	विभिन्न मजदूर	86877	
				योग	**1943084**	

उपरोक्त मे क्रमांक 1, 2 व 3 पर एक ही विद्यालय में टाइल्स का कार्य टुकड़ो में बांटकर 03 आईडी पर अलग-अलग कराया गया जो अनियमित रहा।

अग्रेतर, उल्लेखनीय है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल 25.12.2020 को समाप्त होने के पश्चात ग्राम में चल रहे कार्यों के सुचारु रुप से संचालन हेतु तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री बृजेश कुमार सिंह को प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रशासक के पास नीतिगत निर्णय लेने अथवा नये कार्य प्रारम्भ करने का अधिकार नही होता है। साथ ही प्रदेश में दिनांक 26.03.2021 से आदर्श आचार संहिता (प्रति संलग्न) लागू हो गयी थी जिसके बिन्दु 6 (ड0) में उल्लिखित है कि-

."……..चुनाव के दौरान चुनाव क्षेत्र में नवीन निर्माण कार्य या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नही किया जायेगा।"

उपरोक्त कार्य पर दि0 08.04.2021 के पूर्व कोई व्यय दर्शित नही है (इस संदर्भ में वर्ष 2020-21 के ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अंकित व्यय की समीक्षा भी लेखा परीक्षा के दौरान की गयी)। इससे स्पष्ट है कि चुनाव के दौरान नवीन निर्माण कार्य प्रारम्भ कराकर और उस पर रु0 **1943084.00** व्यय दर्शित कर आदर्श आचार संहिता में उल्लिखित उक्त नियम का घोर उल्लंघन किया गया है । इस गम्भीर अनियमितता के लिए तत्कालीन प्रशासक/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री बृजेश कुमार सिंह व सचिव दिग्विजय कुमार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2-ग्राम पंचायत – हड़रिका
विकास क्षेत्र – चंदौली
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -2 ग्राम पंचायत- हड़रिका, विकास खण्ड- चन्दौली, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये, जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1- राज्य वित्त योजना की धनराशि से जनपद में ग्राम प्रधान के निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद नये कार्य प्रारम्भ कराकर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है-

कार्य का नाम	मद	दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि	आई0डी0
1-प्राथमिक विद्यालय हड़रिका में इण्टरलाकिंग का कार्य	मैटिरीयल- इण्टरलाकिंग ईंट	13.04.21	मे0 प्रदीप कुमार सिंह	425263	37892279
	मजदूरी	14.04.21	विभिन्न मजदूर	48975	
			योग	**474238**	
2-प्राथमिक विद्यालय हड़रिका में टाइल्स का कार्य	मैटिरीयल- टाइल्स आदि	13.04.21	मे0 प्रदीप कुमार सिंह	402951	37891752
	मजदूरी	14.04.21	विभिन्न मजदूर	90558	

			योग	**493509**	
3- प्राथमिक विद्यालय हड़रिका में बेंच व टेबल क्रय	बेंच व टेबल	14.04.21	हिन्द ट्रेडिंग कं0	95510	40179519
	बेंच व टेबल	06.05.21		4000	
			योग	**99510**	
			कुल योग	**1067257**	

अग्रेतर, उल्लेखनीय है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल 25.12.2020 को समाप्त होने के पश्चात ग्राम में चल रहे कार्यों के सुचारु रुप से संचालन हेतु तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री बृजेश कुमार सिंह को प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रशासक के पास नीतिगत निर्णय लेने अथवा नये कार्य प्रारम्भ करने का अधिकार नही होता है। साथ ही प्रदेश में दिनांक 26.03.2021 से आदर्श आचार संहिता (प्रति संलग्न) लागू हो गयी थी जिसके बिन्दु 6 (ड0) में उल्लिखित है कि-

."".....चुनाव के दौरान चुनाव क्षेत्र में नवीन निर्माण कार्य या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नही किया जायेगा।"

उपरोक्त कार्य पर दि0 13.04.2021 के पूर्व कोई व्यय दर्शित नही है (इस संदर्भ में वर्ष 2020-21 के ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अंकित व्यय की समीक्षा भी लेखा परीक्षा के दौरान की गयी)। इससे स्पष्ट है कि चुनाव के दौरान नवीन निर्माण कार्य प्रारम्भ कराकर और उस पर रु0 **1067257.00** व्यय दर्शित कर आदर्श आचार संहिता में उल्लिखित उक्त नियम का घोर उल्लंघन किया गया है । इस गम्भीर अनियमितता के प्रति तत्कालीन प्रशासक/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री बृजेश कुमार सिंह व सचिव दिग्विजय कुमार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

3-ग्राम पंचायत – नवहीं
विकास क्षेत्र – चंदौली
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -3 ग्राम पंचायत:- नवहीं, **विकास खण्ड-** चन्दौली, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1- राज्य वित्त कोषबही में सफाई सामग्रीसगड़ी -, बेलचा, झाड़, फावड़ा, गैंता, दवा छिड़काव मशीन आदि क्रय पर एक ही आईडी -38467863 एवं सामग्रियों पर दो बार भुगतान निम्न विवरण के अनुसार दर्शित है।

दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभ्युक्ति
02-09-2021	31655	कार्तिक हार्डवेयर	दो एजेन्सियों से एक ही प्रकार की सामग्री क्रय पर भुगतान की गयी धनराशि में भिन्नता क्रय को संदिग्ध बनाता है।
02-09-2021	13500	संतोष साइकिल एजेन्सी	
योग	**45155**	-	

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां है-

- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है और न ही इसे सफाईकर्मी को हस्तगत कराकर प्रमाणक रखा गया है।
- स्टाक रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नही रहा कि इसके पूर्व व पश्चात कब सामग्री क्रय दर्शित है और कब उसका उपयोग अथवा उपभोग किया गया, जो आवश्यक रहा।

उपरोक्त के अभाव में क्रय की पुष्टि नही होती है साथ ही पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8- ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8 में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 45155.00 का अपहरण के प्रति तत्कालीन प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार व सचिव मो0 साकिब द्वारा किया गया है । उत्तरदायी व्यक्ति प्रधान से रु0 22577.50 एवं सचिव से रु0 22577.50 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

4-ग्राम पंचायत – परनपुरकला
विकास क्षेत्र – चंदौली
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -4 ग्राम पंचायत:- परनपुरकला, **विकास खण्ड-** चन्दौली, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष 2021-22 की कोषबही में दि0 19.03.2022 को केस रिकार्ड सं0 61991878 पर जनता मशीनरी मार्ट चन्दौली से रु0 500000.00 (रु0 पांच लाख मात्र (5वें राज्य वित्त की धनराशि से कृषि यन्त्र मशीन क्रय का पेमेन्ट दर्शित है। इस भुगतान पर निम्न आपत्तियां हैं-

1. कृषि यन्त्र मशीन ग्राम पंचायतों द्वारा क्रय किये जाने की अनुमति नही है। 5वें राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइह में कृषि यन्त्र क्रय करने का कोई प्राविधान नही है।
2. क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
3. कृषि यन्त्र क्रय की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही जिससे यह स्पष्ट नही हुआ कि इसकी स्वीकृति किस स्तर से प्राप्त की गयी। कोई स्वीकृति उपलब्ध नही रहा।
4. कौन सा कृषि यन्त्र क्रय किया गया इसकी जानकारी लेखापरीक्षा में नही हो सकी। लेखा परीक्षा के दौरान मौखिक रुप से पूछने पर सचिव द्वारा कृषि यन्त्र क्रय के प्रति अनभिज्ञता प्रकट की गयी और बताया गया कि कोई कृषि यन्त्र चार्ज में उन्हे नही मिला है।
5. स्टाक रजिस्टर में कृषि यन्त्र दर्ज नही है।

उपरोक्त बिन्दु 1 से 5 में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि अनियमित रुप से कृषि यन्त्र क्रय दर्शित कर एजेन्सी से दुरभि सन्धि कर तत्कालीन सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया। यह भी कि- पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 - ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8 में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार कुल रु0 500000.00 (रु0 पांच लाख मात्र) के गबन के प्रति तत्कालीन प्रधान श्रीमती निशा व सचिव श्री दिग्विजय कुमार द्वारा किया गया है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 250000.00 एवं सचिव से रु0 250000.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -5 राज्य वित्त कोषबही में दि0 14-08-2021 को रु0 35100.00 आदित्य इण्टरप्राइजेज को सफाई सामग्रीसगड़ी-, फावड़ा, गैंता आदि, क्रय आईडी- 48364326 पर भुगतान दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां है-

- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है और न ही इसे सफाईकर्मी को हस्तगत कराकर प्रमाणक रखा गया है।
- स्टाक रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नही रहा कि इसके पूर्व व पश्चात कब सामग्री क्रय दर्शित है और कब उसका उपयोग अथवा उपभोग किया गया, जो आवश्यक रहा।

उपरोक्त के अभाव में क्रय की पुष्टि नही होती है साथ ही पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8- ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो

दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
उपरोक्त न्यूनताओं से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 35100.00 का अपहरण प्रधान श्रीमती निशा व सचिव श्री दिग्विजय कुमार द्वारा किया गया है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 17500.00 एवं सचिव से रु0 17500.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -6 वर्ष 2021-22 15वें केन्द्रीय वित्त कोषबही में आई डी -55131446 पर आनन्द विशाल के घर से देवनाथ के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय पर निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 160198.00 का भुगतान तुषार कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को दर्शित है-

दि0 19.10.21 धनराशि- 98565
दि0 19.10.21 धनराशि- 27695
दि0 17.02.22 धनराशि- 33938

उक्त भुगतान पर निम्न आपत्तियां हैं-

1. चार माह के अन्तराल (19.10.21 से 17.02.22) पर क्रय की गयी सामग्री का उपयोग कब हुआ, अज्ञात है। क्योंकि इस कार्य पर मजदूरी का भुगतान वित्तीय वर्ष में नही किया गया है।
2. स्टाक रजिस्टर में सामग्री की प्रविष्टि दर्ज कर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया।
3. क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।
4. कार्य का इस्टीमेट, एम0बी0, उपलब्ध नही रहा।
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, उपलब्ध नही रहा।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 - ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं एवं निर्धारित व्यवस्था के परिपालन के अभाव में स्पष्ट है कि सामग्री क्रय रु0 160198.00 का भुगतान बिना कार्य कराये ही दर्शित करके धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती निशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिग्विजय कुमार द्वारा किया गया है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 80099.00 एवं सचिव से रु0 80099.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

5-ग्राम पंचायत – खुरहुजा
विकास क्षेत्र – चंदौली
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -7 ग्राम पंचायत:- खुरहुजा, **विकास खण्ड-** चन्दौली, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

केन्द्रीय वित्त कोषबही में दि0 18-07-2021 को रु0 35100.00 मे0 प्रदीप कुमार सिंह को सफाई सामग्री-सगड़ी, फावड़ा, गैंता आदि क्रय (आईडी- 48259631) पर भुगतान दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां है-

अ- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

आ- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है और न ही इसे सफाईकर्मी को हस्तगत कराकर प्रमाणक रखा गया है।

इ- स्टाक रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नही रहा कि इसके पूर्व व पश्चात कब सामग्री क्रय दर्शित है और कब उसका उपयोग अथवा उपभोग किया गया, जो आवश्यक रहा।

उपरोक्त के अभाव में क्रय की पुष्टि नही होती है साथ ही पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8- ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 35100.00 का अपहरण के प्रति तत्कालीन प्रधान श्री रामकेश व सचिव मो0 साकिब द्वारा किया गया है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 17550.00 एवं सचिव से रु0 17550.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

6-ग्राम पंचायत – बहेरा

विकास क्षेत्र – चंदौली

वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -8 ग्राम पंचायत:- बहेरा, **विकास खण्ड-** चन्दौली, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

राज्य वित्त कोषबही में दिनांक 21.08.2021 को टाली, झाड़, फावड़ा, गैंता, व दवा छिड़काव मशीन आदि क्रय पर (आईडी- 53914923) रु0 47500.00 का भुगतान मे0 एस0के0 इण्टरप्राइजेज को दर्शित है। जिस व्यय पर निम्न आपत्तियां है-

अ- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

आ- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है और न ही इसे सफाईकर्मी को हस्तगत कराकर प्रमाणक रखा गया है।

इ- स्टाक रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नही रहा कि इसके पूर्व व पश्चात कब सामग्री क्रय दर्शित है और कब उसका उपयोग अथवा उपभोग किया गया, जो आवश्यक रहा।

उपरोक्त के अभाव में क्रय की पुष्टि नही होती है साथ ही पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8- ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 47500.00 का अपहरण के प्रति तत्कालीन प्रधान श्री सामू व सचिव श्री राजेश्वर पाल द्वारा किया गया है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 23750.00 एवं सचिव से रु0 23750.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

7-ग्राम पंचायत – कांटा

विकास क्षेत्र – चंदौली

वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -9 ग्राम पंचायत:- कांटा, **विकास खण्ड-** चन्दौली, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

पंचम राज्य वित्त योजना की धनराशि से जनपद में ग्राम प्रधान के निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद नये कार्य प्रारम्भ कराकर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है-

कार्य का नाम	मद	दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि	आई0डी0
	मैटिरीयल-टाइल्स आदि	08.04.2021	अश्विनी बिल्डिंग मैटिरीयल एण्ड हार्डवेयर	110364	
	फोटो	08.04.2021	जन सेवा केन्द्र	300	51097778

1-प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर-2 में फर्श पर टाइल्स लगाने का कार्य	मजदूरी	08.04.2021	विभिन्न मजदूर	22998	
	मैटिरीयल-टाइल्स आदि	16.04.2021	अश्विनी बिल्डिंग मैटिरीयल एण्ड हार्डवेयर	198562	41636790
	मजदूरी	16.04.2021	विभिन्न मजदूर	41685	
	फोटो	16.04.2021	जन सेवा केन्द्र	300	
	योग			**374209.00**	

क्रमांक-1 पर एक ही कार्य दो विभिन्न आई0डी0 से कराया गया जो औचित्यपूर्ण नही रहा। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अग्रेतर, उल्लेखनीय है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल 25.12.2020 को समाप्त होने के पश्चात ग्राम में चल रहे कार्यों के सुचारु रुप से संचालन हेतु तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री बृजेश कुमार सिंह को प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रशासक के पास नीतिगत निर्णय लेने अथवा नये कार्य प्रारम्भ करने का अधिकार नही होता है। साथ ही प्रदेश में दिनांक 26.03.2021 से आदर्श आचार संहिता (प्रति संलग्न) लागू हो गयी थी जिसके बिन्दु 6 (ड0) में उल्लिखित है कि-

."".....चुनाव के दौरान चुनाव क्षेत्र में नवीन निर्माण कार्य या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नही किया जायेगा।"

उपरोक्त कार्य पर दि0 08.04.2021 के पूर्व कोई व्यय दर्शित नही है (इस संदर्भ में वर्ष 2020-21 के ईग्रामस्वराज पोर्टल पर अंकित व्यय की समीक्षा भी लेखा परीक्षा के दौरान की गयी)। इससे स्पष्ट है कि चुनाव के दौरान नवीन निर्माण कार्य प्रारम्भ कराकर और उस पर रु0 **374209.00** व्यय दर्शित कर आदर्श आचार संहिता में उल्लिखित उक्त नियम का घोर उल्लंघन किया गया जिस गम्भीर अनियमितता के प्रति तत्कालीन प्रशासक/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री बृजेश कुमार सिंह व सचिव दिग्विजय कुमार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

8-ग्राम पंचायत – एकौनी
विकास क्षेत्र – चंदौली
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -10 ग्राम पंचायत:- एकौनी, **विकास खण्ड-** चन्दौली, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

राज्य वित्त कोषबही में दिनांक 18.08.2021 को टाली, झाड़, बेलचा, फावड़ा, तगाड़ी , व दवा छिड़काव मशीन आदि क्रय पर (आईडी- 47331155) रु0 41500.00 का भुगतान मे0 एस0के0 इण्टरप्राइजेज को दर्शित है। जिस व्यय पर निम्न आपत्तियां है-

- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है और न ही इसे सफाईकर्मी को हस्तगत कराकर प्रमाणक रखा गया है।
- स्टाक रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नही रहा कि इसके पूर्व व पश्चात कब सामग्री क्रय दर्शित है और कब उसका उपयोग अथवा उपभोग किया गया, जो आवश्यक रहा।

उपरोक्त के अभाव में क्रय की पुष्टि नही होती है साथ ही पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8- ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 41500.00 का अपहरण के प्रति तत्कालीन प्रधान श्री आकाश कुमार व सचिव श्री राजेश्वर पाल द्वारा किया गया है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 20750.00 एवं सचिव से रु0 20750.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -11 राज्य वित्त कोषबही में दिनांक 06.09.2021 को प्राथमिक विद्यालय एकौनी हेतु डेस्क व बेंच क्रय पर (आईडी- 52652489) रु0 198000.00 का भुगतान मे0 इण्डियन ट्रेडिंग को दर्शित है। जिस व्यय पर निम्न आपत्तियां है-

- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
- रु0 100000.00 से अधिक के क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित कर प्रतिस्पर्धात्मक दरों का विष्लेषण करते हुए न्यूनतम दर पर डेस्क व बेंच क्रय नही किया गया है।
- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है और न ही इसे प्राथमिक विद्यालय को हस्तगत कराकर प्रमाणक रखा गया है।
- स्टाक रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नही रहा कि इसके पूर्व व पश्चात कब सामग्री क्रय दर्शित है जो आवश्यक रहा।

उपरोक्त के अभाव में क्रय की पुष्टि नही होती है साथ ही पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8- ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 198000.00 का अपहरण के प्रति तत्कालीन प्रधान श्री आकाश कुमार व सचिव श्री राजेश्वर पाल द्वारा किया गया है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 99000.00 एवं सचिव से रु0 99000.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

9-ग्राम पंचायत – लटांव
विकास क्षेत्र – शहाबगंज
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -12 ग्राम पंचायत:- लटांव, **विकास खण्ड-** शहाबगंज, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष 2021-22 के कोषबही ई ग्रामस्वराज पर फीडिंग के अनुसार प्राइमरी स्कूल के कमरों में टाइल्स निर्माण कार्य पर निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 174069.00 व्यय दर्शित है -

योजना का नाम	कार्य का नाम	आई0डी0	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	सामग्री	धनराशि
5वां राज्य वित्त	प्राइमरी स्कूल में टाइल्स निर्माण	51538549	15.07.21	गुप्ता बिल्डिंग मैटिरियल्स	टाइल्स आदि	157109
			11.08.21	विभिन्न मजदूर	मजदूरी	16960
योग						174069

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां है-

- टाइल्स क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है।
- कार्य कराये जाने के अवधि का उल्लेख अभिलेखों में नही है। मजदूरी भुगतान की पुष्टि लेखा परीक्षा में नही करायी जा सकी, मस्टर रोल उपलब्ध नही रहा।
- व्ययआंकलन, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सम्पत्ति रजि0 आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहे।
- प्राइमरी स्कूल में कराये गये कार्य की पुष्टि स्कूल के प्रधानाध्यापक से नही करायी गयी है।
- ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति भुगतान के पूर्व नही ली गयी है।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 - ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त के अभाव में लेखा परीक्षा में प्राइमरी स्कूल में टाइल्स निर्माण व इण्टरलाकिंग कार्य पर दर्शित कुल व्यय रु0 174069.00 अपहरण की श्रेणी में है जिसके प्रति तत्कालीन प्रधान श्रीमती रबिता उपाध्याय व सचिव श्री मुरली श्याम उत्तरदायी रहे। अतः उत्तरदायी प्रधान से रु0 87034.50 एवं सचिव से रु0 87034.50 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -13 केन्द्रीय वित्त कोषबही में दि0 01-08-2021 को रु0 57900.00 गुप्ता बिल्डिंग मैटिरियल्स को सफाई सामग्री-ट्राली, बेलचा फावड़ा आदि क्रय (आईडी- 51358675) पर भुगतान दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां है-

अ- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

आ- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है और न ही इसे सफाईकर्मी को हस्तगत कराकर प्रमाणक रखा गया है।

इ- स्टाक रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नही रहा कि इसके पूर्व व पश्चात कब सामग्री क्रय दर्शित है और कब उसका उपयोग अथवा उपभोग किया गया, जो आवश्यक रहा।

उपरोक्त के अभाव में क्रय की पुष्टि नही होती है साथ ही पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8- ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 57900.00 का अपहरण के प्रति तत्कालीन प्रधान श्रीमती रबिता उपाध्याय व सचिव श्री मुरली श्याम द्वारा किया गया है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 28950.00 एवं सचिव से रु0 28950.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
प्रस्तर -14 वर्ष 2021-22 के कोषबही में रु0 282538.00 हैण्डपम्प रिबोर सामग्री पर व्यय निम्न विवरण के अनुसार दर्शित है -

क्र0सं0	**योजना का नाम**	**दिनांक**	**आई0डी0**	**फर्म का नाम**	**धनराशि**	**कार्य स्थल**
1	15वां केन्द्रीय	28.07.21	53243563	गुप्ता बिल्डिंग मैटिरियल्स	67365	अज्ञात
2		28.10.21		गुप्ता बिल्डिंग मैटिरियल्स	29594	शंकर जी मन्दिर के पास
3		10.08.21	53667086	गुप्ता बिल्डिंग मैटिरियल्स	66785	धीरेन्द्र, हरवंश, संतोष के घर के पास
4		11.11.21		गुप्ता बिल्डिंग मैटिरियल्स	39271	अज्ञात
5	5वां राज्य	21.12.21	53243608	हर्षी इण्टरप्राइजेज	79523	अज्ञात
योग					282538	

अ- उक्त क्रमांक 1, 4 और 5 का कार्य स्थल अज्ञात रहा। हैण्डपम्प खराब होने की सूचना कैसे प्राप्त हुयी, कोई तकनीकी रिपोर्ट नही रही, हैण्डपम्प ठीक होने का प्रमाण भी सन्लग्न नही पाया गया।

ब- कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

स- निष्प्रयोज्य सामग्री का कोई विवरण नही रखा गया है।
द- सामग्री क्रय का स्टाक रजिस्टर नही रखा गया है।
य- हैण्डपम्प रिबोर स्थल पर चबूतरा एवं पानी निकासी हेतु चैम्बर बनाने का उल्लेख कोषबही में नही है।
र- हैण्ड पम्प रिबोरिंग सम्बंधित कार्य की ग्राम सभा द्ववारा अनुमोदन प्राप्त कर ग्राम पंचायत विकास योजना (जी पी डी पी) में सम्मिलित किये जाने विषयक अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा।
ल- जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति नही रही।
व- सामग्री व श्रम का अलग-अलग उल्लेख नही रहा।
श- क्रमांक 1 व 2 पर अंकित व्यय एक ही आईडी पर तथा क्रमांक 3 व 4 भी एक ही आईडी पर व्यय दर्शित है। जबकि दोनो स्थान अलग-अलग हैं
पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 - ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त के अभाव में लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर पर दर्शित व्यय रु0 282538.00 अपहरण की श्रेणी में है जिसके प्रति तत्कालीन प्रधान श्रीमती रविता उपाध्याय व सचिव श्री मुरली श्याम उत्तरदायी है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 141269 .00 एवं सचिव से रु0 141269.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

10-ग्राम पंचायत – नौडीहा **विकास क्षेत्र – शहाबगंज**

वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -15 ग्राम पंचायत:- नौडीहा, **विकास खण्ड-** शहाबगंज, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष 2021-22 के कोषबही/ईग्रामस्वराज पर फीडिंग के अनुसार प्राइमरी स्कूल में टाइल्स निर्माण व इण्टरलाकिंग कार्य पर निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 366689.00 व्यय दर्शित है-

1- योजना का नाम-5वां राज्य वित्त कार्य का नाम-प्राइमरी स्कूल में इण्टरलाकिंग
आई0डी0-55043071 भुगतान प्राप्तकर्ता-गुप्ता बिल्डिंग मैटिरियल्स
मद-इण्टरलाकिंग ईंट आदि
दिनांक-21.10.21 धनराशि- 133912
दिनांक-17.12.21 धनराशि- 44650

2-योजना का नाम-15वां केन्द्रीय वित्त कार्य का नाम-प्राइमरी स्कूल में टाइल्स निर्माण
आई0डी0-55042559 भुगतान प्राप्तकर्ता-गुप्ता बिल्डिंग मैटिरियल्स
मद-टाइल्स आदि
दिनांक-31.10.21 धनराशि- 116752
दिनांक-17.12.21 धनराशि- 71375

उक्त कुल व्यय (133912+44650+116752+71375) रु0 366689 व्यय पर निम्न आपत्तियां है-

अ- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

आ- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है।

इ- कार्य कराये जाने के अवधि का उल्लेख अभिलेखों में नही है। मजदूरी भुगतान की पुष्टि लेखा परीक्षा में नही करायी जा सकी, मस्टर रोल उपलब्ध नही रहा।

ई- व्ययआंकलन, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सम्पत्ति रजि0 आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहे।

उ- केन्द्रीय वित्त कोषबही में दि0 18.12.21 को रु0 116752 बिना मद अंकित किये व्यय कालम में दर्शित है स्पष्ट है कि कोषबही अत्यन्त ही लापरवाही पूर्ण तरीके से लिखी गयी है। (इसी प्रकार की त्रुटियों का उल्लेख अन्य आपत्ति में भी है) ग्राम सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ऊ- प्राइमरी स्कूल में कराये गये कार्य की पुष्टि स्कूल के प्रधानाध्यापक से नही करायी गयी है।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 - ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त के अभाव में लेखा परीक्षा में प्राइमरी स्कूल में टाइल्स निर्माण व इण्टरलाकिंग कार्य पर दर्शित कुल व्यय रु0 366689.00 अपहरण की श्रेणी में है जिसके प्रति तत्कालीन प्रधान श्रीमती बबिता व सचिव श्री मुरली श्याम उत्तरदायी है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 183344 .50 एवं सचिव से रु0 183344.50 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -16 केन्द्रीय वित्त कोषबही में दि0 01-08-2021 को रु0 57000.00 गुप्ता बिल्डिंग मैटिरियल्स को सफाई सामग्री-ट्राली, बेलचा फावड़ा आदि क्रय (आईडी- 51103561) पर भुगतान दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां है-

अ- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

आ- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है और न ही इसे सफाईकर्मी को हस्तगत कराकर प्रमाणक रखा गया है।

इ- स्टाक रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नही रहा कि इसके पूर्व व पश्चात कब सामग्री क्रय दर्शित है और कब उसका उपयोग अथवा उपभोग किया गया, जो आवश्यक रहा।

उपरोक्त के अभाव में क्रय की पुष्टि नही होती है साथ ही पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8- ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 57000.00 का अपहरण के प्रति तत्कालीन प्रधान श्रीमती बबिता व सचिव श्री मुरली श्याम द्वारा किया गया है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 28500.00 एवं सचिव से रु0 28500.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

11-ग्राम पंचायत – कटवा माफी
विकास क्षेत्र – शहाबगंज
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -17 ग्राम पंचायत:- कटवा माफी, **विकास खण्ड-** शहाबगंज, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

राज्य वित्त कोषबही में दि0 26-08-2021 को रु0 73950.00 नूर कंस्ट्रक्शन को सफाई सामग्री- क्रय (आईडी- 47953992) पर भुगतान दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां है-

अ- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

आ- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है और न ही इसे सफाईकर्मी को हस्तगत कराकर प्रमाणक रखा गया है।

इ- स्टाक रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नही रहा कि इसके पूर्व व पश्चात कब सामग्री क्रय दर्शित है और कब उसका उपयोग अथवा उपभोग किया गया, जो आवश्यक रहा।

उपरोक्त के अभाव में क्रय की पुष्टि नही होती है साथ ही पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8- ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 **73950.00 का** अपहरण तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व सचिव श्री अजय कुमार द्वारा किया गया है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 36975 .00 एवं सचिव से रु0 36975.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

12-ग्राम पंचायत – बड़ौरा
विकास क्षेत्र – शहाबगंज
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -18 ग्राम पंचायत:- बड़ौरा, **विकास खण्ड-** शहाबगंज, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

राज्य वित्त कोषबही में दि0 27-08-2021 को रु0 44550.00 कौशल्या इण्टरप्राइजेज को सफाई सामग्री-ट्राली, बेलचा आदि क्रय (आईडी- 53702403) पर भुगतान दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां है-

अ- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

आ- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है और न ही इसे सफाईकर्मी को हस्तगत कराकर प्रमाणक रखा गया है।

इ- स्टाक रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नही रहा कि इसके पूर्व व पश्चात कब सामग्री क्रय दर्शित है और कब उसका उपयोग अथवा उपभोग किया गया, जो आवश्यक रहा।

उपरोक्त के अभाव में क्रय की पुष्टि नही होती है साथ ही पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8- ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 **44550.00 का** अपहरण तत्कालीन प्रधान श्रीमती शर्मीला सिंह व सचिव श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा किया गया है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 22275 .00 एवं सचिव से रु0 22275.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

13-ग्राम पंचायत – हड़ौरा
विकास क्षेत्र – शहाबगंज
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -19 ग्राम पंचायत:- हड़ौरा, **विकास खण्ड-** शहाबगंज, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है

राज्य वित्त कोषबही में दि0 14-12-2021 को रु0 50325.00 नूर कंस्ट्रक्शन को सफाई सामग्री-ट्राली, बेलचा आदि क्रय (आईडी- 55002423) पर भुगतान दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां है-

अ- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

आ- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है और न ही इसे सफाईकर्मी को हस्तगत कराकर प्रमाणक रखा गया है।

इ- स्टाक रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नही रहा कि इसके पूर्व व पश्चात कब सामग्री क्रय दर्शित है और कब उसका उपयोग अथवा उपभोग किया गया, जो आवश्यक रहा।

उपरोक्त के अभाव में क्रय की पुष्टि नही होती है साथ ही पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8- ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 50325.00 का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रियंका व सचिव श्री मुरली श्याम द्वारा किया गया है। उत्तरदायी प्रधान से रु0 25162 .50 एवं सचिव से रु0 25162.50 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

14-ग्राम पंचायत – सरैया
विकास क्षेत्र – शहाबगंज
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -20 ग्राम पंचायत:- सरैया, **विकास खण्ड-** शहाबगंज, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त कोषबही में दि0 13-08-2021 को सरैया में नाली सफाई कार्य आई डी- 53774476 पर सामग्री क्रय रु0 82931.00 का भुगतान पुर्वान्चल इण्टरप्राइजेज को तथा दि0 12.10.2021 को
रु0 83600.00 का भुगतान मजदूरी मद में दर्शित है। भुगतान के सापेक्ष प्रमाणक एवं मस्टररोल सहित कार्य पत्रावली लेखापरीक्षा में उपलब्ध नही रही। इस कार्य पर निम्न आपत्तियां है-

1. नाली सफाई कहां से कहां तक करायी गई इसका उल्लेख नही है।
2. वर्ष आलोच्य में ही अन्य कार्य- केस रिकार्ड सं0 53774399 नाली सफाई कार्य रामसेवक के घर से मेन नहर तक कराया गया है जिस पर रु0 125027 सामग्री एवं रु0 64980 मजदूरी पर कुल रु0 190007 माह अगस्त-सितम्बर में व्यय दर्शित है।

पुनः केस रिकार्ड सं0 53774476 पर बिना कार्य स्थल दर्शित किये नाली सफाई कार्य दर्शित कर रु0 166531 भुगतान कर दिया गया जिससे स्पष्ट होता है कि रामसेवक के घर से मेन नहर तक नाली सफाई कार्य पर ही दुबारा भुगतान किया गया जिसका प्रमाणक व मस्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया।

3. केस रिकार्ड सं0 53774476 पर दर्शित कार्य का इस्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टाक पंजिका,उपलब्ध नही रहा।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 - ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं एवं निर्धारित व्यवस्था के परिपालन के अभाव में स्पष्ट है कि सामग्री क्रय रु0 82931.00 एवं मजदूरी रु0 83600.00 कुल दर्शित भुगतान रु0 166531.00 का अपहरण बिना कार्य कराये ही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली प्रधान से रु0 83265 .50 एवं सचिव से रु0 83265.50 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

15-ग्राम पंचायत – भटरौल
विकास क्षेत्र – शहाबगंज
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -21 ग्राम पंचायत:- भटरौल, **विकास खण्ड-** शहाबगंज, **जनपद-** चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

राज्य वित्त कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत -आईडी)52791904) पर रु0 69295.00 भुगतान दर्शित है जिसपर निम्न आपत्तियां हैं-

क्र0सं0	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	मद	धनराशि
1	27.09.2021	अजका इण्टरप्राइजेज	सामग्री	51355
2	17.02.2022	विभिन्न मजदूर	मजदूरी	17940
			योग	69295

अ- हैण्डपम्प कहां-कहां मरम्मत करवाये गये, उनके खराब होने की सूचना कैसे प्राप्त हुयी, कोई तकनीकी रिपोर्ट नही रही, हैण्डपम्प ठीक होने का प्रमाण भी सन्लग्न नही पाया गया।

ब- क्रय प्रमाणक व मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

स- निष्प्रयोज्य सामग्री का कोई विवरण नही रखा गया है।

द- सामग्री क्रय का स्टाक रजिस्टर नही रखा गया है।

य- जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति नही रही।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 - ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8(क) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त के अभाव में लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय अपहरण की श्रेणी में है जिसके प्रति तत्कालीन प्रधान श्री सुरेन्द्र व सचिव श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी रहे जिसकी वसूली प्रधान से रु0 34647 .50 एवं सचिव से रु0 34647.50 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

16-ग्राम पंचायत – खझरा
विकास क्षेत्र – बरहनी
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -22 ग्राम पंचायत- खझरा, विकास खण्ड- बरहनी, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

1. आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से दिनांक 20.11.2021 व बाउचर नं0 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी /5 से रु0 9500.00 का स्टेशनरी व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, **कार्यवाही रजिस्टर,** स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय पर भुगतान किस फर्म को दिया गया है कैशबुक में अंकित नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 9500.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 4750.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री संतोष केशरी एवं रु0 4750.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री दिनेश से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 – **11**)

17-ग्राम पंचायत – लोकमनपुर
विकास क्षेत्र – बरहनी
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -23 ग्राम पंचायत- लोकमनपुर, विकास खण्ड- बरहनी, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

1. आलोच्य वर्ष में पांचवा वित्त आयोग से ग्राम पंचायत में (स्थान अंकित नहीं) हैंडपंप मरम्मत कार्य पर दिनांक 16.09.2021 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/P/1 से रु0 45940.00 का भुगतान कर व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, **कार्यवाही रजिस्टर, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,** स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय पर भुगतान किस फर्म को दिया गया है कैशबुक में अंकित नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 45940.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 22970.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अरविन्द सिंह एवं रु0 22970.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामसागर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 – 10)

18-ग्राम पंचायत – मनराजपुर
विकास क्षेत्र – बरहनी
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -24 ग्राम पंचायत- मनराजपुर, विकास खण्ड- बरहनी, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

1. आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से मन्ना यादव के घर से दुख्खू के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर दिनांक 10.05.2021 व बाउचर नं0 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/1 से रु0 185076.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, **कार्यवाही रजिस्टर, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, मस्टररोल,** स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय पर भुगतान किस फर्म को दिया गया है कैशबुक में अंकित नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 185076.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 92538.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनन्त सिंह एवं रु0 92538.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 – 10)

19-ग्राम पंचायत – मुहम्मदपुर
विकास क्षेत्र – बरहनी
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -25 ग्राम पंचायत- मुहम्मदपुर, विकास खण्ड- बरहनी, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

1. आलोच्य वर्ष में पांचवा वित्त आयोग से ग्राम पंचायत में सफाई सामग्री पर दिनांक 13.12.2021 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/6 से रु0 17700.00 का भुगतान कर व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, **कार्यवाही रजिस्टर,** स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय पर भुगतान किस फर्म को दिया गया है कैशबुक में अंकित नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 17700.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 8850.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अरविन्द सिंह एवं रु0 8850.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार मौर्य से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 – 10)

20-ग्राम पंचायत – भुजना
विकास क्षेत्र – बरहनी
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -26 ग्राम पंचायत- भुजना, विकास खण्ड- बरहनी, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

1. आलोच्य वर्ष में पांचवा वित्त आयोग से प्रा0पा0 भुजना की बाउण्डी वाल पेंटिंग हेतु दिनांक 09.11.2021 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/3 से रु0 63612.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, **कार्यवाही रजिस्टर, प्रशासनिक व**

तकनीकी स्वीकृति, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय पर भुगतान किस फर्म को दिया गया है कैशबुक में अंकित नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 63612.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 31806.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अरविन्द सिंह एवं रु0 31806.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री आलोक कुमार सिंह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 – 10)

21-ग्राम पंचायत – कल्यानपुर
विकास क्षेत्र – बरहनी
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -27 ग्राम पंचायत- कल्यानपुर, विकास खण्ड- बरहनी, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

1. आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से दिनांक 29.07.2021 व बाउचर नं0 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/1 से रु0 5800.00 का स्टेशनरी व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय पर भुगतान किस फर्म को दिया गया है कैशबुक में अंकित नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 5800.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 2900.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुमित नन्दन एवं रु0 2900.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री गौतम से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 – 10)

22-ग्राम पंचायत – तेन्दुहान
विकास क्षेत्र – बरहनी
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -28 ग्राम पंचायत- तेन्दुहान, विकास खण्ड- बरहनी, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

1. आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से दिनांक 05.06.2021 व बाउचर नं0 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/3 से रु0 105000.00 का स्टेशनरी व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय पर भुगतान किस फर्म को दिया गया है कैशबुक में अंकित नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 105000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 52500.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री इन्दल कुमार एवं रु0 52500.00 की

वसूली ग्राम प्रधान श्री आलोक से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 – **11**)

23-ग्राम पंचायत – संग्रामपुर
विकास क्षेत्र – धानापुर
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -29 ग्राम पंचायत संग्रामपुर के वित्तीय वर्ष 2021-22 में सफाईकर्मी हेतु सफाई किट के क्रय पर रु 30714.00 का भुगतान मे० हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन को ,दिनांक 21.10.2021 , कोषबही में अंकित किया गया है.

लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए-

1. रु 20000 से रु100000.00 तक के क्रय हेतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रूप से प्रावधानित है ,परंतु कोटेशन आमंत्रित किए बिना कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया जो कि अनियमित है..
2. क्रय् सामग्री का अंकन स्टाक पंजिका में करना अनिवार्य है परंतु लेखा परीक्षा में अद्यतन क्रय् सामग्री का अंकन कर प्रस्तुत नहीं किया गया
3. क्रय सामग्री की पुष्टि में बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया .
4. सामग्री हस्तगत करने का प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि लेखा मैनुअल अध्याय 8 ,खंड 7 व 8 (क) के आलोक में ₹ 30714.00 का अपहरण किया गया है, जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री भरत संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं |

अतः रु 30714.00 के आधे -आधे धनराशि की अद्यतन ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री भरत से किया जाना अपेक्षित हैं।

24-ग्राम पंचायत – माधोपुर
विकास क्षेत्र – धानापुर
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -30 ग्राम पंचायत माधोपुर के वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत कोविड-19(सैनीटाइजेशन) सामग्री के क्रय पर रु 124600.00 का भुगतान ,दिनांक 06.08.2021 ,मेसर्स सतीश एंटरप्राइज को किया जाना कोषबही में अंकित किया गया है ।

लेखा परीक्षा में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आए.

1. रु100000.00 से अधिक के क्रय हेतु टैंडर की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रूप से प्रावधानित है ,परंतु टैंडर आमंत्रित किए बिना कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया जो कि अनियमित है.
2. क्रय सामग्री की पुष्टि में बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि लेखा मैनुअल अध्याय 8 के 8 (क) के आलोक में ₹ 124600.00 का अपहरण किया गया है, जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अश्विनी सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री मुन्नर संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं |

अतः रु 124600.00 के आधे -आधे धनराशि की अद्यतन ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अश्विनी सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री मुन्नर से अपेक्षित है।

25-ग्राम पंचायत – अटौली
विकास क्षेत्र – धानापुर
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -31 ग्राम पंचायत अटौली के वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु कुर्सी, मेज, दरी, आलमारी इत्यादि सामग्री के क्रय पर रु 24600.00 का भुगतान ,दिनांक 25.01.2022 ,मेसर्स सतीश एंटरप्राइज को कोषबही में अंकित किया गया है ।

लेखा परीक्षा में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आए

1. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही.
2. रु 20000.00 से रु100000.00 तक के क्रय हेतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रूप से प्रावधानित है ,परंतु कोटेशन आमंत्रित किए बिना कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया जो कि अनियमित है.
3. प्राक्कलन/तकनीकी स्वीकृती लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया .
4. वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,
5. क्रय् सामग्री का अंकन स्टाक पंजिका में करना अनिवार्य है परंतु लेखा परीक्षा में अद्यतन क्रय् सामग्री का अंकन कर स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. क्रय सामग्री की पुष्टि में बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया .
7. कार्य पुर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि लेखा मैनुअल अध्याय 8 *8 (क(के* आलोक में ₹ 24600.00 का अपहरण किया गया है, जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री इन्द्रजीत प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मीना संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं |

अतः रु0 12300.00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना एवं सचिव श्री इंद्रजीत प्रसाद से रु0 12300.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

26-ग्राम पंचायत – गुरैनी
विकास क्षेत्र – धानापुर
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -32 ग्राम पंचायत गुरैनी के वित्तीय वर्ष 2021-22 में सैनीटाइजेशन *किट* पर रु 21200.00 का व्यय ,दिनांक 02.10.2021 को कोषबही में अंकित किया गया है ।

लेखा परीक्षा में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आए

1. रु 20000.00 से रु100000.00 तक के क्रय हेतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रूप से प्रावधानित है ,परंतु कोटेशन आमंत्रित किए बिना कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया जो कि अनियमित है.
2. क्रय् सामग्री का अंकन स्टाक पंजिका में करना अनिवार्य है परंतु लेखा परीक्षा में अद्यतन क्रय् सामग्री का अंकन कर स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया
3. क्रय सामग्री की पुष्टि में बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया .
4. क्रय सामग्री को हस्तगत करने का प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि लेखा मैनुअल अध्याय 8 के 8 (क) के आलोक में ₹ 21200.00 का अपहरण किया गया है, जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री इन्द्रजीत प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं |

अतः रु 21200.00 के आधे -आधे धनराशि की अद्यतन ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री इन्द्रजीत प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा से अपेक्षित हैं।

27-ग्राम पंचायत – नवरंगाबाद
विकास क्षेत्र – धानापुर
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -33 ग्राम पंचायत नवरंगाबाद के वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राथमिक विद्यालय नवरंगाबाद में इंटरलॉकिंग के कार्य हेतु सामग्री (ईंट और ईंट गिट्टी)पर रु 43495.00 ,दिनांक 02.10.2021 को तथा उक्त कार्य पर मजदूरी , रु 21666.00 ,दिनांक 14.12.2021. का व्यय कोषबही में अंकित किया गया है ।

लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए

1. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही
2. रु 20000 से रु100000.00 तक के क्रय हेतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रूप से प्रावधानित है ,परंतु कोटेशन आमंत्रित किए बिना कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया जो कि अनियमित है.
3. प्राक्कलन/तकनीकी स्वीकृती लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया .
4. वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,
5. क्रय सामग्री का अंकन स्टाक पंजिका में करना अनिवार्य है परंतु लेखा परीक्षा में अद्यतन क्रय सामग्री का अंकन कर स्टाक पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया
6. मजदूरी से सम्बंधित मस्टर रोल पर सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया .
7. सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति द्वारा उक्त कार्य की स्वीकृती एवं भुगतान के अनुमोदन से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया .
8. सार्वजनिक परिसंपत्ति रजिस्टर में ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन कराए गए कार्यों का विवरण अंकित करना अनिवार्य है जिससे इस बात की पुष्टि हो कि लेखा परीक्षा वर्ष मे संपादित कार्य नवीन है और पहले नहीं कराया गया है, रजिस्टर अपूर्ण पाया गया
9. कार्य पुर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

अतः रु 65161.00 के अनियमितता के लिये ग्राम पंचायत सचिव श्री मिथिलेश कुमार सिंह व ग्राम प्रधान श्री अरशद अली उत्तरदायी हैं,जिनके विरुद्ध विभागीय कार्य् वाही अपेक्षित है

28-ग्राम पंचायत – खर्रा

विकास क्षेत्र – चहनियाँ

<u>वर्ष - 2021-2022</u>

प्रस्तर -34 ग्राम पंचायत- खर्रा, विकास क्षेत्र-चहनियाँ, जनपद- चंदौली के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है:-

(1)- पंचायत भवन के प्रांगण में इन्टरलाकिंग कार्य पर कैश बुक में निम्न प्रकार से भुगतान दर्शाया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	03-10-2021	185850.00	इन्टरलाकिंग ईंट का भुगतान (5 वें राज्य वित्त से)
2	03-10-2021	53712.00	सिमेन्ट,महीन बालू,ईंट गिट्टी,सफेद बालू का भुगतान (15 वें केन्द्रीय वित्त से)
3	21-10-2021	62742.00	इन्टरलाकिंग ईंट (15 वें केन्द्रीय वित्त से)
4	25-10-2021	36528.00	मजदूरी का भुगतान (15 वें केन्द्रीय वित्त से)
5	21-01-2022	43611.00	सिमेन्ट,महीन बालू,ईंट गिट्टी,सफेद बालू,मिट्टी का भुगतान (5 वें राज्य वित्त से)
6	21-01-2022	8820.00	मजदूरी का भुगतान (5 वें राज्य वित्त से)
	योग	**391263.00**	

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निमन्वत है:-

*सामग्री क्रय का प्रमाणक एवं मजदूरी हेतु प्रयुक्त मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा।

*क्रय सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।

*सामग्री रवानगी की पुष्टि में रवन्ना (एम० एम० 11)ऑडिट में अप्राप्त रहा। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध है,और जब सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध है,तो निर्माण कार्य भी संदिग्ध ही रहेगा।

*संप्रेक्षण में निर्माण समिति से संस्तुति/स्वीकृति आदि का प्रमाण अप्राप्त रहा।

*दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ,निरीक्षण प्रमाण पत्र,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,धन उपभोग प्रमाण पत्र,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर ,मापन पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका आदि जैसे पुष्टिकारक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। ऐसे मे कार्य की,सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय आदि किसी की पुष्टि नहीं होती।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय **₹391263.00** लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी अद्यतन मय ब्याज , वसूली प्रधान श्री सुमित एवं सचिव श्री हवलदार सिंह यादव से समान रूप से आधी-आधी किया जाना अपेक्षित है।

(संदर्भित आपत्ति संख्या- 14)

प्रस्तर -35 हैन्ड पम्प रिबोर पर कैश बुक में निम्न प्रकार से भुगतान दर्शाया गया है :-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	27-08-2021	72597.00	अभय पाल के दरवाजे पर (5 वें राज्य वित्त से)
2	25-10-2021	72797.00	काली जी के मन्दिर के पास(15 वें केन्द्रीय वित्त से)
3	25-10-2021	72797.00	कोआपरेटिव के पास (15 वें केन्द्रीय वित्त से)
	योग	**218191.00**	

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं:-

*हैण्ड पम्प रिबोर पर दर्शित व्यय का सामग्री क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।

*कैश बुक में सामग्री एवं मजदूरी पर दर्शित व्यय में स्पष्ट विभेद अंकन नहीं है।

*हैण्ड पम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट संलग्न नहीं रहा।

*हैण्ड पम्प कौन -कौन से खराब हैं,इससे सम्बंधित जांच रिपोर्ट नहीं है।

*दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व धन उपभोग प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध रहा।

*स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है,जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य (स्क्रैप)सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय ₹**218191.00** लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी अद्यतन मय ब्याज वसूली प्रधान श्री सुमित एवं सचिव श्री हवलदार सिंह यादव से समान रूप से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

(संदर्भित आपत्ति संख्या-15)

प्रस्तर -36 पंचायत भवन कायाकल्प के अंतर्गत कैश बुक में निम्न प्रकार से भुगतान दर्शाया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	06-08-2021	82812.40	टाइल्स का भुगतान (15 वें वित्त निधि से)
2	06-08-2021	7487.10	पेन्ट का भुगतान (15 वें वित्त निधि से)
3	06-08-2021	36783.00	सिमेन्ट,बालू,खिड़की का भुगतान (15 वें वित्त निधि से)
4	06-08-2021	43056.00	पंचायत भवन कायाकल्प कार्य (15 वें वित्त निधि से)
5	17-08-2021	139405.00	सामग्री का भुगतान (5 वें राज्य वित्त निधि से)
6	17-08-2021	52005.00	सिमेन्ट,बालू (5 वें राज्य वित्त निधि से)
7	17-08-2021	43464.00	मजदूरी का भुगतान (5 वें राज्य वित्त निधि से)
8	11-09-2021	6565.00	ईंट प्रथम श्रेणी एवं मिट्टी (15 वें वित्त निधि से)
	योग	**411577.50**	

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ नमन्वत है:-

*सामग्री क्रय का प्रमाणक एवं मजदूरी हेतु प्रयुक्त मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा।

*क्रय सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।

*सामग्री रवानगी की पुष्टि में रवन्ना (एम० एम० 11)ऑडिट में अप्राप्त रहा। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध है,और जब सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध है,तो निर्माण कार्य भी संदिग्ध ही रहेगा।

*संप्रेक्षण में निर्माण समिति से संस्तुति/स्वीकृति आदि का प्रमाण अप्राप्त रहा।

*दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ,निरीक्षण प्रमाण पत्र,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,धन उपभोग प्रमाण पत्र,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर ,मापन पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका आदि जैसे पुष्टिकारक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। ऐसे मे कार्य की,सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय आदि किसी की पुष्टि नहीं होती।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय **₹411577.50** लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी अद्यतन मय ब्याज वसूली प्रधान श्री सुमित एवं सचिव श्री हवलदार सिंह यादव से समान रूप से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

(संदर्भित आपत्ति संख्या-13)

29-ग्राम पंचायत – सेवढ़ी
विकास क्षेत्र – चहनियाँ
<u>वर्ष - 2021-2022</u>

प्रस्तर -37 ग्राम पंचायत -सेवढ़ी, विकास क्षेत्र- चहनियाँ, जनपद- चंदौली के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है:-
(1)बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आहरित एवं राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त के आनलाइन कैश बुक में दर्शित निम्नांकित व्ययों के पुष्टिकारक अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	07-07-21	27000.00	सामुदायिक शौचालय के रखरखाव हेतु सफाई सामग्री व स्वयं सहायता समूह का मानदेय (केन्द्रीय वित्त से)
2	02-11-21	19300.00	हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी (राज्य वित्त से)
3	02-11-21	18700.00	हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी (राज्य वित्त से)

4	02-11-21	65664.00	शिवपूजन राम के घर से पाँचू राम के घर तक मिट्टी व खड़ंजा कार्य पर सामग्री (राज्य वित्त से)
5	02-11-21	239815.00	सेवढ़ी में पंचायत भवन मरम्मत व दरवाजा रंगाई पुताई इन्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री (राज्य वित्त से)
6	28-11-21	35000.00	पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी का माह फरवरी 2020 से नवंबर 2020 तक का मानदेय (राज्य वित्त से)
7	20-12-21	1035.00	निदेशक पंचायतिराज की प्रशासनिक मद से धनराशि का भुगतान (राज्य वित्त से)
8	23-12-21	17500.00	ग्राम प्रधान का मानदेय 5 माह का (राज्य वित्त से)
9	30-12-21	72200.00	महामाया मन्दिर के पास ग्राम पंचायत में हैन्ड पम्प रिबोर कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी (केन्द्रीय वित्त से)
10	10-01-22	6000.00	ग्राम पंचायत में नियुक्त पंचायत सहायक का मानदेय (राज्य वित्त से)
11	14-01-22	119522.00	चंद्रभूषण सिंह के घर से पिच रोड नरसिंघ व सियाराम के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री (केन्द्रीय वित्त से)
12	14-01-22	12656.00	चंद्रभूषण सिंह के घर से पिच रोड नरसिंघ व सियाराम के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य पर मजदूरी (केन्द्रीय वित्त से)
13	14-01-22	18270.00	शिवपूजन राम के घर से पाँचू राम के घर तक मिट्टी व खड़ंजा कार्य पर मजदूरी (राज्य वित्त से)
14	14-01-22	55210.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर मजदूरी (राज्य वित्त से)
15	14-01-22	127981.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर सामग्री (राज्य वित्त से)
16	18-01-22	29924.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर मजदूरी (केन्द्रीय वित्त से)
17	20-01-22	3880.00	ग्राम-पंचायत प्रशासनिक अनुदान का भुगतान (केन्द्रीय वित्त से)
18	26-01-22	56968.00	ग्राम पंचायत में कुर्सी,कंप्युटर मेज,आलमारी इत्यादि क्रय(केन्द्रीय वित्त से)
19	26-01-22	96876.00	ग्राम पंचायत में सोलर इनवर्टर,कंप्युटर,प्रिंटर सेट क्रय(केन्द्रीय वित्त से)
20	26-01-22	2798.00	थर्मामीटर व पल्स ऑक्सीमीटर क्रय (राज्य वित्त से)
21	13-03-22	10500.00	ग्राम प्रधान का मानदेय (राज्य वित्त से)
22	13-03-22	387277.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर सामग्री (केन्द्रीय वित्त से)
23	13-03-22	12000.00	सोनाली मिश्र (पंचायत सहायक)का जन० एवं फर० 22 का मानदेय (केन्द्रीय वित्त से)
	योग	**1436076.00**	

उल्लेखनीय है कि ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 05-04-21 को ₹202942.00 आहरित है,जिसका व्यय विवरण आनलाइन कैश बुक में अंकित नहीं पाया गया। इस प्रकार कुल व्यय **₹1639018.00** =(1436076.00+202942.00) के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल,कार्य योजना,स्टीमेट,कार्यवाही पुस्तिका,वर्क आइ० डी०,एम० बी०,एम०एम० 11,प्रधान एवं अन्य का मानदेय रजिस्टर,विभिन्न समितियों-जैसे नियोजन समिति,जल प्रबंधन समिति,निर्माण समिति की संस्तुति,प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र,स्टाक रजिस्टर,प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र,टेण्डर/कोटेशन पत्रावली,सार्वजनिक निर्माण कार्य

पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका,कार्यों का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

अतः पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) में प्रविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी"।

उक्त के आलोक में ₹1639018.00 अद्यावधि ब्याज सहित प्रधान श्री आशुतोष एवं सचिव श्री आनंद कुमार यादव से संयुक्त रूप से आधी-आधी वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(संदर्भित आपत्ति संख्या- 12)

30-ग्राम पंचायत – कैलावर
विकास क्षेत्र – चहनियाँ
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -38 ग्राम पंचायत -कैलावर , विकास क्षेत्र- चहनियाँ, जनपद- चंदौली के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है:-

(1)- राज्य वित्त निधि से कैश बुक में निम्न विवरण के अनुसार हैन्ड पम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शाया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	01-11-2021	19200.00	न्यू किसान मशीनरी स्टोर को सामग्री एवं मजदूरी हेतु भुगतान
2	02-11-21	19200.00	उपरोक्त को सामग्री एवं मजदूरी हेतु भुगतान
	योग	**38400.00**	

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं:-

*हैण्ड पम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय का सामग्री क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।

*कैश बुक में सामग्री एवं मजदूरी पर दर्शित व्यय में स्पष्ट विभेद अंकन नहीं है।

*हैण्ड पम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट संलग्न नहीं रहा।

*हैण्ड पम्प कौन -कौन से खराब हैं,इससे सम्बंधित जांच रिपोर्ट नहीं है।

*दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व धन उपभोग प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध रहा।

*स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है,जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य (स्क्रैप)सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय **₹38400.00** लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी मय अद्यतन ब्याज वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से प्रधान श्री उपेन्द्र विक्रम सिंह एवं सचिव श्री धनंजय सिंह से आधी-आधी किया जाना अपेक्षित है।

(संदर्भित आपत्ति संख्या -13)

प्रस्तर -39 राज्य वित्त निधि से दिनांक 01-01-2022 को मेसर्स घरसुख आर्ट, रामनगर को कुर्सी 6 नग,आलमारी 01 नग,एवं टेबल 01 नग क्रय हेतु ₹33571.00 का भुगतान कैश बुक में अंकित है।

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं:-

*सामग्री क्रय का प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

*क्रय सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।

*अलग अलग सामग्री का मूल्य अलग अलग स्पष्ट नहीं किया गया है।

*दर्शित क्रय सामग्री का वर्षांत में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं धन उपभोग प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे मे सामग्री क्रय एवं व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय **₹33571.00** लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी मय अद्यतन ब्याज वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से प्रधान श्री उपेन्द्र विक्रम सिंह एवं सचिव श्री धनंजय सिंह से आधी-आधी किया जाना अपेक्षित है। **(संदर्भित आपत्ति संख्या -14)**

31 -ग्राम पंचायत – उतड़ी
विकास क्षेत्र – चहनियाँ
<u>वर्ष - 2021-2022</u>

प्रस्तर -40 ग्राम पंचायत - उत्तणी , विकास क्षेत्र- चहनियाँ, जनपद- चंदौली के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है:-

(1)-बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 05-04-21 को राज्य वित्त निधि से ₹73354.00 आहरित किया गया गया है,जिसका लेखांकन ऑफलाइन कैश बुक में नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त धनराशि का अंकन आनलाइन कैश बुक मे भी नहीं है,एवं न ही उक्त व्यय से सम्बंधित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त धनराशि रु0 73354.00 का व्यय विवरणहीन व प्रमाणक हीन होने के कारण लेखा परीक्षा में अपहृत आंकलित की जाती है। जिसकी अद्यतन ब्याज सहित वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से आधी-आधी प्रधान श्री रत्नेश एवं सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है। **(संदर्भित आपत्ति संख्या-13)**

प्रस्तर -41 राज्य वित्त आयोग निधि से दिनांक 13-05-21 को ओमप्रकाश मिश्र के घर से ऋषिकेश मिश्र के घर तक ढक्कनदार नाली व इन्टरलाकिंग कार्य हेतु कैश बुक में इन्टरलाकिंग ईंट क्रय पर ₹52400.00 भुगतान दर्शित है। उपरोक्त दर्शित भुगतान पर आपत्तियाँ निम्न प्रकार है:-

*सामग्री क्रय का प्रमाणक संप्रेक्षण में अप्राप्त रहा।

* उपरोक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान वर्षात तक कैश बुक में अंकित नहीं है।

*क्रय सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।

*उपरोक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्य योजना,स्टीमेट,वर्क आइ०डी०,मापन पंजिका,प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,निर्माण समिति की संस्तुति,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,धन उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित सामग्री क्रय एवं उस पर दर्शित भुगतान ₹52400.00 लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है। अतः उक्त धनराशि की अद्यतन ब्याज सहित वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से आधी-आधी प्रधान श्री रत्नेश एवं सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है। **(संदर्भित आपत्ति संख्या-14)**

प्रस्तर -42 ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य पर निम्न प्रकार से भुगतान कैश बुक में दर्शाया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	05-09-2021	164806.00	सिमेन्ट,बालू ,सरिया इत्यादि (राज्य वित्त निधि से)
2	05-09-2021	33180.00	उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान (राज्य वित्त निधि से)
3	17-10-2021	168505.00	सिमेन्ट,गिट्टी, ईंट (केन्द्रीय वित्त निधि से)
4	17-10-2021	101318.00	बालू,मोरंग,सरिया इत्यादि (केन्द्रीय वित्त निधि से)
	योग	**467809.00**	

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत है:-

1-सामग्री क्रय का प्रमाणक एवं मजदूरी हेतु प्रयुक्त मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा।

2-क्रय सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।

3-सामग्री रवानगी की पुष्टि में रवन्ना (एम० एम० 11)ऑडिट में अप्राप्त रहा। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध है,और जब सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध है,तो निर्माण कार्य भी संदिग्ध ही रहेगा।

4-क्रम संख्या (3)एवं (4) पर अंकित सामग्री को दिनांक 31-03-2022 तक उक्त दर्शित कार्य में प्रयुक्त नहीं किया गया है।

5-संप्रेक्षण में निर्माण समिति से संस्तुति/स्वीकृति आदि का प्रमाण अप्राप्त रहा।

6-दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ,निरीक्षण प्रमाण पत्र,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,धन उपभोग प्रमाण पत्र,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर ,मापन पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका,वर्क आइ०डी०, कार्य योजना,स्टीमेट, आदि जैसे पुष्टिकारक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। ऐसे मे कार्य की,सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय आदि किसी की पुष्टि नहीं होती।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय ₹**467809.00** लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी मय अद्यतन ब्याज वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से आधी-आधी प्रधान श्री रत्नेश एवं सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है। (संदर्भित आपत्ति संख्या -15)

32-ग्राम पंचायत – त्रिपाठ
विकास क्षेत्र – चहनियाँ
<u>वर्ष - 2021-2022</u>

प्रस्तर -43 ग्राम पंचायत -त्रिपाठ, विकास क्षेत्र- चहनियाँ, जनपद- चंदौली के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है:-

(1)-सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर आनलाइन कैश बुक में निम्न विवरण के अनुसार भुगतान दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कैश बुक के अनुसार दिनांक	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक	धनराशि	विवरण
1	05-09-21	06-09-21	52224.00	सिमेन्ट,मोरम,बालू,गिट्टी इत्यादि

2	20-10-21	22-10-21	9870.00	मजदूरी का भुगतान
3	25-10-21	28-10-21	48543.00	सिमेन्ट,बालू,गिट्टी
4	25-10-21	28-10-21	4230.00	मजदूरी का भुगतान
5	04-12-21	06-12-21	72846.00	सामग्री का भुगतान
6	30-01-22	03-02-22	34844.00	ईंट एवं ईंट टुकड़ी
7	30-01-22	03-02-22	72880.00	सिमेन्ट,बालू व अन्य सामग्री
		योग	**295437.00**	

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत है:-

*सामग्री क्रय का प्रमाणक एवं मजदूरी हेतु प्रयुक्त मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा।

*क्रय सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।

*सामग्री रवानगी की पुष्टि में रवन्ना (एम० एम० 11)ऑडिट में अप्राप्त रहा। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध है,और जब सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध है,तो निर्माण कार्य भी संदिग्ध ही है।

*संप्रेक्षण में निर्माण समिति से संस्तुति/स्वीकृति आदि का प्रमाण अप्राप्त रहा।

*दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ,निरीक्षण प्रमाण पत्र,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,धन उपभोग प्रमाण पत्र,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर ,मापन पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका आदि जैसे पुष्टिकारक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। ऐसे मे कार्य की,सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय आदि किसी की पुष्टि नही होती।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय ₹**295437.00** लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी मय अद्यतन ब्याज वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क)के अनुसार संयुक्त रूप से आधी-आधी प्रधान श्रीराम सिंह चौहान एवं सचिव श्री बाबूलाल से किया जाना अपेक्षित है। (संदर्भित आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर -44 निर्मल के मकान से राजदेव के घर तक ढक्कनदार नाली मरम्मत कार्य हेतु आनलाइन कैश बुक में भुगतान निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कैश बुक के अनुसार दिनांक	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक	धनराशि	विवरण
1	02-12-2021	06-12-21	71898.00	बालू महीन,बालू मोटी,सिमेन्ट इत्यादि सामग्री पर भुगतान (15 वें वित्त से)
2	02-12-2021	06-12-21	20083.00	ईंट क्रय (5 वें राज्य वित्त से)
		योग	**91981.00**	

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत है:-

*सामग्री क्रय का प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

*क्रय सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।

*सामग्री रवानगी की पुष्टि में रवन्ना (एम० एम० 11)ऑडिट में अप्राप्त रहा। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध है।

*संप्रेक्षण में निर्माण समिति से संस्तुति/स्वीकृति आदि का प्रमाण अप्राप्त रहा।

*दर्शित सामग्री क्रय का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ,धन उपभोग प्रमाण पत्र ,मापन पंजिका, आदि जैसे पुष्टिकारक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। ऐसे मे सामग्री पर व्यय की पुष्टि नहीं होती।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय **₹91981.00** लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी मय अद्यतन ब्याज वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क)के अनुसार संयुक्त रूप से आधी-आधी प्रधान श्रीराम सिंह चौहान एवं सचिव श्री बाबूलाल से किया जाना अपेक्षित है। **(संदर्भित आपत्ति संख्या-13)**

33-ग्राम पंचायत – महुआरीखास
विकास क्षेत्र – चहनियाँ
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -45 ग्राम पंचायत - महुआरीखास, विकास क्षेत्र-चहनियाँ , जनपद- चंदौली के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है:-

कैश-बुक में निम्न विवरण के अनुसार हैन्ड पम्प मरम्मत/ रिबोर कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी सहित भुगतान दर्शाया गया है:-

क्र मांक	कैश बुक के अनुसार दिनांक	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक	धनराशि	विवरण
1	13.09.21	14.09.21	216800.00	रोजन साह,शिवदुलार यादव एवं आजाद के घर पास हैन्ड पम्प रिबोर कार्य (5 वें राज्य वित्त से)
2	13.12.21	14.12.21	38383.00	सुरेश यादव के घर के पास हैन्ड पम्प रिबोर कार्य (15 वें केन्द्रीय वित्त से)
3	13.12.21	14.12.21	37223.00	मृत्युंजय सिंह के घर के पास हैन्ड पम्प रिबोर कार्य (15 वें केन्द्रीय वित्त से)
4	13.12.21	14.12.21	19900.00	हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य (5 वें राज्य वित्त से)
5	19.12.21	23.12.21	19900.00	हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य (5 वें राज्य वित्त से)
		योग	**332206.00**	

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं:-

*हैण्ड पम्पमरम्मत/ रिबोर कार्य पर दर्शित व्यय का सामग्री क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।

*कैश बुक में सामग्री एवं मजदूरी पर दर्शित व्यय में स्पष्ट विभेद अंकन नहीं है।

*हैण्ड पम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट संलग्न नहीं रहा।

*हैण्ड पम्प खराब होने से सम्बंधित जांच रिपोर्ट नहीं है।

*दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व धन उपभोग प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध रहा। *स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है,जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य (स्क्रैप)सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय **₹332206.00** लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है। जिसमें **₹216800.00** की मय अद्यतन ब्याज वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क)के अनुसार संयुक्त रूप से (1) प्रधान श्री सत्येन्द्र एवं सचिव श्री आनन्द कुमार यादव से तथा शेष **₹115406.00** की वसूली (2) प्रधान श्री सत्येन्द्र एवं सचिव श्रीमती जागृति यादव से आधी-आधी किया जाना अपेक्षित है।**(संदर्भित आपत्ति संख्या-12)**

प्रस्तर -46 कैश-बुक में निम्न विवरण के अनुसार शिव दुलार के घर से ओमनरायन सिंह के खेत तक नाली व ढक्कन निर्माण पर 5 वें राज्य वित्त से भुगतान दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कैश बुक के अनुसार दिनांक	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक	धनराशि	विवरण
1	11-10-21	14-10-21	134869.00	ईट प्रथम श्रेणी,ईट गिट्टी,सिमेन्ट व बालू
2	11-10-21	14-10-21	24762.00	मजदूरी
		योग	**159631.00**	

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ नमन्वत है:-

*सामग्री क्रय का प्रमाणक एवं मजदूरी हेतु प्रयुक्त मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा।

*क्रय सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।

*संप्रेक्षण में निर्माण समिति से संस्तुति/स्वीकृति आदि का प्रमाण अप्राप्त रहा।

*सामग्री रवानगी की पुष्टि में रवन्ना (एम० एम० 11)ऑडिट में अप्राप्त रहा। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध है,और जब सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध है,तो निर्माण कार्य भी संदिग्ध ही रहेगा।

*दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ,निरीक्षण प्रमाण पत्र,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,धन उपभोग प्रमाण पत्र,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर ,मापन पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका आदि जैसे पुष्टिकारक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। ऐसे मे कार्य की,सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय आदि किसी की पुष्टि नहीं होती।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय **₹159631.00** लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी मय अद्यतन ब्याज वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क)के अनुसार संयुक्त रूप प्रधान श्री सत्येन्द्र एवं सचिव श्री आनन्द कुमार यादव से आधी-आधी किया जाना अपेक्षित है। (संदर्भित आपत्ति संख्या-13)

34-ग्राम पंचायत – रूपेठा

विकास क्षेत्र – चहनियाँ

<u>वर्ष - 2021-2022</u>

प्रस्तर -47 ग्राम पंचायत - रूपेठा , विकास क्षेत्र- चहनियाँ, जनपद- चंदौली के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है:-

कैश-बुक में राज्य वित्त निधि से निम्न विवरण के अनुसार हैन्ड पम्प रिबोर कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी सहित भुगतान दर्शाया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	11-06-2021	36700.00	केशवानन्द के दरवाजे पर
2	22-10-2021	72878.00	पंचायत भवन के पास
	योग	**109578.00**	

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं:-

*हैण्ड पम्प रिबोर कार्य पर दर्शित व्यय का सामग्री क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।

*कैश बुक में सामग्री एवं मजदूरी पर दर्शित व्यय में स्पष्ट विभेद अंकन नहीं है।

*हैण्ड पम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट संलग्न नहीं रहा।

*हैण्ड पम्प खराब होने से सम्बंधित जांच रिपोर्ट नहीं है।

*दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व धन उपभोग प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध रहा।

*स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है,जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य (स्क्रैप)सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय **₹109578.00** लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी अद्यतन मय ब्याज वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क)के अनुसार संयुक्त रूप से प्रधान श्री राकेश एवं सचिव श्री सुकरु राम से आधी-आधी किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -48 कैश-बुक में राज्य वित्त निधि से निम्नांकित विवरण के अनुसार स्टेशनरी एवं डेड स्टाक क्रय हेतु भुगतान अंकित है।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	13-08-2021	24500.00
2	10-02-2022	33571.00
	योग	**58071.00**

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं:-

*सामग्री क्रय का प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

*क्रय सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।

*अलग अलग सामग्री का मूल्य अलग अलग स्पष्ट नहीं किया गया है।

*दर्शित क्रय सामग्री का वर्षांत में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं धन उपभोग प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे मे सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय ₹58071.00 लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है। अतः क्रम संख्या (1)पर अंकित धनराशि ₹24500.00 हेतु उत्तरदायी प्रधान श्री राकेश एवं सचिव श्री सुकरु राम से एवं क्रम संख्या (2)पर अंकित धनराशि ₹33571.00 हेतु उत्तरदायी प्रधान श्री राकेश एवं सचिव श्री बाबूलाल से उपरोक्त धनराशि की मय अद्यतन ब्याज वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार आधी-आधी किया जाना अपेक्षित है।

35-ग्राम पंचायत – लक्ष्मणगढ़
विकास क्षेत्र – चहनियाँ
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -49 ग्राम पंचायत - लच्छमनगढ़ , विकास क्षेत्र- चहनियाँ, जनपद- चंदौली के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है:-
(11)राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के कैश बुक में दर्शित निम्नांकित व्ययों के पुष्टिकारक अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	29-08-21	26289.00	फावड़ा,झाड़ू,फिनायल,बेलचा,खुरपी,सेनेटाइजर इत्यादि (राज्य वित्त से)
2	29-08-21	7000.00	ग्राम प्रधान का मानदेय (राज्य वित्त से)
3	23-09-21	35300.00	हैन्ड पम्प रिबोर कार्य (राज्य वित्त से)
4	23-09-21	35200.00	सूबेदार के घर के पास हैन्ड पम्प रिबोर कार्य (राज्य वित्त से)
5	26-09-21	19850.00	हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य (राज्य वित्त से)
6	26-09-21	19800.00	हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य (राज्य वित्त से)
7	26-09-21	187200.00	सोलर लाइट पर व्यय (राज्य वित्त से)
8	09-10-21	198000.00	प्राथमिक विद्यालय में डेस्क बेंच स्थापना (राज्य वित्त से)

9	27-11-21	139405.00	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स अधिस्थापन कार्य पर सामग्री (राज्य वित्त)
10	27-11-21	50900.00	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स अधिस्थापन कार्य पर सामग्री (राज्य वित्त)
11	27-11-21	6822.00	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स अधिस्थापन कार्य पर सामग्री (राज्य वित्त)
12	02-12-21	33784.00	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स अधिस्थापन कार्य पर मजदूरी (राज्य वित्त)
13	04-12-21	340273.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर सामग्री।(केन्द्रीय वित्त)
14	04-12-21	63426.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर समरसेबल पम्प व साइन बोर्ड(केन्द्रीय वित्त)
15	13-12-21	78960.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर मजदूरी (केन्द्रीय वित्त)
16	18-12-21	166500.00	प्राथमिक विद्यालय में डेस्क बेंच स्थापना (केन्द्रीय वित्त)
17	18-01-22	271750.00	प्राथमिक स्कूल लक्षमनगढ़ मे टाइल्स लगाने हेतु सामग्री (केन्द्रीय वित्त)
18	20-01-22	86660.00	प्राथमिक विद्यालय के बिजली बिल का भुगतान (केन्द्रीय वित्त)
19	20-01-22	6000.00	पंचायत सहायक का मानदेय (राज्य वित्त)
20	20-01-22	2795.00	थर्मामीटर,व पल्स ऑक्सीमीटर का भुगतान (राज्य वित्त)
21	24-01-22	31500.00	प्राथमिक विद्यालय में डेस्क बेंच स्थापना (केन्द्रीय वित्त)
22	24-01-22	33078.00	प्राथमिक स्कूल लक्षमनगढ़ मे टाइल्स लगाने हेतु मजदूरी (केन्द्रीय वित्त)
23	31-01-22	187100.00	सोलर लाइट पर व्यय (राज्य वित्त से)
24	14-02-22	206518.00	प्राथमिक विद्यालय भवन का मरम्मत ,पेंटिंग व वायरिंग हेतु सामग्री(केन्द्रीय वित्त)
25	12-03-22	24500.00	ग्राम प्रधान को मानदेय (राज्य वित्त)
26	12-03-22	8568.00	प्राथमिक विद्यालय मे टाइल्स अधिष्ठापन कार्य पर मजदूरी(राज्य वित्त)
27	13-03-22	72198.00	प्राथमिक विद्यालय भवन का मरम्मत,पेंटिंग,वायरिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान (केन्द्रीय वित्त)
	योग		**2339376.00**

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय वित्त निधि से दिनांक 05-02-22 को आहरित धनराशि ₹10468.00का व्यय विवरण आनलाइन कैशबुक में अंकित नहीं है। इस प्रकार कुल व्यय ₹2349844.00=(2339376.00+10468.00) के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यवाही पुस्तिका,वर्क आइ०डी०,एम०बी०,एम०एम०11,प्रधान एवं अन्य का मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों-जैसे नियोजन समिति,जल प्रबंधन समिति,निर्माण समिति की संस्तुति,प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र, स्टाक रजिस्टर,प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र,टेण्डर/कोटेशन पत्रावली,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति

पंजिका,कार्यों का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकती।

अतः पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (क) में प्रविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी"।

उक्त के आलोक में **₹2349844.00** अद्यावधि ब्याज सहित प्रधान श्रीमती रविबाला उर्फ शशिबाला एवं सचिव श्री आनंद कुमार यादव से संयुक्त रूप से आधी-आधी वसूल किया जाना अपेक्षित है।

36-ग्राम पंचायत – पकड़ी
विकास क्षेत्र – चहनियाँ
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -50 ग्राम पंचायत पकड़ी, विकास क्षेत्र चहनियां, जनपद चन्दौली के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है:-

राज्य वित्त निधि से प्राइमरी स्कूल के कमरों में टाइल्स कार्य हेतु निम्न प्रकार से भुगतान आनलाइन कैश बुक में अंकित है:-

क्रम सं	दिनांक	धनराशि
1	23.05.2021	134491.00
2	23.05.2021	27694.00
3	24.05.2021	4623.00

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नवत हैं:-

1- सामग्री क्रय का प्रमाणक एवं मजदूरी हेतु प्रयुक्त मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा ।
2- क्रय सामग्री का विवरण कैश बुक में अंकित नहीं है।
3- क्रय सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।
4- सामग्री क्रय का टेण्डर/कोटेशन, स्टीमेट, निर्माण समिति से संस्तुति/स्वीकृति आदि का प्रमाण नहीं है।
5- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, निरीक्षण प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, धन उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, मापन पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका आदि जैसे पुष्टिकारक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। ऐसे में कार्य की सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय आदि किसी की पुष्टि नहीं होती।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय रु0 166808.00 लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है, जिसकी अद्यतन मय ब्याज वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार संयुक्त रुप से आधी-आधी प्रधान श्री शिव कुमार यादव एवं सचिव श्री धनंजय सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **(संदर्भित आपत्ति संख्या-13)**

प्रस्तर -51 केन्द्रीय वित्त निधि से दिनांक 31.10.2021 को आनलाइन कैश बुक में हैण्ड पम्प मरम्मत पर रु0 37400.00 व्यय दर्शाया गया है, जिस पर आपत्तियां निम्नानुसार है:-

1- हैण्ड पम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय का सामग्री क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया।
2- हैण्ड पम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट संलग्न नहीं रहा।
3- हैण्ड पम्प कौन-कौन से खराब हैं, इससे सम्बंधित जांच रिपोर्ट नहीं है।
4- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व धन उपभोग प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।

5- स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य(स्क्रैप) सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय रु0 37400.00 लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है, जिसकी अद्यतन मय ब्याज वसूली लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार संयुक्त रुप से आधी-आधी प्रधान श्री शिव कुमार यादव एवं सचिव श्री धनंजय सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **(संदर्भित आपत्ति संख्या-14)**

37-ग्राम पंचायत – पीथापुर
विकास क्षेत्र – सकलडीहा
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -52 ग्राम पंचायत- पीथापुर, विकासखंड- सकलडीहा, जनपद- चंदौली में वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित गबन एवं अपहरण प्रकाश में आया है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

1- शंकर जी के मंदिर से राजेंद्र यादव के घर तक ढक्कनदार नाली व इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य-

दिनांक	सामग्री	धनराशि	प्रमाणक	भुगतान (पी.एफ.एम.एस.)
5 /07/2021	कोषबही में सामग्री का नाम/संख्या/मात्रा अंकित नहीं	88440.00	अप्राप्त	कैशबुक अनुसार अनन्या इंटरप्राइजेज

उपरोक्त कार्य पर आपत्तियां अग्रलिखित हैं -

1- उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु 88440.00 का कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- उक्त कार्य का कार्ययोजना, एम.बी., इस्टीमेट प्रस्तुत नहीं किए गए।

3- उक्त कार्य का सामग्री /क्रय आदेश, कोटेशन, टेंडर आदि भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

4- स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, निरीक्षण प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं रखे गए।

5- उक्त कार्य की कोई मजदूरी वर्षांत तक नहीं दी गई।

इस प्रकार आपत्ति के आधार पर स्पष्ट होता है कि बिना नियमों का पालन किए प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है।

अतः लेखा मैनुअल 8(क) के अनुसार प्रधान श्रीमती माया देवी एवं सचिव श्री सुभाष भारती से मय ब्याज आधी-आधी धनराशि वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -53 ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत का भुगतान -

दिनांक	सामग्री	धनराशि	प्रमाणक	भुगतान (पी.एफ.एम.एस.)
5 /07/2021	कैशबुक नाम/संख्या/मात्रा अंकित नहीं	54000.00	नहीं	कैशबुक के अनुसार मां सर्वेश्वरी इंटरप्राइजेज

उपरोक्त कार्य पर आपत्तियां निम्नवत हैं -

1- हैंडपंप मरम्मत ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर किया गया। इसका उल्लेख नहीं है।

2- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जल प्रबंधन समिति का प्रावधान है जिसका कार्य ग्राम पंचायत में जल समस्या पर अपनी रिपोर्ट देना होता है, लेखा परीक्षा में समिति की रिपोर्ट नहीं रखी गई।

3- उक्त कार्य की कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एवं कार्यपूर्ति/निरीक्षण पत्र तथा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट एवं क्रय प्रमाणक आदि अनुपलब्ध रहे ।

4- डेट स्टॉक रजिस्टर तथा मरम्मत के दरम्यान प्राप्त निष्प्रयोज्य सामग्री का रजिस्टर भी अप्राप्त रहा ।

5- मरम्मत कार्य में लगे मजदूर/मिस्त्री की मजदूरी कितनी देय हुई इसका विवरण भी नहीं था।

अतः बिना नियमों के पालन किए हुए प्रमाणविहीन व्यय धनराशि रु 54000.00 का गबन/अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है। लेखा मैनुअल 8(क) के अनुसार प्रधान श्रीमती माया देवी एवं सचिव श्री सुभाष भारती से मय ब्याज आधी-आधी धनराशि वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -54

ग्राम पंचायत में प्रशासनिक व्यय -

दिनांक	सामग्री	धनराशि	प्रमाणक	भुगतान (पी.एफ.एम.एस.)
30.11.2021	नाम/संख्या/मात्रा कुछ भी अंकित नहीं	13500.00	नहीं	कैशबुक के अनुसार जयभीम इंटरप्राइजेज

1- ग्राम पंचायत के राज्य वित्त से दिनांक 30.11.2021 को रु 13500.00 का भुगतान जय भीम इंटरप्राइजेज को किया गया जिसका वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

2- प्रशासनिक व्यय में किस वस्तु अथवा कार्य पर किया गया इसका भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार नियमों का पालन किए बिना प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि रु0 13500.00 का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है। लेखा मैनुअल 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि को संयुक्त रूप से प्रधान श्रीमती माया देवी एवं सचिव श्री सुभाष भारती से मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

38-ग्राम पंचायत – खगवल
विकास क्षेत्र – सकलडीहा
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -55 ग्राम पंचायत- खगवल, विकासखंड- सकलडीहा, जनपद- चंदौली में वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अनियमितता प्रकाश में आयी है। इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

1- ग्राम पंचायत शौचालय में अनियमितता हुयी है जिसपर आपत्तियां निम्नलिखित है -

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	लाभार्थी
1	12.10.2021	000391	6000.00	बृजकिशोर यादव
2	21.10.2021	000392	6000.00	किरन मौर्य
3	21.10.2021	000398	6000.00	रविकांत कुशवाहा
4	21.10.2021	000400	6000.00	शशिकांत मौर्या

5	27.10.2021	000403	6000.00	सुधर्मानंद
6	27.10.2021	000393	6000.00	नरसिंह यादव
7	27.10.2021	000401	6000.00	श्वेता गुप्ता
8	03.11.2021	000395	6000.00	राजेन्द्र चौबे
		योग	**48000.00**	

1- नियमानुसार शौचालय निर्माण का भुगतान स्वच्छ भारत मिशन (ग्राम निधि-6) से किया जाना है, ग्राम निधि प्रथम से यह भुगतान अनुमन्य नहीं है।

इस प्रकार उक्त 8 लाभार्थियों को रु0 48000.00 शौचालय हेतु अनियमित रूप से व्यय किया गया है। उपरोक्त अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णावाती देवी एवं सचिव श्री शशिकांत उत्तरदायी है। विशेषकर जिन पर राजकीय नियमों के पालन का दायित्व है। अतः उक्त अनियमितता हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

39-ग्राम पंचायत – जमुनीपुर
विकास क्षेत्र – सकलडीहा
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -56 ग्राम पंचायत- जमुनीपुर, विकास खंड- सकलडीहा, जनपद- चंदौली में वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण/गबन प्रकाश में आया है -

1- कार्य का नाम - सफाई कर्मी का सफाई सामग्री, क्रय हेतु भुगतान -

दिनांक	सामग्री	धनराशि	भुगतान
25.01.2022	कैशबुक में अंकित नहीं	58210.00	वी.एस. कन्सटक्शन

राज्य वित्त की रोकड़बही के अनुसार उक्त कार्य की आई.डी. - 53479885 एवं काल्पनिक बाउचर संख्या - 12 के द्वारा रु 58210.00 सफाई सामग्री के नाम पर रोकड़बही में दर्ज है। किन्तु कौन-कौन सा सामग्री क्रय किया गया इसका विवरण रोकड़बही में नहीं अंकित था और न ही रोकड़बही में अंकित बाउचर संख्या- 12 का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

सफाई सामग्री इसके पूर्व कब क्रय किया गया था और उसके उपभोग की स्थिति अज्ञात रही।

सफाई कर्मी को क्रय की गयी सामग्री को हस्तगत कराने का कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, क्रय के वित्तीय औचित्य की पुष्टि हेतु कोटेशन भी प्राप्त नहीं हे।

इससे स्पष्ट होता है कि रु 58210.00 प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित करके अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है, लेखा मैनुअल 8(क) के अनुसार प्रधान श्री विनोद कुमार एवं सचिव श्री विकास कुमार से मय ब्याज सहित आधे-आधे धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

40-ग्राम पंचायत – चांदपुर
विकास क्षेत्र – सकलडीहा
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -57 ग्राम पंचायत- चांदपुर, विकासखंड- सकलडीहा, जनपद- चंदौली में वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण/ गबन प्रकाश में आया है। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

1- ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर भुगतान जिसपर निम्नांकित आपत्तियां है -

दिनांक	धनराशि	सामग्री	प्रमाणक	अन्य (भुगतान)
25.05.2021	59120.00	नाम/संख्या अंकित नहीं	प्रमाणक विहीन	बजरंग इन्टरप्राइजेज (कैशबुक के अनुसार)

आपत्ति

1- राज्य वित्त की रोकड़बही में उपरोक्त हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान पी.एफ.एम.एस. द्वारा किया गया है परन्तु कैशबुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता बजरंग इन्टरप्राइजेज को कोई बाउचर/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

2- रोकड़बही में उक्त रिबोर ग्राम पंचायत में कहां तथा किस स्थान पर किया गया उल्लिखित नहीं है।

3- रिबोर कार्य की पुष्टि हेतु जल प्रबन्धन समिति का अनुमोदन कार्यवाही रजिस्टर एवं रिबोर हेतु आवेदन पत्र आदि लेखा परीक्षा में नहीं रखे गये।

4- लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति, परिसम्पत्ति रजिस्टर एवं भौतिक सत्यापन तथा निरीक्षण पत्र आदि भी अनुपलब्ध रहे।

5- रिबोर में प्राप्त निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 59120.00 का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि मय ब्याज सहित प्रधान, श्री राम अवध यादव तथा सचिव श्री अशोक कुमार से आधा-आधा वसूल किया जाना अपेक्षित है।

41-ग्राम पंचायत – दुदौली
विकास क्षेत्र – सकलडीहा
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -58 ग्राम पंचायत- दुदौली, विकासखंड- सकलडीहा, जनपद- चंदौली में वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण/ गबन प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

1- पूर्व प्रधान श्री बजरंगी का मानदेय का भुगतान -

दिनांक	धनराशि	प्रमाणक	भुगतान
23.09.2021	10500.00	प्रमाणक विहीन	पूर्व प्रधान श्री बजरंगी
योग	**10500.00**		

1- राज्य वित्त की कैशबुक के अनुसार भुगतान राशि रु 10500.00 का भुगतान पी.एफ.एम.एस के माध्यम से किया गया है परंतु इसकी पुष्टि हेतु कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- पूर्व प्रधान श्री बजरंगी का कार्यकाल वर्ष 2020 में ही समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त होने के 2 वर्ष बाद मानदेय भुगतान का औचित्य अस्पष्ट रहा।

3- पूर्व प्रधान के द्वारा मानदेय भुगतान के संदर्भ में कोई पत्राचार किया गया इसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही साथ मानदेय भुगतान रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- मानदेय का भुगतान कब से कब तक था इसका भी उल्लेख रोकड़ बही में नहीं था।

अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि रु0 10500.00 का प्रधान एवं सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि मय ब्याज सहित प्रधान, श्री अरविन्द कुमार राय तथा सचिव श्री सुभाष भारती से आधा-आधा वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -59 ग्राम पंचायत दुदौली में हैंडपंप रिबोर कार्य पर निम्न आपत्तियां हैं ।

दिनांक	धनराशि	सामग्री	प्रमाणक	अन्य
13.10.2021	49568.00	कोषबही में अंकन नहीं	प्रमाणक विहीन	जयभीम इंटरप्राइजेज
13.10.2021	49568.00	कोषबही में अंकन नहीं	प्रमाणक विहीन	जयभीम इंटरप्राइजेज
09.11.2021	53232.00	कोषबही में अंकन नहीं	प्रमाणक विहीन	जयभीम इंटरप्राइजेज
13.12.2021	53232.00	कोषबही में अंकन नहीं	प्रमाणक विहीन	जयभीम इंटरप्राइजेज
योग	**205600.00**			

1- राज्य वित्त की रोकड़ बही में उपरोक्त हैंडपंप रिबोर ग्राम पंचायत में अलग-अलग की गई जिसका भुगतान पी.एफ.एम.एस के माध्यम से किया गया कैशबुक के अनुसार उपरोक्त चारों भुगतान जय भीम इंटरप्राइजेज को किया गया परंतु इसका वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

2- रोकड़ बही में रिबोर ग्राम पंचायत में कहां-कहां किया स्थान का विवरण अंकित नहीं है।

3- उक्त कार्य की पुष्टि हेतु जल प्रबंधन समिति का अनुमोदन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण पत्र कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि नहीं प्रस्तुत किए गए।

5- रिबोर में प्राप्त निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 205600.00 का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि मय ब्याज सहित प्रधान, श्री अरविन्द कुमार राय तथा सचिव श्री सुभाष भारती से आधा-आधा वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -60

3- रोकड़ बही में माह जनवरी 2022 का रिक्त (आय-व्ययक)

राज्य वित्त की रोकड़बही में माह जनवरी 2022 आय एवं व्यय में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है जबकि दिनांक 11.01.2022 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 6000.00 पी.एफ.एम.एस द्वारा आहरित किया गया है। लेखा परीक्षा में इसकी पुष्टि हेतु कोई प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 6000.00 का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है । वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि मय ब्याज सहित प्रधान, श्री अरविन्द कुमार राय तथा सचिव श्री सुभाष भारती से आधा-आधा वसूल किया जाना अपेक्षित है।

42-ग्राम पंचायत – नरायनपुर
विकास क्षेत्र – सकलडीहा
<u>वर्ष - 2021-2022</u>

प्रस्तर -61 ग्राम पंचायत- नरायनपुर, विकासखंड- सकलडीहा, जनपद- चंदौली में वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित गबन एवं अपहरण प्रकाश में आया है। आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है ।

ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में कार्यालय स्थापना हेतु सामग्री का भुगतान रोकड़ बही के अनुसार ID - 54491873 है । इस पर आपत्तियां अग्रलिखित है -

दिनांक	धनराशि	सामग्री	प्रमाणक	अन्य (भुगतान)
31.12.2021	95000.00	कुर्सी, टेबुल, कम्प्यूटर आदि	प्रमाणक नहीं	शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स (रोकड़ बही के अनुसार)
31.12.2021	20000.00	कुर्सी, टेबुल, कम्प्यूटर आदि	प्रमाणक नहीं	शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स (रोकड़ बही के अनुसार)
31.12.2021	60000.00	कुर्सी, टेबुल, कम्प्यूटर आदि	प्रमाणक नहीं	शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स (रोकड़ बही के अनुसार)
योग	**175000.00**			

1- कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध नहीं थी।

2- लेखा परीक्षा में क्रय प्रमाणक एवं क्रय आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।

3- टेंडर व सत्यापन तथा निरीक्षण पत्र आदि भी उपलब्ध नहीं रहा।

4- रोकड़ बही में कुर्सी, टेबुल, कम्प्यूटर आदि क्रय के संबंध में फर्म का नाम शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स अंकित है जिसका वाउचर उपलब्ध नहीं था तथा उक्त फर्म से फर्नीचर खरीदने का औचित्य अस्पष्ट है।

5- जब एक ही फर्म से एक ही दिनांक में सामग्री क्रय करना था तो उसके लिए अलग-अलग धनराशि का औचित्य भी स्पष्ट नहीं रहा।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि बिना प्रमाणक एवं वित्तीय नियमों का पालन किए बिना रु 175000.00 का गबन प्रधान/सचिव द्वारा किया गया है। अतः उक्त धनराशि लेखा मैनुअल 8(क) के अनुसार ब्याज सहित प्रधान श्री दिलीप राय तथा सचिव श्री दुर्गेश सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

43-ग्राम पंचायत – पिपरी
विकास क्षेत्र – सकलडीहा
<u>वर्ष - 2021-2022</u>

प्रस्तर -62 ग्राम पंचायत- पिपरी, विकासखंड- सकलडीहा, जनपद- चंदौली में वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के लेखा परीक्षा में निम्न गबन/अपहरण प्रकाश में आया है। आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है ।

1- राज्य वित्त के रोकड़ बही में अंकित कार्य- पूल से रामू के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य -

दिनांक	धनराशि	सामग्री	भुगतान	प्रमाणक
04.08.2021	313061.00	(नाम/मात्रा/दर) कुछ भी अंकित नहीं	सिंह इण्टरप्राइजेज	प्रमाणक विहीन
09.08.2021	113388.00	(नाम/मात्रा/दर) कुछ भी अंकित नहीं	सिंह इण्टरप्राइजेज	प्रमाणक विहीन
योग	426449.00			

उपरोक्त कार्य पर निम्नांकित आपत्तियां दर्ज है।

1- उक्त कार्य की आईडी रोकड़बही में अंकित नहीं है जबकि ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आईडी 53534127 अंकित है।

2- उपरोक्त व्यय धनराशि से कौन-कौन सी सामग्री एवं उसका दर तथा मात्रा/संख्या कोषबही में अंकित नहीं था।

3- रु 313061.00 का भुगतान सिंह इंटरप्राइजेज को किया गया, जिसका बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- रु 113388.00 का भुगतान रोकड़बही के अनुसार सिंह इंटरप्राइजेज को किया गया है जबकि ई-ग्राम स्वराज में साक्षी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर अंकित है। बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5- उक्त कार्य की कार्य योजना, एम0बी0, इस्टीमेट आदि प्रमुख अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

6- उक्त कार्य की कार्यपूर्ति/क्रय आदेश, कोटेशन आदि भी नहीं थे।

7- उक्त कार्य का स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

8- माह अगस्त 2021 में ही सामग्री रु 426449.00 की क्रय किया गया परंतु मजदूरी वर्षांत तक नहीं दिया गया।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बिना नियमों के पालन एवं प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि रु0 426459.00 का अपहरण कर लिया गया है। इसलिए लेखा मैनुअल 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा एवं सचिव श्री जितेंद्र यादव से ब्याज सहित आधा-आधा वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

44-ग्राम पंचायत – बहरवानी
विकास क्षेत्र – सकलडीहा
<u>वर्ष - 2021-2022</u>

प्रस्तर -63 ग्राम पंचायत- बहरवानी, विकासखंड- सकलडीहा, जनपद- चंदौली में वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित गबन/अपहरण प्रकाश में आया है। आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है ।

1- राज्य वित्त की रोकड़ बही में अंकित राजनाथ चौहान के घर से मुन्नी चौहान के घर तक मिटटी /खड़न्जा कार्य पर निम्न आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

दिनांक	धनराशि	सामग्री	भुगतान	प्रमाणक
30.08.2021	61697.00	कुछ भी अंकित नहीं	जयभीम इण्टरप्राइजेज	प्राप्त नहीं
03.09.2021	6549.00	कुछ भी अंकित नहीं	भोलानाथ	प्राप्त नहीं
योग	**68246.00**			

1- रोकड़ बही में आईडी अंकित नहीं है ई-ग्राम स्वराज में इस कार्य की आईडी 53876496 है।

2- रोकड़ बही कार्य का नाम राजनाथ चौहान अंकित है जबकि ई ग्राम स्वराज में रामजतन चौहान अंकित है।

3- उपर्युक्त कार्य की कार्य योजना, एम0बी0, इस्टीमेट आदि प्रमुख अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।

4- उक्त कार्य की कार्यपूर्ति/क्रय आदेश, कोटेशन, क्रय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

5- उक्त कार्य का स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, निरीक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

6- उक्त में दिनांक 03.09.2021 को रु 6549.00 भोलानाथ को दिया गया किस कार्य हेतु या सामग्री के लिए दिया गया अंकित नहीं है जबकि ई ग्राम स्वराज के अनुसार मिट्टी क्रय हेतु दिया गया है परंतु इसका क्रय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

7- उक्त कार्य में वर्षान्त तक कोई मजदूरी भी नहीं दी गई है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि नियमों का पालन न करते हुए तथा बिना प्रमाणक व्यय दर्शित कर उक्त धनराशि रु0 68246.00 का अपहरण कर लिया गया है। लेखा मैनुअल 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि प्रधान श्री जयप्रकाश तथा सचिव श्री सुभाष चंद्र भारती से ब्याज सहित आधा-आधा वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -64 राज्य वित्त से ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु क्रय सामग्री-

दिनांक	धनराशि	सामग्री	भुगतान	प्रमाणक
06.12.2021	54000.00	कुर्सी,मेज, आलमारी	आर्शीवाद इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इण्टरप्राइजेज	अप्राप्त

उक्त कार्य पर आपत्तियां निम्नवत् है -

1- राज्य वित्त से क्रय सामग्री का रोकड़ बही में कोई आईडी अंकित नहीं है जबकि ई-ग्राम स्वराज में आईडी 47854346 अंकित है। ई-ग्राम स्वराज में ग्राम पंचायत कार्यालय के स्थान पर पंचायत भवन अंकित है।

2- कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृत उपलब्ध नहीं थी।

3- लेखा परीक्षा में क्रय प्रमाणक एवं क्रय आदेश उपलब्ध नहीं थे।

4- लेखा परीक्षा में टेंडर, कोटेशन तथा सत्यापन एवं निरीक्षण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं थे।

इससे स्पष्ट होता है कि बिना प्रमाणक तथा वित्तीय नियमों के पालन किए बिना धनराशि रु0 54000.00 का गबन कर लिया गया है लेखा मैनुअल 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश तथा सचिव श्री सुभाष चंद्र भारती से आधा-आधा वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -65 पंचायत भवन में आलमारी, कंप्यूटर, कुर्सी, मेज कार्य का भुगतान-

दिनांक	धनराशि	सामग्री	भुगतान	प्रमाणक
04.02.2022	58000.00	कुर्सी,मेज, आलमारी, कंप्यूटर	आर्शीवाद इलेक्ट्रॉनिक्स	अप्राप्त
04.02.2022	63000.00	कुर्सी,मेज, आलमारी, कंप्यूटर	आर्शीवाद इलेक्ट्रॉनिक्स	अप्राप्त

केंद्रीय वित्त के रोकड़ बही में अंकित उक्त व्यय पर निम्नांकित आपत्तियां हैं-

1- रोकड़ बही में आईडी अंकित नहीं है ई ग्राम स्वराज में आईडी 55952005 अंकित है।

2- राज्य वित्त से क्रय सामग्री रु 54000.00 तथा केंद्रीय वित्त द्वारा क्रय सामग्री एक ही भवन के लिए/ एक ही कार्य के लिए अलग-अलग आईडी से व्यय का औचित्य अस्पष्ट रहा ।

3- दिनांक 04.02.2022 को व्यय धनराशि रोकड़ बही में रु 53000.00 है जबकि बैंक एकाउन्ट तथा ई-ग्राम स्वराज में रु 63000.00 अंकित है।

4- उक्त कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति नहीं थी।

5- लेखा परीक्षा में उक्त सामग्री के क्रय प्रमाणक एवं क्रय आदेश उपलब्ध नहीं थे।

6- रोकड़ बही में भुगतान आशीर्वाद इलेक्ट्रॉनिक्स अंकित है जबकि ई-ग्राम स्वराज में शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स को अंकित है इसका भी बाउचर प्राप्त नहीं रहा ।

इस प्रकार नियमों की अवहेलना करते हुए भ्रामक/ त्रुटिपूर्ण रोकड़ बही में अंकन कर कुल रु0 121000.00 का अपहरण कर लिया गया है। लेखा मैनुअल 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि को ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश तथा सचिव श्री सुभाष चंद्र भारती से आधा-आधा वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

45-ग्राम पंचायत – नागनपुर
विकास क्षेत्र – सकलडीहा
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -66 ग्राम पंचायत- नागनपुर, विकासखंड- सकलडीहा, जनपद- चंदौली में वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण प्रकाश में आया है। आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है ।

1- राज्य वित्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य-

दिनांक	धनराशि	सामग्री	भुगतान	प्रमाणक
20.10.2021	16000.00	अंकित नहीं	एस0आर0ट्रेडर्स	अप्राप्त

1- रु 16000.00 की धनराशि रोकड़ बही/बैंक एकाउन्ट से आहरित किया गया जिसे एस0आर0ट्रेडर्स को रोकड़ बही के अनुसार भुगतान भी किया गया है परंतु ई-ग्राम स्वराज में उक्त व्यय का अंकन नहीं है। इसका प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं था ।

2- रोकड़ बही में हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय किया गया है परंतु कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई है उसकी संख्या, मात्रा और दर अंकित नहीं है।

3- उपरोक्त व्यय के संबंध में जल प्रबंधन समिति का अनुमोदन, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।

4- उक्त कार्य की प्रक्रिया में जो निष्प्रयोज्य सामग्री प्राप्त हुई उसका भी विवरण नहीं दिया गया।

5- उक्त कार्य पर मजदूरी कितनी व्यय हुई उसका मस्टररोल भी प्रस्तुत नहीं किया है।

6- भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई।

इससे स्पष्ट होता है कि प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध तरीके से व्यय दर्शाकर धनराशि रु0 16000.00 का अपहरण कर लिया गया है। लेखा मैनुअल 8(क) के अनुसार उपरोक्त धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी तथा सचिव श्री गणेश अहीर से ब्याज सहित आधा-आधा वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -67 केन्द्रीय वित्त से दुलारे के घर से कल्लू के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य-

दिनांक	धनराशि	सामग्री	भुगतान	प्रमाणक
27.27.2021	65000.00	नाम, मात्रा तथा दर अंकित नहीं	महादेव इंटरप्राइजेज	अप्राप्त
25.08.2021	62000.00	नाम, मात्रा तथा दर अंकित नहीं	महादेव इंटरप्राइजेज	अप्राप्त
27.09.2021	39200.00	नाम, मात्रा तथा दर अंकित नहीं	महादेव इंटरप्राइजेज	अप्राप्त
27.09.2021	60000.00	नाम, मात्रा तथा दर अंकित नहीं	महादेव इंटरप्राइजेज	अप्राप्त
योग	**226200.00**			

1- केंद्रीय वित्त के रोकड़ बही में अंकित उपरोक्त व्यय का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- रोकड़ बही में उक्त कार्य की वर्क आईडी अंकित नहीं थी जबकि ई-ग्राम स्वराज में आईडी 40664448 दर्शित है।

3- लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की कार्ययोजना एवं कार्यवाही रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया।

4- उक्त कार्य की एम.बी, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

5- स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण पत्र, निविदा पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया। उससे संबंधित मस्टर रोल भी नहीं रखा गया।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नियमों की अवहेलना करते हुए प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि रु0 226200.00 का गबन कर लिया गया है। लेखा मैनुअल 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी तथा सचिव श्री गणेश अहीर से ब्याज सहित आधा-आधा वसूल किया जाना अपेक्षित है।

46-ग्राम पंचायत – मलेवर
विकास क्षेत्र – नौगढ़
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -68 ग्राम पंचायत- मलेवर, विकासखंड- नौगढ़, जनपद- चंदौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण प्रकाश में आया है। आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है ।

कार्य- राज्य वित्त की रोकड़बही में आय-व्यय पक्ष रिक्त -

दिनांक	धनराशि	सामग्री	प्रमाणक
15.07.2021	49950.00	अंकित नहीं	अप्राप्त

1- ग्राम पंचायत मलेवर के राज्य वित्त के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 49950.00 आहरित धन को कोषबही के व्यय पक्ष में अंकित नहीं किया गया है।

2- ई-ग्राम स्वराज में भी कुछ दर्शित नहीं है, इसलिए आईडी भी ज्ञात न हो सकी।

3- उक्त धनराशि किस कार्य एवं किस सामग्री पर व्यय किया गया पुष्टि हेतु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुए।

4- उक्त धनराशि का कोई स्टीमेट, कोटेशन, एम.बी और प्रमाणक नहीं प्राप्त हुए।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बिना प्रमाणक एवं वित्तीय नियमों का पालन किए बिना काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि 49950.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसे लेखा मैनुअल 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि प्रधान श्रीमती सुषमा यादव एवं सचिव श्री सौरभ कुमार से आधी-आधी ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

47-ग्राम पंचायत – देवखत

विकास क्षेत्र – नौगढ़

वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -69 ग्राम पंचायत- देवखत, विकासखंड- नौगढ़, जनपद- चंदौली के वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण प्रकाश में आया है। आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है ।

कार्य का नाम- ग्राम पंचायत- देवखत के कार्य पर मजदूरी -

दिनांक	धनराशि	मजदूरी	प्रमाणक
18.02.2022	32000.00	श्रीनाथ (कैशबुक के अनुसार)	अप्राप्त

उपरोक्त व्यय पर निम्नांकित आपत्तियां दर्ज़ है।

1- उक्त कार्य की आईडी न तो कैशबुक (राज्य वित्त) न ही ई-ग्राम स्वराज में दर्शित है।

2- राज्य वित्त की रोकड़ बही में केवल देवखत में कार्य की मजदूरी ही अंकित है, कार्य का नाम नहीं लिखा है।

3- उक्त कार्य की कार्य योजना, एम.बी, इस्टीमेट आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- निविदा, कार्यपूर्ति/निरीक्षण पत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

5- एकमुश्त धनराशि श्रीनाथ को क्यों और किस कार्य हेतु दिया गया अपुष्ट रहा। जबकि मजदूरी विभिन्न मजदूरों को दिया जाना चाहिए।

6- कार्य का मस्टररोल श्रमिकों की मजदूरी का दर, कार्य अवधि लेखा परीक्षा में नहीं प्राप्त हुआ।

7- मजदूरी कार्यरत मजदूरों के खातों में जाना चाहिए।

इससे स्पष्ट होता है कि बिना प्रमाणक एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए उक्त धनराशि रु0 32000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसे लेखा मैनुअल 8(क) के अनुसार धनराशि ग्राम प्रधान श्रीनाथ एवं सचिव श्री गुड्डू प्रसाद से आधी-आधी ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

48-ग्राम पंचायत – बरबसपुर

विकास क्षेत्र – नौगढ़

वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -70 ग्राम पंचायत- बरबसपुर, विकासखंड- नौगढ़, जनपद- चंदौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण प्रकाश में आया है। आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है ।

कार्य का नाम- ग्राम पंचायत में टैंकर मरम्मत पर भुगतान (केन्द्रिय वित्त) -

दिनांक	धनराशि	सामग्री	भुगतान	प्रमाणक

19.03.2022	50350.00	अंकित नहीं	मे0एन कन्सट्रक्शन	अप्राप्त

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नवत् है।

1- केन्द्रिय वित्त के रोकड़ बही में व्यय धनराशि से संबंधित कार्य की आईडी अंकित नहीं थी, ई-ग्राम स्वराज में आईडी 53734794 है।

2- टैंकर का मरम्मत करवाया गया परंतु उक्त टैंकर ग्राम पंचायत का था या नहीं इसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

3- लेखा परीक्षा में स्टीमेट, एम.बी, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।

4- टैंकर मरम्मत से पूर्व की फोटो तथा मरम्मत उपरांत की फोटो एवं निरीक्षण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया।

5- व्यय धनराशि का प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

6- ई-ग्राम स्वराज के कार्य विवरण में कुछ भी अंकित नहीं था।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि बिना प्रमाणक एवं वित्तीय नियमों का पालन किए रु 50350.00 का अपहरण कर लिया गया है जो लेखा मैनुअल 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार गबन है जिसे प्रधान श्रीमती जलीमून बेगम तथा सचिव श्री सौरभ कुमार से आधी-आधी ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

49-ग्राम पंचायत – अमरा उ0

विकास क्षेत्र – चकिया

वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -71 ग्राम पंचायत- अमरा उ0, विकास खण्ड- चकिया, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

आलोच्य वर्ष में पांचवा राज्य वित्त आयोग से दिनांक 24.03.2022 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/13 पर स्टेशनरी व्यय हेतु भुगतान रु 6000.00 किया जाना कैशबुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय पर भुगतान किस फर्म को दिया गया है कैशबुक में अंकित नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 6000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 3000.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री संदीप गौतम एवं रु0 3000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

50-ग्राम पंचायत – भरेहटा कला

विकास क्षेत्र – चकिया

वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -72 ग्राम पंचायत- भरेहटा कला, विकास खण्ड- चकिया, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

आलोच्य वर्ष में पांचवा वित्त आयोग से सफाई सामग्री हेतु दिनांक 01.12.2021 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/2 से रु0 52365.00 का भुगतान कैशबुक में दर्शित किया गया

है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, **कार्यवाही रजिस्टर,** स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय पर भुगतान किस फर्म को दिया गया है कैशबुक में अंकित नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 52365.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 26182.50 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री संदीप गौतम एवं रु0 26182.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

51-ग्राम पंचायत – बुढवल
विकास क्षेत्र – चकिया
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -73 ग्राम पंचायत- बुढवल, विकास खण्ड- चकिया, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

1. आलोच्य वर्ष में पन्द्रहवा वित्त आयोग से प्रा0पा0 बुढवल में टाईल्स निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय हेतु दिनांक 05.12.2021 व बाउचर नं0 पंद्रहवा वित्त आयोग /2021-22/पी /5 से रु0 46272.00 का भुगतान का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, **कार्यवाही रजिस्टर, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,** स्टॉक रजिस्टर, **मस्टररोल,** वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय पर भुगतान किस फर्म को दिया गया है कैशबुक में अंकित नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 **46272**.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 23136.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री संदीप गौतम एवं रु0 23136.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनरेश से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

52-ग्राम पंचायत – डूही
विकास क्षेत्र – चकिया
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -74 ग्राम पंचायत- डूही, विकास खण्ड- चकिया, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

आलोच्य वर्ष में पांचवा वित्त आयोग से ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत कार्य हेतु क्रमशः दिनांक 23.04.2021 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/1 से रु0 28000.00, दिनांक 07.12.2021 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/6 से रु0 30000.00 एवं दिनांक 26.03.2022 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी /10 से रु0 42000.00 कुल रु 100000.00 का भुगतान कर व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, **कार्यवाही रजिस्टर, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,** वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय पर भुगतान किस फर्म को दिया गया है कैशबुक में अंकित नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 100000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 50000.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार एवं श्री चन्द्र एवं रु0 50000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम सिंह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

53-ग्राम पंचायत – मोहम्मदाबाद
विकास क्षेत्र – चकिया
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -75 ग्राम पंचायत- मोहम्मदाबाद, विकास खण्ड- चकिया, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

आलोच्य वर्ष में पांचवा राज्य वित्त आयोग से राम अवध जायसवाल के घर से रेंजर आफीस तक पक्की नाली सफाई व मरम्मत कार्य मजदूरी दिनांक 21.01.2022 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/13, रु0 6120.00, दिनांक 21.01.2022 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी /15 से रु0 6120.00, दिनांक 21.01.2022 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी /16 से रु0 6120.00, दिनांक 21.01.2022 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी /17 से रु0 6120.00 दिनांक 21.01.2022 व बाउचर नं0 पंचम राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी /18 से रु0 6120.00, कुल रु0 30600.00 का भुगतान का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में **मस्टररोल** लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 30600.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 15300.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री संदीप गौतम एवं रु0 15300.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

54-ग्राम पंचायत – सोनहुल
विकास क्षेत्र – चकिया
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर -76 ग्राम पंचायत- सोनहुल, विकास खण्ड- चकिया, जनपद- चन्दौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिनका विवरण निम्नवत है -

आलोच्य वर्ष में पन्द्रहवा वित्त आयोग से चन्द्रावती के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री क्रय हेतु दिनांक 30.11.2021 व बाउचर नं0 पन्द्रहवा वित्त आयोग /2021-22/P/7 से रु0 81000.00 का भुगतान का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, **कार्यवाही रजिस्टर, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,** स्टॉक रजिस्टर, **मस्टररोल,** वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय पर भुगतान किस फर्म को दिया गया है कैशबुक में अंकित नहीं रहा। भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 81000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि

रु0 40500.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री संदीप गौतम एवं रु0 40500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीतू सिंह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद - गाजीपुर **मण्डल-वाराणसी**

प्रारूप - 4

नाम संस्था - ग्राम पंचायत **वर्ष - 2021-22**

ग्राम पंचायत - शिवदासी चक, विकास खंड - देवकली, जनपद - गाजीपुर

प्रस्तर - 1 ग्राम पंचायत - शिवदासी चक, विकास खंड - देवकली, ग्राम पंचायत - शिवदासी चक, विकास खंड - देवकली जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/प्रियासॉफ्ट है ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार बार मांगे जाने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गए है । 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत शिवदाशी चक के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी० एम०बी०, कैशबक, पासबुक, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति. प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान हैं कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 41828.00. गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी

तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम नगीना व तत्कालीन ग्राम पं० सचिव श्री प्रफुल्ल कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्योंकि प्रथम दृष्टि से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संपेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु-1 पनिशमेंट फॉर फेल्यर टू हैंडओवर रिकॉर्ड्स एक्ट. और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०क्रं०-01)

<u>ग्राम पंचायत - गेहूड़ी, विकास खंड -मरदह जनपद - गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 2 ग्राम पंचायत - गेहूड़ी, विकास खंड -मरदह, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 30.10.2021 को आई०डी०नं० 54101237 से रु० 105000.00 की टाइल्स 'शिवा इंटरप्राइजेज' से क्रय की गयी है।

(क) लेखा मैनुअल अध्याय 7 पैरा एवं शासनादेश सं० 5038/ग-3377/47 पंचायत राज अनुभाग 3 दिनांक 11.07.1976 यथा संशोधित शासनादेश संख्या ए-1-864(1) दस 2008-15 (1) 86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रु० एक लाख से अधिक मूल्य के सामग्री क्रय पर निविदा

आमंत्रित की जानी चाहिये। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा रु० 105000.00 की टाइल्स क्रय के पूर्व निविदा आमंत्रित न कर वितीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री बदन एवं सचिव श्री चन्द्रिका प्रसाद उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत - बेलसड़ी, विकास खंड -मरदह जनपद - गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 3 ग्राम पंचायत - बेलसड़ी, विकास खंड -मरदह, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 05.01.2022 को आई०डी० नं० 54701716 से चन्द्रजीत राम के घर पर हैण्डपम्प रिबोर पर रू० 28055.00 का भुगतान 'अनिल मशीनरी स्टोर' को कैश बुक के अनुसार किया जाना दर्शित है इस पर निम्न आपति है।

(क) कैशबुक तथा प्रिया साफ्ट फीडिंग में इस बात का अंकन नहीं है कि कितने रुपये की सामग्री क्रय की गयी है और कितनी धनराशि मजदूरी में दी गयी है।

(ख) लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प के लाभार्थी द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने एवं उसके मरम्मत की मांग के सम्बन्ध में कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) हैण्डपम्प रिबोर के उपरांत ग्राम सभा की जल प्रबंधन समिति का मरम्मत सम्बन्धी पुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर के बाद निकले स्क्रैप का स्टॉक रजि० में अंकन नहीं किया गया है।

(ड़) रू० 28055.00 का भुगतान अनिल मशीनरी स्टोर को किया जाना दर्शित है लेखा परीक्षा में इस सम्बन्ध में कोई बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 क के अनुसार यदि सम्बन्धित व्यय का कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि को अपहरण माना जायेगा।

अतः रू० 28055.00 का फर्जी भुगतान कर अपहरण किया गया है। जिस प्रति प्रधान श्रीमती अर्चना भारती से रु० 14027.50 तथा सचिव श्री चन्द्रिका प्रसाद से रु० 14027.50 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-05)

<u>ग्राम पंचायत - पलहीपुर, विकास खंड -मरदह जनपद - गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 4 ग्राम पंचायत - पलहीपुर, विकास खंड -मरदह जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 12.11.2021 को पन्द्रहवें वित्त खाते से आई०डी० नं० 50907427 से पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु सामग्री 'जय माँ दुर्गा बिल्डिंग मैटेरियल' से रु० 50941.00 की क्रय की गयी है। लेखा परीक्षा में 'जय माँ दुर्गा बिल्डिंग मैटेरियल' का बिल बाउचर अप्रस्तुत रहा। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 क के अनुसार यदि सम्बंधित व्यय का कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया तो दर्शित व्यय की धनराशि को अपहरण माना जायेगा अतः रु० 50941.00 का फर्जी भुगतान

कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिस प्रति प्रधान श्री सुदर्शन यादव से रू० 25470.50 तथा सचिव श्रीमती अंकिता सिंह से रु० 25470.50 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-05)

<u>ग्राम पंचायत - फेफरा, विकास खंड -मरदह जनपद - गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 5 ग्राम पंचायत - फेफरा, विकास खंड -मरदह, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 30.10.2021 को आई०डी०नं० 52924462 से रु० 174464.00 की टाइल्स 'अम्बे कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर' से 'प्राथमिक विद्यालय में इंटरलाकिंग कार्य हेतु' क्रय की गयी है। इस पर निम्न आपति हैः-

(क) लेखा मैनुअल अध्याय 7 पैरा 3ब शासनादेश सं० 5038/ग-3377/47 पंचायत राज अनुभाग 3 दिनांक 11.07.1976 यथा संशोधित शासनादेश संख्या ए-1-864(1) दस 2008-15(1) 86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रु० एक लाख से अधिक मूल्य के सामग्री क्रय पर निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा रु० 174464.00 की सामग्री क्रय के पूर्व निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता के प्रति प्रधान श्री गंगा गौड़ व सचिव श्री चन्द्रिका प्रसाद उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है (सा०आ०सं०-01)

<u>ग्राम पंचायत - मुसल्लहपुर, विकास खंड - कासिमाबाद जनपद - गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 6 ग्राम पंचायत - मुसल्लहपुर, विकास खंड - कासिमाबाद जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2021-22 पंचम् राज्य वित्त की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि दिनांक 11.08.2021 को रु० 33600.00 की सफाई किट क्रय कैश बुक में अंकित है। परन्तु सफाई किट क्रय का कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जब कि शासनादेश सं० ए-1/864 दस/15 (1) दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रु० 20001.00 से रु० 99999.00 तक के क्रय का कोटेशन लिया जाना चाहिए। अतः इस शासनादेश का पालन न कर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभाकर पाण्डेय एवं ग्रामप्रधान श्रीमती चिन्ता देवी द्वारा रु० 33600.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है, इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-02)

<u>ग्राम पंचायत - डिहवा , विकास खंड - कासिमाबाद जनपद - गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 7 ग्राम पंचायत - डिहवा, विकास खंड - कासिमाबाद जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

पंचम् राज्य वित्त की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि कैश बुक में दिनांक 05.07.2021 को रु० 25125.00 कोरोना मृतकों को अनुदान राशि व सेनेटाइजेशन पर भुगतान दर्शित है परन्तु कितनी धनराशि किन-किन कोरोना मृतक परिवारों को दी गयी एवं कितनी धनराशि सेनेटाइजेशन पर व्यय की गयी है, इसका विवरण एवं व्यय वाऊचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जब कि ई-ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार रु० 25125.00 ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार गुप्ता द्वारा स्वयं के नाम से आहरित कर ली गयी है। अतः स्पष्ट है कि ग्रामप्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 25125.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ग्रामप्रधान श्री विनोद कुमार गुप्ता से रु० 12562.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार पाण्डेय से रु० 12562.50 ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-01)

प्रस्तर - 8 वर्ष 2021-22 की पंचम् राज्य वित्त की कैश बुक में दिनांक 27.07.2021 को रु० 10000.00 स्टेशनरी व प्रशासनिक व्यय पर दर्शित है जिसका व्यय वाऊचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, परन्तु ई-ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार यह भुगतान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार पाण्डेय द्वारा स्वयं के नाम से आहरित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि रु० 10000.00 का ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्रामप्रधान द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार पाण्डेय से रु० 5000.00 एवं ग्रामप्रधान श्री विनोद कुमार गुप्ता से रु० 5000.00 ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-02)

प्रस्तर - 9 15वाँ वित्त की कैश बुक में दिनांक 05.07.2021 को रु० 9000.00 स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव हेतु भुगतान दर्शित है जब कि कैश बुक के ही अनुसार मार्च 2022 तक सामुदायिक शौचालय निर्माणाधीन रहा है। ई-ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार रु० 9000.00 का भुगतान ग्रामप्रधान श्री विनोद कुमार गुप्ता द्वारा स्वयं के नाम से आहरित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि रु० 9000.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार गुप्ता से रु० 4500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार पाण्डेय से रु० 4500.00 ब्याज सहित अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-03)

<u>ग्राम पंचायत - बद्धूपुर , विकास खंड - बिरनो जनपद - गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 10 ग्राम पंचायत - बद्धूपुर, विकास खंड - बिरनो, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नविवरणानुसार व्यय दर्शित है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय धनराशि	खाते का विवरण	विवरण
1	01-10-2021	49002.00	केन्द्रीय वित्त	मन्नू प्रकाश के घर से ब्रह्म बाबा के स्थान पर इन्टरलॉकिंग कार्य
2	01-10-2021	15148.00	केन्द्रीय वित्त	उक्त कार्य हेतु मजदूरी
3	01-10-2021	32256.00	केन्द्रीय वित्त	उक्त कार्य हेतु इन्टरलॉकिंग ईट
4	20-12-2021	178622.00	राज्य वित्त	जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप
5	20-12-2021	193770.00	राज्य वित्त	जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप
6	28-10-2021	63436.00	राज्य वित्त	योगेश सिंह के घर से आर सी सी रोड तक मिट्टी खड़ंजा कार्य पर ईट का भुगतान
7	28-10-2021	22456.00	राज्य वित्त	उक्त कार्य की मजदूरी
8	28-10-2021	10601.00	राज्य वित्त	उक्त कार्य हेतु मिट्टी
योग		565291.00		

उक्त कार्य व मजदूरी के सापेक्ष मात्र कोषबही व बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, एम०बी०, मस्टररोल, परिसम्पत्ति पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अनुपलब्ध रहे। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है? नियमानुसार ऐसा प्रमाणक बिहीन व्यय गबन है। अतः सम्पूर्ण आहरित धनराशि रु० 565291.00 का अपहरण किया गया है। इस हेतु प्रधान श्री सुभाष व सचिव श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। प्रधान श्री सुभाष से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 282645.50 व सचिव श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव 50 प्रतिशत धनराशि रू० 282645.50 दोनों से समान रूप से ब्याजमय वसूली अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-02)

ग्राम पंचायत - बघोल, विकास खंड - बिरनो जनपद - गाजीपुर

प्रस्तर - 11 ग्राम पंचायत - बघोल, विकास खंड - बिरनो जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नवत आपत्तियाँ पायी गयी।

दिनांक 22-10-21 को आहरित रूपए 45900.00 से वशिष्ठ राय के घर के पास गड्ढे में राविश भरने हेतु भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित है इसके सापेक्ष दिनांक 22-10-21 को ही रुपए 18815.00 का भुगतान मजदूरी हेतु किया जाना दर्शित है लेकिन इसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक व मजदूरी का मस्टररोल लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया उक्त कार्य हेतु कार्ययोजना कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गई। दिनांक 22-10-21 को ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर गड्ढे के भरने हेतु राविश फेके जाने पर व्यय के सापेक्ष रुपए 70380.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित है इसी कार्य के सापेक्ष दिनांक 22-10-21 को रुपए 20337.00 का भुगतान मजदूरी हेतु किया जाना कोषबही में दिखाया गया है लेकिन इसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व मजदूरी का मस्टररोल तथा कार्यवाही पंजी, स्टॉक पंजी व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया अतः दर्शित कार्य के किए जाने की पुष्टि नहीं होती, इसके अभाव में आहरित धनराशि फर्जी है। इस प्रकार आहरित कुल रु० 155432.00 का वास्तविक कार्य हेतु प्रयोग नहीं किया गया उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह से 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। अत: ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 77716.00 व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 77716.00 की ब्याजमय वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०क्रं०-01)

प्रस्तर - 12 दिनांक 17-03-22 को आहरित रुपये 95761.00 से ग्राम पंचायत में चबूतरा निर्माण कराया जाना कोषबही में दर्शित है यह चबूतरा निर्माण किस स्थल पर कराया गया है स्पष्ट नहीं होता है। दिनांक 22-3-22 को रुपए 24514.00 का आहरण कर चबूतरा निर्माण के मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाना दर्शित है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजी, एम०बी० व परिसंपत्ति पंजी के अभाव में कार्य किए किए जाने की पुष्टि नहीं होती इस प्रकार आहरित कुल रू० 120275.00 का अपहरण किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा- 27 तथा उत्तर प्रदेश

पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एव लेखा प्रबन्धन हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद -8 क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह से ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। अत: ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 60137.50 व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 60137.50 की ब्याजमय वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०क्रं०-02)

प्रस्तर - 13 दिनांक 23-3-22 को आहरित रुपये 41500.00 से कोविड-19 हेतु स्वच्छता की सामग्री क्रय किया जाना दर्शित किया गया है जिसका भुगतान जगदीश नारायण एंड संस को किया गया है जबकि कोषबही के अवलोकन से स्पष्ट है कि माह सितंबर व अक्टूबर में स्वच्छता व सफाई कार्य हेतु भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः दिनांक 23-3-22 को आहरित रुपया 41500.00 का भुगतान फर्जी है। बिना उचित कारण के इस प्रकार धन का आहरण कर अपने निजी हित में उपयोग कर लिया गया है जो कि सरकारी धन का अपहरण है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती राम दुलारी व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह से ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। अत: ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 20750.00 व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 20750.00 की ब्याजमय वसूली अपेक्षित है।

(सा०आ०क्रं०-03)

प्रस्तर - 14 दिनांक 28-3-22 को आहरित रुपए 171950.00 से आर०सी०सी० ह्युम पाइप आर०एस० इंटरप्राइजेज से क्रय कर विक्रम के घर से श्याम लाल बिंदु के घर तक भूमिगत नाली के निर्माण हेतु सामयी क्रय किया जाना दर्शित है दिनांक 28-3-22 को ही रुपए में 19101.00 से शंकर ईंट उद्योग से ईंट क्रय किया जाना दर्शित किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, स्टॉक पंजी में अंकन नहीं किया गया है एम०बी० बुक और कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य के किए जाने की पुष्टि नहीं होती है अतः दर्शित व्यय कुल रु० 191051.00 फर्जी है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8 क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन है; जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह से ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। अत: ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 95525.50 व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 95525.50 की ब्याजमय वसूली अपेक्षित है (सा०आ०क्रं०-04)

प्रस्तर - 15 दिनांक 01-11-21 को आहरित रुपए 53550.00 से प्राथमिक विद्यालय बघोल में टाइल्स; पानी सप्लाई व बेसिन हेतु अशोक बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान किया गया

कोषबही में दर्शित है । दिनांक 02-11-21 को रुपए 45322.00 का आहरण कर प्रकाश हार्डवेयर को उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। पुनः दिनांक 02-11-22 को रुपए 12000.00 का आहरण कर शंकर ईंट उद्योग को भुगतान किया गया दर्शित है इस कार्य के सापेक्ष मजदूरी के रूप में रुपए 22900.00 का भुगतान किया गया दर्शित है। संबंधित व्यय प्रमाणक व मजदूरी का मस्टररोल लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक पंजी, परिसंपति पंजी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व एम०बी० भी प्रस्तुत नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि दर्शित किये गये भुगतान कुल रु० 133772.00 फर्जी हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवम लेखा प्रबन्धन हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी वग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह से ब्याज के साथ वसूल, किया जाना अपेक्षित है। अत: ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 66886.00 व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 66886.00 की ब्याजमय वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०क्रं०-05)

<u>ग्राम पंचायत - रामपुर, विकास खंड - सैदपुर जनपद - गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 16 ग्राम पंचायत - रामपुर, विकास खंड - सैदपुर जनपद - गाजीपुर की ले०प० वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम के पंचम केन्द्रीय वित्त (खाता संख्या 458702010998778) के कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार गोवंश आश्रय स्थल हेतु भूसा घर निर्माण में निम्न विवरणानुसार धनराशि व्यय की गयी है -

क्र०	**दिनांक**	**धनराशि**	**भुगतान प्राप्तकर्ता**	**विवरण(कोंषबही मे)**
1	25-01-2022	23061	अज्ञात	गोवंश आश्रय स्थल हेतु चारा क्रय भुगतान
2	25-01-2022	11003	ओम साई कृपा हार्डवेयर	चारा मशीन क्रय का भुगतान
3	08-02-2022	121085	दीपक बिल्डिंग मैटेरियल	गोवंश आश्रय स्थल हेतु भूसा घर निर्माण हेतु
4	08-02-2022	50060	दीपक ईट उद्योग	गोवंश आश्रय स्थल हेतु भूसा घर निर्माण हेतु ईट क्रय का भुगतान
योग		**205209.00**		

उपरोक्त दर्शित कुल व्यय रु० 205209.00 किस विभागीय आदेश से कराया गया इस संबंध में कोई आदेश/शासनादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण एवं उससे संबन्धित अन्य गतिविधियों को संचालित करने का राजकीय प्राविधान जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत निहित है। ग्राम पंचायत निधि से उपरोक्त कार्य कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त उक्त दर्शित कुल व्यय रु० 205209.00 से संबन्धित कोई वांछित मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, विस्तृत प्राक्कलन तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, टेण्डर प्रक्रिया की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य फोटोग्राफी, सामग्री क्रय का वाउचर, प्रमाणित मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य की पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। दायित्व संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का रहा। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय उ०प्र० पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम -256 एवं पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के प्रस्तर (7) यह कि, ''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर (8क) यह कि, ''यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।'' के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः व्यय धनराशि रु० 205209.00 में से 50% धनराशि रु० 102604.50 ग्राम प्रधान श्री अमित रघुवंशी से तथा शेष 50% की धनराशि रु० 102604.50 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्विनी सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल०आ०सं०-01)

<u>ग्राम पंचायत - गोपालपुर, विकास खंड - सैदपुर जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 17 ग्राम पंचायत - गोपालपुर, विकास खंड - सैदपुर जनपद -गाजीपुर की ले0 प० वर्ष 2021-22 में अपहरण से संबन्धित आपत्तियों का विवरण निम्नवत है -

ले०प० वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त (खाता संख्या 415602010015413) के कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात होता है कि कराये गये कार्य प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स लगवाने हेतु सामग्री क्रय के भुगतान के लिए दिनांक 15-03-2022 को कोषबही के आय पक्ष में रु० 129381.00 का आहरण दर्शित है जो कि बैंक स्टेटमेंट से पुष्टित है किन्तु इस धनराशि के सापेक्ष कोष बही के व्यय पक्ष में दिनांक 15-03-2022 को रु० 53208.00 का ही व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में रु० 53208.00 की पुष्टि हेतु वांछित मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, विस्तृत प्राक्कलन, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, टेण्डर प्रक्रिया पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य की फोटोग्राफी, सामग्री क्रय का वाउचर, प्रमाणित मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य की पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। कोष बही के माह मार्च 2022 के आय पक्ष का मासिक योग रु० 548533.00 एवं व्यय पक्ष का मासिक योग रु० 472360.00 आता है। इस प्रकार माह के अंत में अर्थात दिनांक 31-03-2022 को रोकड़ शेष 548533-472360 = रु० 76173.00 होना चाहिए किन्तु कोष बही में दिनांक 31-03-2022 को रोकड़ शेष शून्य दर्शित है।

उपरोक्त विवरण से निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त कराये गये कार्य प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स कार्य में दर्शित व्यय रु० 53208.00 प्रमाणक विहीन एवं अपुष्टित है एवं रोकड़ शेष रु० 76173.00 अपहरित है। दायित्व सचिव व ग्राम प्रधान का रहा। विवरणित धनराशि रु० 53208.00 + रु०

76173.00 = रु० 129381.00 उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर (7) यह कि, "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) यह कि, "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः व्यय धनराशि रु० 129381.00 में से 50% धनराशि रु० 64690.50 ग्राम प्रधान श्री हरिदास यादव से तथा शेष 50% धनराशि रु० 64690.50 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्विनी सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल०आ०सं०-01)

<u>ग्राम पंचायत - फरदिहा, विकास खंड -सैदपुर जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 18 ग्राम पंचायत - फरदिहा, विकास खंड -सैदपुर जनपद -गाजीपुर की ले0 प० वर्ष 2021-22 में अपहरण/दुर्विनियोग गंभीर अनियमितताओं से संबन्धित आपत्तियों का विवरण निम्नवत है-

ले०प० वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम के पंद्रहवै वैन्द्रीय वित्त (खाता संख्या 392702010339610) के कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात होता है कि, जमुना के खेत से नसूड़ी के घर तक खड़ंजा कार्य पर निम्न विवरणानुसार धनराशि व्यय की गयी-

क्र०	**दिनांक**	**धनराशि**	**भुगतान प्राप्तकर्ता**	**विवरण(कोंष बही में)**
1	02-02-2022	222381	ललिता अम्बा ईट उद्योग	ईट क्रय का भुगतान
2	02-02-2022	59820	मिन्टू (मेठ)	मजदूरों की मजदूरी भुगतान
योग		282201		

उपरोक्त दर्शित कुल व्यय रु० 282201.00 की पुष्टि हेतु वांछित मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, विस्तृत प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य की फोटोग्राफी, प्रमाणित मस्टर रोल, सामग्री क्रय का वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य की पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए दायित्व संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का रहा। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 282201.00 उ०प्र० पंचायत राज नियमावली - 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर (7) यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध कराये।" एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर (8क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः व्यय धनराशि रु० 282201.00 में से 50% धनराशि रु० 141100.50 ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी से था शेष 50% कि धनराशि रु० 141100.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री सर्वजीत कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल०आ०सं०-01)

<u>ग्राम पंचायत - महमूदपुर, विकास खंड -सैदपुर जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 19 ग्राम पंचायत - महमूदपुर, विकास खंड - सैदपुर जनपद -गाजीपुर की के ले० प० वर्ष 2021-22 में अपहरण से संबन्धित आपत्तियों का विवरण निम्नवत है-

ले०प० वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त (खाता संख्या 415602010015435) के कोष वही एवं बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात होता है। दिनांक 01-10-2021 से दिनांक 31-03-2022 तक विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1068235.00 की धनराशि व्यय की गयी है किन्तु व्यय की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में वांछित मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, विस्तृत प्राक्कलन, कार्य की माप पुस्तिका, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, प्रमाणित मस्टर रोल, सामग्री क्रय का वाउचर, मानदेय रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य की पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, हैंडपंप मरम्मत एवं रिबोर की पत्रावली, टेण्डर प्रक्रिया की पत्रावली एवं स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये । दायित्व संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का रहा। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 यह कि, "ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर (8क) यह कि, "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से कि जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः व्यय धनराशि रु० 1068235.00 में से 50% धनराशि रु० 534117.50 ग्राम प्रधान श्री मनोज से एवं शेष 50% धनराशि रु० 534117.50 ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुशीला देवी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल०आ०सं०-01)

प्रस्तर - 20 ले०प० वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम के पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त (खाता संख्या 392702010339349) के कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात होता है कि दिनांक 01-10-2021 से दिनांक 31-03-2022 तक विभिन्न तिथियों में कुल रु० 976472.00 की धनराशि व्यय की गयी है। उक्त व्यय की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में वांछित मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, विस्तृत प्राक्कलन, कार्य की माप पुस्तिका, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, प्रमाणित मस्टर रोल, सामग्री क्रय का वाउचर, मानदेय रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य की पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, हैंडपंप मरम्मत एवं रिबोर की पत्रावली, टेण्डर प्रक्रिया की पत्रावली एवं स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये । दायित्व संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का रहा। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 यह कि, "ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि, "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलन्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से कि जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः व्यय धनराशि रु० 976472.00 में से 50 % धनराशि रु० 488236.00 ग्राम प्रधान श्री मनोज से एवं शेष

50 % धनराशि रु० 488236.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुशीला देवी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल०आ०सं०-02)

<u>ग्राम पंचायत - औड़िहार कलाँ , विकास खंड -सैदपुर जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 21 ग्राम पंचायत - औड़िहार कलाँ, विकास खंड -सैदपुर जनपद -गाजीपुर के ले० प० वर्ष 2021-22 में अपहरण से संबन्धित आपत्तियों का विवरण निम्नवत है-

ले०प० वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम के 15वें केन्द्रीय वित्त (खाता संख्या 392702010339636) के कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात होता है कि, सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार धनराशि व्यय की गयी

क्र०	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	विवरण
1	03-12-2021	281481	सेराज इन्टरप्राइजेज	सामग्री क्रय का भुगतान
2	28-12-2021	317620	सेराज इन्टरप्राइजेज	सामग्री क्रय का भुगतान
3	30-12-2021	146	बी0सी0 एस0 ब्रिक्स	ईट क्रय
4	29-02-2022	117635	अज्ञात	मिस्त्री व श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान
योग		**716882**		

उपरोक्त दर्शित कुल व्यय रु० 716882.00 की पुष्टि हेतु वांछित मूल अभिलेख यथा निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, स्थल चयन का प्रमाण पत्र, निगरानी समिति का विवरण, विस्तृत प्राक्कलन, टेंडर प्रक्रिया की पत्रावली, कार्य की फोटोग्राफी, प्रमाणित मस्टर रोल, कार्य की माप पुस्तिका, सामग्री क्रय का वाउचर, जल विद्युत की व्यवस्था का विवरण, रख-रखाव हेतु केयर टेकर का नाम व मानदेय का विवरण, साफ-सफाई के भौतिक व निःसंक्रामक सामग्री का विवरण, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य की पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । दायित्व संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का रहा। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 716882.00 उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के निगम -256 एवं पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर (7) यह कि, "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करायें।" एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) यह कि, "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः व्यय धनराशि रु० 716882.00 में से 50% की धनराशि रु० 358441.00 ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से तथा शेष 50% की धनराशि रु० 358441.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्विनी सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल०आ०सं०-01)

प्रस्तर - 22 ले० प० वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम के पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त (खाता सं०) 392702010339636) के कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट से जात होता है कि दिनांक 23-03-2022 को पनारु राजभर के घर से शेरु राजभर के घर होते हुए खारु राजभर के घर तक सीवर लाइन निर्माण कार्य हेतु रुपया 544399.00 का भुगतान सेराज़ इंटरप्राइजेज़ को किया गया है। कोष बही की समीक्षा से स्पष्ट है कि कोष बही तिथिवार न लिखकर पूरे माह की एक साथ लिखी गयी है तथा आय एवं व्यय पक्ष का योग भी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त दर्शित व्यय धनराशि रु० 544399.00 कि पुष्टि के लिए वांछित मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, विस्तृत प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेण्डर प्रक्रिया की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य की फोटोग्राफी, सामग्री क्रय का वाउचर, प्रमाणित मस्टर रोल (मजदूरी यदि दी गयी हो), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य की पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। दायित्व संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय रु० 544399.00 पंचायत राज निमयवाली 1947 के नियम-256 एवं पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर (7) एवं प्रस्तर (8 क) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

अतः व्यय धनराशि रु० 544399.00 में से 50% धनराशि रु० 272199.50 ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से तथा शेष 50% की धनराशि रु० 272199.50 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्विनी सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल०आ०सं०-02)

<u>ग्राम पंचायत - फतेहपुर अटवा, विकास खंड -सदर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 23 ग्राम पंचायत - फतेहपुर अटवा, विकास खंड -सदर, जनपद -गाजीपुर की लेखा परीक्षा में निम्नवत कमियाँ पायी गयी-

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के वा०सं०-3 दिनांक 27.07.2021 द्वारा रु० 52982.00 मेसर्स तिरूपति बालाजी हार्डवेयर को वर्क आई०डी० 50840413 पर हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री व मजदूरी हेतु भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय पत्रावली में शासनादेश सं०-ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुपालन में कोटेशन संबंधी कार्यवाही का सम्यक अनुपालन नहीं पाया गया है। कैशबुक पर एवं पत्रावली में मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों का स्थान संबंधी स्पष्ट विवरण अंकित नहीं है। संस्था स्तर पर हैण्डपम्प रजिस्टर तैयार नहीं है। संबंधित उपभोक्ताओं से हैण्डपम्प के खराब होने संबंधी आवेदन-पत्र, जल प्रबन्ध समिति की अनुशंसा, मरम्मत उपरान्त प्रमाण पत्र/कोई भौतिक निरीक्षण आख्या/फोटोग्राफी आदि अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं रही। जो निदेशक पं०रा० उ०प्र० के पत्रांक आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के मंशा अनुरूप नहीं है। अतः तिरुपति बालाजी हार्डवेयर को किया गया भुगतान रु० 52982.00 अनियमित पाया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती छबिराजी देवी तथा ग्रा०पं०/वि० अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-14)

प्रस्तर - 24 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार पंचम राज्य वित्त शीर्ष से दिनांक 27.07.21 को वा०सं०- 01 द्वारा रु० 10,वा०सं०-01 द्वारा रू० 10000.00 का भुगतान मेसर्स तिरुपति बालाजी हार्डवेयर को सेनेटाईजर खरीद हेतु किया गया है। बार-बार मौखिक एवं लिखित (दिनांक 07.011.22 व

10.02.23 की प्रतियां कार्यालय में जमा) माँग के बावजूद संबंधित व्यय प्रमाणक, सेनेटाईजर खरीद हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित समिति का प्रस्ताव अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया। अपितु ग्राम प्रधान एवं ग्रा०पं०/ वि० अधिकारी द्वारा आपसी मिलीभगत से काल्पिनक भुगतान दर्शाकर धनराशि रू०10000.00 का अपहरण किया गया है।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 पैरा-7, 8(क) व 8(ख) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम सं० 256 में विहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रु० 5000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती छबिराजी देवी तथा रु० 5000.00 ग्रा०पं०/वि० अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-15)

<u>ग्राम पंचायत - फदनपुर, विकास खंड -सदर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 25 ग्राम पंचायत - फदनपुर, विकास खण्ड-सदर, जनपद -गाजीपुर की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी -

शासनादेश सं० ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रु० 25,000.00 से रू० 1,00,000.00 तक के क्रय हेतु कोटेशन तथा रू० 1,00,000.00 से अधिक के क्रय मूल्य हेतु टेण्डर प्रक्रिया का सम्यक तरीके से पालन करके ही भुगतान किया जायेगा। परंतु प्रस्तुत पत्रावली से भुगतान पूर्वक इसके अनुपालन की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार जे०बी०इ०प्रा० को किया गया भुगतान रु० 1,91,528.00 अनियमित पाया गया। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती संजू तथा ग्रा०पं०/वि० अधिकारी श्री अजय कुमार राय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-14)

<u>ग्राम पंचायत - दलिप राय पट्टी, विकास खंड -सादात, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 26 ग्राम पंचायत - दलिप राय पट्टी, विकास खंड -सादात, जनपद -गाजीपुर की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत दलिपरायपट्टी में विभिन्न् तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर रु 110781.00 व्यय दर्शित कर कैशबुक में प्रमाणक विहिन लेखा पारित किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रमाणक संख्या /दिनांक	धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	10/16.10.2021	11334
2	हैण्डपम्प मजदूरी	11/16.10.2021	19884
3	हैण्डपम्प मरम्मत	12/16.10.2021	11334
4	हैण्डपम्प मजदूरी	13/16.10.2021	19884
5	हैण्डपम्प मरम्मत	14/16.10.2021	40245
6	हैण्डपम्प मजदूरी	15/16.10.2021	8100

		योग	**110781**

उक्त व्यय की पुष्टि में न तो हैंडपंप रजिस्टर बनाया गया है और न ही उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन किन स्थानों पर मरम्मत की कितनी धनराशि व्यय की गई। खराब हैंडपंपों का विवरण एवं अनुमानित लागत/पार्ट्स के विवरण के साथ कार्यवाही पुस्तिका में इसकी परिचर्चा एवं स्वीकृति प्रदान की गई है अथवा नहीं। कार्यवाही पंजिका के अभाव में यह अपुष्टित रहा। मरम्मत में लगने वाले पार्ट्स का क्रयादेय, क्रय बाउचर्स स्टॉक आमद एवं मरम्मत के पश्चात वर्क हैण्डओवर, कार्य प्रभारी की नियुक्ति व पुराने सामान का स्टॉक पंजी भी नहीं रखा गया है। जल प्रबंधन समिति से हैंडपंप मरम्मत व व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं कराई गई है। उपरोक्त स्थिति में न तो हैंडपंपों के खराब होने की पुष्टि हो रही है, एवं नही सामान क्रय एवं मरम्मत की ही पुष्टि हो रही है तथा यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि अब तक कितने हैंडपंप किन किन स्थानों पर लगाए गए थे। अतः उक्त व्यय पूर्णतया संदिग्ध एवं अपुष्टित रहा। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती नगीना देवी व सचिव श्री अनुज यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ग्राम प्रधान श्रीमती नगीना से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 55390.50 व सचिव श्री अनुज यादव से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 55390.50 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। (आ०सं०-01)

<u>ग्राम पंचायत - वीरभानपुर, विकास खंड -सादात, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 27 ग्राम पंचायत - वीरभानपुर, विकास खंड -सादात, जनपद -गाजीपुर की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत वीरभानपुर में विभिन्न् तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर रु० 72080.00 व्यय दर्शित कर कैशबुक में प्रमाणक विहिन लेखा पारित किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	**कार्य का नाम**	**प्रमाणक संख्या/दिनांक**	**धनराशि**
1	हैण्डपम्प मरम्मत	9/15.03.2022	10824
2	हैण्डपम्प रिबोर	9/15.03.2022	30628
3	हैण्डपम्प रिबोर	10/15.03.2022	30628
		योग	72080

उक्त व्यय की पुष्टि में न तो हैंडपंप रजिस्टर बनाया गया है और न ही उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन किन स्थानों पर मरम्मत की कितनी धनराशि व्यय की गई। खराब हैंडपंपों का विवरण एवं अनुमानित लागत/पार्ट्स के विवरण के साथ कार्यवाही पुस्तिका में इसकी परिचर्चा एवं स्वीकृति प्रदान की गई है अथवा नहीं। कार्यवाही पंजिका के अभाव में यह अपुष्टित रहा। मरम्मत में लगने वाले पार्ट्स का क्रयादेय, क्रय बाउचर्स स्टॉक आमद एवं मरम्मत के पश्चात वर्क हैण्डओवर, कार्य प्रभारी की नियुक्ति व पुराने सामान का स्टॉक पंजी भी नहीं रखा गया है। जल प्रबंधन समिति से हैंडपंप मरम्मत व व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं कराई गई है। उपरोक्त स्थिति में न तो हैंडपंपों के खराब होने की पुष्टि हो रही है, एवं नही सामान क्रय एवं मरम्मत की ही पुष्टि हो रही है तथा यह भी स्पष्ट नहीं हो सका

कि अब तक कितने हैंडपंप किन किन स्थानों पर लगाए गए थे। अतः उक्त व्यय पूर्णतया संदिग्ध एवं अपुष्टित रहा। जिसके लिए प्रधान श्री पलटूराम व सचिव श्री विजय नारायन यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ग्राम प्रधान श्री पलटूराम से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 36040.00 व सचिव श्री विजय नारायन यादव से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 36040.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। (आ०सं०-01)

<u>ग्राम पंचायत - रेहटीमालीपुर, विकास खंड - जखनिया, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 28 ग्राम पंचायत - रेहटीमालीपुर, विकास खंड -जखनिया, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियां प्रकाश में आयी। जिनका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम ग्राम पंचायत रेहटी मालीपुर में प्रेमशीला, बाला चन्द, सुरेश के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य

क्रमांक	**दिनांक**	**व्यय का विवरण**	**धनराशि**
1	15-03-2022	भारत ट्रेडर्स	49237
2	15-03-2022	मजदूरी का भुगतान (राहुल सोनकर को)	39855
		योग	**89092**

उपरोक्त कार्य पर आपतियां अग्रलिखित हैं-

1- हैण्डपम्प रिबोर की पुष्टि में हैण्डपम्प मरम्मत रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

2- जिन-जिन स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कराया गया एवं कितनी धनराशि व्यय की गयी विवरण अप्राप्त रहा।

3- हैण्डपम्प रिबोर सम्बन्धी पत्रावली भी उपलब्ध नहीं रही। जिसमें कि जल प्रबन्ध समिति की संस्तुति रिपोर्ट, इस्टीमेट एवं एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र, हैण्डपम्प रिबोर सम्बन्धी शिकायती पत्र व तकनीकी रिपोर्ट, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिसका अवलोकन किया जा सके। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं होती है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 खण्ड-8(क), 8(ख) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-22 के अनुसार व्यय की धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। जो अधिभार योग्य है। उक्त धनराशि रु० 89092.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सोनू कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री फैज अहमद से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। अतः ग्राम प्रधान श्री सोनू कुमार से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 44546.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री फैज अहमद से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 44546.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ०सं०-01)

<u>ग्राम पंचायत - रेवरिया, विकास खंड - जखनिया, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 29 ग्राम पंचायत - रेवरिया, विकास खंड -जखनिया, जनपद -गाजीपुर की लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी।

कार्य का नाम-प्रा०वि० देवरिया चबूतरा निर्माण कार्य

क्रमांक	**दिनांक**	**व्यय का विवरण**	**धनराशि**
1	17-02-2022	अमन बिल्डिंग मैटेरियल को निर्माण सामग्री भुगतान	50196
2	17-02-2022	बजरंग ईट भट्ठा को ईट भुगतान	31932
3	17-02-2022	मजदूरी भुगतान	29294
		योग	**111422**

1- कराये गये कार्य का स्थलीय निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया गया अथवा नहीं। रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

2- सम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति की अनुशंसा रिपोर्ट व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

3- पंचायत अनुभाग के शासनादेश सं0-3/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.01.2016 के बिन्दु ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशी के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए था परन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- क्रय सामयी हेतु टेंडर एवं कय प्रक्रिया पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया कार्य नियमों के विपरीत एवं मनमाने ढंग से कराया गया है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री जियालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गोपाल यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ०सं०-01)

<u>ग्राम पंचायत - भरतपुर, विकास खंड - सादात, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 30 ग्राम पंचायत - भरतपुर, विकास खंड -सादात, जनपद -गाजीपुर की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत भरतपुर में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर रु 52956.00 व्यय दर्शित कर कैशबुक में प्रमाणक विहिन लेखा पारित किया गया है।

क्रमांक	**कार्य का नाम**	**प्रमाणक संख्या/दिनांक**	**धनराशि**
1	हैण्डपम्प रिबोर कार्य मजदूरी	11/14.12.2021	19884
2	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	12/14.12.2021	10824
3	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी	13/14.12.2021	11424
4	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	04/24.02.2022	10824
		योग	52956

उक्त व्यय की पुष्टि में न तो हैंडपंप रजिस्टर बनाया गया है और न ही उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन किन स्थानों पर मरम्मत की कितनी धनराशि व्यय की गई। खराब हैंडपंपों का विवरण एवं अनुमानित लागत/पार्ट्स के विवरण के

साथ कार्यवाही पुस्तिका में इसकी परिचर्चा एवं स्वीकृति प्रदान की गई है अथवा नहीं। कार्यवाही पंजिका के अभाव में यह अपुष्टित रहा। मरम्मत में लगने वाले पार्ट्स का क्रयादेय, क्रय बाउचर्स, स्टॉक आमद एवं मरम्मत के पश्चात वर्क हैण्डओवर, कार्य प्रभारी की नियुक्ति व पुराने सामान का स्टॉक पंजी भी नहीं रखा गया है। जल प्रबंधन समिति से हैंडपंप मरम्मत व व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं कराई गई है। उपरोक्त स्थिति में न तो हैंडपंपों के खराब होने की पुष्टि हो रही है, एवं नही सामान क्रय एवं मरम्मत की ही पुष्टि हो रही है तथा यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि अब तक कितने हैंडपंप किन किन स्थानों पर लगाए गए थे। अतः उक्त व्यय पूर्णतया संदिग्ध एवं अपुष्टित रहा। जिसके लिए प्रधान श्रीमती दीक्षा सिंह व सचिव श्री विजय नारायन यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती दीक्षा सिंह से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 26478.00 व सचिव श्री विजय नारायन यादव से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 26478.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। (आ०सं०-01)

<u>ग्राम पंचायत - चक मेदनी न०.-01, विकास खंड -जमानिया, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 31 ग्राम पंचायत -चक मेदनी न०.-01, विकास खंड -जमानिया, जनपद -गाजीपुर की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी-

ग्राम पंचायत चकमेदनी नं० 01 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार रु० 682505.00 व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कैशबुक, स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य वांछित अभिलेख बार-बार मॉग (पत्रव्यवहार व मौखिक) के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण व्यय अपुष्टित रहा। जो कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एव लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंघन है। बिन्दु 7 में अंकित है कि ‘‘ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अंकित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राम राज यादव व ग्राम पंचायत सचिवं श्री सिद्धार्थ शंकर सिंह संयुक्त रूप से अपहरण के लिए उत्तरदायी है। अतः ग्राम प्रधान श्री राम राज यादव से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 341252.50 व ग्राम पंचायत सचिवं श्री सिद्धार्थ शंकर सिंह से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 341252.50 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत- पाहसायदराजा, विकास खंड -जमानिया, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 32 ग्राम पंचायत - पाहसायदराजा, विकास खंड -जमानिया, जनपद -गाजीपुर की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 दिनांक 19.01.2022 को रु० 6000.00 व दिनांक 15.03.2022 को रु० 12000.0 कुल रु० 18000.00 पंचायत सहायक को मानदेय भुगतान किया गया है। मानदेय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाण व मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री विगगन सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार यादव संयुक्त रूप से अपहरण के लिए उत्तरदायी है

। अतः ग्राम प्रधान श्री विग्गन सिंह से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 9000.00 व ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार यादव से 50 प्रतिशत धनराशि रू० 9000.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत - परसदा, विकास खंड - भांवरकोल, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 33 ग्राम पंचायत-परसदा, विकास खंड - भांवरकोल, जनपद -गाजीपुर की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी-

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम और केंद्रीय वित्त की कोशबही और बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में सोलर लाइट स्थापना पर उपभोग / व्यय रू० 430000.00 दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय के सापेक्ष निम्न आपति है-

1- सोलर लाइट पर दिनांक 05.10.21 को रुपया 43000.00, दिनांक 07.10.21 रुपया 193500.00, दिनांक 07.10.21 रुपया 193500.00 का कुल रुपया 430000.00 व्यय ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है। स्पष्ट ग्राम पंचायत की अधिकार सीमा 02 लाख के अंदर रखने के लिए ताकि उच्च सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय तथा तकनीकी अनुमति (जिला पंचायत राज अधिकारी अभियन्ता जिला जिला पंचायत) लेने से बचने के लिए ऐसा जानबूझ कर किया गया है। साथ ही एक ही तिथियों में भुगतान कर कार्य टुकड़ों में किया गया है।

2- सोलर लाइट एक प्रोजेक्ट है और कार्य योजना में एक कार्य है। यदि कार्ययोजना एक है तो वर्क आईडी भी एक ही होगी ऐसा किया गया है लेकिन कोषबही और बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अधोलिखित विवरण में दो मद पंचम राज्य वित्त और पन्द्रहवा वित्त आयोग मद से भुगतान किया गया है। जब कि पब्लिक डोमेन ई-ग्राम स्वराज सम्पूर्ण फीडिंग में 15 वित्त आयोग से भुगतान पर दर्शित है

3- एक लाख से ऊपर की सोलर क्रय के सापेक्ष टेंडर / कोटेशन पत्रावली प्रस्तुत नहीं की फलतः क्रय प्रक्रिया के पालन किए जाने की स्थिति अज्ञात रही।

4- सोलरलाइट के समस्त भुगतान आकृति इन्टरप्राइजेज को किए गए है फर्म के नेडा अप्रूव्ड संस्था होने की पुष्टि के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। साथ ही वारंटी/गारंटी पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं रही जिससे यह अज्ञात रहा कि सोलर लाइट के क्रम में नेडा के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता नियमों का पालन किया गया है या नहीं।

5- सोलर लाइट स्थापना के लिए स्थान का चयन कार्ययोजना में किस प्रकार किया गया है यह अजात रहा। कैश बुक पर भी स्थान संबंधी स्पष्ट विवरण अंकित नहीं है।

6- सोलर लाइट क्रय में नेडा का रेट / दर लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं रहे।

7- स्थापना प्रमाण पत्र / कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं रहे ।

8- त्रिस्तरीय फ़ोटो और एस्टिमेट लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं रहे।

9- भुगतान के सापेक्ष वाउचर / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं रहे।

फलस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार योग्य है।

ग्राम पंचयत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" आगे इसी के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क बिन्दु के अनुसार "यदि दर्शाये गए बिन्दु के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक सिंह उत्तरदायी है। जिनसे मय ब्याज आधा-आधा रूपये 215000.00 प्रत्येक से वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

क्रमांक	**मद**	**कार्य का नाम**	**वर्क आई0डी0**	**दिनांक**	**धनराशि**	**भुगतान प्राप्तकर्ता**
1	15वे	2नग सोलर लाइट	42229204	05-10-2021	43000	आकृति इन्टरप्राईजेज
2	पंचम	9 नग सोलर लाइट	42229204	07-10-2021	193500	आकृति इन्टरप्राईजेज
3	पंचम	9 नग सोलर लाइट	42229204	07-10-2021	193500	आकृति इन्टरप्राईजेज
				सम्पूर्ण योग	**430000**	

<u>ग्राम पंचायत - शेरपुर, विकास खंड -भांवरकोल, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 34 ग्राम पंचायत-शेरपुर, विकास खंड - भांवरकोल, जनपद -गाजीपुर की लेखा परीक्षा का विस्तृत विवरण निम्नवत है-

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित भुगतान किए गए है -

दिनांक 27.07.21 को रु० 21000.00 राधा इन्टरप्राइजेज को प्रशासनिक मद में

दिनांक 27.07.21 को रु० 21000.00 जय इन्टरप्राइजेज को प्रशासनिक मद में

दिनांक 27.07.21 को रु० 77500.00 हिमांशी इंटरप्राइजेज प्रशासनिक मद में

उपर्युक्त भुगतान के संबंध में अधोलिखित आपत्तियाँ है-

1- उपर्युक्त कुलं रुपये 119500.00 का भुगतान प्रशासनिक मद में विभिन्न तिथियों में विभिन्न फर्म को राज्य वित्त मद से किया गया है। इसकी गाइडलाइन लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं रहा साथ ही कार्य का स्पष्ट विबरण भी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया कोंष पर सिर्फ प्रशासनिक मद मे खर्च अंकित किया गया है।

2- उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष कोई भी वाउचर/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जब की सम्पूर्ण भुगतान फर्म को किया गया है।

उपर्युक्त के क्रम मे ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंधन हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। आगे इसी के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क बिन्दु के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"।

नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली राय और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रजनीकान्त पाण्डेय उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कुल रू० 119500.00 की वसूली मय ब्याज आधा आधा, ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली राय से रू० 59750.00 और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रजनीकान्त पाण्डेय से रू० 59750.00 किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत- महेंद, विकास खंड -भावरकोल, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 35 ग्राम पंचायत - महेंद, विकास खंड -भावरकोल, जनपद -गाजीपुर की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पायी गई-

आलोच्य वर्ष में भुगतान का विवरण अधोलिखित है-

दिनांक 05.11.21 को रुपये 124200.00 डेस्क बेंच क्रय प्रथमिक विद्यालय चकखान के लिए हिमांशु इन्टरप्राइजेज को भुगतान ।

दिनांक 06.11.21 को रुपये 199800.00 डेस्क बेंच क्रय प्रथमिक विद्यालय चकखान के लिए एवर ग्रीन इन्टरप्राइजेज को भुगतान ।

उपर्युक्त भुगतान के संबंध में अधोलिखित आपत्तियाँ है-

1- डेस्क बेंच क्रय पर पर 05.11.21 को रुपया 124200.00, दिनांक 06.11.21 रुपया 199800.00 कुल रुपया 324000.00 व्यय ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है। स्पष्ट है ग्राम सभा की अधिकार सीमा 2 लाख के अंदर रखने के लिए ताकि उच्च सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय तथा तकनीकी अनुमति (जिला पंचायत राज अधिकारी और अभियन्ता जिला जिला पंचायत) लेने से बचने के लिए एक दिन के अंतर की तिथियों में भुगतान कर कार्य को टुकड़ों में किया गया है।

1) टेंडर/कोटेशन प्रक्रिया में भी अनियमितता की गई है दो फर्म का चयन किस आधार पर किया गया इसकी पत्रावली लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई और न ही कोई ठोस कारण ही बताया गया।

2) पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में

निर्माण समिति सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी अनुमोदन/संस्तुति करना है। लेकिन अनुमति संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।

3) कृत कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारंभ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके।

4) एस्टिमेट और पी०डब्लू०डी० का शेड्यूल दर लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं रहे जिससे सामग्री के के दर और तकनीकी अनुमति की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5) एम०बी०/ माप पुस्तिका, और कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

6) सामग्री के भुगतान के सापेक्ष कोई भी वाउचर / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त के क्रम ग्राम पंचायत द्वारा उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिए सचिव और ग्राम प्रधान उत्तरदायी है।

उपर्युक्त धनराशि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार योग्य है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंधन हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। आगे इसी के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क बिन्दु के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"।

नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कुल रु० 324000.00 की वसूली, ग्राम प्रधान श्री मो० बाबर अली से रू० 162000.00 और सचिव श्री ओमप्रकाश राम से रू० 162000.00 ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

<u>ग्राम पंचायत- मुँडेरा बुजुर्ग, विकास खंड -भावरकोल, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 36 ग्राम पंचायत - मुँडेरा बुजुर्ग, विकास खंड -भावरकोल, जनपद -गाजीपुर की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पायी गई-

आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम और केंद्रीय वित्त की कोशवही और बैंक स्टेटमेट के अनुसार राज्य वित्त केन्द्रीय वित्त आयोग (FFC) मद से हैंडपंप मरम्मत कार्य पर उपभोग/व्यय रू० 98014.00 दर्शित रहा। विवरण अधोलिखित है-

दिनांक 02.11.21 को रुपये 84414.00 सामाग्री का ।

दिनांक 06.11.21 को रुपये 13600.00 मजदूरी पर भुगतान।

उपर्युक्त भुगतान के संबंध में अधोलिखित आपतियों है-

1) पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बंधित योजनाओ एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन/संस्तुति करना है। लेकिन अनुमति संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।
2) हैंडपम्प मरम्मत के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सुचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद और मजदूरी के लिए किया गया।
3) मरम्मत के उपरांत डेड स्टॉक की स्थिति भी संगत रजिस्टर प्रस्तुत न रहने के कारण अजात रही।
4) कृत कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारंभ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके।
5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।
6) एस्टिमेट लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं रहे जिससे कार्य के तकनीकी अनुमति की पुष्टि नहीं की जा सकी। माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं रहा।
7) सामग्री और मजदूरी पर उपभोग धनराशि के सापेक्ष कोई भी वाउचर । व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।
उपर्युक्त के क्रम ग्राम पंचायत द्वारा उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिए सचिव और ग्राम प्रधान उत्तरदायी है।
उपर्युक्त धनराशि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार योग्य है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंधन हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। आगे इसी के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क बिन्दु के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"।
नियमानुसार कुल रू० 98014.00 की वसूली मय ब्याज आधा आधा, ग्राम प्रधान श्री नौशाद से से रू० 49007.00 और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अजीत गौतम से रू० 49007.00 किया जाना अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत- इचौली, विकास खंड-मुहम्मदाबाद, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 37 ग्राम पंचायत-इचौली, विकास खंड-मुहम्मदाबाद, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 को लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत-इचौली में पंचायत सहायक का भुगतान दिनांक

24-01-2022 को (ग्राम निधि प्रथम से) से 6000.00 का तथा (15वाँ वित्त से) दिनांक 24-02-2022 को रु० 6000.00 व दिनांक 14-03-2022 को रु० 6000.00 का किया गया है। इस प्रकार कुल रु० 18000.00 का मानदेय भुगतान किया गया है परन्तु भुगतान की पुष्टि में वांछित अभिलेख/मानदेय रजि० अप्राप्त रहा, जिससे व्यय की गई धनराशि को पुष्टि न हो सकी।

अतः व्यय धनराशि रु० 18000.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री मखनू राम एवं ग्राम प्रधान श्री बब्बन राम द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। अतः ग्राम पंचायत सचिव श्री मखनू राम से रू० 9000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री बब्बन राम से रू० 9000.00 ब्याजमय वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत- हाटा, विकास खंड-मुहम्मदाबाद, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 38 ग्राम पंचायत-हाटा, विकास खंड-मुहम्मदाबाद, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 को लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत-हाटा में दिनांक 16-10-2021 को सफाई किट और सामग्री पर हरिओम इण्टर प्राइजेज को भुगतान रु० 14500.00 का किया गया है परन्तु व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा, जिससे व्यय की गई धनराशि को पुष्टि न हो सकी ।

अतः व्यय धनराशि रु० 14500.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रानी सिंह कुशवाहा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। अतः ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रानी सिंह कुशवाहा से रू० 7250.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी से रू० 7250.00 ब्याजमय वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत- चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा, विकास खंड-मुहम्मदाबाद, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 39 ग्राम पंचायत-चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा, विकास खंड-मुहम्मदाबाद, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत-चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा में दिनांक 28-12-2021 को (ग्राम निधि से) माँ गंगा को बायोमेंट्रिक मशीन पर भुगतान रु० 7680.00 का किया गया है परन्तु व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा, जिससे व्यय की गई धनराशि को पुष्टि न हो सकी।

अतः व्यय धनराशि रु० 7680.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रानी सिंह कुशवाहा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विद्या देवी द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। अतः आधी - आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रानी सिंह कुशवाहा से रू० 3840.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विद्या देवी से रू० 3840.00 ब्याजमय वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत- बंधई, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22</u>

प्रस्तर - 40 ग्राम पंचायत-बंधई, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेन्ट एवं प्रियासॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस

धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने के मांग के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किये गए है 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक बातों तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत बंधई द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी० एम०बी०, कैश बुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियाँ व भुगतान, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पति पंजिका व धन सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की आंच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि 1291424.00 की वसूली ब्याज सहित, आधी-आधी धनराशि अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामआशीष व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गोपाल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टि से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया (घ)

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री रामाआशीष से रू० 645712.00 और सचिव ग्राम पंचायत श्री गोपाल सिंह से रू० 645712.00 ब्याज सीहत वसूल की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु-1 पनिशमेंट फॉर फेल्यर टू हैंडओवर रिकॉर्ड्स एक्ट और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत- हुसेनाबाद, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 41 ग्राम पंचायत-हुसेनाबाद, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेट व प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है । 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, एम०बी०, कैशबुक , पासबुक बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियाँ जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार. बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 1025921.00 की वसूली आधी - आधी धनराशि अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा से रू० 512960.50 व तत्कालीन ग्राम पं० सचिव श्री गोपाल सिंह रू० 512960.50 से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टि से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु-1 पनिशमेंट फॉर फेल्यर टू हैंडओवर रिकॉर्ड्स एक्ट और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत- माटा, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 42 ग्राम पंचायत-माटा, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेट । प्रियासॉफ्ट/ई- ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है 1अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक बार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका,कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी० एम०बी०, कैशबुक पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेट्य रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व अचल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गजल मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। रू० 2358806.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी:-

क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू० 2358806.00 की वसूली आधी - आधी धनराशि अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती परमतिया से रू० 1179403.00 ग्राम पं० सचिव श्री बिरेन्द्र कुमार गौतम से रू० 1179403.00 किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टि से बर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया (घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु-1 पनिशमेंट फॉर फेल्यर टू हैंडओवर रिकॉर्ड्स एक्ट और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत- पैकवली, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 43 ग्राम पंचायत-पैकवली, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोन वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी० एम०बी०, कैशबक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा,समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी

अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू० 1395087.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी आधी - आधी धनराशि वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ग्राम प्रधान श्रीमती बेबी से रू० 697543.50 व तत्कालीन ग्राम पं० सचिव श्री मुकेश सिंह से रू० 697543.50 किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टि से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरुप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तत्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया (घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु-1 पनिशमेंट फॉर फेल्यर टू हैंडओवर रिकॉर्ड्स इक्ट. और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या

06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत- दहेन्दु, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 44 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/प्रियासॉफ्ट ई-ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है 1अप्रैल 2022-31 मार्च 2023 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, एम०बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 1650884.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी आधी - आधी धनराशि वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री झारखण्डे से रू० 825442.00 व तत्कालीन ग्राम पं० सचिव श्री गोपाल सिंह से रू० 825442.00 किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टि से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि

तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तत्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया (घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु-1 पनिशमेंट फॉर फेल्यर टू हैंडओवर रिकॉर्ड्स एक्ट और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है । (सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत- हटवार मुरार सिंह , विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 45 ग्राम पंचायत-हटवार मुरार सिंह, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट है। ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा ध्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलक्ष्य बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया

ग्राम पंचायत हटवार मुरार सिंह के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, एम०बी० ए, कैशबुक, पासबुक, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ बर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व बसली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पति पंजिका आदि

अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) मै प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 810953.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी आधी - आधी धनराशि वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश चौधरी से रू० 405476.50 व सचिव श्री गोपाल सिंह से रू० 405476.50 किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टि से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव । प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया (घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्नअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु 1 पनिशमेंट फॉर फेल्यर टू हैंडओवर रिकॉर्ड्स इक्ट. और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या

06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत - भूपतिपुर, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 46 ग्राम पंचायत-भूपतिपुर, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट है ई-ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया

ग्राम पंचायत भूपतिपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, एम०बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेट्य रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियाँ जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 919465.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी आधी - आधी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रविन्द वर्मा से रु० 459732.50 व तत्कालीन ग्राम पं० सचिव श्रीमती कनकलता श्रीवास्तव से रु० 459732.50 किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टि से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन

अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हए भी की तत्कालिक ग्राम पंचायत सचिव प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया (घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सथना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु-1 पनिशमेंट फॉर फेल्यर टू हैंडओवर रिकॉर्ड्स एक्ट. और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत - शक्कापुर , विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 47 ग्राम पंचायत-शक्कापुर, विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर के के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार बार मांग के प्रस्तन नहीं किये गए है 1 अप्रैल 2022-31 मार्च 2023 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख पस्तत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया ग्राम पंचायत शक्कापुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, एम०बी०, कैशबुक , पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग

व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) मै प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 1454728.00 गबन की श्रेणी मैं आती है। जिसकी आधी - आधी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बेचूलाल से रू० 727364.00 व सचिव श्री गोपाल सिंह से रू० 727364.00 अद्यतन ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टि से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हए भी की तत्कालिक ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया (घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही

भी की जाएगी। एवं उ०प्र०प०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु-1 पनिशमेंट फॉर फेल्यर टू हैंडओवर रिकॉर्ड्स एक्ट. और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत- सागापाली मुरार सिंह , विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 48 ग्राम पंचायत- सागापाली मुरार सिंह , विकास खंड-बाराचवर, जनपद - गाजीपुर के ग्राम पंचायत सागापाली मुरार सिंह के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया ग्राम पंचायत सागापाली मुरार सिंह के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी० एम०बी०,कैशबुक , पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पति पंजिका व चल सम्पति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखी के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दशांए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 875783.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी आधी-आधी धनराशि वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माया से रू० 437891.50 व तत्कालीन ग्राम पं० सचिव श्री गोपाल सिंह से रू० 437891.50 किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्योंकि प्रथम दृष्टि से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तत्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया (घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फेल्यर तो हैंडओवर रिकॉर्ड्स एक्ट और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत- सागापाली दयाल सिंह , विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 49 ग्राम पंचायत-सागापाली दयाल सिंह , विकास खंड-बाराचवर, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेट प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया ग्राम पंचायत सागापाली दयाल सिंह के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, एम०बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस,

विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य की किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व के प्रकरणों की और अभिलेखों के दुरुपयोग सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और बसली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि 1023677.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी आधी-आधी धनराशि वसूली अद्यतन ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रामबच्चन से रू० 511838.50 व तत्कालीन ग्राम पं० सचिव श्री गोपाल सिंह से रू० 511838.50 किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टि से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तत्कालिक ग्राम पंचायत सचिव प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया (घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु-1 पनिशमेंट फॉर

फेल्यर टू हैंडओवर रिकॉर्ड्स इक्ट. और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत-दामोदरा 02, विकास खंड-जखनिया, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 50 ग्राम पंचायत-दामोदरा 02, विकास खंड-जखनिया, जनपद -गाजीपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के अनुसार दिनांक 17.03.2022 को कोषबही मे अनिल के खेत से रमेश के खेत तक खण्डजा निर्माण कार्य पर ईट का रु० 183743.00 का भुगतान जय मां वैष्णवी कान्ट्रक्शन एवं दिनांक 28.03.2022 को स्ट्रीट लाईट का भुगतान श्री पति बालाजी ट्रेडर्स को रु० 187320.00 दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमांणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नही हो सकी।

जो पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय 8 बिन्दु 7 का उल्लंघन है। बिन्दु 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त उत्तदायित्व है कि सम्प्रेषण हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

अतः व्यय की धनराशि रु० 371063.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान उर्मिला राव एवं सचिव अजित यादव दोनों समान रूप स उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रु० 371063.00 की आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला राव से रू० 185531.50 एवं सचिव श्री अजित यादव से रू० 185531.50 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

<u>ग्राम पंचायत- अन्दोखर, विकास खंड-मनिहारी, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 51 ग्राम पंचायत- अन्दोखर, विकास खंड-मनिहारी, जनपद -गाजीपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा के अनुसार राज्य वित्त से दिनांक 25.08.2021 को ग्राम सभा में स्ट्रीट लाईट रु० 167580 का भुगतान हिमारी इन्टर प्रा० का एवं पन्द्रहवा वित्त से दिनांक 28.10.2022 सार्वजनिक स्थानो पर स्ट्रीट लाईट का भुगतान 181000.00 अजय इन्टर प्राइजेज का दर्शित है। परन्तु कुल रु० 348580.00 व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक / अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा। जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय 8 बिन्दु 7 का उल्लंघन है। बिन्दु 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त उत्तदायित्व है कि सम्प्रेषण हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 348580.00 का अपहरण प्रधान श्री अमरनाथ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शशि कुमार द्वारा किया गया है। जिसके लिए दोनो लोग समान रूप से उत्तदायी हैं। उक्त धनराशि रु० 348580.00 की आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री अमरनाथ

से रू० 174290.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शशि कुमार से रू० 174290.00 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

ग्राम पंचायत- रंजीतपुर , विकास खंड-मनिहारी, जनपद -गाजीपुर

प्रस्तर - 52 ग्राम पंचायत- रंजीतपुर , विकास खंड-मनिहारी, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 मे लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत रंजीतपुर में कुल धनराशि रु० 1390932.00 का व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख / व्यय प्रमाणक, वर्क आई डी. कार्यवाही रजिस्टर, एम बी स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। बार-बार पत्राचार एवं मौखिक के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त रहा। जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

इससे स्पष्ट है कि मात्र काल्पनिक कोष बही तैयार कर व्यय दर्शित है।

जो कि पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय 8 बिन्दु 7 का उल्लंघन है। बिन्दु 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त उत्तदायित्व है कि सम्प्रेषण हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

अतः व्यय की धनराशि रु० 1390932.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री रविप्रकाश व ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार यादव द्वारा किया गया है। जिसके लिए दोनो समान रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रु० 1390932.00 की आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार से रु० 695466.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रविप्रकाश उपाध्याय से रु० 695466.00 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

ग्राम पंचायत- शंकरपुर , विकास खंड-जखनिया, जनपद -गाजीपुर

प्रस्तर - 53 ग्राम पंचायत- शंकरपुर , विकास खंड-जखनिया, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के अनुसार दिनांक 22.02.2022 को राजेश के घर से डीह बाबा तक रास्ते में ईट की टुकड़ी व राविश पर रु० 9996.00 एवं उक्त कार्य पर ईट की टुकड़ी एवं राविश पर दिनांक 30.03.2022 को रु० 121329.00 का व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा समय कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया गया। जिससे व्यय की धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

ग्राम पंचायत विभाग द्वारा निर्मित ग्राम पंचायतो में वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय-8 बिन्दु 7 का उल्लंघन है। बिन्दु 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त उत्तदायित्व है कि सम्प्रेषण हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

अतः व्यय की कुल धनराशि रु० 131325.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती निलम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अंगद राम द्वारा किया गया है। जिसके लिए समान रूप से दोनों लोग उत्तरदायी है। उक्त धनराशि रु० 131325.00 की आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती निलम से रू० 65662.50 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अंगद राम से रू० 65662.50 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-01)

ग्राम पंचायत- सुहवल, विकास खंड-रेवतीपुर, जनपद -गाजीपुर

प्रस्तर - 54 ग्राम पंचायत- सुहवल, विकास खंड-रेवतीपुर, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये, जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:-

15 वां एवम पंचम राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि का अनियमित व्यय-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध मे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में रु० 2318610.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंकलन पत्र , माप पुस्तिकाएं, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर कार्यपूर्ति एवं अन्य प्रत्रावलियों आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये।

अतः स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय न कर काल्पनिक रूप से कैश बुक में अंकित कर समस्त धनराशि का प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से अपहरण किया गया है जिसकी आधी आधी वसूली प्रधान श्रीमती आशा देवी से रू० 1159305.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आनंद प्रकाश से रू० 1159305.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत- अठहठा, विकास खंड-रेवतीपुर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 55 ग्राम पंचायत- अठहठा, विकास खंड-रेवतीपुर, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये, जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:-

15 वां एवम पंचम राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि का अनियमित व्यय-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध मे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में रू० 2003337.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंकलन पत्र, माप पुस्तिकाएं, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन / टेण्डर कार्यपूर्ति एवं अन्य प्रत्रावलियों आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये।

अतः स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय न कर काल्पनिक रूप से कैश बुक में अंकित कर समस्त धनराशि का प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से अपहरण किया गया है जिसकी आधी आधी वसूली प्रधान श्री अशोक कुमार यादव से रू० 1001668.50 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरव से रू० 1001668.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत- बसुका, विकास खंड-रेवतीपुर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 56 ग्राम पंचायत- बसुका, विकास खंड-रेवतीपुर, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये, जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है

लेखा मैनुअल अध्याय 7 पैरा 3ब शासनादेश संख्या 5038/ग- 3377/47 पंचायत राज अनुभाग 3 दिनांक 11/07/1976 यथा संशोधित शासनादेश संख्या ए-1-864(1) दस 2008-15 (1) 86 दिनांक 23/09/2008 के अनुसार रुपए एक लाख से अधिक मूल्य के सामग्री क्रय पर निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए जबकि ग्राम पंचायत द्वारा रुपए 192500.00 की सामग्री क्रय के पूर्व निविदा आमंत्रित

नहीं की गई है। इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता के प्रति प्रधान सुहैब व सचिव श्री मनीष कुमार राय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत- नसीरपुर, विकास खंड-रेवतीपुर, जनपद -गाजीपुर</u>

प्रस्तर - 57 ग्राम पंचायत- नसीरपुर, विकास खंड-रेवतीपुर, जनपद -गाजीपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये, जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:-

15 वां एवं पंचम राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि का अनियमित व्यय-

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध मे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में रु० 1324218.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंकलन पत्र, माप पुस्तिकाएं, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर कार्यपूर्ति एवं अन्य प्रत्रावलियों आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये।

अतः स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय न कर काल्पनिक रूप से कैश बुक में अंकित कर समस्त धनराशि का प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से अपहरण किया गया है जिसकी आधी-आधी वसूली प्रधान श्री पवन से रू० 662109.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरव से रू० 662109.00 मयब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।